GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (G&T) DEPARTMENT

THE RAJASTHAN TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT RULES, 2013

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013

(Effective from 26.01.2013)

(Compiled upto 01.07.2026)

(इस संकलन को तैयार करने में पूर्ण सावधानी रखी गयी है। यदि नियमों में अनजाने में कोई गलती या कमी रह गई हो और वह ध्यान में आए, तो कृपया वित्त (वित्तीय नियम) विभाग को सूचित करें। किसी भी विसंगति की स्थिति में, जारी किये गये मूल नियम, अधिसूचना, आदेश, परिपत्र इत्यादि ही मान्य होंगे।)

PUBLISHED BY AUTHORITY

Government Central Press, Jaipur.

THE RAJASTHAN TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT RULES, 2013

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013

INDEX

Rule	Particulars	Page No.
	CHAPTER-I **Preliminary** **प्रारम्भिक**	
1	Short title and commencement संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	1 95
2	Definitions परिभाषाएं	1 95
	CHAPTER- II **Organisational Structure for Procurement** **उपापन के लिए संगठनात्मक संरचना**	
3	Procurement committees उपापन समितियां	3 97
4	State Public Procurement Portal राज्य लोक उपापन पोर्टल	3 97
5	e-procurement ई–उपापन	3 97
	CHAPTER- III **General principles of procurement** **उपापन के साधारण सिद्धान्त**	
6	Determination of need आवश्यकता का अवधारण	4 98
7	Procurement plan उपापन योजना	4 98
8	Numbering convention संख्यांकन परिपाटी	4 98
9	Procurement Management Information System and tracking उपापन प्रबंधन सूचना प्रणाली और ट्रैकिंग	4 98
10	Procurement Register उपापन रजिस्टर	4 99
11	Administrative, Financial and Technical sanctions and availability of budget provision प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृतियां और बजट व्यवस्था की उपलब्धता	5 99
12	Obligations related to value of procurement उपापन के मूल्य से संबंधित बाध्यताएं	5 99
13	Participation of bidders बोली लगाने वालों का भाग लेना	5 99

Rule	Particulars	Page No.
	CHAPTER-IV **Methods of Procurement** **उपापन की पद्धतियां**	
14	Methods of Procurement उपापन की पद्धतियां	6 100
15	Open competitive bidding खुली प्रतियोगी बोली	6 100
15A	Swiss Challenge Method स्विस चैलेन्ज पद्धति	6 100
16	Limited bidding सीमित बोली	6 100
17	Single source procurement एकल स्रोत उपापन	7 101
18	Two stage bidding द्वि–प्रकमी बोली	7 102
19	Procedure of electronic reverse auction इलेक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम की प्रक्रिया	8 103
20	Registration for the electronic reverse auction and the timing of holding the auction इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के लिए रजिस्ट्रीकरण और नीलाम आयोजित करने का समय	9 105
21	Requirements during the electronic reverse auction इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के दौरान अपेक्षाएं	9 105
22	Requirements after the electronic reverse auction इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के पश्चात् अपेक्षाएं	10 105
23	Other provisions for electronic reverse auction इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के लिए अन्य उपबंध	10 106
24	Request for Quotations कोटेशनों के लिए अनुरोध	10 106
25	Spot Purchase मौके पर क्रय	11 106
26	Procurement without quotations कोटेशनों के बिना उपापन	11 107
27	Procurement of works by work order system and piece work system कार्य आदेश प्रणाली और पीस वर्क प्रणाली द्वारा संकर्मों का उपापन	11 107
28	Competitive negotiations प्रतियोगी बातचीत	13 108
29	Rate contract दर संविदा	13 109
30	Registration रजिस्ट्रीकरण	15 111
31	Empanelment by pre-qualification process पूर्व–अर्हता प्रक्रिया द्वारा पैनलित करना	15 111
32	Direct procurement from notified agencies अधिसूचित अभिकरणों से प्रत्यक्ष उपापन	15 111
33	Purchase or price preference in procurement उपापन में क्रय या कीमत अधिमान	15 111

Rule No.	Particulars	Page No.
	CHAPTER- V **Bid Process Management- Open Competitive Bidding** **बोली प्रक्रिया प्रबंधन – खुली प्रतियोगी बोली**	

Rule No.	Particulars	Page No.
34	Description of subject matter of procurement उपापन की विषय वस्तु का वर्णन	16 112
35	Criteria for evaluation of bids बोलियों के मूल्यांकन की कसौटी	16 112
36	Preparation of bidding documents बोली दस्तावेजों को तैयार करना	16 112
37	Single part and two part bids एकल भाग और द्वि–भाग बोलियां	18 114
38	Qualification of bidders बोली लगाने वालों की अर्हता	18 114
39	Eligibility of bidders बोली लगाने वालों की पात्रता	18 115
40	Time frame for procurement process उपापन प्रक्रिया के लिए समय–सीमा	19 115
41	Prequalification proceedings पूर्व–अर्हता कार्यवाहियां	21 118
42	Bid security बोली प्रतिभूति	21 118
43	Notice Inviting Bids बोली आमंत्रित करने वाली सूचना	22 120
44	Price for bidding documents, pre-qualification documents or bidder registration documents and processing fee or user charges बोली दस्तावेजों, पूर्व अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों के लिए मूल्य और प्रक्रिया फीस या उपयोक्ता प्रभार	26 124
45	Sale of bidding documents बोली दस्तावेजों का विक्रय	26 124
46	Pre-bid clarifications बोली–पूर्व स्पष्टीकरण	27 125
47	Changes in the bidding documents बोली दस्तावेजों में परिवर्तन	27 125
48	Period of validity of bids बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि	27 125
49	Format and signing of bids बोलियों का रूपविधान और हस्ताक्षरित किया जाना	27 125
50	Sealing and marking of bids बोलियों को मुहरबंद करना और चिह्नित करना	28 126
51	Deadline for the submission of bids बोलियों के प्रस्तुतिकरण के लिए अंतिम समय–सीमा	28 126
52	Late bids विलंब से प्राप्त बोलियां	28 127
53	Receipt and Custody of Bids बोलियों की प्राप्ति और अभिरक्षा	29 127

Rule No.	Particulars	Page No.
54	Withdrawal, substitution and modification of bids बोलियों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन ओर उपान्तरण	29 128
55	Opening of bids बोलियों का खोला जाना	30 128
56	Preliminary examination of bids बोलियों की प्रारंभिक परीक्षा	31 131
57	Tabulation of Technical bids तकनीकी बोलियों की सारणी बनाना	32 131
58	Tabulation of Financial bids वित्तीय बोलियों की सारणी बनाना	32 132
59	Determination of responsiveness प्रत्युत्तरदायिता का अवधारण	34 133
60	Clarification of bids बोलियों का स्पष्टीकरण	34 134
61	Non-material Non-conformities in bids बोली में गैर–सारवान गैर–अनुरूपता	35 134
62	Exclusion of bids बोलियों का अपवर्जन	35 135
63	Evaluation of Technical bids in case of two part bids द्वि–भाग बोलियों के मामले में तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन	35 135
64	Correction of arithmetic errors in financial bids वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार	35 135
65	Evaluation of financial bids वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन	36 136
66	Comparison of rates of firms outside and those in Rajasthan राजस्थान की और बाहर की फर्मों की दरों की तुलना	36 137
67	Price / purchase preference in evaluation मूल्यांकन में कीमत／क्रय अधिमान	37 137
68	Lack of competition प्रतियोगिता की कमी	37 137
69	Negotiations बातचीत	37 137
70	Acceptance of the successful bid and award of contract सफल बोली का स्वीकार किया जाना और संविदा का अधिनिर्णय	38 138
71	Information and publication of award अधिनिर्णय की सूचना और प्रकाशन	39 139
72	Procuring entity’s right to accept or reject any or all bids किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार	39 139
73	Right to vary quantity परिमाण में परिवर्तन का अधिकार	39 140
74	Dividing quantities among more than one bidder at the time of award अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन	39 140
75	Performance security कार्य सम्पादन प्रतिभूति	40 141
76	Execution of agreement करार का निष्पादन	41 142
77	Confidentiality गोपनीयता	41 142
78	Cancellation of procurement process उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण	41 143

Rule No.	Particulars	Page No.
79	Documentary record of procurement proceedings उपापन कार्यवाहियों का दस्तावेजी अभिलेख	41 143
	CHAPTER-VA **Bid Process Management–Swiss Challenge Method** **बोली प्रक्रिया प्रबंध–स्विस चैलेन्ज पद्धति**	
79A	Swiss Challenge Method of Procurement उपापन की स्विस चैलेन्ज पद्धति	43 144
79B	Eligible sectors under Swiss Challenge Method स्विस चैलेन्ज पद्धति के अधीन पात्र सेक्टर	43 144
79C	Projects, which shall not be acceptable under Swiss Challenge Method परियोजनाएं, जो स्विस चैलेन्ज पद्धति के अधीन प्रतिग्राह्य नहीं होंगी	44 145
79D	Procedure प्रक्रिया	44 145
79E	Preparation and submission of detailed and comprehensive proposal ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव तैयार करना और उसका प्रस्तुत किया जाना	45 146
79F	Earnest Security अग्रिम प्रतिभूति	45 147
79G	Detailed Project Report (DPR) preparation cost ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करने की लागत	46 147
79H	Clarifications regarding Detailed Project Report (DPR) ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) के संबंध में स्पष्टीकरण	46 148
79I	Bid Parameters and Bid Value बोली परिमाप और बोली मूल्य	46 148
79J	Competent Authority for approval of Projects under SCM and Procedure to be followed thereof स्विस चैलेंज पद्धति (एस.सी.एम.) के अधीन परियोजनाओं का अनुमोदन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और उसके लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया	47 149
79K	Bidding Process बोली प्रक्रिया	47 149
79L	Transaction Advisor संव्यवहार सलाहकार	47 150
79M	Time frame for the total process संपूर्ण प्रक्रिया के लिए समय–सीमा	48 151
79N	Eligibility criteria for the Project Proponent परियोजना प्रस्तावक के लिए पात्रता मानदंड	49 152
79O	Power to call off the Project परियोजना को वापस लेने की शक्ति	50 152
	CHAPTER VI **Code of Integrity** **सत्यनिष्ठा की संहिता**	
80	Code of integrity सत्यनिष्ठा संहिता	51 153
81	Conflict of interest हित का विरोध	52 154
82	Breach of code of integrity by the bidder बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग	53 154

Rule	Particulars	Page No.
	CHAPTER-VII **Appeals** **अपील**	
83	Form of Appeal अपील का प्ररूप	54 156
84	Fee for filing appeal अपील फाइल करने के लिए फीस	54 156
85	Procedure for disposal of appeal अपील के निपटारे की प्रक्रिया	54 156
86	Repeal and savings निरसन और व्यावृत्तियां	54 156
	FORMS **प्ररूप**	
1	Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन	55 157
2	Certificate to be furnished by Project Proponent परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र	56 158
3	Details of Proposal by Project Proponent परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के ब्यौरे	57 159
4	Content of pre-feasibility report पूर्व–साध्यता रिपोर्ट की अंतर्वस्तु	61 162
5	Contents of Detailed Project Report ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु	62 163
6	Submission of detailed and comprehensive proposal by Project Proponent (in Hard Copy and Soft Copy) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण	64 165
7	Project Financial Summary परियोजना वित्त का संक्षिप्त विवरण	66 167
8	Check List for submission of documents (in Hard copy and Soft copy) दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के लिए चैक लिस्ट	67 168
	M.S.M.E. **सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम**	84 187
	IMPORTANT NOTIFICATIONS/CIRCULARS/ORDERS **महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं/परिपत्र/आदेश**	200

[1]Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013

G.S.R. 96.- In exercise of the powers conferred by section 55 of the Rajasthan transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER- I

Preliminary

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013.

(2) They shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(i) **"Act"** means the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012);

(ii) **"competent authority"** means an authority or officer to whom the relevant administrative or financial powers have been delegated for taking decision in a matter relating to procurement;

[2][ii-a) **"Earnest Security"** means an amount of security provided by the Project Proponent to the Administrative Department concerned as a token of sincerity and good faith, as specified in sub-rule (6) of rule 79F;

(ii-b**) "Eligible Sector"** means the Sector, as specified in rule79B, in which the project proposals can be accepted under the Swiss Challenge method;]

(iii) "**form"** means form appended to these rules;

(iv) **"international competitive bidding"** means a bidding process in which qualified bidders from all over the world, except those having nationality of a country declared ineligible by the Central Government, are allowed to participate;

(v) **"national competitive bidding"** means a bidding process in which qualified bidders only from within India are allowed to participate [4][;]

[2][(v-a) **"Project Proponent"** means a Legal entity or a Person who submits a proposal under Swiss Challenge Method;]

(vi) **"section"** means section of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 [3][; and]

1. FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 24.1.2013. published in Rajasthan Gazette Ext.Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 24.1.2013 effective from 26.1.2013.

2. Inserted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 5.6.2015, published in Rajasthan Gazette Ext.Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 5.6.2015 effective from 5.6.2015.

3. Substituted "." by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 5.6.2015, published in Rajasthan Gazette Ext.Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 5.6.2015 effective from 5.6.2015.

4. Substituted expression "; and" by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 5.6.2015, published in Rajasthan Gazette Ext.Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 5.6.2015 effective from 5.6.2015.

[1][(vii) "State Level Empowered Committee (SLEC)" means the State Level Empowered Committee constituted by the State Government under the chairmanship of the Chief Secretary for consideration/ examination/ approval of the project, received under Swiss Challenge Method.]

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

1. Added by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 5.6.2015, published in Rajasthan Gazette Ext.Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 5.6.2015 effective from 5.6.2015.

CHAPTER- II

Organisational Structure for Procurement

3. Procurement committees.- (1) Every procuring entity shall constitute one or more committees for the following purposes, namely: -

(a) Preparation of bidding documents;
(b) Opening of bids;
(c) Evaluation bids;
(d) Monitoring of contract;
(e) Spot Purchase;
(f) Competitive negotiation; and
(g) Any other purpose relating to procurement, as may be decided by the procuring entity.

(2) Each committee shall consist of three or more members including senior most accounts officer or official of the procuring entity, and if required, a technical official may be nominated by the procuring entity. A consultant, as subject matter specialist, may also be nominated in the committee by the procuring entity, after recording reasons, with the prior approval of the competent authority.

(3) In complex projects, the work of preparation of project report or bidding documents may be assigned to consultants with the prior approval of the competent authority.

4. State Public Procurement Portal.- The State Public Procurement Portal, in addition to information specified in clause (a) to (g) of sub-section (3) of section 17, shall provide access to such other information as may be specified by the State Government, from time to time. Every procuring entity shall upload and publish the required information on State Public Procurement Portal maintained by the State Procurement Facilitation Cell.

5. e-procurement.- All subject matters of procurement of an estimated value, as may be notified* by the State Government under sub-section (2) of section 28, shall be procured through e-procurement. In such cases every bidder shall deposit user charges as may be fixed by the State Government, from time to time. Every bid shall be digitally singed by the bidder. The procedure of e-procurement shall be as specified for this purpose on the State Public Procurement Portal.

*** "the adoption of electronic procurement shall be compulsory in following types of procurement, namely :-**
1. Procurement of Goods and Services having estimated value of rupees ten lakh or more; and
2. Procurement of Works having estimated value of rupees five lakh or more.
This notification shall come into force with effect from 01st September, 2016."

(Substituted vide Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 31.8.2016**,** published in Rajasthan Gazette Ext. Ord. Pt.4 (Ga)(II) dated 31.8.2016 effective from 1.9.2016.) For -

"the adoption of electronic procurement shall be compulsory in following types of procurement, namely :-
1. Procurement of Goods and Services having estimated value of rupees twenty five lakhs or more.
2. Procurement of Works having estimated value of rupees ten lakhs or more."

*(Vide Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 16.9.2015***,** *Published in Rajasthan Gazette Ext. Ord. Pt.4 (Ga)(I) dated 17.9.2015 effective from 17.9.2015.)*

CHAPTER- III

General principles of procurement

6. Determination of need.- In every case of a procurement, the procuring entity shall first determine the need and maintain documents relating to determination and assessment of need in accordance with the provisions of section 5.

7. Procurement plan.- (1) A procurement plan shall be prepared by every procuring entity for each of the item of goods, works or services to be procured during the year in accordance with section 5.

(2) The Procurement plan shall specify the following:-

(a) Nature of Procurement – Goods / Works / Services;
(b) Major Specifications – Quantity / Type / Quality;
(c) Estimated Value;
[1][(d) Source of Funds – State Fund/Central Assistance/Externally Aided project/Others;]
(e) Budget Code;
(f) Procurement Method likely to be followed;
(g) Timeframe for Bid Process; and
(h) Timeframe for Delivery of goods or services or Completion of work to identify the funds required in the next financial year or subsequent financial years.

(3) The plan shall be based on inputs received for each item from officers at various hierarchical level of the procuring entity.

8. Numbering convention.- Each procurement process undertaken by any procuring entity shall have a Unique Bid Number which shall be used for tracking purpose during and after the bid process. The Unique Bid Number shall be designed like a code to reflect department / Procuring Entity, type of procurement, threshold value of procurement and method, year and serial number of bid in that particular year.

9. Procurement Management Information System and tracking.-Every procuring entity shall develop and maintain a Procurement Management Information System for tracking the procurement process, which shall include the following, namely:-

(a) In order to track the performance of the procurement process, information shall be collated at the procuring entity level on quarterly basis and be available for reference at procuring entity level at all times and shall be sent for collation to the respective Administrative Department. The Administrative Department shall further send the aggregated Procurement Management Information to the State Procurement Facilitation Cell quarterly.

(b) The Management Information System shall cover the entire procurement cycle and incorporate performance targets set for various processes.

(c) The Procurement Management Information System shall be developed in a query based format to allow for in-depth analysis and ease of use, providing realtime information about the status of the bid at any point of time. This shall be integrated with the State Public Procurement Portal in order to further track performance on various parameters, including performance of contracts, delays and penalties imposed.

10. Procurement Register.- Each procuring entity shall maintain a procurement register and ensure the safe custody of the procurement register.

11. Administrative, Financial and Technical sanctions and availability of budget provision.- For each procurement, it shall be necessary to obtain all required approvals and sanctions as applicable. In case of procurement of works, this shall include administrative sanction, financial sanction, technical sanction and appropriation or re-appropriation. The procuring entity must have the necessary financial powers delegated to it for procurement of the subject matter.

1. Substituted by FD Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 2.8.2017, published in Rajasthan Gazette Ext.Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 4.8.2017 effective from 4.8.2017 for "(d) Source of Funds – Plan / Non-Plan/Central Sponsored Scheme/ Externally Aided Project/Others;

12. Obligations related to value of procurement.- The obligations related to value of procurement shall be as per the provisions of section 8.

13. Participation of bidders.- (1) The procuring entity, at the time of inviting the participation of bidders in the procurement process, shall declare whether participation of bidders is limited or not and if limited, grounds thereof. Such declaration may not ordinarily be altered later.

(2) Normally the procedure of National Competitive Bidding (NCB) shall be adopted. The procedure of International Competitive Bidding (ICB) may be adopted if there is such a condition of adopting International Competitive Bidding for certain procurements under an obligation of an agreement with an intergovernmental international financing institution, or the subject matter of procurement is such that in the opinion of the procuring entity, it will be in the public interest to adopt International Competitive Bidding, after recording reasons.

[1][(3) Normally the procedure of International Competitive Bidding (ICB) for Government Bids upto Rs. 200 crores shall not be allowed. In case, International Competitive Bidding is to be adopted for Government Bids below Rs. 200 crores, then prior approval of the Finance Department shall be obtained. International Competitive Bidding may be adopted in Government bids above Rs. 200 crores if the subject matter of procurement is such that in the opinion of the procuring entity, it will be in the public interest to adopt International Competitive Bidding, after recording reasons.

(4) The bidders belonging to or with beneficial ownership from countries sharing land border with India, for participation in any public procurement in the State, shall only be allowed after prior registration with the Industries Department of the Government of Rajasthan.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) and (3) above, as the case may be, the State Government may by order in writing, impose restrictions, including prior registration and/or screening, on procurement from bidders from a country or countries, or a class of countries, on grounds of defence of India, or matters directly or indirectly related thereto including national security, to protect the essential security and strategic interest of India as specified in clause (d) of sub section (4) of section 6, no procurement shall be made in violation of such restrictions.

Explanation : For the purpose of this rule,-

(i) "Agent" means a person employed to do any act for another, or to represent another in dealings with third persons;

(ii) "Beneficial owner" means,-

(a) In case of a company or Limited Liability Partnership, the "beneficial owner" is the natural person or persons who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has a controlling ownership interest or who exercises control through other person;

(b) "Controlling ownership interest" is the ownership of, or entitlement to, more than twenty-five per cent of shares or capital or profits of the company;

1. Added by FD Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 01.01.2021, published in Rajasthan Gazette Ext.Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 1.1.2021.

(c) "Control" shall include the right to appoint the majority of the directors or to control the management or policy decisions, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements;

(d) In case of a partnership firm, the "beneficial owner" is the natural person or persons who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of entitlement to more than fifteen percent of capital or profits of the partnership;

(e) In case of an unincorporated association or body of individuals, the "beneficial owner" is the natural person or persons, who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of or entitlement to more than fifteen percent of the property or capital or profits of such association or body of individuals;

(f) Where no natural person is identified under sub-clause (a), (b), (c), (d) or (e) above, the "beneficial owner" is the relevant natural person who holds the position of senior managing official;

(g) In case of a trust, the identification of beneficial owner or owners shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with fifteen percent or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership;

(iii) "Bidder from a country which shares a land border with India" means,-

(a) An entity incorporated, established or registered in such a country;

(b) A subsidiary of an entity incorporated, established or registered in such a country;

(c) An entity substantially controlled through entities incorporated, established or registered in such a country;

(d) An entity whose beneficial owner's situated in such a country;

(e) An Indian (or other) agent of such an entity;

(f) A natural person who is a citizen of such a country;

(g) A consortium or joint venture where any member of the consortium or joint venture falls under any of the above."

CHAPTER-IV

Methods of Procurement

14. Methods of Procurement.- Subject to the provisions of the Act, these rules, any additional conditions notified under section 37 and guidelines issued under the Act, a procuring entity may procure a subject matter of procurement by any of the methods specified or notified under sub-section (1) of section 28.

15. Open competitive bidding.-Procedure for procurement of a subject matter through open competitive bidding shall be as specified in Chapter-V of these rules.

[1]**[15A.Swiss Challenge Method.-** Procedure for procurement of a subject matter through Swiss Challenge Method shall be as specified in CHAPTER-VA of these rules.]

16. Limited bidding.-(1) In case of procurement of a subject matter as per clause (b) of sub-section (1) of section 30, a procuring entity may adopt the method of limited bidding if the estimated cost or value of the subject matter is less than Rupees two lakh on one occasion but it shall not exceed Rupees ten lakh in a financial year [2][:]

[3][Provided that a Panchayati Raj Institution or its committee may adopt the method of limited bidding if the estimated cost or value of the subject matter is less than Rupees [4][six lakh] on one occasion but it shall not exceed Rupees [4][sixty lakh] in a financial year.

Provided further that procurement shall be made by the Panchayati Raj Institution or its committee in accordance with the guidelines issued by the Rural Development and Panchayati Raj Department.]

(2) The procedure for limited bidding shall be as under:-

(a) The procuring entity shall issue an invitation to bid by exhibiting it on the State Public Procurement Portal and by writing directly, and on the same day, to-

(i) all the bidders who can supply the subject matter of procurement in terms of clause (a) of sub-section (1) of section 30; or

(ii) all the bidders who are registered for the subject matter of procurement with the procuring entity or where a procuring entity does not register the bidders in respect of a subject matter of procurement, to the registered bidders of any other procuring entity, if any; or

(iii) at least three manufacturers, authorised dealers, authorised service centres, bona-fide dealers or service providers, in case registered bidders are not available.

(b) The procuring entity may allow all prospective bidders who fulfill the qualification criteria laid down for the procurement in the bidding documents, whether an invitation to bid has been issued to such bidders or not, to participate in the bidding process.

(c) A minimum period of seven days, in case of emergency after recording reasons three days, shall be given to the bidders to offer their bids.

(d) If limited bidding is invited under clause (b) and (c) of sub-section (1) of section 30, bid security shall not be obtained.

(e) For the remaining procedure of procurement by limited bidding, the provisions of Chapter-V shall apply mutatis mutandis except publication of Notice Inviting Bids in the news papers as per sub-rule (6) or (7) of rule 43.

---

1. Inserted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 5.6.2015, published in Rajasthan Gazette Ext. Ord. Pt.4 (Ga)(I) dated 5.6.2015 effective from 5.6.2015.
2. The existing punctuation mark "." substituted by Notification No. F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 14.7.2016 published in Raj. Gazette EO Part 4(Ga)(I) dated 14.7.2016.
3. Added by Notification No. F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 14.7.2016 published in Raj. GAzette EO Part 4(Ga)(I) dated 14.7.2016.
4. The existing words "five lakh" and "fifty lakh"substituted by the words "six lakh" and "sixty lakh" respectively by Notification No. F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 01.10.2021 published in Raj. Gazette EO Part 4(Ga)(I) dated 01.10.2021.

17. Single source procurement.- (1) In addition to the conditions enumerated in sub-section (1) of section 31, a procuring entity may procure the subject matter by the method of single source procurement, if-

[1][(a) Hiring of the services of consultant or professional is required, for a period upto twenty four months and upto fina ncial limit of Rupees twelve lakh in each case, subject to delegation of financial powers :]

[2][Provided that the above time period and financial limit shall not be applicable where services of retired government servant are required to be hired then such services of retired government servant may be hired and remuneration shall be paid at the rate as may be fixed by the Finance Department, Government of Rajasthan, from time to time.]

(b) Price of subject matter of procurement is administered by the State Government or the Central Government.

(2) The procedure for single source procurement shall be as under:-

[3][(a) The procuring entity shall solicit a bid from the single prospective bidder and shall also exhibit the invitation to bid on the State Public Procurement Portal if the value of procurement is rupees one lakh or more. The procuring entity shall not exhibit the invitation to bid on the State Public Procurement Portal where,

(i) the services of a retired government servant are required under the proviso to clause (a) of sub-rule (1); or

(ii) the procuring entity is of the opinion that subject matter for procurement is of nature specified in clause (e) or (h) of sub-section (1) of section 31.

However in case where services of a retired government servant are hired, the work order shall be uploaded on the State Public Procurement Portal.]

(b) The procuring entity may engage in negotiations in good faith with the bidder.

(c) The single source may be selected out of the list of empanelled / registered bidders for the subject matter of procurement with the procuring entity or with any other procuring entity, where procuring entity uses the list of registered bidders of other procuring entity in terms of sub-section (5) of section 19 or suitable bidder identified through other reliable sources.

(d) Bid security shall not be obtained in case of single source procurement.

(e) Except as otherwise provided in this rule and provisions of Chapter-V relating to pre-qualification proceedings, bid security, publication of Notice Inviting Bids in the news papers, price of bidding documents, sale of bidding documents, pre-bid clarifications, exclusion of bids, comparison of rates of firms outside and those in Rajasthan, price/purchase preference in evaluation and dividing quantities among more than one bidder at the time of award, all other provisions of Chapter-V shall mutatis mutandis apply, but in case of matters covered under sub-rule (1) performance security shall not be obtained.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), in the emergent situation arising out of floods and other natural calamities, the subject matter of procurement may be procured up to the ceiling rates. The committee consisting of the following, shall decide the ceiling rates for subject matter of procurement on the basis of rates received during the last six months or the prevailing market rates analysis, namely:-

(a) District Collector - Chairman

(b) District level officer of the concerned department - Member

(c) Treasury Officer - Member Secretary

(d) Special invitee, if required - Member

18. Two stage bidding.- The procedure for two stage bidding shall be as under:-

(a) In the first stage of the bidding process, the procuring entity shall invite proposals containing the professional and technical competence, qualifications of bidders regarding the subject matter of procurement and contractual terms and conditions of the proposed procurement;

(b) All first stage bids, which are otherwise eligible, shall be evaluated in accordance with the procedure laid down in these rules and the bidding documents by bids evaluation committee;

(c) The committee may hold discussions with the bidders and if any such discussion is held, equal opportunity shall be given to all bidders to participate in the discussions;

(d) In revising the technical design, stipulations, relevant terms and conditions of the procurement, the procuring entity shall not modify the fundamental nature of the procurement itself, but may add, amend or delete any specification of the subject matter of procurement or criterion for evaluation;

1. Substituted by Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 4.9.2013, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 4.9.2013 for - "(a) Hiring of services of consultant or professional required, for a maximum period of twelve months and up to financial limit of Rupees five lakh in each case, subject to delegation of financial powers or" and again substituted by Notification No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 6.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(II) dated 6.8.2018 for - "(a) Hiring of the services of consultant or professional is required, for a maximum period of twelve months and up to financial limit of Rupees five lakh in each case, subject to delegation of financial powers for the departments of State Government or its attached or subordinate offices and in case of all other procuring entities above limit shall be Rupees twelve lakh in each case, subject to delegation of financial powers; or"
2. Added by Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 10.07.2023, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 10.07.2023.
3. Substituted by Notification No. F.2(3)/FD/FR/SPFC/2024 dated 19.12.2024 for - "(a) The procuring entity shall solicit a bid from the single prospective bidder and shall also exhibit the invitation to bid on the State Public Procurement Portal if the value of procurement is rupees one lakh or more. The procuring entity shall not exhibit the invitation to bid on the State Public Procurement Portal, if it is of the opinion that subject matter for procurement is of nature specified in clause (e) or (h) of sub-section (1) of section 31."

(e) Notwithstanding anything contained in sections 29 and 30, in the second stage of the bidding process, the procuring entity shall invite bids from all those bidders whose bids at the first stage were not rejected, to present final bid with bid prices and detailed technical bid in response to a revised set of terms and conditions of the procurement;

(f) Any bidder, invited to bid but not in a position to supply the subject matter of procurement due to changes in the specifications, may withdraw from the bidding proceedings without liability of forfeiting bid security.

(g) Except as otherwise provided in this rule all other provisions of Chapter-V shall, mutatis mutandis, apply.

19. Procedure of electronic reverse auction.- (1) The procuring entity shall solicit bids by causing an invitation to the electronic reverse auction to be published in accordance with rule 43. The invitation shall include,-

(a) the name and address of the procuring entity including e-mail address if any;

(b) a detailed description of the subject matter of the procurement and the required time and location for providing such subject matter;

(c) the terms and conditions of the procurement contract, to the extent they are already known to the procuring entity, and the form of the contract, if any, to be signed by the parties;

(d) the criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifications of bidders and any documentary evidence or other information that must be presented by bidders to demonstrate their qualifications;

(e) the criteria and procedure for examining bids against the description of the subject matter of the procurement;

(f) the criteria and procedure for evaluating bids, including any mathematical formula that shall be used in the evaluation procedure during the auction;

(g) the manner in which the bid price is to be formulated and expressed, including a statement as to whether the price is to cover elements other than the cost of the subject matter of the procurement, such as any applicable transportation, insurance charges, customs duties, taxes, etc.;

(h) the minimum number of bidders required to register for the auction;

(i) how the auction can be accessed;

(j) the deadline by which the bidders must register for the auction and the requirements for registration;

(k) the date and time of the opening of the auction and the requirements for identification of bidders at the opening of the auction;

(l) the criteria governing the closing of the auction;

(m) other rules for the conduct of the auction, including the information that will be made available to the bidders in the course of the auction, the language in which it will be made available and the conditions under which the bidders will be able to bid;

(n) references to the Act and these rules, and other laws and regulations directly pertaining to the procurement proceedings, including those applicable to procurement involving classified information, and the place where those laws and regulations may be found;

(o) the means by which the bidders may seek clarification of information relating to the procurement proceedings;

(p) the name, designation and address of one or more officers or employees of the procuring entity including e-mail address, if any, who are authorised to communicate directly with and to receive communications directly from the bidders in connection with the procurement proceedings before and after the auction without the intervention of an intermediary;

(q) verification of any formalities including, where applicable, ascertainment of qualifications or responsiveness before execution of a written procurement contract and only after the fulfillment of such formalities, the contract shall come into force;
and

(r) any other requirement, which is considered by the procuring entity essential for the purpose.

(2) The procuring entity may decide, in the light of the circumstances of the given procurement, that the electronic reverse auction shall be preceded by an examination or evaluation of initial bids. In such case, the invitation to the auction shall, in addition to information specified in sub-rule (1) of this rule, include,-

(a) an invitation to present initial bids, together with instructions for preparing initial bids; and

(b) the manner, place and deadline for presenting initial bids.

(3) Where the electronic reverse auction has been preceded by evaluation of initial bids, the procuring entity shall promptly after the completion of the evaluation of initial bids,-

(a) despatch the notice of rejection specifying the reasons for rejection to each bidder whose initial bid was rejected;

(b) issue an invitation to the auction to each qualified bidder whose initial bid is responsive, providing all information required to participate in the auction; and

(c) where an evaluation of initial bids has taken place, each invitation to the auction shall also be accompanied by the outcome of the evaluation, as relevant to the bidder to which the invitation is addressed.

20. Registration for the electronic reverse auction and the timing of holding the auction.- (1) Confirmation of registration for the electronic reverse auction shall be communicated promptly to each registered bidder.

(2) If the number of bidders registered for the electronic reverse auction is less than three, to ensure effective competition, the procuring entity may cancel the auction. The cancellation of the auction shall be communicated promptly to each registered bidder.

(3) The period of time between the issuance of the invitation to the electronic reverse auction and the auction shall be of minimum seven days to bidders to prepare for the auction, taking into account the reasonable needs of the procuring entity.

21. Requirements during the electronic reverse auction.- (1) The electronic reverse auction shall be based on,-

(a) price, where the procurement contract is to be awarded to the lowest-priced bid; or

(b) price and other criteria specified to the bidders as applicable, where the procurement contract is to be awarded to the most advantageous bid.

(2) During the auction:-

(a) all bidders shall have an equal and continuous opportunity to present their bids;

(b) there shall be automatic evaluation of all bids in accordance with the criteria, procedure and formula provided to the bidders;

(c) each bidder must receive, instantaneously and on a continuous basis during the auction, sufficient information allowing it to determine the standing of its bid vis-à-vis other bids; and

(d) there shall be no communication between the procuring entity and the bidders or among the bidders, other than as provided for in clauses (a) and (c) above.

(3) The procuring entity shall not disclose the identity of any bidder during the auction.

(4) The auction shall be closed in accordance with the criteria specified to the bidders.

(5) The procuring entity shall suspend or cancel the auction in the case of failures in its communication system that put at risk the proper conduct of the auction. The procuring entity may also cancel the procurement process under the provisions of section 26.

22. Requirements after the electronic reverse auction.-

(1) At the closure of the electronic reverse auction the lowest priced bid or the most advantageous bid, as the case may be, shall be the successful bid.

(2) In procurement by means of an auction that was not preceded by examination or evaluation of initial bids, the procuring entity shall ascertain after the auction the responsiveness of the successful bid and the qualifications of the bidder submitting it. The procuring entity shall reject that bid if it is found to be unresponsive or if the bidder submitting it is found unqualified. Without prejudice to the right of the procuring entity to cancel the procurement, the procuring entity may select the bid that was the next lowest-priced or next most advantageous bid at the closure of the auction, if the bid is ascertained to be responsive and the bidder submitting it, is ascertained to be qualified.

23. Other provisions for electronic reverse auction.-Except as otherwise provided in rule 19 to 22, the provisions of Chapter-V shall, mutatis mutandis, apply to electronic reverse auction, except rules 40, 49, 50, 52, 64, 68 and 69.

24. Request for Quotations.- (1) A procuring entity may adopt the method of request for quotations for procurement if the estimated cost or value of the subject matter of procurement is less than Rupees one lakh on one occasion but it shall not exceed Rupees five lakh in a financial year.

(2) The procedure for request for quotations shall be as under:-

(a) quotations shall be requested from as many potential bidders as practicable, subject to a minimum of three;

(b) each bidder from whom a quotation is requested shall be informed whether any elements other than the charges for the subject matter of the procurement itself, such as any applicable transportation, insurance charges, customs duties, taxes, etc. are to be included in the price.

(c) each bidder shall be permitted to give only one quotation.

(d) the successful quotation shall be the lowest priced quotation meeting the needs of the procuring entity as set out in the request for quotations.

25. Spot Purchase.- (1) A procuring entity may adopt the method of spot purchase for procurement if the estimated cost or value of the subject matter of procurement is less than Rupees fifty thousand on one occasion but it shall not exceed Rupees three lakh in a financial year.

(2) A procuring entity shall procure a subject matter of procurement on the recommendation of the spot purchase committee. The committee shall survey the market to ascertain the reasonableness of rate, quality and specifications and identify the appropriate supplier of the subject matter and shall record the following certificate-

"Certified that we …………………………………………………………………

……., (names of members of the committee) members of the sport purchase committee are jointly and individually satisfied that the subject matter recommended for procurement is of the requisite specifications and quality, priced at the prevailing market rate and the supplier recommended is reliable and competent to supply/provide the subject matter in question."

26. Procurement without quotations.- The subject matter of procurement valuing up to rupees ten thousand may be procured on one occasion subject to a limit of below rupees one lakh during a financial year without inviting quotations, from the Government Departments / Corporations, authorised dealers, cooperative stores/ bhandars or retailers who are bona-fide dealers in the subject matter of procurement.

27. Procurement of works by work order system and piece work system.- (1) Works valuing less than rupees one lakh on each occasion may be procured, subject to a limit of rupees five lakh during a financial year, by work order system.

Explanation: Work order system means method of procurement by giving order directly to a registered bidder, to execute a work on scheduled rates in specified time.

(2) The procedure for procurement through work order system shall be as under:-

(a) in work order the quantity, rate and time of completion are invariably mentioned. Penalty for failure to complete the work within the stipulated time is also specified. Maximum work that can be allotted on a work order shall be less than rupees one lakh;

(b) work order shall be given to a registered bidder only;

(c) work order can be given only on the approved Schedule of Rates applicable to the Division / Sub-Division concerned. The Superintending Engineer / Executive Engineer shall ensure that the rates being allowed on work order are not in excess of open bid rates prevalent in the area;

(d) work order can be given by officers as per delegation of financial powers; and

(e) work order agreement shall be executed, after obtaining performance security, in the form specified for the purpose. A Register of Work Orders shall be maintained in the form specified for the purpose.

(3) Works valuing below rupees one lakh on each occasion may be procured, subject to a limit of rupees five lakh during a financial year, by piece work system.

Explanation: Piece work system means method of procurement at the rates sanctioned by the Competent Authority without reference to the total quantity of work to be done within a given period.

(4) The procedure for procurement through Piece Work System shall be as under:-

(a) Execution of work on Piece Work System should normally be avoided. Piece Work System may be resorted to only in a uniform type of work in large quantities, like earth work of canals, desilting, repair and maintenance of roads, etc.

(b) For determination of rates, open bids shall be invited by Additional Chief Engineer concerned for each division under its control. The intention of the department in inviting such bids for determination of Annual Rate Contract for entering into Piece Work Agreement should be made clear at the time of invitation of bids. Registered bidders of all categories shall be entitled to participate in such bids. After observing all required formalities of bids, the Additional Chief Engineer shall sanction unit rates for the specified items of work, which shall remain in force normally for one year or until the rates are revised but shall in no case remain in force more than three months after completion of one year.\

(c) Once such unit rates have been sanctioned, Divisional Officers shall be competent to enter into Piece Work Agreement below rupees one lakh at a time with a single registered bidder of any category. Second Piece Work Agreement shall be entered into only after successful completion of the earlier work. Piece Work Agreement shall be entered into with the registered bidders allowed to operate in the said Division.

(d) In the Piece Work System, the Department is free to ask the bidders to cease the work, and payments are made for the work actually executed as per designs, drawings, specifications, after due measurements and checking of measurement as specified. The maximum period of completion of each piece work is twenty one days which shall not be extended in any case.

(e) In every Divisional office, a Register of Piece Work Agreements shall be maintained in the form specified for the purpose. In the first week of every month, the Divisional Officer shall submit copies of all Piece Work Agreements accepted by him during the previous month to the Superintending Engineer, giving justification for the award of work on Piece Work Agreement explaining the necessity / emergency instead of on regular contracts. The Superintending Engineer, during his inspection and otherwise, shall ensure that the Divisional Officers do not execute work on Piece Work Agreement in a routine manner and rates allowed are not in excess of the running rates approved by the Additional Chief Engineer for the relevant Division, and check with open bid rates of similar works on regular contract basis in the Sub-Division / Division /Circle and that the system of record measurements of work done and check measurements thereof is followed properly.

(f) The contract awarded on Piece Work System is exempted from depositing performance security.

28. Competitive negotiations.- The procedure for competitive negotiation shall be as under:-

(a) procurement of the subject matter shall be made through the competitive negotiations committee. The committee shall give the following certificate-

“Certified that we ---(names of members of the committee), members of the competitive negotiations committee are jointly and individually satisfied that the subject matter of procurement recommended is of the requisite specifications and quality, priced at the prevailing market rate and the supplier recommended is reliable and competent to supply the subject matter of procurement.”

(b) to ensure effective competition, an adequate number, not being less than three, of potential bidders selected in a non-discriminatory manner shall be included in procurement process;

(c) an equal opportunity shall be given to all bidders to participate in the negotiations. Any requirements, guidelines, documents, clarifications or other information related to the negotiations that is communicated by the procuring entity to a bidder before or during the negotiations shall be communicated, subject to section 49, at the same time and on an equal basis to all other bidders engaging in negotiations with the procuring entity related to the procurement, unless such information is specific or exclusive to that bidder;

(d) after completion of negotiations, the procuring entity shall request all bidders remaining in the proceedings to present, by a specified time and date, a best and final offer with respect to all aspects of their proposals;

(e) the committee shall keep the record of all the bids received;

(f) no negotiations shall take place between the procuring entity and bidders with respect to their best and final offers;

(g) the procuring entity shall ensure that the successful offer is the lowest or most advantageous offer; and

(h) nothing contained in sections 5 to 10 (both inclusive), sections 12 to 27 (both inclusive) and Chapter III of the Act shall apply to purchases made by competitive negotiations.

29. Rate contract.- (1) In addition to the conditions included in sub-section (1) of section 36 for adopting the method of rate contract, a procuring entity may adopt the method of rate contract, when it determines that by virtue of the nature of subject matter of procurement, the need for that subject matter may arise on an urgent basis during a given period of time.

(2) The procedure for rate contract shall be as under:-

(a) A procuring entity may award a rate contract by the method of open competitive bidding. If it is not possible to adopt the method of open competitive bidding, the procuring entity after recording reasons may adopt another method of procurement. An approximate quantity of required goods, works or service during the period shall be indicated in the Notice Inviting Bids, but no minimum quantity is guaranteed.

(b) The period of rate contract shall be generally one year, preferably a financial year to match with budget provisions and levy of taxes. It may be a shorter period, if variations in market prices are expected to be significant. It may also be a longer period up to maximum two years, if the variations in market prices are not expected to be significant. The reasons for selecting the period for rate contract shall be recorded.

(c) In the first stage single part or two part bids shall be invited in accordance with the provisions of section 13.

(d) A rate contract shall be entered, for price without a commitment for quantity, place and time of supply of subject matter of procurement, with the bidder of lowest priced bid or most advantageous bid.

(e) In the second stage supply or work order shall be placed at the contracted price for supply or execution of the required quantity of the subject matter of procurement mentioning the place of supply or execution, delivery schedule, etc., as and when needed.

(f) Rate contracts may be entered with more than one bidder as parallel rate contracts provided there is such provision in the bidding documents, in the order of their standing in final evaluation, by giving them counter offer of prices of the lowest or most advantageous bidder, in order to secure prompt delivery of goods or services or execution of works, if the quantity of the subject matter of procurement required is beyond the capacity of the lowest bidder or the subject matter of procurement is of critical or vital nature.

(g) The terms and conditions of the rate contract including provision for liquidated damages shall be similar to those prescribed for procurement by open competitive bidding.

(h) The prices under a rate contract shall be subject to price fall clause. A clause regarding price fall shall be incorporated in the terms and conditions of rate contract. Price fall clause is a price safety mechanism in rate contracts and it provides that if the rate contract holder quotes / reduces its price to render similar goods, works or services at a price lower than the rate contract price to anyone in the State at any time during the currency of the rate contract, the rate contract price shall be automatically reduced with effect from the date of reducing or quoting lower price, for all delivery of the subject matter of procurement under that rate contract and the rate contract shall be amended accordingly. The firms holding parallel rate contracts shall also be given opportunity to reduce their price by notifying them the reduced price giving them fifteen days time to intimate their acceptance to the revised price. Similarly, if a parallel rate contract holding firm reduces its price during currency of the rate contract, its reduced price shall be conveyed to other parallel rate contract holding firms and the original rate

contract holding firm for corresponding reduction in their prices. If any rate contract holding firm does not agree to the reduced price, further transaction with it, shall not be conducted.

(i) It should be ensured that new rate contracts become operative right after the expiry of the existing rate contracts without any gap. In case it is not possible to conclude the new rate contracts due to unavoidable reasons, the existing rate contracts may be extended on same price, terms and conditions for a period not exceeding 3 months. In such cases it shall be ensured that market prices have not fallen down during the period for the subject matter of procurement or its constituents, to be procured under the rate contract.

(j) Except as otherwise provided in this rule all other provisions of Chapter-V shall, mutatis mutandis, apply.

30. Registration.- The registration of the bidders shall be carried out in the manner and in accordance with the rules made in this behalf by the State Government.

31. Empanelment by pre-qualification process.- (1) The procuring entity may prepare a panel of bidders for the subject matter of procurement that is required frequently but the details of the subject matter, its quantity, time and place is not known in advance. This list shall be valid for one year which may further be extended for another one year after recording reasons. The procuring entity may prepare separate panel for different subject matter of procurement.

(2) The provisions relating to pre-qualification of bidders under section 18 and publicity as per sub-rule (6) or (7) of rule 43 shall apply to empanelment proceedings.

(3) The procuring entity shall invite applications for empanelment for pre-qualification as per the procedure prescribed for inviting open competitive bidding.

(4) The invitation for empanelment shall also include the following information:-

(a) the name and address of the procuring entity;

(b) eligibility criteria required for empanelment;

(c) the terms and conditions of the empanelment including the duration of the empanelment; and

(d) the description of the subject matter of procurement, to the extent known.

(5) The procurement of subject matter shall be done by the procuring entity from amongst the empanelled bidders upto the limit of delegation of financial powers by sending to all of them, request for proposals with financial bid.

32. Direct procurement from notified agencies.- A procuring entity may procure subject matter of procurement from the category of bidders, without inviting bids, as notified by the State Government, from time to time.*

33. Purchase or price preference in procurement.- A procuring entity shall provide price preference or purchase preference in procurement, to the category of bidders as notified by the State Government, from time to time.**

* In this regard Notification dated 04.09.2013 has been issued by F.D.

**In this regard Notification dated 19.11.2015 has been issued by F.D. for Price/Purchase Preference MSME.

CHAPTER- V

Bid Process Management- Open Competitive Bidding

34. Description of subject matter of procurement.- (1) The description of the subject matter of procurement shall be set out in the pre-qualification documents, bidder registration documents or the bidding documents as provided in section 12.

(2) In description of the subject matter of the procurement, the procuring entity shall, if required, include specifications, plans, drawings, designs, trials, sample testing and test methods, packaging, marking, labeling, conformity certification or symbols and terminology.

35. Criteria for evaluation of bids.- In addition to the criteria for evaluation set out in section 14, the evaluation criteria, where relevant, may include the discounted cash flow techniques.

36. Preparation of bidding documents.- (1) Before issuing a notice inviting bids the procuring entity shall ensure that the bidding documents are ready for sale.

(2) The bidding documents shall have the following sections, namely:-

(a) Notice Inviting Bids (NIB);

(b) Instruction to Bidders (ITB);

(c) Bid Data Sheet (BDS);

(d) Qualification and Evaluation criteria;

(e) Bidding Forms; and

(f) Conditions of Contract and Contract Forms:
- (i) General Conditions of Contract;
- (ii) Special Conditions of Contract; and
- (iii) Contract Forms.

(g) Any other documents, as may be necessary.

(3) The bidding documents shall include the following, namely:-

(a) instructions for preparing bids;

(b) the criteria and procedures that shall be applied in the ascertainment of the qualifications of bidders;

(c) the requirements as to documentary evidence or other information that must be submitted by bidder in proof of its qualifications;

(d) a detailed description of the subject matter of the procurement, including but not limited to, technical specifications, plans, drawings and designs if relevant, the quantity of the goods, any incidental services to be performed, the location where the goods are to be delivered, the work is to be executed or the services are to be provided and the required time, if any;

(e) the detailed procedure for presentation, opening, examination and evaluation of bids, minimum requirement, if any, with respect to technical, quality and performance characteristics that bids must meet in order to be considered responsive, and the criteria to be used by the procuring entity in evaluation of bids and

determining the successful bid, including any provision for preference and any criteria other than price to be used and the relative weight of such criteria;

(f) the terms and conditions of the procurement contract or the rate contract, to the extent they are already known to the procuring entity, and the contract or agreement form, if any, to be signed by the parties;

[1][(ff) a condition which allows only one sub-contract/sub-letting, without any prior approval of the procuring entity, to QRated Score startups, by the contractor/approved bidder upto the limit as mentioned below subject to maximum of twenty percent of the original contract value,-

(a)	for bronze QRated score startup:	upto rupees 1 crore in each case.
(b)	for silver QRated score startup:	upto rupees 2 crore in each case.
(c)	for gold QRated score startup:	upto rupees 5 crore in each case.
(d)	for platinum/signature QRated score startup:	upto rupees 10 crore in each case.]

(g) if alternatives to the characteristics of the goods, works or services, contractual terms and conditions or other requirements set forth in the bidding documents are permitted, a statement to that effect, and a description of the manner in which alternative bids are to be evaluated and compared;

(h) if bidders are permitted to submit bids for only a portion of the goods, works or services to be procured, a description of the portion or portions for which bids may be submitted;

(i) the manner in which the bid price is to be formulated and expressed, including a statement as to whether the price is to cover elements other than the cost of the goods, works or services themselves, such as any applicable transportation and insurance charges, customs duties and taxes etc.;

(j) any requirements of the procuring entity with respect to the issuer and the nature, form, amount and other terms and conditions of any bid security to be provided by bidder submitting bid, and any such requirements for any security for the performance of the procurement contract or the rate contract to be provided by the bidder that enters into the procurement contract, including securities such as labour and materials bonds;

(k) the manner, place and deadline for the submission of bids;

(l) the means by which, bidders may seek clarifications of the bidding documents and a statement as to whether the procuring entity intends to convene a meeting of bidders;

(m) the period of time during which bids shall remain valid;

(n) the place, time and date for the opening of bids;

(o) references to the Act, these rules and other laws and regulations directly pertinent to the procurement proceedings, provided, however, that the omission of any such reference shall not constitute grounds for appeal or liability on the part of the procuring entity;

(p) the name, designation, address and e-mail address, if any, of one or more officers or employees of the procuring entity, who are authorised to communicate directly with and to receive communications directly from bidders in connection with the procurement proceedings, without the intervention of an intermediary;

(q) any commitments to be made by the bidder outside of the procurement contract, such as commitments relating to the transfer of technology;

(r) reference to the right provided to seek appeal of an unlawful act or decision of, or procedure followed by the procuring entity in relation to the procurement proceedings;

(s) if the procuring entity reserves the right to cancel bid proceedings and reject all bids, a statement to that effect;

(t) any formalities that shall be required once a bid has been accepted for a procurement contract or rate contract to enter into force, including, where applicable, the execution of a written procurement contract and approval by a higher authority or the State Government; and

1. Inserted by Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 22.01.2025, published in Rajasthan Gazette EO Part 4(Ga)(I) dated 22.01.2025.

(u) any other requirements laid down by the procuring entity like detail project report, concession agreement, design, plans, etc. in conformity with the Act and these rules relating to the preparation and submission of bids and to other aspects of the procurement proceedings.

(4) The procuring entity shall provide the bidding documents to each bidder that responds to the invitation to bids in accordance with the procedures and requirements specified therein. If prequalification, empanelment or registration proceedings have been engaged in, the procuring entity shall provide a set of bidding documents to each bidder that has been pre-qualified and that pays the price, if any, charged for that document.

37. Single part and two part bids.- A procuring entity may choose to invite bids in one part or two parts, as per the provisions of section 13.

38. Qualification of bidders.- In addition to the provisions regarding qualification of bidders as set out in section 7,-

(a) the procuring entity shall disqualify a bidder if it finds at any time that,-

(i) the information submitted, concerning the qualifications of the bidder, was false or constituted a misrepresentation; or

(ii) the information submitted, concerning the qualifications of the bidder, was materially inaccurate or incomplete; and

(b) the procuring entity may require a bidder, who was pre-qualified, to demonstrate its qualifications again in accordance with the same criteria used to prequalify such bidder. The procuring entity shall disqualify any bidder that fails to demonstrate its qualifications again, if requested to do so. The procuring entity shall promptly notify each bidder requested to demonstrate its qualifications again as to whether or not the bidder has done so to the satisfaction of the procuring entity.

39. Eligibility of bidders.- (1) A bidder may be a natural person, private entity, government-owned entity or, where permitted in the bidding documents, any combination of them with a formal intent to enter into an agreement or under an existing agreement in the form of a Joint Venture. In the case of a Joint Venture: -

(a) all parties to the Joint Venture shall sign the bid and they shall be jointly and severally liable; and

(b) a Joint Venture shall nominate a representative who shall have the authority to conduct all business for and on behalf of any or all the parties of the Joint Venture during the bidding process. In the event the bid of Joint Venture is accepted, either they shall form a registered Joint Venture company/firm or otherwise all the parties to Joint Venture shall sign the Agreement.

(2) A bidder should not have a conflict of interest in the procurement in question as stated in rule 81 and the bidding documents. The procuring entity shall take appropriate actions against the bidder in accordance with section 11 and Chapter IV of the Act, if it determines that a conflict of interest has flawed the integrity of any procurement process. All bidders found to have a conflict of interest shall be disqualified.

(3) A bidder debarred under section 46 shall not be eligible to participate in any procurement process undertaken by,-

(a) any procuring entity, if debarred by the State Government; and

(b) a procuring entity if debarred by such procuring entity.

(4) In case of procurement of goods, bidder must be a manufacturer, distributor or bona-fide dealer in the goods and it shall furnish necessary proof for the same in the specified format. Where applicable, proof of authorisation by the manufacturer or country distributor in India, shall be enclosed.

[1][**Rule 40. Time frame for the procurement process.-** (1) The time frame for the one stage bidding shall be as under:-

Table

Bid cycle of outer time frame for various procurement method by one stage bidding

S. No.	**Stages of Procurement**	**Procurement Method**	
		Open Competitive Bidding	**Limited Bidding and Single Source Procurement**
1	2	3	4
1.	Issue of bidding documents	On the day of first publication of Notice Inviting Bids.	-
2.	Submission of bids	(i) Thirty days, if estimated value of procurement is more than Rs. 50 crores and Twenty days, if the estimated value of procurement is upto Rs. 50 crores from the date of first publication of Notice Inviting Bids; (ii) Where clarifications/ addendum are issued, at least fifteen days, if estimated value of procurement is more than Rs. 50 crores and 10 days, iof estimated value of procurement is upto Rs. 50 crores, from the date of issue of clarifications/ addendum; (iii) In case of International Competitive Bidding, the period of submission of bids shall be forty five days from the date of first publication of Notice Inviting Bids and at least twenty days from the date of issue of clarifications/addendum.	Seven days from issue of Bidding documents/date of issue of clarifications/ addendum.

1. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 6.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(II) dated 6.8.2018 for -

"**Rule 40. Time frame for procurement process.-** (1) The time frame for one stage bidding shall be as under:-

Table

Bid cycle of outer time frame for various procurement methods by one stage bidding

S. No.	**Stages of Procurement**	**Procurement Method**	
		Open Competitive Bidding	**Limited Bidding and Single Source Procurement**
1	2	3	4
1.	Issue of bidding documents	On the day of first publication of Notice Inviting Bids.	-
2.	Submission of bids	(i) Thirty days from the date of first publication of Notice Inviting Bids; (ii) Where clarifications/ addendum are issued, at least fifteen days from date of issue of clarifications/ addendum; or (iii) In case of International Competitive Bidding, the period of submission of bids shall be forty five days from the date of first publication of Notice Inviting Bids and at least twenty days from the date of issue of clarifications/addendum.	Seven days from issue of Bidding documents/date of issue of clarifications/ addendum.
3.	Technical bid opening	Within one day of last day of submission of bids.	Within one day of last day of submission of bids.
4.	Issue of letter of award	Within three days of approval of award by the competent authority.	Within three days of approval of award by the competent authority.
5.	Execution of contract agreement	Within fifteen days of issue of letter of award or a period as specified in the bidding documents.	Within fifteen days of issue of letter of award or a period as specified in the bidding documents.
6.	Declaration of the bid results on State Public Procurement Portal and Procuring entity's website, if any	Within three days of issue of letter of acceptance.	Within three days of issue of letter of acceptance.

Provided that, in appropriate cases, the procuring entity may, with the approval of the *[competent authority authorised by the State Government for the purpose] relax the above mentioned time frame of bid process.

(2) A decision on acceptance or rejection of bids invited in a procurement process must be taken by the competent sanctioning authority within the period as given below, even if the period of validity may be more, from the date of opening of technical bids where two envelope system is followed, otherwise from the date of opening of financial bids. If the decision is not taken within the given time period by the concerned sanctioning authority, the bids shall be submitted to the next higher authority for decision with reasons of not taking decision within the given time period. In exceptional circumstances, the State Government may relax the limit of time period prescribed for Administrative Department/Finance Committee/ Board/ Empowered Committee, etc.

Table

Time schedule for decision on the bids by the competent authority

S. No.	Authority competent to take decision	Time allowed for decision
1	2	3
1.	Head of Office or Executive Engineer	Twenty days
2.	Regional Officer or Superintending Engineer	Thirty Days
3.	Additional Chief Engineer	Forty days
4.	Head of the Department or Chief Engineer	Fifty days
5.	Administrative Department	Sixty days
6.	Finance Committee/ Board/Empowered Committee/Empowered Board, etc.	Seventy days

Note: (1) The period specified above shall be inclusive of time taken in communication of acceptance of bid.

(2) If procuring entity is other than the departments of the State Government or its attached or subordinate offices, the concerned administrative department shall specify the equivalent authority competent to take decision on the bid."

* Substituted words "State Government" by Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 4.9.2013, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 4.9.2013.

3.	Technical bid opening	Within one day of last day of submission of bids.	Within one day of last day of submission of bids.
4.	Issue of letter of award	Within three days of approval of award by the competent authority.	Within three days of approval of award by the competent authority.
5.	Execution of contract agreement	Within fifteen days of issue of letter of award or a period as specified in the bidding documents.	Within fifteen days of issue of letter of award or a period as specified in the bidding documents.
6.	Declaration of the bid results on State Public Procurement Portal and Procuring entity's website, if any	Within three days of issue of letter of acceptance.	Within three days of issue of letter of acceptance.

Provided that, in appropriate cases, the procuring entity may, with the approval of the competent authority authorised by the State Government for the purpose, relax the above mentioned time frame of bid process.

(2) A decision on acceptance or rejection of bids invited in a procurement process must be taken by the competent sanctioning authority within the period as given below, even if the period of validity may be more, from the date of opening of technical bids where two envelope system is followed, otherwise from the date of opening of financial bids. If the decision is not taken within the given time period by the concerned sanctioning authority, reasons of not taking decision within the given time period shall be specifically recorded by the competent sanctioning authority while taking its decision.

Table
Time schedule for decision on the bids by the competent authority

S. No.	Authority competent to take decision	Time allowed for decision
1	2	3
1.	Head of Office or Executive Engineer	Twenty days
2.	Regional Officer or Superintending Engineer	Thirty Days
3.	Head of the Department or Chief Engineer/Additional Chief Engineer	Forty days
4.	Administrative Department concerned/ Finance Committee/ Board/Empowered Committee/ Empowered Board, etc.	Fifty days

Note: (1) The period specified above shall be inclusive of time taken in communication of acceptance of bid.

(2) If procuring entity is other than the departments of the State Government or its attached or subordinate offices, the concerned administrative department shall specify the equivalent authority competent to take decision on the bid.]

Rule 41. Prequalification proceedings.- In addition to the provisions of section 18 the procedure of prequalification process shall be carried out in the manner as specified below-

(a) Registration or empanelment of prospective bidders may be done as per the procedure specified for prequalification proceedings.

(b) The procuring entity shall take a decision to pre-qualify a bidder only in accordance with the criteria and procedures a s set out in the invitation to pre-qualify and in the pre-qualification documents.

(c) The procuring entity shall promptly notify each bidder presenting an application to pre-qualify whether or not it has been pre-qualified and also publish the result of prequalification proceedings on the State Public Procurement Portal.

(d) The procuring entity shall promptly communicate, with reasons, to each bidder that it has not been pre-qualified.

42. Bid security.- (1) Bid security shall not be taken in case of petty procurement valuing up to rupees ten thousand and procurement by the methods of limited bidding under clause (b) and (c) of sub-section (1) of section 30, request for quotations, spot purchase, single source procurement and competitive negotiations.

(2) In case of open competitive bidding, two-stage bidding, rate contract, electronic reverse auction, bid security shall be 2% or as specified by the State Government of the estimated value of subject matter of procurement put to bid. In case of [5][Micro, Small and Medium Enterprises] of Rajasthan it shall be 0.5% of the quantity [6][offered for supply or service to be rendered] and in case of sick industries, other than [5][Micro, Small and Medium Enterprises], whose cases are pending with Board of Industrial and Financial Reconstruction, it shall be 1% of the value of bid. Concessional bid security may be taken from registered bidders as specified by the State Government. Every bidder, if not exempted, participating in the procurement process shall be required to furnish the bid security as specified in the notice inviting bids [2][:]

[3][Provided that, during the period commencing from the date of commencement of the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Second Amendment) Rules, 2020 to 31.12.2021, in lieu of bid security a Bid Security Declaration shall be taken.]

[1][(3) In lieu of bid security, a bid securing declaration shall be taken from the,-

(i) Departments/Boards of the State Government or Central Government;

(ii) Government Companies as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013;

(iii) Company owned or controlled, directly or indirectly, by the Central Government, or by any State Government or Governments, or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments which is subject to audit by the Auditor appointed by the Comptroller and Auditor-General of India under sub-section (5) or (7) of section 139 of the Companies Act, 2013;

(iv) Autonomous bodies, Registered Societies, Cooperative Societies which are owned or controlled or managed by the State Government or Central Government; or]

[4][(v) Bidder in procurement related to Panchayat Samiti Nandishala Jan Sahbhagita Yojana or Gram Panchayat Goshala/Pashu Asharya Sthal Jan Sahbhagita Yojana issued by the State Government.]

1. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 6.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(II) dated 6.8.2018 for - "(3) In lieu of bid security, a bid securing declaration shall be taken from Departments' of the State Government and Undertakings, Corporations, Autonomous bodies, Registered Societies, Cooperative Societies which are owned or controlled or managed by the State Government and Government Undertakings of the Central Government."
2. Substituted by Notification No. No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 13.8.2020, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 13.8.2020 for - "(.)"
3. Added by Notification No. No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 13.8.2020, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 13.8.2020 and substituted by Notification No. No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 18.12.2020 for - "Provided that, during the period commencing from the date of commencement of the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2020 to 31.03.2021, the bid security shall be taken as under:-
   (a) 1% or as specified by the State Government of the estimated value of subject matter of procurement put to bid, in case of open competitive bidding, two-stage bidding, rate contract or electronic reverse auction;
   (b) 0.25% of the quantity offered for supply, in case of Small Scale Industries of Rajasthan; and
   (c) 0.5% of the value of bid, in case of sick industries, other than Small Scale Industries, whose cases are pending with Board of Industrial and Financial Reconstruction."
4. The existing expression "or", appearing at the end of clause (iii) shall be deleted; the existing punctuation mark "." appearing at the end of clause (iv), the expression ";or" shall be substituted and after clause (iv), new clause (v) shall be added by by Notification No. No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 20.12.2022, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 20.12.2022 and again substituted vide Notification dated 22.03.2023 for - (v) Bidder in procu- rement related to Nandihshala Schemes of the Gopalan Department.
5. The existing expression "Small Scale Industries", appearing in sub-rule (2) of rule 42, substituted by Notification No. No.F.2(3)FD/SPFC/2025 dated 20.08.2025, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 20.08.2025.
6. The existing expression "offered for supply" appearing in sub-rule (2) of rule 42, substituted by Notification No. No.F.2(3)FD/FR/SPFC/2025 dated 28.08.2025, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 28.08.2025.

(4) Bid security instrument or cash receipt of bid security or a bid securing declaration shall necessarily accompany the sealed bid.

(5) Bid security of a bidder lying with the procuring entity in respect of other bids awaiting decision shall not be adjusted towards bid security for the fresh bids. The bid security originally deposited may, however, be taken into consideration in case bids are re-invited.

(6) The bid security may be given in the form of cash, a banker's cheque or demand draft or [1][bank guarantee or electronic bank guarantee (e-BG)], in specified format, [2][of a scheduled bank or Insurance Surety Bonds issued by Insurer registered with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA) for transact the business of issuing Insurance Surety Bonds] [3][, deposit through eGras or Fixed Deposit Receipt (FDR) of a scheduled bank. FDR shall be in the name of procuring entity on account of bidder and discharged by the bidder in advance. The procuring entity shall ensure before accepting the FDR that the bidder furnished an undertaking from the bank to make payment/premature payment of the FDR on demand to the procuring entity without requirement of consent of the bidder concerned.] The bid security must remain valid thirty days beyond the original or extended validity period of the bid.

(7) The bidding documents may stipulate that the issuer of the bid security and the confirmer, if any, of the bid security, as well as the form and terms of the bid security, must be acceptable to the procuring entity. In cases of International Competitive Bidding, the bidding documents may in addition stipulate that the bid security shall be issued by an issuer in India.

(8) Prior to presenting a submission, a bidder may request the procuring entity to confirm the acceptability of proposed issuer of a bid security or of a proposed confirmer, if required. The procuring entity shall respond promptly to such a request.

(9) The [1][bank guarantee or electronic bank guarantee (e-BG)] presented as bid security shall be got confirmed from the concerned issuing bank. However, the confirmation of the acceptability of a proposed issuer or of any proposed confirmer does not preclude the procuring entity from rejecting the bid security on the ground that the issuer or the confirmer, as the case may be, has become insolvent or has otherwise ceased to be creditworthy.

(10) The bid security of unsuccessful bidders shall be refunded soon after final acceptance of successful bid and signing of Agreement and submitting performance security.

(11) The Bid security taken from a bidder shall be forfeited in the following cases, namely:-

(a) when the bidder withdraws or modifies its bid after opening of bids;

(b) when the bidder does not execute the agreement, if any, after placement of supply / work order within the specified period;

(c) when the bidder fails to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply / work order within the time specified;

(d) when the bidder does not deposit the performance security within specified period after the supply / work order is placed; and

(e) if the bidder breaches any provision of code of integrity prescribed for bidders specified in the Act and Chapter VI of these rules.

(12) In case of the successful bidder, the amount of bid security may be adjusted in arriving at the amount of the Performance Security, or refunded if the successful bidder furnishes the full amount of performance security.

(13) The procuring entity shall promptly return the bid security after the earliest of the following events, namely:-

(a) the expiry of validity of bid security;

(b) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by the successful bidder;

(c) the cancellation of the procurement process; or

(d) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

43. Notice Inviting Bids.- (1) A procuring entity shall solicit bids in open competitive bidding and two stage bidding, or, where applicable, applications for pre-qualification by causing an invitation to bid or pre-qualify, as the case may be, to be published on the State Public Procurement Portal and on its own official website, if available. An abridged notice shall also be published in newspapers of adequate circulation, as prescribed in sub-rule (6) and (7) of this rule.

---

1. Existing words 'bank guarantee" substituted vide Notification No. F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 16.02.2023 published in Rajasthan Gazetted EO Part 4(Ga) (I) dated 16.02.2023.
2. Substituted the words "**of a scheduled bank**" vide Notification No. F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 19.9.2024 published in Rajasthan Gazetted EO Part 4(Ga) (I) dated 19.9.2024.
3. Existing words "or deposit through eGrass" substituted vide Notification No. F.2(4)FD/FR/SPFC/2025 dated 17.11.2025 published in Rajasthan Gazetted EO Part 4(Ga) (I) dated 17.11.2025.

(2) An invitation to bid to be published on the State Public Procurement Portal shall contain, at least, the following information, namely:-

(a) the name and address of the procuring entity including email address, if any;

(b) a summary of the principal required terms and conditions of the procurement contract or rate contract to be entered into as a result of the procurement proceedings, including the nature, quantity, time and place of delivery of the goods to be supplied, the works to be executed, or the services to be provided;

(c) whether the bid procedure shall be conducted in a single stage or two stages and whether it is to be presented simultaneously in two envelopes (one envelope containing the technical, quality and performance characteristics of the bid and the other envelope containing the financial aspects of the bid);

(d) the criteria and procedures to be used for evaluating the qualifications of bidders;

(e) the procedure of obtaining the solicitation documents and the place from which they may be obtained;

(f) the price, if any, charged by the procuring entity and the mode of payment for the solicitation documents and the amount of bid security and its form;

(g) the manner, place and deadline for the submission of bids;

(h) right of the procuring entity to cancel the bid process and reject any or all of the bids;

(i) the time, date and place of opening of bids;

(j) whether any of the items of procurement are reserved for a specific category of bidders; and

(k) any other important information.

(3) An invitation to prequalify to be published on the State Public Procurement Portal shall contain, at least, the following information, namely:-

(a) the name and address of the procuring entity including email address, if any;

(b) a summary of the required principal terms and conditions, to the extent known at the time of invitation to prequalify, of the procurement contract or rate contract to be entered into as a result of the procurement proceedings, including the nature, quantity and place of delivery of the goods to be supplied, the nature and location of the works to be effected, or the nature of the services and the location where they are to be provided, as well as, the required time for the supply of the goods or for the completion of the works, or the timetable for the provision of the services, if already known;

(c) the criteria and procedures to be followed for evaluating the qualifications of bidders;

(d) the procedure of obtaining the pre-qualification documents and the place from which they may be obtained;

(e) the price, if any, charged by the procuring entity and the mode of payment for the pre-qualification documents and subsequent to pre-qualification, for the bidding documents;

(f) the manner, place and deadline for presenting applications to pre-qualify; and

(g) the time, date and place of opening of proposals for prequalification.

(4) [1][Deleted]

(5) The Notice Inviting Bids to be published in the newspapers must be in brief. The bids for more than one subject matter of procurement shall be published in one Notice, as far as possible.

[2][(6) Time for submission of bids for supply of goods or providing services in response to publication of Notice Inviting Bids in newspapers and notice boards shall be as under:-

Table

Time for submission of bids and modes of publicity for procurement of Goods and Services

S. No.	Estimated Value of procurement	Period for submission of bid from the date of first publication of Notice Inviting Bid	Mode of publication
1	2	3	4
1.	Up to rupees ten lakh	Seven days	(i) Notice Board of the procuring entity and all subordinate Regional and Divisional Head Quarters, as the case may be. (ii) One Regional daily newspaper.
2.	Above rupees ten lakh and upto rupees one crore	Ten days	(i) Notice Board of the procuring entity and all subordinate Regional and Divisional Head Quarters, as the case may be. (ii) One Regional daily newspaper. (iii) One leading daily State Level newspaper having circulation of fifty thousand copies and above.
3.	Above rupees one crore	Twenty days	(i) Notice Board of the procuring entity and of all subordinate Regional and Divisional Head Quarters, as the case may be. (ii) One State level leading daily newspaper having circulation of fifty thousand copies and above. [3][(iii) One all India level daily news paper having wide circulation. The language of news paper will be decided by the Procuring Entity as per the requirement of subject matter of procurement.]

Provided that, in appropriate cases, the procuring entity may relax the above mentioned period of publication of notice inviting bid and submission of bid if the estimated value of procurement is upto Rs. 50 crores and with the approval of the Administrative Department concerned, if the value of procurement is more than Rs. 50 crores.]

1. Deleted by Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 15.11.2016, publised in Raj.Gazetted EO Pt.4(Ga)(I) dated 15.11.2016 for - "(4) The Notice Inviting Bids for goods, works or services estimated to cost above Rs.200.00 lakh shall also be sent to the Director General, Intelligence and Statistics, Kolkata for publication in Indian Trade Journal."

2. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 6.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(II) dated 6.8.2018 for -

"(6) Time for submission of bids for supply of goods or providing services in response to publication of Notice Inviting Bids in newspapers and notice boards shall be as under:-

Table

Time for submission of bids and modes of publicity for procurement of Goods and Services

S. No.	Estimated Value of procurement	Period for submission of bid from the date of first publication of Notice Inviting Bid	Mode of publication
1	2	3	4
1.	Up to rupees five lakh	Ten days	(i) Notice Board of the procuring entity and all subordinate Regional and Divisional Head Quarters, as the case may be. (ii) One Regional daily newspaper.
2.	Above rupees five lakh and upto Rs fifty lakh	Fifteen days	(i) Notice Board of the procuring entity and all subordinate Regional and Divisional Head Quarters, as the case may be. (ii) One Regional daily newspaper. (iii) One leading daily State Level newspaper having circulation of fifty thousand copies and above.
3.	Above rupees fifty lakh	Thirty days	(i) Notice Board of the procuring entity and of all subordinate Regional and Divisional Head Quarters, as the case may be. (ii) One State level leading daily newspaper having circulation of fifty thousand copies and above. (iii) One all India level *[daily newspaper] with wide circulation.

Provided that, in appropriate cases, the procuring entity may, with the approval of the **[competent authority authorised by the State Government for the purpose] relax the above mentioned period of publication of notice inviting bid and submission of bid."

*Substituted words "English daily news paper" by Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 4.9.2013, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 4.9.2013.

**Substituted words "State Government" by Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 4.9.2013, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 4.9.2013.

3. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 09.09.2024, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 9.9.2024 for - "(iii) One all India level English daily newspaper with wide circulation."

[1][(7) Time for submission of bids for execution of works in response to publication of Notice Inviting Bids in newspapers and notice boards shall be as under:-

Table

Time for submission of bids and modes of publicity for procurement of works

S. No.	**Estimated Value of work to be procured**	**Period for submission of bid from the date of first publication of Notice Inviting Bid**	**Mode of publication**
1	2	3	4
1.	Up to rupees ten lakh	Seven days	(i) Notice Board of the procuring entity and its subordinate offices. (ii) One leading Regional daily Newspaper.
2.	Above rupees ten lakh and upto rupees two crore	Ten days	(i) Notice Board of the procuring entity and its subordinate offices, and (ii) One leading Regional daily newspaper and one state level leading daily newspaper having circulation of 50,000 copies or more.
3.	Above rupees two crore and upto 50 crores.	Twenty days	(i) Notice Board of the procuring entity and its subordinate offices. (ii) One leading Regional daily newspaper and one State level leading daily newspaper having circulation of 50,000 copies or more, and [2][(iii) One all India level daily news paper having wide circulation. The language of news paper will be decided by the Procuring Entity as per the requirement of subject matter of procurement.]
4.	Above rupees 50 Crores	Thirty days	(i) Notice Board of the procuring entity and its subordinate offices. (ii) One leading Regional daily newspaper and one State level leading daily newspapers having circulation of 50,000 copies or more, and [2][(iii) One all India level daily news paper having wide circulation. The language of news paper will be decided by the Procuring Entity as per the requirement of subject matter of procurement.]

Provided that, in appropriate cases, the procuring entity may relax the above mentioned period of publication of notice inviting bid and submission of bid if the estimated value of procurement is upto Rs. 50 crores and with the approval of the Administrative Department concerned if the value of procurement is more than Rs. 50 crores.]

1. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 6.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(II) dated 6.8.2018 for -

"(7) Time for submission of bids for execution of works in response to publication of Notice Inviting Bids in newspapers and notice boards shall be as under:-

Table

Time for submission of bids and modes of publicity for procurement of works

S. No.	*Estimated Value of procurement*	*Period for submission of bid from the date of first publication of Notice Inviting Bid*	*Mode of publication*
1	*2*	*3*	*4*
1.	*Up to rupees one lakh*	*Seven days*	*Notice Board of the procuring entity and its subordinate offices.*
2.	*Above rupees one lakh and upto Rs ten lakh*	*Fifteen days*	*(i) Notice Board of the procuring entity and its subordinate offices.* *(ii) One leading Regional daily Newspaper.*
3.	*Above rupees ten lakh and upto rupees one crore*	*Twenty one days*	*(i) Notice Board of the procuring entity and its subordinate offices.* *(ii) One leading Regional daily newspaper, one state level leading daily newspaper having circulation of 50,000 copies or more.*
4.	*Above rupees one crore*	*Thirty days*	*(i) Notice Board of the procuring entity and its subordinate offices.* *(ii) One leading Regional daily newspaper, one State level leading daily newspapers having circulation of 50,000 copies or more.* *(iii) One all India level *[daily newspaper] with wide circulation.*

Provided that, in appropriate cases, the procuring entity may, with the approval of the #[competent authority authorised by the State Government for the purpose] relax the above mentioned period of publication of notice inviting bid and submission of bid."

*Substituted words "English daily news paper" by Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 4.9.2013, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 4.9.2013.

#Substituted words "State Government" by Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 4.9.2013, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 4.9.2013.

2. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 09.09.2024, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 9.9.2024 for - "(iii) One all India level daily English newspaper with wide circulation."

(8) In case of International Competitive Bidding in which the bid notice is to be addressed to international bidders, the Notice Inviting Bids shall additionally be published by using suitable mediums that attract international responses. This may include circulation of Notice Inviting Bids to the Indian embassies abroad, foreign embassies in India, international trade journals, etc. Period for submission of bid from the date of first publication of Notice Inviting Bid shall be forty five days.

(9) The Notice Inviting Bids shall be published, by the Government Departments in newspapers through Information and Public Relations Department, Rajasthan with a request in which category of newspapers such notice is to be published.

(10) [1][Deleted]

(11) The procuring entity shall have right to cancel the bid process and reject any or all of the bids.

44. Price for bidding documents, pre-qualification documents or bidder registration documents and processing fee or user charges.- The price for the bidding documents, prequalification documents or registration documents shall be fixed after considering its preparation and delivering costs. The procuring entity may also charge processing fee or user charges for using e-procurement facility.

45. Sale of bidding documents.- (1) The sale of bidding documents shall be commenced from the date of publication of Notice Inviting Bids and shall be stopped one day prior to the date of opening of bids. The complete bidding documents shall also be placed on the State Public Procurement Portal. The prospective bidders shall be permitted to download the bidding document from the website and pay its price while submitting the filled-up bidding document to the procuring entity, or e-procurement gateway, if the facility is available.

(2) The bidding documents, pre-qualification documents or bidder registration documents shall be made available to any bidder who pays the price for it in cash or by bank demand draft, banker's cheque, unless the procurement is reserved for specific category of bidders:

Provided that in case pre-qualification proceedings were held for a bidding process including registration or empanelment proceedings, the bidding documents shall be made available to only those bidders who have been prequalified or registered or empanelled, as the case may be.

(3) A detailed account of biding documents sold shall be kept. It shall also incorporate the details of the bidding documents downloaded from the website, when their price is paid at the time of submission of bid.

(4) Bidding documents purchased by Principal of any concern may be used by its authorised sole selling agents/ marketing agents/ distributors/sub-distributors and authorised dealers or vice versa.

---

1. Deleted by Notification No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 6.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(II) dated 6.8.2018 for - "(10) In emergent conditions, the procuring entity after recording reasons may reduce, the period for submission of bids from the date of first publication of Notice Inviting Bids, to half of the period specified in sub-rule (6) or (7) above, as the case may be."

46. Pre-bid clarifications.- Subject to the provisions contained in section 22, the procuring entity ma y convene a pre-bid conference of the bidders and shall prepare minutes of the meeting containing the requests submitted at the meeting for clarification of the bidding documents and its responses to those requests, without identifying the person, who made the requests. The minutes and response under sub-section (3) of section 22, if any, shall be provided promptly to all bidders to which the procuring entity provided the bidding documents, so as to enable those bidders to take the minutes into account in preparing their bids, and shall be published on the State Public Procurement Portal.

47. Changes in the bidding documents.- At any time prior to the deadline for presenting bids, the procuring entity may for any reason, whether on its own initiative or as a result of a request for clarification by a bidder, modify the bidding documents by issuing an addendum in accordance with provisions of section 23.

48. Period of validity of bids.- (1) Bids submitted by the bidders shall remain valid during the period specified in the bidding documents. This period should normally be not more than ninety days, but depending on the nature of the procurement it may be more. A bid valid for a shorter period shall be rejected by the procuring entity as non-responsive.

(2) Prior to the expiry of the period of validity of bids, the procuring entity, in exceptional circumstances, may request the bidders to extend the bid validity period for an additional specified period of time. A bidder may refuse the request and such refusal shall be treated as withdrawal of bid but in such circumstances bid security shall not be forfeited.

(3) Bidders that agree to an extension of the period of validity of their bids shall extend or get extended the period of validity of bid securities submitted by them or submit new bid securities to cover the extended period of validity of their bids. A bidder whose bid security is not extended, or that has not submitted a new bid security, is considered to have refused the request to extend the period of validity of its bid.

49. Format and signing of bids.- (1) The bidder shall prepare one original set of the bidding documents called Bid and clearly mark it as “ORIGINAL” and if asked, the bidder shall submit additional copies of the bid in such number as specified in the bidding documents and clearly mark them as “COPY”. In the event of any discrepancy between the original bid and its copies, the contents of the original bid shall prevail.

(2) The original and all copies of the bid shall be typed or written in ink and its all the pages shall be signed by the bidder or a person duly authorised to sign on behalf of the bidder, in token of acceptance of all the terms and conditions of the bidding documents. This authorisation shall consist of a written confirmation as specified in the bidding documents and shall be attached to the bid.

(3) Any corrections in the bid such as interlineations, erasures, or overwriting shall be valid only if they are signed or initialed by the person signing the bid.

(4) Similar procedure for signing of bids shall be adopted for Technical and Financial bids, if two part bids have been invited.

50. Sealing and marking of bids.- (1) Bidders may submit their bids by post or by hand but if so specified in the bidding documents, bidders shall submit their bids only electronically. Bidders submitting bids electronically shall follow the electronic bid submission procedure as specified on the State Public Procurement Portal.

(2) Bids submitted by post or by hand shall enclose the original and each copy of the bid in separate sealed envelopes, duly marked envelopes as "ORIGINAL", and "COPY". The envelopes containing the original and the copies shall then be enclosed in one single envelope.

(3) The inner and outer envelopes shall-

(a) bear the name and complete address along with telephone/mobile number of bidder;

(b) bear complete address of the procuring entity with telephone number, if any;

(c) bear the specific identification of the bidding process pursuant to Notice Inviting Bids and any additional identification marks as specified in the bidding documents; and

(d) bear a warning not to be opened before the time and date for bid opening, in accordance with the Notice Inviting Bids.

(4) If all envelopes are not sealed and marked as required, the procuring entity shall assume no responsibility about its consequences.

(5) Similar procedure for sealing and marking of bids shall be adopted for Technical and Financial bids, if two part bids have been invited.

51. Deadline for the submission of bids.- (1) Bids shall be received, by the person designated for the purpose by the procuring entity or directly dropped in the bid box, at the place and up to the time and date specified in the Notice Inviting Bids.

(2) Normally, the date of submission and opening of bids should not be extended. In exceptional circumstances or when the bidding documents are required to be substantially modified as a result of discussions in pre bid conference or otherwise and the time with the prospective bidders for preparation of bids appears insufficient, the date may be extended by the procuring entity. In such case the publicity of extended time and date shall be given in the manner, as was given at the time of issuing the original Notice Inviting Bids and shall also be placed on the State Public Procurement Portal. It should be ensured that after issue of corrigendum, reasonable time is available to the bidders for preparation and submission of their bids. The procuring entity shall also publish such modifications in the bidding documents in the same manner as the publication of initial bidding documents. If in the office of the bids receiving and opening authority, the last date of submission or opening of bids is a non working day, the bids shall be received or opened on the next working day.

52. Late bids.- The person authorised to receive the bids shall not receive any bid that is submitted personally, after the time and date fixed for submission of bids. Any bid which arrives by post after the deadline for submission of bids shall be declared and marked as "Late" and returned unopened to the bidder by registered post.

53. Receipt and Custody of Bids.- (1) The bids shall be received by hand delivery, by courier or by post in the specified format up to the specified time and date and at the specified place, by the person authorised by the procuring entity except when bids are received through e-procurement or they are directly dropped in the bid box.

(2) The person authorised to receive the bids shall provide a receipt signed by him with date and time of receipt of bid to the person, who delivers the bid.

(3) All bids received unsealed, in torn or damaged condition through post or by personal delivery shall be so marked and signed on the cover by the person receiving the same and get signed on it by the person delivering it and put in a fresh cover and reseal, if so warranted. All such entries shall be attested by the receiving person.

(4) Preferably, all bids received shall be put into a duly locked bid box placed for receiving the bids. In the absence of a bid box, the received bids shall be kept in safe custody in lock and key by the person authorised to receive the bids.

(5) The location of bid box shall be such as to facilitate easy access to bidders. The bid box shall have two sealed locks. The key of one of the locks shall remain with the procuring entity and the key of the other lock shall be with the person authorised to receive the bids.

(6) Bids received by the authorised person on or before the time and date fixed for receipt of bids shall be entered in bids receipt register and the same shall be closed at the scheduled time and date giving in words and figures the number of bids received up to the last time and date for submission of bids.

(7) The record of bids received late through post shall be entered in bids receipt register after closing the register as per sub-rule (6).

(8) Bids received by telegram or given on form other than the prescribed form shall not be considered.

(9) In case of e-tendering, that is to say bid proposals submitted through electronic methods, the same shall be submitted in accordance with the procedure outlined on the State Public Procurement Portal.

54. Withdrawal, substitution and modification of bids.-

(1) A bidder may withdraw, substitute, or modify its bid after it has been submitted by sending a written notice, duly signed by him or his authorised representative (authorisation letter be enclosed). Corresponding substitution or modification of the bid must accompany the written notice. The notice must be-

(a) submitted in accordance with the bidding documents, and in addition, the envelope shall be clearly marked as “Withdrawal,” “Substitution,” or “Modification”; and

(b) received by the person authorised to receive the bids or directly dropped in the bid box prior to the last time and date fixed for receiving of bids.

(2) Bids requested to be withdrawn shall be returned unopened to the bidders.

(3) No bid shall be withdrawn, substituted, or modified after the last time and date fixed for receipt of bids.

55. Opening of bids.- (1) The sealed bid box shall be opened by the bid opening committee constituted by the procuring entity at the time, date and place specified in the bidding documents in the presence of the bidders or their authorised representatives, who choose to be present.

(2) The bids receiving person shall also hand over all the bids received by him up to the time and date for submission of bids to the Convener of bids opening committee and obtain its signature in the bids receipt register.

(3) The bid opening committee may co-opt experienced persons in the committee to conduct the process of bid opening.

(4) If electronic bidding is adopted, specific electronic bid opening procedure as specified on the State Public Procurement Portal shall be followed. The bidders may witness the electronic bid opening procedure online.

(5) The bids shall be opened by the bids opening committee in the presence of the bidders or their authorised representatives who choose to be present. All envelopes containing bids shall be signed with date by the members of the committee in token of verification of the fact that they are sealed. The envelopes shall be numbered as a/n, where ‘a’ denotes the serial number at which the bid envelop has been taken for opening and ‘n’ denotes the total number of bids received by specified time.

(6) The bid opening committee shall prepare a list of the bidders or their representatives attending the opening of bids and obtain their signatures on the same. The list shall also contain the representative’s name and telephone number and corresponding bidders’ names and addresses. The authority letters brought by the representatives shall be attached to the list. The list shall be signed by all the members of bid opening committee with date and time of opening of the bids.

(7) First, envelopes marked as “WITHDRAWAL” shall be opened, read out, and recorded and the envelope containing the corresponding bid shall not be opened, but returned to the bidders. No bid shall be permitted to be withdrawn unless the corresponding withdrawal notice contains a valid authorisation to request the withdrawal and readout and recorded in bid opening. If the withdrawal notice is not accompanied by the valid authorisation, the withdrawal shall not be permitted and the corresponding bid shall be opened. Next, envelopes marked as “SUBSTITUTION” shall be opened, read out, recorded and exchanged for the corresponding bid being substituted and the substituted bid shall not be opened, but returned to the bidder. No bid shall be substituted unless the corresponding substitution notice contains a valid authorisation to request the substitution and is read out and recorded at bid opening. Envelopes marked as “MODIFICATION” shall be opened thereafter, read out and recorded with the corresponding bid. No bid shall be modified unless the corresponding modification notice contains a valid authorisation to request the modification and is read out and recorded at bid opening. Only envelopes that are opened, read out, and recorded at bid opening shall be considered further.

(8) All other envelopes shall be opened one at a time and the following details shall be read out and recorded-

(a) the name of the bidder and whether there is a substitution or modification;
(b) the bid prices (per lot if applicable);
(c) the bid security, if required; and

(d) any other details as the committee may consider appropriate.

After all the bids have been opened, they shall be initialed and dated on the first page of the each bid by the members of the bids opening committee. All the pages of the price schedule and letters, Bill of Quantities attached shall be initialed and dated by the members of the committee. Key information such as prices, delivery period, etc. shall be encircled and unfilled spaces in the bids shall be marked and signed with date by the members of the committee. The original and additional copies of the bid shall be marked accordingly. Alterations/corrections/additions/overwritings shall be initialed legibly to make it clear that such alteration, etc., were existing in the bid at the time of opening.

(9) No bid shall be rejected at the time of bid opening except the late bids, alternative bids (if not permitted) and bids not accompanied with the proof of payment or instrument of the required price of bidding documents, processing fee or user charges and bid security.

(10) The bid opening committee shall prepare a record of the bid opening that shall include the name of the bidder and whether there is a withdrawal, substitution, or modification, the bid price, per lot (if applicable), any discounts and alternative offers (if they were permitted), any conditions put by bidder and the proof of the payment of price of bidding documents, processing fee or user charges and bid security. The bidders or their representatives, who are present, shall sign the record. The omission of a bidder's signature on the record shall not invalidate the contents and effect of the record. The members of the committee shall also sign the record with date.

(11) In case of two part bids, only outer envelopes and envelopes marked as "Technical Bid" shall be opened in the sequence of the serial numbers marked on them. The envelopes marked as "Financial Bid" shall be kept intact and safe and shall be opened of only those bidders who qualify in the evaluation of their Technical Bids in the manner as mentioned in sub-rule (3) to (10) above, on the date and time to be intimated to those bidders.

(12) In case of two stage bidding the proposals received in response to invitation of Expression of Interest or Request for Qualification in the first stage shall be opened as per the procedure specified in sub-rules (3) to (10) for the opening of Single Part bid. The procedure for opening of second stage bids shall be similar to that for opening of Two Part bids, specified in sub-rule (11). In case Technical and Financial bids are invited in single envelop in second stage, the procedure for opening of the bids shall be as specified in sub-rule (3) to (10).

56. Preliminary examination of bids.- The bid evaluation committee constituted by the procuring entity shall conduct a preliminary scrutiny of the opened bids to assess the prima-facie responsiveness and ensure that the-

(a) bid is signed, as per the requirements listed in the bidding documents;

(b) bid has been sealed as per instructions provided in the bidding documents;

(c) bid is valid for the period, specified in the bidding documents;

(d) bid is accompanied by bid security or bid securing declaration;

(e) bid is unconditional and the bidder has agreed to give the required performance security; and

(f) other conditions, as specified in the bidding documents are fulfilled.

57. Tabulation of Technical bids.- (1) If Technical bids have been invited, they shall be tabulated by the bids evaluation committee in the form of a comparative statement to evaluate the qualification of the bidders against the criteria for qualification set out in the bidding documents. The table may include following:-

(a) Name and address of the bidder including e-mail address, if any;

(b) Reference of registration/ empanelment, if any, with the procuring entity or other procuring entity;

(c) Is there any substitution or modification of the original bid;

(d) Wheather the bidder fulfills the eligibility criteria given in the bidding documents;

(e) Whether the bid has been signed by the bidder or an authorised person (whether valid document of authority is enclosed);

(f) Whether proof of payment of price of bid documents given;

(g) Whether proof of payment of processing fee or user charges, if any, bid security or the instrument of bid security or bid securing declaration given;

(h) Response to the required qualification criteria and allotment of marks for them, or whether meets the minimum standards fixed for each criterion in the bidding documents for,-

(i) availability of financial resources;

(ii) past performance and experience;

(iii) technical and professional competence including requirement of technical/ professional/ specialist personnel and availability of required machinery and equipment;

(iv) managerial resources and competence;

(v) whether proof/ declaration has been given as required under clauses (b) to (e) of sub-section (2)of section 7;

(vi) any other qualification criteria fixed in accordance with the provisions of section 7.

(i) Result of evaluation of Technical bids, whether qualified or not, if not, reasons thereof.

(2) The members of bids evaluation committee shall give their recommendations below the table as to which of the bidders have been found to be qualified in evaluation of Technical bids and sign it.

(3) The format of the table given in sub-rule (1) may also be used, mutatis mutandis, for evaluation of proposals received in response to Registration/ Empanelment of bidders, Request for Qualifications/ Expression of Interest in first stage of Two-stage bidding process. This format may also be used, mutatis mutandis, for evaluation of Technical Bid in the second stage of the Two Stage bidding, if Technical bids have been invited separately.

58. Tabulation of Financial bids.- (1) After evaluation of Technical bids the Financial bids shall be tabulated by the bids evaluation committee in the form of a comparative statement to evaluate the lowest or most advantageous bid on the basis of

evaluation criteria set out in the bidding documents. The table may include following:-

(a) Name and address of the bidders including e-mail address, if any;

(b) If evaluation of Technical bids has taken place, whether the bidder has qualified in evaluation of Technical bids;

(c) Specifications of the subject matter of procurement offered;

(d) Rates quoted per unit, per item and total price of each item quoted or percentage above, below on the rates given in the bidding documents, as the case may be;

[1][(e) Taxes as applicable, shall be shown separately;]

(f) Packing and forwarding charges, freight, insurance etc.;

(g) Total cost per unit, per item and all items including all cost and taxes;

(h) Discount, rebate if any (if permitted);

(i) Alternative offers (if permitted);

(j) Delivery/completion period quoted;

(k) Validity period of bids quoted;

(l) Mode of payment quoted;

(m) Samples, trials offered (if asked for) and results of sample testing and trials conducted;

(n) Guarantee/warrantee/defect liability period quoted, if asked for;

(o) Contract maintenance period quoted, if asked for;

(p) Response to any other information asked for in the bidding documents;

(q) Any conditions quoted different from those included in the bidding documents;

(r) Is there any material deviation, reservation or omission from the required specifications and terms and conditions set out in the bidding documents;

(s) Result of evaluation of financial bids- standing of the bidder in financial evaluation;

(t) Combined evaluation of Technical and Financial bids, if stipulated in the bidding documents- standing of the bidder in combined evaluation of Technical and Financial bids;

(2) If only Single Part bids have been invited, then the information specified in clause (b), (c), (d), (e), (f), (g) and subclause (v) of clause (h) of sub-rule (1) of rule 57 shall also be included in the table.

(3) The table given in sub-rule (1) may also be used for evaluation of Financial bids, in second stage of Two Stage bidding.

1. Substituted by Notification No. F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 16.2.2018, published in Rajasthan Gazettee EO Part 4(Ga)(I) dated 16.2.2018 with immediate effect for - (e) Excise duty, Rajasthan VAT, Central sales tax, Entry tax and any other taxes as applicable, to be shown separately;

(4) The members of bids evaluation committee shall give their recommendations below the table regarding lowest bid or most advantageous bid and sign it.

59. Determination of responsiveness.- (1) The bid evaluation committee shall determine the responsiveness of a bid on the basis of biding documents and the provisions of sub-section (2) of section 7.

(2) A responsive bid is one that meets the requirements of the bidding documents without material deviation, reservation, or omission where: -

(a) “deviation” is a departure from the requirements specified in the bidding documents;

(b) “reservation” is the setting of limiting conditions or withholding from complete acceptance of the requirements specified in the bidding documents; and

(c) “Omission” is the failure to submit part or all of the information or documentation required in the bidding documents.

(3) A material deviation, reservation, or omission is one that,

(a) if accepted, shall:-

(i) affect in any substantial way the scope, quality, or performance of the subject matter of procurement specified in the bidding documents; or

(ii) limits in any substantial way, inconsistent with the bidding documents, the procuring entity’s rights or the bidder’s obligations under the proposed contract; or

(b) if rectified, shall unfairly affect the competitive position of other bidders presenting responsive bids.

(4) The bid evaluation committee shall examine the technical aspects of the bid in particular, to confirm that all requirements of bidding document have been met without any material deviation, reservation or omission.

(5) The procuring entity shall regard a bid as responsive if it conforms to all requirements set out in the bidding documents, or it contains minor deviations that do not materially alter or depart from the characteristics, terms, conditions and other requirements set out in the bidding documents, or if it contains errors or oversights that can be corrected without touching on the substance of the bid.

60. Clarification of bids.- (1) To assist in the examination, evaluation, comparison and qualification of the bids, the bid evaluation committee may, at its discretion, ask any bidder for a clarification regarding its bid. The committee’s request for clarification and the response of the bidder shall be in writing.

(2) Any clarification submitted by a bidder with regard to its bid that is not in response to a request by the committee shall not be considered.

(3) No change in the prices or substance of the bid shall be sought, offered, or permitted, except to confirm the correction of arithmetic errors discovered by the committee in the evaluation of the financial bids.

(4) No substantive change to qualification information or to a submission, including changes aimed at making an unqualified bidder, qualified or an unresponsive submission, responsive shall be sought, offered or permitted.

(5) All communications generated under this rule shall be included in the record of the procurement proceedings.

61. Non-material Non-conformities in bids.- (1) The bid evaluation committee may waive any nonconformities in the bid that do not constitute a material deviation, reservation or omission, the bid shall be deemed to be substantially responsive.

(2) The bid evaluation committee may request the bidder to submit the necessary information or document like [1][audited statement of accounts, PAN, etc.] within a reasonable period of time. Failure of the bidder to comply with the request may result in the rejection of its bid.

(3) The bid evaluation committee may rectify non-material nonconformities or omissions on the basis of the information or documentation received from the bidder under sub-rule (2).

62. Exclusion of bids.- A procuring entity shall exclude a bid in accordance with the provisions of section 25.

63. Evaluation of Technical bids in case of two part bids.-

(1) The criteria fixed for evaluation of technical bids shall be in accordance with the provisions of section 7 and clearly mentioned in the bidding documents so as to keep transparency in selection process. The criteria once fixed for evaluation of technical bids shall not be changed or relaxed.

(2) Techno-commercial qualifications of the bidders shall be evaluated in tabular form as per rule 57 on the basis of the weightings of marks assigned or minimum achievements fixed in the bidding documents for various criteria of qualifications in the area of professional, technical, financial, managerial competence, etc. i.e. like number of years of experience of the bidder in the subject matter of procurement, satisfactorily completion of similar contracts in past certain years, each valuing not less than specified percentage of the value of subject matter of procurement, financial turnover of the bidder in past certain years in relation to the value of subject matter of procurement, the value of orders in hand of the bidder at the time of submitting the bid relative to the value of subject matter of procurement, etc.

(3) Bidders securing specified minimum percent of marks or have fulfilled minimum achievement norms may be considered to have technically qualified.

(4) The number of firms qualified in technical evaluation should not generally be less than three. If the number is less than three and it is considered necessary by the procuring entity to continue with the procurement process, reasons shall be recorded in writing and included in the record of the procurement proceedings.

(5) The bidders who qualified in the technical evaluation shall be informed in writing about the date, time and place of opening of their financial bids. This date should generally be not later than fifteen days from the date of issue of letter.

64. Correction of arithmetic errors in financial bids.- The bid evaluation committee shall correct arithmetical errors in substantially responsive bids, on the following basis, namely: -

(a) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the bid evaluation committee there is an obvious misplacement

1. Substituted by Notification No. F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 16.2.2018, published in Rajasthan Gazettee EO Part 4(Ga)(I) dated 16.2.2018 with immediate effect for - audited statement of accounts, VAT clearance certificate, PAN, etc.

of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

(b) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

(c) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to clause (a) and (b) above.

65. Evaluation of financial bids.- Subject to the provisions of section 27, the procuring entity shall take following actions for evaluation of financial bids:-

(a) in case of single part bid system where bid is received in single cover along with requisite bid security, processing fee or user charges and price of bidding documents within specified time, it shall be considered for financial evaluation by the bids evaluation committee;

(b) in case of two part bid system the financial bids of the bidders who qualified in technical evaluation shall be opened at the notified time, date and place by the bid evaluation committee in the presence of the bidders or their representatives who choose to be present;

(c) the process of opening, marking and signing on the financial bids shall be as prescribed in rule 55;

(d) the names of the bidders, the rates given by them and conditions put, if any, shall be read out and recorded;

(e) conditional bids are liable to be rejected;

(f) the evaluation shall include all costs and all taxes and duties applicable to the bidder as per law of the Central / State Government / Local Authorities, and the evaluation criteria specified in the bidding documents shall only be applied;

(g) the offers shall be evaluated and marked L1, L2, L3 etc. L1 being the lowest offer and then others in ascending order in case price is the only criteria, or evaluated and marked H1, H2, H3 etc. in descending order in case quality is also a criteria and the combined score of technical and financial evaluation is considered;

(h) the bid evaluation committee shall prepare a comparative statement in tabular form in accordance with rule 58 with its report on evaluation of financial bids and recommend the lowest offer for acceptance to the procuring entity, if price is the only criterion, or most advantageous bid in other case;

(i) it shall be ensured that the offer recommended for sanction is justifiable looking to the prevailing market rates of the goods, works or service required to be procured; and

(j) in case a rate contract is being entered, more than one firm at the same lowest rate may be considered to ensure uninterrupted delivery but for this purpose, counter offer of lowest rate will be given for acceptance to the bidders quoting higher rates in the order of ascending value.

[1][66. Comparison of rates of firms outside and those in Rajasthan.- [Deleted]

1. Deleted by Notification No. F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 16.2.2018, published in Rajasthan Gazettee EO Part 4(Ga)(I) dated 16.2.2018 with immediate effect for - "66. Comparison of rates of firms outside and those in Rajasthan - While tabulating the bids of those firms which are not entitled to price preference, the element of Rajasthan Value Added Tax shall be excluded from the rates quoted by the firms of Rajasthan and the element of Central Sales Tax shall be included in the rates of firms from outside Rajasthan for evaluation purpose."

67. Price / purchase preference in evaluation.- Price and /or purchase preference notified by the State Government and as mentioned in the bidding documents shall be considered in the evaluation of bids and award of contract.

68. Lack of competition.- (1) A situation may arise where, if after evaluation of bids the bid evaluation committee may end-up with one responsive bid only, in such situation, the bid evaluation committee should check as to whether while floating the Notice Inviting Bids all necessary requirements to encourage competition like standard bid conditions, industry friendly specifications, wide publicity, sufficient time for formulation of bids, etc. were fulfilled. If not, the Notice Inviting Bids should be refloated after rectifying deficiencies. The bid process shall be considered valid even if there is one responsive bid, provided that-

(a) the bid is technically qualified;
(b) the price quoted by the bidder is assessed to be reasonable;
(c) the bid is unconditional and complete in all respects;
(d) there are no obvious indicators of cartelisation amongst bidders; and
(e) the bidder is qualified as per the provisions of section 7

[1][(2) The bid evaluation committee shall prepare a justification note for approval of the procuring entity, clearly including views of the accounts/finance member of the committee.

(3) The procuring entity competent to decide a procurement case, as per delegation of financial powers, shall decide as to whether to sanction the single bid or re-invite bids after recording its reasons for doing so.]

(4) If a decision to re invite the bids is taken, market assessment shall be carried out for estimation of market depth, eligibility criteria and cost estimate.

69. Negotiations.- (1) Except in case of procurement by method of single source procurement or procurement by competitive negotiations, to the extent possible, no negotiations shall be conducted after the pre-bid stage. All clarifications needed to be sought shall be sought in the pre-bid stage itself.

(2) Negotiations may, however, be undertaken only with the lowest or most advantageous bidder under the following circumstances-

(a) when ring prices have been quoted by the bidders for the subject matter of procurement; or

(b) when the rates quoted vary considerably and considered much higher than the prevailing market rates.

(3) The bid evaluation committee shall have full powers to undertake negotiations. Detailed reasons and results of negotiations shall be recorded in the proceedings.

(4) The lowest or most advantageous bidder shall be informed in writing either through messenger or by registered letter and email (if available). A minimum time of seven days shall be given for calling negotiations. In case of urgency the bid

1. Substituted by Notification No.F.2(1)/FD/G&T(SPFC)/2017 dated 6.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(II) dated 6.8.2018 for - "(2) The bid evaluation committee shall prepare a justification note for approval by the next higher authority of the procuring entity, in which the concurrence of the accounts member shall be necessary.

(3) In case of dissent by any member of bid evaluation committee the next higher authority in delegation of financial powers shall decide as to whether to sanction the single bid or re-invite bids after recording reasons."

time evaluation committee, after recording reasons, may reduce the time, provided the lowest or most advantageous bidder has received the intimation and consented to regarding holding of negotiations.

(5) Negotiations shall not make the original offer made by the bidder inoperative. The bid evaluation committee shall have option to consider the original offer in case the bidder decides to increase rates originally quoted or imposes any new terms or conditions.

(6) In case of non-satisfactory achievement of rates from lowest or most advantageous bidder, the bid evaluation committee may choose to make a written counter offer to the lowest or most advantageous bidder and if this is not accepted by him, the committee may decide to reject and re-invite bids or to make the same counter-offer first to the second lowest or most advantageous bidder, then to the third lowest or most advantageous bidder and so on in the order of their initial standing and work / supply order be awarded to the bidder who accepts the counter-offer. This procedure should be used in exceptional cases only.

(7) In case the rates even after the negotiations are considered very high, fresh bids shall be invited.

70. Acceptance of the successful bid and award of contract.- (1) The procuring entity after considering the recommendations of the bid evaluation committee and the conditions of bid, if any, financial implications, trials, sample testing and test reports, etc., shall accept or reject the successful bid. If any member of the bid evaluation committee, has disagreed or given its note of dissent, the matter shall be referred to the next higher authority, as per delegation of financial powers, for decision.

[1][Deleted]

(3) Before award of the contract, the procuring entity shall ensure that the price of successful bid is reasonable and consistent with the required quality.

(4) A bid shall be treated as successful only after the competent authority has approved the procurement in terms of that bid.

(5) The procuring entity shall award the contract to the bidder whose offer has been determined to be the lowest or most advantageous in accordance with the evaluation criteria set out in the bidding documents and if the bidder has been determined to be qualified to perform the contract satisfactorily on the basis of qualification criteria fixed for the bidders in the bidding documents for the subject matter of procurement.

(6) Prior to the expiration of the period of bid validity, the procuring entity shall inform the successful bidder, in writing, that its bid has been accepted.

(7) As soon as a bid is accepted by the competent authority, its written intimation shall be sent to the concerned bidder by registered post or email and asked to execute an agreement in the format given in the bidding documents on a non judicial stamp of requisite value and deposit the amount of performance security or a performance security declaration, if applicable, within a period specified in the bidding documents or where the period is not specified in the bidding documents then within fifteen days from the date on which the letter of acceptance or letter of intent is despatched to the bidder.

(8) If the issuance of formal letter of acceptance is likely to take time, in the meanwhile a Letter of Intent (LOI) may be sent to the bidder. The acceptance of an offer is complete as soon as the letter of acceptance or letter of intent is posted and/ or sent by email (if available) to the address of the bidder given in the bidding document. Until a formal contract is executed, the letter of acceptance or Letter of Intent shall constitute a binding contract.

---

1. The existing sub-rule (2) of Rule 70 deleted vide Notification No. F.2(2)/FD/FR/SPFC/2025 dated 19.9.2025 - "(2) Decision on bids shall be taken within original validity period of bids and time period allowed to procuring entity for taking decision. If the decision is not taken within the original validity period or time limit allowed for taking decision, the matter shall be referred to the next higher authority in delegation of financial powers for decision."

(9) The bid security of the bidders whose bids could not be accepted shall be refunded soon after the contract with the successful bidder is signed and its performance security is obtained.

71. Information and publication of award.- Information of award of contract shall be communicated to all participating bidders and published on the State Public Procurement Portal in accordance with provisions of sub-section (3) of section 27.

72. Procuring entity's right to accept or reject any or all bids.- The Procuring entity reserves the right to accept or reject any bid, and to annul the bidding process and reject all bids at any time prior to award of contract, without thereby incurring any liability to the bidders. Reasons for doing so shall be recorded in writing.

73. Right to vary quantity.- [1]**[**(1) Deleted]

[1]**[**(1) If the procuring entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding documents due to change in circumstances, the bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the bidding documents.

[2]**[**(2) Orders for extra items may be placed by the procuring entity in accordance with the Schedule of Powers as prescribed by the Finance Department, upto 5% of the value of the original contract, if allowed in the bidding documents. The fair market value of such extra items payable by the procuring entity to the contractor shall be determined by the procuring entity in accordance with guidelines prescribed by the administrative department concerned.

(3) Orders for additional quantities may be placed, if allowed inthe bidding documents, on the rates and conditions given inthe contract and the original order was given after inviting open competitive bids. Delivery or completion period may also be proportionately increased. The limits of orders for additional quantities shall be as under :-

(a) 50% of the quantity of the individual items and 50% of the value of original contract in case of works; and

(b) 50% of the value of goods or services of the original contract.

Provided that in exceptional circumstances and without changing the scope of work envisaged under the contract, a procuring entity may procure additional quantities beyond 50% of the quantity of the individual items as provided in the original work order with prior approval of the Admministrative Department concerned as follows :-

(i) the procuring entity shall obtain prior approval for revised requirements from the competent authority for reasons to be recorded in writing. Wherever necessary, due to the quantum of orders for additional quantities, the procuring entity shall obtain prior and revised technical, financial and administrative sanctions from the competent authorities;

(ii) that the additional quantities so procured shall be part and parcel of the work being executed;

(iii) that the limit of 50% of the value of original contract shall not be exceeded in any case.]

74. Dividing quantities among more than one bidder at the time of award.- As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose

1. Existing sub-rule (1) deleted and sub-rule (2) and (3) renumbered as sub-rule (1) and (2) by Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 4.9.2013, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 4.9.2013 for "(1) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the bidding documents may be increased, but such increase shall not exceed twenty percent of the quantity specified in the bidding documents. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the bid and the bidding documents."

2. Existing sub-rule (2) so re-numberred substituted by Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 4.9.2013, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 4.9.2013 for -

"(2) Repeat orders for extra items or additional quantities may be placed, if it is provided in the bidding documents, on the rates and conditions given in the contract if the original order was given after inviting open competitive bids. Delivery or completion period may also be proportionately increased. The limits of repeat order shall be as under-

(a) 50% of the quantity of the individual items and 20% of the value of original contract in case of works; and

(b) 25% of the value of goods or services of the original contract.]"

Existing sub-rule (2) again substituted by Notification No. F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 16.2.2018, published in Rajasthan Gazettee EO Part 4(Ga)(I) dated 16.2.2018 with immediate effect for - **[**(2) Repeat orders for extra items or additional quantities may be placed, if it is provided in the bidding documents, on the rates and conditions given in the contract if the original order was given after inviting open competitive bids. Delivery or completion period may also be proportionately increased. The limits of repeat order shall be as under-

(a) 50% of the quantity of the individual items and 50% of the value of original contract in case of works; and

(b) 50% of the value of goods or services of the original contract.]

bid is accepted if such condition is specified in the bidding documents. Counter offer to first lowest bidder (L1), in order to arrive at an acceptable price, shall amount to negotiation. However, any counter offer thereafter to second lowest bidder (L2), third lowest bidder (L3) etc., (at the rates accepted by L1) in case of splitting of quantities, as pre- disclosed in the bidding documents, shall not be deemed to be a negotiation.

75. Performance security.-

[1]**[**(1) Performance security shall be solicited from all successful bidders except the,-

(i) Departments/Boards of the State Government or Central Government;

(ii) Government Companies as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013;

(iii) Company owned or controlled, directly or indirectly, by the Central Government, or by any State Government or Governments, or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments which is subject to audit by the Auditor appointed by the Comptroller and Auditor-General of India under sub-section (5) or (7) of section 139 of the Companies Act, 2013;

(iv) Autonomous bodies, Registered Societies, Cooperative Societies which are owned or controlled or managed by the State Government or Central Government; or

[6][(v) Bidder in procurement related to Panchayat Samiti Nandishala Jan Sahbhagita Yojana or Gram Panchayat Goshala/Pashu Asharya Sthal Jan Sahbhagita Yojana issued by the State Government.]

However, a performance security declaration shall be taken from them. The State Government may relax the provision of performance security in a particular procurement or any class of procurement.]

(2) The amount of performance security shall be five percent, or as may be specified in the bidding documents, of the amount of supply order in case of procurement of goods and services and ten percent of the amount of work order in case of procurement of works. In case of [8][Micro, Small and Medium Enterprises] of Rajasthan it shall be one percent of the amount of quantity ordered for [9][supply of goods or service to be rendered] and in case of sick industries, other than [8][Micro, Small and Medium Enterprises], whose cases are pending before the Board of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), it shall be two percent of the amount of supply order [2][:]

[3][Provided that, during the period commencing from the date of commencement of the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Second Amendment) Rules, 2020 to [5][31.03.2023], the performance security shall be taken as under:-

(a) 2.5%, or as may be specified in the bidding documents, of the amount of supply order in case of procurement of goods and services and 3% of the amount of work order, in case of procurement of works;

(b) 0.5% of the amount of quantity ordered for supply of goods, in case of Small Scale Industries of Rajasthan; and

(c) 1% of the amount of supply order, in case of sick industries, other than Small Scale Industries, whose cases are pending before the Board of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR); and]

[7][Provided further that where the bid for procurement of works is invited under the Hybrid Annuity Model (HAM) Projects, the performance security shall be five percent of amount of work order.

Explanation: For the purpose of this proviso Hybrid Annuity Model (HAM) Project means a Public Private Partnership where the Government provides a portion of the project cost. The remaining portion of the project cost will have to be raised by Private Developer, which is covered through annuity payments from the Government to the Private Developer.]

[4][(2A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) above, where the State Government being of the opinion that there exist grave situations such as natural calamity or Pandemic or Epidemic diseases or floods etc. in which the economy is adversely affected, the State Government may, by order, direct the procurement entity to reduce the performance security taken in case of existing contracts of ongoing projects, from such date and on such conditions as may be specified in the order.]

(3) Performance security shall be furnished in any one of the following forms-

(a) deposit though eGRAS;

(b) Bank Draft or Banker's Cheque of a scheduled bank;

(c) National Savings Certificates and any other script/instrument under National Savings Schemes for promotion of small savings issued by a Post Office in Rajasthan, if the same can be pledged under the relevant rules. They shall be accepted at their surrender value at the time of bid and formally transferred in the name of procuring entity with the approval of Head Post Master;

1. Substituted by Notification No.F.2(1)/FD/G&T(SPFC)/2017 dated 6.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(II) dated 6.8.2018 for - "(1) Performance security shall be solicited from all successful bidders except the department's of the State Government and undertakings, corporations, autonomous bodies, registered societies, co-operative societies which are owned or controlled or managed by the State Government and undertakings of the Central Government. However, a performance security declaration shall be taken from them. The State Government may relax the provision of performance security in particular procurement or any class of procurement."
2. Substituted by Notification No. No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 13.8.2020, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 13.8.2020 for - "(.)"
3. Added by Notification No. No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 13.8.2020, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 13.8.2020 and substituted by Notification No. No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 18.12.2020 for - "Provided that, during the period commencing from the date of commencement of the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2020 to 31.03.2021, the performance security shall be taken as under:-

   (a) 2.5%, or as may be specified in the bidding documents, of the amount of supply order in case of procurement of goods and services and 5% of the amount of work order, in case of procurement of works;
   (b) 0.5% of the amount of quantity ordered for supply of goods, in case of Small Scale Industries of Rajasthan; and
   (c) 1% of the amount of supply order, in case of sick industries, other than Small Scale Industries, whose cases are pending before the Board of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR)."
4. Inserted by Notification No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 17.3.2021, published in Raj. Gazette EO Pt. 4(Ga)(I) dated 17.3.2021.
5. Existing expression "31.12.2021" substituted by Notification No. No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 12.01.2022, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 12.01.2022.
6. Existing expression "or" appearing at the end of clause (iii) deleted, for the existing "punctuation mark "." appearing at the end of clause (iv), the expression "; or" substituted and after clause (iv), so amended and before the existing expression "However, a performance security", the new clause (v) inserted by Notification No. No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 20.12.2022, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 20.12.2022 and again substituted vide Notification dated 22.3.2023 for - (v) Bidder in procurement related to Nandihshala Schemes of the Gopalan Department.
7. Added by Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 16.6.2025, published in Raj. Gazette EO Pt. 4(Ga)(I) dated 16.6.2025.
8. The existing expression "Small Scale Industries", appearing in sub-rule (2) of rule 75, substituted by Notification No. No.F.2(3)FD/SPFC/2025 dated 20.08.2025, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 20.08.2025.
9. The existing expression "supply of goods" appearing in sub-rule (2) of rule 75, substituted by Notification No. No.F.2(3)FD/FR/SPFC/2025 dated 28.08.2025, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 28.08.2025.

(d) [8][Bank guarantee or electronic bank guarantee (e-BG) of a scheduled bank]. It shall be got verified from the issuing bank. Other conditions regarding bank guarantee shall be same as mentioned in the rule 42 for bid security;

(e) Fixed Deposit Receipt (FDR) of a scheduled bank. It shall be in the name of procuring entity on account of bidder and discharged by the bidder in advance. The procuring entity shall ensure before accepting the Fixed Deposit Receipt that the bidder furnishes an undertaking from the bank to make payment/premature payment of the Fixed Deposit Receipt on demand to the procuring entity without requirement of consent of the bidder concerned. In the event of forfeiture of the performance security, the Fixed Deposit shall be forfeited along with interest earned on such Fixed Deposit.

[10][(ee) Insurance Surety Bonds issued by Insurer registered with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA) for transact the business of issuing Insurance Surety Bonds]; and

[1][(f) In case of procurement of works, the successful bidder at the time of signing of the contract agreement, may submit option for deduction of performance security from his each running and final bill @ 10% of the amount of the bill [2][:]

[3][Provided that, during the period commencing from the date of commencement of the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Second Amendment) Rules, 2020 to [5][31.03.2023], in case of procurement of works, the successful bidder at the time of signing of the contract agreement, may submit option for deduction of performance security from his each running and final bill @ 3% of the amount of the bill.]

(4) Performance security furnished in the form specified in [11][clause (b) to (ee) of sub-rule (3)] shall remain valid for a period of sixty days beyond the date of completion of all contractual obligations of the bidder, including warranty obligations and maintenance and defect liability period.

[12][Provided that in case of procurement of works, fifty percentage of the performance security shall be refunded to the contractor on completion of the work and passing of the final bill and the remaining fifty percentage of performance security shall be refunded on satisfactory completion of the defect liability period.]

[4][**75A.Additional Performance Security**.- (1) In addition to Performance Security as specified in rule 75, an Additional Performance Security shall also be taken from the successful bidder in case of unbalanced bid. The Additional Performance Security shall be equal to fifty percent of Unbalanced Bid Amount. The Additional Performance Security shall be deposited in lump sum by the successful bidder before execution of Agreement. The Additional Performance Security shall be deposited through e-Grass, Demand Daft, Banker's Cheque, Government Securities [9][Bank guarantee or electronic bank guarantee (e-BG)].

Explanation : For the purpose of this rule,-

(i) Unbalanced Bid means any bid below more than fifteen percent of Estimated Bid Value.

(ii) Estimated Bid Value means value of subject matter of procurement mention in bidding documents by the Procuring Entity.

(iii) Unbalanced Bid Amount means positive difference of eighty five percent of Estimated Bid Value minus Bid Amount Quoted by the bidder [6][:]

[7][Provided that in case of unbalanced bid relating to IT & e-Governance Project having cost of twenty crore rupees or more and approved by the State e-Governance Mission Team (SeMT), Department of Information Technology & Communication, Rajasthan as a High Tech Project, the Additional Performance Security shall not required to be taken.]

(2) The Additional Performance Security shall be refunded to the contractor after satisfactory completion of the entire work. The Additional Performance Security shall be forfeited by the Procuring Entity when work is not completed within stipulated period by the contractor. Provision for 'Unbalanced Bid' and 'Additional Performance Security' shall be mentioned in the Bidding Documents by the Procuring Entity.]

76. Execution of agreement.- (1) A procurement contract shall come into force from the date on which the letter of acceptance or letter of intent is despatched to the bidder.

(2) The successful bidder shall sign the procurement contract within a period specified in the bidding document or where the period is not specified in the bidding document then within fifteen days from the date on which the letter of acceptance or letter of intent is despatched to the successful bidder.

(3) If the bidder, whose bid has been accepted, fails to sign a written procurement contract or fails to furnish the required performance security with in specified period, the procuring entity shall take action against the successful bidder as per the provisions of the Act and these rules. The procuring entity may, in such case, cancel the procurement process or if it deems fit, offer for acceptance the rates of lowest or most advantageous bidder to the next lowest or most advantageous bidder, in accordance with the criteria and procedures set out in the bidding documents.

(4) The bidder shall be asked to execute the agreement on a nonjudicial stamp of specified value at its cost.

77. Confidentiality.- In addition to the restrictions specified in section 49, the procuring entity, while procuring a subject matter of such nature which requires the procuring entity to maintain confidentiality, may impose condition for protecting confidentiality of such information.

78. Cancellation of procurement process.- If any procurement process has been cancelled, it shall not be reopened but it shall not prevent the procuring entity from initiating a new procurement process for the same subject matter of procurement, if required.

79. Documentary record of procurement proceedings.- (1) Subject to the provisions of section 10, the procuring entity shall, in addition to record specified in clause (a) to (h) of sub-section (1) of the said section, maintain the following record, namely:-

(a) the names and addresses of all bidders with bid prices and conditions of bid if bid is conditional;

(b) the name and address of the successful bidder with price on which procurement is made;

1. Added by Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 4.9.2013, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 4.9.2013
2. Substituted by Notification No. No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 13.8.2020, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 13.8.2020 for - "(.)"
3. Added by Notification No. No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 13.8.2020, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 13.8.2020 and substituted by Notification No. No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 18.12.2020 for - "Provided that, during the period commencing from the date of commencement of the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2020 to 31.03.2021, in case of procurement of works, the successful bidder at the time of signing of the contract agreement, may submit option for deduction of performance security from his each running and final bill @ 5% of the amount of the bill."
4. Inserted by Notification No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 22.10.2021, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 22.10.2021.
5. Existing expression "31.12.2021" substituted by Notification No. No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 12.01.2022, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 12.01.2022.
6. The existing punctuation mark (.) substituted by Notification No. No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 19.10.2022, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 20.10.2022.
7. Proviso added by Notification No. No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 19.10.2022, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 20.10.2022.
8. The existing words "Bank guarantee of a scheduled bank" substituted by Notification No. F.2(1)FD/G&T/SPFC/2017 dated 16.2.2023.
9. The existing words "or Bank guarantee" substituted by Notification No. F.2(1)FD/G&T/SPFC/2017 dated 16.2.2023.
10. Inserted by Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 19.09.2024, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 19.09.2024.
11. The existing words "clause (b) to (e) of sub-rule (3)" substituted by Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 19.09.2024, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 19.09.2024.
12. Proviso added by Notification No. No.F.2(3)FD/FR/SPFC/2025 dated 28.08.2025, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 28.08.2025.

(c) in case of rate contract method, the names and addresses of the bidders with whom the rate contract is concluded;

(d) a summary of modification, if any, made in the bidding documents;

(e) details of qualification required, bidders having qualifications and details of qualified or disqualified bidders with reasons;

(f) where a written procurement contract has been executed, including rate contract, copy of contract;

(g) in the case of empanelment, the terms and conditions of the empanelment and a copy of the agreement, if any;

(h) a summary of the evaluation and comparison of bids, including the application of any margin of preference and reasons for rejection or nonconsideration of a bid, if any; and

(i) if the procurement process is cancelled, reasons of cancellation.

[1][CHAPTER-VA
Bid Process Management–Swiss Challenge Method

79A. Swiss Challenge Method of Procurement.- The Swiss Challenge Method is a method in which an unsolicited proposal for a government project is received and allows third party to challenge the original proposal through open bidding, and then lets the original proponent counter-match the most advantageous / most competitive offer.

79B. Eligible sectors under Swiss Challenge Method.- In following sectors Swiss Challenge Method of procurement may be adopted, namely:-

(i) Agriculture, Horticulture, allied sector & post-harvest management Agri-infrastructure [Agriculture and horticulture Markets; Floriculture parks and markets; Agro-food processing and allied infrastructure (including common-user cold storage facilities)];

(ii) Transportation & Logistics [Roads (including bridges, highways, interchanges, and flyovers), Public Transport, Railway systems, Urban transport systems: MRTS, LRTS, Monorail, High-capacity bus systems, Airstrips, Inland water transport, Bus/Truck/Urban Transport Terminals and associated public facilities such as Public Amenities Centers];

(iii) Warehousing infrastructure (including container freight stations, container depots, cold storage facilities and tank farms);

(iv) Mechanized and Multistory Parking facilities;

(v) Urban and Municipal Infrastructure (Sanitation, Water Supply and Sewerage; Desalination; Underground drainage; Solid waste/ Bio-medical waste/ Hazardous waste: Collection, transportation, treatment and disposal facilities);

(vi) Education including Technical Education (Skill development etc.);

(vii) Gas distribution network;

(viii) Medical and Health Sector;

(ix) Housing Sector & Environment;

(x) Information Technology;

(xi) Water Body Eco-system Management;

(xii) Industrial infrastructure;

(xiii) Irrigation Sector;

(xiv) Land Reclamation;

(xv) New & Renewable Energy (solar, wind, hydel etc.);

(xvi) Power sector;

(xvii) Public Buildings, Markets, gardens, parks;

(xviii) Sports and Recreation infrastructure;

(xix) Trade Fair, Convention, Exhibition and Cultural Centers;

(xx) Tourism Sector;

(xxi) Water Supply Project;

(xxii) Up-gradation and restructuring of any of the projects in above sectors;

(xxiii) Any project in public-private partnership that the State Government may find beneficial;

1. Inserted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 5.6.2015, published in Rajasthan Gazette Ext.Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 5.6.2015 effective from 5.6.2015.

(xxiv) Any proposal for the partial or complete disinvestment of a state public sector undertaking;

(xxv) Any other project, which is a combination of above mentioned sectors; and

(xxvi) On recommendations, with appropriate justifications, of the Administrative Department for inclusion of any new sector, SLEC may recommend for inclusion of the same to the State Government. Any new sector can be added to the list of "eligible sectors" of these rules, only after the consent of the Finance Department of State Government on the recommendations of the SLEC.

79C. Projects, which shall not be acceptable under Swiss Challenge Method.- The following proposals shall not be acceptable under Swiss Challenge Method, namely:-

(i) Proposals which contravene the provisions of any law that is in force;
(ii) Proposals/ projects which would result in monopolistic situation;
(iii) Projects which are less than Rs. 50.00 crores (Rs. Fifty Crores) in value.
(iv) Proposals / projects that fall outside the sectors and below the financial limits as prescribed in these rules.
(v) Proposals of PPP Projects involving financial assistance from State Government by way of viability gap funding (VGF) more than 20% of the total project cost, excluding the cost of land.

79D. Procedure.- (1) The Project Proponent or his authorized representative, shall submit an application along with certificate in Form No. 2 and details of proposal in Form No. 3 to the Administrative Department. If Pre-Feasibility Report or detailed project report is available then same shall also be submitted with application. The contents of Pre-Feasibility Report shall be as specified in Form No. 4 and the contents of detailed project report shall be as specified in Form No. 5.

(2) The Administrative Department shall scrutinize the proposal as to whether it falls into the purview of the department's development plans and whether "Public Need" is established and the proposal prima facie addresses the public need and requirement.

(3) If the Administrative Department finds that the proposal received under Swiss Challenge Method has no uniqueness and is similar to the procurement of goods/works/services, that is already being done under conventional method, then the Administrative Department would be under an obligation to reject such a proposal, but in case, if the Administrative Department considers that a proposal received is appropriate to be taken under Swiss Challenge Method, despite its being similar to the procurement being done under conventional methods, then it would record reasons in writing for accepting it under Swiss Challenge Method.

(4) The Administrative Department shall examine and offer its comments regarding the proposal submitted by Project Proponent. After examination if the Administrative Department is satisfied that the conditions specified in sub-rule (2) above, are fulfilled, it shall submit its recommendations to the State Level Empowered Committee (SLEC) through Planning Department of the State Government, for according the 'permission to proceed'.

(5) The Planning Department shall arrange and coordinate the meetings of the SLEC. The SLEC, after necessary examination, may accord the permission to proceed with or without modifications. The permission to proceed shall be conveyed by the Principal Secretary/Secretary, Planning Department to the Administrative Department concerned. On receipt of the permission to proceed, the same shall be exhibit by the Administrative Department on State Public Procurement Portal.

(6) After obtaining permission to proceed from SLEC, a letter shall be issued by the Administrative Department to the Project Proponent allowing a period of three months, for undertaking detailed studies including preparation of Detailed Project Report required for

bidding and submit the detailed and comprehensive proposal to Administrative Department. In case, the Project Proponent fails to submit detailed and comprehensive proposal within a period of three months and submits written request to the Administrative Department, the Administrative Department may in appropriate case, after recoding reasons in writing extend the period specified above.

(7) If the Project Proponent fails to submit the detailed and comprehensive proposal within a specified period or extended period, as the case may be, the Administrative Department may at its discretion exercise the option to develop the project on its own or through its agencies or through any third party, without the Project Proponent having any claims, and if the Administrative Department exercises the option in the manner as specified above, it shall be exhibit by the Administrative Department on State Public Procurement Portal.

79E.Preparation and submission of detailed and comprehensive proposal.- (1) The Project Proponent shall submit a detailed and comprehensive proposal in **Form No. 6** along with detailed project report in hard copy and soft copy, Earnest Security equal to 0.05% of the total estimated cost of the Project, Bid Value/Financial Proposal-IRR etc. (with details and supporting documents, wherever necessary), project financial summary in Form No. 7 and check list for submission of documents in Form No. 8 within a period specified in rule 79D to the Administrative Department in hard copy and soft copy.

(2) It should be ensured by the Project Proponent that all financial reports and/or the documents having financial details must be duly verified from a competent Chartered Accountant.

(3) The Administrative Department may carry out additional studies for independently determining the project cost, project revenues, viability and risk analysis etc. to ensure proper benchmarking.

[1][(4) The Project Proponent shall submit the detailed and comprehensive proposal in two covers. The first cover shall include the detailed project report, the survey data, specifications (input/output), as well as designs of the project, total estimated cost of the project on the basis of detailed project report, cost of preparation of detailed project report, along with the Earnest Security. The detailed project report shall include the details as specified in Form No. 5. The first cover shall be opened by the Administrative Department, or by a Committee constituted by the Administrative Department for this purpose. The Bid Value, in such form, as may be required by the Administrative Department, shall be submitted in a separate cover, duly sealed by the project proponent, which shall be opened by the Administrative Department, or by a Committee constituted by the Administrative Department for this purpose, only at the time of opening of the financial bids received from other bidders through open competitive bidding process.]

79F. Earnest Security.- (1) The Project Proponent shall furnish interest-free Earnest Security, as a token of sincerity and good faith, amounting to 0.05% of the total estimated cost of the project through demand draft or [2][bank guarantee or electronic bank guarantee (e-BG)], acceptable to the Administrative Department concerned, with a validity period of not less than 180 days commencing from the date of submission of detailed and comprehensive proposal (including claim period of 60 days), to be extended as may be mutually agreed, from time to time. The Bid shall be summarily rejected if the detailed and comprehensive proposal is not accompanied by the Earnest Security.

1. Substituted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 28.8.2015, published in Rajasthan Gazette Ext.Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 28.8.2015 for - (4) The Project Proponent shall submit the detailed and comprehensive proposal in two covers. The first cover shall include, the survey data, specifications (input/ output), as well as designs of the project, along with the Earnest Security. The financial proposal-Bid Value, DPR preparation cost and Internal Rate of Return etc., shall be submitted in a separate cover.

2. The existing words "Bank guarantee" substituted by Notification No. No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 16.02.2023, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 16.02.2023.

(2) The Project Proponent shall also submit the requisite Bid Security as specified in the Bid Document, in case the bidding process is initiated under the proposed project by the Administrative Department concerned. [1][The Bid Security shall be calculated on the basis of the total estimated cost of the Project as per the detailed project report.] The Project Proponent shall be required to furnish the Bid Security as specified in the Bid document by the last date and time fixed for submission of bids under the bidding process initiated for the proposed project. The Earnest Security furnished by the Project Proponent earlier shall be adjusted against the Bid Security. If Project Proponent fails to furnish Bid Security of required amount within the time specified in Bid Document, his Earnest Security shall be forfeited and he shall have no right as the Project Proponent.

79G. Detailed Project Report (DPR) preparation cost.- (1) The direct cost of preparing the DPR shall be mentioned by the Project Proponent in detailed and comprehensive proposal. The DPR preparation cost shall include external payout, internal cost, out-of pocket expenses and taxes, all accompanied by original receipts.

[2][(2) The Administrative Department or a Committee, constituted by the Administrative Department for this purpose, shall negotiate the cost of preparation of the detailed project report with the Project Proponent and ensure that such assessment of the detailed project report preparation cost shall be reasonable and justifiable. The reimbursement of detailed project report preparation cost to the project proponent shall be 0.1% of the final bid value or of the approved negotiated cost of preparation of detailed project report, whichever is lower.]

(3) The cost of preparation of DPR, as determined under sub-rule (2) above, may be reimbursed to the Project Proponent only in the case of final selection of successful bidder, if it is other than the Project Proponent, and only after the Procuring Entity has entered into agreement with such successful bidder. The cost of preparation of the DPR, payable to the Project Proponent, shall be recovered from the successful bidder as specified in the bid document:

Provided that the Project Proponent shall not be entitled for the cost of preparation of DPR if he fails to furnish Bid Security as specified in sub-rule (2) of rule 79F.

(4) In case, for any reason whatsoever, the project is not taken up by the Administrative Department, the cost of preparation of DPR shall not be reimbursed to the Proposal Proponent.

79H. Clarifications regarding Detailed Project Report (DPR).- No changes shall be permitted in the DPR once the Project Proponent has submitted the DPR to the Administrative Department concerned. However, the Administrative Department may seek clarifications with respect to the DPR from the Project Proponent and these clarifications shall be attached as an addendum to the DPR.

79I. Bid Parameters and Bid Value.- (1) The Project Proponent shall submit the detailed and comprehensive proposal along with the bid parameters and Bid Value. The decision on the bid parameters shall be taken by the Administrative Department concerned and the Administrative Department shall have the authority to make changes to the project proposal as per the needs, requirements and development plans of the Administrative Department, without changing the basic theme and fundamental structure of the project proposal. Any such change in the bid parameters shall [3][be intimated to the Project Proponent if required, the] Administrative Department may provide an additional time of fifteen days to the Project Proponent for submitting the final bid value.

---

1. Inserted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 28.8.2015, published in Rajasthan Gazette Ext. Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 28.8.2015.

2. Substituted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 28.8.2015, published in Rajasthan Gazette Ext. Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 28.8.2015 for - "(2) The Administrative Department or a Committee, constituted by the Administrative Department for this purpose, shall negotiate the cost of preparation of the DPR with the Project Proponent and ensure that such costs shall be reasonable and justifiable subject to a maximum limit of 0.01% of the project cost, as determined by the Administrative Department, or Rs. 10,00,000/- (Rs. Ten Lakhs), whichever is lower."

3. Substituted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 28.8.2015, published in Rajasthan Gazette Ext. Ord. Pt.4(Ga)(I) dated 28.8.2015 for - "be intimated to the Project Proponent. The Administrative Department concerned shall evaluate the bid value vis-à-vis the final bid parameters and if required, the"

[3][(2) If the additional time is allowed under sub-rule (1), the Project Proponent shall submit the final bid value in such form as may be required by the Administrative Department. After submission of final bid value by the project proponent, the original bid value submitted by the project proponent shall become inoperative. The final bid value shall be submitted in a separate cover, duly sealed by the project proponent, which shall be opened only at the time of opening of the financial bids received from bidders through open competitive bidding process. In case, the Project Proponent desires to give additional information, he may enclose such information separately. After submission of the final bid value by the project proponent, the Administrative Department shall submit the proposal, with appropriate recommendation, to the State Level Empowered Committee.]

79J. Competent Authority for approval of Projects under SCM and Procedure to be followed thereof.- (1) After examination of the detailed and comprehensive proposal, the Administrative Department shall submit detailed and comprehensive proposal along with its recommendation to SLEC for consideration. The Administrative Department shall also indicate the budgetary provisions for the project proposal.

(2) On receipt of recommendation of the Administrative Department, the SLEC shall examine, consider and grant approvals on merits.

79K. Bidding Process.- (1) The DPR (except for proprietary technology details) shall be shared with prospective bidders so as to ensure fair competition and for providing an opportunity for a competitive bidding process. The open competitive bidding process, as provided in Chapter-V of these rules, shall be initiated by the Administrative Department concerned after approval of the project proposal from SLEC.

(2) The bidding document, among other essential clauses, shall incorporate details about the necessary clearances/approvals to be taken from respective authorities and who, i.e. the Administrative Department or the successful Bidder/ Project Proponent, shall be responsible for taking it, keeping in view the nature and [1][requirements of individual project. The bidding document shall clearly incorporate that the open bidding process is being taken up under Swill Challenge Method of procurement.]

(3) After examination of the bids, if the proposal of the Project Proponent is found to be lowest or most advantageous, as the case may be, in accordance with the evaluation criteria as specified in bidding document, then the Project Proponent shall be selected and awarded the project. In case bid of other bidder is found lowest or most advantageous, as the case may be, the Project Proponent shall be given an opportunity to match the lowest or most advantageous bid within a period as specified**.** If the Project Proponent agrees to match the lowest or most advantageous bid, within the time period specified, the Project Proponent shall be selected and awarded the project. In case the Project Proponent fails to match the lowest or most advantageous bid, within the period specified, the bidder who has submitted lowest or most advantageous bid, as the case may be, shall be selected and awarded the project;

[2][Provided that, if through the open bidding process, bid of other bidder is found lowest or most advantageous, as the case may be, the project proponent shall be given an opportunity to match such lowest or most advantageous bid, only if the final bid value offered by the project proponent is within 15% of such lowest or most advantageous bid, as the case may be.]

79L.Transaction Advisor.- (1) The Administrative Department concerned may appoint a Transaction Advisor for the project or entrust the responsibility on officer of the Department. The Transaction Advisor shall be capable to offer technical, financial and legal advice and assist the Administrative Department concerned in finalization of the successful bidder.

(2) In case, the Administrative Department desires to appoint a Transaction Advisor for a project proposal received under Swiss Challenge Method, it may initiate the process of the appointment of the Transaction Advisor immediately after the permission to proceed is granted by the SLEC in order to save time in the process. It shall be ensured by the Administrative Department that the process of appointment of the Transaction Advisor is completed before submission of DPR by the Project Proponent.

(3) The functions and responsibilities of the Transaction Advisor shall be as under,-

(i) he shall examine the DPR with respect to technology, technical specifications, cost estimates, drawings, Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), Equity debt ratio, Value for Money analysis, necessary approvals (statutory or otherwise) required for the implementation of the project etc.;

(ii) he, if required by the Administrative Department, shall carry out additional studies for independently determining the project cost, project revenues, viability and risk analysis etc. including Value for Money analysis to ensure proper benchmarking;

---

1. Substituted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 28.8.2015, published in Rajasthan Gazette Ext. Ord. Pt.4(Ga)(I) dated 28.8.2015 for - requirements of individual project.
2. Added by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 28.8.2015, Published in Rajasthan Gazette Ext. Ord. Pt.4(Ga)(I) dated 28.8.2015.
3. Substituted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 28.8.2015, published in Rajasthan Gazette Ext. Ord. Pt.4(Ga)(I) dated 28.8.2015 for - "(2) The Project Proponent shall submit the bid value in such form as may be required by the Administrative Department. In case, the Project Proponent desires to give additional information, he may enclose such information separately. After explicit consent of the Project Proponent on the final bid value, the Administrative Department shall submit the proposal, with appropriate recommendation, to the SLEC."

(iii) he shall be required to specify broad parameters regarding environment and social safeguards that need to be adhered by the concessionaire during implementation period in the bid document;

(iv) he shall assist the Administrative Department to get necessary approvals from appropriate authorities for the implementation of the project;

(v) he shall develop documents for Request for Qualification (RFQ)/Request for Proposals (RFP) and submit to the Administrative Department concerned for approval. The bidding criteria shall be designed in such a way that maximum competition is ensured;

(vi) he shall develop and present the RFP and the concession agreement to the concerned authorities for approval and after competent approval, the same shall be launched into the market;

(vii) he shall assist the Administrative Department concerned with the Bid process management, including Request for Proposal (RFP) launch, formulation of responses to bidder queries, bid evaluation and recommendations as per the criteria mentioned in the RFP document, recommending a bidder, contract negotiations and bid closure which are required to be undertaken, for bringing the Project to a Technical close;

(viii) he shall submit all the documents for approval to the Administrative Department. He shall not provide any document to the bidder(s) or any other person(s) without explicit consent from the Administrative Department concerned; and

(ix) he shall perform any other functions or responsibilities assigned by the Administrative Department.

79M. Time frame for the total process.- The time frame for procurement through Swiss Challenge Method shall be as under:-

S. No.	Activity	Time Required
1.	Examination of preliminary report and permission to the proponent to proceed for preparation of detailed proposal OR rejection of the proposal, as the case may be, by the Administrative Department.	One Month from the date of receipt of the proposal.
2.	Detailed proposal submission by the proponent.	Within three Months or period extended under sub-rule (6) of rule 79D.
3.	Examination of detailed proposal, preparation of bid documents and approval from competent authority	Forty Five days
4.	Bid invitation and submission of bids	(i) Thirty days from the date of first publication of Notice Inviting Bids; (ii) Where clarifications/ addendum are issued, at least fifteen days from date of issue of clarifications/ addendum; or (iii) In case of International Competitive Bidding, the period of submission of bids shall be forty five days from the date of first publication of Notice Inviting Bids and at least twenty days from the date of issue of clarifications/ addendum.
5.	Bids evaluation	Fifteen Days
6.	Time for project proponent to match the most advantageous bid, if any.	Fifteen Days
7.	Letter of Award	Within 7 days of approval of award by the competent authority.
8.	Execution of Contract Agreement	Within fifteen days of issue of letter of award or a period as specified in the bidding documents.

Provided that, in appropriate cases, the Administrative Department may relax the above mentioned period.

79N.Eligibility criteria for the Project Proponent.- (1) [1][The legal entity or person, including joint venture or consortium] shall be eligible for submitting proposal as Project Proponent, if,-

(i) the person or lead member shall have an average turnover of minimum of 100% project cost in the last three financial years and in case of Joint venture/consortium, an average turnover of minimum of 100% of project cost in last three financial years by lead member and the audited balance sheets of last three financial years shall be submitted;

(ii) [2][the person or lead member, or any other member of the joint venture or consortium, shall have experience] in handling at least one project in that Sector in which the proposal is being submitted, costing not less than 100% of total project cost over the last 10 years, in such project(s) where the contract has been awarded and work has been completed. (Work order and completion certificate from the client shall be provided);

(iii) he shall not be blacklisted by Central Government, any State Government or any Government agency. He shall submit an undertaking to the effect that he has not been blacklisted by Central Government, any State Government or any Government agency; and

(iv) he shall necessarily fulfill the prequalification / qualification criteria/ parameters for bidders, as per the bid document issued by the Administrative Department for open bidding process for the project.

(2) In case of consortium, a person authorised through power of attorney executed by all the members in his favour, shall sign the proposal on behalf of all the member of the consortium and such power of attorney shall be submitted along with the proposal.

[3][(3) In case of joint venture or consortium, the Lead Member, and the member of joint venture or consortium, on the basis of whose technical capability, the technical eligibility of joint venture or consortium for the project is decided, shall not be allowed to exit from the joint venture or consortium [4][:]

[5][Provided that, if the Lead Member of the joint venture or consortium intends to exit the joint venture or consortium, then, the proposed exit may be allowed by the Administrative Department concerned after ensuring the following, namely :-

(a) The provisions relating to terms and conditions for such exit have been clearly specified in the bidding document and in the contract entered into by procuring entity with the joint venture or consortium, whose lead member intends to exit;

(b) A written requst, along with submitting an in-principle approval from other members of the joint venture/consortium, lender, competent member proposed to be substituted in place of the lead member etc., has been made by the lead member to the Administrative Department for such exit;

(c) Such exit shall be sanctioned by the Administrative Department only after expiry of at least two years from the date of completion of the Project;

(d) All necessary measures shall be taken by Administrative Department to ensure that such exit shall not negatively affect the operation and maintenance of the Project;

(e) No such exit shall be allowed, until and unless a competent substitute is duly proposed for replacement in the joint venture/consortium and such replacement is diligently approved by the Administrative Department;

---

1. Substituted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 28.8.2015, published in Rajasthan Gazette Ext. Ord. Pt.4(Ga)(I) dated 28.8.2015 for -"The following legal entity or person"
2. Substituted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 28.8.2015, published in Rajasthan Gazette Ext. Ord. Pt.4(Ga)(I) dated 28.8.2015 for - "the person or lead member shall have experience"
3. Substituted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 28.8.2015, published in Rajasthan Gazette Ext. Ord. Pt.4(Ga)(I) dated 28.8.2015 for - "In case of consortium, the Lead Member shall not be allowed to exit from consortium."
4. Substituted by Notification No. F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 16.2.2018, published in Rajasthan Gazettee EO Part 4(Ga)(I) dated 16.2.2018 with immediate effect for - punctuation mark (.)
5. Added by Notification No. F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 16.2.2018, published in Rajasthan Gazettee EO Part 4(Ga)(I) dated 16.2.2018 with immediate effect.

(f) The lead member shall be under an obligation to clear all government dues pending against the lead member on the date of application for such exit and, thus, the Administrative Department concerned shall ensure there are no outstanding dues, whatsoever, against the lead member on the date of such exit.]

(4) In case of,-
(i) company, certificate of incorporation;
(ii) in case of firm, certificate of registration; and
(iii) in case of partnership firm, partnership deed

shall be submitted along with the proposal.

79O.Power to call off the Project.- The Administrative Department concerned shall have the right to call off the project anytime during the process without assigning any reason to the Project Proponent, but it may call off the project before entering into an agreement with the Project Proponent or the successful bidder, as the case may be. Once an agreement is entered in to by the Administrative Department concerned, the respective clauses of the duly entered agreement shall apply. If the Administrative Department calls off the project in the manner as specified above, the same shall be exhibit by the Administrative Department on State Public Procurement Portal.]

CHAPTER VI

Code of Integrity

80. Code of integrity.- (1) All the officers or employees of the procuring entity shall,-

(a) maintain an unimpeachable standard of integrity both inside and outside their office;

(b) act in accordance with the provisions of the Act, these rules, guidelines issued under the Act and instructions;

(c) not allow any bidders to have access to information on a particular procurement, before such information is available to the public at large;

(d) not intentionally use unnecessarily restrictive or "tailored" specifications, terms of reference or statements of work that can discourage competition;

(e) not solicit or accept any bribe, reward or gift or any material benefit of any directly or indirectly promise of future employment from anyone, who has sought or is seeking procurement from the procuring entity;

(f) not have a financial interest in any bidder(s) responding to a procuring entity's bidding process and any person having financial interest in any bidder shall not participate in that procurement process;

(g) not disclose proprietary and source selection information, directly or indirectly, to any person other than a person authorised to receive such information;

(h) treat all bidders in a fair and equitable manner in line with the principle of fairness, integrity and transparency in the procurement process;

(i) provide all bidders identical information at the same time, during the bidding process;

(j) apply the same criteria of evaluation as specified in the bidding documents, bidder registration documents or pre-qualification documents and under no circumstances new evaluation criteria shall be introduced during the evaluation process;

(k) not entertain any favour, recreation, presents, services, etc. from the bidders or prospective bidders;

(l) protect the interests of the procuring entity under all circumstances while dealing with information and information sources;

(m) maintain confidentially of all bids;

(n) ensure that the selection of bidder is as per the bidding documents and is not influenced by personal reasons attributable to concerned officials in any manner; and

(o) disclose conflict of interest, if any.

(2) Any person participating in procurement process shall,-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit information that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, bid rigging or anticompetitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

81. Conflict of interest.- (1) A conflict of interest for procuring entity or its personnel and bidders is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(2) The situations in which a procuring entity or its personnel may be considered to be in conflict of interest includes, but not limited to, following:-

(a) A conflict of interest occurs when procuring entity's personnel's private interests, such as outside professional or other relationships or personal financial assets, interfere or appear to interfere with the proper performance of its professional functions or obligations as a procurement official.

(b) Within the procurement environment, a conflict of interest may arise in connection with such private interests as personal investments and assets, political or other outside activities and affiliations while in the service of the procuring entity, employment after retirement from the procuring entity's service or the receipt of a gift that may place the procuring entity's personnel in a position of obligation.

(c) A conflict of interest also includes the use of procuring entity's assets, including human, financial and material assets, or the use of procuring entity's office or knowledge gained from official functions for private gain or to prejudice the position of someone procuring entity's personnel does not favour.

(d) A conflict of interest may also arise in situations where procuring entity's personnel is seen to benefit, directly or indirectly, or allow a third party, including family, friends or someone they favour, to benefit from procuring entity's personnel's actions or decisions.

(3) A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:-

(a) they have controlling partners in common;

(b) they receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;

(c) they have the same legal representative for purposes of the bid;

(d) they have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another;

(e) A bidder participates in more than one bid in the same bidding process. However, this does not limit the inclusion of the same sub-contractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or

(f) A bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the subject matter of procurement of the bidding process. All bidders shall provide in Qualification Criteria and Biding Forms, a statement that the bidder is neither associated nor has been associated directly or indirectly, with the consultant or any other entity that has prepared the design, specifications and other documents for the subject matter of procurement or being proposed as Project Manager for the contract.

82. Breach of code of integrity by the bidder.- Without prejudice to the provisions of Chapter IV of the Act, in case of breach of any provision of the code of integrity by a bidder or prospective bidder, as the case may be, the procuring entity may take appropriate action in accordance with the provisions of subsection (3) of section 11 and section 46.

CHAPTER-VII

Appeals

83. Form of Appeal.- (1) An appeal under sub-section (1) or (4) of section 38 shall be in Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(2) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(3) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

84. Fee for filing appeal.- (1) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(2) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank payable in the name of Appellate Authority concerned.

85. Procedure for disposal of appeal.- (1) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(2) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(a) hear all the parties to appeal present before him; and

(b) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(3) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(4) The order passed under sub-rule (3) shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

86. Repeal and savings.- All rules, regulations, orders, notifications, departmental codes, manuals, by-laws, official memoranda or circulars relating to procurement of goods, services or works provided for in these rules, which are in force on the date of commencement of these rules, in relation to the matter covered by these rules are hereby repealed to the extent they are covered by these rules:

Provided that such repeal shall not affect the previous operation of rules, regulations, orders, notifications, departmental codes, manuals, by-laws, official memoranda or circulars, so repealed and the procurement process commenced before the commencement of these rules shall continue as per the provisions of rules, regulations, orders, notifications, departmental codes, manuals, by-laws, official memoranda or circulars, so repealed.

FORM No. 1
[See rule 83]
Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ………of ……………
Before the …………………………(First / Second Appellate Authority)
1. Particulars of appellant:
    (i) Name of the appellant:
    (ii) Official address, if any:
    (iii)Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
    (i)
    (ii)
    (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………......(Supported by an affidavit)
7. Prayer:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………
Place …………………………………….
Date ……………………………………

Appellant's Signature

[1][FORM No. 2
(See rule 79 D)
Certificate to be furnished by Project Proponent

It is hereby certified that:

1. The__________________(Name of project) has been submitted by the undersigned as the duly authorised representative of_________________(Name of Project Proponent) under the Swiss Challenge Method.
2. The Project Proponent will support fair competition through open bidding process to obtain the most advantageous bid.
3. The Project Proponent agrees to the standard project structure, bidding documents, concession agreement similar to other projects in the sector as decided by the Administrative Department / Government of Rajasthan.
4. The Project Proponent agrees to abide by the Regulatory Authority, as and when formed by the Government of Rajasthan or through law.
5. The Project Proponent agrees that the cost of preparation of DPR, as decided by the Administrative Department, shall be reimbursable to the project proponent as provided in Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013.
6. The Project Proponent agrees that the Administrative Department concerned has the right to call off the project anytime during the process without assigning any reason, but the Administrative Department may call off the project before entering into an agreement with the project proponent or the successful bidder, as the case may be.
7. The Project Proponent is technically and financially competent to handle the project implementation for which the proposal has been submitted.
8. The Project Proponent understands and agrees that if the project proponent fails to submit the Detailed Proposal/DPR within the time given by the Administrative Department for the same, then, the Administrative Department may at its discretion exercise the option to develop the project on its own, through its agencies or through any third party, without the Project Proponent having any claims, whatsoever.
9. The Project Proponent agrees to abide by the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 and Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013.
10. That the above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Dated:

(Signature,
Name and Designation of
Authorised Representative of
Project Proponent)

1. Added New Form No. 2 to 8 by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 5.6.2015, published in Rajasthan Gazette Ext.Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 5.6.2015 effective from 5.6.2015.

FORM No. 3
(See rule 79D)
Details of Proposal by Project Proponent

Name of the Project Proponent:
Name of the Project:

S. No.	Description	Yes / No (wherever applicable)	Particulars	Reference/ Form
1.	**General Information on the Project:**			
1.1	Define/Brief the Project Proposal			
1.2	Explain the uniqueness of the project i.e. the reasons for its being unique.			
1.3	Characteristics of the Project			
1.4	Cost of the Project and Other Details			
1.5	State whether the letter has been submitted by the project proponent adhering the conditions of the Swiss Challenge Method			
2.	**Assessment of Need of the project**			
2.1	Nature of intended use			
2.2	Justification of need			
3.	**Details on technology (applicable in case of new technology)**			
3.1	Details of technology used for the project			
3.2	Is the technology proprietary?			
3.3	(a) Why should govt. go for this technology only?			
	(b) What if sourcing of another technology has to be made in future during the life of the project for any reason?			
4.	**Need for Govt. Support**			

4.1	State the type of govt. support required, if any, and why?			
4.2	Will the proponent be able to raise necessary funds & equity to undertake the project? (State how)			
5.	**Eligibility of the proponent to undertake the project**			
5.1	Is proponent planning to undertake the project on its own or through a consortium to meet the technical, financial and technological needs? Please Elaborate.			
6.	**Prefeasibility report**			
6.1	Has the proponent conducted prefeasibility / feasibility DPR (state the position/information)?			
6.2	State whether the preliminary financial viability of the project has been done.			
6.3	State whether the proponent shall undertake all the studies which are required for development of the project to take it to the bidding phase within the timeframe specified in these rules.			
7.	**Project Structure & Output**			
7.1	Whether the model (BOOT, BOT etc.), concession period, if any, been mentioned in the report?			
7.2	Service/ Output levels (Specify if applicable)			
8.	**Project Financials**			
8.1	User Fee, Tariff/ fares(Specify) and their variation with time			

8.2	Provide all IRR details and provide NPV of the project from income from operations and other forms.			
9.	**Clearance / Approvals**			
9.1	State whether the environmental assessment is required for the project			
9.2	State whether the project proponent has mentioned all related approvals (Statutory or otherwise) required for the project.			
10.	**Qualifications of project proponent**			
10.1	State whether the proponent has the technical competence for undertaking the Project? If yes, how?			
10.2	State whether the proponent has the financial competence for undertaking the Project? If yes, how?			
10.3	Any other, if any			
11.	**Any other**			
11.1	Any other item/ observation which the proponent feels additionally relevant to mention.			
11.2	Whether the project proponent agrees to come under the regulatory authority as and when formed by the Govt. or through law?			
11.3	Is this a conditional proposal? Please specify.			

Note:

1. While preparing this Form, the placement of relevant references in the proposal have been indicated above.

2. Appropriate response to queries in Yes/ No, where applicable, has been given and details, as required, have been elaborated under 'Particulars' column.

3. It is agreed that the above form could be modified or additional information sought by the Administrative Department concerned at any time in future.

4. The above Form is provided in signed hard copy and also in soft copy.

Signature of the Head of the Organization
/ Agency (Project Proponent)
with Stamp and Date

FORM No. 4
(See rule 79D)
Content of pre-feasibility report

1. Introduction
    (i) Project formulation
    (ii) Aim, objective & methodology

2. Sector Profile
    (i) Industry overview with regional specific profile
    (ii) Key Issues

3. Market Assessment
    (i) Industry outlook
    (ii) Demand assessment
    (iii) SWOT analysis
    (iv) Case studies

4. Project Concept
    (i) Project description
    (ii) Explanation of need and uniqueness of the project
    (iii) Project components
    (iv) Site location and analysis
    (v) Development Needs, Public needs & Planning considerations

5. Statutory & Legal Framework
    (i) Applicable laws
    (ii) Applicable policies

6. Environmental & Social Impacts
    (i) Environmental Impacts
    (ii)Social Impacts
    (iii) Project related approvals/clearances

7. Project Financials
    (i) Cost Estimation
    (ii) Revenue Stream, IRR etc.
    (iii) Viability Assessment

8. Operation Framework
    (i) Risk identification and mitigation
    (ii) Indicative Project Structure
    (iii) Indicative Qualification & selection Criteria
    (iv) Option analysis to finalize the PPP model (if applicable)

9. Way Ahead
    (i) Any additional funding required from the government
    (ii) Govt. obligations for development
    (iii) Project Development Framework

10. Any other approvals (statutory or otherwise) required from any authority

11. Form:
    (i) Site map,
    (ii) Indicative Layout/Concept Plan

FORM No. 5
(See rule 79D)
Contents of Detailed Project Report

1. Executive Summary
2. Project profile
   (i) Project objectives
   (ii) Project sponsors
   (iii) Project location
3. Proposed business profile
   (i) Product mix
   (ii) Estimated production and investments
4. Market analysis
   (i) Current scenario
   (ii) Demand assessment
   (iii) Strategies
   (iv) Growth drivers
   (v) SWOT analysis
5. Establishing the need of the project
   (i) Detailed explanation of uniqueness of the project
   (ii) Demonstration of Public Need
   (iii) Demonstration of being in compliance with plans of department
   (iv) Demonstration of no conflict with any departmental scheme which provides the same service
6. Policy support and activities
   (i) Government initiatives
   (ii) Special government schemes
   (iii) Policy packages
7. Land and site analysis
   (i) Site location
   (ii) Land ownership and land cost
   (iii) Geographical conditions
8. Proposed master plan, technical specifications & project cost estimates
   (i) Utility relocation plan
   (ii) Engineering surveys and investigations
   (iii) Layout plans and drawings
   (iv) Proposed common infrastructure, facilities etc.
   (v) Design criteria and spatial requirements
   (vi) Preparation of BOQ
   (vii) Technical parameters, specifications and drawings
   (viiii) Cost estimates of the project
9. Project means of finance & financial appraisal
   (i) Means of financing
   (ii) Appraisal framework and objectives
   (iii) Financial projections
   (iv) Value for Money analysis (if applicable)
10. Identification of risks
   (i) Risk identification
   (ii) Risk allocation and mitigation techniques
11. Economic benefits of the project
12. Environment assessment (if applicable)
   (i) Environmental impact assessment
   (ii) Social assessment
   (iii) Project related approvals

13. Project structure and implementation schedule
    (i) Framework for project implementation
    (ii) Contractual framework
    (iii) Role of project consultant and project proponent
    (iv) Model concessionaire agreement
14. Project operation and maintenance
    Operation and maintenance framework
15. Any other approvals (statutory or otherwise) required to be taken from Government of Rajasthan / Government of India/any other authority.
16. List of Forms (To be submitted as applicable)
    (i) Memorandum and articles of association
    (ii) List of participating entrepreneurs
    (iii) Land documents (if any)
    (iv) Draft shareholders agreement
    (v) Draft leave and license agreement
    (vi) Draft procurement process
    (vii) Any other documents as required by the Administrative Department concerned.

FORM No. 6
(See rule 79E)
Submission of detailed and comprehensive proposal by Project Proponent
(in Hard Copy and Soft Copy)

S.No.	Item	Response	Ref. /Form
1	General		
1.1	Name of the Project		
1.2	Type of PPP (BOT, BOOT, BOLT, OMT etc.), if applicable		
1.3	Location (State/District/Town)		
1.4	Administrative Department concerned		
1.5	Name of the Implementing Agency/Proponent		
1.6	Concession Period		
2	Project Description		
2.1	Brief description of the project		
2.2	Justification for the project (Need)		
2.3	Possible alternatives, if any		
2.4	Estimated capital costs with break-up under major heads of expenditure. Also indicate the basis of cost estimation.		
2.5	Investment phasing		
2.6	Project Implementation Schedule (PIS)		
3	Financing Arrangements		
3.1	Sources of financing (equity, debt etc.)		
3.2	Indicate the revenue streams of the Project (Annual flows over project life). Also indicate the underlying assumptions.		
3.3	Indicate the NPV of revenue streams		
3.4	Tariff/ user charges? Please specify in detail.		
3.5	Have any FIs been approached? If yes, their response may be indicated		
3.6	Value for Money Analysis		
4	Internal Rate of return (IRR)		
4.1	Economic IRR (if computed		

4.2	Financial IRR, indicating various assumptions (attach separate sheet if necessary)		
5	Clearances		
5.1	Status of environmental clearances		
5.2	Clearances/approvals (statutory or otherwise) required from Government of India, State Government and other authorities/local bodies		
5.3	Other support required from the State Government		
6.	Support from Govt. of Rajasthan		
6.1	Viability Gap Funding, if required		
6.2	Govt. of Rajasthan guarantees being sought, if any		
7.	Concession Agreement		
7.1	Is the Concession Agreement based on MCA? If yes, indicate the variations, if any, in a detailed note (to be attached)		
7.2	Details of Concession Agreement (To be attached along with the submission)		
8.	Others		
8.1	Remarks, if any		

1. While preparing this format, the placement of relevant references / Form in the detailed proposal has been mentioned as above.

2. It is agreed that the above format could be modified or additional information sought by the Administrative Department concerned at any time in future.

3. The above Form is provided in signed hard copy and separately in soft copy also.

Signature of the Head of the Organization (Project Proponent)
with date and stamp

FORM No. 7
(See rule 79E)
Project Financial Summary

S.No.	Item	Response
1	General	
1.1	Name of the Project	
1.2	Type of PPP (BOT, BOOT, BOLT, OMT etc.), if applicable	
1.3	Capacity of the Project	
1.4	Concession Period	
2	Project cost	
2.1	Land cost	
2.2	Building cost	
2.3	Plant & Machinery cost	
2.4	Operation & maintenance cost	
2.5	Other Costs if any	
3	Financing Arrangements	
3.1	Financing Structure (% of equity and debt)	
3.2	Interest on debt (Assumed)	
3.3	Is any financial support from GoR required?	
4	Revenue streams for each Concession Year	
4.1	Revenue from Tariff.	
4.2	Revenue from Advertising	
4.3	Other Revenue Streams	
4.4	Indicate the NPV of revenue streams with 12% discounting	
5	IRR	
5.1	Economic IRR (if computed)	
5.2	Equity IRR	
5.3	Project IRR	
6	Other remarks, if any	

Excel sheet format to be provided for yearwise information (as applicable) for the concession period.

Signature of the Head of the Organization
(Project Proponent)
with date and stamp

FORM No. 8
(See rule 79E)
Check List for submission of documents
(in Hard copy and Soft copy)

S. No.	Documents to be Submitted	Applicable (Y/N)	Submitted Hard Copy (Y/N)	Submitted Soft Copy (Y/N)
1.	Covering Letter from Head of the Organization			
2.	Detailed Project Report			
3.	Project Information Memorandum			
4.	Earnest Deposit & Bid Value			
5.	Draft Concession Agreement and if any changes have been undertaken with respect to the MCA			
6.	Documents relating to any issues on various clearances/ Land Acquisition			
7.	Details of any Policy Changes Required for implementation (if any)			
8.	Project implementation schedule			
9.	Details for any other support required during implementation			

Signature of the Head of the Organization
(Project Proponent)
with Stamp and date"

FINANCE (G&T) DEPARTMENT
NOTIFICATION*

No.F.1(8)/FD/GF&AR/2011 **Jaipur, September 4, 2013**

S.O. 135.-In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 32 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that it is necessary for,-

(i) the socio-economic policies of the Central or the State Government;

(ii) utilisation of resources and expertise of the departments and enterprises of the Central Government or the State Government; and

(iii) saving the time, money and efforts of the procuring entities required in inviting and processing of bids individually,

hereby notify that the preference shall be given by the procuring entities to the category of bidders specified in column number 3 of the table given below for procurement of subject matter specified in column number 2 of the said table against each of them on the conditions mentioned in column number 4 and general conditions mentioned below the said table, namely:-

TABLE

S. No.	Subject matter of Procurement	Sources/ Category of bidders	Conditions/ Remarks
1	2	3	4
1.	(a) Professional services rendered by Academic Institutions like recruitment examination, DPR, Survey, Study, Training Workshop etc.	[3][Central University, University established by Govt. of Rajasthan accredited by U.G.C. Act, 1956 u/s 2F including their constituent colleges or their affiliated Government Colleges, National Institute of Technology (NIT's), Indian Institute of Technology (IIT's), Indian Institute of Management (IIM's), National Law University (NLU) Jodhpur, Rajasthan Knowledge Corporation Ltd. (RKCL)]	-
	(b) Professional skill development training for employment	[1][Rajasthan Skill and Livelihoods Development Corporation (RSLDC), National Institute of Fashion Technology (NIFT), Footwear Design and Development Institute (FDDI) and Centre for Entrepreneurship and Small Business Management (CESBM)]	-
	[2][(c) Organization of training programs,workshops etc. for officers/officials of the Government.	1. Indira Gandhi Panchayati Raj and Grameen Vikas Sansthan, Jaipur 2. Rajasthan Institute of Cooperative Education & Management (RICEM), Jaipur 3. Centre for Management Studies (CMS), Jaipur. [4][4. Public Financial Management Training Society, Jaipur.] [5][5. Constitution Club of Rajasthan.]	The rates of the organization of the training programs, workshops etc. shall be decided by the Administrative Department of the Society concerned with concurrence of the Finance Department.]

* Published in Rajasthan Gazette E.O. Part 4(Ga)(II) dated 4.9.2013

1. Existing expression "Rajasthan Skill and Livelihoods Development Corporation (RSLDC)" substituted vide Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 15.11.2016 published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(II) dated 15.11.2016.
2. Added vide Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 27.12.2016 published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(II) dated 27.12.2016.
3. Substituted vide Notification No. F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 14.6.2021 published in Raj. Gazette EO Part 4 (Ga) (I) dated 14.6.2021 for - "Central University, University established by Govt. of Rajasthan accredited by U.G.C. Act, 1956 u/s 2F including their constituent colleges, National Institute of Technology (NIT's), Indian Institute of Technology (IIT's), Indian Institute of Management (IIM's), National Law University (NLU) Jodhpur, Rajasthan Knowledge Corporation Ltd. (RKCL)"
4. Added vide Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2022 dated 23.05.2022 published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(I) dated 23.05.2022.
5. Added vide Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2025 dated 14.08.2025 published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(I) dated 14.08.2025.

1	2	3	4
2.	Items on Rate Contract with Director General, Supplies & Disposals (D.G.S.&D.) of Government of India	DGS&D, Government of India or The firms holding DGS&D rate contract	1. Purchase order shall be placed on DGS&D by procuring entity including Direct Demanding Officers or a firm holding valid rate contract with the DGS&D on the date of placing order. 2. Preference will be given to the firms situated in Rajasthan, if there are any having DGS&D rate contract for the item to be procured. 3. Inspection of the item may be got conducted from the Jaipur branch of DGS&D for ensuring quality of the item procured.
3.	Goods and Services related to IT and e-Governance projects	Department of Information Technology and Communication/ RajComp Info Services Ltd./ National Informatics Centre/ National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI)	Departments of State Government will require administrative and technical sanction from competent authority.
4.	(a) Brass Ware (b) Hand printed or hand woven furnishing fabrics, napkins, curtains, tapestries (c) All articles required to be presented to V.I.Ps	RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD	The value of purchases shall not exceed [1][Rs.50,000/- in one transaction and Rs.5,00,000/- in a year.]

1. The expression "Rs.10,000/- in one transaction and Rs.1,00,000/- in a year" substituted vide Notification No. F.2(3) FD/ FR/ SPFC/2025 dated 29.10.2025, published in Rajasthan Gazette E.O. Part 4(Ga)(I) dated 29.10.2025.

1	2	3	4
	(d) Polythene bags, tents, tarpaulins and barbed wire (e) Iron & Steel	Rajasthan Small Industries Corporation Ltd. Rajasthan Small Industries Corporation Ltd.	[2][Rajasthan Small Industries Corporation Ltd. will charge service charge, which will be appropriately determined by the Industries Department and shall not exceed from 5%]. Provided the rates charged by the Rajasthan Small Industries Corporation are not more than the SAIL STOCK YARD prices.
	(f) Steel Furniture	Rajasthan Small Industries Corporation Ltd.	The Rajasthan Small Industries Corporation will supply the quality steel furniture after inviting open competitive bids from [1][Micro and Small Enterprises] with the following conditions :- (i) Rajasthan Small Industries Corporation will give the specifications which are required by the Departments and which need to be fulfilled by the manufacturer's and will also ensure their supply as per specification and quality. (ii) A standard recognised inspection agency of Rajasthan Small Industries Corporation shall inspect the quality of goods being supplied by them. (iii) The Administrative Department shall approve the rates. (iv) [3][Rajasthan Small Industries Corporation will charge service charge, which will be appropriately determined by the Industries Department and shall not exceed 5%.]

1. Substituted vide Notification No.F.2(3)FD/SPFC/2025 dated 18.08.2025, published in Rajasthan Gazette E.O. Part 4(Ga)(I) dated 18.08.2025 for - "Small Scale Industries".
2. The existing words "Rates will be as decided by Industries Department" substituted vide Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2025 dated 25.11.2025, published in Rajasthan Gazette E.O. Part 4(Ga)(I) dated 26.11.2025.
3. The existing words "The Rajasthan Small Industries Corporation will charge service charge which shall not be more than 3% or as specified by the Administrative Department" substituted vide Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2025 dated 25.11.2025, published in Rajasthan Gazette E.O. Part 4(Ga)(I) dated 26.11.2025.

1	2	3	4
	(g) Mosaic Cement Tiles, R.C.C. Cement Pipes, P.V.C. Wires and Cables and Room Coolers (Desert Type)	RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD	The rate will be decided by a committee after inviting open competitive bids from SSI Units and adding service charges @ 3 Percent. The Administrative Department shall approve the rates.
5.	Coal	Coal India Limited	-
6.	Fertiliser and Pesticides	RAJFED including its Kraya-Vikraya Sahakari Samities and Gram Sahakari Samities (who are the member of RAJFED) and IFFCO, KRIBHCO	The Kraya Vikraya Sahakari Samities and Gram Sahakari Samities will sell the fertilisers and pesticides at the rates not more than the rates notified by RAJFED.
7.	Seeds	Rajasthan State Seeds Corporation and in case of non-availability, from other State Seeds Corporation & its outlets	-
8.	Liquor/Spirit	[1][(i) Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd. (ii) Rajasthan State Beverages Corporation Ltd.]	-
[2][8A.	Hand Sanitizer	Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Limited	Item manufactured by the Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Limited]
[3][8B.	Sugar	Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.]	-
9.	Milk, Ghee, Cream and other products	Rajasthan Co-operative Dairy Federation and its shops	-
10.	(a) Uniform (cloth or stitched uniforms) : All kinds of Terry-coat (or poly-cloth) Suitings, Shirtings, Sarees, Peticot cloth, Turban etc.(for uniform only) (b) Bedding and Furnishing:	1. Rajasthan Rajya Bunkar Sahakari Sangh, R.S.H.D.C., Khadi Bhandar, N.T.C. 2. Amrita Society of Women and Child Development Department Rajasthan Rajya Bunkar Sahakari	(1) The Procuring Entity, in advance, will send their expected requirement, date of placing order and delivery schedule to RSHDC, Bunker Sangh, Khadi Bhandar, Amrita Society & NTC for production programming. (2) The rates and specification of the products shall be fixed by the Industries Department.

1. Substituted vide Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 06.04.2020, published in Raj.Gazette EO.Part 4(Ga)(II) dated 06.04.2020 for - (i) The Ganganagar Sugar Mills Limited. (ii) Raj. State Beverages Corpn. Ltd.

2. Inserted vide Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 06.04.2020, published in Raj.Gazette EO.Part 4(Ga)(II) dated 06.04.2020 and again substituted by dated 28.02.2024 for -

8A.	Hand Sanitizer	Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.	1. For management of COVID-19 pandemic only. 2. Item manufactured by RSGSM only.

3. Inserted vide Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 18.12.2020, published in Raj.Gazette EO.Part 4(Ga)(I) dated 18.12.2020.

1	2	3	4
	Bed-sheets, Draw-sheets, Khes, Blanket, Mattress, Quilt, Pillow and their covers and covers cloth, Table cover, Curtain cloth etc.	Sangh, R.S.H.D.C., Khadi Bhandar	In case of procurement from Amrita Society, the rates shall be fixed by Women and Child Development Deptt.
	(c) Floor covering: Dari, Dari Patti etc.	Rajasthan Rajya Bunkar Sahakari Sangh, R.S.H.D.C., Khadi Bhandar	(3) Centralised purchase is prohibited. Requirement of department can be procured through district level depot or nearby depot of Khadi Bhandar/ Bunkar Sangh/ RSHDC/ Amrita Society.
	(d) Other cloth items: Duster, Baste, Sponge Cloth, Turkish Towel, etc.	Rajasthan Rajya Bunkar Sahakari Sangh, R.S.H.D.C., Khadi Bhandar	
	(e) Gauge Bandage	Rajasthan Rajya Bunkar Sahakari Sangh, R.S.H.D.C.	
[1][11	(a) Security Arrangement	1. Rajasthan Police Department. 2. Rajasthan Home Guards Department. 3. Ex-Serviceman, through Rajasthan Ex-Serviceman Corporation Ltd. 4. Civil Defence Volunteer, through Rajasthan Civil Defence Department.	Rates shall be approved by the respective Administrative Department.]
	(b) Technical Services	Ex-Serviceman, through Rajasthan Ex-Serviceman Corporation Ltd.	
	(c) Non-Technical Services	1. Ex-Serviceman, through Rajasthan Ex-Serviceman Corporation Ltd. 2. Civil Defence Volunteer, through Rajasthan Civil Defence Department.	
12.	(a) National Flag and Khadi Cloth including Woollen Uniform	Khadi Bhandar	-

1. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2022 dated 15.6.2022, published in Raj.Gazetted E.O. Part 4(Ga)(I) dated 15.06.2022 for -

11.	(a) Security Arrangement	1. Rajasthan Police Department 2. Rajasthan Home Guards Department. 3. Ex-Serviceman, through Rajasthan Ex-Serviceman Corporation Ltd.	1. Rates for procurement from Rajasthan Police and Rajasthan Home Guards Department shall be approved by the administrative department.
	(b) Technical and other services	Ex-Serviceman, through Rajasthan Ex-Serviceman Corporation Ltd.	2.For procurement from Rajasthan Ex-Serviceman Corporation Ltd. rates shall be approved by their administrative department.

1	2	3	4
	(b) Steel Furniture	The Village Industrial Units registered with the Rajasthan Khadi & Village Industries Board	1. The Rajasthan Khadi & Village Industries Board will publish a list (every year on 1st April) showing the names of the registered Village Industrial Units and details of specification of steel items manufactured by them with the approved rates. 2.The Administrative Department shall, approve the rates. [1][3.Upto Rs.5.00 Lac in a financial year.]
13.	(a) (i) Drugs and medicines including Vaccines, Surgical, Sutures	Rajasthan Medical Services Corporation Ltd. (RMSCL) or Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Limited (RDPL) or Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited (IDPL)	-
	(ii) Medical equipment, instruments and other hospital supplies	Rajasthan Medical Services Corporation Ltd. (RMSCL)	-
	(b) Homeopathy Medicines	At the rates approved by the Director General, Central Government Health Scheme (CGHS)	-
	(c) Ayurvedic medicines which are not prepared by pharmacies of Ayurved Department	At the rates approved by the Director General, Central Government Health Scheme (CGHS). The Ayurved Department shall continue to prepare the medicines which are prepared by their pharmacies	-
	[2][(d) Artificial Limbs and Assistive Devices	From Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO)/Shree Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti (BMVSS)	Decision of the procurement shall be taken on the recommendation of the committee consisting of the following, namely:- (i) Secretary-in-Charge of the Administrative Department concerned - Chairperson, (ii) Head of Department of Department concerned - Member, and (iii) Senior Most Accounts Officer of the Department concerned - Member Secretary.]

1. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2022 dated 26.8.2022 for - "3. Upto Rs.2.00 Lac in a financial year.]
2. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 08.11.2024 for -

1	2	3	4
	"(d) Artificial Limbs and Assistive Devices	From Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO)	-"

1	2	3	4
14.	Edible Oil, Oil cake and Deoiled cake	Tilam Sangh, Rajasthan	-
15.	Cereals and pulses	RAJFED/ Rajasthan Food and Civil Supply Corporation Ltd./Food Corporation of India	-
[1][15 A	Agricultural Commodities	National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED)	Agricultural Commodities whose rates are fixed by the Government of India or by committee constituted by the Government of India. The rates to be charged by the NAFED shall not be more than the rates fixed by the Government of India or said committee, as the case may be.]
16.	Petrol, diesel, lubricants, furnace oil, LPG, oil	Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum, IBP, Bharat Petroleum	-
17.	Mercury	Minerals and Metal Corporation of India	-
18.	Leather Items	Bharat Leather Emporium or its retail shops - upto Rs. 1.00 lac per annum	-
19.	Iron & Steel	Stock yards of Steel Authority of India, Hindustan Steel	-
20.	Furnishing items like table covers, bed cover, sheets, towels napkins, curtain cloth and tapestries	Authorised shops of Handlooms of Government of India, Government of Rajasthan or other State Governments upto Rs. 1.00 lac per annum	-
21.	Jute carpets and doormats	Coir Board of Government of India	-
22.	Drawing, Survey and other Mathematical Instruments	National Instrument Company Limited, (Survey of India Department, Kolkata)	-
23.	(a) Items of Groceries, Controlled commodities and Medicines	Retail shops of Rajasthan State Co-operative consumer Federation (CONFED) or Sahakari Wholesale Upbhokta Bhandars	1.The Sahakari Wholesale Upbhokta Bhandars should be authorised wholesaler of articles and/or receive its supplies from the original manufacturers/producers

1. Inserted by Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 17.3.2021, published in Raj.Gazetted EO Part 4(Ga)(I) dated 17.3.2021.

1	2	3	4
		under Consumer Federation (CONFED), Uphar, Samaridhi, Super Bazar, New Delhi	directly and a certificate to this effect shall be recorded on each bill/ cash memo. 2.In case of items of groceries, the powers are primarily meant for casual requirements and petty purchases. For bulk and regular purchases, procuring entity shall negotiate the rates through purchase committee before placing the orders. Market Rates for items of similar brands shall be kept in view while making bulk purchases. 3. Purchases of medicines shall be restricted to casual requirements only. In case of bulk purchases, purchases shall be made directly from Government Undertakings, manufacturers, etc.
	(b) Stationery articles	Retail shops of Rajasthan State Co-operative Consumer Federation (CONFED) & Sahakari Wholesale Upbhokta Bhandars under Consumer Federation (CONFED) Uphar, Samridhi, Super Bazar, New Delhi, Amrita Society of Women and Child Department	Upto Rs.10,000/- on each occasion with an annual limit of Rs.1.00 lac.
	(c) Phenyl, soaps, detergents, brooms, finit, pump, tumblers, battery cells, torch, mugs, buckets, bags, toilet freshner, washing powder, cleaning powder, etc.	Retail shops of Rajasthan State Co-operative Consumer Federation (CONFED) & Sahakari Wholesale Upbhokta Bhandars under Consumer Federation (CONFED) Uphar, Samridhi, Super Bazar, New Delhi, Amrita Society of Women and Child Department	Upto Rs.10,000/- on each occasion with an annual limit of Rs.50,000/-

1	2	3	4
24.	The Harvested and converted material of forest namely, fire wood, Char-coal, Timber, Ballies and other wooden articles	Forest Department (State Trading Scheme)	-
25.	(a) Articles manufactured e.g., Duster, Patties, Gauge cloth, Basta, Tape, curtain cloth, Niwar cloth, carpet, Duries, etc.	Department of Government (like Jail Department, etc.)	-
	(b) Desert Coolers	Manufactured by Central Jails of the State on the rates approved by the Director General Jails, Jaipur	-
26.	Vaccine, Frozen Semen, Lymph and antigen	Approved Government Institutions like State Vaccine Institute, Patwadnagar etc.	-
27.	File covers, File pads, Envelopes, Greeting Cards, Chalk sticks, Candles, Dusters, Bastas	From the institutions where these items are made by mentally challenged or specially abled person	The list of such institutions and items produced by the mentally challenged or specially abled person and rates thereof shall be issued by the Administrative Department on 1st April every year. The validity of such list shall automatically stand expired on 31st March every year, if not expired earlier.
28.	Animals and birds feed and fodder	RAJFED/Rajasthan Co-operative Dairy Federation	-

1	2	3	4
29.	Pictures and Paintings	From exhibitions or displays	Through Purchase Committee including representative of Rajasthan Lalit Kala Academy.
30.	Books and journals:		In case more discount than the minimum as mentioned against each item is available, it should be availed.
	(i) (a) Foreign Books :	From publishers, reputed book sellers, book fairs	At minimum discount of 10% on the price converted as per prescribed rates or at lower rates in Indian Currency.
	(b) Foreign Medical Books/ Journals/ Periodicals including e-journals	From publishers, reputed book sellers, book fairs	Discount may be availed, if possible.
	(ii) Indian Book : (a) Text Books	From publishers, reputed book sellers, book fairs	Discount may be availed, if possible.
	(b) Books other than Text Books	From publishers, reputed book sellers, book fairs	At minimum 10% discount
	(iii) Law Books/ Publication of Government of India and other States/ Periodicals	From publishers, reputed book sellers, book fairs	Discount may be availed, if possible.
	(iv) Rare Books/Manuscripts/ Rare Documents	From publishers, reputed book sellers, book fairs	Through Purchase Committee.
	(v) e-Books, CD/DVD , e-Journals	From publishers, reputed vendors.	Discount may be availed, if possible.
	(vi) Periodicals and news papers	From publishers, reputed vendors	Discount may be availed, if possible.
31.	Films/photography material	Upto Rs. 50,000/- from the manufacturers or their authorised dealers.	-

1	2	3	4
[1][32.	(1) In Circuit Houses, Guest Houses, Rajasthan House, Vishranti (HCM RIPA) Tribal Area Development Hostels/Schools and Social Justice & Empowerment Department Hostels, Residential Schools, Mahila sadans/Nari Niketans, [2][Oldage Homes, Jails, Sub-Jails, Hospitals, Rescue Homes, Shelters, After Care Homes, Police Mess etc.] (a) Catering stores like pulses, spices, sugar, salts, atta, wheat, besan, maida, suji, grams, dry fruits, papad, mangodi, oil, vansapati, bottled and tin provisions like Murrabba, Amla product, ketchup, squashes, sharbat, tea, coffee, biscuits, jams, pickels, paper napkins, toilet paper, sauces, cornflakes, etc. (b) Dairy products like milk, powder, curd, cheese, butter, ghee, cream	Purchase shall be made as under :- (a)1.From shops of Departments/ Corporations/ Co-operative Societies/ Societies run by the State Government, Amrita Society of Women & Child Department through their shops 2.From Rajasthan Food & Civil Supplies Corporation Ltd. (b) From Co-operative Dairies	1. In case of stores purchased from Upbhokta Bhandars in co-operative sector for Tribal Area Development Department hostels and Tribal Area Development Department schools in Rajasthan, Commissioner, Tribal Area Development Department and for Social Justice & Empowerment Department Hostels, Residential Schools, Mahila sadans/Nari Niketans, Oldage Homes etc. Commissioner/Director, [3][Social Justice & Empowerment Department and the procuring entities ofJails, Sub-Jails, Hospitals, Rescue Homes, Shelters, After Care Homes, Police Mess shall negotiate] the the rates through purchase committee before placing the orders of above stated items from them. 2. Purchase shall be made through purchase committee.]

1.Substituted vide Notification No.F.2(1)FD/GF&AR/2017 dated 18.12.2018, published in Raj.Gazette EO.Part 4(Ga)(I) dated 18.12.2018 for -

1	2	3	4
"32.	*(1) Circuit Houses, Guest Houses, Rajasthan House, Vishranti (HCM RIPA) TAD Hostels/Schools etc.* *(a) Catering stores like pulses, spices, sugar, salts, atta, wheat, besan, maida, suji, grams, dry fruits, papad, mangodi, oil, vansapati, bottled and tin provisions like Murrabba, Amla product, ketchup, squashes, sharbat, tea, coffee, biscuits, jams, pickels, paper napkins, toilet paper, sauces, cornflakes, etc.* *(b) Dairy products like milk, powder, curd, cheese, butter, ghee, cream* *(c) Fuel like wood, LPG, Coal etc.* *(d) Meat, Fish, eggs, chicken* *(e) Vegetables, fruits* *(f) Breads/Sweet*	*Purchase shall be made as under :-* *(a)1.From shops of departments/ Corporations/ Co-operative Societies/ Societies run by the State Government, Amrita Society of Women & Child Department through their shops* *2.From Rajasthan Food & Civil Supplies Corporation Ltd.* *(b) From Co-operative Dairies* *(c) From Distributors/ Sub-distributors at their current price list. Charcoal and fire wood from the Forest Department* *(d) From Dealers/sub-dealers* *(e) From Consumer Stores of State level Co-operative Societies, Delhi Super Bazar/ Established /reputed retailers/ dealers* *(f) From Established/ reputed retailers/ dealers*	*1. In case of stores purchased from Upbhokta Bhandars in co-operative sector for TAD hostels and TAD schools in Rajasthan, Commissioner TAD shall negotiate the rates through purchase committee before placing the orders of above stated items from them.* *2. Purchase shall be made through purchase committee."*

2. Existing expression "Oldage Homes etc." shall be substituted by the expression "Oldage Homes, Jails, Sub-Jails, Hospitals, Rescue Homes, Shelters, After Care Homes, Police Mess etc." by Notification No. F.2(1)/FD/G&T-SPFC/2017 dated 25.1.2022, published in Rajasthan Gazette E.O. Part 4 (Ga) (I) dated 25.1.2022.
3. Existing expression "Social Justice & Empowerment Department shall negotiate" shall be substituted by the expression "Social Justice & Empowerment Department and the procuring entities ofJails, Sub-Jails, Hospitals, Rescue Homes, Shelters, After Care Homes, Police Mess shall negotiate" by Notification No. F.2(1)/FD/G&T-SPFC/2017 dated 25.1.2022, published in Rajasthan Gazette E.O. Part 4 (Ga) (I) dated 25.1.2022.

1	2	3	4
	(c) Fuel like wood, LPG, Coal etc.	(c) From Distributors/ Sub-distributors at their current price list. Charcoal and fire wood from the Forest Department	
	(d) Meat, Fish, eggs, chicken	(d) From Dealers/sub-dealers	
	(e) Vegetables, fruits	(e) From Consumer Stores of State level Co-operative Societies, Delhi Super Bazar/ Established /reputed retailers/ dealers	
	(f) Breads/Sweet	(f) From Established/ reputed retailers/ dealers	
	(2) [1][Deleted]		
33.	Printing Work (Black & White and Coloured Printing) and purchases of stationery articles	All Government Presses of Rajasthan	The rates shall be approved by the Administrative Department.

1. Existing item (2) and entries relating thereto in column (3) deleted by Notification No. F.2(1)/FD/G&T-SPFC/2017 dated 25.1.2022, published in Rajasthan Gazette E.O. Part 4 (Ga) (ı) dated 25.1.2022 -

1	*2*	*3*	*4*
32.	*"(2) Jails, Sub-Jails, Hospitals, Rescue Homes, Shelters, After Care Homes, Police Mess, etc.*	*Open competitive bids shall be invited as per Rules. If the rates received in bids are considered unusually higher than purchases may be made from Upbhokta Bhandar/ Co-operative Societies/Stores by negotiations at the rates lower than the tendered rates or in case of their not agreeing, the purchases may be made in the manner provided in clause (1) above after recording reasons*	*-"*

1	2	3	4
34.	Printing Work (Black & White and Coloured Printing)	From Rajasthan State Cooperative Press Limited	1. The rates shall be approved by the Administrative Department of Printing and Stationery. 2. In case the paper is not supplied by the procuring entity then the cost of paper charged by the RSCPL should not be more than 10% extra on their purchase cost. 3. The State Co-operative Press will be responsible to give complete paper account with invoice of printing. 4. Quality and G.S.M. of paper can be inspected by the procuring entity at any time in the State Cooperative Press.
35.	Repairs and maintenance (including AMC) of Machinery, Equipments used for Office and others, including providing of spare parts	Through the manufacturers or distributors or authorised dealers after negotiating the rates	-
36.	Repairs and maintenance of Motor Vehicles including spare parts	1. From the State Motor Garages located in Rajasthan or in departmental workshop, if such workshop have adequate facility and capacity to handle such repairs without affecting their own job 2. In case Motor Garages or departmental workshops do not provide such facility, repairs and maintenance shall be got done from the authorised dealers 3. In case there is no authorised dealer, repairs and maintenance will be done from established mechanics having well equipped workshops by using appropriate method of procurement prescribed in the Act	Spare parts shall always be purchased from the authorised dealers after negotiating the rates.
37.	Taking of private land and/or buildings on rent for office and other purposes	From appropriate source	At the rent fixed as per assessment of Public Works Department after obtaining non-availability certificate from the concerned Collector or GAD in case of Jaipur.

1	2	3	4
[1][38	Any goods produced or manufactured or any specialised services provided by a departments/ boards of any State or Central Government or a Government Company or a company owned or controlled, directly or indirectly, by the Central Government, or by any State Government or Governments, or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments which is subject to audit by the Auditor appointed by the Comptroller and Auditor-General of India under sub-section (5) or (7) of section 139 of the Companies Act, 2013 or Autonomous bodies, Registered Societies, Cooperative Societies which are owned or controlled or managed by any State Government or Central Government.	Departments/ boards of any State Government or Central Government or Government Company or company owned or controlled, directly or indirectly, by the Central Government, or by any State Government or Governments, or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments which is subject to audit by the Auditor appointed by the Comptroller and Auditor-General of India under sub-section (5) or (7) of section 139 of the Companies Act, 2013 or Autonomous bodies, Registered Societies, Cooperative Societies which are owned or controlled or managed by any State Government or Central Government, which produces or manufactures the subject matter of procurement or provides specialised services.]	-
[2][39.	Purchase of motor vehicles	1. From DGS&D rate contract holding firms, 2. If a DGS&D Rate Contract is not in existence at the time of purchase, then procurement shall be done from an authorised dealer	The make and model of the motor vehicle will be decided by the State Government as per its policy and purchase of Motor Vehicles (including Electric Motor Vehicle) on the rates and terms and conditions fixed by the Finance Department, from time to time.]

1.Substituted vide Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 16.9.2015, published in Raj.Gazette EO.Part 4(Ga)(I) dated 17.9.2015 for -

"38.	Any subject matter of procurement which is produced or manufactured by a department, board, or public sector enterprise of the State or Central Government or it provides specialised services	Department, board, or public sector enterprise of the State or Central Government which produces or manufactures the subject matter or provides specialised services"	-

Item 38 again substituted by Notification No.F.2(1)/FD/G&T(SPFC)/2017 dated 6.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(II) dated 6.8.2018 for -

"38	Any goods, produced or manufactured, or any specialised services provided by a department, board, or public sector enterprise of any State Government or Central Government.	Department, board, or public sector enterprise of any State or Central Government which produces or manufactures the subject matter or provides specialised services."	-

2. Substituted by Notification No.F.2(1)/FD/G&T(SPFC)/2017 dated 6.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(II) dated 6.8.2018 -

"39.	Purchase of motor vehicles	1. From DGS&D rate contract holding firms 2. If a DGS&D Rate Contract is not in existence at the time of purchase, then procurement shall be done from an authorised dealer	The make and model of the motor vehicle will be decided by the State Government as per its policy."

1	2	3	4
40.	Electronic, electrical and solar equipments and consultancy services related to them	From Rajasthan Electronics & Instruments Limited (REIL) for items manufactured by them	-
41.	Drugs, medicines, surgical, sutures and services related to animals	Veterinary Corporation of Rajasthan or related PSU's of Central Government	-
[2][42.	Hiring of motor vehicles	From any source fulfilling the eligibility criteria fixed by the Finance Department	Hiring of Motor Vehicles (including Electric Motor Vehicle) on the rates and terms and conditions fixed by the Finance Department, from time to time.]
43.	[1][Deleted]		
44.	[3][Deleted]		
[3][44A	Procurement of works or services by Local Bodies	Nagar Palikas, Nagar Parishads, Nagar Nigams and/or their respective Committees as Executive Agencies	Upto the respective BSR rates for : (a) Labour (b) Material incidental to the works concerned.]
45.	Procurement of works or services by Forest Department	From Village Forest Societies	Upto the respective BSR rates.
46.	Procurement of works, services or goods related to Schemes/Projects/ Works being implemented by Tribal Area Development Department	From Sanitation, Water and Community Health Project (SWACH)	-

1. Deleted vide Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 25.4.2018. for -

"43.	Hiring of computer with operator	From any source fulfilling the eligibility criteria fixed by the Finance Department	Upto the rates and on the terms and conditions set out by Finance Department from time to time."

2. Substituted by Notification No.F.2(1)/FD/G&T(SPFC)/2017 dated 6.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(II) dated 6.8.2018 for -

"42.	Hiring of motor vehicles	From any source fulfilling the eligibility criteria fixed by the Finance Department	Upto the rates and on the terms and conditions set out by Finance Department. from time to time."

3. Existing item 44 Sub. and 44A added vide Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 11.1.2016 published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(I) dated 12.1.2016 for -

"44.	Procurement of works or services by Panchayat Raj Institutions or Local Bodies	From Executing Agencies	Upto the respective BSR rates."

3. Existing item 44 deleted vide Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 02.09.2016 published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(I) dated 02.09.2016 for -

[44.	Procurement of works or services by Panchayati Raj Institutions	Gram Panchayats, Panchayat Samitis, Zila Parishads and/or their respective Committees as Executive Agencies	Upto the respective BSR rates for : (a) Labour (b) Material incidental to the works concerned]

1	2	3	4
47.	Hiring of Consultancy Services	[1][From any of the following: 1. Rajasthan State Road Development Corporation (RSRDC) 2. WAPCOS, a public sector enterprise under the aegis of the Union Ministry of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation Government of India. 3. NABCON, a wholly owned subsidiary of NABARD. 4. RITES Ltd., a public sector enterprise under the aegis of Indian Railways, Government of India. 5. PFC Consulting Limited (PFCCL), a Wholly owned subsidiary of Power Finance Corporation Limited (PFC), Government of India. 6.Energy Efficiency Services Limited (EESL), a joint venture company of NTPC Limited, Power Finance Corporation (PFC), Rural Electrification Corporation Limited (REC) and POWERGRID.] [2][7. Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) for providing consultancy services of designing and planning of works for the projects relating to Infrastructure Development.]	-
48.	Display advertisement in news papers, periodicals, electronic media and preparation of publicity material including making of documentary films	Through Department of Information and Public Relations (DIPR) or at the approved rates of DAVP, DIPR, SAMVAD	-
49.	Communications within common user group (CUG) through telepho-nes, mobile phones etc.	From Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL)/ Mahanagar Telephone Nigam Ltd. (MTNL)	-
[3][50.	Food and Beverage, Catering in official meetings/conferences/ events	(a) From Rajasthan Tourism Development Corporation/ Indian Tourism Development Corporation/Rajasthan State Hotel Corporation	
		(b) From Constitution Club of Rajasthan	The Constitution Club of Rajasthan shall supply the food, beverage and catering only in the meetings/ conferences/events organized in the Constitution Club of Rajasthan.
		(c) From Authorised Suppliers/Canteen situated within the office premises	The supply of food and beverages by authorised suppliers/Canteen situated within the office premises shall be made at the rates fixed by the Government of Rajasthan, subject to the limits prescribed by the Department of Personnel/General Administration Department.]

1. Existing expression in column 3 against Sl.No. 47 substituted vide Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 04.11.2016 published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(II) dated 04.11.2016 for -

47.		"From PDCOR, WAPCOS, NABCON"	-

Again substituted vide Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 08.06.2017 published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(I) dated 09.06.2017 for -

47.		"From PDCOR, WAPCOS, NABCON, Rajasthan State Road Development Corporation (RSRDC)"	-

Again existing entries in column 3 against Sl.No. 47 substituted vide Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 28.08.2018 published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(II) dated 04.09.2018 for -

[1][From any of the following:

1. Rajasthan State Road Development Corporation (RSRDC) 2. PDCOR

3. WAPCOS, a public sector enterprise under the aegis of the Union Ministry of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation Government of India. 4. NABCON, a wholly owned subsidiary of NABARD. 5. RITES Ltd., a public sector enterprise under the aegis of Indian Railways, Government of India.] *[6. PFC Consulting Limited (PFCCL), a Wholly owned subsidiary of Power Finance Corporation Limited (PFC), Government of India.] **[7.Energy Efficiency Services Limited (EESL), a joint venture company of NTPC Limited, Power Finance Corporation (PFC), Rural Electrification Corporation Limited (REC) and POWERGRID.]

* Added vide Notification No. F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 14.9.2017, published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(II) dated 19.9.2017.

** Added vide Notification No. F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 21.2.2018, published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(II) dated 21.2.2018.

2. Added vide Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 15.09.2023 published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(I) dated 15.09.2023 and substituted vide Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 03.07.2024 published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(I) dated 03.07.2024 for -Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) for providing consultancy services of designing and planning of works for the projects relating to Housing and Urban Development Programmes.

3. Substituted vide Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2025 dated 14.08.2025 published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(I) dated 14.08.2025 for -

50.	Food and Beverage, Catering in official meetings/ conferences/ events	From Rajasthan Tourism Development Corporation/ Indian Tourism Development Corporation/Rajasthan State Hotel Corporation	-

Again substituted vide Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2025 dated 25.11.2025 published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(I) dated 26.11.2025 for -

50.	Food and Beverage, Catering in official meetings/conferences/ events	From Rajasthan Tourism Development Corporation/ Indian Tourism Development Corporation/Rajasthan State Hotel Corporation/Constitution Club of Rajasthan	The Constitution Club of Rajasthan shall supply the food, beverage and catering only in the meetings/ conferences/events organized in the Constitution Club of Rajasthan.

1	2	3	4
[1][51	Original works and repairs relating to buildings and other works	(a) Following Works Department of State Government, - (i) Public Works Department (ii) Public Health Engineering Department (iii) Water Resources Department (iv) Forest Department (v) Command Area Development Department	The overheads to be charged by a Works Department of the State Government shall be decided by the Finance Department.
		(b) Rajasthan State Road Development and Construction Corporation Ltd., Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Ltd., Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd., Real Estate Development & Construction Corporation of Rajasthan Ltd. or any Board or Public Sector Enterprise of the Government of Rajasthan, which are engaged in execution of works.	The overheads to be charged by an executive agency shall be as under.- Original works and repairs,- (i) upto Rs. 100 Crores — 9% (ii) more than Rs.100 crore but upto Rs. 300 crores — Rs. 9 crore + 7% of more than Rs. 100 crore (iii) more than Rs. 300 crore — Rs. 23 crore + 5% of more than Rs. 300 crore
		(c) Any Board or Public Sector Enterprise of the Central Government, which are engaged in execution works.	The overheads to be charged by the executive agency shall be decided by the Finance Department.]
[2][52	Procurement and import of sophisticated technical and scientific equipment on behalf of State Forensic Science Laboratory, Rajasthan.	State Trading Corporation of India Limited.	Approval, on case to case basis, for the procurement and import shall be granted by the Administrative Department.
[4][53.	Deleted]		
[5][54.	Supplementary Nutrition :- Morning Snacks, Supplementary Nutrition (THR)/Hot Cooked Meal (HCM) provided to beneficiaries under ICDS	1. Member Self Help Groups of Amrita Society of Women & Child Development Depatment. 2. Self Help Groups of Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad.	1. Supply of Supplementary Nutrition shall be made as per recipe approved by the Women &Child Development Department, Rajasthan under the nutritional norms prescribed by the Government of India. 2. The Administrative Department of Women & Child Development shall issue appropriate guidelines in order to ensure that he process for the selection of the Women Self Help Groups remains transparent. 3. The Administrative Department of Women in Coordination with Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad, shall issue appropriate guidelines to ensure that the parameters and procedure for the selection of the Self Help Groups remains transparent. 4. The Administrative Department of Women & Child Development shall ensure a transparent system making due payments to the Self Help Groups.]

1. Substituted vide Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 16.9.2015, published in Raj.Gazette EO.Part 4(Ga)(I) dated 17.9.2015 for -

51.	Original works and repairs relating to buildings and other works	Public Works Department, Rajasthan State Road Development and Construction Corp., RAVIL	The overheads to be charged shall be decided by the Public Works Department with concurrence of Finance Department.

Again substituted vide Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 20.6.2024, published in Raj.Gazette EO.Part 4(Ga)(I) dated 20.6.2024 for -

51.	Original works and repairs relating to buildings and other works	Public Works Department, Rajasthan, Rajasthan State Road Development and Construction Corporation, [6][Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Limited (RUDSICO)], [3][Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd., Real Estate Development & Construction Corporation of Rajasthan Ltd.] or any department, board, or public sector enterprise of Government of Rajasthan or Central Government, which are engaged in execution of works.	The overheads to be charged by a State Government Department, Board or public sector enterprise shall be decided by the Administrative Department concerned with concurrence of Finance Department.

Again substituted vide Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2025 dated 01.12.2025, published in Raj.Gazette EO.Part 4(Ga)(I) dated 01.12.2025 for -

51.	Original works and repairs relating to buildings and other works	(a) Following Works Department of State Government, - (i) Public Works Department (ii) Public Health Engineering Department (iii) Water Resources Department (iv) Forest Department (v) Command Area Development Department (b) Rajasthan State Road Development and Construction Corporation Ltd., Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Ltd., Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd., Real Estate Development & Construction Corporation of Rajasthan Ltd. or any Board, or Public Sector Enterprise of Government of Rajasthan or Central Government, which are engaged in execution of works.	The overheads to be charged by a State Government Works Department shall be decided by the Finance Department. The overheads to be charged by an executive agency shall be as under.- (i) Original works and repairs upto Rs. 100 Crores - 9% (ii) More than 100 Crores but upto Rs. 300 Crores - 9 Crores + 7% of more than 100 Crores (iii) More than 300 Crores - Rs. 23 Crores + 5% of more than 300 Crores

2. Added vide Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 26.12.2016, published in Raj.Gazette EO.Part 4(Ga)(II) dated 26.12.2016.
3 . Substituted vide Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 23.1.2017, published in Raj.Gazette EO.Part 4(Ga)(I) dated 23.1.2017 for - Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.
4. Added vide Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 08.06.2017 and deleted vide dated 16.02.2023 for -

53.	Specialized services, related to IT, Electronics and Telecommunication	Centre for Development of Advanced Computing, Government of India. (C-DAC)	Approval of the Finance Department shall be obtained before procurement.]

5. Added vide Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 13.9.2017 published in Raj. Gazette EO Part 4(Ga) (II) dated 19.9.2017.
6 . Substituted vide Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 21.3.2018, for - Rajasthan Avas Vikas and Infrastructure Limited.

1	2	3	4
[1][55.	Deleted		
[2][56.	[5][(i) Items produced by Rural Women Self Help Group of Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad (Rajeevika) (ii) Sanitary Napkins under UDAN YOJANA	Rural Women Self Help Group of Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad (Rajeevika) Aajeevika Vikas Parishad (Rajeevika)	Products of Rural Women Self Help Group of Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad (Rajeevika), whose rates shall be, as determined by Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad (Rajeevika), duly approved by the Administrative Department (Rural Development & Panchayati Raj Department), [6][upto Rs. 100000/- on each occasion with an annual limit of Rs. 500000/-] .] (i) The rates shall be decided by the Administrative Department (Rural Development & Panchayati Raj Department) with the concurrence of Finance Department. (ii) Procurement can be made upto 20% of annual quantity required under UDAN YOJANA.]
[3][57.	Goods and Services	The registered and approved start-ups, with QRate Score Bronze or higher with the State Government, may be given direct work orders without entering into the bidding process, as per the following criteria :- 1. **QRate Bronze** : Maximum Three Work Orders in a FinancialYear per start-up 2. **QRate Silver**: Maximum Four Work Orders in a Financial Year per start-up 3. **QRate Gold**: Maximum Five Work Orders in a Financial Year per start-up 4. **QRate Platinum**: Maximum Six Work Orders in a Financial Year per start-up 5. **QRate Signature**: Maximum Six Work Orders in a Financial Year per start-up **Note :** One additional order in a Financial Year may be awarded to Startups led by Women, specially abled or Transgenders or founders belonging to SC/ST (eligibility as per criteria defined in sub-clause (x) of clause 13 of the Rajasthan Startup Policy 2022)	1. The estimated value of the subject matter of procurement shall not be more than Rs. 25 lakhs (including taxes), and 2. Procurement shall be made from start-ups through only electronic platform provided by the Government of India or Government of Rajasthan (like e-bazaar Rajasthan, etc.).]
[4][58.	Hiring of Professional services on end-to-end basis for project/ programme formulation & implementation including resource mobilization (such as PPP projects/ asset redevelopment/ asset monetization) for socio economic / infrastructure development, environmental improvement, efficiency improvement etc. except the consultancy services where only consultancy without any role/stake in the success of implementation is required.	PDCOR Limited	1. Fee should be combination of professional fee linked to milestones and accomplishment/ success fee linked to completion of project/ programme. 2. Minimum 50% of total service charges shall be payble as success fee in all cases.]

1. Added vide Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 23.1.2018 published in Raj. Gazette EO Part 4(Ga) (II) dated 23.1.2018 and deleted vide dated 16.2.2023 -

55.	Subject matter of procurement related to establishment of Science Centres	National Council of Science Museums, an Autonomous society, under the ministry of culture, Govt. of India	Approval of the Finance Department shall be obtained before procurement.

2. Added vide Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 26.4.2021, published in Raj.Gazette EO.Part 4(Ga)(II) dated 26.4.2021 and Substituted vide Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 04.11.2022, published in Raj.Gazette EO.Part 4(Ga)(I) dated 04.11.2022 for -

56.	Items produced by Rural Women Self Help Group of Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad (Rajeevika)	Rural Women Self Help Group of Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad (Rajeevika)	Products of Rural Women Self Help Group of Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad (Rajeevika), whose rates shall be, as determined by Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad (Rajeevika), duly approved by the Administrative Department (Rural Development & Panchayati Raj Department), upto Rs. 10000/- on each occasion with an annual limit of Rs. 1.00 lakh.

3. Added vide Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 23.7.2021, published in Raj.Gazette EO.Part 4(Ga)(II) dated 23.7.2021 and substituted vide Notification dated 17.3.2023 for -

57.	Goods and Services	The registered and approved start-ups, with QRate Score Bronze or higher, with the State Government would be given direct work orders without entering into the bidding process, as per the following criteria :- 1. **QRate Bronze** : Maximum One Work Order in a FinancialYear per start-up 2. **QRate Silver**: Maximum Two Work Orders in a Financial Year per start-up 3. **QRate Gold**: Maximum Two Work Orders in a Financial Year per start-up 4. **QRate Platinum**: Maximum Three Work Orders in a Financial Year per start-up 5. **QRate Signature**: Maximum Three Work Orders in a Financial Year per start-up	1. The estimated value of the subject matter of procurement shall not be more than Rs. 15 lakhs. 2. Procurement can be undertaken through any electronic platform provided by the Government of India or Government of Rajasthan (like e-bazaar Rajasthan, etc.) to the start-up.

4. Added vide Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 25.10.2021, published in Raj.Gazette EO.Part 4(Ga)(I) dated 25.10.2021.
5. Substituted vide Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 08.09.2023, published in Raj.Gazette EO.Part 4(Ga)(I) dated 08.09.2023 for -

56.	(i) Items produced by Rural Women Self Help Group of Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad (Rajeevika)	Rural Women Self Help Group of Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad (Rajeevika)	Products of Rural Women Self Help Group of Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad (Rajeevika), whose rates shall be, as determined by Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad (Rajeevika), duly approved by the Administrative Department (Rural Development & Panchayati Raj Department), upto Rs. 10000/- on each occasion with an annual limit of Rs. 1.00 lakh.]

6. Substituted vide Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 08.07.2025, published in Raj.Gazette EO.Part 4(Ga)(I) dated 08.07.2025 for - "upto Rs. 25000/- on each occasion with an annual limit of Rs. 200000/-."

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr><td>[1][59.</td><td>(a) Construction, Operation and Maintenance work of Public Toilets

(b) Construction of Private Toilets</td><td>Sulabh International Social Service Organization</td><td>1. Advance amount shall be given to the Sulabh International Social Service Organization, hereinafter referred to as the organization, for construction of public and private toilets as under:-
(a) In case of construction of private toilets the 50% of construction cost amount shall be paid to the organization by respective local body as advance and the second instalment of 40% of construction cost amount shall be paid after completion of proportionate work and remaining 10% of construction cost amount shall be paid after satisfactory completion of the work.
(b) In case of construction of public toilets 80% of the estimated construction cost shall be given as advance and rest 20% amount shall be given after satisfactory completion of the work.
2. The estimate for private toilets shall be prepared per unit cost and for public toilets as per construction cost/rates.
3. The estimate for public and private toilets shall be prepared as per respective BSR and the rates shall be decided as per specification of the work by the followingcommittee :-
(i) Secretary - Incharge, Department of Local Self Government - Chairperson
(ii) Director and ex-officio Joint Secretary, Department of Local Bodies - Member
(iii) Chief Engineer, Public Works Department, Rajasthan - Member
(iv) Representative of Finance Department not below the rank of Joint Secretary- Member
(v) Chief Engineer, Department of Local Bodies -Member Secretary
(vi) Financial Advisor, Department of Local Bodies - Member
The above committee shall also approve the drawing and design of the proposed toilets.
4. The Committee to ensure and monitor the maintenance, cleanliness and to decide usages charges of the toilets and maintenance charges for the existing public toilets shall be as follows:
(i) Director and ex-officio Joint Secretary Department of Local Bodies - Chairperson
(ii) Commissioner, Jaipur Nagar Nigam, Greater-Member
(iii) Chief Engineer, Department of Local Bodies -Member Secretary
(iv) Financial Advisor, Department of Local Bodies - Member
(v) Financial Advisor, Jaipur Nagar Nigam, Heritage - Member
5. (i) The maintenance charges shall not be payable to the organization, if the organization receives or collects usages charges from the public.
(ii) The maintenance charges shall be decided by the committee mentioned in clause (4) above in cases of existing public toilets where the organization does not receives or collects usages charges from public.
6. The Sulabh International Social Service Organization shall encourage the private building owners for construction of toilets with latest technology and repair the technical faults upto five years after construction for free of cost.
7. The organization will be paid 10% of supervision charges in addition to estimated cost of specified construction work.
8. The start date of construction shall be calculated from the date of payment of advance amount. If the organization fails to complete the allocated work within the stipulated period of completion, the department shall suitably increase the period of completion after imposing liquidated damages as per rules, which shall be maximum 10% of the delayed construction.
9. The maintenance, repair and sanitation work of publictoilets shall be done by the organization for 30 years and these toilets shall be maintained on 'Pay and Use' basis.</td></tr>
</table>

1.Added vide Notification No.F.8(3)FD/SPFC/Misc./Sulabh/2021 dated 23.12.2021, published in Raj.Gazette EO.Part 4(Ga)(I) dated 23.12.2021.

1	2	3	4
			10. The department of local bodies shall execute a contract in this regard with the organization. 11. In case of any dispute arising out of the conditions of the contract, the decision of government shall be final.]
	[3][(c) Construction, Operation and Maintenance work of Toilets in Government Buildings	Sulabh International Social Service Organization	1. The estimate for toilets in Government buildings shall be prepared as per respective BSR and the rates shall be decided as per specifications of the work by the following, committee:- (i) Secretary, In charge, Administrative Department - Chairperson (ii) Head of the Department concerned- Member (iii) Representative of the Finance Department not below the rank of Joint Secretary- Member (iv) Engineer, not below the rank of Superintending Engineer of concerned Department (if available), if not available then Engineer, not below the rank of Superintending Engineer of Public Works Department/Department of Local Bodies- Member (v) Senior Most Accounts Officer of the Department concerned- Member Secretary 2. The following Committee is to ensure and monitor the maintenance, cleanliness and to decide maintenance charges for the existing toilets :- (i) Head of the Department- Chairperson (ii) Head of the office of the Procuring Entity- Member (iii) Engineer, not below the rank of Superintending Engineer of concerned Department (if available), if not available then Engineer, not below the rank of Superintending Engineer of Public Works Department/Department of Local Bodies- Member (iv) Senior Most Accounts Officer of the Department concerned- Member Secretary 3. The Sulabh International Social Service Organization, hereinafter reffered to as the organization, will be paid 10% of supervision charges in addition to the estimated cost of specifed construction work. 4. The date of commencement of construction shall be calculated from the date of issuance of work order. If the organization fails to complete the allocated work within the period stipulated for completion, the department shall suitably increase the period of completion after imposing liquidated damages as per rules, which shall not exceed 10% of the delayed construction cost. 5. The maintenance, repair and sanitation work of toilets shall be done by the organization for 10 years. The maintenance charges shall be payable to the Organization by the Procuring Entity. 6. The concerned Department shall execute a contract in this regard with the Organization. 7. In case of any dispute arising out of the conditions of the contract, the decision of Government shall be final.]
[1][60.	High quality products through e-Bazaar (online platform)	Products manufactured by MSME Units, empanelled by the Industries Department for this purpose.	Procurement of goods upto Rs. 10.00 Lakhs in a Financial Year.]
[2][61.	Procurement of Goods or Works or Services for the purpose of Public Utility in form of Public Participation	Any Bhamashah/ Trust/Society/ NGO	1. The estimated value of procurement of Goods/ Works/ Services shall not be less than Rs. 20 Lakhs. 2. The contribution of such Bhamashah/Trust/ Society/ NGO in goods/works/services should be 50% or more of the estimated value of procurement. 3. Remaining share shall be borne by the State Government. 4. Detailed guidelines in this regard shall be issued by the Finance Department separately.]

1.Added vide Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 23.12.2021, published in Raj.Gazette EO.Part 4(Ga)(I) dated 23.12.2021.
2.Added vide Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 11.05.2022, published in Raj.Gazette EO.Part 4(Ga)(I) dated 11.05.2022.
3.Added vide Notification No.F.8(3)FD/SPFC/Misc./Sulabh/2021 dated 20.12.2022, published in Raj.Gazette EO.Part 4(Ga)(I) dated 20.12.2022.

1	2	3	4
[1][62.	Hiring of Professional Services rendered by Rajasthan Financial Services Delivery Limited such as Consultancy for Public Procurement including finalization of Bidding Documents, Preparation of Detailed Project Report, Model Concession Agreement, Memorandum of Understanding, Financial and Legal Matters, Matters of Arbitration/Dispute Resolution Process, Transaction Advisory, Contract Management, Formation of Service Rules, Taxation matters, Accounting, Professional Consultancy Services of Audit including Energy Audit, Management Audit, Special Audit, Social Audit, Internal Audit, Transaction Audit etc., to conduct Studies/Research, to prepare report to provide Training, to prepare Feasibility Report for new Projects, Personnel Management including creation of Management Information System and Human Resource Management System, etc.	Rajasthan Financial Services Delivery Limited.	The charges for the services to be rendered shall be decided by the Rajasthan Financial Services Delivery Limited with the concurrence of the Finance Department.]

1. Added vide Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2022 dated 23.05.2022 published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(I) dated 23.05.2022.

1	2	3	4
[1][63.	Hiring of Professional Services to be provided by the National Institute for Smart Government such as Strategic IT advisory services, Management consultancy including financial advisory services and human resource advisory, Program and project management, Capacity development including setting up of project management units, program/project monitoring including program management units, coordination etc., Capacity building and knowledge management including training needs assessment, content development, theme-based/customized trainings, project management certification programmes, Manpower augmentation, talent acquisition, Transaction advisory services, Social media advisory, Support review, preparation and implementation of policies.	National Institute for Smart Government	The charges for the services to be provided by National Institute for Smart Government shall be decided by the respective Administrative Department with the concurrence of the Finance Department.]
[2][64.	Subject matter of procurement related to establishment of Science Centres	National Council of Science Museums, an autonomous society under the Ministry of Culture, Government of India.	-

1. Added vide Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 07.07.2022 published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(I) dated 07.07.2022.
2. Added vide Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 16.03.2023 published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(I) dated 16.03.2023.

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th colspan="3">4</th></tr>
<tr><td>[1][65.</td><td>All type of survey, zonal plans, quality control testing, third party inspection, consulting, making DPR's and other Infra related work</td><td>Rajasthan State Real Estate Development Council (RAJREDCO)</td><td colspan="3">1. [3][Procurement upto rupees 1.00 Crore on each case].
2. Decision of the procurement shall be taken on the recommendation of the committee consisting of the following, namely :-
(i) Secretary-in-charge of the Administrative Department concerned - Chairperson,
(ii) Head of the Department of Department concerned - Member, and
(iii) Senior Most Accounts Officer of the Department concerned - Member Secretary.]</td></tr>
<tr><td rowspan="5">[2][66.</td><td rowspan="5">Services of E-Auctions Platform</td><td rowspan="5">NCDEX e-Markets Limited (NeML)/MSTC Limited</td><td colspan="3">The processing fees to be charged by agencies shall be as under :-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Auction value of subject matter of procurement</td><td>Processing fee</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>Upto Rs. 1 Crore</td><td>1% of auction value</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>Above Rs. 1 Crore and upto Rs. 5 Crore</td><td>Rs. 1 Lakh plus 0.25% of the auction value over and above 1 Crore</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>More than Rs. 5 Crore</td><td>Rs. 2 Lakh plus 0.10% of the auction value over and above 5 Crore. However total processing fees shall not exceed Rs. 2.5 Lakh.]</td></tr>
</table>

1. Added vide Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 19.09.2024 published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(I) dated 19.09.2024.
2. Added vide Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 19.09.2024 published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(I) dated 19.09.2024 and Substituted vide Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2025 dated 25.07.2025 published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(I) dated 25.07.2025 for-

[66.	Services of E-Auctions Platform	NCDEX e-Markets Limited (NeML)/MSTC Limited	The rates shall be decided by the Finance Department on the recommendation of the committee consisting of the following, namely:- (i) Secretary-in-charge of the Administrative Department concerned - Chairperson, (ii) Head of the Department of Department concerned - Member, (iii) Representative of the Finance Department not below the rank of Joint Secretary - Member, and (iv) Senior Most Accounts Officer of the Department concerned - Member Secretary.]

3. Substituted vide Notification No.F.2(3)FD/SPFC/2025 dated 08.05.2026 published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(I) dated 08.05.2026 for- 'Pocurement upto rupees 50.00 Lac on each case'.

General Conditions:

1. The procuring entity while procuring the above subject matter of procurement, shall solicit offer from the sources/ category of bidders specified in the above table and may negotiate the prices offered in good faith, if necessary.

2. The procuring entity may also opt to adopt the method of open competitive bidding for procurement of subject matters.

3. The procurement from the sources/ category of bidders mentioned in the above table is subject to delegation of financial powers and availability of required budget provision.

[1][4.In case, procurement of goods, works is to be made from a government company or company owned or controlled directly or indirectly, by the Central Government or by any State Government or Governments or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments which is subject to audit by the auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under sub section (5) or (7) of section 139 of the Companies Act, 2013 or autonomous bodies, registered societies, co-operative societies, other than owned or controlled or managed by the State Government then, approval of the Departmental High Power Committee shall be obtained before procurement. The High Power Committee of the department shall be as under :-

1.	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary of the department	- Chairperson
2.	Head of the Department	- Member
3.	Senior most officer of Accounts Services	- Member
4.	Technical Officer (if required)	- Member
5.	Officer in charge of the Store	- Member Secretary

Note: The meeting of the Departmental High Power Committee shall not be held unless the accounts member is present.

Member Secretary of the Departmental High Power Committee shall be responsible for,-

(i) preparation of agenda note and minutes of the meeting;

(ii) justification of procurement from outside the State even if the State Government organisations/ Government companies/ Boards/ Corporations/ Co-operative Societies etc. of Rajasthan is capable of supply of goods/execution of works;

(iii) preparation of comparative statement of rates of subject matter of procurement from outside of the Rajasthan and within the State; and

(iv) preparation of item-wise detail of rates of subject matter of the procurement.]

1 . Added vide Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 23.1.2017, published in Raj.Gazette EO.Part 4(Ga)(I) dated 23.1.2017 and **substituted by Notification No.F.2(1)/FD/G&T(SPFC)/2017 dated 6.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(II) dated 6.8.2018** for - "4.In case, procurement of goods, works or services other than consultancy services is to be made from public sector enterprise, which is other than public sector enterprise of Rajasthan Government, then, approval of the Finance Department shall be obtained before procurement." **And again substituted by Notification dated 15.4.2021** for - "In case, procurement of goods, works is to be made from a government company or company owned or controlled directly or indirectly, by the Central Government or by any State Government or Governments or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments which is subject to audit by the auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under sub section (5) or (7) of section 139 of the Companies Act, 2013 or autonomous bodies, registered societies, cooperative societies, other than owned or controlled or managed by the State Government then, approval of the Finance Department shall be obtained before procurement."

FINANCE DEPARTMENT
(General Financial & Accounts Division)

NOTIFICATION*
Jaipur, November 19, 2015

S.O. 165.–In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 33 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that mandatory procurement from micro and small enterprises situated in Rajasthan is necessary and, [1][likewise, purchase preference in procurement from micro,] small and medium enterprises situated in Rajasthan is necessary for the promotion of domestic industry and for furtherance of the socio-economic policy of the State Government, hereby notifies that it shall be mandatory for the procuring entities, as defined in sub-section 2 of section 3 of the said Act, to procure the goods mentioned in Schedule from micro and small [2][enterprises only and, also, to accord purchase preference to the micro], small and medium enterprises situated in Rajasthan in procurement of the goods not included in Schedule, in the following manner, namely:-

1. For the purpose of this notification,-

(a) The **'micro', 'small' and 'medium' enterprises** means the micro, small and medium enterprises classified under sub-section (1) of section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and situated in Rajasthan and recognized by the Industries Department as such;

(b) **'Act'** means Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012);

(c) **'Form'** means form appended to this notification;

(d) **'Goods'** means Goods, as defined in the Act;

(e) **'Government'** means the Government of Rajasthan;

(f) **'Local enterprise'** means an industrial undertaking or a business concern or any other establishment by whatever name called, engaged in the manufacture or production of goods, in any manner, pertaining to any Industry specified in the first schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, situated and have received their acknowledgement of Entrepreneurs Memorandum-II/Udyog Aadhaar Memorandum and registered in the State of Rajasthan;

(g) [3][Deleted]

(h) **'Purchase Preference'** means preference in purchase, for the local enterprises included in the category under clause 1(a) in response to a bid called by any procuring entity, with all other parameters of the bid being the same; and

(i) **'Schedule'** means schedule appended to this notification.

Notification No. F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 19.11.2015, published in Raj.Gazette E.O.Part 4(Ga)(II) dated 19.11.2015.

1. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 29.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4 (Ga)(II) dated 4.9.2018 for- "likewise, purchase and price preference in procurement from micro,".
2. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 29.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga) (II) dated 4.9.2018 for- "enterprises only and, also, to accord price or purchase preference or both to the micro".
3. Deleted by Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 29.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga) (II) dated 4.9.2018 for- "(g) **'Price Preference**' means the mode of evaluating the price bids, specified hereinafter, between local enterprises and enterprises from outside the State, in response to a bid called by any procuring entity, with all other parameters of the bid being the same;".

[4][2. **Applicability:** This notification shall apply for procurement of items mentioned in schedule appended to this notification.]

3. **Whenever any Notice Inviting Bid in respect of any item / items mentioned in Schedule is issued,-**

(a) a clause shall be incorporated in the Notice Inviting Bid that the item/items to be procured shall be reserved for procurement only from the micro and small enterprises situated in Rajasthan, as defined in the clause 1(a) of this notification;

(b) 4% of such procurement shall be earmarked for procurement from local micro and small enterprises owned by member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe;

(c) bids received from sources other than those specified in clause 1(a) shall not be taken into consideration;

(d) the contract for supply of goods to the enterprises included in the category mentioned at clause 1(a) may be given to the extent of their capacity by breaking the order in part for procurement of goods; and

(e) representative of the Industries Department shall also be a member of Procurement Committees, constituted under rule 3 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, whenever the procurement is in respect of item/items mentioned in Schedule of this notification. Such member shall not be below the rank of District Industries Officer. In case, the procurement of goods, above rupees ten lakhs, is being made for item/ items not mentioned in Schedule of this notification, then it shall be optional for the procuring entity to invite a representative of the Industries Department, not below the rank of District Industries Officer, as member of the Procurement Committee.

4. [5][Deleted]

1. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 29.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga) (II) dated 4.9.2018 for- "**For items not included in Schedule, price preference shall be given to local enterprises in comparison to bids received from enterprises outside the State, by evaluating the prices quoted as follows**".
2. Deleted by Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 29.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga) (II) dated 4.9.2018 for- "(a) while tabulating the bids of local enterprises, the element of Rajasthan Value Added Tax shall be excluded from the rates quoted by these enterprises, whereas the element of Central Tax shall be included in the rates of enterprises from outside Rajasthan for evaluation purpose only, provided that the specifications and all other requirements are in accordance with the bid.".
3. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 29.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga) (II) dated 4.9.2018 for- "in case, the prices of the local bids are not found competitive even after grant of price preference, and the bidding enterprise from outside the State is adjudged lowest ".
4. Substituted by Notification No.F.1(8)FD/FR-SPFC/2017 dated 12.06.2026 for -
   "2. Goods shall be divided into the following two groups:
   (a) Items mentioned in Schedule, which shall be procured entirely from local micro and small enterprises.
   (b) All other items, which can be procured from any other source, subject to clause 4 of this notification."
5. Deleted by Notification No.F.1(8)FD/FR-SPFC/2017 dated 12.06.2026 for -
   "4. [1][For items not included in Schedule, purchase preference shall be given to local enterprises as follows]:
   [2][(a) Deleted]
   (b) [3][in case, the bidding enterprise from outside the State is adjudged lowest,] then purchase preference to local enterprises shall be given in the following manner, subject to fulfillment of all required specifications and conditions of the bid:-
   (i) opportunity shall be given to local enterprises to supply 80% of the Bid quantity (with 20% order to be given to the original lowest bid enterprise). Out of this 80%, minimum of 60% would be required to be purchased from the local micro & small enterprises, in case they have also bid, and within this 60%, 4% shall be earmarked for procurement from local micro and small enterprises owned by member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe. The remaining quantity, out of the above mentioned 80% and to the maximum limit of 20%, shall be procured from the local medium enterprises in case they have also bid.
   (ii) to exercise this option of Purchase Preference for 80% of the bid quantity, in such a situation, a counter offer would be given to the local enterprise, which has quoted the minimum rate among the local bidder enterprises, to match the overall lowest (L1) rate received. [*][Deleted]
   (iii) in case, the lowest local enterprise does not agree to the counter offer as per sub clause (ii) above, or does not have the capacity to provide the entire bid quantity, the same counter offer shall be made to the next lowest bidder of the eligible local bidder enterprises, in that order till the quantity to be supplied is met. The contract for supply of goods to the enterprises included in the category as mentioned at clause 1(a) may be given to the extent of their capacity by breaking the order in part for procurement of goods, in the manner provided in rule 74 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013.
   (iv) in case, a bidder offering to supply the goods is a dealer located in Rajasthan and the bid prices are equal to the rates offered by local enterprises of Rajasthan and the quality and specifications of the goods are the same, the local enterprises shall be given Purchase Preference over such dealer.

* Deleted by Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 29.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga) (II) dated 4.9.2018 for-"In such case, price preference stated in clause (a) above shall no longer be applicable and net lowest price (L1 price) would be required to be matched."

5. It shall be mandatory for the procuring entity to record reasons in writing in all cases where items manufactured by local enterprises of Rajasthan are not procured and Purchase Preference is not given as provided in this notification, which, interalia, would be in the case of either non participation in the bidding process by local enterprises of the State or inability by local enterprise to match the lowest bid price offered by out of State Enterprise or not matching the required specification to the Bid by the local enterprise.

6. The powers to [1][grant Purchase Preference shall be exercised by an officer] or procuring entity to the extent they have been delegated powers for procurement of Goods in the Schedule of powers under General Finance and Accounts Rules or other general or special order applicable to particular department, Public Sector Undertaking/ Autonomous Body etc.

7. The data of procurement from micro, small & medium enterprises is vital for strengthening the policy and for this purpose, every procuring entity shall include procurement to be met from micro, small & medium enterprises in their respective procurement plan and achievement made, thereto, in their respective Annual Reports.

8. To reduce transaction cost of doing business for micro, small and medium enterprises of the State, having acknowledgement of Entrepreneurs Memorandum-II/Udyog Aadhaar Memorandum as mentioned in Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, issued by the competent authority shall be facilitated, on furnishing of a self-attested copy of acknowledgement of Entrepreneurs Memorandum-II/Udyog Aadhaar Memorandum, as follows, or as amended in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013:-

   (a) bidding document shall be provided to the micro, small and medium enterprises at 50% of the prescribed cost;

   (b) bid security for the micro, small and medium enterprises shall be @0.5% (half percent) of the value of the quantity offered to be supplied by them; and

   (c) performance security for the micro, small and medium enterprises shall be @1% of the amount of quantity ordered for supply of goods.

   [2][(d) notwithstanding anything contained in clause (b) or (c), as the case may be, during the period commencing from the date of commencement of the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2020 to 31.03.2021, the bid security for the micro, small and medium enterprises shall be @ 0.25% of the value of the quantity offered to be supplied by them and performance security for the micro, small and medium enterprises shall be @0.5% of the amount of quantity ordered for supply of goods.]

9. (a) Two copies of Notice Inviting Bids issued for the procurement of goods included in Schedule shall invariably be sent to the office of Commissioner of Industries, Rajasthan, which shall arrange it to upload on the website of the Department of Industries and to send it further to General Managers of all District Industries Centers of the State;

---

1. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 29.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga) (II) dated 4.9.2018 for- "grant Purchase Preference or Price preference or both shall be exercised by an officer".
2. Added by Notification No. No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 13.8.2020, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(II) dated 13.8.2020.

(b) For the goods other than those included in Schedule, wherever in the opinion of the procuring entity, micro & small enterprises are likely to bid against a particular notice inviting bid, two copies of each such notice inviting bid shall be sent to the Commissioner of Industries for uploading it on the website of Department of Industries.

10. In order to [1][seek purchase preference under this notification,] an application, as prescribed at Form A, shall be submitted by the local enterprise to the General Manager, District Industries Centre of the district concerned, or to the officer nominated by Industries Department, who, after due diligent examination, shall issue verification certificate for the same:

Provided that, in case of any grievance in this regard, an appeal on plain paper may be filed by the aggrieved applicant to the Commissioner, Industries Department or to an officer nominated by him for the purpose.

11. Every micro, small and medium enterprise shall be required to submit an affidavit, in Form B, along with the duly filled bid document, to the procuring entity.

12. Before issue of the work order to the micro, small or medium enterprise, as the case may be, for the requisite procurement, the procuring entity may approach the appropriate authority under Industries Department, not below the rank of District Industries Officer, in order to ensure that the said enterprise, from which the procurement is to be made, possesses necessary production capacity in quantitative and qualitative terms, as required in the bidding document. The Department of Industries, in such case, shall provide the required support to the procuring entity concerned.

13. The following Monitoring Committee shall monitor the implementation of this notification and removal of difficulties, including grievances made by micro, small and medium enterprises, namely:-

(i)	Principal Secretary, Industries (SSI&KVI)	Chairman
(ii)	Commissioner of Industries, Rajasthan	Member
(iii)	Director, MSMED Institute, Government of India, 22 Godown, Jaipur.	Member
(iv)	Chief Engineer, Water Resources Department, Rajasthan, Jaipur or his nominee not below the rank of Superintending Engineer.	Member
(v)	Chief Engineer, PWD, Rajasthan, Jaipur or his nominee not below the rank of Superintending Engineer.	Member
(vi)	Chief Engineer PHED, Rajasthan, Jaipur or his nominee not below the rank of Superintending Engineer.	Member
(vii)	Financial Advisor, Department of Industries, as representative of Finance Department.	Member
(viii)	Additional/Joint/Deputy Director, Industries (Marketing)	Convener

1. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 29.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga) (II) dated 4.9.2018 for- "seek price preference or purchase preference or both under this notification".

Schedule

LIST OF ARTICLES INCLUDED IN THE SCHEDULE

S.No.	ITEMS
1	**2**
	AGRO & FOOD BASED
1.	Cattle Feed
2.	Aachar & Murabba
3.	Mustard Oil and Cake
4.	Atta, Maida
5.	Papad
6.	Sonamukhi processing, Ajwain Powder
7.	Nutrition Food
	ANIMAL HUSBANDRY BASED
8.	Leather bags, boxes, Leather, Footwear
	BUILDING AND CERAMICS BASED
9.	Asbestos Cement pipe & fittings
10.	Cement Hollow blocks
11.	Mosaic cement tiles, Ceramic tiles
12.	R.C.C spun pipes, R.C.C Hume pipes and other R.C.C products
13.	Stone Chips and polished tiles
14.	Marble Slabs & tiles
15.	Stone Slabs & tiles(all types)
16.	Granite Slabs & tiles
17.	Cement tiles
18.	Stone Carving & Stone art work
19.	Bricks(Fly Ash Bricks, Insulation Bricks, Agro waste Bricks)
	CHEMICAL BASED
20.	Ayurvedic, veterinary drugs
21.	Cleaning Powder/Detergent powder
22.	Computer Stationary
23.	Fiber glass coolers
24.	Furniture made of Partical board
25.	Mineral water
26.	Motor Storage batteries
27.	[1][Deleted]
28.	Phenyl(Black Disinfectant Fluid)
29.	Phenyl and Naphthalene balls
30.	Plastic cane, plastic/PVC/LDPE/HDPE overhead water storage tanks, Plastic profile, Multi layer plastic bags, plastic articles

1. Deleted serial number 27 "Pet Containers" by Notificated dated 15.4.2021.

1	2
31.	Polythene bags, Polythene film and Poly Propylene bags
32.	P.V.C. Footwear, PVC doors and panels
33.	Soap(Washing) bearing ISI Certification marks
34.	Thermometers
35.	Zinc oxide
36.	Zinc water bottles
37.	Zinc Sulphate
	ENGINEERING AND ALLIED BASED
38.	Agriculture implements via, tagari, phabra, panja, cultivators, garden tools, belcha, Tractor Trolleys/Trailers, Kodali, Pick Axes
39.	Aluminium utensils, utensils cooking and pressure cookers with ISI certification, utensils of all type
40.	Barbed wire
41.	Unlock wire mesh and other types of wire netting, welded wire mesh
42.	Boxes made of metal and Iron Cots
43.	Buckets, Cans(made of G.I sheets for milk measuring)
44.	Chain links
45.	Copper wires-Door and enameled
46.	C.I soil pipes, C.I Joints, Fitting and coupling, Conduit pipes
47.	[1][Deleted]
48.	Flushing cisterns(metal/CI)
49.	Hand driven carts of all types
50.	Hinges
51.	Manhole Covers
52.	Metallic building hardware, Nuts and bolts except for high tensile and other special types, Rivets of all types, shovels, Spades, wire products such as wire nails, wood screws etc.
53.	Room coolers(Desert type)
54.	Separator for insulation
55.	Sewing Machine
56.	Sprinkle and System
57.	Steel Furniture, Computer Furniture and all type of Wooden Furniture
58.	Fabrication all type
59.	Mono Block Pump, sub murcible pump, Sanitary fucial pump
60.	Weights and weighing instruments of up to 50 Kg
61.	Wheel barrows
62.	Auto Bearing Component
63.	Iron Handicraft
64.	Microscope
	ELECTRICAL & ELECTRONIC BASED
65.	Ceiling Fans/Table Fans with ISI marks
66.	Electrical fitting and fixtures(ISI Marks)
67.	Electronic Calculator with accessories
68.	GLS Lamps(conforming to ISI marks)
69.	PVC wire and Cables(ISI Marks)
70.	Quartz wall clocks
71.	Voltage Stabilizer (ISI Marks)

1. Deleted serial number 47 " Pilfer Proof seal/Caps" by Notificated dated 15.4.2021.

1	2
[1][72.	Insulators for distribution upto 33 KV with ISI Certification]
73.	Electric Wooden Board
74.	Inverter(ISI Marks)
[2][75.	Power and Distribution Transformer excluding EHV Power Transformers for 132 KV & above level]
76.	PCC Poles
	MINERAL BASED
77.	Plaster of Paris, Surgical plaster of Paris
78.	Stone Grits
	MISCELLANEOUS
79.	[3][Deleted]
80.	File pads/File Covers
81.	Paper product viz. Paper cones, bags, ice cream, cups, saucers, paper envelops of all types
82.	Jeevanu khad
83.	Paper Board
	TEXTILE BASED
84.	Absorbent Cotton(Sterilized)
85.	Bandage cloth, Gauge cloth
86.	Cotton Hosiery Baniyans, Socks(All type)
87.	Cutain mosquito
88.	Durries, Niwar, Tat Patti(Jute and Cotton), Tape cotton
89.	All Type of Garments
90.	Namda (felt woolen)
91.	Tarpaulins
92.	Tents
93.	Woolen Hosiery
94.	Shawls
95.	School Bags & Canvas Bags
96.	All types of Wed Items (Cotton/Synthetic)
97.	Vests (Cotton/Woolen)
98.	Holldoll/Sleeping Bags
99.	Caps/Hats

1. Substituted by Notification dated 15.4.2021 for - Insulators(ISI Marks).
2. Substituted by Notification dated 15.4.2021 for - Electric Transformer.
3. Deleted serial number 79 "Corrugated paper card board boxes and Cartoons" by Notificated dated 15.4.2021.

Form A

(Apply in Duplicate)

[1][Application by MSME for Purchase Preference in Procurement of Goods]

To,
The General Manager
DIC, District ……………….

1. Name of Applicant with Post:
2. Permanent Address:
3. Contact Details:
    a. Telephone No.:
    b. Mobile No.:
    c. Fax No.:
    d. Email Address:
4. Name of micro & small enterprise:
5. Office Address:
6. Address of Work Place:
7. No. & Date of Entrepreneurs Memorandum-II/Udyog Aadhaar Memorandum:

    (enclose photo copy)
8. Products for which Entrepreneurs Memorandum-II/Udyog Aadhaar Memorandum availed:
9. Products for which are at present being produced by the enterprise:
10. [2][Products for which purchase preference has been applied for:]
11. Production capacity as per Capacity Assessment Certificate
    (enclose photocopy of Capacity Assessment Certificate)

Serial No.	Product	Production Capacity	
		Quantity	Value
1			
2			
3			
4			

12. List of Plant & Machinery installed

Serial No.	Name of Plant & Machinery	Quantity	Value
1			
2			
3			
4			

1. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 29.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga) (II) dated 4.9.2018 for- "Application by MSME for Price Preference or Purchase Preference or both in Procurement of Goods"

2. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 29.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga) (II) dated 4.9.2018 for- "Products for which price preference or purchase preference or both has been applied for:

13. List of Testing Equipments installed

Serial No.	Name of Testing Equipments	Quantity	Value
1			
2			
3			
4			

14. [1][Benefits availed in last financial year and current financial year]

a. Benefits depositing Bid Security and Performance Security:

Last Financial Year			Current Financial Year	
Department	Bid Security	Performance Security	Bid Security	Performance Security

b. Details of Supply orders received:

Last Financial Year				Current Financial Year		
Department	No. & Date of purchase order	Amount for which purchase order received	Amount of goods supplied	No. & Date of purchase order	Amount for which purchase order received	Amount of goods supplied

I declare that the above all facts given in the application are correct and my enterprise is producing the items mentioned in column No. 10.

Date Signature

(Name of the applicant along with seal of post)

Office of the District Industries Centre ___________________

CERTIFICATE

(See clause 10)

File No. ___________

Date_______________

It is certified that M/s _____________________was inspected by _________________________on dated __________ and the facts mentioned by the enterprise are correct as per the record shown by the applicant. [2][The enterprise is eligible for Price Preference under this notification.] The certificate is valid for one year from the date of its issue.

Office Seal

Signature

(Full Name of the Officer)

General Manager

District Industries Centre

Rubber Seal/Stamp

Enclosure- (1) Application

(2)

(3)

1. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 29.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga) (II) dated 4.9.2018 for- "Benefits availed as per price preference certificate in last financial year and current financial year "
2. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 29.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga) (II) dated 4.9.2018 for- "The enterprise is eligible for Price Preference or Purchase Preference or both under this notification."

Form B

Format of Affidavit

(See clause 11)

I ....S/o ....Aged .... Yrs. .... residing at .... Proprietor/Partner/ Director of M/s .... do hereby solemnly affirm and declare that :

(a) My/Our above noted enterprise M/s .... has been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part - II by the District Industries Center .... The acknowledgement No. is .... dated .... and has been issued for manufacture of following items:

Name of Item	Production Capacity (Yearly)
(i)	
(ii)	
(iii)	
(iv)	
(v)	

(b) My/Our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part - II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/Our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

Place ________________

Signature of
Proprietor/ Director Authorized Signatory
with RubberStamp and date

Note : If the cost of items to be procured/hired exceeds Rs. 100000/- (Rupees One lakh), the Procuring Entity would be required to have the production unit inspected to satisfy itself of the production capacity and that the quality control measures are installed.

F.1(8)/FD/GF&AR/2011

By Order of the Governor,

Siddharth Mahajan,

Special Secretary to Govt.

Finance (Budget)

Finance (Financial Rules) Department

No. F.2(3)/FD/FR-SPFC/2025 Jaipur, dated:12.06.2026

NOTIFICATION

G.S.R. 18. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 33 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, in view of 'Ease of Doing Business', to ensure transparency and competition in public procurement as well as working towards 'Aatmanirbhar Bharat' and to ensure the best use of government fund in public interest, necessary for the promotion of domestic industry and for furtherance of socio-economic policy of the State Government, hereby notifies to the procuring entity to accord preference to goods and services manufactured in country (Make in India) in public procurement, in the following manner, namely :-

1. For the purpose of this notification,-

"(a) **"Class 1 Local Supplier"** means a supplier or service provider, whose goods, services offered for procurement, has local content equal to or more than 50% ;

(b) **"Local content"** means the amount of value added in India which unless otherwise prescribed by the Nodal Department, shall be the total value of item procured (excluding net domestic indirect taxes) minus the value of imported content in the item (including all customs duties) as a proportion of total value, in percent;

(c) **"Non-Class 1 supplier"** means a supplier or service provider, whose goods or services offered for procurement, has local content less than 50%;

(d) **"Non-MSE Class-I local supplier"** means a supplier or service provider, whose goods or services offered for procurement, has local content equal to or more than 50% and not belong to MSE category;and

(e) **"Margin of Purchase Preference'' -** the margin of purchase preference shall be 20%.

2. During the procurement process, for items not included in Schedule of Notification No. F.1(8)FD/GF&AR/ 2011 dated 19.11.2015, as amended from time to time, in case of the following category of bidders being declared as L-1, the distribution of subject matter of procurement shall be as follows :

L-1	Distribution
MSEs from Rajasthan	100% quantity order to be placed to the L-1 bidder subject to provisions of this Notification.
Class-I Local Supplier from outside Rajasthan	• 20% quantity order to be placed to the original lowest bidder enterprise. • For remaining 80% quantity, purchase preference shall be given to MSEs of Rajasthan as per provisions mentioned below.
Non-MSE Class-I local supplier from Rajasthan	• 50% quantity order to be placed to the original lowest bidder enterprise. • For remaining 50% quantity, purchase preference shall be given to MSEs of Rajasthan as per provisions mentioned below.
• Non-MSE Non-Class-I local supplier from Rajasthan • Non Class-I Local Supplier from outside Rajasthan	• 20% of quantity order to be placed to the original lowest bidder enterprise. • 40% of quantity, purchase preference shall be given to MSEs of Rajasthan as provisions mentioned below. • 40% of quantity purchase preference shall be given to eligible local supp whose quoted rates falling within the margin of purchase preference.

3. Purchase preference to eligible bidders shall be given in the following manner, subject to fulfillment of all required specifications and conditions of the bid :-

(i) opportunity shall be given to the eligible bidders to supply offered quantity. Within the offered quantity for procurement from Micro and Small Enterprises of Rajasthan, 4% of this quantity shall be earmarked for procurement from Micro and Small Enterprises of Rajasthan owned by member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe.

(ii) to exercise this option of Purchase Preference, a counter offer would be given to the eligible bidder, which has quoted the minimum rate among the eligible bidders, to match the overall lowest (L-1) rate received.

(iii) in case, the lowest eligible bidders does not agree to the counter offer as per sub clause (ii) above, or does not have the capacity to provide the entire bid quantity, the same counter offer shall be made to the next lowest bidder among the eligible bidders, in that order till the quantity to be supplied is met.

(iv) if the subject matter of procurement is non-divisible in nature, the contract shall be awarded to the original lowest bidder.

(Mahendra Mohan)
Joint Secretary to the Government.

NOTIFICATION No. F.2(1)/FD/SPFC/2017 Dated : August 28, 2018

S.O.134. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 33 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that in order to encourage entrepreneurship among the youth of the State and increase their participation in the public procurement, providing purchase preference by granting relaxation in the required technical qualifications related to past experience and financial turnover for Startups situated in Rajasthan and operated by youth is necessary for the promotion of domestic industry and for furtherance of the socio-economic policy of the State Government, hereby notifies that procuring entities, as defined in sub-section 2 of section 3 of the said Act, shall, in addition to the preference granted to the MSMEs vide notification number F.1(8)/FD/GF&AR/2011 dated 19.11.2015, accord preference to the Startups in Rajasthan for the procurement of Goods and Services in the following manner, namely :-

(i) In case, where the estimated value of subject matter of procurement, as mentioned in the Schedule, is not more than Rs. One Crore on one occasion, the technical qualifications with respect to number of years of experience of a Startup in the subject matter of procurement and financial turnover of the Startup in past certain years in relation to the value of subject matter of procurement shall be appropriately relaxed to the extent feasible for the procurement of subject matter mentioned in the Schedule. It shall be mandatory for the procuring entity to record reasons, in writing, in all such cases where the relaxation to Startups is not given as provided in this notification;

(ii) Whenever, the procurement is in respect of subject matter of procurement mentioned in Schedule, where the estimated value of procurement is upto Rs. One Crore on one occasion, a representative of the Department of Information, Technology & Communication (DoIT&C) shall be a member of Procurement Committee, constituted under rule 3 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013. Such member shall not be below the rank of Deputy Director in Department of Information, Technology & Communication; and -

For the purpose of this notification, -

(a) Startup means an entity defined as such by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India and, accordingly, has received recognition for the same from the competent authority in Government of India and, also, that the said entity is situated in Rajasthan, OR an entity approved as Startup by the State Levgel Implementation Committee under the Rajasthan Startup Policy, 2015;

(b) Schedule means the Schedule appended to this notification; and

(c) Youth means the persons as defined in the National Youth Policy, issued by the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, and which is in force on the date of issue of the bidding document by the procuring entity concerned.

Schedule

LIST OF ITEMS/ACTIVITIES INCLUDED IN THE SCHEDULE

1. Mobile Applications
2. Websites
3. Web enabled Applications, not requiring FMS
4. Setting up of Service Delivery Points/Kiosks
5. Content Management
6. Social Media Management

Secretary to the Government.

(Published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(II) dated 4.9.2018)

Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 **Dated : August 30, 2018**

S.O.135. - In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 33 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that in order to encourage entrepreneurship among the youth of the State and increase their participation in the public procurement, providing purchase preference by granting relaxation in the required technical qualifications related to past experience and financial turnover for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), situated in Rajasthan and operated by the youth, is necessary for the promotion of domestic industry and for furtherance of the socio-economic policy of the State Government, hereby notifies that procuring entities, as defined in sub-section 2 of section 3 of the said Act, shall, in addition to the preference granted to the MSMEs vide notification number F.1(8)/FD/GF&AR/2011 dated 19.11.2015, accord preference to the MSMEs situated in Rajasthan for the procurement of Goods and Services in the following manner, namely :-

(i) The purchase preference shall be given by the procuring entity to MSMEs situated in Rajasthan and operated by the youth by grant of relaxation in the requirement of the technical qualifications with respect to number of years of experience in the subject matter of procurement and financial turnover in past certain years in relation to the value of subject matter of procurement to the extent feasible for the procurement of Goods and Services.

(ii) It shall be mandatory for the procuring entity to record reasons, in writing, in all such cases where the preference to Micro, Small or Medium Enterprise is not given as provided in this notification.

For the purpose of this notification, -

(a) MSME means an entity defined as such in the notification number F.1(8)/FD/GF&AR/2011, dated 19.11.2015;

(b) Youth means the persons as defined in the National Youth Policy, issued by the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India and which is in force on the date of issue of the bidding document by the Procuring Entity concerned.

Secretary to the Government

(Published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(II) dated 4.9.2018)

[1]राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013

जी.एस.आर. 96 :– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 है।

(2) ये उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) ''अधिनियम'' से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) अभिप्रेत है;

(ii) ''सक्षम प्राधिकारी'' से ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी अभिप्रेत है जिसे उपापन से संबंधित किसी मामले में विनिश्चय लेने के लिए सुसंगत प्रशासनिक या वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं;

[2][(ii–क) ''अग्रिम प्रतिभूति'' से नियम 79च के उप–नियम (1) में यथा– विनिर्दिष्ट, संबंधित प्रशासनिक विभाग को परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्यनिष्ठा और सद्भाव के प्रतीक के रूप में दी गयी प्रतिभूति की रकम अभिप्रेत है;

(ii–ख) ''पात्र सेक्टर'' से नियम 79ख में यथा–विनिर्दिष्ट सेक्टर अभिप्रेत है, जिसमें स्विस चैलेन्ज पद्धति के अधीन परियोजना के प्रस्ताव स्वीकृत किये जा सकते हैं;]

(iii) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(iv) ''अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली'' से बोली की ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा अपात्र घोषित किये गये किसी देश की राष्ट्रीयता वालों को छोड़कर, संपूर्ण विश्व से अर्हित बोली लगाने वाले भाग लेने के लिए अनुज्ञात किये जाते है;

(v) ''राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली'' से बोली की ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें केवल भारत के अर्हित बोली लगाने वाले भाग लेने के लिए अनुज्ञात किये जाते है[4][;]

[2][(v–क) ''परियोजना प्रस्तावक'' से कोई ऐसी विधिक संस्था या व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्विस चैलेन्ज पद्धति के अधीन कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करता है;]

(vi) ''धारा'' से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा अभिप्रेत है [3][; और]

---

1. वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या प.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 24.1.2013 द्वारा राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) उप–खण्ड(I) दिनांक 24.1.2013 में प्रकाशित एवं दिनांक 26.1.2013 से प्रभावी।

2. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 5.6.2015 द्वारा अन्तःस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 5.6.2015 में प्रकाशित (5.6.2015 से प्रभावी)।

3. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 5.6.2015 द्वारा ''।'' के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 5.6.2015 में प्रकाशित (5.6.2015 से प्रभावी)

4. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 5.6.2015 द्वारा विद्यमान अभिव्यक्ति ''; और'' के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 5.6.2015 में प्रकाशित (5.6.2015 से प्रभावी)।

[1][(vii)''राज्य स्तरीय सशक्त समिति (रा.स्त.स.स.)'' से स्विस चैलेन्ज पद्धति के अधीन प्राप्त परियोजना पर विचार/परीक्षण/अनुमोदन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गयी राज्य स्तरीय सशक्त समिति अभिप्रेत है।]

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट किया गया है।

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 5.6.2015 द्वारा जोडा गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 5.6.2015 में प्रकाशित (5.6.2015 से प्रभावी)।

अध्याय–2

उपापन के लिए संगठनात्मक संरचना

3. उपापन समितियां.– (1) प्रत्येक उपापन संस्था निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए एक या इससे अधिक समितियों का गठन करेंगी, अर्थात् :–

(क) बोली दस्तावेज तैयार करना; (ख) बोलियों का खोलना;
(ग) बोलियों का मूल्यांकन; (घ) संविदा का अनुश्रवण;
(ङ) मौके पर क्रय; (च) प्रतियोगी बातचीत; और
(छ) उपापन से संबंधित कोई अन्य प्रयोजन, जैसा उपापन संस्था द्वारा विनिश्चित किया जाये।

(2) प्रत्येक समिति उपापन संस्था के वरिष्ठतम लेखा अधिकारी या पदधारी को सम्मिलित करते हुए तीन या इससे अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, और यदि अपेक्षित हो तो उपापन संस्था द्वारा एक तकनीकी पदधारी नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा। समिति में उपापन संस्था द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, कारण अभिलिखित करने के पश्चात् विषय–वस्तु विशेषज्ञ के रूप में एक परामर्शी भी नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(3) जटिल परियोजनाओं में परियोजना रिपोर्ट या बोली दस्तावेजों को तैयार करने का कार्य सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से परामर्शियों को समनुदिष्ट किया जा सकेगा।

4. राज्य लोक उपापन पोर्टल.– राज्य लोक उपापन पोर्टल, धारा 17 की उप–धारा (3) के खण्ड (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट सूचना के अतिरिक्त, ऐसी अन्य सूचना तक पहुंच उपलब्ध करायेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाये। प्रत्येक उपापन संस्था राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा अनुरक्षित राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अपेक्षित सूचना अपलोड कर प्रकाशित करेगी।

5. ई–उपापन.– प्राक्कलित मूल्य के उपापन की समस्त विषय वस्तु, जो धारा 28 की उप–धारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित* की जाये, ई–उपापन के माध्यम से उपापित की जायेंगी। ऐसे मामलों में प्रत्येक बोली लगाने वाला ऐसे उपयोक्ता प्रभारों का निक्षेप करेगा जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किये जाये। प्रत्येक बोली, बोली लगाने वाले द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित की जायेगी। ई–उपापन की प्रक्रिया राज्य लोक उपापन पोर्टल पर इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्टानुसार होगी।

*** ''उपापन के निम्नलिखित प्रकारों में इलेक्ट्रोनिक उपापन का अंगीकरण अनिवार्य होगा, अर्थात् :–**

1. दस लाख रुपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले माल और सेवाओं के उपापन; और।

2. पांच लाख रुपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले संकर्मों के उपापन।

यह अधिसूचना 01 सितम्बर, 2016 से प्रवृत्त होगी। ''

(अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 31.8.2016 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(II) दिनांक 31.8.2016 में प्रकाशित (1.9.2016 से प्रभावी) –

''उपापन के निम्नलिखित प्रकारों में इलेक्ट्रोनिक उपापन का अंगीकरण अनिवार्य होगा, अर्थात् :–

1. पच्चीस लाख रुपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले माल और सेवाओं के उपापन।

2. दस लाख रुपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले संकर्मों के उपापन। ''

(अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 16.9.2015, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 17.9.2015 में प्रकाशित (17.9.2015 से प्रभावी)।

अध्याय–3

उपापन के साधारण सिद्धान्त

6. आवश्यकता का अवधारण.– उपापन के प्रत्येक मामले में उपापन संस्था पहले आवश्यकता का अवधारण करेगी और अवधारण और आवश्यकता के निर्धारण से संबंधित दस्तावेजों का धारा 5 के उपबन्धों के अनुसार अनुरक्षण करेगी।

7. उपापन योजना.– (1) प्रत्येक उपापन संस्था द्वारा धारा 5 के अनुसार वर्ष के दौरान उपाप्त किये जाने वाले माल, संकर्मों या सेवाओं के प्रत्येक मद, के लिए उपापन योजना तैयार की जायेगी।

(2) उपापन योजना में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा :–

(क) उपापन की प्रकृति – माल / संकर्म / सेवायें;

(ख) मुख्य विनिर्देश – परिमाण / प्रकार / क्वालिटी;

(ग) प्राक्कलित मूल्य

[1][(घ)निधियों का स्रोत –राज्य निधि / केन्द्रीय सहायता / बाहरी रूप से सहायता प्राप्त परियोजना / अन्य;]

(ङ) बजट कोड

(च) उपापन की अनुसरण की जाने वाली संभाव्य पद्धति;

(छ) बोली प्रक्रिया के लिए समयसीमा; और

(ज) आगामी वित्तीय वर्ष या पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्षों में अपेक्षित निधियों को परिलक्षित करने के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय या संकर्म के पूरा करने के लिए समयसीमा।

(3) योजना उपापन संस्था के विभिन्न सोपान क्रमिक अधिकारियों से प्रत्येक मद के लिए प्राप्त आदानों पर आधारित होगी।

8. संख्यांकन परिपाटी.– किसी उपापन संस्था द्वारा जिम्मे ली गयी प्रत्येक उपापन प्रक्रिया का विशिष्ट बोली संख्यांक होगा जो बोली लगाने की प्रक्रिया के दौरान और उसके पश्चात् ट्रैकिंग प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा। विशिष्ट बोली संख्यांक विभाग / उपापन संस्था, उपापन का प्रकार, उपापन का देहरी मूल्य और पद्धति, वर्ष और उस विशिष्ट वर्ष में बोली का क्रम संख्यांक प्रकट करने के लिए संकेतकी के रूप में तैयार किया जायेगा।

9. उपापन प्रबंधन सूचना प्रणाली और ट्रैकिंग.– प्रत्येक उपापन संस्था उपापन प्रक्रिया ट्रैक करने के लिए उपापन प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करेगी और उसका अनुरक्षण करेगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात् :–

(क) उपापन प्रक्रिया के कार्यसम्पादन को ट्रैक करने के क्रम में सूचना का समाकलन त्रैमासिक आधार पर उपापन संस्था के स्तर पर किया जायेगा और उपापन संस्था के स्तर पर सदैव संदर्भ के लिए उपलब्ध होगा तथा समाकलन हेतु संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजा जायेगा। प्रशासनिक विभाग संकलित उपापन प्रबंधन सूचना को त्रैमासिक रूप से आगे राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ को भेजेगा।

---

1. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफ.डी. / एसपीएफसी / 2017 दिनांक 2.8.2017 द्वारा प्रतिस्थापित। राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 (ग) (I) दिनांक 4.8.2017 में प्रकाशित (4.8.2017 से प्रभावी) –"(घ) निधियों का स्रोत –आयोजना / गैर–आयोजना / केन्द्रीय प्रवर्तित स्कीम / बाह्य सहायताप्राप्त परियोजना / अन्य;''

(ख) प्रबंधन सूचना प्रणाली संपूर्ण उपापन चक्र को समाविष्ट करेगी और विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित कार्यसम्पादन लक्ष्यों को सम्मिलित करेगी।

(ग) उपापन प्रबंधन सूचना प्रणाली, समय के किसी भी बिन्दु पर बोली की प्रास्थिति के बारे में वास्तविक–समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए गहन विश्लेषण और सरल उपयोग के प्रश्न आधारित रूपविधान में विकसित की जायेगी। इसे संविदाओं की पालना, विलम्बों और अधिरोपित शास्तियों को सम्मिलित करते हुए विभिन्न पैरामीटरों पर आगे और पालना ट्रैक करने के क्रम में राज्य लोक उपापन पोर्टल पर एकीकृत किया जायेगा।

10. उपापन रजिस्टर.– प्रत्येक उपापन संस्था उपापन रजिस्टर का संधारण करेगी और उपापन रजिस्टर की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करेगी।

11. प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृतियां और बजट व्यवस्था की उपलब्धता.– प्रत्येक उपापन के लिए समस्त अपेक्षित अनुमोदन और स्वीकृतियां, जो लागू हों, अभिप्राप्त करना आवश्यक होगा। संकर्मों के उपापन की दशा में इसमें प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और विनियोग या पुनर्विनियोग सम्मिलित होंगे। उपापन संस्था के पास विषयवस्तु के उपापन के लिए उसे प्रत्यायोजित आवश्यक वित्तीय शक्तियां होनी चाहिए।

12. उपापन के मूल्य से संबंधित बाध्यताएं.– उपापन के मूल्य से संबंधित बाध्यताएं धारा 8 के उपबंधों के अनुसार होगी।

13. बोली लगाने वालों का भाग लेना.– (1) उपापन संस्था, उपापन प्रक्रिया में बोली लगाने वालों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करते समय घोषणा करेगी कि क्या बोली लगाने वालों का भाग लेना सीमित है या नहीं और यदि सीमित है तो उसके आधार। ऐसी घोषणा में साधारणतया बाद में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(2) सामान्यतः राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (रा प्र बो) की प्रक्रिया को अंगीकृत किया जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (अ प्र बो) की पद्धति को अंगीकृत किया जा सकेगा यदि किसी अन्तरसरकारी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के साथ किसी करार की बाध्यता के अधीन कतिपय उपापनों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली अंगीकृत करने की ऐसी कोई शर्त विद्यमान हो, या उपापन की विषय वस्तु ऐसी है कि उपापन संस्था की राय में, कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली को अंगीकृत किया जाना लोकहित में होगा।

[1][(3) सामान्यतः 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी बोलियों के लिए अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (अ.प्र.बो.) की प्रक्रिया अनुज्ञात नहीं की जायेगी। यदि 200 करोड़ रुपये से नीचे की सरकारी बोलियों के लिए अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली अंगीकृत की जाती है तो वित्त विभाग से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किया जायेगा। यदि उपापन की विषयवस्तु ऐसी है कि कारण लेखबद्ध किये जाने के पश्चात्, उपापन करने वाली संस्था की राय में अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली को अंगीकृत किया जाना लोकहित में होगा तो, 200 करोड़ रुपये से ऊपर की सरकारी बोलियों में अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली अंगीकृत की जा सकेगी।

(4) राज्य में किसी लोक उपापन में भागीदारी के लिए भारत की सीमाओं से लगे हुए देशों से संबंधित या हिताधिकारी स्वामित्व वाले बोलीदाता, राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग में पूर्व रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् ही अनुज्ञात किये जायेंगे।

1. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 01.01.2021 से जोड़ा गया, राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 (ग) (I) दिनांक 01.01.2021 में प्रकाशित।

(5) उपर्युक्त उप–नियम (2) और, यथास्थिति, (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, धारा 6 की उप–धारा (4) के खण्ड (घ) में यथा विनिर्दिष्ट भारत की आवश्यक सुरक्षा और युद्धनीतिक हित को संरक्षित करने के लिए भारत की रक्षा, या राष्ट्रीय सुरक्षा को सम्मिलित करते हुए उससे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबंधित मामलों के आधार पर, किसी देश या देशों या देशों के वर्ग के बोलीदाताओं से उपापन पर, पूर्व रजिस्ट्रीकरण और/या छानबीन को सम्मिलित करते हुए, लिखित आदेश द्वारा, निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगी, ऐसे निर्बंधनों के उल्लंघन में कोई उपापन नहीं होगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए,–

(i) ''अभिकर्ता''से अन्य के लिए कोई कृत्य करने या तृतीय व्यक्ति के साथ व्यवहार में अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ii) ''हिताधिकारी स्वामी''से अभिप्रेत है,–

(क) किसी कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी के मामले में, ''हिताधिकारी स्वामी'' वह प्रकृत व्यक्ति है या वे प्रकृत व्यक्ति हैं, जो चाहे अकेले या साथ मिलकर या एक या अधिक विधिक व्यक्तियों के माध्यम से कृत्य कर रहा है या कर रहे हैं, जिसके/जिनके पास, नियंत्रक स्वामित्व हित है या जो अन्य व्यक्ति के माध्यम से नियंत्रण करता है/करते हैं;

(ख) ''नियंत्रक स्वामित्व हित'' कंपनी के अंशों या पूंजी या फायदों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या उसकी हकदारी है;

(ग) ''नियंत्रण'' में निदेशकों की बहुसंख्या को नियुक्त करने या प्रबंध या नीतिगत निर्णयों, जिनके अंतर्गत उनकी अंशधारिता या प्रबंध अधिकारों या अंशधारकों के करारों या मतदान करारों के आधार पर किये गये नीतिगत निर्णय आते हैं, को नियंत्रित करने का अधिकार सम्मिलित होगा;

(घ) भागीदारी फर्म के मामले में, ''हिताधिकारी स्वामी'' वह प्रकृत व्यक्ति है या वे प्रकृत व्यक्ति हैं, जिसके/जिनके पास, चाहे वह अकेले या साथ मिलकर या एक या अधिक विधिक व्यक्तियों के माध्यम से कृत्य कर रहा है या कर रहे हैं, भागीदारी की पूंजी या उसके फायदों के पंद्रह प्रतिशत से अधिक की हकदारी या स्वामित्व है;

(ङ.) अनिगमित संगम या व्यष्टि निकाय के मामले में ''हिताधिकारी स्वामी'' वह प्रकृत व्यक्ति है या वे प्रकृत व्यक्ति हैं जिसके/जिनके पास, चाहे वह अकेले या साथ मिलकर या एक या अधिक विधिक व्यक्तियों के माध्यम से कृत्य कर रहा है या कर रहे हैं, ऐसे संगम या व्यष्टि निकाय की संपत्ति या पूंजी या उसके फायदों के पंद्रह प्रतिशत से अधिक की हकदारी या स्वामित्व है;

(च) जहां उपर्युक्त उप–खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) या (ङ.) के अधीन कोई प्रकृत व्यक्ति परिलक्षित नहीं किया गया है, ''हिताधिकारी स्वामी'' वह सुसंगत प्रकृत व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंधक पदधारी का पद धारण करता है;

(छ) न्यास के मामले में, हिताधिकारी स्वामी या स्वामियों के परिलक्षण में न्यासकर्ता, न्यासी, न्यास में पन्द्रह प्रतिशत या अधिक का हित रखने वाले हिताधिकारी और नियंत्रण या स्वामित्व श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखने वाला कोई अन्य प्रकृत व्यक्ति सम्मिलित होगा;

(iii) ''भारत की सीमाओं से लगे हुए देश के बोलीदाता''से अभिप्रेत है,–

(क) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था;

(ख) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या रजिस्ट्रीकृत किसी संस्था का कोई समनुषंगी;

(ग) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या रजिस्ट्रीकृत संस्था के माध्यम से सारतः नियंत्रित कोई संस्था;

(घ) कोई संस्था जिसका हिताधिकारी स्वामी ऐसे देश में स्थित है;

(ङ.) ऐसी संस्था को कोई भारतीय (या अन्य) अभिकर्ता;

(च) कोई प्रकृत व्यक्ति जो ऐसे देश का नागरिक है;

(छ) कोई कन्सोरटियम या सहउद्यम जहां कन्सोरटियम या सहउद्यम का कोई सदस्य उपर्युक्त किसी के अधीन आता है।]

अध्याय – 4
उपापन की पद्धतियां

14. उपापन की पद्धतियां.– अधिनियम, इन नियमों, धारा 37 के अधीन अधिसूचित किन्हीं अतिरिक्त शर्तों और अधिनियम के अधीन जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई उपापन संस्था धारा 28 की उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट या अधिसूचित पद्धतियों में से किसी एक पद्धति से उपापन की विषयवस्तु का उपापन कर सकेगी।

15. खुली प्रतियोगी बोली.– खुली प्रतियोगी बोली के माध्यम से किसी विषयवस्तु के उपापन की पद्धति इन नियमों के अध्याय 5 में विनिर्दिष्टानुसार होगी।

[1][**15क. स्विस चैलेन्ज पद्धति**.– स्विस चैलेन्ज पद्धति के माध्यम से किसी विषय–वस्तु के उपापन के लिए प्रक्रिया वह होगी जो इन नियमों के अध्याय–5क में विनिर्दिष्ट की जाये।]

16. सीमित बोली.– (1) धारा 30 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार किसी विषयवस्तु के उपापन की दशा में, कोई उपापन संस्था सीमित बोली की पद्धति अंगीकृत कर सकेगी यदि विषयवस्तु की प्राक्कलित लागत या मूल्य एक बार में दो लाख रुपये से कम हो किन्तु वित्तीय वर्ष में यह दस लाख रुपये से अधिक नहीं होगा [2][:]

[3][परन्तु यह कि कोई पंचायती राज संस्था या उसकी समिति सीमित बोली की पद्धति अंगीकृत कर सकेगी यदि उस विषयवस्तु की प्राक्कलित लागत या मूल्य एक अवसर पर [4][छः लाख] रुपये से कम हो किन्तु यह किसी वित्तीय वर्ष में [5][साठ लाख] रुपये से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि उपापन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पंचायती राज संस्था या उसकी समिति द्वारा किया जायेगा।]

(2) सीमित बोली की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(क) उपापन संस्था बोली का आमंत्रण राज्य लोक उपापन पोर्टल पर इसे प्रदर्शित कर और निम्नलिखित को सीधे लिखकर, और उसी दिन जारी करेगी,–

(i) सभी बोली लगाने वालों को, जो धारा 30 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के निबंधनों के अनुसार उपापन की विषयवस्तु का प्रदाय कर सकते हैं ; या

(ii) सभी बोली लगाने वालों को, जो उपापन संस्था के साथ उपापन की विषयवस्तु के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं या जहां कोई उपापन संस्था उपापन की विषयवस्तु के संबंध में बोली लगाने वालों को रजिस्टर नहीं करती है वहां किसी अन्य उपापन संस्था के रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों को, यदि कोई हों ; या

(iii) यदि रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाले उपलब्ध नहीं हों तो कम से कम तीन विनिर्माताओं, प्राधिकृत व्यवहारियों, प्राधिकृत सेवा केन्द्रों, सद्भाविक व्यवहारियों या सेवा प्रदाताओं को।

(ख) उपापन संस्था बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ऐसे समस्त भावी बोली लगाने वालों को अनुज्ञात कर सकेगी जो बोली दस्तावेजों में उपापन के लिए अधिकथित अर्हता कसौटी को पूरा करते है चाहे ऐसे बोली लगाने वालों को बोली लगाने का आमंत्रण जारी किया गया हो या नहीं।

(ग) बोली लगाने वालों को उनकी बोली प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम सात दिवस की कालावधि, आपातकालीन दशा में, कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, तीन दिवस की कालावधि दी जायेगी।

....

1.अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 5.6.2015 द्वारा अन्तःस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 5.6.2015 में प्रकाशित (5.6.2015 से प्रभावी)।

2.अधिसूचना संख्या एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 14.7.2016 द्वारा विद्यमान विराम चिन्ह "।" के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 14.7.2016 में प्रकाशित (14.7.2016 से प्रभावी)।

3.अधिसूचना संख्या एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 14.7.2016 द्वारा जोडा गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 14.7.2016 में प्रकाशित (14.7.2016 से प्रभावी)।

4. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 1.10.2021 द्वारा विद्यमान शब्द "पांच लाख" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 1.10.2021 में प्रकाशित।

5.अधिसूचना संख्या एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 1.10.2021 द्वारा विद्यमान शब्द "पचास लाख" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 1.10.2021 में प्रकाशित।

(घ) यदि धारा 30 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन सीमित बोली आमंत्रित की जाती है तो बोली की प्रतिभूति अभिप्राप्त नहीं की जायेगी।

(ङ) सीमित बोली द्वारा उपापन की शेष प्रक्रिया के लिए अध्याय 5 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे सिवाय नियम 43 के उप–नियम (6) या (7) के अनुसार समाचार पत्रों में बोली आमंत्रित करने के नोटिस के प्रकाशन के।

17. एकल स्रोत उपापन.– (1) धारा 31 की उप–धारा (1) में प्रगणित शर्तों के अतिरिक्त, कोई उपापन संस्था एकल स्रोत उपापन की पद्धति द्वारा विषयवस्तु का उपापन कर सकेगी यदि–

[1][(क) वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अध्यधीन रहते हुए, चौबीस मास तक की कालावधि के लिए, और प्रत्येक मामले में बारह लाख रुपये की वित्तीय सीमा तक परामर्शी या वृत्तिक की सेवाएं भाड़े पर लेना आवश्यक हो :]

[2][परंतु उपर्युक्त समय कालावधि और वित्तीय सीमा वहां लागू नहीं होगी जहां सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की सेवाएं भाड़े पर ली जानी आवश्यक हो, तब सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की ऐसी सेवाएं भाड़े पर ली जा सकेंगी और पारिश्रमिक ऐसी दर पर संदत्त किया जायेगा जो, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर नियत की जाये।]

(ख) उपापन की विषयवस्तु का मूल्य राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित हो।

(2) एकल स्रोत उपापन के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

[3][(क) उपापन संस्था किसी एकल भावी बोली लगाने वाले से किसी बोली की अभ्यर्थना करेगी और यदि उपापन का मूल्य एक लाख रुपये या उससे अधिक है तो बोली के आमंत्रण को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी प्रदर्शित करेगी। उपापन संस्था राज्य लोक उपापन पोर्टल पर बोली के आमंत्रण को प्रदर्शित नहीं करेगी जहां,–

(i) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की सेवाएं उप–नियम (1) के खण्ड (क) के परन्तुक के अधीन अपेक्षित हों; या

(ii) उपापन इकाई की यह राय है कि उपापन की विषय–वस्तु धारा 31 की उप–धारा (1) के खण्ड (ड.) या (ज) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की है।

तथापि, ऐसे मामलों में जहां सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की सेवाएं भाड़े पर ली जाती हैं, कार्य आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।]

(ख) उपापन संस्था बोली लगाने वाले से सद्भावपूर्वक बातचीत कर सकेगी।

(ग) एकल स्रोत, उपापन संस्था के साथ उपापन की विषयवस्तु के लिए पैनलित/रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों या किसी अन्य उपापन संस्था के साथ विषय वस्तु के लिए पैनलित/रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची में से, जहां उपापन संस्था धारा 19 की उप–धारा (5) के निबंधनों में अन्य उपापन संस्था के रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची का उपयोग करती है, या अन्य विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से अभिज्ञात उपयुक्त बोली लगाने वालों में से चयनित किया जा सकेगा।

---

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 4.9.2013 में प्रकाशित (4.9.2013 से प्रभावी) एवं अधिसूचना संख्या प. 2 (1) वित्त/जीएण्डटी (एसपीएफसी)/2017 दिनांक 6.8.2018 द्वारा पुनः प्रतिस्थापित (6.8.2018 से प्रभावी) :–
''(क) वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अध्यधीन बारह मास की अधिकतम कालावधि के लिए राज्य सरकार के विभागों या उनसे संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के लिए प्रत्येक मामले में पांच लाख रुपये की वित्तीय सीमा तक और अन्य उपापन संस्थाओं के लिये प्रत्येक मामले में बारह लाख रुपये की वित्तीय सीमा तक परामर्शी या वृत्तिक की सेवाएं भाड़े पर लेना आवश्यक हो; या''
2. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफ.डी./जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 10.07.2023 द्वारा जोड़ा गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 10.7.2023 में प्रकाशित ।
3. अधिसूचना संख्या एफ.2(3)एफडी/एफआर/एसपीएफसी/2024 दिनांक 19.12.2024 द्वारा प्रतिस्थापित – ''(क) उपापन संस्था किसी एकल भावी बोली लगाने वाले से किसी बोली की अभ्यर्थना करेगी और यदि उपापन का मूल्य एक लाख या उससे अधिक है तो बोली के आमंत्रण को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी प्रदर्शित करेगी। उपापन संस्था राज्य लोक उपापन पोर्टल पर बोली के आमंत्रण को प्रदर्शित नहीं करेगी यदि उसकी यह राय है कि उपापन की विषयवस्तु धारा 31 की उप–धारा (1) के खण्ड (ङ) या (ज) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की है।''

(घ) एकल स्रोत उपापन की दशा में बोली की प्रतिभूति अभिप्राप्त नहीं की जायेगी।

(ङ) इस नियम और पूर्व–अर्हता कार्यवाहियों, बोली की प्रतिभूति, समाचार पत्रों में बोली आमंत्रित करने के नोटिस के प्रकाशन, बोली दस्तावेजों का मूल्य, बोली दस्तावेजों के विक्रय, बोली–पूर्व स्पष्टीकरणों, बोलियों के अपवर्जन, राजस्थान की और बाहर की फर्मों की दरों की तुलना, मूल्यांकन में कीमत/क्रय अधिमान, अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के मध्य परिमाण विभाजित करने से संबंधित अध्याय 5 के उपबंधों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्याय 5 के समस्त अन्य उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे किन्तु उप–नियम (1) के अधीन आने वाले मामलों में कार्य सम्पादन प्रतिभूति अभिप्राप्त नहीं की जायेगी।

(3) उप–नियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बाढ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न आपात परिस्थिति में, उपापन की विषयवस्तु का उपापन अधिकतम दरों की सीमा तक किया जा सकेगा। निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति, गत छह मास के दौरान प्राप्त दरों या विद्यमान बाजार दर विश्लेषण के आधार पर उपापन की विषयवस्तु के लिए अधिकतम दरें विनिश्चित करेगी, अर्थात् :–

(क) जिला कलक्टर – अध्यक्ष

(ख) संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी – सदस्य

(ग) कोषाधिकारी – सदस्य सचिव

(घ) विशेष आमंत्रित, यदि आवश्यक हो, – सदस्य

18. द्वि–प्रकमी बोली.– द्वि–प्रकमी बोली के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(क) बोली प्रक्रिया के प्रथम प्रक्रम में, उपापन संस्था उपापन की विषयवस्तु के संबंध में वृत्तिक और तकनीकी क्षमता, बोली लगाने वालों की अर्हताओं और प्रस्तावित उपापन के संविदा संबंधी निबंधनों और शर्तों को अन्तर्विष्ट करने वाले प्रस्ताव आमंत्रित करेगी।

(ख) प्रथम प्रक्रम की समस्त बोलियों का, जो अन्यथा पात्र है, इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया और बोली दस्तावेजों के अनुसार, बोली मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा।

(ग) समिति बोली लगाने वालो ं के साथ विचार–विमर्श कर सकेगी और यदि ऐसा कोई विचार–विमर्श किया जाता है तो समस्त बोली लगाने वालों को विचार–विमर्श में भाग लेने का समान अवसर प्रदान किया जायेगा।

(घ) उपापन के तकनीकी डिजाइन, अनुबंधों, सुसंगत निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण करते समय, उपापन संस्था उपापन के मौलिक स्वरूप को उपांतरित नहीं करेगी किन्तु उपापन की विषयवस्तु के किसी विनिर्देश को या मूल्यांकन की कसौटी को जोड़, संशोधित या विलोपित कर सकेगी।

(ङ) धारा 29 और 30 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोली प्रक्रिया के द्वितीय प्रक्रम में उपापन संस्था, उन समस्त बोली लगाने वालों से, जिनकी बोली प्रथम प्रक्रम में अस्वीकृत नहीं हुई थी, उपापन के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षित समुच्चय के प्रत्युत्तर में बोली की कीमतों और विस्तृत तकनीकी बोली के साथ, अंतिम बोली प्रस्तुत करने के लिए, बोली आमंत्रित करेगा।

(च) कोई बोली लगाने वाला, जिसे बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है किन्तु जो विनिर्देशों में परिवर्तन के कारण उपापन की विषयवस्तु के प्रदाय की स्थिति में न हो, बोली की प्रतिभूति के समपहरण के दायित्व के बिना बोली की कार्यवाहियों से पीछे हट सकेगा।

(छ) इस नियम में यथा–उपबंधित के सिवाय, अध्याय 5 के समस्त अन्य उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

19. इलेक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम की प्रक्रिया.– (1) उपापन संस्था नियम 43 के अनुसार प्रकाशित किये जाने वाले इलेक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के लिए आमंत्रण द्वारा बोली की अभ्यर्थना करेगी। आमंत्रण में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :–

(क) उपापन संस्था का नाम और पता और ई–मेल पता, यदि कोई हो,

(ख) उपापन की विषयवस्तु का ब्यौरेवार विवरण और ऐसी विषयवस्तु उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षितसमय और स्थान ;

(ग) उपापन संविदा के निबंधन और शर्तें, उस विस्तार तक जहां तक वे उपापन संस्था को पहले से ज्ञात हो, और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने वाली संविदा का प्ररूप, यदि कोई हो;

(घ) बोली लगाने वालों की अर्हताओं को अभिनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कसौटी और प्रक्रियाएं और कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य सूचना जो बोली लगाने वालों द्वारा उनकी अर्हताएं प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए ;

(ङ) उपापन की विषयवस्तु के विवरण के विरूद्ध बोलियों का परीक्षण करने के लिए कसौटी और प्रक्रिया ;

(च) किसी गणितीय सूत्र को सम्मिलित करते हुए, जो नीलाम के दौरान मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जायेगा, बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए कसौटी और प्रक्रिया;

(छ) ऐसे कथन को सम्मिलित करते हुए कि क्या कीमत में उपापन की विषयवस्तु की लागत से अन्यथा तत्व जैसे कोई लागू परिवहन, बीमा प्रभार, सीमा शुल्क, कर इत्यादि समाविष्ट है, रीति जिसमें बोली की कीमत निश्चित और अभिव्यक्त की जानी है ;

(ज) नीलाम के लिए रजिस्टर किये जाने के लिए अपेक्षित बोली लगाने वालों की न्यूनतम संख्या ;

(झ) नीलाम तक कैसे पहुंचा जा सकता है ;

(ञ) समय–सीमा जिस तक बोली लगाने वालों को नीलाम के लिए रजिस्टर करा लेना चाहिए और रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षाएं ;

(ट) नीलाम के खुलने की तारीख और समय और नीलाम के खुलने के समय बोली लगाने वालों की पहचान के लिए अपेक्षाएं ;

(ठ) नीलाम बंद करने को शासित करने वाली कसौटी;

(ड) जानकारी जो नीलाम के अनुक्रम में बोली लगाने वालों को उपलब्ध करायी जायेगी, भाषा जिसमें यह उपलब्ध करायी जायेगी और शर्तें जिनके अधीन बोली लगाने वाले बोली लगायेंगे, को सम्मिलित करते हुए नीलाम के संचालन के लिए अन्य नियम;

(ढ) उपापन कार्यवाहियों से प्रत्यक्षतः संबंधित अधिनियम और इन नियमों, और अन्य विधियों और विनियमों के संदर्भ उनको सम्मिलित करते हुए जो वर्गीकृत सूचना अन्तर्वर्लित करने वाले उपापन पर लागू हैं, और वह स्थान जहां ये विधियां और विनियम उपलब्ध हो सकेंगे;

(ण) साधन जिनके द्वारा बोली लगाने वाले उपापन कार्यवाहियों संबंधी सूचना का स्पष्टीकरण चाह सकेंगे;

(त) उपापन संस्था के एक या इससे अधिक अधिकारियों या कर्मचारियों के नाम, पदनाम और ई–मेल पते, यदि कोई हों, सहित पते जो उपापन कार्यवाहियों के संबंध में, नीलाम के पूर्व और पश्चात्, किसी मध्यवर्ती के मध्यक्षेप के बिना, बोली लगाने वाले के साथ सीधे ही सम्पर्क करने और उनसे सीधे ही संसूचना प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हों;

(थ) किसी लिखित उपापन संविदा के निष्पादन के पूर्व अर्हताओं या प्रत्युत्तरदायिता के अभिनिश्चय, जहां लागू हो, को सम्मिलित करते हुए किन्हीं औपचारिकताओं का सत्यापन और ऐसी औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात् ही संविदा प्रवृत्त होगी; और

(द) कोई अन्य अपेक्षा जो इस प्रयोजन के लिए उपापन संस्था द्वारा आवश्यक समझी जाये।

(2) उपापन संस्था, दिये गये उपापन की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह विनिश्चय कर सकेगी कि इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम से पूर्व आरंभिक बोलियों का परीक्षण या मूल्यांकन किया जायेगा। ऐसे मामलों में, नीलाम के लिए आमंत्रण में इस नियम के उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना के अतिरिक्त,–

(क) आरंभिक बोलियां तैयार करने के लिए अनुदेशों के साथ, आरंभिक बोलियां प्रस्तुत करने का आमंत्रण; और

(ख) आरंभिक बोलियां प्रस्तुत करने की रीति, स्थान और समय सीमा ; सम्मिलित होगी।

(3) जहां आरंभिक बोलियों का मूल्यांकन इलेक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम से पूर्व किया गया है वहां उपापन संस्था, आरंभिक बोलियों के मूल्यांकन के पूर्ण होने के पश्चात्, तत्परता से ,–

(क) प्रत्येक बोली लगाने वाले को, जिसकी आरंभिक बोली अस्वीकृत की गयी है, अस्वीकृति के लिए कारण विनिर्दिष्ट करते हुए, अस्वीकृति का नोटिस प्रेषित करेगी ;

(ख) प्रत्येक अर्हित बोली लगाने वाले को, जिसकी आरंभिक बोली प्रत्युत्तरदायी है, नीलाम में भाग लेने के लिए अपेक्षित समस्त सूचना उपलब्ध कराते हुए नीलाम का आमंत्रण जारी करेगी ; और

(ग) जहां आरंभिक बोलियों का मूल्यांकन किया जा चुका है वहां नीलाम के प्रत्येक आमंत्रण के साथ बोली लगाने वाले, जिसे आमंत्रण संबोधित किया गया है, को यथा–सुसंगत मूल्यांकन का परिणाम भी संलग्न होगा।

20. इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के लिए रजिस्ट्रीकरण और नीलाम आयोजित करने का समय.– (1) इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के लिए रजिस्ट्रीकरण की पुष्टि से प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाले को तत्परता से संसूचित किया जायेगा।

(2) यदि इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के लिए रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की संख्या तीन से कम है तो प्रभावी प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के लिए, उपापन संस्था नीलाम को रद्द कर सकेगी। नीलाम के रद्दकरण से प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाले को तत्परता से संसूचित किया जायेगा।

(3) इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के लिए आमंत्रण जारी करने और नीलाम के बीच समय की कालावधि, उपापन संस्था की युक्तियुक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, नीलाम के लिए बोली लगाने वालों को तैयारी के लिए, न्यूनतम सात दिवस होगी।

21. इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के दौरान अपेक्षाएं.– (1) इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम निम्नलिखित पर आधारित होगा,–

(क) कीमत, जहां उपापन संविदा न्यूनतम कीमत बोली के लिए अधिनिर्णीत की जानी है ; या

(ख) कीमत और बोली लगाने वाले को विनिर्दिष्ट अन्य कसौटी, जो लागू हो, जहां उपापन संविदा, सर्वाधिक लाभप्रद बोली के लिए अधिनिर्णीत की जानी है।

(2) नीलाम के दौरान :–

(क) समस्त बोली लगाने वालों को उनकी बोली प्रस्तुत करने का समान और निरन्तर अवसर होगा ;

(ख) बोली लगाने वालों के लिए उपलब्ध करवायी गयी कसौटी, प्रक्रिया और फार्मूला के अनुसार समस्त बोलियों का स्वचलित मूल्यांकन होगा ;

(ग) प्रत्येक बोली लगाने वाले को नीलाम के दौरान तत्काल और निरन्तरता के आधार पर, अन्य बोलियों के मुकाबले में उसकी बोली की अवस्थिति का अवधारण करने के लिए उसे अनुज्ञात पर्याप्त सूचना, प्राप्त होनी चाहिए, और

(घ) उपर्युक्त खण्डों (क) और (ग) में यथा–उपबंधित के सिवाय, उपापन संस्था और बोली लगाने वालों या बोली लगाने वालों के बीच कोई संपर्क नहीं होगा।

(3) उपापन संस्था नीलाम के दौरान किसी बोली लगाने वाले की पहचान प्रकट नहीं करेगी।

(4) नीलाम, बोली लगाने वालों के लिए विनिर्दिष्ट कसौटी के अनुसार बंद किया जायेगा।

(5) उपापन संस्था नीलाम को, उसकी संचार प्रणाली की विफलता की दशा में जो उस नीलाम के उचित संचालन को जोखिम में डाले, निलम्बित या रद्द करेगी। उपापन संस्था धारा 26 के उपबंधों के अधीन भी उपापन प्रक्रिया को रद्द कर सकेगी।

22. इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के पश्चात् अपेक्षाएं.– (1) इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के बंद होने पर न्यूनतम कीमत बोली या, यथास्थिति, सर्वाधिक लाभप्रद बोली, सफल बोली होगी।

(2) किसी नीलाम के माध्यम से उपापन में जिसकी प्रारंभिक बोलियों का पूर्व में परीक्षण या मूल्यांकन नहीं किया था, उपापन संस्था नीलाम के पश्चात् सफल बोली की

प्रत्युत्तरदायिता और इसे प्रस्तुत करने वाले बोली लगाने वाले की अर्हताएं अभिनिश्चित करेगी। उपापन संस्था उस बोली को अस्वीकार करेगी यदि वह गैर–प्रत्युत्तरदायी पायी जाये या यदि बोली लगाने वाला जिसने उसे प्रस्तुत किया है, अयोग्य पाया जाये। उपापन को रद्द करने के उपापन संस्था के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपापन संस्था उस बोली का चयन कर सकेगी जो नीलाम के बंद होने पर अगली निम्नतम कीमत या अगली सर्वाधिक लाभप्रद बोली थी यदि वह बोली प्रत्युत्तरदायी अभिनिश्चित की जाये और उसे प्रस्तुत करने वाला बोली लगाने वाला अर्हित अभिनिश्चित किया जाये।

23. इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के लिए अन्य उपबंध.– नियम 19 से 22 में जैसा अन्यथा उपबंधित है के सिवाय, अध्याय–5 के उपबंध, नियम 40, 49, 50, 52, 64, 68 और 69 के सिवाय, यथावश्यक परिवर्तनों सहित इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम पर लागू होंगे।

24. कोटेशनों के लिए अनुरोध.– (1) कोई उपापन संस्था, उपापन के लिए कोटेशन के लिए अनुरोध की पद्धति अंगीकृत कर सकेगी यदि उपापन की विषय–वस्तु की प्राक्कलित लागत या मूल्य एक अवसर पर एक लाख रुपये से कम हो किन्तु यह एक वित्तीय वर्ष में पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

(2) कोटेशन के अनुरोध के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(क) कोटेशन न्यूनतम तीन के अध्यधीन रहते हुए, यथासाध्य संभावी बोली लगाने वालों से मांगे जायेंगे ;

(ख) प्रत्येक बोली लगाने वाला, जिससे कोटेशन का अनुरोध किया गया है, को सूचित किया जायेगा कि क्या उपापन की विषय–वस्तु स्वयं के प्रभारों से भिन्न कोई अन्य तत्व जैसे परिवहन, बीमा प्रभार, सीमा शुल्क, कर इत्यादि, जो लागू हों, कीमत में सम्मिलित किये जाने हैं।

(ग) प्रत्येक बोली लगाने वाले को केवल एक कोटेशन देने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

(घ) कोटेशन के लिए अनुरोध में यथा–उपवर्णित उपापन संस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला न्यूनतम कीमत वाला कोटेशन सफल कोटेशन होगा।

25. मौके पर क्रय.– (1) कोई उपापन संस्था, उपापन के लिए मौके पर क्रय की पद्धति को अंगीकृत कर सकेगी यदि उपापन की विषय–वस्तु की प्राक्कलित लागत या मूल्य एक अवसर पर पचास हजार रुपये से कम हो किन्तु यह एक वित्तीय वर्ष में तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

(2) कोई उपापन संस्था, मौका क्रय समिति की सिफारिश पर उपापन की विषय–वस्तु का उपापन कर सकेगी। समिति दर, गुणवत्ता और विर्निदेशों की युक्तियुक्तता अभिनिश्चित करने और विषय–वस्तु के समुचित प्रदायकर्ता की पहचान करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी और निम्नलिखित प्रमाणपत्र अभिलिखित करेगी –

'' प्रमाणित किया जाता है कि हम .... (समिति के सदस्यों के नाम) मौका क्रय समिति के सदस्यों का संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से यह समाधान हो गया है कि सिफारिश की गयी उपापन

की विषय–वस्तु, अपेक्षित विनिर्देशों और गुणवत्ता की है, प्रचलित बाजार दर की कीमत की हैं और सिफारिश किया गया प्रदायकर्त्ता विश्वसनीय है और प्रश्नगत विषय–वस्तु का प्रदाय करने/उपलब्ध कराने में सक्षम है।''

26. कोटेशनों के बिना उपापन.– किसी वित्तीय वर्ष के दौरान एक लाख रुपये से नीचे की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, एक अवसर पर दस हजार रुपये तक मूल्य के उपापन की विषय वस्तु, सरकारी विभागों/निगमों, प्राधिकृत व्यवहारियों, सहकारी स्टोर्स/भंडारों या ऐसे फुटकर विक्रेताओं से, जो उपापन की विषय–वस्तु के सद्भावी व्यवहारी हैं, कोटेशन आमंत्रित किये बिना उपाप्त की जा सकेगी।

27. कार्य आदेश प्रणाली और पीस वर्क प्रणाली द्वारा संकर्मों का उपापन.– (1) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पांच लाख रुपये की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक अवसर पर एक लाख रुपये से कम मूल्य के संकर्म, कार्य आदेश प्रणाली द्वारा उपाप्त किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण : कार्य आदेश प्रणाली से विनिर्दिष्ट समय में अनुसूचित दरों पर किसी संकर्म को निष्पादन करने के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाले को सीधे ही आदेश देकर उपापन की रीति अभिप्रेत है।

(2) कार्य आदेश प्रणाली के माध्यम से उपापन के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(क) कार्य आदेश में परिमाण, दर और पूर्ण करने का समय सदैव वर्णित होगा। नियत समय के भीतर कार्य पूर्ण होने में विफलता के लिए शास्ति भी विनिर्दिष्ट होगी। किसी कार्य आदेश पर अधिकतम कार्य जो आवंटित किया जा सकेगा वह एक लाख रुपये से कम का होगा ;

(ख) कार्य आदेश केवल रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाले को दिया जायेगा ;

(ग) कार्य आदेश संबंधित खण्ड/उप–खण्ड के लिए लागू अनुमोदित दरों की अनुसूची पर ही दिया जा सकेगा। अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य आदेश पर अनुज्ञात की गयी दरें क्षेत्र में प्रचलित खुली बोली की दरों से अधिक नहीं है ;

(घ) कार्य आदेश वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अधिकारियों द्वारा दिया जा सकेगा ; और

(ङ) कार्य आदेश करार, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्ररूप में कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्राप्त करने के पश्चात्, निष्पादित किया जायेगा। कार्य आदेशों का एक रजिस्टर इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्ररूप में रखा जायेगा।

(3) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पांच लाख रुपये की सीमा के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक अवसर पर एक लाख रुपये से नीचे के मूल्य के संकर्म पीस वर्क प्रणाली द्वारा उपाप्त किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण : पीस वर्क प्रणाली से किसी दी गयी कालावधि के भीतर किये जाने वाले कार्य की कुल मात्रा के निर्देश के बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत दरों पर उपापन की रीति अभिप्रेत है।

(4) पीस वर्क प्रणाली के माध्यम से उपापन के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(क) पीस वर्क प्रणाली पर कार्य के निष्पादन का सामान्यतः परिवर्जन किया जाना चाहिए। पीस वर्क प्रणाली वृहद मात्रा में समान प्रकार के कार्य जैसे नहरों का मिट्टी का कार्य, नहरों से मिट्टी निकालने और सड़कों की मरम्मत और रखरखाव इत्यादि में ही अपनायी जा सकेगी।

(ख) दरों के अवधारण के लिए खुली बोलियां संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा उसके नियंत्रणाधीन प्रत्येक खण्ड के लिए आमंत्रित की जायेंगी। पीस वर्क करार करने के लिए वार्षिक दर संविदा के अवधारण के लिए ऐसी बोलियां आमंत्रित करने में विभाग का आशय बोलियों के आमंत्रण के समय स्पष्ट किया जाना चाहिए। समस्त प्रवर्गों के रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाले ऐसी बोलियों में भाग लेने के हकदार होंगे। बोलियों की समस्त अपेक्षित औपचारिकताओं का अनुपालन करने के पश्चात्, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, कार्य की विनिर्दिष्ट मदों के लिए इकाई दरें मंजूर करेगा जो सामान्यतः एक वर्ष के लिए या जब तक कि दरें पुनरीक्षित न हो जायें तब तक प्रवृत्त रहेंगी किन्तु किसी भी दशा में एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात् तीन मास से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेंगी।

(ग) एक बार ऐसी इकाई दरें स्वीकार हो जाती हैं तो खण्ड अधिकारी, किसी भी प्रवर्ग के किसी एक रजिस्ट्रीकृत बोली लगानेवाले के साथ एक बार में एक लाख रुपये से नीचे के पीस वर्क करार करने में सक्षम होंगे। द्वितीय पीस वर्क करार पूर्व संकर्म के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही किया जायेगा। पीस वर्क करार, उक्त खण्ड में कार्य करने के लिए अनुज्ञात रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों के साथ किया जायेगा।

(घ) पीस वर्क प्रणाली में विभाग बोली लगाने वालों को काम बंद करने को कहने के लिए स्वतंत्र है, और संदाय डिजायनों, ड्राइंगों, विनिर्देशों के अनुसार वास्तविक रूप से निष्पादित काम के लिए यथा–विनिर्दिष्ट सम्यक् माप करने और माप की जांच करने के पश्चात्, किया जाता है। प्रत्येक पीस वर्क की समाप्ति की अधिकतम कालावधि इक्कीस दिन होगी जो किसी भी दशा में बढ़ायी नहीं जायेगी।

(ङ) प्रत्येक खण्ड कार्यालय में, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्ररूप में पीस वर्क करारों का एक रजिस्टर रखा जायेगा। प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में खण्ड अधिकारी, नियमित संविदाओं के बजाय पीस वर्क करार पर संकर्म प्रदान करने के लिए आवश्यकता/आकस्मिकता स्पष्ट करते हुए और न्यायोचित्य देते हुए, अधीक्षण अभियन्ता को पूर्ववर्ती मास के दौरान उसके द्वारा स्वीकृत समस्त पीस वर्क करारों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा। अधीक्षण अभियन्ता, उसके निरीक्षण के दौरान और अन्यथा, यह सुनिश्चित करेगा कि खण्ड अधिकारी नैत्यिक रीति में पीस वर्क करार पर संकर्म निष्पादित नहीं करते हैं और अनुज्ञात दरें सुसंगत खण्ड के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित चालू दरों से अधिक नहीं हैं और उप–खण्ड/खण्ड/सर्किल में नियमित संविदा के आधार पर समान संकर्मो की खुली बोली दरों से इसकी जांच करेगा और यह कि किये गये संकर्म के मापों के रिकार्ड की प्रणाली और उसके मापों की जांच का समुचित रूप से अनुसरण किया गया है।

(च) पीस वर्क प्रणाली पर प्रदत्त संविदा कार्यसम्पादन प्रतिभूति जमा कराने से छूट प्राप्त है।

28. प्रतियोगी बातचीत.– प्रतियोगी बातचीत के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

(क) विषय वस्तु का उपापन प्रतियोगी बातचीत समिति के माध्यम से किया जायेगा। समिति निम्नलिखित प्रमाणपत्र देगी :–

''प्रमाणित किया जाता है कि हम .... (समिति के सदस्यों के नाम) प्रतियोगी बातचीत समिति के सदस्यों का संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से यह समाधान हो गया है कि सिफारिश की गयी उपापन की विषय वस्तु अपेक्षित विनिर्देशों और गुणवत्ता की है, प्रचलित बाजार दर की कीमत की है और सिफारिश किया गया प्रदायकर्त्ता विश्वसनीय है और उपापन की विषय वस्तु का प्रदाय करने में सक्षम है।''

(ख) प्रभावी प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के लिए, अविभेदकारी रीति से चयनित संभावी बोली लगाने वालों की पर्याप्त संख्या, जो तीन से कम न हो, उपापन प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे ;

(ग) बातचीत में भाग लेने के लिए समस्त बोली लगाने वालों को समान अवसर दिया जायेगा। बातचीत से संबंधित कोई अपेक्षाएं, मार्गदर्शक सिद्धान्त, दस्तावेज, स्पष्टीकरण या अन्य सूचना जो बातचीत से पूर्व या इसके दौरान किसी बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा संसूचित की जाती है, उपापन से संबंधित उपापन संस्था के साथ बातचीत में सम्मिलित समस्त अन्य बोली लगाने वालों को उसी समय और एक समान आधार पर, धारा 49 के अध्यधीन रहते हुए, संसूचित की जायेगी, जब तक कि ऐसी सूचना उस बोली लगाने वाले के लिए विनिर्दिष्ट या अनन्य न हो ;

(घ) बातचीत पूर्ण होने के पश्चात्, उपापन संस्था, कार्यवाही में शेष रहे समस्त बोली लगाने वालों को विनिर्दिष्ट समय और तारीख तक, अपने प्रस्तावों के समस्त पहलुओं के संबंध में सर्वश्रेष्ठ और अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध करेगी ;

(ङ) समिति, प्राप्त की गयी समस्त बोलियों का अभिलेख रखेगी ;

(च) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के मध्य उनके सर्वश्रेष्ठ और अंतिम प्रस्तावों के संबंध में कोई बातचीत नहीं होगी ;

(छ) उपापन संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि सफल प्रस्ताव सबसे कम या सर्वाधिक लाभप्रद प्रस्ताव है; और

(ज) धारा 5 से 10 (दोनों को सम्मिलित करते हुए), धारा 12 से 27 (दोनों को सम्मिलित करते हुए) और अधिनियम के अध्याय 3 में अन्तर्विष्ट कोई बात प्रतियोगी बातचीत द्वारा किये गये क्रय पर लागू नहीं होगी।

29. दर संविदा.– (1) दर संविदा की पद्धति अंगीकार करने के लिए धारा 36 की उप–धारा (1) में सम्मिलित शर्तों के अतिरिक्त, उपापन संस्था दर संविदा की पद्धति अंगीकार कर सकेगी जब वह यह अवधारित करे कि उपापन की विषय वस्तु की प्रकृति के आधार पर, समय की दी गयी कालावधि के दौरान अति आवश्यक आधार पर, उस विषय वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है।

(2) दर संविदा के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(क) उपापन संस्था, खुली प्रतियोगी बोली की पद्धति द्वारा दर संविदा का अधिनिर्णय कर सकेगी। यदि खुली प्रतियोगी बोली की पद्धति अंगीकार करना संभव नहीं हो तो उपापन संस्था, कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, उपापन की अन्य पद्धति अंगीकृत कर सकेगी। कालावधि के दौरान अपेक्षित माल, संकर्मों या सेवाओं की अनुमानित मात्रा बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस में उप–दर्शित की जायेगी किन्तु किसी न्यूनतम मात्रा की गारंटी नहीं दी जायेगी।

(ख) दर संविदा की कालावधि सामान्यतः एक वर्ष, बजट व्यवस्था और करों के उद्ग्रहण के अनुरूप होने के लिए अधिमानतः एक वित्तीय वर्ष होगी। यह और कम कालावधि की हो सकेगी यदि बाजार कीमतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की प्रत्याशा हो। यह अधिकतम दो वर्ष की दीर्घतर कालावधि तक भी हो सकेगी यदि बाजार कीमतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की प्रत्याशा न हो। दर संविदा के लिए कालावधि का चयन करने के लिए कारण अभिलिखित किये जायेंगे।

(ग) प्रथम प्रक्रम में एकल भाग या द्वि–भाग बोलियां धारा 13 के उपबंधों के अनुसार आमंत्रित की जायेंगी।

(घ) कोई दर संविदा, न्यूनतम कीमत वाली बोली या सर्वाधिक लाभप्रद बोली के बोली लगाने वाले के साथ, उपापन की विषय वस्तु की मात्रा, स्थान और समय के लिए प्रतिबद्धता के बिना, कीमत के लिए की जायेगी।

(ङ) द्वितीय प्रक्रम में जब कभी आवश्यक हो उपापन की विषय वस्तु की अपेक्षित मात्रा के प्रदाय या निष्पादन के लिए संविदाकृत कीमत पर, प्रदाय या निष्पादन का स्थान, परिदान अनुसूची, इत्यादि वर्णित करते हुए प्रदाय या कार्य आदेश दिया जायेगा।

(च) दर संविदा, बोली दस्तावेजों में ऐसा उपबंध होने पर एक से अधिक बोली लगाने वालों के साथ समानान्तर दर संविदाओं के रूप में, अंतिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में, उन्हें न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले की कीमत का प्रति–प्रस्ताव देते हुए, माल या सेवाओं के तुरन्त प्रदाय या संकर्मों के तुरन्त निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए की जा सकेंगी, यदि अपेक्षित उपापन की विषय वस्तु की मात्रा न्यूनतम बोली लगाने वाले की क्षमता से परे है या उपापन की विषय वस्तु संकटपूर्ण और अति महत्वपूर्ण प्रकृति की है।

(छ) परिनिर्धारित नुकसानी के लिए उपबंधों को सम्मिलित करते हुए दर संविदा के निबंधन और शर्ते उनके समान होंगी जो खुली प्रतियोगी बोली द्वारा उपापन के लिए विहित की गयी हैं।

(ज) दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यधीन होंगी। कीमत गिरने संबंधी खण्ड, दर संविदा के निबंधनों और शर्तों में सम्मिलित किया जायेगा। कीमत गिरने का खण्ड, दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मों या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

(झ) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नयी दर संविदाएं बिना किसी विलम्ब के विद्यमान दर संविदाओं की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् प्रभावी हो जायें। यदि अपरिहार्य कारणों से नयी दर संविदाओं का तय किया जाना संभव नहीं हो तो विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेंगी। ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दर संविदा के अधीन उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषय वस्तु या उसके घटकों की बाजार कीमतें इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हों।

(ञ) इस नियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्याय – 5 के समस्त अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

30. रजिस्ट्रीकरण.– बोली लगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार और दी गयी रीति में किया जायेगा।

31. पूर्व–अर्हता प्रक्रिया द्वारा पैनलित करना.– (1) उपापन संस्था, उस उपापन की विषय–वस्तु, जिसकी बारम्बार आवश्यकता हो किन्तु विषय–वस्तु के ब्यौरे, उसकी मात्रा, समय और स्थान पहले से ज्ञात न हो, के लिए बोली लगाने वालों का एक पैनल तैयार कर सकेगी। यह सूची एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगी जिसे कारण अभिलिखित करने के पश्चात् एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। उपापन संस्था उपापन की विभिन्न विषय वस्तुओं के लिए पृथक पैनल तैयार कर सकेगी।

(2) धारा 18 के अधीन बोली लगाने वालों की पूर्व–अर्हता और नियम 43 के उप–नियम (6) या (7) के अनुसार प्रचार संबंधी उपबंध पैनलित करने संबंधी कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

(3) उपापन संस्था, खुली प्रतियोगी बोली आमंत्रित करने के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार पूर्व–अर्हता के लिए पैनल में सम्मिलित करने के लिए आवेदन आमंत्रित करेगी।

(4) पैनलित करने के लिए आमंत्रण में निम्नलिखित सूचनाएं भी सम्मिलित होंगी :–

(क) उपापन संस्था का नाम और पता ;

(ख) पैनलित करने के लिए अपेक्षित पात्रता कसौटी ;

(ग) पैनलित करने की अवधि को सम्मिलित करते हुए पैनलित करने के निबंधन और शर्तें ; और

(घ) ज्ञात सीमा तक उपापन की विषय वस्तु का विवरण।

(5) विषय वस्तु का उपापन, उपापन संस्था द्वारा वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की सीमा तक, पैनलित बोली लगाने वालों में से उन सभी को वित्तीय बोली के साथ प्रस्तावों के लिए अनुरोध भेजकर किया जायेगा।

32. अधिसूचित अभिकरणों से प्रत्यक्ष उपापन.– कोई उपापन संस्था, बोली आमंत्रित किये बिना, समय–समय पर, राज्य सरकार द्वारा यथा–अधिसूचित बोली लगाने वालों के प्रवर्ग से उपापन की विषय–वस्तु उपाप्त कर सकेगी।*

33. उपापन में क्रय या कीमत अधिमान.– उपापन संस्था, समय–समय पर, राज्य सरकार द्वारा यथा–अधिसूचित बोली लगाने वालों के प्रवर्ग से उपापन में कीमत अधिमान या क्रय अधिमान के उपबंध करेगी।**

....

* इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा दिनांक 04.09.2013 को अधिसूचना जारी की गयी है।

** इस संबंध में M.S.M.E. को क्रय/कीमत अधिमान दिये जाने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा दिनांक 19.11.2015 को अधिसूचना जारी की गयी है।

अध्याय – 5

बोली प्रक्रिया प्रबंधन – खुली प्रतियोगी बोली

34. उपापन की विषय वस्तु का वर्णन.– (1) उपापन की विषय वस्तु का वर्णन धारा 12 में यथा–उपबंधित पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वालों के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में उप–वर्णित किया जायेगा।

(2) उपापन संस्था, उपापन की विषय वस्तु के वर्णन में, यदि अपेक्षित हो तो, विनिर्देश, योजनाएं, रेखाचित्र, डिजाइन, परीक्षण, नमूना जांच और जांच की पद्धतियां, पैकेजिंग, मार्किंग, लेबल लगाना, पुष्टिकरण प्रमाणन या प्रतीक और टर्मिनोलॉजी सम्मिलित करेगी।

35. बोलियों के मूल्यांकन की कसौटी.– धारा 14 में उप–वर्णित मूल्यांकन की कसौटी के अतिरिक्त, मूल्यांकन कसौटी में, जहां सुसंगत हो, मितिकाटा नकदी प्रवाह (डिस्काउन्टेड केश फ्लो) तकनीकों को सम्मिलित किया जा सकेगा।

36. बोली दस्तावेजों को तैयार करना.– (1) बोलियां आमंत्रित करने का नोटिस जारी करने से पूर्व उपापन संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि बोली दस्तावेज विक्रय के लिए तैयार हैं।

(2) बोली दस्तावेज में निम्नलिखित अनुभाग होंगे, अर्थात् :–

(क) बोली आमंत्रित करने वाला नोटिस ;

(ख) बोली लगाने वालों के लिए अनुदेश ;

(ग) बोली डाटा शीट ;

(घ) अर्हता और मूल्यांकन की कसौटी ;

(ङ) बोली के प्ररूप ; और

(च) संविदा की शर्तें और संविदा प्ररूप :

(i) संविदा की सामान्य शर्तें ;

(ii) संविदा की विशेष शर्तें ;

(iii) संविदा के प्ररूप।

(छ) कोई अन्य दस्तावेज, जो आवश्यक हों।

(3) बोली दस्तावेजों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात् :–

(क) बोली तैयार करने के लिए अनुदेश ;

(ख) कसौटी और प्रक्रियाएं, जो बोली लगाने वालों की अर्हताओं का अभिनिश्चय करने में लागू होंगी ;

(ग) दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य सूचना के बारे में अपेक्षाएं, जो बोली लगाने वाले द्वारा उसकी अर्हताओं के सबूत में प्रस्तुत की जानी चाहिए ;

(घ) उपापन की विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन जो तकनीकी विनिर्देशों, योजनाओं, रेखाचित्रों और डिजाइनों, यदि सुसंगत हों, माल की मात्रा, कोई आनुषंगिक सेवाएं जो की

जानी है, स्थान जहां माल परिदत्त किया जाना है, संकर्म जो निष्पादित किया जाना है या सेवाएं जो उपलब्ध करायी जानी है और अपेक्षित समय, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए किन्तु केवल उन तक ही सीमित न हो ;

(ङ) बोलियों के प्रस्तुतीकरण, खोलने, परीक्षण और मूल्यांकन के लिए विस्तृत प्रक्रिया, तकनीकी गुणवत्ता और कार्य सम्पादन की विशेषताओं के संबंध में न्यूनतम अपेक्षाएं, यदि कोई हों, जो बोलियों के प्रतित्युत्तरदायी समझी जाने के लिए आवश्यक है, और उपापन संस्था द्वारा, बोलियों के मूल्यांकन और अधिमान के लिए कोई उपबन्ध को सम्मिलित करते हुए सफल बोली के अवधारण में प्रयुक्त की जाने वाली कसौटी और कीमत से भिन्न प्रयुक्त की जाने वाली कोई कसौटी और ऐसी कसौटी का आपेक्षिक भार;

(च) उपापन संविदा या दर संविदा के निबंधन और शर्तें उस सीमा तक जिस तक उपापन संस्था को पहले से ज्ञात हो, और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित की जाने वाली कोई संविदा या करार का प्ररूप, यदि कोई हो;

[1][(चच) कोई शर्त, जो संविदाकार/अनुमोदित बोली लगाने वाले द्वारा, उपापन संस्था के किसी पूर्व अनुमोदन के बिना, क्यू–रेटेड स्कोर स्टार्टपों को, मूल संविदा मूल्य के अधिकतम बीस प्रतिशत के अध्यधीन रहते हुए नीचे यथा वर्णित सीमा तक, केवल एक उप–संविदा/उप–किरायेदारी पर दिया जाना अनुज्ञात करती है,–

(क)	बोंज क्यू–रेटेड स्कोर के साथ स्टार्टअप के लिए :	प्रत्येक मामले में 1 करोड़ रुपये तक।
(ख)	सिल्वर क्यू–रेटेड स्कोर के साथ स्टार्टअप के लिए :	प्रत्येक मामले में 2 करोड़ रुपये तक ।
(ग)	गोल्ड क्यू–रेटेड स्कोर के साथ स्टार्टअप के लिए :	प्रत्येक मामले में 5 करोड़ रुपये तक।
(घ)	प्लैटिनम/सिग्नेचर क्यू–रेटेड स्कोर के साथ स्टार्टअप के लिए :	प्रत्येक मामले में 10 करोड़ रुपये तक।]

(छ) यदि माल, संकर्म या सेवाओं के लक्षणों, संविदात्मक निबंधनों और शर्तों या बोली दस्तावेजों में उपवर्णित अन्य अपेक्षाओं के लिए अनुकल्प अनुज्ञात किये जाते हैं तो इस आशय का एक विवरण और उस रीति का वर्णन जिससे अनुकल्पी बोलियों का मूल्यांकन और तुलना की जानी हैं ;

(ज) यदि बोली लगाने वालों को उपाप्त किये जाने वाले माल, संकर्म या सेवाओं के केवल एक भाग के लिए बोली प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तों उस भाग या भागों का विवरण जिसके लिए बोलियां, प्रस्तुत की जा सकेगी ;

(झ) रीति जिससे बोली की कीमत निश्चित और अभिव्यक्त की जानी है, ऐसा विवरण सम्मिलित करते हुए कि क्या कीमत में माल, संकर्म या सेवाओं की स्वयं की लागत से भिन्न अन्य तत्व जैसे कोई परिवहन और बीमा प्रभार, उत्पादन शुल्क और कर इत्यादि, जो लागू हों, समाविष्ट हैं।

(ञ) बोली लगाने वाले द्वारा बोली प्रस्तुत करते समय उपलब्ध कराये जाने वाली किसी बोली प्रतिभूति के निर्गामी और उसकी प्रकृति, स्वरूप, रकम और अन्य निबधंनों और शर्तों के संबंध में उपापन संस्था की कोई अपेक्षाएं, और बोली लगाने वाला जो उपापन संविदा में प्रविष्ट होता है, उससे उपापन संविदा या दर संविदा के कार्य सम्पादन के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली किसी प्रतिभूति जिसमें श्रम और सामग्री बंधपत्रों जैसी प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं, के लिए कोई अपेक्षाएं।

(ट) बोलियां प्रस्तुत करने के लिए रीति, स्थान और समय सीमा ;

(ठ) साधन जिनके द्वारा बोली लगाने वाले बोली दस्तावेजों का स्पष्टीकरण मांग सकेंगे और कथन कि क्या उपापन संस्था बोली लगाने वालों की बैठक बुलाने का आशय रखती है ;

(ड) कालावधि जिसके दौरान बोलियां विधिमान्य रहेंगी;

(ढ) बोलियां खोलने के लिए स्थान, समय और तारीख ;

(ण) उपापन कार्यवाहियों से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध अधिनियम, इन नियमों और अन्य विधियों और विनियमों के संदर्भ, परन्तु यह कि किसी ऐसे संदर्भ का लोप उपापन संस्था पर अपील या दायित्व के लिए आधार गठित नहीं करेगा;

1. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 22.01.2025 द्वारा अन्तःस्थापित।

(त) उपापन संस्था के एक या अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पदनाम, पते और ई–मेल पते, यदि कोई हों, जो किसी मध्यवर्ती के हस्तक्षेप के बिना, उपापन कार्यवाही के संबंध में बोली लगाने वालों के साथ सीधे ही संपर्क करने और सीधे ही संसूचना प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं ;

(थ) बोली लगाने वाले द्वारा उपापन संविदा के बाहर किया जाने वाला कोई अभिबंधन जैसे प्रौद्योगिकी के अन्तरण संबंधी अभिबंधन

(द) उपापन कार्यवाहियों के संबंध में उपापन संस्था के किसी विधिविरुद्ध कार्य या विनिश्चय या अनुसरित प्रक्रिया की अपील चाहने के लिए उपबंधित अधिकार का संदर्भ ;

(ध) यदि उपापन संस्था बोली कार्यवाहियों को रद्द करने और समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार आरक्षित रखती है तो इस आशय का कथन;

(न) किसी लिखित उपापन संविदा के निष्पादन और उच्चतर प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन, जहां लागू हों, को सम्मिलित करते हुए, कोई औपचारिकताएं जो अपेक्षित होंगी जब किसी उपापन संविदा या दर संविदा के प्रवृत्त होने के लिए कोई बोली स्वीकार कर ली गयी है; और

(प) बोलियों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण और उपापन कार्यवाहियों के अन्य पहलूओं से संबंधित अधिनियम और इन नियमों के अनुरूप उपापन संस्था द्वारा अधिकथित कोई अन्य अपेक्षाएं जैसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, रियायत करार, डिजाइन, योजनाएं इत्यादि ;

(4) उपापन संस्था ऐसे प्रत्येक बोली लगाने वाले को बोली दस्तावेज उपलब्ध करायेगी जो उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं और अपेक्षाओं के अनुसार बोलियों के आमंत्रण के लिए प्रत्युत्तर देते हैं। यदि पूर्व–अर्हता, पैनलित करने या रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाहियां प्रारंभ कर दी गयी हैं तो उपापन संस्था ऐसे प्रत्येक बोली लगाने वाले को बोली दस्तावेजों का सैट उपलब्ध करायेगी जो पूर्व–अर्हता प्राप्त है और जो उस दस्तावेज के लिए प्रभारित कीमत, यदि कोई हो, का संदाय करता है।

37. एकल भाग और द्वि–भाग बोलियां.– धारा 13 के उपबंधों के अनुसार उपापन संस्था एकल भाग या द्वि–भाग में बोलियों को आमंत्रित करने का चुनाव कर सकेगी।

38. बोली लगाने वालों की अर्हता.– बोली लगाने वालों की अर्हता से संबंधित धारा 7 में यथा–उपवर्णित उपबंधों के अतिरिक्त.–

(क) उपापन संस्था किसी बोली लगाने वाले को निरर्हित करेगी यदि वह किसी भी समय पर यह पाती है कि ,–

(i) बोली लगाने वाले की अर्हताओं से संबंधित प्रस्तुत सूचना असत्य या दुर्व्यपदेशन गठित करने वाली थी ; या

(ii) बोली लगाने वाले की अर्हताओं से संबंधित प्रस्तुत सूचना सारवान रूप से गलत या अपूर्ण थी ; और

(ख) उपापन संस्था किसी बोली लगाने वाले से, जो पूर्व–अर्हित था, ऐसे बोली लगाने वाले से पूर्व–अर्हता के लिए प्रयुक्त उसी कसौटी के अनुसार पुनः उसकी अर्हता का प्रदर्शन करने के लिए अपेक्षा कर सकेगी। उपापन संस्था किसी बोली लगाने वाले को, यदि उससे ऐसा करने का अनुरोध किया जाये, जो पुनः अर्हता प्रदर्शित करने में असफल हो जाता है, को निरर्हित करेगी। उपापन संस्था प्रत्येक बोली लगाने वाले को, जिसे उसकी अर्हता का पुनः प्रदर्शन करने का अनुरोध किया गया है, तत्परता से अधिसूचित करेगी कि क्या बोली लगाने वाले ने उपापन संस्था के समाधान के लिए ऐसा किया है या नहीं।

39. बोली लगाने वालों की पात्रता.– (1) कोई बोली लगाने वाला नैसर्गिक व्यक्ति, प्राइवेट संस्था, सरकारी स्वामित्व वाली संस्था या जहां बोली दस्तावेजों में अनुज्ञात हो, किसी करार के किये जाने के औपचारिक आशय से उनका कोई समुच्चय या विद्यमान करार के अधीन सहउद्यम के रूप में हो सकता है। सहउद्यम की दशा में:–

(क) सहउद्यम के समस्त पक्षकार बोली को हस्ताक्षरित करेंगे और वे संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे ; और

(ख) सहउद्यम एक प्रतिनिधि को नामनिर्दिष्ट करेगा जिसको बोली लगाने की प्रक्रिया के दौरान सहउद्यम के किसी या समस्त पक्षकारों के लिए और उनकी ओर से समस्त कारबार संचालित करने का प्राधिकार होगा। उस दशा में जहां सहउद्यम की बोली स्वीकृत की जाती है, या तो वे रजिस्ट्रीकृत सहउद्यम कम्पनी/फर्म गठित करेंगे या अन्यथा सहउद्यम के समस्त पक्षकार करार हस्ताक्षरित करेंगे।

(2) बोली लगाने वाले का प्रश्नगत उपापन में नियम 81 और बोली दस्तावेजों में यथा–वर्णित हित का विरोध नहीं होना चाहिए। उपापन संस्था अधिनियम की धारा 11 और अध्याय 4 के अनुसरण में बोली लगाने वाले के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करेगी यदि यह अवधारित किया जाता है कि हित के विरोध ने किसी उपापन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा में दोष उत्पन्न किया है। समस्त बोली लगाने वाले जो हित का विरोध रखते पाये जाये, निरर्हित किये जायेंगे।

(3) धारा 46 के अधीन विवर्जित बोली लगाने वाला निम्नलिखित के द्वारा की जाने वाली किसी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने का पात्र नहीं होगा,–

(क) किसी भी उपापन संस्था, यदि राज्य सरकार द्वारा विवर्जित किया गया हो; और

(ख) उपापन संस्था, यदि उस उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया हो।

(4) माल के उपापन की दशा में, बोली लगाने वाला माल का विनिर्माता, वितरक या सद्भावी व्यवहारी होना चाहिए और वह विनिर्दिष्ट रूपविधान में उसके लिए आवश्यक सबूत देगा। जहां लागू हो, वहां विनिर्माता या भारत में वितरक द्वारा प्राधिकार का सबूत संलग्न किया जायेगा।

[1][40. **उपापन प्रक्रिया के लिए समय–सीमा**.– (1) एकल प्रक्रम बोली के लिए समय–सीमा निम्नानुसार होगी :–

सारणी

एकल प्रक्रम बोली द्वारा विभिन्न उपापन पद्धतियों के लिए बाह्य समय–सीमा का बोली चक्र

क्रम संख्या	**उपापन के प्रक्रम**	**उपापन पद्धति**	
		खुली प्रतियोगी बोली	**सीमित बोली और एकल स्रोत उपापन**
1.	बोली दस्तावेजों का जारी करना	बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन के दिन से	–
2.	बोली प्रस्तुत करना	(i) बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से तीस दिन, यदि उपापन का प्राक्कलित मूल्य 50 करोड़ रुपये से अधिक है और बीस दिन, यदि उपापन का प्राक्कलित मूल्य 50 करोड़ रुपये तक है; (ii) जहां स्पष्टीकरण/युक्तिका जारी की जाये वहां स्पष्टीकरण/युक्तिका जारी करने की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन; यदि उपापन का प्राक्कलित मूल्य 50 करोड़ रुपये से अधिक है और दस दिन, यदि उपापन का प्राक्कलित मूल्य 50 करोड़ रुपये तक है; (iii) अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में, बोली प्रस्तुत करने की कालावधि बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन और स्पष्टीकरण /युक्तिका के जारी करने की तारीख से कम से कम बीस दिन होगी।	बोली दस्तावेजों के जारी करने/ स्पष्टीकरण/ युक्तिका के जारी करने की तारीख से सात दिन।

....

1. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 6.8.2018 द्वारा प्रतिस्थापित (6.8.2018 से प्रभावी) :–
*"40. **उपापन प्रक्रिया के लिए समय–सीमा**.– (1) एकल प्रक्रम बोली के लिए समय–सीमा निम्नानुसार होगी :–*

सारणी

एकल प्रक्रम बोली द्वारा विभिन्न उपापन पद्धतियों के लिए बाह्य समय–सीमा का बोली चक्र

क्रम संख्या	***उपापन के प्रक्रम***	***उपापन पद्धति***	
		खुली प्रतियोगी बोली	***सीमित बोली और एकल स्रोत उपापन***
1.	*बोली दस्तावेजों का जारी करना*	*बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन के दिन से*	–
2.	*बोली प्रस्तुत करना*	*(i) बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से तीस दिन* *(ii) जहां स्पष्टीकरण/युक्तिका जारी की जाये वहां स्पष्टीकरण/युक्तिका जारी करने की दिनांक से कम से कम पन्द्रह दिन; या* *(iii) अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में, बोली प्रस्तुत करने की कालावधि बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन और स्पष्टीकरण /युक्तिका के जारी करने की तारीख से कम से कम बीस दिन होगी*	*बोली दस्तावेजों के जारी करने/ स्पष्टीकरण/ युक्तिका के जारी करने की तारीख से सात दिन।*

लगातार.........

3.	तकनीकी बोली खोलना	बोली प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के एक दिन के भीतर।	बोली प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के एक दिन के भीतर।
4.	अधिनिर्णय का पत्र जारी करना	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णय के अनुमोदन के तीन दिन के भीतर।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णय के अनुमोदन के तीन दिन के भीतर।
5.	संविदा करार का निष्पादन	अधिनिर्णय का पत्र जारी करने के पन्द्रह दिन के भीतर या बोली दस्तावेजों में यथा–विनिर्दिष्ट कालावधि में।	अधिनिर्णय का पत्र जारी करने के पन्द्रह दिन के भीतर या बोली दस्तावेजों में यथा–विनिर्दिष्ट कालावधि में।
6.	राज्य लोक उपापन पोर्टल और उपापन संस्था की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर बोली परिणामों की घोषणा	स्वीकृति पत्र के जारी करने के तीन दिनं के भीतर।	स्वीकृति पत्र के जारी करने के तीन दिन के भीतर।

परन्तु समुचित मामलों में, उपापन संस्था, इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, बोली प्रक्रिया की ऊपर उल्लिखित समय–सीमा को शिथिल कर सकेगी।

(2) उपापन प्रक्रिया में आमंत्रित बोलियों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर विनिश्चय जहां दो लिफाफों की पद्धति का अनुसरण किया जाता है, तकनीकी बोली के खुलने की तारीख से, अन्यथा वित्तीय बोली के खुलने की तारीख से, नीचे दी गयी कालावधि के भीतर सक्षम मंजूरी प्राधिकारी द्वारा लिया जायेगा, यद्यपि विधिमान्यता की कालावधि अधिक हो सकती है। यदि संबंधित मंजूरी प्राधिकारी

पूर्व पृष्ठ से लगातार.....

3.	*तकनीकी बोली खोलना*	*बोली प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के एक दिन के भीतर।*	*बोली प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के एक दिन के भीतर।*
4.	*अधिनिर्णय का पत्र जारी करना*	*सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णय के अनुमोदन के तीन दिन के भीतर।*	*सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णय के अनुमोदन के तीन दिन के भीतर।*
5.	*संविदा करार का निष्पादन*	*अधिनिर्णय का पत्र जारी करने के पन्द्रह दिन के भीतर या बोली दस्तावेजों में यथा–विनिर्दिष्ट कालावधि में।*	*अधिनिर्णय का पत्र जारी करने के पन्द्रह दिन के भीतर या बोली दस्तावेजों में यथा–विनिर्दिष्ट कालावधि में।*
6.	*राज्य लोक उपापन पोर्टल और उपापन संस्था की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर बोली परिणामों की घोषणा*	*स्वीकृति पत्र के जारी करने के तीन दिनं के भीतर।*	*स्वीकृति पत्र के जारी करने के तीन दिन के भीतर।*

लगातार..........................

द्वारा दी गयी समयावधि के भीतर विनिश्चय नहीं किया जाता है तो सक्षम मंजूरी प्राधिकारी द्वारा अपना विनिश्चय लेते समय, दी गयी समयावधि के भीतर विनिश्चय नहीं लेने के कारण विनिर्दिष्ट रूप से अभिलिखित किये जायेंगे।

सारणी

सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोलियों पर विनिश्चय के लिए समय अनुसूची

क्रम संख्या	विनिश्चय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी	विनिश्चय के लिए अनुज्ञात समय
1	2	3
1.	कार्यालयाध्यक्ष या अधिशासी अभियन्ता	बीस दिन
2.	क्षेत्रीय अधिकारी या अधीक्षण अभियन्ता	तीस दिन
3.	विभागाध्यक्ष या मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	चालीस दिन
4.	संबंधित प्रशासनिक विभाग/ वित्त समिति/ बोर्ड/सशक्त समिति/सशक्त बोर्ड इत्यादि	पचास दिन

टिप्पण : (1) उपर्युक्त विनिर्दिष्ट कालावधि में बोली की स्वीकृति की संसूचना में लिया गया समय सम्मिलित होगा।

(2) यदि उपापन संस्था राज्य सरकार के विभागों या इनसे सम्बद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों से भिन्न है तो संबंधित प्रशासनिक विभाग बोली पर विनिश्चय लेने के लिए समकक्ष सक्षम प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करेगा।]

....

पूर्व पृष्ठ से लगातार.................

*परन्तु समुचित मामलों में, उपापन संस्था *[इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी] के अनुमोदन से, बोली प्रक्रिया की ऊपर उल्लिखित समय–सीमा को शिथिल कर सकेगी।*

(2) उपापन प्रक्रिया में आमंत्रित बोलियों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर विनिश्चय जहां दो लिफाफों की पद्धति का अनुसरण किया जाता है, तकनीकी बोली के खुलने की तारीख से, अन्यथा वित्तीय बोली के खुलने की तारीख से, नीचे दी गयी कालावधि के भीतर सक्षम मंजूरी प्राधिकारी द्वारा लिया जायेगा, यद्यपि विधिमान्यता की कालावधि अधिक हो सकती है। यदि संबंधित मंजूरी प्राधिकारी द्वारा दी गयी समयावधि के भीतर विनिश्चय नहीं किया जाता है तो बोलियां दी गयी समयावधि के भीतर विनिश्चय नहीं लेने के कारणों सहित, विनिश्चय के लिए अगले उच्चतर प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी। राज्य सरकार आपवादिक परिस्थितियों में प्रशासनिक विभाग/वित्त समिति/बोर्ड/सशक्त समिति इत्यादि के लिए विहित समयावधि की सीमा को शिथिल कर सकेगी।

सारणी

सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोलियों पर विनिश्चय के लिए समय अनुसूची

क्रम संख्या	*विनिश्चय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी*	*विनिश्चय के लिए अनुज्ञात समय*
1.	*कार्यालयाध्यक्ष या अधिशासी अभियन्ता*	*बीस दिन*
2.	*क्षेत्रीय अधिकारी या अधीक्षण अभियन्ता*	*तीस दिन*
3.	*अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता*	*चालीस दिन*
4.	*विभागाध्यक्ष या मुख्य अभियन्ता*	*पचास दिन*
5.	*प्रशासनिक विभाग*	*साठ दिन*
6.	*वित्त समिति/बोर्ड/सशक्त समिति/सशक्त बोर्ड इत्यादि*	*सत्तर दिन*

***टिप्पण** : (1) उपर्युक्त विनिर्दिष्ट कालावधि में बोली की स्वीकृति की संसूचना में लिया गया समय सम्मिलित होगा।*

(2) यदि उपापन संस्था राज्य सरकार के विभागों या इनसे सम्बद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों से भिन्न है तो संबंधित प्रशासनिक विभाग बोली पर विनिश्चय लेने के लिए समकक्ष सक्षम प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करेगा।''

- *अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 द्वारा विद्यमान शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 4.9.2013 में प्रकाशित (4.9.2013 से प्रभावी)।*

41. पूर्व–अर्हता कार्यवाहियां.– धारा 18 के उपबंधों के अतिरिक्त, पूर्व–अर्हता कार्यवाही की प्रक्रिया नीचे दी गयी यथा–विनिर्दिष्ट रीति से की जायेगी –

(क) भावी बोली लगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण या पैनलित किया जाना पूर्व–अर्हता कार्यवाहियों के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा।

(ख) उपापन संस्था केवल पूर्व–अर्हता के लिए आमंत्रण और पूर्व–अर्हता दस्तावेजों में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार बोली लगाने वाले को पूर्व अर्हित करने का विनिश्चय लेगी।

(ग) उपापन संस्था पूर्व–अर्हता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले को, चाहे उसने पूर्व–अर्हता प्राप्त की है या नहीं, तत्परता से अधिसूचित करेगी और राज्य लोक उपापन पोर्टल पर पूर्व–अर्हता कार्यवाहियों का परिणाम भी प्रकाशित करेगी।

(घ) उपापन संस्था प्रत्येक बोली लगाने वाले को कारणों सहित कि वह पूर्व–अर्हित नहीं है, तत्परता से संसूचित करेगी।

42. बोली प्रतिभूति.– (1) बोली प्रतिभूति दस हजार रुपये तक के मूल्य वाले छोटे उपापन और धारा 30 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन सीमित बोली, कोटेशन के लिए अनुरोध, मौके पर क्रय, एकल स्रोत उपापन और प्रतियोगी बातचीत की पद्धतियों द्वारा उपापन के मामले में नहीं ली जायेगी।

(2) खुली प्रतियोगी बोली, द्वि–प्रक्रमी बोली, दर संविदा, इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2% होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के [5][सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों] की दशा में यह [6][प्रदाय के लिए प्रदत्त या दी जाने वाली सेवाओं] मात्रा का 0.5% होगी और [5][सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों] से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1% होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों से विनिर्दिष्ट रियायती बोली प्रतिभूति ली जा सकेगी। उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले से, यदि छूटप्राप्त नहीं हो तो बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में यथा–विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी [2][:]

[3][परन्तु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 के प्रारम्भ की तारीख से 31. 12.2021 तक की कालावधि के दौरान बोली प्रतिभूति के स्थान पर बोली प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी।]

[1][(3) निम्नलिखित से बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी,–

(i) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विभाग/बोर्ड;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (45) में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनियां;

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों के प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 की उप–धारा (5) या (7) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन होगी;

(iv) स्वायत्त निकाय, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां, सहकारी सोसाइटियां जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित या नियंत्रित या स्वामित्वाधीन हैं; या

[4][(v) राज्य सरकार द्वारा जारी पंचायत समिति नंदीशाला जन सहभागिता योजना या ग्राम पंचायत गौशाला/पशु आश्रयस्थल जन सहभागिता योजना से संबंधित उपापन में बोली लगाने वाला।]

---

1. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 6.8.2018 द्वारा प्रतिस्थापित (6.8.2018 से प्रभावी):–
''(3) बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।''

1. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 13.8.2020 द्वारा ''।'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 13.8.2020 द्वारा जोड़ा गया एवं अधिसूचना संख्या प. 2(1) वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2020 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया – ''परन्तु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन) नियम, 2020 के प्रारम्भ की तारीख (13.08.2020) से 31.03.2021 तक की कालावधि के दौरान बोली प्रतिभूति निम्नानुसार ली जायेगी :–
(क) खुली प्रतियोगी बोली, द्वि–प्रक्रमी बोली, दर संविदा या इलैक्ट्रानिक रिवर्स नीलाम के मामले में, बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय–वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 1 प्रतिशत या राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट;
(ख) राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण का 0.25 प्रतिशत; और
(ग) लघु उद्योगों से भिन्न, रूग्ण उद्योगों की दशा में, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित है, बोली के मूल्य का 0.5 प्रतिशत होगी।''

4. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 20.12.2022 द्वारा जोड़ा गया एवं अधिसूचना दिनांक 22.03.2023 द्वारा प्रतिस्थापित – ''गोपालन विभाग की नंदीशाला स्कीम से संबंधित उपापन में बोली लगाने वाला।''

5. अधिसूचना संख्या प. 2 (3) वित्त/एसपीएफसी/2025 दिनांक 20.08.2025 द्वारा ''लघु उद्योगों'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

6. अधिसूचना संख्या प. 2 (3) वित्त/एफआर/एसपीएफसी/2025 दिनांक 28.08.2025 द्वारा ''प्रदाय के लिए प्रदत्त'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(4) बोली प्रतिभूति लिखत या बोली प्रतिभूति की नकद रसीद या बोली प्रतिभूत करने की घोषणा आवश्यक रूप से मुहरबंद बोली के साथ होगी।

(5) उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतीक्षित विनिश्चय के संबंध में रखी हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायेगी। तथापि, मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।

(6) बोली प्रतिभूति नकद, बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या [2][अनुसूचित बैंक या बीमा प्रतिभूति बंधपत्र जारी करने के कारबार को करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के साथ रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्ता द्वारा जारी किये गये बीमा प्रतिभूति बंधपत्रों के] विनिर्दिष्ट रूपविधान में [1][बैंक गारंटी या इलेक्ट्रोनिक बैंक गारंटी (ई–बीजी)] या सरकारी विभागों की दशा में [3][, deposit through eGras or Fixed Deposit Receipt (FDR) of a scheduled bank. FDR shall be in the name of procuring entity on account of bidder and discharged by the bidder in advance. The procuring entity shall ensure before accepting the FDR that the bidder furnished an undertaking from the bank to make payment/premature payment of the FDR on demand to the procuring entity without requirement of consent of the bidder concerned.] बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिए।

(7) बोली दस्तावेजों में यह नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति का निर्गामी और बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो, के साथ ही बोली प्रतिभूति का प्ररूप और निबंधन उपापन संस्था को स्वीकार्य होना चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में, बोली दस्तावेजों में यह भी नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति भारत में किसी निर्गामी द्वारा जारी की जायेगी।

(8) यदि अपेक्षित हो तो प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व, बोली लगाने वाला बोली प्रतिभूति के प्रस्थापित निर्गामी या प्रस्थापित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता को पुष्ट करने के लिए उपापन संस्था से अनुरोध कर सकेगा। उपापन संस्था ऐसे किसी अनुरोध का तत्परता से प्रत्युत्तर देगी।

(9) बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत [1][बैंक गारंटी या इलेक्ट्रोनिक बैंक गारंटी (ई–बीजी)] की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि करायी जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को अस्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया है या अन्यथा उधार के लिए पात्र नहीं रह गया है।

(10) असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

(11) बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर दी जायेगी, अर्थात् :–

(क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है;

(ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है;

(ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है;

(घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है;

(ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

(12) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

---

1. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 16.02.2023 द्वारा विद्यमान शब्द ''बैंक गारंटी'' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।
2. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 19.09.2024 द्वारा विद्यमान शब्द ''अनुसूचित बैंक'' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।
3. अधिसूचना संख्या प.2(4)वित्त/एफआर/एसपीएफसी/2025 दिनांक 17.11.2025 द्वारा विद्यमान शब्द ''ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी।''

(13) उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात् बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी, अर्थात् :–

(क) बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के अवसान पर;

(ख) सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिए करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर;

(ग) उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर; या

(घ) बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय–सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर, जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

43. बोली आमंत्रित करने वाली सूचना.– (1) उपापन संस्था खुली प्रतियोगी बोली और द्वि प्रक्रमी बोली में बोलियों की, या जहां लागू हो, पूर्व–अर्हता के लिए आवेदन की अभ्यर्थना बोली या, यथास्थिति, पूर्व–अर्हता के आमंत्रण का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल और उसकी स्वयं की शासकीय वेबसाइट, यदि उपलब्ध हो, पर करके करेगी। इस नियम के उप–नियम (6) और (7) में यथा–विहित पर्याप्त परिचालन वाले समाचार पत्रों में एक संक्षिप्त नोटिस भी प्रकाशित किया जायेगा।

(2) राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित किये जाने वाले बोली के आमंत्रण में कम से कम निम्नलिखित सूचना अन्तर्विष्ट होगी, अर्थात् :–

(क) उपापन संस्था का नाम और पता, और ई–मेल पता, यदि कोई हो,

(ख) उपापन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप की जाने वाली उपापन संविदा या दर संविदा के मुख्य अपेक्षित निबंधनों और शर्तों का संक्षिप्त विवरण जिसमें प्रदाय किये जाने वाले माल, निष्पादित किये जाने वाले संकर्म या उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं की प्रकृति, परिमाण, परिदान का समय और स्थान सम्मिलित होंगे;

(ग) क्या बोली प्रक्रिया एकल प्रक्रम या द्वि प्रक्रम में संचालित होगी और क्या इसे दो लिफाफों में साथ–साथ प्रस्तुत किया जाना है (बोली की तकनीकी गुणवत्ता और कार्य सम्पादन विशेषताओं को रखने वाला एक लिफाफा और बोली के वित्तीय पहलुओं को रखने वाला अन्य लिफाफा);

(घ) बोली लगाने वालों की अर्हता का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कसौटी और प्रक्रिया ;

(ङ) अभ्यर्थना दस्तावेजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया और स्थान जहां से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है;

(च) अभ्यर्थना दस्तावेजों के लिए उपापन संस्था द्वारा प्रभारित मूल्य, यदि कोई हो, और संदाय की रीति और बोली प्रतिभूति की रकम और उसका प्ररूप;

(छ) बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए रीति, स्थान और अंतिम समय सीमा;

(ज) उपापन संस्था का बोली प्रक्रिया को रद्द करने और कोई या समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार;

(झ) बोलियों को खोलने का समय, तारीख और स्थान;

(ञ) क्या उपापन के कोई मद विशिष्ट प्रवर्ग के बोली लगाने वालों के लिए आरक्षित हैं; और

(ट) कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना।

(3) राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित किये जाने वाले पूर्व अर्हता के आमन्त्रण में कम से कम निम्नलिखित सूचना अन्तर्विष्ट होगी, अर्थात् :–

(क) उपापन संस्था का नाम और पता, और ई–मेल का पता, यदि कोई हो;

(ख) उपापन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप की जाने वाली उपापन संविदा या दर संविदा के समय ज्ञात सीमा तक, अपेक्षित मुख्य निबंधनों और शर्तों, पूर्व अर्हता के आमंत्रण का संक्षिप्त विवरण जिसमें प्रदाय किये जाने वाले माल की प्रकृति, परिमाण और परिदान का स्थान, किये जाने वाले संकर्मों की प्रकृति और अवस्थान, या, सेवाओं की प्रकृति और स्थान, जहां उन्हें उपलब्ध कराया जाना है, के साथ–साथ यदि पहले से ज्ञात हो तो माल के परिदान के लिए या संकर्मों को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित समय या सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समय सारणी सम्मिलित है।

(ग) बोली लगाने वालों की अर्हता का मूल्यांकन करने के लिए अनुसरित की जाने वाली कसौटी और प्रक्रिया;

(घ) पूर्व–अर्हता दस्तावेजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया और वह स्थान जहां से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है ;

(ङ) पूर्व–अर्हता दस्तावेजों और पूर्व–अर्हता के पश्चात् बोली दस्तावेजों के लिए उपापन संस्था द्वारा प्रभारित मूल्य, यदि कोई हो, और उसके संदाय की रीति;

(च) पूर्व अर्हता के लिए आवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए रीति, स्थान और अंतिम समय सीमा; और

(छ) पूर्व–अर्हता प्रस्तावों को खोलने का समय, तारीख और स्थान।

(4) [1][विलोपित]

(5) समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला बोली आमंत्रित करने वाला नोटिस संक्षिप्त होना चाहिए। उपापन की एक से अधिक विषय वस्तु के लिए बोली यथा–संभव एक नोटिस में प्रकाशित की जायेगी।

---

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 15.11.2016 द्वारा विलोपित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 15.11.2016 में प्रकाशित – ''200.00 लाख रुपये से अधिक की प्राक्कलित लागत के माल, संकर्मों या सेवाओं के लिए बोली आमंत्रित करने वाला नोटिस भारतीय व्यापार जर्नल में प्रकाशन के लिए महानिदेशक, आसूचना और सांख्यिकी, कोलकाता को भी भेजा जायेगा।''

[1][(6) समाचार पत्रों और नोटिस बोर्डों में बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन के प्रत्युत्तर में माल के प्रदाय या सेवा उपलब्ध कराने के लिए बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय निम्नानुसार होगा :–

सारणी

माल और सेवाओं के उपापन के लिए बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय और प्रचार की रीतियां

क्रम सं.	उपापन का प्राक्कलित मूल्य	बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से बोली को प्रस्तुत करने की कालावधि	प्रचार की रीति
1	2	3	4
1.	दस लाख रुपये तक	सात दिन	(i) उपापन संस्था और यथास्थिति, समस्त अधीनस्थ क्षेत्रीय और खण्ड मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र।
2.	दस लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक	दस दिन	(i) उपापन संस्था और यथास्थिति, समस्त अधीनस्थ क्षेत्रीय और खण्ड मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र। (iii) पचास हजार और उससे अधिक प्रतियों के परिचालन वाला एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र।
3.	एक करोड़ रुपये से अधिक	बीस दिन	(i) उपापन संस्था और यथास्थिति, समस्त अधीनस्थ क्षेत्रीय और खण्ड मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) पचास हजार और उससे अधिक प्रतियों के परिचालन वाला एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र। **[(iii) वृहत् परिचालन वाला एक अखिल भारतीय स्तर का दैनिक समाचार पत्र। समाचार पत्र की भाषा उपापन की विषय–वस्तु की अपेक्षाओं के अनुसार उपापन इकाई द्वारा विनिश्चित की जायेगी।]

परन्तु समुचित मामलों में, उपापन संस्था यदि उपापन का प्राक्कलित मूल्य 50 करोड़ रुपये तक है तो स्वयं और यदि उपापन का मूल्य 50 करोड़ रुपये से अधिक है तो संबंधित प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से, बोली प्रस्तुत करने और बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन की ऊपर उल्लिखित कालावधि को शिथिल कर सकेगी।]

** अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफ.डी./एसपीएफसी/2017 दिनांक 09.09.2024 द्वारा "(iii) वृहत् परिचालन वाला एक अखिल भारतीय स्तर का अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र।" के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 9.9.2024 में प्रकाशित ।

1. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 6.8.2018 द्वारा प्रतिस्थापित (6.8.2018 से प्रभावी :–

(6) समाचार पत्रों और नोटिस बोर्ड में बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन के प्रत्युत्तर में माल के प्रदाय या सेवा उपलब्ध कराने के लिए बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय निम्नानुसार होगा :–

लगातार...................

....
पूर्व पृष्ठ से लगातार.....................

सारणी

माल और सेवाओं के उपापन के लिए बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय और प्रचार की रीतियां

क्रम सं.	उपापन का प्राक्कलित मूल्य	बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से बोली को प्रस्तुत करने की कालावधि	प्रचार की रीति
1	2	3	4
1.	पांच लाख रुपये तक	दस दिन	(i) उपापन संस्था और यथास्थिति, समस्त अधीनस्थ क्षेत्रीय और खण्ड मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र।
2.	पांच लाख रुपये से अधिक और पचास लाख रुपये तक	पन्द्रह दिन	(i) उपापन संस्था और यथास्थिति, समस्त अधीनस्थ क्षेत्रीय और खण्ड मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र। (iii) पचास हजार प्रतियों और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र।
3.	पचास लाख रुपये से अधिक	तीस दिन	(i) उपापन संस्था और यथास्थिति, समस्त अधीनस्थ क्षेत्रीय और खण्ड मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) पचास हजार प्रतियों और उससे अधिक का परिचालन रखने वाला एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र। (iii) वृहत् परिचालन वाले एक अखिल भारतीय स्तर का [1][दैनिक समाचार पत्र]।

परन्तु समुचित मामलों में, उपापन संस्था [2][इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी] के अनुमोदन से, बोली प्रक्रिया की ऊपर उल्लिखित समय–सीमा को शिथिल कर सकेगी।

---

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 द्वारा [अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र] के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 4.9.2013 में प्रकाशित (4.9.2013 से प्रभावी)।
2. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 द्वारा [राज्य सरकार] के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 4.9.2013 में प्रकाशित (4.9.2013 से प्रभावी)।

[1][(7) समाचार पत्रों और नोटिस बोर्डों में बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन के प्रत्युत्तर में संकर्मों के निष्पादन हेतु बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय निम्नानुसार होगाः–

सारणी

संकर्मों के उपापन के लिए बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय और प्रचार की रीतियां

क्र. सं.	उपाप्त किये जाने वाले संकर्म का प्राक्कलित मूल्य	बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से बोली को प्रस्तुत करने की कालावधि	प्रचार की रीति
1	2	3	4
1.	दस लाख रुपये तक	सात दिन	(i) उपापन संस्था और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड, और (ii) एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र
2.	दस लाख रुपये से अधिक और दो करोड़ रुपये तक	दस दिन	(i) उपापन संस्था और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड, और (ii) एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र और पचास हजार या इससे अधिक प्रतियों के परिचालन वाला एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र।
3.	दो करोड़ रुपये से अधिक और पचास करोड़ रुपये तक	बीस दिन	(i) उपापन संस्था और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र और पचास हजार या इससे अधिक प्रतियों के परिचालन वाला एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र, और **[(iii) वृहत् परिचालन वाला एक अखिल भारतीय स्तर का दैनिक समाचार पत्र। समाचार पत्र की भाषा उपापन की विषय–वस्तु की अपेक्षाओं के अनुसार उपापन इकाई द्वारा विनिश्चित की जायेगी।]
4.	पचास करोड़ रुपये से अधिक	तीस दिन	(i) उपापन संस्था और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र और पचास हजार या इससे अधिक प्रतियों के परिचालन वाला एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र, और **[(iii) वृहत् परिचालन वाला एक अखिल भारतीय स्तर का दैनिक समाचार पत्र। समाचार पत्र की भाषा उपापन की विषय–वस्तु की अपेक्षाओं के अनुसार उपापन इकाई द्वारा विनिश्चित की जायेगी।]

परन्तु समुचित मामलों में, उपापन संस्था यदि उपापन का प्राक्कलित मूल्य 50 करोड़ रुपये तक है तो स्वयं और यदि उपापन का मूल्य 50 करोड़ रुपये से अधिक है तो संबंधित प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से, बोली प्रस्तुत करने और बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन की ऊपर उल्लिखित कालावधि को शिथिल कर सकेगी।''; और]

** अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफ.डी./एसपीएफसी/2017 दिनांक 09.09.2024 द्वारा [(iii) वृहत् परिचालन वाला एक अखिल भारतीय स्तर का अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र।] के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 9.9.2024 में प्रकाशित ।

1. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 6.8.2018 द्वारा प्रतिस्थापित (6.8.2018 से प्रभावी) :–
''(7) समाचार पत्रों और नोटिस बोर्डों में बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन के प्रत्युत्तर में संकर्मों के निष्पादन हेतु बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय निम्नानुसार होगाः–

लगातार...................

....
पूर्व पृष्ठ से लगातार....................

सारणी

संकर्मों के उपापन के लिए बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय और प्रचार की रीतियां

क्र.सं.	उपाप्त किये जाने वाले संकर्म का प्राक्कलित मूल्य	बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से बोली को प्रस्तुत करने की कालावधि	प्रचार की रीति
1	2	3	4
1.	एक लाख रुपये तक	सात दिन	उपापन संस्था और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड।
2.	एक लाख रुपये से अधिक और दस लाख रुपये तक	पन्द्रह दिन	(i) उपापन संस्था और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र।
3.	दस लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक	इक्कीस दिन	(i) उपापन संस्था और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र, पचास हजार प्रतियां या इससे अधिक के परिचालन वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र।
4.	एक करोड़ रुपये से अधिक तीस दिन	तीस दिन	(i) उपापन संस्था और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र, पचास हजार प्रतियां या इससे अधिक के परिचालन वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र। (iii) वृहत् परिचालन वाला एक अखिल भारतीय स्तर का [1][दैनिक समाचार पत्र]।

परन्तु समुचित मामलों में, उपापन संस्था [2][इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी] के अनुमोदन से, बोली प्रक्रिया की ऊपर उल्लिखित समय–सीमा को शिथिल कर सकेगी।''

---

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 द्वारा [अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र] के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 4.9.2013 में प्रकाशित (4.9.2013 से प्रभावी)।
2. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 द्वारा [राज्य सरकार] के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 4.9.2013 में प्रकाशित (4.9.2013 से प्रभावी)।

(8) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में, जिसमें बोली का नोटिस अन्तर्राष्ट्रीय बोली लगाने वालों को संबोधित किया जाना है, बोली आमन्त्रित करने वाला नोटिस उपयुक्त माध्यमों, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रत्युत्तरों को आकर्षित करते हैं, का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त रूप से प्रकाशित किया जायेगा। इसमें विदेशों में भारतीय राजदूतावास, भारत में विदेशी राजदूतावास, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जर्नल इत्यादि को बोली आमन्त्रित करने वाले नोटिस के परिचालन को सम्मिलित किया जा सकेगा। बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से बोली प्रस्तुतीकरण के लिए कालावधि पैंतालीस दिन की होगी।

(9) बोलियों को आमन्त्रित करने वाला नोटिस सरकारी विभागों द्वारा इस अनुरोध के साथ कि समाचार पत्रों के किस प्रवर्ग में ऐसा नोटिस प्रकाशित किया जाना है, सूचना और जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा।

[1][(10) [विलोपित]

(11) उपापन संस्था के पास बोली प्रक्रिया को रद्द करने और कोई या समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

44. बोली दस्तावेजों, पूर्व अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों के लिए मूल्य और प्रक्रिया फीस या उपयोक्ता प्रभार.– बोली दस्तावेजों, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, या रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों के लिए मूल्य, इनकी तैयारी और प्रदाय की लागत पर विचार करने के पश्चात् नियत किया जायेगा। उपापन संस्था ई–उपापन सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रक्रिया फीस या उपयोक्ता प्रभार भी प्रभारित कर सकेगी।

45. बोली दस्तावेजों का विक्रय.– (1) बोली दस्तावेजों का विक्रय बोली आमन्त्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन की तारीख से आरम्भ होगा और बोली के खुलने की तारीख से एक दिन पूर्व बंद किया जायेगा। सम्पूर्ण बोली दस्तावेज राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी रखे जायेगें। भावी बोली लगाने वालों को वेबसाईट से बोली दस्तावेज डाउनलोड करने और इसकी कीमत का संदाय उपापन संस्था को भरे हुए बोली दस्तावेज प्रस्तुत करते समय या ई –उपापन गेटवे, यदि सुविधा उपलब्ध हो तो, पर करने की अनुज्ञा दी जायेगी।

(2) बोली दस्तावेज, पूर्व–अर्हता दस्तावेज या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज किसी बोली लगाने वाले को, जो इसके कीमत का संदाय नकद या बैंक मांगदेय ड्राफ्ट, बैंकर चैक से करता है, उपलब्ध करवाये जायेंगे जब तक कि उपापन बोली लगाने वालों के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के लिए आरक्षित न हो :

परन्तु उस दशा में जहां रजिस्ट्रीकरण या पैनलित करने की कार्यवाहियों को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाली प्रक्रिया के लिए पूर्व–अर्हता कार्यवाहियां की गयी थी, वहां बोली लगाने वाले दस्तावेज केवल उन बोली लगाने वालों को ही उपलब्ध कराये जायेंगे जो पूर्व अर्हित या रजिस्ट्रीकृत या, यथास्थिति, पैनलित हो चुके हैं।

1. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 6.8.2018 द्वारा विलोपित (6.8.2018 से प्रभावी) :–

"(10) आपात स्थिति में, उपापन संस्था कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, बोली आमन्त्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए कालावधि उपर्युक्त उप नियम (6) या, यथास्थिति, (7) में विर्निदिष्ट कालावधि के आधे तक कम कर सकती है।"

(3) विक्रय किये गये बोली दस्तावेजों का विस्तृत लेखा रखा जायेगा। इसमें वेबसाईट से डाउनलोड किये गये बोली दस्तावेजों के ब्यौरों को भी सम्मिलित किया जायेगा जब उनकी कीमत बोली के प्रस्तुतीकरण के समय संदत्त की जाती है ।

(4) किसी समुत्थान के प्रधान द्वारा क्रय किये गये बोली दस्तावेजों का उपयोग इसके प्राधिकृत एकमात्र विक्रय अभिकर्ता/विपणन अभिकर्ता/वितरक/ उप–वितरक और प्राधिकृत व्यवहारी द्वारा या विपर्ययेन भी किया जा सकता है।

46. बोली–पूर्व स्पष्टीकरण.– धारा 22 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन, उपापन संस्था बोली लगानेवालों का बोली–पूर्व सम्मेलन बुला सकेगी और बोली दस्तावेजों के स्पष्टीकरण के लिए बैठक में प्रस्तुत अनुरोधों और उन अनुरोधों के प्रत्युत्तर, उस व्यक्ति जिसने अनुरोध किया है की पहचान किये बिना, अन्तर्विष्ट करते हुए बैठक के कार्यवृत तैयार करेगी। कार्यवृत और धारा 22 की उप–धारा (3) के अधीन प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, उन समस्त बोली लगाने वालों को, जिनको उपापन संस्था ने बोली दस्तावेज उपलब्ध कराये हैं, तत्परता से उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि उन बोली लगाने वालों को कार्यवृतों को विचार में लेने के लिए उनकी बोली तैयार करने में समर्थ बनाया जा सके, और इन्हें राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित किया जायेगा।

47. बोली दस्तावेजों में परिवर्तन.– बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय–सीमा से पूर्व किसी भी समय, उपापन संस्था किसी कारण से चाहे स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परिणामंस्वरूप, धारा 23 के उपबंधों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजों को उपान्तरित कर सकेगी।

48. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि.– (1) बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान विधिमान्य रहेगी। यह कालावधि सामान्यतया नब्बे दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए किन्तु उपापन की प्रकृति के आधार पर यह अधिक भी हो सकती है। लघुतर कालावधि के लिए विधिमान्य कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी के रूप में उपापन संस्था द्वारा अस्वीकार की जायेगी।

(2) बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि के अवसान के पूर्व, उपापन संस्था आपवादिक परिस्थितियों में, बोली लगाने वालों से अतिरिक्त विनिर्दिष्ट समायावधि के लिए बोली की विधिमान्यता की कालावधि का विस्तार करने के लिए अनुरोध कर सकेगी। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है और ऐसी अस्वीकृत बोली प्रत्याहरण के रूप में मानी जायेगी किन्तु ऐसी परिस्थितियों में बोली प्रतिभूति समपहृत की जायेगी।

(3) ऐसे बोली लगाने वाले जो उनकी बोली की विधिमान्यता की कालावधि के विस्तार से सहमत होते हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूतियों की विधिमान्यता की कालावधि का विस्तार करेंगे या विस्तार करायेंगे या उनकी बोली की विधिमान्यता की विस्तारित कालावधि को आवृत करने के लिए नयी बोली प्रतिभूतियां प्रस्तुत करेंगे। कोई बोली लगाने वाला जिसकी बोली प्रतिभूति विस्तारित नहीं की जाती है या जिसने नयी बोली प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं की है, इसे उसकी बोली की विधिमान्यता की कालावधि के विस्तार के लिए अनुरोध को अस्वीकार किया जाना माना जायेगा।

49. बोलियों का रूपविधान और हस्ताक्षरित किया जाना.– (1) बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों का एक मूल सैट तैयार करेगा जो बोली कहलायेगी और इसे ''मूल'' के रूप में स्पष्ट

रूप से चिह्नित करेगा और यदि कहा जाये तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में यथा–विनिर्दिष्ट संख्या में बोली की अतिरिक्त प्रतियां प्रस्तुत करेगा और उन्हें स्पष्ट रूप से ''प्रति'' के रूप में चिह्नित करेगा। मूल बोली और इसकी प्रतियों के मध्य कोई अन्तर होने की दशा में, मूल बोली की विषयवस्तु अभिभावी होगी।

(2) बोली की मूल और समस्त प्रतियां टंकित या स्याही में लिखित होगी और इसके समस्त पृष्ठ, बोली दस्तावेजों के समस्त निबन्धनों और शर्तों की स्वीकृति के प्रमाणस्वरूप, बोली लगाने वाले या बोली लगाने वाले की ओर से हस्ताक्षर किये जाने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होंगे। यह प्राधिकार बोली दस्तावेजों में यथा–विनिर्दिष्ट लिखित पुष्टिकरण से युक्त होगा और बोली के साथ संलग्न होगा।

(3) बोली में कोई भी संशोधन जैसे कि अंतरालेखन, उद्घर्षण या लिप्तलेखन केवल तब विधिमान्य होगा जब वे बोली हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या आध्यक्षरित किये गये हो।

(4) यदि द्वि–भाग बोलियां आमंत्रित की गयी हैं तो तकनीकी और वित्तीय बोलियों को हस्ताक्षरित करने के लिए समान प्रक्रिया अंगीकृत की जायेगी।

50. बोलियों को मुहरबंद करना और चिह्नित करना.– (1) बोली लगाने वाले उनकी बोलियों को डाक द्वारा या दस्ती प्रस्तुत कर सकेंगे किन्तु यदि बोली दस्तावेजों में ऐसा विनिर्दिष्ट हो तो बोली लगाने वाले उनकी बोली को केवल इलैक्ट्रोनिक रूप से प्रस्तुत करेंगे। इलेक्ट्रोनिक रूप से बोली प्रस्तुत करने वाले बोली लगाने वाले राज्य लोक उपापन पोर्टल पर यथा–विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रोनिक बोली प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

(2) बोली की मूल और प्रत्येक प्रति डाक द्वारा या दस्ती सम्यक् रूप से चिह्नित लिफाफे यथा ''मूल'' और ''प्रति'' पृथक मुहरबंद लिफाफों में परिवेष्टित की जायेगी। तब मूल और प्रतियों से युक्त लिफाफे एक एकल लिफाफे में परिवेष्टित किये जायेंगे।

(3) आन्तरिक और बाह्य लिफाफे पर .–

(क) बोली लगाने वाले का नाम और पूर्ण पता और दूरभाष/मोबाइल नम्बर होगा,

(ख) उपापन संस्था का पूर्ण पता और दूरभाष नम्बर, यदि कोई हो, होगा,

(ग) बोली आमन्त्रित करने वाले नोटिस के अनुसरण में बोली प्रक्रिया की विनिर्दिष्ट पहचान और बोली दस्तावेजों में यथा–विनिर्दिष्ट कोई अतिरिक्त पहचान चिह्न होगा; और

(घ) बोली आमन्त्रित करने वाले नोटिस के अनुसरण में बोली खोलने के लिए समय और तारीख से पूर्व नहीं खोलने की चेतावनी होगी।

(4) यदि समस्त लिफाफे यथा–अपेक्षित मुहरबंद और चिह्नित नहीं किये गये हैं तो उपापन संस्था इसके परिणामों के बारे में कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगी।

(5) यदि द्वि–भाग बोली आमन्त्रित की जाती है तो तकनीकी और वित्तीय बोलियों को मुहरबंद और चिह्नित करने के लिए समान प्रक्रिया अंगीकृत की जायेगी।

51. बोलियों के प्रस्तुतिकरण के लिए अंतिम समय–सीमा.– (1) बोली आमन्त्रित

करने वाले नोटिस में विनिर्दिष्ट स्थान और समय और तारीख तक बोलियां उपापन संस्था द्वारा पदाभिहित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जायेंगी या सीधे ही बोली के बक्से में डाली जायेंगी।

(2) सामान्यतया बोलियों के प्रस्तुतिकरण या खोलने की तारीख बढ़ाई नहीं जानी चाहिए। आपवादिक परिस्थितियों में या जब बोली दस्तावेजों को बोली–पूर्व सम्मेलन में विचार–विमर्श के परिणामस्वरूप या अन्यथा अधिष्ठायी रूप से परिवर्तित किये जाने की अपेक्षा की जाती है और बोली की तैयारी के लिए भावी बोली लगाने वालों के पास समय अपर्याप्त प्रतीत होता है तब उपापन संस्था द्वारा तारीख बढ़ाई जा सकती है। ऐसी दशा में विस्तारित समय और तारीख का प्रचार उसी रीति से किया जायेगा जैसा बोली आमन्त्रित करने वाले मूल नोटिस को जारी करने के समय पर किया गया था और इसे राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी रखा जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शुद्धिपत्र के जारी किये जाने के पश्चात् बोली लगाने वालों के पास उनकी बोली तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए युक्तियुक्त समय उपलब्ध हों। उपापन संस्था बोली दस्तावेजों में ऐसे उपान्तरणों का प्रकाशन भी उसी रीति से करेगी जैसा प्रारंभिक बोली दस्तावेजों का प्रकाशन किया गया है। यदि बोली प्राप्त करने और खोलने वाले प्राधिकारी के कार्यालय में बोली को प्रस्तुत करने या खोलने की अंतिम तारीख कार्य दिवस नहीं है तो बोली अगले कार्यदिवस पर प्राप्त या खोली जायेगी।

52. विलंब से प्राप्त बोलियां.– बोलियां प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगा जो बोलियां प्रस्तुतीकरण के लिए नियत समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। कोई भी बोली, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए अंतिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुंची हो, को ''विलंब से प्राप्त'' के रूप में चिह्नित और घोषित किया जायेगा और बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जायेगी।

53. बोलियों की प्राप्ति और अभिरक्षा.–(1) बोलियां विनिर्दिष्ट रूपविधान में विनिर्दिष्ट समय और तारीख तक और विनिर्दिष्ट स्थान पर, उपापन संस्था द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यक्तिशः परिदान द्वारा, कोरियर द्वारा या डाक द्वारा प्राप्त की जायेंगी सिवाय जबकि बोलियां ई–उपापन के माध्यम से प्राप्त की जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डाली जायें।

(2) बोली प्राप्त करने वाला प्राधिकृत व्यक्ति, बोली की प्राप्ति की तारीख और समय सहित उसके द्वारा हस्ताक्षरित रसीद, उस व्यक्ति को देगा, जो बोली परिदत्त करता है।

(3) डाक के माध्यम से या व्यक्तिशः परिदान द्वारा, मुहरबंद किये बिना, फटी हुई या क्षतिग्रस्त स्थिति में प्राप्त सभी बोलियां, उन्हें प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा उस लिफाफे पर इस रूप में चिह्नित और हस्ताक्षरित की जायेंगी और उस पर उसे परिदत्त करने वाले व्यक्ति केहस्ताक्षर कराये जायेंगे और यदि ऐसा करने की आवश्यकता हो तो उसे नये लिफाफे में रखा जायेगा और पुनः मुहरबंद किया जायेगा। ऐसी समस्त प्रविष्टियां प्राप्तकर्ता व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित की जायेंगी।

(4) अधिमानतः, प्राप्त की गई सभी बोलियां ऐसी बोलियां प्राप्त करने के लिए रखे गये बोलियों के सम्यक् रूप से तालाबन्द बक्से में डाली जायेंगी। बोली का बक्सा न होने

की स्थिति में प्राप्त बोलियां, बोलियां प्राप्त करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ताला लगाकर सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेंगी।

(5) बोली का बक्सा ऐसे स्थान पर होगा जिससे कि बोली लगाने वालों के लिए उस तक सरलतापूर्वक पहुंचना सुकर हो सके। बोली के बक्से पर दो मुहरबंद ताले लगे होंगे। इन तालों में से एक ताले की चाबी उपापन संस्था के पास रहेगी और दूसरे ताले की चाबी बोलियां प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के पास रहेगी।

(6) बोलियों की प्राप्ति के लिए नियत समय और तारीख को या उससे पहले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई बोलियां, बोली प्राप्ति रजिस्टर में प्रविष्ट की जायेंगी और उसे, बोलियों के प्रस्तुतीकरण के अंतिम समय और तारीख तक प्राप्त बोलियों की संख्या शब्दों और अंकों में अंकित करते हुए, नियत समय और तारीख पर बंद कर दिया जायेगा।

(7) डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त बोलियों का अभिलेख, उप–नियम (6) के अनुसार रजिस्टर को बंद करने के पश्चात्, बोली प्राप्ति रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

(8) तार द्वारा या विहित प्ररूप से भिन्न प्ररूप में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(9) ई–निविदा के मामले में, अर्थात् इलैक्ट्रोनिक पद्धति के माध्यम से प्रस्तुत बोली प्रस्तावों के मामले में, इन्हें राज्य लोक उपापन पोर्टल पर दर्शायी गयी प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

54. बोलियों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन और उपान्तरण.– (1) बोली लगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात्, उसके या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण पत्र संलग्न हो) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित नोटिस भेज कर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण कर सकेगा। बोली के तत्संबंधी प्रतिस्थापन या उपान्तरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिये। नोटिस –

(क) बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जाये और इसके अतिरिक्त लिफाफे पर स्पष्ट रूप से ''प्रत्याहरण'', ''प्रतिस्थापन'' या ''उपान्तरण'' अंकित हो ; और

(ख) बोलियों को प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम समय और तारीख से पहले बोलियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डाल दिया जाये।

(2) बोलियां, जिनके प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है, बोली लगाने वालों को बिना खोले लौटा दी जायेगी।

(3) किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण बोलियों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

55. बोलियों का खोला जाना.– (1) बोली का मुहरबंद बक्सा, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट समय, तारीख और स्थान पर, बोली लगाने वालों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो उपस्थित रहना चाहें, की उपस्थिति में उपापन संस्था द्वारा गठित बोली खोलने वाली समिति द्वारा खोला जायेगा।

(2) बोलियां प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी बोलियां प्रस्तुत करने के समय और तारीख तक, उसके द्वारा प्राप्त की गई समस्त बोलियों को, बोलियां खोलने वाली समिति के संयोजक को सौंप देगा और बोली प्राप्ति रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

(3) बोली खोलने वाली समिति बोली खोलने की प्रक्रिया संचालित करने के लिए अनुभवी व्यक्तियों को समिति में सहयोजित कर सकेगी।

(4) यदि इलैक्ट्रोनिक बोली अंगीकृत की गयी है तो राज्य लोक उपापन पोर्टल पर यथा–विनिर्दिष्ट बोली खोलने की विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रोनिक प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा। बोली लगाने वाले इलैक्ट्रोनिक बोली खोलने की ऑन लाईन प्रक्रिया के साक्षी हो सकेंगे।

(5) बोली, बोली लगाने वालों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो उपस्थित रहना चाहें, की उपस्थिति में बोली खोलने वाली समिति द्वारा खोली जायेगी। बोलियां अन्तर्विष्ट करने वाले समस्त लिफाफों पर, इस तथ्य के सत्यापन के आशय स्वरूप कि वे मुहरबंद हैं, समिति के सदस्यों द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षर किये जायेंगे। लिफाफे ए/एन के रूप में संख्यांकित होंगे, जहां 'ए' उस क्रम संख्या का द्योतक होगा जिस पर कि बोली का लिफाफा खोलने के लिए लिया गया और 'एन' विनिर्दिष्ट समय में प्राप्त बोलियों की कुल संख्या का द्योतक होगा।

(6) बोली खोलने वाली समिति बोलियों को खोलने के समय उपस्थित बोली लगाने वालों या उनके प्रतिनिधियों की एक सूची तैयार करेगी और उस पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करेगी। सूची में प्रतिनिधियों के नाम और दूरभाष संख्यांक और तत्स्थानी बोली लगाने वालों के नाम और पते भी अन्तर्विष्ट होंगे। प्रतिनिधियों द्वारा लाये गये प्राधिकार पत्र सूची के साथ संलग्न किये जायेंगे। सूची पर बोली खोलने वाली समिति के समस्त सदस्यों द्वारा बोली खोलने की तारीख और समय सहित हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(7) सर्वप्रथम ''प्रत्याहरण'' के रूप में चिह्नित लिफाफे खोले, पढे और अभिलिखित किये जायेंगे और तत्स्थानी बोलियों को अन्तर्विष्ट करने वाले लिफाफे नहीं खोले जायेंगे किन्तु बोली लगाने वालों को लौटा दिये जायेंगे। कोई बोली प्रत्याहृत किया जाना तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि तत्सथानी प्रत्याहरण की सूचना के साथ प्रत्याहरण के अनुरोध का विधिमान्य प्राधिकार अन्तर्विष्ट न हो और बोली खोलने के समय जिसे पढ़ा और अभिलिखित न किया जाये। यदि प्रत्याहरण सूचना विधिमान्य प्राधिकार के साथ नहीं है तो प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा और तत्स्थानी बोली खोली जायेगी। इसके पश्चात्, ''प्रतिस्थापन'' के रूप में चिह्नित लिफाफों को खोला जायेगा, उन्हें पढा जाकर अभिलिखित किया जायेगा और प्रतिस्थापन के कारण तत्स्थानी बोली से बदला जायेगा और इस प्रकार प्रतिस्थापित की गयी बोली खोली नहीं जायेगी किन्तु बोली लगाने वाले को लौटा दी जायेगी। कोई बोली तब तक प्रतिस्थापित नहीं की जायेगी जब तक कि तत्स्थानी प्रतिस्थापन की सूचना के साथ प्रतिस्थापन के अनुरोध का विधिमान्य प्राधिकार अन्तर्विष्ट न हो और बोली खोलने के समय जिसे पढ़ा और अभिलिखित न किया जाये। तत्पश्चात ''उपान्तरण'' के रूप में चिह्नित लिफाफे खोले जायेंगे, पढे जाकर तत्स्थानी बोली के साथ अभिलिखित किये जायेंगे। कोई बोली तब तक उपान्तरित नहीं की जायेगी जब तक कि तत्स्थानी उपान्तरण की सूचना के साथ उपान्तरण के अनुरोध का विधिमान्य प्राधिकार अन्तर्विष्ट न हो और बोली खोलने के समय जिसे पढ़ा और अभिलिखत न किया जाये। केवल उन्हीं लिफाफों पर आगे विचार किया जायेगा जो बोली खोलने के समय खोले गये हैं, पढे गये हैं और अभिलिखित किये गये हैं।

(8) अन्य समस्त लिफाफों को एक–एक करके खोला जायेगा और निम्नलिखित ब्यौरे पढे और अभिलिखित किये जायेंगे –

(क) बोली लगाने वाले का नाम और क्या कोई प्रतिस्थापन या उपान्तरण है ;

(ख) बोली की कीमते (प्रति लॉट यदि लागू हो) ;

(ग) बोली प्रतिभूति, यदि अपेक्षित हो ; और

(घ) कोई अन्य ब्यौरे जो समिति द्वारा समुचित समझे जाये।

समस्त बोलियों को खोले जाने के पश्चात्, बोली खोलने वाली समिति के सदस्यों द्वारा प्रत्येक बोली के प्रथम पृष्ठ पर आद्यक्षर किये जायेंगे और तारीख डाली जायेगी। संलग्न की गयी कीमत अनुसूची और पत्रों, परिमाण के बिल के समस्त पृष्ठों पर समिति के सदस्यों द्वारा आद्यक्षर किये जायेंगे और तारीख डाली जायेगी। कीमतों, परिदान कालावधि इत्यादि जैसी मुख्य सूचना पर गोला बनाया जायेगा और बोली के न भरे गये स्थानों को समिति के सदस्यों द्वारा चिह्नित और तारीख सहित हस्ताक्षरित किया जायेगा। बोली की मूल और अतिरिक्त प्रतियां भी तदनुसार चिह्नित की जायेंगी। परिवर्तन/शुद्धिकरण/ परिवर्धन/ लिप्तलेखन पर यह स्पष्ट करने के लिए सुपाठ्य रूप से आद्यक्षर किये जायेंगे कि ऐसा परिवर्तन इत्यादि बोली में उसे खोलते समय विद्यमान था।

(9) बोली खोले जाने के समय कोई बोली अस्वीकार नहीं की जायेगी सिवाय विलंब से प्राप्त बोलियों, वैकल्पिक बोलियों (यदि अनुज्ञात न हो) और ऐसी बोलियों के, जिनके साथ बोली दस्तावेजों की अपेक्षित कीमत, प्रक्रिया फीस या प्रयोक्ता प्रभारों और बोली प्रतिभूति के संदाय का सबूत या लिखत न हो।

(10) बोली खोलने वाली समिति बोली खोलने का अभिलेख तैयार करेगी जिसमें बोली लगाने वाले का नाम और क्या कोई प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन, या उपान्तरण किया गया है, बोली की कीमत, प्रत्येक लॉट (यदि लागू हो), कोई छूट और वैकल्पिक प्रस्ताव (यदि वे अनुज्ञात किये गये हो), बोली लगाने वाले के द्वारा लगायी गयी कोई शर्तें और बोली दस्तावेजों की कीमत, प्रक्रिया फीस या प्रयोक्ता प्रभार और बोली प्रतिभूति के संदाय के सबूत सम्मिलित होंगे। बोली लगाने वाले या उनके प्रतिनिधि, जो उपस्थित हों अभिलेख पर हस्ताक्षर करेंगे। अभिलेख पर बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर का लोप अभिलेख के प्रभाव और अन्तर्वस्तुओं को अविधिमान्य नहीं करेगा। समिति के सदस्य भी तारीख सहित अभिलेख पर हस्ताक्षर करेंगे।

(11) द्वि–भाग बोलियों की दशा में, केवल बाहरी लिफाफे और ''तकनीकी बोली'' के रूप में चिह्नित लिफाफे उन पर अंकित क्रम संख्यांकों के क्रम में खोले जायेंगे। ''वित्तीय बोली'' के रूप में चिह्नित लिफाफे अविकल एवं सुरक्षित रखे जायेंगे और केवल उन्हीं बोली लगाने वालों के लिफाफे, जो उनकी तकनीकि बोलियों के मूल्यांकन में अर्हित पाये जायें, उपर्युक्त उपनियम (3) से (10) में यथा–वर्णित रीति से उन बोली लगाने वालों को सूचित की जाने वाली तारीख ओर समय पर खोले जायेंगे।

(12) द्वि–प्रक्रमी बोली के मामले में, प्रथम प्रक्रम में रूचि की अभिव्यक्ति या अर्हता के लिए अनुरोध के आमंत्रण के प्रत्युत्तर में प्राप्त प्रस्तावों को एकल भाग बोली खोलने के लिए उप–नियम (3) से (10) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार खोला जायेगा। द्वितीय प्रक्रम की बोलियों को खोलने की प्रक्रिया वही होगी जो द्वि–भाग बोलियों को खोलने के लिए उप–नियम (11) में विनिर्दिष्ट है। यदि द्वितीय प्रक्रम में तकनीकी और वित्तीय बोलियां एकल लिफाफे में आमंत्रित की जाती हैं तो बोलियों को खोले जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो उप–नियम (3) से (10) में विनिर्दिष्ट है।

56. बोलियों की प्रारंभिक परीक्षा.– उपापन संस्था द्वारा गठित बोली मूल्यांकन समिति प्रथमदृष्ट्या प्रत्युत्तरदायिता अवधारित करने के लिए खोली गई बोलियों की प्रारंभिक संवीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि –

(क) बोली, बोली दस्तावेजों में सूचीबद्ध अपेक्षाओं के अनुसार हस्ताक्षरित है ;

(ख) बोली, बोली दस्तावेजों में उपबंधित अनुदेशों के अनुसार मुहरबंद है ;

(ग) बोली, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विधिमान्य है ;

(घ) बोली के साथ बोली प्रतिभूति या बोली को प्रतिभूत करने वाली घोषणा लगी हुई है;

(ङ) बोली बिना शर्त है और बोली लगाने वाला अपेक्षित कार्यसम्पादन प्रतिभूति देने के लिए सहमत है ; और

(च) बोली दस्तावेजों में यथाविनिर्दिष्ट अन्य शर्तों की पूर्ति कर दी गई है।

57. तकनीकी बोलियों की सारणी बनाना.–(1) यदि तकनीकी बोलियां आमंत्रित की गयी हैं तो बोली दस्तावेजों में उपवर्णित अर्हता कसौटी के प्रति बोली लगाने वालों की अर्हता का मूल्यांकन करने के लिए तुलनात्मक विवरण के रूप में बोली मूल्यांकन समिति द्वारा उनकी सारणी बनायी जायेगी। सारणी में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेगा :–

(क) बोली लगाने वालों का नाम और पता और ई–मेल पता, यदि कोई हो ;

(ख) उपापन संस्था या अन्य उपापन संस्था के साथ रजिस्ट्रीकरण/पैनलित होने, यदि कोई हो, का संदर्भ;

(ग) क्या मूल बोली का कोई प्रतिस्थापन या उपान्तरण किया गया है ;

(घ) क्या बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में दी गयी पात्रता कसौटी की पूर्ति करता है ;

(ङ) क्या बोली पर बोली लगाने वाले या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं (क्या प्राधिकार का विधिमान्य दस्तावेज संलग्न है);

(च) क्या बोली दस्तावेज की कीमत के संदाय का सबूत प्रस्तुत किया गया है;

(छ) क्या प्रक्रिया फीस या प्रयोक्ता प्रभारों, यदि कोई हो, बोली प्रतिभूति के संदाय का या बोली प्रतिभूति के लिखत का या बोली को प्रतिभूत करने वाली घोषणा का सबूत दिया गया है ;

(ज) अपेक्षित अर्हता कसौटी का प्रत्युत्तर और उसके लिए अंकों का आवंटन, या क्या बोली दस्तावेजों में प्रत्येक कसौटी के लिए नियत निम्न न्यूनतम मानकों की पूर्ति होती है :–

(i) वित्तीय स्रोतों की उपलब्धता;

(ii) पूर्व सम्पादन और अनुभव;

(iii) तकनीकी/वृत्तिक/विशेषज्ञ कार्मिकों की आवश्यकता और आवश्यक मशीनरी और उपस्कर की उपलब्धता को सम्मिलित करते हुए तकनीकी और वृत्तिक सक्षमता;

(iv) प्रबंधकीय स्रोत और सक्षमता ;

(v) क्या धारा 7 की उप–धारा (2) के खण्ड (ख) से (ङ) के अधीन यथा–अपेक्षित सबूत/घोषणा दे दी गयी है;

(vi) धारा 7 के उपबंधों के अनुसार नियत कोई अन्य अर्हता कसौटी।

(ञ) तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन का परिणाम, चाहे अर्हित है या नहीं, यदि नहीं तो उसके कारण।

(2) बोली मूल्यांकन समिति के सदस्य सारणी के नीचे उनकी सिफारिशें देंगे कि तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन में कौनसे बोली लगाने वाले अर्हित पाये गये और उस पर हस्ताक्षर करेंगे।

(3) उप नियम (1) में दी गयी सारणी के रूपविधान को बोली लगाने वालों के रजिस्ट्रीकरण/पैनलित करने, द्वि–प्रक्रमी बोली प्रक्रिया के प्रथम प्रक्रम में अर्हता के लिए अनुरोध/रूचि की अभिव्यक्ति के प्रत्युत्तर में प्राप्त दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए भी यथावश्यक परिवर्तनों सहित प्रयुक्त किया जा सकेगा। यदि द्वि–प्रक्रमी बोली के दूसरे प्रक्रम में तकनीकी बोली पृथक रूप से आमंत्रित की गयी है तो तकनीकी बोली के मूल्यांकन के लिए भी इस रूपविधान का उपयोग यथावश्यक परिवर्तन सहित किया जा सकेगा।

58. वित्तीय बोलियों की सारणी बनाना.– (1) तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के पश्चात्, बोली मूल्यांकन समिति द्वारा बोली दस्तावेजों में उपवर्णित मूल्यांकन कसौटी के आधार पर निम्नतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली का मूल्यांकन करने के लिए तुलनात्मक विवरण के रूप में वित्तीय बोलियों की सारणी तैयार की जायेगी। सारणी में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेगा :–

(क) बोली लगाने वालों का नाम और पता और ई–मेल पता, यदि कोई हो;

(ख) यदि तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन हो चुका है तो क्या तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन में बोली लगाने वाला अर्हित हो गया है;

(ग) प्रस्तावित उपापन की विषय वस्तु के विनिर्देश;

(घ) प्रति इकाई, प्रति मद पर कोट की गयी दरें और कोट की गयी प्रत्येक मद की कुल कीमत या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में दी गयी दरों से अधिक, कम का प्रतिशत;

[1][(ङ) लागू कोई अन्य कर, पृथक्तः दर्शित किये जायेंगे;]

(च) पैकिंग और अग्रेषण प्रभार, मालभाड़ा, बीमा इत्यादि;

(छ) संपूर्ण लागत प्रति इकाई, प्रति मद और कुल मद और करों को सम्मिलित करते हुए कुल लागत;

(ज) छूट, रिबेट यदि कोई (यदि अनुज्ञात हो);

(झ) वैकल्पिक प्रस्ताव (यदि अनुज्ञात हो);

(ञ) कोट की गयी परिदान/पूर्ण होने की कालावधि;

(ट) बोली की कोट की गयी विधिमान्य कालावधि;

1. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 16.2.2018 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 16.2.2018 में प्रकाशित, तुरंत प्रभावी। *"(ङ) उत्पाद शुल्क, राजस्थान मूपक (वैट), केन्द्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर और लागू कोई अन्य कर पृथकतः दर्शित किए जायें।"*

(ठ) कोट की गयी संदाय की रीति;

(ड) नमूने, प्रस्तावित परीक्षण (यदि इसके लिए कहा गया गया हो) और नमूना परीक्षण और किये गये परीक्षणों के परिणाम ;

(ढ) कोट की गयी गारंटी/वारंटी/त्रुटि दायित्व कालावधि, यदि इसके लिए कहा गया है;

(ण) कोट की गयी संविदा रखरखाव कालावधि, यदि इसके लिए कहा गया है;

(त) बोली दस्तावेजों में पूछी गयी किसी अन्य जानकारी का जवाब;

(थ) बोली दस्तावेजों में सम्मिलित की गयी शर्तों से भिन्न कोट की गयी कोई अन्य शर्तें

(द) क्या बोली दस्तावेजों में उपवर्णित अपेक्षित विनिर्देशों और निबंधनों और शर्तों से कोई सारवान विचलन, आरक्षण या लोप है;

(ध) वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन का परिणाम– वित्तीय मूल्यांकन में बोली लगाने वाले की अवस्थिति;

(न) तकनीकी और वित्तीय बोलियों का संयुक्त मूल्यांकन – यदि बोली दस्तावेजों में नियत है – तकनीकी और वित्तीय बोलियों के संयुक्त मूल्यांकन में बोली लगाने वाले का स्थान;

(2) यदि केवल एकल भाग की बोलियां आमंत्रित की गयी है तो नियम 57 के उपनियम (1) के खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) और खण्ड (ज) के उप–खण्ड (ट) में विनिर्दिष्ट जानकारी भी सारणी में सम्मिलित की जायेगी।

(3) उप–नियम (1) में दी गयी सारणी द्वि–प्रक्रमी बोली के दूसरे प्रक्रम में वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के लिए भी उपयोग में ली जा सकेगी।

(4) बोली मूल्यांकन समिति के सदस्य सारणी के नीचे न्यूनतम बोली या सर्वाधिक लाभप्रद बोली से संबंधित सिफारिश करेंगे और उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे।

59. प्रत्युत्तरदायिता का अवधारण.– (1) बोली मूल्यांकन समिति बोली दस्तावेजों और धारा 7 की उप–धारा (2) के उपबंधों के आधार पर बोली की प्रत्युत्तरदायिता का अवधारण करेगी।

(2) कोई प्रत्युत्तरदायी बोली वह है जो बिना किसी सारवान विचलन, आरक्षण या लोप के बोली दस्तावेजों की अपेक्षाओं की पूर्ति करती है जहां :–

(क) ''विचलन'' बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं से हटना है ;

(ख) ''आरक्षण'' बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को सीमित करने वाली शर्तें लगाना या उनकी पूर्ण स्वीकृति से रोके रखना है ; और

(ग) ''लोप'' बोली दस्तावेजों में अपेक्षित समस्त सूचना या दस्तावेजों या उसके किसी भाग को प्रस्तुत करने में विफलता है।

(3) कोई सारवान विचलन, आरक्षण या लोप वह है, जो, (क) यदि स्वीकार किया जाता है तो,

(i) बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट उपापन की विषयवस्तु की परिधि, गुणवत्ता या सम्पादन को किसी सारभूत रूप से प्रभावित करेगा ; अथवा

(ii) बोली दस्तावेजों से असंगत, प्रस्तावित संविदा के अधीन उपापन संस्था के अधिकारों या बोली लगाने वाले की बाध्यताओं को किसी सारभूत रूप से सीमित करेगा ; अथवा

(ख) यदि परिशोधित किया गया है तो प्रत्युत्तरदायी बोलियां प्रस्तुत करने वाले अन्य बोली लगाने वालों की प्रतियोगी स्थिति को अनुचित रूप से प्रभावित करेगा।

(4) बोली मूल्यांकन समिति, यह पुष्टि करने के लिए कि बोली दस्तावेज की समस्त अपेक्षाओं को बिना किसी सारवान विचलन, आरक्षण या लोप के पूरा कर लिया गया है, विशिष्ट रूप से बोली के तकनीकी पहलुओं का परीक्षण करेगी।

(5) उपापन संस्था किसी बोली को प्रत्युत्तरदायी बोली के रूप में मानेगी यदि वह बोली दस्तावेजों में उपवर्णित समस्त अपेक्षाओं के अनुरूप है, या इसमें लघु विचलन अन्तर्विष्ट है जिससे बोली दस्तावेजों में उपवर्णित लक्षणों, निबंधनों, शर्तों और अन्य अपेक्षाओं में सारभूत परिवर्तन या विचलन नहीं होता है, या यदि इसमें कोई त्रुटि या अन्वेक्षा रह गयी है तो उसे बोली के सार को प्रभावित किए बिना सही किया जा सकता है।

60. बोलियों का स्पष्टीकरण.– (1) बोलियों की परीक्षा, मूल्यांकन, तुलना और अर्हता में सहायता के लिए बोली मूल्यांकन समिति, स्वविवेक से, किसी बोली लगाने वाले को उसकी बोली के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकेगी। स्पष्टीकरण के लिए समिति का अनुरोध और बोली लगाने वालों का प्रत्युतर लिखित में होंगे।

(2) किसी बोली लगाने वाले के द्वारा उसकी बोली के संबंध में प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण पर, जो समिति के किसी अनुरोध के जवाब में प्रस्तुत नहीं किया गया हो, विचार नहीं किया जायेगा।

(3) वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन में समिति द्वारा खोजी गयी किन्हीं गणितीय त्रुटियों की शुद्धि को पुष्ट करने के सिवाय बोली की कीमतों या सार में कोई परिवर्तन चाहा, प्रस्तावित, या अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) किसी अनर्हित बोली लगाने वाले को अर्हित बनाने या किसी गैर– प्रत्युत्तरदायी प्रस्तुतीकरण को प्रत्युत्तरदायी बनाने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए अर्हता सूचना या प्रस्तुतीकरण में कोई सारभूत परिवर्तन चाहा, प्रस्तावित, या अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(5) इस नियम के अधीन जनित समस्त संसूचनाएं उपापन कार्यवाहियों के अभिलेख में सम्मिलित की जायेंगी।

61. बोली में गैर–सारवान गैर–अनुरूपता.– (1) बोली मूल्यांकन समिति, बोली में किन्हीं गैर–अनुरूपताओं का अधित्यजन कर सकती है जिसके कारण कोई तात्विक विचलन, आरक्षण या लोप न होता हो, ऐसी बोली सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी समझी जायेगी।

(2) बोली मूल्यांकन समिति बोली लगाने वाले को आवश्यक सूचना या दस्तावेज जैसे कि [1][संपरीक्षित लेखा विवरण, पेन (PAN), इत्यादि] युक्तियुक्त कालावधि के भीतर प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकेगी। बोली लगाने वाले के अनुरोध का पालन करने में असफल होने के परिणामस्वरूप उसकी बोली को अस्वीकार किया जा सकेगा।

....

1. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त / एसपीएफसी / 2017 दिनांक 16.2.2018 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 16.2.2018 में प्रकाशित, तुरंत प्रभावी। *"संपरीक्षित लेखा विवरण, मू.प.क (वैट). अनापत्ति प्रमाणपत्र, पेन इत्यादि।"*

(3) बोली मूल्यांकन समिति उप–नियम (2) के अधीन बोली लगाने वाले से प्राप्त सूचना या दस्तावेजों के आधार पर गैर–सारवान, गैर–अनुरूपताओं या लोपों का परिशोधन कर सकेगी।

62. बोलियों का अपवर्जन.– उपापन संस्था धारा 25 के उपबंधों के अनुसार किसी बोली को अपवर्जित करेगी।

63. द्वि–भाग बोलियों के मामले में तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन.– (1) तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए नियत की गयी कसौटी धारा 7 के उपबंधों के अनुसार होगी और बोली दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होगी ताकि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनायी रखी जा सके। तकनीकि बोलियों के मूल्यांकन के लिए एक बार नियत की गयी कसौटी बदली या शिथिल नहीं की जायेगी।

(2) बोली लगाने वालों की तकनीकी–वाणिज्यिक अर्हता का मूल्यांकन, वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधकीय क्षमता इत्यादि के क्षेत्रों में जैसेकि उपापन की विषयवस्तु में बोली लगाने वाले के अनुभव के वर्षों की संख्या, कतिपय पूर्व वर्षों में समरूप संविदाओं को संतोषप्रद रूप से पूरा करने, जिसमें प्रत्येक का मूल्य उपापन की विषयवस्तु के मूल्य के विनिर्दिष्ट प्रतिशत से न्यून न हो, उपापन की विषयवस्तु के मूल्य के संबंध में कतिपय पूर्व वर्षों में बोली लगाने वाले का वित्तीय पण्यावर्त (टर्नआवर), उपापन की विषयवस्तु के मूल्य के सापेक्ष बोली प्रस्तुत करते समय बोली लगाने वाले के हस्तगत आदेशों का मूल्य इत्यादि में अर्हता की विभिन्न कसौटियों के लिए बोली दस्तावेजों में समनुदिष्ट अंकों के भार या नियत न्यूनतम उपलब्धियों के आधार पर नियम 57 के अनुसार सारणी प्ररूप में किया जायेगा।

(3) बोली लगाने वाले, जो अंकों का विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करते हैं या न्यूनतम उपलब्धियों के मानदण्डों को पूरा करते हैं, तकनीकी रूप से अर्हित समझे जा सकेंगे।

(4) तकनीकी मूल्यांकन में अर्हित फर्मों की संख्या सामान्यतया तीन से कम नहीं होनी चाहिये। यदि संख्या तीन से कम है और उपापन संस्था द्वारा यह आवश्यक समझा जाता है कि उपापन प्रक्रिया को जारी रखा जाये तो इसके कारणों को अभिलिखित किया जायेगा और उपापन कार्यवाहियों के अभिलेख में सम्मिलित किया जायेगा।

(5) बोली लगाने वाले, जो तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त कर लेते है, को उनकी वित्तीय बोलियों के खोले जाने की तारीख, समय और स्थान के बारे में लिखित रूप से सूचित किया जायेगा। यह तारीख सामान्यतया पत्र जारी किये जाने की तारीख से पन्द्रह दिवसों के बाद की नहीं होनी चाहिए।

64. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार.– बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

65. वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन.– धारा 27 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपापन संस्था वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करेगी :–

(क) एकल भाग बोली प्रणाली के मामले में जहां बोली, अपेक्षित बोली प्रतिभूति, प्रक्रिया फीस या उपयोक्ता प्रभारों और बोली दस्तावेज की कीमत के साथ विनिर्दिष्ट समय के भीतर एकल आवरण में प्राप्त की जाती है वहां बोली मूल्यांकन समिति द्वारा वित्तीय मूल्यांकन के लिए इस पर विचार किया जायेगा;

(ख) द्वि–भाग बोली प्रणाली के मामले में ऐसे बोली लगाने वाले, जो तकनीकी मूल्यांकन में अर्हित हों, की वित्तीय बोलियां बोली मूल्यांकन समिति द्वारा बोली लगाने वालों की या उनके उन प्रतिनिधियों की, जो उपस्थित रहना चाहें, की उपस्थिति में अधिसूचित समय, तारीख और स्थान पर खोली जायेंगी;

(ग) वित्तीय बोलियों के खोले जाने, उन्हें चिह्नित और हस्ताक्षरित किये जाने की प्रक्रिया नियम 55 में यथा–विहित होगी;

(घ) बोली लगाने वालों के नाम, उनके द्वारा दी गयी दरें और लगायी गयी शर्तें, यदि कोई हों, पढ़ी और अभिलिखित की जायेंगी;

(ङ) सशर्त बोलियां अस्वीकार किये जाने योग्य होंगी;

(च) मूल्यांकन में समस्त लागत और केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी की विधि के अनुसार बोली लगाने वाले पर लागू समस्त कर और शुल्क सम्मिलित होंगे, और बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट मूल्यांकन कसौटी ही लागू होगी।

(छ) यदि कीमत ही एकमात्र कसौटी हो तो प्रस्तावों का मूल्यांकन करके एल.1ए एल.2ए एल.3 इत्यादि के रूप में एल.1 को निम्नतम प्रस्ताव मानते हुए और तब अन्य प्रस्तावों को आरोही क्रम में चिह्नित किया जायेगा, या यदि गुणवत्ता भी एक कसौटी हो और तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के संयुक्त प्राप्तांकों पर विचार किया गया हो तो उनका मूल्यांकन करके अवरोही क्रम में एच.1ए एच.2ए एच.3ए इत्यादि के रूप में चिह्नित किया जायेगा;

(ज) बोली मूल्यांकन समिति वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन पर अपनी रिपोर्ट के साथ नियम 58 के अनुसार तालिका प्ररूप में एक तुलनात्मक विवरण तैयार करेगी और यदि कीमत ही केवल कसौटी हो तो उपापन संस्था को निम्नतम प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए या अन्य मामले में सर्वाधिक लाभप्रद बोली की सिफारिश करेगी ;

(झ) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मंजूरी के लिए सिफारिश किया गया प्रस्ताव उपाप्त किये जाने वाले अपेक्षित माल, संकर्मों या सेवा की प्रचलित बाजार दरों को देखते हुए उचित है; और

(ञ) यदि कोई दर संविदा की जा रही हो तो निर्विघ्न परिदान को सुनिश्चित

करने के लिए एक ही निम्नतम दर पर एक से अधिक फर्मों पर विचार किया जा सकेगा, किन्तु इस प्रयोजन के लिए आरोही मूल्य के क्रम में ऊँची दरें कोट करने वाले बोली लगाने वालों को स्वीकृति के लिए निम्नतम दर का प्रतिप्रस्ताव दिया जायेगा।

[1][66. विलोपित]

67. मूल्यांकन में कीमत/क्रय अधिमान.– बोलियों के मूल्यांकन और संविदा के अधिनिर्णय में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित और बोली दस्तावेजों में यथा–वर्णित कीमत और/या क्रय अधिमान पर विचार किया जायेगा।

68. प्रतियोगिता की कमी.– (1) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां यदि बोलियों के मूल्यांकन के पश्चात्, मूल्यांकन समिति अन्त में मात्र एक ही प्रत्युत्तरदायी बोली पाए, ऐसी परिस्थिति में मूल्यांकन समिति को यह जांच करनी चाहिये कि क्या बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के जारी करते समय प्रतियोगिता को बढावा देने वाली समस्त आवश्यक अपेक्षाएं जैसे कि मानक बोली शर्तें, उद्योगपरक विनिर्दिष्टताएं, विस्तृत प्रचार, बोलियां तैयार करने के लिए पर्याप्त समय इत्यादि को पूरा किया गया था। यदि नहीं तो ऐसी कमियों को दूर करने के पश्चात्, बोली आमंत्रित करने वाला नोटिस पुनः जारी किया जाना चाहिये। परन्तु बोली प्रक्रिया मात्र एक प्रत्युत्तरदायी बोली के होने पर भी विधिमान्य मानी जायेगी यदि–

(क) बोली तकनीकी रूप से अर्हित हो;
(ख) बोली लगाने वाले द्वारा कोट की गयी कीमत युक्तियुक्त प्रतीत हो;
(ग) बोली शर्त रहित और सभी प्रकार से पूर्ण हो;
(घ) बोली लगाने वालों के बीच व्यावसायिक समूहन के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं हों; और
(ङ) बोली लगाने वाला धारा 7 के उपबंधों के अनुसार अर्हित हो।

[2][(2) बोली मूल्यांकन समिति, समिति के लेखा/वित्त सदस्य के विचार को स्पष्ट रूप से सम्मिलित करते हुए, उपापन संस्था के अनुमोदन के लिए तर्कसंगत टिप्पण तैयार करेगी।

(3) किसी उपापन मामले को विनिश्चित करने में सक्षम उपापन संस्था, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात् यह विनिश्चय करेगी कि क्या एकल बोली को मंजूर कर लिया जाये या बोलियां पुनः आमंत्रित की जायें।]

(4) यदि बोली पुनः आमंत्रित करने का विनिश्चय लिया जाता है तो बाजार की घनता के प्राक्कलन, पात्रता कसौटी और लागत प्राक्कलन के लिए बाजार का निर्धारण किया जायेगा।

69. बातचीत.– (1) एकल स्त्रोत उपापन या प्रतियोगी बातचीत द्वारा उपापन की पद्धति के सिवाय, जहां तक संभव हो, बोली–पूर्व प्रक्रम के पश्चात् कोई बातचीत नहीं की जायेगी। मांगे जाने वाले समस्त स्पष्टीकरण बोली–पूर्व अवस्था में ही मांगे जायेंगे।

....

1. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 16.2.2018 द्वारा विलोपित, राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 16.2.2018 में प्रकाशित, तुरंत प्रभावी। *''**66. राजस्थान की और बाहर की फर्मों की दरों की तुलना.**– उन फर्मों की बोलियों का सारणीकरण करते समय जो कीमत अधिमान की हकदार नहीं है, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, राजस्थान की फर्मों द्वारा कोट की गयी दरों से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर का तत्व अपवर्जित कर दिया जायेगा और राजस्थान से बाहर की फर्मों की दरों में केन्द्रीय विक्रय कर का तत्व सम्मिलित किया जायेगा।''*

2. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 6.8.2018 द्वारा प्रतिस्थापित (6.8.2018 से प्रभावी) :–

''(2) बोली मूल्यांकन समिति, उपापन संस्था के अगले उच्चतर प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए न्यायोचित्य टिप्पण तैयार करेगी जिसमें लेखा सदस्य की सहमति आवश्यक होगी।

(3) बोली मूल्यांकन समिति के किसी सदस्य की विसम्मति की दशा में, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन में अगला उच्चतर प्राधिकारी कारण अभिलिखित करने के पश्चात् यह विनिश्चय करेगा कि क्या एकल बोली को स्वीकार कर लिया जाये या बोली पुनः आमंत्रित की जायें।''

(2) तथापि, बातचीत केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से निम्नलिखित परिस्थितियों में की जा सकेगी :–

(क) जब उपापन की विषयवस्तु के लिए बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (रिंग प्राइस) कोट की गयी हो; या

(ख) जब कोट की गयी दरों में बड़े पैमाने पर अन्तर हो और प्रचलित बाजार दरों से बहुत अधिक प्रतीत हों।

(3) बोली मूल्यांकन समिति को बातचीत करने की पूर्ण शक्तियां होंगी। बातचीत के विस्तृत कारण और परिणाम कार्यवाही में अभिलिखित किये जायेंगे।

(4) न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को या तो संदेश वाहक या रजिस्ट्रीकृत पत्र और ई–मेल (यदि उपलब्ध हो) के द्वारा लिखित में सूचना दी जायेगी। बातचीत के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम सात दिवस का समय दिया जायेगा। अत्यावश्यकता की दशा में बोली मूल्यांकन समिति, कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, समय कम कर सकेगी, बशर्तें न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गयी हो और बातचीत करने के लिए उसने सहमति दे दी हो।

(5) बातचीत बोली लगाने वाले के द्वारा किये गये मूल प्रस्ताव को प्रभावहीन नहीं करेगी। बोली मूल्यांकन समिति के पास मूल प्रस्ताव पर विचार करने का विकल्प होगा यदि बोली लगाने वाला मूल रूप से कोट की गयी दरों में बढौतरी करने का विनिश्चय करता है या कोई नवीन निबंधन या शर्तें अधिरोपित करता है।

(6) न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वालों से दरें असंतोषजनक प्राप्त होने की दशा में, बोली मूल्यांकन समिति न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को एक लिखित प्रति प्रस्ताव देने का चयन कर सकेगी और यदि यह उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो समिति बोली को अस्वीकार करने और बोलियां पुनः आमंत्रित करने का विनिश्चय कर सकती है या वही प्रति–प्रस्ताव दूसरे न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को पहले और तत्पश्चात् तीसरे न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को और इसी प्रकार उनकी प्रारंभिक स्थिति के क्रम में देने और संकर्म/प्रदाय आदेश उस बोली लगाने वालों को अधिनिर्णित किया जा सकेगा जो प्रतिप्रस्ताव स्वीकार करता है। यह प्रक्रिया मात्र आपवादिक मामलों में ही उपयोग में लायी जानी चाहिये।

(7) यदि बातचीत के पश्चात् भी दरें अत्यधिक उंची मानी जायें तो नवीन बोली आमंत्रित की जायेगी।

70. सफल बोली का स्वीकार किया जाना और संविदा का अधिनिर्णय.– (1) उपापन संस्था, बोली मूल्यांकन समिति की सिफारिशों और बोली की शर्तों, यदि कोई हों, वित्तीय परिणामों, परीक्षण, नमूना परीक्षण, परीक्षण रिपोर्टों इत्यादि पर विचार करने के पश्चात् सफल बोली को स्वीकार या अस्वीकार करेगी। बोली मूल्यांकन समिति का कोई सदस्य यदि असहमत होता है या अपनी विसम्मति का टिप्पण देता है तो मामला, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुरूप, विनिश्चय के लिए, अगले उच्चतर प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा।

[1][(2) विलोपित]

1. अधिसूचना संख्या प.2(2) वित्त/एफआर/एसपीएफसी/2025 दिनांक 19.9.2025 द्वारा विलोपित :–

(2) बोली पर विनिश्चय, बोली की मूल विधिमान्यता कालावधि और उपापन संस्था को विनिश्चय लेने के लिए अनुज्ञात कालावधि के भीतर लिया जायेगा। यदि बोली की मूल विधिमान्यता कालावधि या विनिश्चय लेने के लिए अनुज्ञात कालावधि के भीतर विनिश्चय नहीं लिया जाता है तो मामला वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुरूप अगले उच्चतर प्राधिकारी को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा।

(3) संविदा अधिनिर्णय किये जाने के पूर्व, उपापन संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि सफल बोली की कीमत उचित और अपेक्षित गुणवत्ता के प्रति सुसंगत है।

(4) कोई बोली तब ही सफल मानी जायेगी जब सक्षम प्राधिकारी ने उस बोली के निबंधनों में उपापन को अनुमोदित कर दिया हो।

(5) उपापन संस्था संविदा उस बोली लगाने वाले को अधिनिर्णीत करेगी जिसका प्रस्ताव बोली दस्तावेजों में उपवर्णित मूल्यांकन कसौटी के अनुसार निम्नतम या सर्वाधिक लाभप्रद अवधारित किया गया हो और यदि उपापन की विषयवस्तु के लिए बोली दस्तावेजों में बोली लगाने वालों के लिए नियत अर्हता कसौटी के आधार पर बोली लगाने वाले को संविदा संतोषजनक रूप से निष्पादित करने के लिए अर्हित अवधारित किया गया हो।

(6) बोली की विधिमान्यता की कालावधि के अवसान के पूर्व, उपापन संस्था लिखित में सफल बोली लगाने वाले को सूचित करेगी कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गयी है।

(7) जैसे ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई बोली स्वीकार की जाती है उसकी लिखित सूचना संबंधित बोली लगाने वाले को रजिस्ट्रीकृत डाक या ई–मेल द्वारा भेजी जायेगी और उससे अपेक्षित मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर बोली दस्तावेजों में दिये गये रूपविधान में एक करार निष्पादित करने और यदि लागू होती हो तो कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम या कार्य सम्पादन प्रतिभूति की घोषणा, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहां ऐसी कालावधि बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट न हो तो उस तारीख, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाये, से पन्द्रह दिवस के भीतर जमा करने के लिए कहा जायेगा।

(8) यदि स्वीकृति के औपचारिक पत्र के जारी किये जाने में समय लगने की संभावना हो तो तब तक बोली लगाने वाले को आशय पत्र प्रेषित किया जा सकेगा। किसी प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना तब पूर्ण मान लिया जायेगा जैसे ही स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली दस्तावेज में दिये गये बोली लगाने वाले के पते पर डाक में डाल दिया गया हो और/या ई–मेल (यदि उपलब्ध हो) द्वारा प्रेषित कर दिया गया हो। जब तक औपचारिक संविदा का निष्पादन नहीं कर दिया जाये तब तक स्वीकृति पत्र या आशयपत्र एक नियत आबद्धकर संविदा होगी।

(9) ऐसे बोली लगाने वाले, जिनकी बोलियां स्वीकार नहीं की जा सकी थी, उनकी बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली लगाने वाले के साथ संविदा हस्ताक्षरित होने और उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

71. अधिनिर्णय की सूचना और प्रकाशन.– संविदा के अधिनिर्णय की सूचना सभी प्रतिभागी बोली लगाने वालों को संसूचित की जायेगी और धारा 27 की उप–धारा (3) के उपबंधों के अनुसार राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित की जायेगी।

72. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

73. परिमाण में परिवर्तन का अधिकार.– [1][(1) विलोपित]

[1][(1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

[3][(2) अतिरिक्त मदों के लिए आदेश, यदि बोली दस्तावेजों में अनुज्ञात किया जाये, मूल संविदा के मूल्य के 5 प्रतिशत तक, वित्त विभाग द्वारा यथा विहित शक्तियों की अनुसूची के अनुसार उपापन संस्था द्वारा रखे जा सकेंगे। संविदाकार को उपापन संस्था द्वारा संदेय ऐसी अतिरिक्त मदों का उचित बाजार मूल्य, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, उपापन संस्था द्वारा अवधारित किया जायेगा।

(3) यदि बोली दस्तावेजों में अनुज्ञात किया जाये तो अतिरिक्त मात्रा के लिए आदेश, संविदा में दी गयी शर्तों और दरों पर दिये जा सकेंगे और मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियों के आमंत्रण के पश्चात् दिये जा सकेंगे। परिदान या पूर्णता कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी। अतिरिक्त मात्राओं के लिए आदेश की सीमा निम्नानुसार होगीः –

....

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 द्वारा विद्यमान उप–नियम (1) विलोपित एवं उप–नियम (2) एवं (3) को पुनःसंख्यांकित कर उप–नियम (1) एवं (2) किया गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 4.9.2013 में प्रकाशित (4.9.2013 से प्रभावी)। – *''(1) संविदा के अधिनिर्णय के समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।''*

2. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 द्वारा विद्यमान उप–नियम (3) को पुनःसंख्यांकित कर उप–नियम (2) किया गया है, उक्त उप–नियम (2) को प्रतिस्थापित किया गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 4.9.2013 में प्रकाशित (4.9.2013 से प्रभावी)। – *'' (2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी –*

   (क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत; और

   (ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत।''

3. विद्यमान उप–नियम (2) को पुनः अधिसूचना संख्या एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 16.2.2018 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 16.2.2018 में प्रकाशित (16.2.2018 से प्रभावी)। – *'[1][[2][(2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी –*
   (क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत; और
   (ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।''

(क) वैयक्तिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और संकर्म की दशा में मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत; और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में और संविदा के अधीन परिकल्पित कार्य के विस्तार को बदले बिना, संबंधित प्रशासनिक विभाग के पूर्व अनुमोदन से कोई उपापन संस्था मूल संकर्म आदेश में यथाउपबंधित वैयक्तिक मदों की मात्रा के 50 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त मात्रा का उपापन निम्नानुसार कर सकेगीः–

(i) कि उपापन संस्था, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, पुनरीक्षित अपेक्षाओं के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी। अतिरिक्त मात्राओं के लिए आदेशों की मात्रा के कारण, जहां कहीं आवश्यक हो, उपापन संस्था सक्षम प्राधिकारियों से पूर्व और पुनरीक्षित तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी अभिप्राप्त करेगी;

(ii) कि इस प्रकार उपाप्त अतिरिक्त मात्राएं निष्पादित किये जाने वाले कार्य का भाग होंगी;

(iii) कि मूल संविदा के मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा किसी भी दशा में नहीं बढाई जायेगी।]

74. अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन.– सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

75. कार्य सम्पादन प्रतिभूति.–

[1][(1) निम्नलिखित के सिवाय, समस्त सफल बोली लगाने वालों से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना ली जायेगी,–

(i) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विभाग/बोर्ड;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (45) में यथापरिभाषित सरकारी कम्पनियां;

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा यह किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रित कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 की उप–धारा (5) या (7) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन हो;

(iv) स्वायत्त निकाय, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां, सहकारी सोसाइटियां जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो; या

[6][(v) राज्य सरकार द्वारा जारी पंचायत समिति नंदीशाला जन सहभागिता योजना या ग्राम पंचायत गौशाला/पशु आश्रयस्थल जन सहभागिता योजना से संबंधित उपापन में बोली लगाने वाला।]

तथापि, उनसे एक कार्य संपादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य संपादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।]

(2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत या जैसी कि बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट की जाये, होगी और संकर्मों के उपापन के मामले में संकर्म आदेश की रकम की दस प्रतिशत होगी। राजस्थान के [9][सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों] के मामले में [10][माल के प्रदाय या दी जाने वाली सेवाओं] के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम की एक प्रतिशत होगी और [9][सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों] से भिन्न रूग्ण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, के मामले में यह प्रदाय आदेश की रकम का दो प्रतिशत होगी [2][:]

[3][परन्तु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 के प्रारम्भ की तारीख से [5][31.03.2023] तक की कालावधि के दौरान कार्य संपादन प्रतिभूति निम्नानुसार ली जायेगी :–

(क) माल और सेवाओं के उपापन के मामले में, प्रदाय आदेश की रकम का 2.5 प्रतिशत या बोली दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्टानुसार और संकर्मों के उपापन के मामले में, संकर्म आदेश की रकम का 3 प्रतिशत;

(ख) राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में, माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम का 0.5 प्रतिशत; और

(ग) लघु उद्योगों से भिन्न, रूग्ण उद्योगों के मामले में, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के समक्ष लंबित हैं, प्रदाय आदेश की रकम का 1 प्रतिशत; और]

[8][परंतु यह और कि जहां संकर्मों के उपापन के लिए बोली हाइब्रिड एन्युटी माडल (एचएएम) परियोजनाओं के अधीन आमंत्रित की जाती हैं, वहां कार्य संपादन प्रतिभूति कार्य आदेश की रकम की पांच प्रतिशत होगी।

स्पष्टीकरण : इस परंतुक के प्रयोजन के लिए हाइब्रिड एन्युटी माडल (एचएएम) परियोजना से लोक निजी भागीदारी अभिप्रेत है जहां सरकार परियोजना लागत का कोई भाग उपलब्ध करवाती है। परियोजना लागत का शेष भाग निजी विकासकर्ता द्वारा जुटाया जायेगा, जो सरकार से निजी विकासकर्ता को एन्युटी संदायों के माध्यम से कवर होगा।]

[4][(2क) उपर्युक्त उप–नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसी गंभीर परिस्थितियां जैसे प्राकृतिक विपत्ति या वैश्विक महामारी या महामारी या बाढ़ इत्यादि विद्यमान हैं, जिससे अर्थव्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, उपापन संस्थाओं को, चल रही परियोजनाओं की विद्यमान संविदाओं के मामले में ली गयी कार्य संपादन प्रतिभूति ऐसी तारीख से और ऐसी शर्तों पर जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, घटाने का निर्देश दे सकेगी।]

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी:–

(क) ''ई. जी. आर. ए. एस. के माध्यम से जमा'';

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी [7][अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी या इलेक्ट्रानिक बैंक गारंटी (ई–बीजी)] । यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 में वर्णित के समान होंगी।

(ङ) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

---

1. अधिसूचना संख्या प.2 (1) वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 6.8.2018 द्वारा प्रतिस्थापित (6.8.2018 से प्रभावी) :–
   '' (1) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अर्भ्यथना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।''
2. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 13.8.2020 द्वारा ''।'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 13.8.2020 द्वारा जोड़ा गया एवं अधिसूचना दिनांक 18.12.2020 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया – ''परन्तु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन) नियम, 2020 के प्रारम्भ की तारीख (13.08.2020) से 31.03.2021 तक की कालावधि के दौरान कार्य संपादन प्रतिभूति निम्नानुसार ली जायेगी :–

(क) माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम का 2.5 प्रतिशत, या बोली दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्टानुसार और संकर्मों के उपापन के मामले में संकर्म आदेश की रकम का 5 प्रतिशत;

(ख) राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में, माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम का 5 प्रतिशत; और

(ग) लघु उद्योगों से भिन्न, रूग्ण उद्योगों की दशा में, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के समक्ष लंबित हैं, प्रदाय आदेश की रकम का 1 प्रतिशत; और''

4. अधिसूचना संख्या प. 2(1) वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 17.3.2021 द्वारा अंतःस्थापित।
5. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 12.01.2022 द्वारा ''31.12.2021'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी)/2017 दिनांक 20.12.2022 द्वारा अन्तःस्थापित एवं अधिसूचना दिनांक 22.03.2023 द्वारा प्रतिस्थापित – ''गोपालन विभाग की नंदीशाला स्कीम से संबंधित उपापन में बोली लगाने वाला।''
7. अधिसूचना संख्या प. 2(1) वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 16.02.2023 द्वारा विद्यमान शब्द ''अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटिया'' के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) (I) दिनांक 16.02.2023 में प्रकाशित।
8. अधिसूचना संख्या प. 2(1) वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 16.6.2025 द्वारा जोड़ा गया।
9. अधिसूचना संख्या प. 2 (3) वित्त/एसपीएफसी/2025 दिनांक 20.08.2025 द्वारा ''लघु उद्योगों'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
10. अधिसूचना संख्या प. 2 (3) वित्त/एफआर/एसपीएफसी/2025 दिनांक 28.08.2025 द्वारा ''माल के प्रदाय'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[9][(ङङ) बीमा प्रतिभूति बंधपत्र जारी करने के कारबार को करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के साथ रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्ता द्वारा जारी किये गये बीमा प्रतिभूति बंधपत्र]; और

[1][(च) संकर्मों के उपापन में मामले में, सफल बोली लगाने वाला संविदा करार पर हस्ताक्षर करते समय अपने प्रत्येक चालू और अंतिम बिल में से बिल की रकम के दस प्रतिशत की दर से कूार्य सम्पादन प्रतिभूति की कटौती के लिए विकल्प प्रस्तुत कर सकेगा [2][:]

[3][परन्तु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 के प्रारंभ की तारीख से [5][31.03.2023] तक की कालावधि के दौरान संकर्मों के उपापन के मामले में, सफल बोली लगाने वाला संविदा करार पर हस्ताक्षर करते समय अपने प्रत्येक चालू और अंतिम बिल में से बिल की रकम के 3 प्रतिशत की दर से कार्य संपादन प्रतिभूति की कटौती के लिए विकल्प प्रस्तुत कर सकेगा।]

(4) [10][(उप–नियम (3) के खण्ड (ख) से (ड.ड.)] के प्ररूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

[11][परंतु संकर्मों के उपापन के मामले में, कार्य संपादन प्रतिभूति का पचास प्रतिशत संकर्म के पूरा होने और अंतिम बिल पारित होने पर संविदाकार को प्रतिदत्त किया जायेगा और कार्य संपादन प्रतिभूति का शेष पचास प्रतिशत त्रुटि दायित्व कालावधि के संतोषजनक पूरा होने पर प्रतिदत्त किया जायेगा।]

[4][**75क. अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति.**–(1) नियम 75 में यथा विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति के अतिरिक्त, असंतुलित बोली के मामले में सफल बोली लगाने वालों से अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति भी ली जायेगी। अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति, असंतुलित बोली रकम के पचास प्रतिशत के बराबर होगी। अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति, करार के निष्पादन से पूर्व सफल बोली लगाने वाले द्वारा एकमुश्त जमा की जायेगी। अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति ई–ग्रास, मांगदेय ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, सरकारी प्रतिभूतियों या [8][बैंक गारंटी या इलेक्ट्रानिक बैंक गारंटी (ई–बीजी)] के माध्यम से जमा की जायेगी।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए.–

(i) असंतुलित बोली से प्राकल्लित बोली मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत से कम की कोई बोली अभिप्रेत है।

(ii) प्राकल्लित बोली मूल्य से उपापन संस्था द्वारा बोली दस्तावेजों में उल्लिखित उपापन की विषय–वस्तु का मूल्य अभिप्रेत है।

(iii) असंतुलित बोली रकम से प्राकल्लित बोली मूल्य के पिच्चासी प्रतिशत में से बोली लगाने वाले के द्वारा उत्कथित बोली रकम घटाने पर प्राप्त अन्तर की रकम अभिप्रेत है [6][:]

[7][परंतु बीस करोड़ रुपये या अधिक लागत वाली और हाईटेक परियोजना के रूप में स्टेट ई–गवर्नेंस मिशन टीम (एसईएमटी), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान द्वारा अनुमोदित सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस परियोजना से संबंधित असंतुलित बोली के मामले में, अतिरिक्त संपादन प्रतिभूति ली जानी अपेक्षित नहीं होगी।]

(2) अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति, सम्पूर्ण कार्य के समाधानप्रद रूप से पूरा हो जाने के पश्चात् संविदाकार को प्रतिदत्त की जायेगी। यदि संविदाकार द्वारा नियत समय के भीतर कार्य पूरा नहीं किया जाता है, तो उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति समपहृत की जायेगी। 'असंतुलित बोली' और 'अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति' के लिए उपबंध, उपापन संस्था द्वारा बोली दस्तावेज में उल्लिखित किये जायेंगे।]

76. करार का निष्पादन.– (1) कोई उपापन संविदा, ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

(2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहां बोली दस्तावेज में कोई कालावधि विनिर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(4) बोली लगाने वाले को, उसके खर्चे पर, विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।

77. गोपनीयता.– उपापन संस्था ऐसी प्रकृति की विषयवस्तु उपापन करते समय, जिसमें उपापन संस्था से गोपनीयता बनाये रखना अपेक्षित है, धारा 49 में विनिर्दिष्ट निर्बंधनों के अतिरिक्त, ऐसी सूचना की गोपनीयता के संरक्षण के लिए शर्तें अधिरोपित कर सकेगी।

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 13.8.2020 द्वारा विद्यमान विराम चिन्ह (।) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 13.8.2020 द्वारा जोड़ा गया एवं अधिसूचना दिनांक 18.12.2020 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया – ''परन्तु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन) नियम, 2020 के प्रारंभ की तारीख (13.08.2020) से 31.3.2021 तक की कालावधि के दौरान संकर्मों के उपापन के मामले में, सफल बोली लगाने वाला संविदा करार पर हस्ताक्षर करते समय अपने प्रत्येक चालू और अंतिम बिल में से बिल की रकम के 5 प्रतिशत की दर से कार्य संपादन प्रतिभूति की कटौती के लिए विकल्प प्रस्तुत कर सकेगा।''
4. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 22.10.2021 द्वारा अंतःस्थापित किया गया।
5. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 12.01.2022 द्वारा ''31.12.2021'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 19.10.2022 द्वारा विद्यमान विराम चिन्ह (।) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 19.10.2022 द्वारा परंतुक जोड़ा गया।
8. अधिसूचना संख्या प. 2(1) वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 16.02.2023 द्वारा विद्यमान शब्द ''या बैंक गारंटी'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. अधिसूचना संख्या प. 2(1) वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 19.09.2024 द्वारा अन्तःस्थापित।
10. अधिसूचना संख्या प. 2(1) वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 19.09.2024 द्वारा विद्यमान अभिव्यक्ति ''(उप–नियम (3) के खण्ड (ख) से (ङ)'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
11. अधिसूचना संख्या प.2(3) वित्त/एफआर/एसपीएफसी/2025 दिनांक 28.08.2025 द्वारा परंतुक जोड़ा गया।

78. उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण.– यदि कोई उपापन प्रक्रिया रद्द कर दी गयी है तो उसे पुनः खोला नहीं जायेगा किन्तु इससे उपापन संस्था को, यदि अपेक्षित है तो, उसी विषय वस्तु के लिए, नयी उपापन प्रक्रिया प्रारंभ करने से रोका नहीं जायेगा।

79. उपापन कार्यवाहियों का दस्तावेजी अभिलेख.– (1) धारा 10 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपापन संस्था उक्त धारा की उप–धारा (1) के खण्ड (क) से (ज) में विनिर्दिष्ट अभिलेख के अतिरिक्त, निम्नलिखित अभिलेख संधारित करेगी, अर्थात् :–

(क) बोली की कीमत सहित समस्त बोली लगाने वालों के नाम ओर पते और यदि बोली सशर्त है तो बोली की शर्तें;

(ख) उस कीमत सहित, जिस पर उपापन किया गया है, सफल बोली लगाने वाले का नाम और पता;

(ग) दर संविदा पद्धति के मामले में, उन बोली लगाने वालों के नाम और पते, जिनके साथ दर संविदा की गयी है;

(घ) बोली दस्तावेजों में किये गये उपातंरणों, यदि कोई हो, का सारांश;

(ङ) अपेक्षित अर्हता, अर्हता रखने वाले बोली लगाने वालों के ब्यौरे और कारणों सहित, अर्हित या अनर्हित बोली लगाने वालों के ब्यौरें;

(च) जहां कोई लिखित उपापन संविदा निष्पादित की गयी है, वहां दर संविदा को सम्मिलित करते हुए, संविदा की प्रति;

(छ) पैनलीकरण के मामले मे, पैनलीकरण के निबंधन और शर्तें और करार, यदि कोई हो, की प्रति;

(ज) बोलियों के मूल्यांकन और तुलना का सांराश, लागू अधिमान की किसी सीमा सहित और किसी बोली को खारिज करने या विचार नहीं करने के कारणों, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए,

(झ) यदि उपापन प्रक्रिया रद्द की जाती है तो रद्दकरण के कारण;

[1][अध्याय–5क

बोली प्रक्रिया प्रबंध–स्विस चैलेन्ज पद्धति

79क. उपापन की स्विस चैलेन्ज पद्धति.– स्विस चैलेन्ज पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी सरकारी परियोजना के लिए एक अनपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त किया जाता है और जो तीसरे पक्षकार को खुली बोली के माध्यम से मूल प्रस्ताव को चुनौती देने की अनुमति प्रदान करती है, और तब मूल प्रस्तावक को, सर्वाधिक लाभप्रद/सर्वाधिक प्रतियोगी प्रस्ताव का प्रति–मिलान करने की सुविधा प्रदान करती है।

79ख. स्विस चैलेन्ज पद्धति के अधीन पात्र सेक्टर.– निम्नलिखित सेक्टरों में उपापन की स्विस चैलेन्ज पद्धति अंगीकार की जा सकेगी, अर्थात्:–

(i) कृषि, उद्यान–कृषि, सहबद्ध सेक्टर और फसलोत्तर प्रबंध के लिए कृषि– अवसंरचना [कृषि और उद्यान कृषि बाजार; पुष्प–कृषि उद्यान और बाजार; कृषि–खाद्य प्रसंस्करण और सहबद्ध अवसंरचना (सामान्य–उपयोक्ता के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा सहित)];

(ii) परिवहन और प्रचालन–तन्त्र [सड़कें (पुलों, राजमार्गो, पथ परिवर्तकों और फ्लाई–ओवरों सहित), लोक परिवहन, रेलवे प्रणाली, शहरी परिवहन प्रणालियां : एम आर टी एस, एल आर टी एस, मोनोरेल, उच्च–क्षमता की बस प्रणालियां, हवाई पट्टियां, अंतर्देशीय जल परिवहन, बस/ट्रक/शहरी परिवहन टर्मिनल और संबद्ध लोक सुविधाएं जैसे लोक सुविधा केन्द्र];

(iii) भांडागारण अवसंरचना (माल भाड़ा कंटेनर स्टेशन, कंटेनर डिपो, कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं और टैंक फार्म सहित) ;

(iv) यन्त्रीकृत और बहुमंजिला पार्किंग सुविधाएं;

(v) शहरी और नगरपालिक अवसंरचना (साफ–सफाई, जल प्रदाय और मल–वहन; अलवणीकरण, भूमिगत जल–निकास; ठोस अपशिष्ट/ जैव–चिकित्सा अपशिष्ट/परिसंकटमय अपशिष्टः संग्रहण, परिवहन, उपचार और व्ययन सुविधाएं);

(vi) तकनीकी शिक्षा को सम्मिलित करते हुए शिक्षा (कौशल विकास इत्यादि);

(vii) गैस वितरण नेटवर्क;

(viii) चिकित्सा और स्वास्थ्य सेक्टर;

(ix) आवासन सेक्टर और पर्यावरण;

(x) सूचना प्रौद्योगिकी;

(xi) जल निकाय पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंध;

(xii) औद्योगिक अवसंरचना;

(xiii) सिंचाई सेक्टर;

(xiv) भूमि–सुधार;

(xv) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, वायु, पन बिजली इत्यादि);

---

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 5.6.2015 द्वारा अन्तःस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 5.6.2015 में प्रकाशित (5.6.2015 से प्रभावी)।

(xvi) पावर सेक्टर;
(xvii) सार्वजनिक भवन, बाजार, उद्यान, पार्क;
(xviii) खेल और मनोरंजन अवसंरचना;
(xix) व्यापार मेला, सम्मेलन, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक केन्द्र;
(xx) पर्यटन सेक्टर;
(xxi) जल प्रदाय परियोजना;
(xxii) उपर्युक्त सेक्टरों में परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना का उन्नयन और पुनः संरचना;
(xxiii) लोक–निजी भागीदारी में कोई भी परियोजना जिसे राज्य सरकार फायदाप्रद समझे;
(xxiv) किसी राज्य लोक सेक्टर उपक्रम के आंशिक या सम्पूर्ण अपनियोजन के लिए कोई प्रस्ताव;
(xxv) अन्य कोई परियोजना, जो उपर्युक्त वर्णित सेक्टरों का संयोजन हो; और
(xxvi) किसी नए सेक्टर को सम्मिलित किये जाने के लिए समुचित न्यायोचित्यों के साथ, प्रशासनिक विभाग की सिफारिश पर, राज्य स्तरीय सशक्त समिति राज्य सरकार से इसे सम्मिलित करने की सिफारिश कर सकेगी। रा.स्त.स.स. की सिफारिशों पर राज्य सरकार के वित्त विभाग की सहमति के पश्चात् ही कोई नया सेक्टर इन नियमों में ''पात्र सेक्टरों'' की सूची में, जोड़ा जा सकता है।

79ग. परियोजनाएं, जो स्विस चैलेन्ज पद्धति के अधीन प्रतिग्राह्य नहीं होंगी.– स्विस चैलेंज पद्धति के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव प्रतिग्राह्य नहीं होंगे, अर्थात्:–

(i) प्रस्ताव जो प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के प्रतिकूल हैं;
(ii) प्रस्ताव/परियोजनाएं जिसका परिणाम एकाधिकार स्थिति है;
(iii) परियोजनाएं जो मूल्य में 50.00 करोड़ रुपये (पचास करोड़ रुपये) से कम हैं;
(iv) प्रस्ताव/परियोजनाएं जो इन नियमों में यथाविहित वित्तीय परिसीमाओं से कम और सेक्टरों के बाहर आते हैं;
(v) पी.पी.पी. परियोजनाओं के प्रस्ताव जिसमें वायेबिलिटि गैप फंडिंग (वी जी एफ) के माध्यम से राज्य सरकार से भूमि की लागत को अपवर्जित करते हुए कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत से अधिक वित्तीय सहायता अन्तर्वलित हो।

79घ. प्रक्रिया.– (1) परियोजना प्रस्तावक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, प्ररूप सं. 2 में प्रमाण पत्र और प्ररूप सं. 3 में प्रस्ताव के ब्यौरे सहित एक आवेदन प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करेगा। यदि पूर्व–साध्यता रिपोर्ट या ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध हो तो उसे भी आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाये। पूर्व–साध्यता रिपोर्ट की विषय–वस्तु प्ररूप सं. 4 में यथा–विनिर्दिष्ट होगी और ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट की विषयवस्तु प्ररूप सं. 5 में यथा–विनिर्दिष्ट होगी।

(2) प्रशासनिक विभाग प्रस्ताव की इस बात के लिए संवीक्षा करेगा कि क्या यह विभाग की विकास योजनाओं के कार्यक्षेत्र में आता है और क्या उससे ''जनावश्यकता'' स्थापित होती है और प्रस्ताव प्रथमदृष्ट्या जनावश्यकता और अपेक्षाओं को पूरा करता है।

(3) यदि प्रशासनिक विभाग को यह पता चलता है कि स्विस चैलेंज पद्धति के अधीन प्राप्त प्रस्ताव मे कोई अनन्यता नहीं है और वह पारंपरिक पद्धति के अधीन पहले से ही किये गये माल/संकर्म/सेवाओं के उपापन के समान है तब प्रशासनिक विभाग ऐसे किसी प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए बाध्य होगा, किन्तु यदि प्रशासनिक विभाग यह मान लेता है कि

किसी प्राप्त प्रस्ताव का उसके पारंपरिक पद्धतियों के अधीन किये गये उपापन की समानता के बावजूद स्विस चैलेन्ज पद्धति के अधीन लिया जाना समुचित है तो वह स्विस चैलेंज पद्धति के अधीन उसे स्वीकार करने के लिए कारणों को अभिलिखित करेगा।

(4) प्रशासनिक विभाग, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का परीक्षण करेगा और इसके संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा। परीक्षा के पश्चात् यदि प्रशासनिक विभाग का यह समाधान हो जाता है कि उपरोक्त उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया गया है, तो वह ''अग्रसर किये जाने की अनुज्ञा'' प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार के आयोजना विभाग के माध्यम से राज्य स्तरीय सशक्त समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

(5) आयोजना विभाग रा.स्त.स.स. की बैठकों की व्यवस्था और समन्वय करेगा। रा.स्त.स.स. आवश्यक परीक्षा के पश्चात्, उपान्तरणों के सहित या रहित कार्यवाही किये जाने के लिए अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा। कार्यवाही किये जाने की अनुज्ञा प्रमुख सचिव/सचिव, आयोजना विभाग द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभाग को दी जायेगी। कार्यवाही किये जाने की अनुज्ञा की प्राप्ति पर, राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रशासनिक विभाग द्वारा उसे प्रदर्शित किया जायेगा।

(6) रा.स्त.स.स. से कार्यवाही किये जाने की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात्, बोली के लिए अपेक्षित ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और प्रशासनिक विभाग को ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने को सम्मिलित करते हुए विस्तृत अध्ययन करने के लिए तीन माह की कालावधि अनुज्ञात करके प्रशासनिक विभाग द्वारा परियोजना प्रस्तावक को एक पत्र जारी किया जायेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक तीन माह की कालावधि के भीतर ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने में असफल रहता है और प्रशासनिक विभाग को लिखित निवेदन प्रस्तुत करता है तो प्रशासनिक विभाग समुचित मामले में, कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट कालावधि को बढ़ा सकेगा।

(7) यदि परियोजना प्रस्तावक विनिर्दिष्ट कालावधि या, यथास्थिति, बढ़ाई गयी कालावधि के भीतर ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो प्रशासनिक विभाग स्वयं के विवेकानुसार, परियोजना प्रस्तावक के किसी दावे के बिना परियोजना स्वयं या अपने अभिकरणों या किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से परियोजना के विकास के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा, और यदि प्रशासनिक विभाग उपर्युक्त यथा विनिर्दिष्ट रीति में विकल्प का प्रयोग करता है तो प्रशासनिक विभाग द्वारा इसे राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

79ङ. ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव तैयार करना और उसका प्रस्तुत किया जाना.– (1) परियोजना प्रस्तावक हार्ड प्रति और सॉफ्ट प्रति में ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट, परियोजना की कुल प्राक्कलित लागत के 0.05 प्रतिशत के बराबर अग्रिम प्रतिभूति, बोली मूल्य/वित्तीय प्रस्ताव– इन्टरनल रेट ऑफ रिटर्न (आई आर आर) इत्यादि (ब्यौरों और समर्थन दस्तावेजों सहित जहां कहीं आवश्यक हो) प्ररूप 7 में परियोजना वित्त सारांश और प्ररूप 8 में दस्तावेजों की प्रस्तुति के लिए चैक लिस्ट के साथ प्ररूप सं. 6 में ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव नियम 79घ में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रशासनिक विभाग को हार्ड और साफ्ट प्रति में प्रस्तुत करेगा।

(2) परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वित्तीय ब्यौरों वाली समस्त वित्तीय रिपोर्टें और/या दस्तावेज किसी सक्षम चार्टेड एकाउटेंट द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित किये गये हैं।

(3) प्रशासनिक विभाग उचित संदर्भिका सुनिश्चित करने के लिए परियोजना लागत, परियोजना राजस्वों, व्यावहार्यता और जोखिम विश्लेषण इत्यादि को स्वतन्त्र रूप से अवधारित करने के लिए अतिरिक्त अध्ययन कर सकेगा।

[1][(4) परियोजना प्रस्तावक ब्योरेवार और व्यापक प्रस्ताव दो आवरणों में प्रस्तुत करेगा। प्रथम आवरण में ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट, सर्वेक्षण डाटा, विनिर्देश (इनपुट/आउटपुट) के साथ ही परियोजना की डिजाईन, ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट के आधार पर परियोजना की कुल प्राक्कलित लागत, अग्रिम प्रतिभूति सहित ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट की तैयारी की लागत अंतर्विष्ट होगी। ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट में प्ररूप सं. 5 में यथा विनिर्दिष्ट ब्योरे अंतर्विष्ट होंगे। प्रथम आवरण प्रशासनिक विभाग द्वारा, या इस प्रयोजन के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा खोला जायेगा। बोली मूल्य, ऐसे प्ररूप में, जैसा प्रशासनिक विभाग द्वारा अपेक्षित हो, परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्यक् रूप से सीलबंद प्रथक् आवरण में प्रस्तुत किया जायेगा, जो खुली प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अन्य बोली लगाने वालों से प्राप्त वित्तीय बोलियों के खोले जाने के समय पर ही प्रशासनिक विभाग द्वारा, या इस प्रयोजन के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा खोला जायेगा।]

79च. अग्रिम प्रतिभूति.– (1) परियोजना प्रस्तावक ब्याज–रहित अग्रिम प्रतिभूति को सत्यनिष्ठा और सद्भावना के टोकन के रूप में परियोजना की कुल प्राक्कलित लागत की 0.05 प्रतिशत रकम का, मांग देय ड्राफ्ट या [3][बैंक गारंटी या इलेक्ट्रोनिक बैंक गारंटी (ई–बीजी)] प्रत्याभूति, जो संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रतिग्राह्य हो, के माध्यम से, ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने की तारीख से प्रारम्भ होने वाले 180 दिनों से अनिम्न की विधिमान्य कालावधि में, जो समय–समय पर पारस्परिक सहमति से बढ़ाई जा सकेगी (60 दिन की दावे की कालावधि को सम्मिलित करते हुए), प्रस्तुत करेगा। बोली विचार किये बिना अस्वीकृत की जायेगी यदि ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव के साथ अग्रिम प्रतिभूति नहीं है।

(2) यदि बोली लगाने की प्रक्रिया, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के अधीन आरंभ की गयी है तो परियोजना प्रस्तावक बोली दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित बोली प्रतिभूति भी प्रस्तुत करेगा। [2][बोली प्रतिभूति, ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की कुल प्राक्कलित लागत के आधार पर संगणित की जायेगी।] परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तावित परियोजना के लिए आरंभ की गयी बोली प्रक्रिया के अधीन बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख और समय तक बोली दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गयी अग्रिम प्रतिभूति, बोली प्रतिभूति के विरूद्ध समायोजित की जायेगी। यदि परियोजना प्रस्तावक, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपेक्षित रकम की बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अग्रिम प्रतिभूति समपहृत कर ली जायेगी और उसे परियोजना प्रस्तावक के रूप में कोई अधिकार नहीं होगा।

79छ. ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करने की लागत.– (1) ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रत्यक्ष लागत, परियोजना प्रस्तावक द्वारा ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव में वर्णित की जायेगी। ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट की तैयारी लागत में बाह्य अदायगी, आंतरिक लागत, आउट आफ पाकेट व्यय और कर, सभी के साथ मूल रसीदें सम्मिलित होंगी।

....

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 28.8.2015 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 28.8.2015 में प्रकाशित – "(4) परियोजना प्रस्तावक ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव दो आवरणों में प्रस्तुत करेगा। प्रथम आवरण सर्वेक्षण डाटा, विनिर्देश (इनपुट/आउटपुट), परियोजना के डिजाइनों और अग्रिम प्रतिभूति को सम्मिलित करेगा। वित्तीय प्रस्ताव–बोली मूल्य, डीपीआर तैयारी लागत और आई आर आर इत्यादि एक पृथक आवरण में प्रस्तुत की जायेगी।"
2. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 28.8.2015 द्वारा अन्तःस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 28.8.2015 में प्रकाशित।
3. अधिसूचना संख्या एफ. 2 (1) वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2007 दिनांक 16.02.2023 द्वारा विद्यमान शब्द "बैंक प्रत्याभूति" के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 16.02.2023 में प्रकाशित।

[1][(2) प्रशासनिक विभाग, या इस प्रयोजन के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा गठित समिति, परियोजना प्रस्तावक के साथ ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट की तैयारी की लागत पर वार्ता करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयारी की लागत का ऐसा निर्धारण युक्तिसंगत और न्यायोचित हो। परियोजना प्रस्तावक को ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट की तैयारी की लागत की प्रतिपूर्ति अंतिम बोली मूल्य का या ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट की तैयारी की अनुमोदित वार्तानुसार लागत, इनमें से जो भी कम हो, का 0.1% की जायेगी।']

(3) उपर्युक्त उप–नियम (2) के अधीन यथा अवधारित, डी पी आर तैयार करने की लागत की प्रतिपूर्ति, सफल बोली लगाने वाले के अंतिम चयन और उपापन संस्था के ऐसे सफल बोली लगाने वाले के साथ करार करने के पश्चात् ही केवल परियोजना प्रस्तावक को प्रतिपूर्ति की जायेगी यदि वह परियोजना प्रस्तावक से भिन्न है। परियोजना प्रस्तावक को संदेय डी पी आर तैयार करने की लागत, सफल बोली लगाने वाले से वसूल की जायेगी जैसा बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु परियोजना प्रस्तावक डी पी आर तैयार करने की लागत के लिए हकदार नहीं होगा यदि वह नियम 79च के उप–नियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट बोली की प्रतिभूति देने में असफल रहता है।

(4) किसी भी कारण से यदि परियोजना प्रशासनिक विभाग द्वारा नहीं ली जाती है तो डी पी आर की तैयारी लागत की प्रतिपूर्ति परियोजना प्रस्तावक को नहीं की जायेगी।

79ज. ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) के संबंध में स्पष्टीकरण.– एक बार परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभाग को डी पी आर प्रस्तुत करने के पश्चात् डी पी आर में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। तथापि, प्रशासनिक विभाग परियोजना प्रस्तावक से डी पी आर के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकेगा और ये स्पष्टीकरण डी पी आर के साथ युक्तिका के रूप में संलग्न किये जायेंगे।

79झ. बोली परिमाप और बोली मूल्य.– (1) परियोजना प्रस्तावक बोली परिमापों और बोली मूल्य के साथ ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। बोली परिमापों पर विनिश्चय संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा लिया जायेगा और प्रशासनिक विभाग के पास यह प्राधिकार होगा कि वह परियोजना प्रस्ताव की मूल विषय वस्तु और आधारभूत ढांचे को परिवर्तित किये बिना, प्रशासनिक विभाग की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं और विकास योजनाओं के अनुसार परियोजना प्रस्ताव को परिवर्तित कर सके। बोली परिमापों में ऐसा कोई परिवर्तन परियोजना [2][प्रस्तावक को संसूचित किया जायेगा। यदि अपेक्षित हो, तो] प्रशासनिक विभाग अंतिम बोली मूल्य को प्रस्तुत करने के लिए परियोजना प्रस्तावक को पंद्रह दिन का अतिरिक्त समय उपलब्ध करवा सकेगा।

....

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 28.8.2015 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 28.8.2015 में प्रकाशित – ''(2) प्रशासनिक विभाग या इस प्रयोजन के लिये प्रशासनिक विभाग द्वारा गठित समिति परियोजना प्रस्तावक के साथ डी पी आर की तैयारी की लागत पर वार्ता करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी लागतें, प्रशासनिक विभाग द्वारा यथा अवधारित परियोजना लागत के 0.01% की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए या रु. 10,00,000/– (दस लाख रु.), जो भी कम हो, युक्तिसंगत और न्यायोचित होंगी।''

2. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 28.8.2015 द्वारा विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्रस्तावक को संसूचित किया जायेगा। संबंधित प्रशासनिक विभाग अंतिम बोली परिमापों के मुकाबले बोली मूल्य का मूल्यांकन करेगा और यदि अपेक्षित हो, तो'' के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 28.8.2015 में प्रकाशित।

[1][(2) यदि उप–नियम (1) के अधीन अतिरिक्त समय अनुज्ञात किया जाता है, तो परियोजना प्रस्तावक अंतिम बोली मूल्य ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत कर सकेगा जैसा कि प्रशासनिक विभाग द्वारा अपेक्षा की जाये। परियेाजना प्रस्तावक द्वारा अंतिम बोली मूल्य के प्रस्तुतीकरण के पश्चात्, परियेाजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया मूल बोली मूल्य, अप्रवर्तनीय हो जायेगा। अंतिम बोली मूल्य, परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्यक् रूप से सीलबंद पृथक् आवरण में प्रस्तुत किया जायेगा, जो कि खुली प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बोली लगाने वालों से प्राप्त वित्तीय बोलियों के खोलने के समय पर ही खोला जायेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अतिरिक्त सूचना देने की वांछा करता है, तो वह ऐसी सूचना पृथक् से परिवेष्ठित कर सकेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंतिम बोली मूल्य के प्रस्तुतीकरण के पश्चात्, प्रशासनिक विभाग, समुचित सिफारिश के साथ, प्रस्ताव राज्य स्तरीय सशक्त समिति को प्रस्तुत करेगा।']

79ञ. स्विस चैलेंज पद्धति (एस.सी.एम.) के अधीन परियोजनाओं का अनुमोदन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और उसके लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.– (1) ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव के परीक्षण के पश्चात् प्रशासनिक विभाग ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव को अपनी सिफारिशों के साथ रा.स्त.स.स. को विचारण के लिए प्रस्तुत करेगा। प्रशासनिक विभाग परियोजना प्रस्ताव के लिए बजट उपबंधों को भी उपदर्शित करेगा।

(2) प्रशासनिक विभाग से प्राप्त सिफारिशों की प्राप्ति पर रा.स्त.स.स. परीक्षण करेगी, विचार करेगी और गुणागुण पर अनुमोदन प्रदान करेगी।

79ट. बोली प्रक्रिया.– (1) प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए और उचित प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के लिए डी पी आर (सांपत्तिक प्रौद्योगिकी ब्यौरों को छोड़कर) भावी बोली लगाने वालों के साथ साझा किया जायेगा। इन नियमों के अध्याय–5 में यथा उपबंधित खुली प्रतियोगी बोली प्रक्रिया, राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात्, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा आरंभ की जायेगी।

(2) बोली दस्तावेज में, अन्य आवश्यक खण्डों के साथ, सम्बन्धित प्राधिकारियों से प्राप्त की जाने वाली आवश्यक अनापत्तियों/अनुमोदनों के बारे में ब्यौरे सम्मिलित होंगे और जो, अर्थात् प्रशासनिक विभाग या सफल बोली लगाने वाला/परियोजना प्रस्तावक, व्यैक्तिक परियोजना की प्रकृति और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, इसे लेने के लिए [2][उत्तरदायी होगा। बोली दस्तावेज स्पष्ट रूप से यह सम्मिलित करेगा कि खुली बोली प्रक्रिया को उपापन की स्विस चैलेंज पद्धति के अधीन लिया जा रहा है।]

(3) बोलियों के परीक्षण के पश्चात्, बोली दस्तावेज में यथा–विनिर्दिष्ट मूल्यांकन मानदंड के अनुसार, यदि परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव निम्नतम या, यथास्थिति, सर्वाधिक लाभप्रद पाया जाता है, तब परियोजना प्रस्तावक को चयनित किया जायेगा और उसे परियोजना अधिनिर्णीत की जायेगी। यदि अन्य बोली लगाने वाले की बोली निम्नतम या, यथास्थिति, सर्वाधिक लाभप्रद पायी जाती है तो परियोजना प्रस्तावक को यथा–विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर निम्नतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली का मिलान करने के लिए अवसर दिया जायेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक, विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर, निम्नतम या, यथास्थिति, सर्वाधिक लाभप्रद बोली का मिलान करने के लिए सहमत हो जाता है, तो परियोजना प्रस्तावक को चयनित किया जायेगा और उसे परियोजना अधिनिर्णीत की जायेगी। यदि परियोजना प्रस्तावक, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, निम्नतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली का मिलान करने में असफल रहता है तो, उस बोली लगाने वाले को जिसने निम्नतम या, यथास्थिति, सर्वाधिक लाभप्रद बोली प्रस्तुत की है, चयनित किया जायेगा और उसे परियोजना अधिनिर्णीत की जायेगी;

[3][परंतु यदि खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से, अन्य बोली लगाने वाले की बोली निम्नतम, या यथास्थिति, सर्वाधिक लाभप्रद पायी जाती है, तो परियोजना प्रस्तावक को ऐसी निम्नतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली के मिलान का अवसर केवल तब ही दिया जायेगा, जब यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गयी अंतिम बोली मूल्य ऐसी निम्नतम, या यथास्थिति, सर्वाधिक लाभप्रद बोली के 15% के भीतर है।]

....

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 28.8.2015 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 28.8.2015 में प्रकाशित – (2) परियोजना प्रस्तावक बोली मूल्य ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत कर सकेगा जैसा कि प्रशासनिक विभाग द्वारा अपेक्षा की जाये। यदि परियोजना प्रस्तावक अतिरिक्त सूचना देने की वांछा करता है तो वह ऐसी सूचना पृथक से परिवेष्ठित कर सकेगा। अंतिम बोली मूल्य पर परियोजना प्रस्तावक की स्पष्ट सहमति के पश्चात् प्रशासनिक विभाग समुचित सिफारिशों के साथ प्रस्ताव रा.स्त.स.स. को प्रस्तुत करेगा।

2. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 28.8.2015 द्वारा विद्यमान अभिव्यक्ति ''उत्तरदायी होगा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 28.8.2015 में प्रकाशित।

3. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 28.8.2015 द्वारा जोडा गया। राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 28.8.2015 में प्रकाशित ।

79ठ. संव्यवहार सलाहकार.– (1) संबंधित प्रशासनिक विभाग परियोजना के लिए संव्यवहार सलाहकार नियुक्त कर सकेगा या विभाग के अधिकारी को उत्तरदायित्व न्यस्त कर सकेगा। संव्यवहार सलाहकार तकनीकी, वित्तीय और विधिक सलाह देने के लिए समर्थ होगा और सफल बोली लगाने वाले के चयन को अंतिम रूप देने में संबंधित प्रशासनिक विभाग की सहायता करेगा।

(2) यदि प्रशासनिक विभाग स्विस चैलेंज पद्धति के अधीन प्राप्त किसी परियोजना प्रस्ताव के लिए संव्यवहार सलाहकार नियुक्त करने की वांछा करता है तो, प्रक्रिया में लगने वाले समय को बचाने के क्रम में राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा आगे बढ़ने की अनुज्ञा की मंजूरी के पश्चात् तत्काल संव्यवहार सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकेगा।

(3) संव्यवहार सलाहकार के कृत्य और उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे,–

(i) वह परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी, तकनीकी विनिर्देशों, लागत प्राक्कलनों, रेखाचित्रों, आई आर आर, शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन पी वी), साम्या ऋण अनुपात, धन विश्लेषण के लिए मूल्य, आवश्यक अनुमोदनों (कानूनी या अन्यथा) इत्यादि के संबंध में डी पी आर का परीक्षण करेगा;

(ii) वह, यदि प्रशासनिक विभाग द्वारा अपेक्षित हो, उचित संदर्भिका सुनिश्चित करने के लिए धन विश्लेषण के लिए मूल्य को सम्मिलित करते हुए परियोजना लागत, परियोजना राजस्व, अर्थक्षमता और जोखिम विश्लेषणों इत्यादि का स्वतंत्र रूप से अवधारण करने के लिए अतिरिक्त अध्ययन करेगा;

(iii) उससे पर्यावरण और सामाजिक रक्षोपायों के संबंध में विस्तृत परिमापों को विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षा की जायेगी जिसकी बोली दस्तावेज में क्रियान्वयन कालावधि के दौरान रियायतग्राही द्वारा पालना करना आवश्यक होगा;

(iv) वह परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समुचित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में प्रशासनिक विभाग की सहायता करेगा;

(v) वह अर्हता के लिए अनुरोध (आर एफ क्यू)/प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आर एफ पी) के लिए दस्तावेज तैयार करेगा और संबंधित प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। बोली मानदंड इस प्रकार तैयार किये जायेंगे ताकि अधिकतम प्रतियोगिता सुनिश्चित हो;

(vi) वह प्रस्तावों के लिए अनुरोध और रियायत करार तैयार करेगा और अनुमोदन के लिए संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा और सक्षम अनुमोदन के पश्चात्, उसे बाजार में जारी करेगा;

(vii) वह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर एफ पी) जारी करने, बोली लगाने वाले के प्रश्नों के प्रत्युत्तर तैयार करने, आर एफ पी दस्तावेजों में वर्णित मानदण्डों के अनुसार बोली मूल्यांकन और सिफारिश करने, बोली लगाने वाले की सिफारिश करने, संविदा बातचीत करने और बोली समापन करने, जो किसी परियोजना के तकनीकी समापन के लिए किया जाना अपेक्षित है, को सम्मिलित करते हुए, बोली प्रक्रिया प्रबंधन में संबंधित प्रशासनिक विभाग की सहायता करेगा;

(viii) वह अनुमोदन के लिए सभी दस्तावेज प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करेगा। वह संबंधित प्रशासनिक विभाग की अभिव्यक्त सहमति के बिना बोली लगाने वाले

(बोली लगाने वालों) या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) को कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवायेगा; और

(ix) वह प्रशासनिक विभाग द्वारा नियत किन्हीं अन्य कृत्यों या उत्तरदायित्वों का पालन करेगा।

79ङ. संपूर्ण प्रक्रिया के लिए समय–सीमा.– स्विस चैलेंज पद्धति के माध्यम से उपापन के लिए समय–सीमा निम्नानुसार होगी :–

क्र. सं.	क्रियाकलाप	अपेक्षित समय
1.	प्रशासनिक विभाग द्वारा आरंभिक रिपोर्ट के परीक्षण और ब्यौरेवार प्रस्ताव की तैयारी के लिए अग्रसर होने के लिए प्रस्तावक को अनुज्ञा या, यथास्थिति, प्रस्ताव का रद्दकरण।	प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से एक माह
2.	प्रस्तावक द्वारा ब्यौरेवार प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण	तीन माह के भीतर या नियम 79 घ के उप–नियम (6) के अधीन विस्तारित कालावधि
3.	ब्यौरेवार प्रस्ताव का परीक्षण, बोली दस्तावेजों की तैयारी और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन	पैंतालीस दिन
4.	बोली आमंत्रण और बोलियों का प्रस्तुतीकरण	(i) बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से तीस दिन; (ii) जहां स्पष्टीकरण/युक्तिका जारी किये जायें, वहां स्पष्टीकरण/ युक्तिका के जारी करने की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन ; या (iii) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में, बोली प्रस्तुत करने की कालावधि बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन और स्पष्टीकरण/ युक्तिका के जारी करने की तारीख से कम से कम बीस दिन होगी
5.	बोली मूल्यांकन	पन्द्रह दिन
6.	सर्वाधिक लाभप्रद बोली, यदि कोई हो, के मिलान के लिए परियोजना प्रस्तावक के लिए समय	पन्द्रह दिन
7.	अधिनिर्णय पत्र	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णय के अनुमोदन के सात दिन के भीतर
8.	संविदा करार का निष्पादन	अधिनिर्णय के पत्र के जारी करने के पन्द्रह दिन के भीतर या बोली दस्तावेजों में यथा–विनिर्दिष्ट कालावधि

परंतु समुचित मामलों में, प्रशासनिक विभाग उपर्युक्त वर्णित कालावधि शिथिल कर सकेगा।

79ढ. परियोजना प्रस्तावक के लिए पात्रता मानदंड.– (1) [1][सहउद्यम या कन्सोरटियम को सम्मिलित करते हुए, विधिक संस्था या व्यक्ति] परियोजना प्रस्तावक के रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे, यदि,–

(i) व्यक्ति या कन्सोरटियम के मुख्य सदस्य का, परियोजना लागत के न्यूनतम 100% का गत तीन वित्तीय वर्षों में औसत पण्यावर्त और सहउद्यम/कन्सोरटियम की दशा में मुख्य सदस्य का परियोजना लागत के न्यूनतम 100% का गत तीन वित्तीय वर्षों में औसत पण्यावर्त होगा और अंतिम तीन वर्षों का संपरीक्षित तुलन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा;

(ii) [2][व्यक्ति या मुख्य सदस्य, या सहउद्यम या कन्सोरटियम के किसी अन्य सदस्य के पास] गत 10 वर्षों में कुल परियोजना लागत के कम से कम 100% लागत वाली में [उस सेक्टर, जिसमें प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है] ऐसी परियोजना (परियोजनाओं) में कम से कम एक परियोजना, जहां संविदा अवार्ड कर दी गयी है और संकर्म पूर्ण हो गया है, को संभालने का अनुभव होना चाहिए (क्लाइंट द्वारा कार्य आदेश और समापन प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जायेगा);

(iii) वह केन्द्र सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी सरकारी अभिकरण द्वारा काली सूची में डाला गया नहीं होगा। वह इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि वह केन्द्र सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी सरकारी अभिकरण द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है; और

(iv) वह परियोजना के लिए खुली बोली प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किये गये बोली दस्तावेज के अनुसार, बोली लगाने वालों के लिए पूर्व–अर्हता/अर्हता मानदंड/परिमाप आवश्यक रूप से पूर्ण करेगा।

(2) कन्सोरटियम की दशा में, सभी सदस्यों द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित मुख्तारनामों के माध्यम से प्राधिकृत कोई व्यक्ति, कन्सोरटियम के सभी सदस्यों की ओर से प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसा मुख्तारनामा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

[3][(3) सहउद्यम या कन्सोरटियम की दशा में, मुख्य सदस्य, और सहउद्यम या कन्सोरटियम के सदस्य, जिनके तकनीकी सामर्थ्य के आधार पर, परियोजना के लिए सहउद्यम या कन्सोरटियम की तकनीकी पात्रता विनिश्चित की गयी है, को सहउद्यम या कन्सोरटियम से निकास अनुज्ञात नहीं किया जायेगा [4][;]]

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 28.8.2015 द्वारा विद्यमान अभिव्यक्ति "निम्नलिखित विधिक संस्था या व्यक्ति" के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 28.8.2015 में प्रकाशित।
2. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 28.8.2015 द्वारा विद्यमान अभिव्यक्ति " व्यक्ति या मुख्य सदस्य के पास, " के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 28.8.2015 में प्रकाशित।
3. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 28.8.2015 द्वारा विद्यमान (3) कन्सोरटियम की दशा में, मुख्य सदस्य को कन्सोरटियम से बाहर जाना अनुज्ञात नहीं किया जायेगा " के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 28.8.2015 में प्रकाशित।
4. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 16.2.2018 द्वारा "।" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 16.2.2018 में प्रकाशित (16.2.2018 से प्रभावी)।

[1][परन्तु यदि संयुक्त उद्यम या संघ का मुख्य सदस्य, संयुक्त उद्यम या संघ से बहिर्गमन का आशय रखता है, तब, प्रस्तावित बहिर्गमन को निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के पश्चात् प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क) ऐसे बहिर्गमन के लिए निबंधनों और शर्तों से संबंधित उपबंध, बोली दस्तावेज में और संयुक्त उद्यम या संघ, जिसका मुख्य सदस्य बहिर्गमन का आशय रखता है, के साथ उपापन इकाई द्वारा की गयी संविदा में स्पस्ट रूप से विनिर्दिष्ट किये गये हैं;

(ख) एक लिखित अनुरोध, संयुक्त उद्यम/संघ के अन्य सदस्यों, उधार देने वाले, मुख्य सदस्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित सक्षम सदस्य इत्यादि से सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन प्रस्तुत किये जाने के साथ लिखित निवेदन किया जायेगा;

(ग) ऐसा बहिर्गमन, परियोजना की पूर्णता की तारीख से कम से कम दो वर्ष के अवसान के पश्चात् ही प्रशासनिक विभाग द्वारा मंजूर किया जायेगा;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे बहिर्गमन से परियोजना का संचालन और रखरखाव प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं होगा, प्रशासनिक विभाग द्वारा समस्त आवश्यक उपाय किये जायेंगे;

(ड.) ऐसा कोई भी बहिर्गमन तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि संयुक्त उद्यम/संघ में प्रतिस्थापन के लिए सक्षम प्रतिस्थापन सम्यक् रूप से प्रस्तावित नहीं कर दिया जाये और ऐसे प्रतिस्थापन को प्रशासनिक विभाग द्वारा तत्परतापूर्वक अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है;

(च) मुख्य सदस्य, ऐसे बहिर्गमन के लिए आवेदन की तारीख पर मुख्य सदस्य के विरूद्ध लंबित समस्त सरकारी शोध्यों के संदाय करने की बाध्यता के अधीन रहेगा और, इस प्रकार, संबंधित प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बहिर्गमन की तारीख पर मुख्य सदस्य के विरूद्ध कोई बकाया शोध्य, चाहे कोई भी हो, न हो।]

(4) (i) कंपनी की दशा में, निगमन प्रमाणपत्र
(ii) फर्म की दशा में, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, और
(iii) भागीदारी फर्म की दशा में, भागीदारी विलेख,
प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे।

79ण. परियोजना को वापस लेने की शक्ति.– संबंधित प्रशासनिक विभाग को परियोजना प्रस्तावक को कोई कारण समनुदेशित किये बिना, प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय परियोजना को वापस लेने की शक्ति होगी, किंतु वह परियोजना प्रस्तावक या, यथास्थिति, सफल बोली लगाने वाले के साथ करार करने से पूर्व ही परियोजना को वापस ले सकेगा। एक बार जब संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा करार कर लिया जाता है, तब सम्यक् रूप से किये गये करार के सम्बन्धित खंड लागू होंगे। यदि प्रशासनिक विभाग यथा उपर्युक्त विनिर्दिष्ट रीति में परियोजना को वापस ले लेता है, तो उसे राजस्थान लोक उपापन पोर्टल पर प्रशासनिक विभाग द्वारा दर्शित किया जायेगा।]

1. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 16.2.2018 द्वारा जोड़ा गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 16.2.2018 में प्रकाशित (16.2.2018 से प्रभावी)।

अध्याय 6

सत्यनिष्ठा की संहिता

80. सत्यनिष्ठा संहिता.– (1) उपापन संस्था के समस्त अधिकारी या कर्मचारी,–

(क) अपने कार्यालय के भीतर और बाहर दोनों जगह सत्यनिष्ठा का अधिक्षेप्य स्तर बनाये रखेंगे;

(ख) अधिनियम, इन नियमों, इस अधिनियम के अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और अनुदेशों के अनुसार कार्य करेंगे;

(ग) किसी भी बोली लगाने वाले को, किसी विशिष्ट उपापन पर किसी सूचना को, ऐसी सूचना के जनता के लिए उपलब्ध होने से पूर्व, प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेंगे।

(घ) अनावश्यक रूप से निर्बंधित या किसी विशेष बोली लगाने वाले के अनुरूप विनिर्देशों, संदर्भ के निबंधनों या कार्य के विवरणों का साशय इस प्रकार उपयोग नहीं करेंगे जिससे प्रतियोगिता में कमी हो;

(ङ) किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसने उपापन संस्था को उपापन किया है या करना चाहता है, कोई रिश्वत, इनाम या उपहार की या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भविष्य नियोजन के वचन से तात्विक फायदे के लिए अभ्यर्थना नहीं करेंगे या स्वीकार नहीं करेंगे;

(च) किसी भी उपापन संस्था की बोली प्रक्रिया में किसी भी बोली लगाने वाले के प्रति कोई वित्तीय हित नहीं रखेंगे और किसी भी बोली लगाने वाले के प्रति वित्तीय हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस उपापन प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा;

(छ) ऐसी सूचना को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सांपत्तिक और स्त्रोत चयन सूचना प्रकट नहीं करेंगे;

(ज) उपापन प्रक्रिया में निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के सिद्धांत के अनुसार समस्त बोली लगाने वालों के साथ निष्पक्ष और साम्यापूर्ण तरीके से व्यवहार करेंगे;

(झ) उपापन प्रक्रिया के दौरान सभी बोली लगाने वालों को एक ही समय पर समान सूचना उपलब्ध करवायेंगे;

(ञ) बोली दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या अर्हता–पूर्व दस्तावेजों में यथा–विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की समान कसौटी लागू करेगें और मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान किसी भी परिस्थिति में नयी मूल्यांकन कसौटी प्रयोग में नहीं लायी जायेगी;

(ट) बोली लगाने वालों या संभावित बोली लगाने वालों से कोई पक्षपात, मनोरंजन, उपहार, सेवाएं इत्यादि स्वीकार नहीं करेंगे;

(ठ) सूचना और सूचना के स्त्रोतों से संव्यवहार करने के दौरान समस्त परिस्थितियों में उपापन संस्था के हितों का संरक्षण करेंगे;

(ड) सभी बोलियों की गोपनीयता बनाये रखेंगे;

(ढ) यह सुनिश्चित करेंगे कि बोली लगाने वाले का चयन बोली दस्तावेजों के अनुसार हुआ है और संबंधित कार्मिकों के व्यक्तिगत कारणों से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुआ है; और

(ण) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेंगे।

(2) उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा;

81. हित का विरोध.– (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसेकि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां,

राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है; या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

82. बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग.– अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप–धारा (3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार सुमचित कार्रवाई कर सकेगी।

अध्याय 7

अपील

83. अपील का प्ररूप.– (1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

84. अपील फाइल करने के लिए फीस.– (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

85. अपील के निपटारे की प्रक्रिया.– (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

86. निरसन और व्यावृत्तियां.– इन नियमों में उपबंधित माल, सेवा या संकर्मों के उपापन से संबंधित समस्त नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं, विभागीय संहिताएं, निर्देशिकाएं, उप–विधियां, शासकीय–ज्ञापन या परिपत्र, जो इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के संबंध में इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को प्रवृत्त थे, इन नियमों के अन्तर्गत आने की सीमा तक इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु ऐसा निरसन इस प्रकार निरसित ऐसे नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, विभागीय संहिताओं, निर्देशिकाओं, उप–विधियों, शासकीय ज्ञापनों या परिपत्रों के पूर्वगामी प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा और इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व आरम्भ की गयी उपापन प्रक्रिया इस प्रकार निरसित नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, विभागीय संहिताओं, निर्देशिकाओं, उप–विधियों, शासकीय ज्ञापनों और परिपत्रों के उपबंधों के अनुसार जारी रहेगी।

प्ररूप सं. 1
(नियम 83 देखिए)
राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

.... की अपील सं. ....
(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) .... के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :
(i) अपीलार्थी का नाम :
(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :
(iii) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :
(i)
(ii)
(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :
....
....
....
.... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

7. प्रार्थना : ....
....
....

स्थान : ....
तारीख : ....

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

[1][प्ररूप सं. 2

(नियम 79 घ देखिए)

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र

इसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. स्विस चैलेंज पद्धति के अधीन (परियोजना प्रस्तावक का नाम)........................... के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा .... (परियोजना का नाम) प्रस्तुत की गयी है।
2. परियोजना प्रस्तावक सर्वाधिक लाभप्रद बोली प्राप्त करने के लिए खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से उचित प्रतियोगिता का समर्थन करेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक प्रशासनिक विभाग/राजस्थान सरकार द्वारा यथा विनिश्चित सेक्टर में अन्य परियोजनाओं के समरूप मानक परियोजना संरचना रियायत करार, बोली दस्तावेज से सहमत है।
4. परियोजना प्रस्तावक, नियामक प्राधिकरण, राजस्थान सरकार द्वारा या विधि के माध्यम से जब कभी गठित की जाये, का पालन करने की सहमति देता है।
5. परियोजना प्रस्तावक सहमत है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा यथा विनिश्चित, डी पी आर की तैयारी की लागत, परियोजना प्रस्तावक को प्रतिपूर्ति योग्य होगी जैसा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में उपबंधित है।
6. परियोजना प्रस्तावक सहमत है कि संबंधित प्रशासनिक विभाग के पास कोई कारण समनुदेशित किये बिना प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय परियोजना को वापस लेने का अधिकार है, किंतु प्रशासनिक विभाग परियोजना प्रस्तावक या, यथास्थिति, सफल बोली लगाने वाले के साथ करार करने से पूर्व परियोजना को वापस ले सकेगा।
7. परियोजना प्रस्तावक परियोजना क्रियान्वयन, जिसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, का प्रबंध करने के लिए तकनीकी और वित्तीय रूप से सक्षम है।
8. परियोजना प्रस्तावक समझता है और सहमत है कि यदि परियोजना प्रस्तावक प्रशासनिक विभाग द्वारा इसके लिए दिये गये समय के भीतर ब्यौरेवार प्रस्ताव/डी पी आर प्रस्तुत करने में असफल रहता है तब प्रशासनिक विभाग अपने विवेकाधिकार से स्वयं अपने द्वारा, अपने अभिकरणों के माध्यम से या किसी तृतीय पक्ष के माध्यम से, परियोजना प्रस्तावक के किसी दावे, जो कोई हो, के बिना, परियोजना विकास के अपने विकल्प का प्रयोग कर सकेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 और राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 का पालन करने को सहमत है।
10. यह कि उपर्युक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में सत्य है।

दिनांक :

**(परियोजना प्रस्तावक के प्राधिकृत
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर,
नाम और पदनाम)**

....

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 5.6.2015 द्वारा प्ररूप संख्या 2 से 8 जोडा गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 5.6.2015 में प्रकाशित (5.6.2015 से प्रभावी)

प्ररूप सं. 3

(नियम 79 घ देखिए)

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के ब्यौरे

परियोजना प्रस्तावक का नाम :

परियोजना का नाम :

क्र.सं.	विवरण	हां/नहीं (जहां कहीं लागू हो)	विशिष्टियां	निर्देश/ प्ररूप
1.	**परियोजना पर सामान्य जानकारी :**			
1.1	परियोजना प्रस्ताव का परिनिश्चय/ पक्षसार			
1.2	परियोजना की अनन्यता स्पष्ट करें अर्थात् इसके अनन्य होने के कारण			
1.3	परियोजना की विशेषताएं			
1.4	परियोजना की लागत और अन्य ब्यौरे			
1.5	कथन करें कि क्या स्विस चैलेंज पद्धति की शर्तों का पालन करने वाला पत्र परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है			
2.	**परियोजना की आवश्यकता का निर्धारण**			
2.1	आशयित उपयोग की प्रकृति			
2.2	आवश्यकता का न्यायोचित्य			
3	**प्रौद्योगिकी पर ब्यौरे (नई प्रौद्योगिकी की दशा में लागू)**			
3.1	परियोजना के लिए उपयोग में ली गयी प्रौद्योगिकी के ब्यौरे			
3.2	क्या प्रौद्योगिकी सांपत्तिक है?			
3.3	(क) सरकार को मात्र इस प्रौद्योगिकी के लिए क्यों जाना चाहिए?			
	(ख) क्या हो यदि किसी कारण से परियोजना के जीवन के दौरान भविष्य में अन्य प्रौद्योगिकी का उद्गम होता है?			
4.	**सरकारी सहायता के लिए आवश्यकता**			
4.1	अपेक्षित सरकारी सहायता, यदि कोई हो, का प्रकार कथित करें, और क्यों?			
4.2	क्या प्रस्तावक परियोजना का जिम्मा लेने के लिए आवश्यक निधियां और साम्या जुटाने में सक्षम है? (कथन करें कैसे)			

5.	**परियोजना का जिम्मा लेने के लिए प्रस्तावक की पात्रता**			
5.1	क्या प्रस्तावक की तकनीकी, वित्तीय और प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परियोजना का जिम्मा स्वयं या सहयोग से अपने ऊपर लेने की योजना है? कृपया विस्तार से बतायें			
6.	**पूर्व साध्यता रिपोर्ट**			
6.1	क्या प्रस्तावक ने पूर्व साध्यता/साध्यता डी पी आर संचालित की है (स्थिति/सूचना का कथन करें)			
6.2	कथन करें कि क्या परियोजना की प्रारम्भिक वित्तीय अर्थक्षमता पूर्ण हो गयी है?			
6.3	कथन करें कि क्या प्रस्तावक ऐसे समस्त अध्ययनों का जिम्मा लेगा जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट समय–सीमा में बोली लगाने के फेज में इसे ले जाने के लिए परियोजना के विकास के लिए अपेक्षित है			
7.	**परियोजना संरचना और उत्पादन**			
7.1	क्या कोई माडल (बी ओ ओ टी, बी ओ टी इत्यादि), रियायत कालावधि, यदि कोई हो, रिपोर्ट में वर्णित की गयी है?			
7.2	सेवा/ उत्पाद स्तर (विनिर्दिष्ट करें यदि लागू हो)			
8.	**परियोजना वित्त**			
8.1	उपयोक्ता फीस, टैरिफ/किराया (विनिर्दिष्ट करें) और समय के साथ उनका फेरफार			
8.2	सभी आई आर आर ब्यौरे उपलब्ध करावें और संचालन और अन्य रूपों से आय से परियोजना का एन पी वी उपलब्ध करावें			
9.	**अनापत्ति/अनुमोदन**			

9.1	कथन करें कि क्या परियोजना के लिए पर्यावरणीय निर्धारण अपेक्षित है?			
9.2	कथन करें कि क्या परियोजना प्रस्तावक ने परियोजना के लिए अपेक्षित सभी संबंधित अनुमोदनों (कानूनी या अन्यथा) का उल्लेख कर दिया है।			
10.	**परियोजना प्रस्तावक की अर्हताएं**			
10.1	कथन करें कि क्या प्रस्तावक के पास परियोजना का जिम्मा लेने की तकनीकी क्षमता है? यदि हां, तो कैसे?			
10.2	कथन करें कि क्या प्रस्तावक के पास परियोजना का जिम्मा लेने की वित्तीय क्षमता है? यदि हां, तो कैसे?			
10.3	कोई अन्य, यदि कोई हो			
11.	**कोई अन्य**			
11.1	कोई अन्य मद/संप्रेक्षण जिसे प्रस्तावक अतिरिक्त रूप से वर्णित करना सुसंगत समझता है।			
11.2	क्या परियोजना प्रस्तावक जब कभी सरकार द्वारा या विधि के माध्यम से गठित होने वाले नियामक प्राधिकरण के अधीन आने के लिए सहमत है?			
11.3	क्या यह सशर्त प्रस्ताव है? कृपया विनिर्दिष्ट करें।			

टिप्पण :

1. इस प्ररूप को तैयार करते समय, प्रस्ताव में सुसंगत निर्देशों का स्थानन ऊपर उपदर्शित कर दिया गया है।
2. हां/नहीं में प्रश्नों के समुचित उत्तर, जहां कहीं लागू हो, दिये गये हैं और ब्यौरे, यथा अपेक्षित, 'विशिष्टियां' स्तंभ के अधीन वर्णित किये गये हैं।
3. यह सहमति है कि उपर्युक्त प्ररूप उपांतरित किया जा सकेगा या भविष्य में किसी समय संबंधित प्रशासनिक विभाग अतिरिक्त सूचना ईप्सित कर सकेगा।
4. उपर्युक्त प्ररूप हस्ताक्षरित हार्ड प्रति और सॉफ्ट प्रति में भी उपलब्ध करा दिया गया है।

संगठन/अभिकरण के मुखिया
(परियोजना प्रस्तावक) के हस्ताक्षर
मुहर और तारीख सहित

प्ररूप सं.–4
(नियम 79 घ देखिए)
पूर्व–साध्यता रिपोर्ट की अंतर्वस्तु

1. प्रस्तावना
   (i) परियोजना विनिर्मिति
   (ii) लक्ष्य, उद्देश्य और कार्यपद्धति
2. सेक्टर रूपरेखा
   (i) क्षेत्रीय विनिर्दिष्ट रूपरेखा के साथ उद्यम का पूर्ण विवरण
   (ii) महत्वपूर्ण मुद्दे
3. बाजार निर्धारण
   (i) उद्यम अवेक्षा
   (ii) मांग निर्धारण
   (iii) एस.डब्ल्यू. ओ. टी. विश्लेषण
   (iv) केस स्टडी
4. परियोजना संकल्पना
   (i) परियोजना विवरण
   (ii) परियोजना की आवश्यकता और अनन्यता का स्पष्टीकरण
   (iii) परियोजना संघटक
   (iv) स्थल अवस्थान और विश्लेषण
   (v) विकास आवश्यकताएं, लोक आवश्यकताएं और योजना विचार
5. कानूनी और विधिक ढांचा
   (i) लागू विधियां
   (ii) लागू नीतियां
6. पर्यावरणीय और सामाजिक समाघात
   (i) पर्यावरणीय समाघात
   (ii) सामाजिक समाघात
   (iii) परियोजना संबंधित अनुमोदन/अनापत्तियां
7. परियोजना वित्त
   (i) लागत प्राक्कलन
   (ii) राजस्व स्रोत, आई आर आर इत्यादि
   (iii) अर्थक्षमता निर्धारण
8. प्रचालन ढांचा
   (i) जोखिम पहचान और शमन
   (ii) उपदर्शित परियोजना संरचना
   (iii) उपदर्शित अर्हता और चयन मानदंड
   (iv) पी पी पी माडल को अंतिम रूप देने के विकल्प का विश्लेषण (यदि लागू हो)
9. आगे की प्रक्रिया
   (i) सरकार से अपेक्षित कोई अतिरिक्त निधियां
   (ii) विकास के लिए सरकारी बाध्यता
   (iii) परियोजना विकास ढांचा
10. किसी प्राधिकरण से अपेक्षित कोई अन्य अनुमोदन (कानूनी या अन्यथा)
11. प्ररूप :
    (i) मौका नक्शा
    (ii) उपदर्शित अभिन्यास/परिकल्पना योजना

प्ररूप सं. 5
(नियम 79 घ देखिए)
ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु

1. कार्यकारी सारांश
2. परियोजना रूपरेखा
   (i) परियोजना उद्देश्य
   (ii) परियोजना प्रायोजक
   (iii) परियोजना अवस्थिति
3. प्रस्तावित कारबार रूपरेखा
   (i) उत्पाद मिश्रण
   (ii) प्राक्कलित उत्पादन और विनिधान
4. बाजार विश्लेषण
   (i) वर्तमान परिदृश्य
   (ii) मांग निर्धारण
   (iii) युक्तियां
   (iv) ग्रोथ ड्राईवर
   (v) एस डब्ल्यू ओ टी विश्लेषण
5. परियोजना की आवश्यकता सिद्ध करना
   (i) परियोजना की अनन्यता का ब्यौरेवार स्पष्टीकरण
   (ii) लोक आवश्यकता का निदर्शन
   (iii) विभाग की योजनाओं के अनुपालन में होने का निदर्शन
   (iv) किसी विभागीय स्कीम जो समान सेवा उपलब्ध करवा रही है, से किसी मतभेद के न होने का निदर्शन
6. नीति समर्थन और क्रियाकलाप
   (i) सरकारी शुरूआत
   (ii) विशेष सरकारी स्कीमें
   (iii) पालिसी पैकेज
7. भूमि और स्थल विश्लेषण
   (i) स्थल अवस्थिति
   (ii) भूमि स्वामित्व और भूमि लागत
   (iii) भौगोलिक परिस्थितियां
8. प्रस्तावित मास्टर प्लान, तकनीकी विनिर्देश और परियोजना लागत प्राक्कलन
   (i) उपयोगिता पुनर्वस्थान योजना (यूटिलिटी रिलोकेशन प्लान)
   (ii) इंजीनियरिंग सर्वेक्षण और अन्वेषण
   (iii) अभिन्यास योजनाएं और रेखाचित्र
   (iv) प्रस्तावित सामान्य अवसंरचाएं, सुविधाएं इत्यादि
   (v) डिजाइन मानदंड और स्थानिक अपेक्षाएं
   (vi) बी ओ क्यू को तैयार करना
   (vii) तकनीकी परिमापी, विनिर्देश और रेखाचित्र
   (viii) परियोजना की लागत प्राक्कलन
9. परियोजना के वित्त और वित्तीय मूल्यांकन के साधन

(i) वित्त के साधन
(ii) मूल्यांकन ढांचा और उद्देश्य
(iii) वित्तीय प्रक्षेपण
(iv) धन विश्लेषण के लिए मूल्य (यदि लागू हो)

10. जोखिमों की पहचान
(i) जोखिम पहचान
(ii) जोखिम आवंटन और शमन तकनीकें

11. परियोजना के आर्थिक फायदे
12. पर्यावरण निर्धारण (यदि लागू हो)
(i) पर्यावरणीय समाघात निर्धारण
(ii) सामाजिक निर्धारण
(iii) परियोजना संबंधित अनुमोदन

13. परियोजना संरचना और क्रियान्वयन अनुसूची
(i) परियोजना क्रियान्वयन के लिए ढांचा
(ii) संविदात्मक ढांचा
(iii) परियोजना परामर्शी और परियोजना प्रस्तावक की भूमिका
(iv) माडल रियायतग्राही करार

14. परियोजना प्रचालन और रख–रखाव प्रचालन और रख–रखाव ढांचा
15. राजस्थान सरकार/भारत सरकार/अन्य किसी प्राधिकरण से लिए जाने के लिए अपेक्षित कोई अन्य अनुमोदन (कानूनी या अन्यथा)
16. प्ररूपों की सूची (जैसे लागू हो प्रस्तुत किये जायें)
(i) संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद
(ii) भाग लेने वाले उद्यमियों की सूची
(iii) भूमि दस्तावेज (यदि कोई हो)
(iv) प्रारूप अंशधारक करार
(v) प्रारूप इजाजत और अनुज्ञप्ति करार
(vi) प्रारूप उपापन प्रक्रिया
(vii) कोई अन्य दस्तावेज जो संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा अपेक्षित हो।

प्ररूप सं. 6
(नियम 79 ङ देखिए)
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण
(हार्ड प्रति और साफ्ट प्रति में)

क्र. सं.	मद	प्रत्युत्तर	निर्देश / प्ररूप
1	सामान्य		
1.1	परियोजना का नाम		
1.2	पी पी पी का प्रकार (बी ओ टी, बी ओ ओ टी, बी ओ एल टी, ओ एम टी इत्यादि), यदि लागू हो		
1.3	अवस्थिति (राज्य / जिला / शहर)		
1.4	संबंधित प्रशासनिक विभाग		
1.5	कार्यान्वित करने वाले अभिकरण / प्रस्तावक का नाम		
1.6	रियायत कालावधि		
2	परियोजना विवरण		
2.1	परियोजना का संक्षिप्त विवरण		
2.2	परियोजना के लिए न्यायोचित्य (आवश्यकता)		
2.3	संभावित विकल्प, यदि कोई हो		
2.4	व्यय के मुख्य शीर्षों के अधीन विभाजनों के साथ प्राक्कलित पूंजीगत लागत। लागत प्राक्कलन के आधार को भी दर्शित कीजिए।		
2.5	विनिधान चरण		
2.6	परियोजना क्रियान्वयन अनुसूची (पी.आई.एस.)		
3	वित्तीय इंतजाम		
3.1	वित्त के स्रोत (साम्या, ऋण इत्यादि)		
3.2	परियोजना के राजस्व प्रवाह को दर्शित कीजिए (परियोजना अवधि के दौरान वार्षिक प्रवाह) अन्तर्निहित पूर्वानुमान भी दर्शित कीजिए।		
3.3	एन पी वी के राजस्व प्रवाह को दर्शित कीजिए		
3.4	टैरिफ / उपयोक्ता प्रभार? कृपया ब्यौरे में विनिर्दिष्ट कीजिए		
3.5	क्या किसी एफ आई से पहुंच की गयी है? यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया दर्शित की जाये		
3.6	वैल्यू फॉर मनी विश्लेषण		
4	आई आर आर		
4.1	आर्थिक आई आर आर (यदि संगणित की गयी है)		

4.2	वित्तीय आई आर आर, विभिन्न धारणाओं को दर्शित करते हुए (यदि आवश्यक हो तो पृथक शीट संलग्न कीजिए)		
5	अनापत्तियां		
5.1	पर्यावरणीय अनापत्तियों की प्रास्थिति		
5.2	भारत सरकार, राज्य सरकार औरअन्य प्राधिकरणों / स्थानीय निकायों से अपेक्षित अनापत्तियां / अनुमोदन (कानूनी या अन्यथा)		
5.3	राज्य सरकार से अपेक्षित अन्य सहायता		
6	राजस्थान सरकार से सहायता		
6.1	वायबेलिटी गैप फंडिंग, यदि अपेक्षित हो		
6.2	ईप्सित की गयी राजस्थान सरकार की प्रत्याभूतियां, यदि कोई हों		
7	रियायत करार		
7.1	क्या रियायत करार एम सी ए पर आधारित है? यदि हां, तो फेरफारों को, यदि कोई हो, ब्यौरेवार टिप्पण में उपदर्शित कीजिए (संलग्न किये जायें)		
7.2	रियायत करार के ब्यौरे (प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न किये जायें)		
8	अन्य		
8.1	अभ्युक्तियां, यदि कोई हों		

1. इस प्ररूप को तैयार करते समय, ब्यौरेवार प्रस्ताव में सुसंगत निर्देशों का स्थानन उपर्युक्त रूप से वर्णित किया गया है।
2. यह सहमति है कि उपर्युक्त रूपविधान उपांतरित किया जा सकेगा या भविष्य में किसी समय भी संबंधित विभाग अतिरिक्त सूचना ईप्सित कर सकेगा।
3. उपर्युक्त प्ररूप हस्ताक्षरित हार्ड प्रति और पृथकतः साफ्ट प्रति में भी उपलब्ध करा दिया गया है।

संगठन के मुखिया (परियोजना प्रस्तावक)
की मुहर और
तारीख सहित हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 7
(नियम 79 ङ देखिए)
परियोजना वित्त का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	मद	प्रतिक्रिया
1	सामान्य	
1.1	परियोजना का नाम	
1.2	पी पी पी का प्रकार (बी ओ टी, बी ओ ओ टी, बी ओ एल टी, ओ एम टी इत्यादि), यदि लागू हो	
1.3	परियोजना की क्षमता	
1.4	रियायत कालावधि	
2	परियोजना लागत	
2.1	भूमि लागत	
2.2	भवन लागत	
2.3	संयंत्र और मशीनरी लागत	
2.4	प्रचालन और रख–रखाव लागत	
2.5	अन्य लागतें, यदि कोई हों	
3	वित्तीय इंतजाम	
3.1	वित्तीय संरचना (साम्या और ऋण का प्रतिशत)	
3.2	ऋण पर ब्याज (कल्पित)	
3.3	क्या राजस्थान सरकार से कोई वित्तीय सहायता अपेक्षित है?	
4	प्रत्येक रियायत वर्ष के लिए राजस्व प्रवाह	
4.1	टैरिफ से राजस्व	
4.2	विज्ञापन से राजस्व	
4.3	अन्य राजस्व प्रवाह	
4.4	12% छूट के साथ राजस्व प्रवाह का एन पी वी दर्शित कीजिए	
5	आई आर आर	
5.1	आर्थिक आई आर आर (यदि संगणित हो)	
5.2	साम्या आई आर आर	
5.3	परियोजना आई आर आर	
6	अन्य अभ्युक्तियां, यदि कोई हों	

रियायत कालावधि के लिए वर्षवार सूचना (यदि लागू हो) के लिए एक्सेल शीट रूपविधान उपलब्ध कराया जाये।

संगठन के मुखिया (परियोजना प्रस्तावक)
की मुहर और
तारीख सहित हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 8
(नियम 79 ङ देखिए)
दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के लिए चैक लिस्ट
(हार्ड प्रति और साफ्ट प्रति में)

क्र. सं.	प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज	लागू (हां/नहीं)	हार्ड प्रति प्रस्तुत की गयी है (हां/नहीं)	साफ्ट प्रति प्रस्तुत की गयी है (हां/नहीं)
1.	संगठन के मुखिया से व्याख्या पत्र			
2.	ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट			
3.	परियोजना सूचना ज्ञापन			
4.	अग्रिम जमा और बोली मूल्य			
5.	प्रारूप रियायत करार और एम सी ए के बाबत् यदि कोई परिवर्तन किया गया है			
6.	विभिन्न अनापत्तियों/भूमि अर्जन पर किन्हीं विवाद्यकों से संबंधित दस्तावेज			
7.	क्रियान्वयन करने के लिए अपेक्षित किसी पालिसी परिवर्तन के ब्यौरे (यदि कोई हों)			
8.	परियोजना क्रियान्वयन अनुसूची			
9.	क्रियान्वयन के दौरान अपेक्षित किसी अन्य सहायता के ब्यौरे			

संगठन के मुखिया (परियोजना प्रस्तावक) की मुहर
और तारीख
सहित हस्ताक्षर]

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना*

जयपुर, सितम्बर 4, 2013

एस.ओ. 135.–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि,–

(i) केन्द्र या राज्य सरकार की सामाजिक–आर्थिक नीतियों;

(ii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के साधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और;

(iii) उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत,

के लिए आवश्यक है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि उपापन संस्थाओं द्वारा नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के प्रवर्ग को, उनके प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट विषयवस्तु के उपापन के लिए, उक्त सारणी के नीचे वर्णित सामान्य शर्तों और स्तम्भ संख्यांक 4 में वर्णित शर्तों पर अधिमान दिया जायेगा, अर्थात्:–

सारणी

क्र.सं.	उपापन की विषय–वस्तु	बोली लगाने वालों के स्रोत / प्रवर्ग	शर्तें / अभ्युक्तियां
1	2	3	4
1.	(क) शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली वृत्तिक सेवाएं जैसे भर्ती परीक्षा, डी.पी.आर, सर्वेक्षण, अध्ययन, प्रशिक्षण कार्यशाला इत्यादि	[3][केन्द्रीय विश्वविद्यालय, यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 2च के अधीन उसके द्वारा प्रत्यायित राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, उनके घटक महाविद्यालयों या उनसे संबद्ध सरकारी महाविद्यालयों को सम्मिलित करते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी (एन.आई.टी.), इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी (आई.आई.टी.), इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आई.आई.एम.), राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (रा.वि.वि.) जोधपुर, राजस्थान नालेज कारपोरेशन लि. (आर.के.सी.एल.]	–
	(ख) नियोजन के लिए वृत्तिक कौशल के विकास का प्रशिक्षण	[1][राजस्थान स्किल एण्ड लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट कारपोरेशन (आर.एस.एल.डी.सी.), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी (एन.आई.एफ.टी.), फुटवियर डिजाइन एण्ड डवलपमेंट इंस्टीट्यूट(एफ.डी.डी.आई.) और सेंटर फोर एंटरप्रिन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेन्ट (सी.ई.एस.बी.एम.)]	–
	[2][(ग) सरकार के अधिकारियों / पदधारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कर्मशालाओं इत्यादि का आयोजन।	1. इंदिरा गांधी पंचायती राज और विकास संस्थान, जयपुर 2. सहकारी शिक्षा और प्रबंधन का राजस्थान संस्थान (आर.आई.सी.ई. एम.), जयपुर 3. सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज (सी.एम. एस.), जयपुर। [4][4. पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसाइटी, जयपुर] [5][5. राजस्थान संविधान क्लब]	प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कर्मशालाओं इत्यादि के आयोजन के लिए दरें, वित्त विभाग की सहमति से, सम्बन्धित सोसाइटी के प्रशासनिक विभाग द्वारा विनिश्चित की जायेंगी।]

* अधिसूचना संख्या प.1(8)वित्त / साविलेनि / 2011 दिनांक 4.9.2013, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(II) दिनांक 4.9.2013 में प्रकाशित ।

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी. / जीएफएण्डएआर / 2011 दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(II) दिनांक 15.11.2016 में प्रकाशित – ''राजस्थान स्किल एण्ड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कारपोरेशन (आर.एस.एल.डी.सी.)''
2. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी. / जीएफएण्डएआर / 2011 दिनांक 27.12.2016 द्वारा जोडा गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(II) दिनांक 27.12.2016 में प्रकाशित।
3. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफ.डी. / जीएण्डटी–एसपीएफसी / 2017 दिनांक 14.06.2021 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 14.06.2021 में प्रकाशित –''केन्द्रीय विश्वविद्यालय, यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 2 च के अधीन उसके द्वारा प्रत्यायित राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय उनके घटक महाविद्यालयों को सम्मिलित करते हुए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एन.आई.टी.), इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आई.आई.टी.), इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आई.आई.एम.), राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (रा.वि.वि.) जोधपुर, राजस्थान नोलेज कारपोरेशन लि. (आर.के. सी.एल.)''
4. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफडी / जीएण्डटी–एसपीएफसी / 2022 दिनांक 23.05.2022 द्वारा जोड़ा गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 23.05.2022 में प्रकाशित।
5. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफडी / एसपीएफसी / 2025 दिनांक 14.08.2025 द्वारा जोड़ा गया।

1	2	3	4
2.	भारत सरकार के महानिदेशक, आपूर्ति और निपटान (डी.जी.एस. एण्ड डी.) के साथ दर संविदा पर मदें	महानिदेशक, आपूर्ति और निपटान (डी.जी.एस.एण्ड डी.), भारत सरकार या डी.जी.एस. एण्ड डी. दर संविदा धारण करने वाली फर्में	1. क्रय आदेश डी. जी.एस.एण्ड डी. या आदेश देने की तारीख पर डी.जी. एस.एण्ड डी. के साथ विधिमान्य दर संविदा धारण करने वाली किसी फर्म को प्रत्यक्ष मांग करने वाले अधिकारियों को सम्मिलित करते हुये, उपापन संस्था द्वारा दिया जायेगा। 2. उपापन की जाने वाली मद के लिए डी. जी. एस. एण्ड डी. दर संविदा वाली फर्म यदि राजस्थान में स्थित है तो उस फर्म को अधिमान दिया जायेगा। 3. उपापित मद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डी. जी. एस. एण्ड डी. की जयपुर शाखा से मद का निरीक्षण कराया जा सकेगा।
3.	सू. प्रौ. और ई–गवर्नेंस परियोजनाओं से संबंधित माल और सेवाएं	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग/ राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि./ नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेन्टर/ नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इन्कोरपोरेटेड (एन.आई.सी.एस. आई.)	राज्य सरकार के विभागों के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी आवश्यक होगी।

1	2	3	4
4.	(क) पीतल के बर्तन (ख) हाथ से छपी या हाथ से बनी फर्निशिंग फेब्रिक्स, नेपकिन्स, पर्दे, टेपस्ट्रीज (ग) अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वी.आई.पी.) को भेंट करने के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं (घ) पॉलीथीन के थैले, टेंट, त्रिपाल और कांटेदार तार (ङ) लोहा और इस्पात	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एक संव्यवहार में क्रयों का मूल्य [2][50,000/– रुपये] और [2][एक वर्ष में 5,00,000/– रुपये] से अधिक नहीं होगा। [3][Rajasthan Small Industries Corporation Ltd. will charge service charge, which will be appropriately determined by the Industries Department and shall not exceed from 5%]. परन्तु यह कि राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा प्रभारित की गयी दरें सेल (एस.ए.आई.एल.) स्टॉक यार्ड की कीमतों से अधिक न हों।
	(च) स्टील फर्नीचर	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	राजस्थान लघु उद्योग निगम, निम्नलिखित शर्तों पर [1][सूक्ष्म और लघु उद्यमों] से खुली प्रतियोगी बोली आमंत्रित करने के पश्चात् क्वालिटी स्टील फर्नीचर प्रदाय करेगा:– (i) राजस्थान लघु उद्योग निगम ऐसे विनिर्देश देगा जो विभागों द्वारा अपेक्षित हैं और जो विनिर्माताओं द्वारा पूरे किये जाने हैं और उन विनिर्देशों और क्वालिटी के अनुसार उनका प्रदाय भी

1. अधिसूचना संख्या एफ.2(3)एफडी/एसपीएफसी/2025 दिनांक 18.08.2025 द्वारा ''लघु स्तर उद्योगों'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना संख्या एफ.2(3)एफडी/एफआर/एसपीएफसी/2025 दिनांक 29.10.2025 द्वारा ''एक संव्यवहार में 10,000/– रुपये'' एवं ''एक वर्ष में 1,00,000/– रुपये'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफडी/एसपीएफसी/2025 दिनांक 25.11.2025 द्वारा ''दरें वहीं होंगी जो उद्योग विभाग विनिश्चित करे।'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

1	2	3	4
			सुनिश्चित करेगा। (ii) राजस्थान लघु उद्योग निगम का मानक मान्यताप्राप्त निरीक्षण अभिकरण उनके द्वारा प्रदाय किये जा रहे माल की क्वालिटी का निरीक्षण करेगा। (iii) प्रशासनिक विभाग दरों का अनुमोदन करेगा। (iv) [1][Rajasthan Small Industries Corporation will charge service charge, which will be appropriately determined by the Industries Department and shall not exceed 5%.]
	(छ) मोजेइक सीमेन्ट टाइल्स, आर.सी.सी. सीमेन्ट पाइप्स, पी.वी.सी. वायर्स और केबल्स, रूम कूलर्स (डेजर्ट टाइप)	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एस.एस.आई. इकाइयों से खुली प्रतियोगी बोली आमन्त्रित करने और 3 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभारों को जोड़ने के पश्चात् दरें कमेटी द्वारा विनिश्चित की जायेंगी। प्रशासनिक विभाग दरें अनुमोदित करेगा।
5.	कोयला	कोल इण्डिया लिमिटेड	

1. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफडी/एसपीएफसी/2025 दिनांक 25.11.2025 द्वारा ''राजस्थान लघु उद्योग निगम सेवा प्रभार प्रभारित करेगा जो 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा या ऐसा होगा जैसा प्रशासनिक विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

1	2	3	4
6.	उर्वरक और कीटनाशी (पेस्टीसाइड्स)	राजफैड जिसमें इसकी क्रय–विक्रय सहकारी समितियां और ग्राम सहकारी समितियां सम्मिलित हैं (जो राजफैड की सदस्य हैं) और इफको, कृभको	क्रय–विक्रय सहकारी समितियां और ग्राम सहकारी समितियां, राजफैड द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक दरों पर उर्वरक और कीटनाशी का विक्रय नहीं करेंगी।
7.	बीज	राजस्थान राज्य बीज निगम और अनुपलब्धता की दशा में, अन्य राज्य बीज निगम और उनके आउटलेट	–
8.	शराब / स्प्रिट	[1][(i) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि.; (ii) राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लि.]	–
[2][8क.	हैण्ड सेनेटाइजर	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित आइटम।]
[3][8ख.	चीनी	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि.]	–
9.	दूध, घी, क्रीम, और अन्य उत्पाद	राजस्थान कॉ–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और इसकी दुकानें	–
10.	(क) वर्दी (कपड़ा या सिली हुई वर्दी): सभी प्रकार की टेरीकोट (या पॉली–क्लॉथ) सूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां, पेटीकोट वस्त्र, साफे इत्यादि (केवल वर्दी के लिये) (ख) बेडिंग और फर्निशिंग : बेडशीटें, ड्रा–सीटें, खेस, कम्बल, मेट्रेस, रजाई, तकिये, और उनके कवर वस्त्र, टेबल कवर, पर्दों के वस्त्र इत्यादि	1. राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, खादी भण्डार, राष्ट्रीय वस्त्र निगम 2. महिला और बाल विकास विभाग की अमृता सोसाइटी राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, खादी भण्डार	(1) उपापन संस्था, अग्रिम रूप से, उत्पादन कार्यक्रम के लिए राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, बुनकर संघ, खादी भण्डार, अमृता सोसाइटी और राष्ट्रीय वस्त्र निगम को अपनी प्रत्याशित आवश्यकता, आदेश देने की तारीख और परिदान अनुसूची भेजेगी।

1. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प. 2 (1)एफडी / जीएण्डटी–एसपीएफसी / 2017 दिनांक 06.04.2020 द्वारा प्रतिस्थापित एवं राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 (ग) (I) दिनांक 05.05.2020 में प्रकाशित :–
(i) गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (ii) राज. राज्य बेवरेज निगम लि.।
2. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प. 2 (1)एफडी / जीएण्डटी–एसपीएफसी / 2017 दिनांक 06.04.2020 द्वारा अंतःस्थापित एवं राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 (ग) (I) दिनांक 05.05.2020 में प्रकाशित एवं पुनः दिनांक 28.02.2024 द्वारा प्रतिस्थापित–

8क.	हैण्ड सेनेटाइजर	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित आइटम। 1. केवल कोविड–19 महामारी के प्रबन्ध के लिए। 2. केवल आरएस जीएसएम द्वारा विनिर्मित मद।

3. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प. 2 (1)एफडी / जीएण्डटी–एसपीएफसी / 2017 दिनांक 18.12.2020 द्वारा अंतःस्थापित एवं राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 (ग) (I) दिनांक 18.12.2020 में प्रकाशित।

1	2	3	4
	(ग) फ्लोर कवरिंग : दरी, दरी पट्टी इत्यादि (घ) अन्य वस्त्र मदें: डस्टर, बस्तें, स्पोंज वस्त्र, टर्किश टॉवल इत्यादि (ङ) गोज बेण्डेज	राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, खादी भण्डार राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, खादी भण्डार राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम	(2) उत्पादों की दरें और विनिर्देश उद्योग विभाग द्वारा नियत किये जायेंगे। अमृता सोसाइटी से उपापन की दशा में दरें, महिला और बाल विकास विभाग द्वारा नियत की जायेंगी। (3) केन्द्रीयकृत क्रय प्रतिषिद्ध हैं। विभाग की आवश्यकता खादी भण्डार/ बुनकर संघ/ राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम/ अमृता सोसाइटी के जिला स्तरीय डिपो या निकटस्थ डिपो के माध्यम से उपाप्त की जा सकती है।
[1][11.	(क) सुरक्षा व्यवस्था (ख) तकनीकी सेवाएं (ग) गैर–तकनीकी सेवाएं	1. राजस्थान पुलिस विभाग 2. राजस्थान होम गार्ड विभाग 3. राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक 4. नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान के माध्यम से नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक 1. राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक 2. नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान के माध्यम से नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक	दरें तत्संबंधी प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमोदित की जायेंगी।]
12.	(क) राष्ट्रीय ध्वज और ऊनी वर्दी सहित खादी वस्त्र	खादी भण्डार	–

1. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2022 दिनांक 15.06.2022 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 (ग) (I) दिनांक 15.06.2022 में प्रकाशित।

11.	(क) सुरक्षा व्यवस्था (ख) तकनीकी सेवाएं (ग) गैर–तकनीकी सेवाएं	1. राजस्थान पुलिस विभाग 2. राजस्थान होम गार्ड विभाग 3. राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक 4. राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक	1. राजस्थान पुलिस और राजस्थान राजस्थान होम गार्ड विभाग से उपापन के लिए दरें प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमोदित की जायेंगी। 2. राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड से उपापन के लिए दरें उनके प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमोदित की जायेंगी।

1	2	3	4
	(ख) स्टील फर्नीचर	राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत ग्रामीण औद्योगिक इकाइयां	1. राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड रजिस्ट्रीकृत ग्रामीण इकाइयों के नाम और उनके द्वारा विनिर्मित स्टील की मदों के विनिर्देशों के ब्यौरों को दर्शित करते हुए अनुमोदित दरों सहित सूची (प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को) प्रकाशित करेगा। 2. प्रशासनिक विभाग दरों को अनुमोदित करेगा। [1][3. एक वित्तीय वर्ष में 5.00 लाख रुपये तक।]
13.	(क)(i) औषध और औषधियां, टीके, सर्जिकल, सूचर को सम्मिलित करते हुए (ii) चिकित्सा उपस्कर, उपकरण और अन्य अस्पताल आपूर्ति (ख) होम्योपैथी औषधियां	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (आर.एम.एस.सी.एल.) या राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आर.डी.पी.एल.) या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आई.डी.पी.एल.) राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (आर.एम.एस.सी.एल.) महानिदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के द्वारा अनुमोदित दरों पर	–

1. विद्यमान अभिव्यक्ति ''3. एक वित्तीय वर्ष में 3.00 लाख रुपये तक।'' के स्थान पर अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2022 दिनांक 26.08.2022 द्वारा प्रतिस्थापित।

1	2	3	4
	(ग) आयुर्वेदिक औषधियां जो आयुर्वेद विभाग की फार्मेसियों द्वारा तैयार नहीं की जाती हैं	महानिदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) द्वारा अनुमोदित दरों पर। आयुर्वेद विभाग उन औषधियों को तैयार करता रहेगा जो उनकी फार्मेसियों द्वारा तैयार की जाती हैं।	
	[2][(घ) कृत्रिम अंग और सहायक युक्तियां	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)/श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बीएमवीएसएस)	उपापन का विनिश्चय निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समिति की सिफारिश पर लिया जायेगा, अर्थात्:– (i) संबंधित प्रशासनिक विभाग का प्रभारी सचिव – अध्यक्ष, (ii) संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष – सदस्य, और (iii) संबंधित विभाग का वरिष्ठतम लेखा अधिकारी – सदस्य सचिव।]
14.	खाद्य तेल, खल और तेल रहित खल	तिलम संघ, राजस्थान	–
15.	अनाज और दालें	राजफैड/राजस्थान खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड/भारतीय खाद्य निगम	–
[1][15क	कृषि वस्तुएं	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड)	कृषि वस्तुएं जिनकी दरें भारत सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा नियत की गयी हैं। नेफेड द्वारा प्रभारित की जाने वाली दरें भारत सरकार या, यथास्थिति, उक्त समिति द्वारा नियत की गयी दरों से अधिक नहीं होंगी।]
16.	पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट्स, फर्नेस ऑयल, एल.पी.जी., ऑयल	इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, आई.बी.पी., भारत पेट्रोलियम	–
17.	पारा	भारतीय खनिज और धातु निगम	–
18.	चमड़े की वस्तुएं	भारत लैदर एम्पोरियम या इसकी खुदरा दुकानें–एक लाख रुपये प्रतिवर्ष तक	–
19.	लोहा और इस्पात	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान स्टील के स्टॉक यार्ड	–
20.	साज–सज्जा की (फर्नीशिंग) मदें जैसे टेबिल कवर, बैड कवर, चद्दरें, तौलिए, नेपकिनें, पर्दे के कपड़ें और टेपेस्ट्रीज	भारत सरकार, राजस्थान सरकार या अन्य राज्य सरकारों के हथकरघा की प्राधिकृत दुकानें– 1.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक	–
21.	जूट कारपेट्स और डोरमेट्स	भारत सरकार का कोयर बोर्ड	–

1. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 17.3.2021 द्वारा अंतःस्थापित, राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 (ग) (I) दिनांक 17.3.2021 में प्रकाशित।
2. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 08.11.2024 द्वारा प्रतिस्थापित–

1	2	3	4
	(घ) कृत्रिम अंग और सहायक युक्तियां	भारत कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)	–

1	2	3	4
22.	ड्राइंग, सर्वेक्षण और अन्य गणितीय उपकरण	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट कम्पनी लिमिटेड (भारतीय सर्वेक्षण विभाग,	–
23.	(क) ग्रोसरी, नियन्त्रित वस्तुओं और औषधियों की मदें	राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कोनफेड) की खुदरा दुकानें या उपभोक्ता संघ (कोनफेड) के अधीन सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार, उपहार, समृद्धि, सुपर बाजार, नई दिल्ली	1. सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डारों को इन वस्तुओं का प्राधिकृत थोक विक्रेता होना चाहिए और/या मूल विनिर्माताओं/ उत्पादकों से सीधे ही आपूर्ति प्राप्त करनी चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रत्येक बिल/कैश मेमों पर अभिलिखित किया जायेगा। 2. ग्रोसरी की मदों के मामले में, शक्तियों का प्राथमिक रूप से अभिप्राय आकस्मिक आवश्यकताओं और छोटे क्रयों के लिए है। थोक और नियमित क्रय के लिए उपापन संस्था आदेश देने से पूर्व दरों के संबंध में क्रय समिति के माध्यम से बातचीत करेगी। थोक क्रय करते समय समान ब्राण्ड की मदों की बाजार दरों को ध्यान में रखा जायेगा। (3) औषधियों का क्रय केवल आकस्मिक आवश्यकताओं तक ही सीमित रहेगा। थोक क्रय के मामले में क्रय सीधे सरकारी उपक्रमों, विनिर्माताओं इत्यादि से किया जायेगा।

1	2	3	4
	(ख) स्टेशनरी की वस्तुएं	राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कोनफेड) की खुदरा दुकानें और उपभोक्ता संघ (कोनफेड) के अधीन सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डारों, उपहार, समृद्धि, सुपर बाजार, नई दिल्ली, महिला और बाल विकास विभाग की अमृता सोसाइटी	1.00 लाख रुपये वार्षिक की सीमा के अध्यधीन प्रत्येक अवसर पर 10,000/– रुपये तक।
	(ग) फिनाइल, साबुन, डिजरजेंट्स, झाडू, फिनिट, पम्प, टम्बलर्स, बेटरी सेल, टार्च, मग, बाल्टियां, थैले, टॉयलेट फ्रेशनर, वाशिंग पाउडर, क्लीनिंग पाउडर, इत्यादि	राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कोनफेड) की खुदरा दुकानें और उपभोक्ता संघ (कोनफेड) के अधीन सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डारों, उपहार, समृद्धि, सुपर बाजार, नई दिल्ली, महिला और बाल विकास विभाग की अमृता सोसाइटी	50,000/– रुपये वार्षिक की सीमा के अध्यधीन प्रत्येक अवसर पर 10,000/– रुपये तक।
24.	वनों की फसलीकृत और रूपान्तरित सामग्री अर्थात् ईंधन काष्ठ, चारकोल, इमारती लकड़ी, बल्लियां और अन्य लकड़ी की वस्तुएं	वन विभाग (राज्य व्यापार योजना)	–

1	2	3	4
25.	(क) विनिर्मित वस्तुएं उदाहरणार्थ डस्टर, पट्टियां, गॉज क्लाथ, बस्ता, टेप, पर्दे का कपड़ा, निवार क्लोथ, कारपेट, दरियां इत्यादि (ख) डेजर्ट कूलर	सरकार के विभाग (जैसे कारागार विभाग इत्यादि) महानिदेशक, कारागार, जयपुर द्वारा अनुमोदित दरों पर राज्य के केन्द्रीय कारागारों द्वारा विनिर्मित	– –
26.	वेक्सीन, फ्रोजन सीमन, लिम्फ और एण्टीजन	अनुमोदित सरकारी संस्थाएं जैसे स्टेट वेक्सीन संस्थान, पटवदनगर इत्यादि	–
27.	फाइल कवर, फाइल पेड, लिफाफे, ग्रीटिंग कार्ड, चॉक स्टिक, मोमबत्ती, डस्टर, बस्ते	ऐसी संस्थाओं से जहां ये मदें मानसिक रूप से चेलेन्ज्ड या विशेष योग्यजन द्वारा बनायी जाती है	ऐसी संस्थाओं और मानसिक रूप से चेलेन्ज्ड या विशेष योग्यजन द्वारा उत्पादित मदों और उनकी दरों की सूची प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी की जायेगी। ऐसी सूची की विधिमान्यता, यदि पूर्व में समाप्त न हुई हो तो, प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को स्वतः समाप्त हो जायेगी।
28.	पशुओं और पक्षियों के लिए चारा और दाना	राजफैड / राजस्थान को– ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन	–
29.	पिक्चर्स और पेंटिंग्स	प्रदर्शनियों या प्रदर्शनों से	राजस्थान ललित कला अकादमी के प्रतिनिधि को सम्मिलित करते हुये क्रय समिति के माध्यम से।
30.	पुस्तकें और जर्नल्स		यदि प्रत्येक मद के सामने वर्णित न्यूनतम छूट से अधिक छूट उपलब्ध हो तो वह प्राप्त की जानी चाहिए।

1	2	3	4
	(i) (क) विदेशी पुस्तकें	प्रकाशकों, प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेताओं, पुस्तक मेलों से	विहित दरों के अनुसार संपरिवर्तित कीमत पर 10 प्रतिशत की न्यूनतम छूट पर या भारतीय मुद्रा में इससे कम दरों पर।
	(ख) विदेशी चिकित्सा पुस्तकें /जर्नल्स/ ई–जर्नल्स को सम्मिलित करते हुए नियतकालिक पत्रिकाएं	प्रकाशकों, प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेताओं, पुस्तक मेलों से	यदि सम्भव हो तो छूट प्राप्त की जाये।
	(ii) भारतीय पुस्तकें : (क) पाठ्य पुस्तकें	प्रकाशकों, प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेताओं, पुस्तक मेलों से	यदि सम्भव हो तो छूट प्राप्त की जाये।
	(ख) पाठ्य पुस्तकों से अन्यथा पुस्तकें	प्रकाशकों, प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेताओं, पुस्तक मेलों से	न्यूनतम 10 प्रतिशत छूट पर।
	(iii) विधि की पुस्तकें/ भारत सरकार और अन्य राज्यों के प्रकाशन/नियतकालिक पत्रिकाएं	प्रकाशकों, प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेताओं, पुस्तक मेलों से	यदि सम्भव हो तो छूट प्राप्त की जाये।
	(iv) दुर्लभ पुस्तकें/ पाण्डुलिपियां/दुर्लभ दस्तावेज	प्रकाशकों, प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेताओं, पुस्तक मेलों से	क्रय समिति के माध्यम से।
	(v) ई–पुस्तकें, सी.डी./ डी.वी.डी., ई–जर्नल्स	प्रकाशकों, प्रतिष्ठित विक्रेताओं से	यदि सम्भव हो तो छूट प्राप्त की जाये।
	(vi) नियतकालिक पत्रिकाएं और समाचार पत्र	प्रकाशकों, प्रतिष्ठित विक्रेताओं से	यदि सम्भव हो तो छूट प्राप्त की जाये।
31.	फिल्म/फोटोग्राफी सामग्री	विनिर्माताओं या उनके प्राधिकृत व्यवहारियों से 50,000/– रुपये तक	–

1	2	3	4
[1][32.	(1) विश्राम भवनों, अतिथि गृहों, राजस्थान हाउस, विश्रांति (एचसीएम रीपा) जनजाति क्षेत्रीय विकास छात्रावासों/विद्यालयों और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों, महिला सदनों/नारी निकेतनों, [2][वृद्धाश्रमों, कारागारों, उप–कारागारों, अस्पतालों, उद्धार गृहों, आश्रय–गृहों, उत्तररक्षा गृहों, पुलिस मेस इत्यादि में।] (क) केटरिंग स्टोर्स जैसे दालें, मसाले, चीनी, नमक, आटा, गेहूं, बेसन, मैदा, सूजी, चना, सूखे मेवे, पापड़, मंगोड़ी, तेल, वनस्पति घी, बोतल बंद और टिन बंद सामग्री जैसे मुरब्बा, आंवला उत्पाद, केचअप, स्क्वेशेज, शर्बत, चाय, कॉफी, बिस्किट, जैम, आचार, पेपर नेपकिन्स, टायलेट पेपर, सॉसेज, कार्नफ्लेक्स, इत्यादि (ख) डेयरी उत्पाद जैसे दूध, पाउडर, दही, पनीर, मक्खन, घी, क्रीम	खरीद निम्न प्रकार से की जायेगी : (क) 1. राज्य सरकार के विभागों/निगमों/सहकारी सोसाइटियों/सोसाइटियों द्वारा चलायी जा रही दुकानों, महिला और बाल विकास विभाग की अमृता सोसाइटी की दुकानों के माध्यम से 2. राजस्थान खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लि. से (ख) सहकारी डेयरियों से	1. राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के छात्रावासों और जनजाति क्षेत्र विकास विभाग के विद्यालयों के लिए सहकारी सेक्टर में उपभोक्ता भण्डारों से क्रय की गयी सामग्री के मामले में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों, महिला सदनों/नारी निकेतनों, वृद्धाश्रम इत्यादि के लिए [3][आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और कारागारों, उप–कारागारों, अस्पतालों, उद्धार गृहों, आश्रय–गृहों, उत्तररक्षा गृहों, पुलिस मेस की उपापन संस्थाएं, उनसे ऊपर वर्णित मदों के आदेश देने से पूर्व क्रय समिति के माध्यम से दरों के विषय में बातचीत करेंगी।] 2. खरीद क्रय समिति के माध्यम से की जायेगी।]

....

1. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2018 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 (ग) (I) दिनांक 18.12.2018 में प्रकाशित :

1	2	3	4
32.	*(1) विश्राम भवनों, अतिथि गृहों, राजस्थान हाउस, विश्रांति (एचसीएम रीपा) टीएडी छात्रावासों/विद्यालयों इत्यादि* *(क) केटरिंग स्टोर्स जैसे दालें, मसाले, चीनी, नमक, आटा, गेहूं, बेसन, मैदा, सूजी, चना, सूखे मेवे, पापड़, मंगोड़ी, तेल, वनस्पति, बोतल बंद और टिन बंद सामग्री जैसे मुरब्बा, आंवला उत्पाद, केचअप, स्क्वेसेज, शर्बत, चाय, कॉफी, बिस्किट, जैम, आचार, पेपर नेपकिन्स, टायलेट पेपर, सॉसेज, कार्नफ्लेक्स, इत्यादि* *(ख) डेयरी उत्पाद जैसे दूध, पाउडर, दही, पनीर, मक्खन, घी, क्रीम* *(ग) ईंधन जैसे लकड़ी, एल.पी.जी., कोयला इत्यादि* *(घ) मांस, मछली, अण्डे, चिकन* *(ङ) सब्जियां, फल*	*खरीद निम्न प्रकार से की जायेगी* *(क) 1. राज्य सरकार के विभागों/निगमों/सहकारी सोसाइटी/सोसाइटियों द्वारा चलायी जा रही दुकानों, महिला और बाल विकास विभाग की अमृता सोसाइटी की दुकानों के माध्यम से* *2. राजस्थान खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लि. से* *(ख) सहकारी डेयरियों से* *(ग) वितरकों/ उप–वितरकों से उनकी वर्तमान कीमत सूची पर। चारकोल और ईंधन काष्ठ वन विभाग से* *(घ) व्यवहारी/ उप–व्यवहारी से* *(ङ) राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटियों के उपभोक्ता भण्डारों, दिल्ली सुपर*	*1. राजस्थान में टीएडी छात्रावासों और टीएडी विद्यालयों के लिए सहकारी क्षेत्र के उपभोक्ता भण्डारों से सामग्री क्रय के मामले में आयुक्त, टीएडी उनसे उपरोक्त कथित मदों के क्रय आदेश देने से पूर्व क्रय समिति के माध्यम से दरों के बारे में बातचीत करेंगे।* *2. खरीद क्रय समिति के माध्यम से की जायेगी।*

2. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 25.1.2022 द्वारा विद्यमान अभिव्यक्ति ''वृद्धाश्रम इत्यादि में'' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया,राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 (ग) (I) दिनांक 25.1.2022 में प्रकाशित।
3. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 25.1.2022 द्वारा विद्यमान अभिव्यक्ति ''आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, उनसे ऊपर वर्णित मदों के आदेश देने से पूर्व क्रय समिति के माध्यम से दरों के विषय में बातचीत करेगा'' के स्थापन पर प्रतिस्थापित किया गया, राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 (ग) (I) दिनांक 25.1.2022 में प्रकाशित।

1	2	3	4
	(ग) ईंधन जैसे लकड़ी, एल.पी. जी., कोयला इत्यादि	(ग) वितरकों / उप–वितरकों से उनकी वर्तमान कीमत सूची पर। चारकोल और ईंधन काष्ठ वन विभाग से	
	(घ) मांस, मछली, अण्डे, चिकन	(घ) व्यवहारी / उप–व्यवहारी से	
	(ङ) सब्जियां, फल	(ङ) राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटियों के उपभोक्ता भण्डारों, दिल्ली सुपर बाजार / स्थापित / प्रतिष्ठित खुदरा विक्रेताओं / व्यवहारियों से	
	(च) ब्रेड / मिठाई	(च) स्थापित / प्रतिष्ठित खुदरा विक्रेताओं / व्यवहारियों से	
	(2) [1][विलोपित]		
33.	मुद्रण कार्य (काला और सफेद और रंगीन मुद्रण) और लेखन सामग्री का क्रय	राजस्थान के समस्त राजकीय मुद्रणालय	दरें प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमोदित की जायेंगी।
34.	मुद्रण कार्य (काला और सफेद और रंगीन मुद्रण)	राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड से	1. दरें, मुद्रण और लेखन सामग्री के प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमोदित की जायेंगी। 2. उस दशा में जब कागज उपापन संस्था द्वारा प्रदाय नहीं किया जाता है तब

....

1. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफडी / जीएण्डटी–एसपीएफसी / 2017 दिनांक 25.1.2022 द्वारा बिंदु 32 के कॉलम 2 में आइटम संख्या (2) को विलोपित, राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 (ग) (I) दिनांक 25.1.2022 में प्रकाशित :–

1	2	3	4
	(2) कारागार, उप–कारागार, अस्पताल, उद्धार गृह, आश्रय– गृह, उत्तररक्षा गृह, पुलिस मेस इत्यादि	खुली प्रतियोगी बोली नियमानुसार आमंत्रित की जायेगीं। यदि बोली में प्राप्त दरें असामान्य रूप से उच्च समझी जायें तो निविदत्त दरों से कम दरों पर क्रय, उपभोक्ता भण्डार / सहकारी सोसाइटियों / भंडारों से बातचीत करके किया जा सकेगा या उनके सहमत न होने की दशा में क्रय उपरोक्त खण्ड (1) में यथा उपबन्धित रीति से, कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् किया जा सकेगा।	–

1	2	3	4
			आर.एस.सी.पी.एल. द्वारा प्रभारित कागज की लागत उनकी क्रय लागत के अतिरिक्त 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 3. राज्य सहकारी मुद्रणालय, मुद्रण कार्य के बीजक के साथ कागज का पूरा लेखा देने के लिए उत्तरदायी होगा। 4. उपापन संस्था द्वारा कागज की क्वालिटी और जी.एस.एम. का निरीक्षण राज्य सहकारी मुद्रणालय में किसी भी समय किया जा सकेगा।
35.	अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति को सम्मिलित करते हुए, कार्यालय और अन्य के लिए प्रयुक्त मशीनरी, उपस्करों की मरम्मत और रखरखाव (ए.एम.सी. को सम्मिलित करते हुए)	विनिर्माताओं या वितरकों या प्राधिकृत व्यवहारियों के माध्यम से दरों पर बातचीत करने के पश्चात्	—
36.	अतिरिक्त पुर्जों को सम्मिलित करते हुये मोटर यानों की मरम्मत और रखरखाव	1. राजस्थान में स्थित राज्य मोटर गैराज से या विभागीय कार्यशाला में, यदि ऐसी कार्यशाला में स्वयं अपने कार्य को प्रभावित किये बिना ऐसी मरम्मत करने की यथोचित सुविधा और क्षमता हो 2. उस दशा में जब मोटर गैराज या विभागीय कार्यशालाएं ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाती हैं तब मरम्मत और रख–रखाव अधिकृत व्यवहारियों से कराया जायेगा 3. उस दशा में जब कोई प्राधिकृत व्यवहारी न हो तो मरम्मत और रख–रखाव अधिनियम में विहित उपापन की समुचित रीति का उपयोग करते हुये स्थापित ऐसे मैकेनिकों से कराया जायेगा जिनके पास उपस्करों से सुसज्जित कार्यशाला हो	अतिरिक्त पुर्जे प्राधिकृत व्यवहारियों से दरों पर बातचीत करने के पश्चात् सदैव क्रय किये जायेंगे।
37.	कार्यालय और अन्य प्रयोजनों के लिए भवनों और/ या निजी भूमि को किराये पर लिया जाना	समुचित स्रोत से	संबंधित कलेक्टर या जयपुर की दशा में सामान्य प्रशासन विभाग से अप्राप्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्धारण के अनुसार नियत किराये पर।

1	2	3	4
[1][38.	किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विभाग, बोर्ड, या सरकारी कंपनी या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, स्वामित्वाधीन या नियंत्रित कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 की उप–धारा (5) या (7) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हो या स्वायत्त निकाय, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां, सहकारी सोसाइटियां जो किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रण या प्रबंध में हो, द्वारा उत्पादित या विनिर्मित कोई भी माल या उपलब्ध करवायी गयी कोई भी विशिष्ट सेवा।	किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विभाग/बोर्ड, या सरकारी कंपनी या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, स्वामित्वाधीन या नियंत्रित कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 की उप–धारा (5) या (7) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हों या स्वायत्त निकाय, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां, सहकारी सोसाइटियां जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रण या प्रबंध में हों, जो उपापन की विषय वस्तु उत्पादित या विनिर्मित कराती हैं या विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराती हैं।]	–
[2][39.	मोटर यानों का क्रय	1. डी.जी.एस.एण्ड डी. दर संविदा धारक फर्मों से 2. यदि क्रय के समय डी.जी.एस.एण्ड डी. दर संविदा विद्यमान नहीं है तो उपापन प्राधिकृत व्यवहारी से किया जायेगा।	मोटर यान के मेक और मॉडल का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा उसकी नीति के अनुसार किया जायेगा और मोटर यानों (विद्युत मोटर यान को सम्मिलित करते हुए) का क्रय, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर नियत दरों और निबंधनों और शर्तों पर किया जायेगा।]
40.	इलैक्ट्रोनिक, विद्युत और सौर उपस्कर और उनसे संबंधित परामर्श सेवाएं	राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स और इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आर.ई.आई.एल.) से उनके द्वारा विनिर्मित मदों के लिए	–

....

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 16.9.2015 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 17.9.2015 में प्रकाशित (17.9.2015 से प्रभावी)।

[38.	*उपापन की कोई विषय वस्तु जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग, बोर्ड या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा उत्पादित या विनिर्मित की जाती है या जो विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराते हैं*	*केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग, बोर्ड या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो विषयवस्तु का उत्पादन या विनिर्माण करते हैं या विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।]*	–

1. *अधिसूचना संख्या प.2 (1) वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 6.8.2018 द्वारा पुनः प्रतिस्थापित* (6.8.2018 से प्रभावी) :–

[38.	*केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग, बोर्ड या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा उत्पादित या विनिर्मित कोई माल या उपलब्ध करवायी गयी कोई विशिष्ट सेवाएं।*	*केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग, बोर्ड या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो विषयवस्तु का उत्पादन या विनिर्माण करते हैं या विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराते हैं]*	–

2. अधिसूचना संख्या प.2 (1) वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 6.8.2018 द्वारा प्रतिस्थापित (6.8.2018 से प्रभावी) :–

[39.	*मोटर यानों का क्रय*	*1. डी.जी.एस.एण्ड डी. दर संविदा धारक फर्मों से* *2. यदि क्रय के समय डी.जी.एस.एण्ड डी. दर संविदा विद्यमान नहीं है तो उपापन प्राधिकृत व्यवहारी से किया जायेगा*	*मोटर यान के मेक और मॉडल का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा उसकी नीति के अनुसार किया जायेगा।]*

1	2	3	4
41.	पशुओं से संबंधित औषध, औषधियां, सर्जिकल, सूचर और सेवाएं	राजस्थान पशु–चिकित्सा निगम या केन्द्र सरकार के संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	–
[4][42.	मोटर यानों का किराये पर लिया जाना	वित्त विभाग द्वारा नियत पात्रता मानदण्ड को पूरा करने वाले किसी भी स्रोत से	वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर नियत दरों और निबंधनों और शर्तों पर मोटर यानों (विद्युत मोटर यान को सम्मिलित करते हुए), को भाड़े पर लिया जाना।]
43.	[3][विलोपित]		
44	[1][विलोपित]		
[1][44क	स्थानीय निकायों द्वारा संकर्मों या सेवाओं का उपापन	नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर निगम और/या कार्यकारी ऐजेन्सियों के रूप में उनकी संबंधित समितियां	निम्नलिखित के लिए संबंधित बी.एस.आर. दरों तकः (क) श्रम (ख) संबंधित संकर्मों की आनुषंगिक सामग्री]
45.	वन विभाग द्वारा संकर्म और सेवाओं का उपापन	ग्रामीण वन सोसाइटियों से	संबंधित बी.एस.आर. दरों तक।
46.	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली स्कीमों/ परियोजनाओं/संकर्मों से संबंधित माल, संकर्म या सेवाओं का उपापन	स्वच्छता, जल और सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना (स्वच्छ)	–
47.	परामर्शी सेवाओं का किराये पर लिया जाना	[2][निम्नलिखित में से किसी से :– 1. राजस्थान राज्य सडक विकास निगम (रा.रा.स.वि.नि.)। 2. वेपकोस, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के संरक्षण के अधीन कोई पब्लिक सेक्टर उपक्रम। 3. नेबकॉन, नाबार्ड के पूर्णरूपेण स्वामित्व वाला कोई समनुषंगी। 4. राईट्स लि., भारतीय रेल, भारत सरकार के संरक्षण के अधीन कोई पब्लिक सेक्टर उपक्रम 5. पावर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एफ.सी.), भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी, पी.एफ.सी. कन्सल्टिंग लिमिटेड (पी.एफ.सी.सी.एल.)। 6. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ई.ई.एस.एल.), एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन (पी.एफ.सी.), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लि. (आर.ई.सी.) और पावरग्रिड की संयुक्त उद्यम कम्पनी।] [5][7. हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) – अवसंरचना विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए संकर्मों की परिकल्पना और योजना की परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए।]	–
48.	समाचार पत्रों, नियतकालिक पत्रिकाओं, इलैक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन प्रदर्शन और वृत्तचित्र फिल्मों के निर्माण को सम्मिलित करते हुए प्रचार सामग्री का तैयार किया जाना	सूचना और जनसम्पर्क विभाग (डी.आई. पी. आर.) के माध्यम से या डी.ए.वी.पी., डी.आई.पी.आर., संवाद से अनुमोदित दरों पर	–

1.अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 11.1.2016 द्वारा आइटम 44 को प्रतिस्थापित किया गया एवं 44क जोडा गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I)दिनांक 12.1.2016 में प्रकाशित–

44.	पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों द्वारा संकर्म या सेवाओं का उपापन	कार्य निष्पादन एजेन्सियों से	संबंधित बी.एस.आर. दरों तक।

1.अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 02.9.2016 द्वारा आइटम 44 को विलोपित किया गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 02.09.2016 में प्रकाशित–

[44	पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संकर्मों या सेवाओं का उपापन	ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् और/या कार्यकारी एजेन्सियों के रूप में उनकी संबंधित समितियां	निम्नलिखित के लिए संबंधित बी.एस.आर. दरों तकः (क) श्रम (ख) संबंधित संकर्मों की आनुषंगिक सामग्री]

2.अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04.11.2016 द्वारा आइटम 47 के कॉलम 3 की विद्यमान अभिव्यक्ति के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(II)दिनांक 04.11.2016 में प्रकाशित–

47.		"पीडीकोर, वेपकोस, नेबकॉन से"	

पुनः अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफ.डी./एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 8.6.2017 द्वारा प्रतिस्थापित ।

47.		*"पीडीकोर, वेपकोस, नेबकॉन, राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (रा.रा.स.वि.नि.) से"*	

पुनः अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 28.08.2011 द्वारा आइटम 47 के कॉलम 3 की विद्यमान अभिव्यक्ति के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(II) दिनांक 04.09.2018 में प्रकाशित–

"निम्नलिखित में से किसी से :–

1. राजस्थान राज्य सडक विकास निगम (रा.रा.स.वि.नि.) 2. पीडीकोर 3. वेपकोस, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के संरक्षण के अधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम 4. नेबकॉन, नाबार्ड का पूर्णरूपेण स्वामित्व वाले किसी समनुषंगी 5. राईट् लि., भारतीय रेल, भारत सरकार के संरक्षण के अधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम से]

*[6.पावर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एफ.सी.), भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी, पी.एफ.सी. कन्सल्टिंग लिमिटेड (पी.एफ.सी.सी.एल.)]

**[7. एनटीपीसी लि., पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लि. (पीएफसी), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लि. (आरईसी) और पावरग्रिड की संयुक्त उद्यम कम्पनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. (ईईएसएल)।]

*अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफ.डी./एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 14.9.2017 द्वारा जोडा गया, राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 (ग) (II) दिनांक 19.9.2017 में प्रकाशित।

**अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफ.डी./एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 21.2.2018 द्वारा जोडा गया, राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 (ग) (II) दिनांक 21.2.2018 में प्रकाशित।

3. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफ.डी./एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 25.4.2018 द्वारा विलोपित किया गया –

43.	*आपरेटर के साथ कम्प्यूटर किराये पर लेना*	*वित्त विभाग द्वारा नियत पात्रता मानदण्ड को पूरा करने वाले किसी भी स्रोत से*	*वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर उपवर्णित शर्तों और निबन्धनों पर और दरों तक।*

4. अधिसूचना संख्या प.2 (1) वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 6.8.2018 द्वारा प्रतिस्थापित (6.8.2018 से प्रभावी) :–

42.	*मोटर यानों का किराये पर लिया जाना*	*वित्त विभाग द्वारा नियत पात्रता मानदण्ड को पूरा करने वाले किसी भी स्रोत से*	*वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर उपवर्णित शर्तों और निबन्धनों पर और दरों तक।*

5. अधिसूचना संख्या प. 2 (1) वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 15.09.2023 द्वारा जोड़ा गया एवं दिनांक 03.07.2024 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया – 7. हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) –आवास और शहरी विकास कार्यक्रमों से संबंधित परियोजनाओं के लिए संकर्मों की परिकल्पना और योजना की परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए।

1	2	3	4
49.	टेलीफोन, मोबाइल फोन इत्यादि के माध्यम से सामान्य उपयोक्ता समूह (सी.यू.जी.) के भीतर संचार	भारत संचार निगम लि. (बी.एस.एन. एल.) / महानगर टेलीफोन निगम लि. (एम.टी.एन.एल.) से	–
[7][50.	Food and Beverage, Catering in official meetings/conferences/ events	(a) From Rajasthan Tourism Development Corporation/ Indian Tourism Development Corporation/Rajasthan State Hotel Corporation (b) From Constitution Club of Rajasthan (c) From Authorised Suppliers/Canteen situated within the office premises	The Constitution Club of Rajasthan shall supply the food, beverage and catering only in the meetings/ conferences/events organized in the Constitution Club of Rajasthan. The supply of food and beverages by authorised suppliers/Canteen situated within the office premises shall be made at the rates fixed by the Government of Rajasthan, subject to the limits prescribed by the Department of Personnel/General Administration Department.]
[1][51.	Original works and repairs relating to buildings and other works	(a) Following Works Department of State Government, - (i) Public Works Department (ii) Public Health Engineering Department (iii) Water Resources Department (iv) Forest Department (v) Command Area Development Department (b) Rajasthan State Road Development and Construction Corporation Ltd., Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Ltd., Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd., Real Estate Development & Construction Corporation of Rajasthan Ltd. or any Board or Public Sector Enterprise of the Government of Rajasthan, which are engaged in execution of works. (c) Any Board or Public Sector Enterprise of the Central Government, which are engaged in execution works.	The overheads to be charged by a Works Department of the State Government shall be decided by the Finance Department. The overheads to be charged by an executive agency shall be as under.- Original works and repairs,- (i) upto Rs. 100 Crores — 9% (ii) more than Rs.100 crore but upto Rs. 300 crores — Rs. 9 crore + 7% of more than Rs. 100 crore (iii) more than Rs. 300 crore — Rs. 23 crore + 5% of more than Rs. 300 crore The overheads to be charged by the executive agency shall be decided by the Finance Department.]
[2][52.	राज्य न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान के निमित्त परिष्कृत तकनीकी और वैज्ञानिक उपस्करों का उपापन और आयात	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	उपापन और आयात के लिए अनुमोदन, प्रकरण वार, प्रशासनिक विभाग द्वारा दिया जावेगा।]
[4][53.	विलोपित		
[5][54.	पूरक पोषणः–स.बा.वि.से.के अधीन हिताधिकारियों को उपलब्ध करवाया जाने वाला सुबह का नाश्ता, पूरक पोषण (टी.एच.आर.) गर्म पका हुआ भोजन (एच.सी.एम.)	1. महिला और बाल विकास विभाग की अमृता सोसाइटी के स्वयं सहायता समूह के सदस्य। 2. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् के स्वयं सहायता समूह।	1. पूरक पोषण का प्रदाय भारत सरकार द्वारा विहित पोषण संबंधी मानकों के अधीन महिला और बाल विकास विभाग, राजस्थान द्वारा अनुमोदित पाक विधि (रेसीपी) के अनुसार किया जायेगा। 2. महिला और बालविकास का प्रशाासनिक विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा कि महिला स्वयं सहायता समूहों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। 3. महिला और बाल विकास का प्रशासनिक विभाग राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के समन्वय से यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा कि स्वयं सहायता समूहों के चयन के लिए मानदण्ड और प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। 4. महिला और बाल विकास का प्रशासनिक विभाग स्वयं सहायता समूहों को शोध्य संदाय करने के लिए एक पारदर्शी प्रणाली सुनिश्चित करेगा।]

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 16.9.2015 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 17.9.2015 में प्रकाशित ।

51.	भवनों से संबंधित मूल संकर्म और मरम्मत और अन्य संकर्म	सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम, आर.ए.वी.आई.एल.	प्रभारित किये जाने वाले उपरिव्यय, वित्त विभाग की सहमति से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।

पुनः अधिसूचना संख्या एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 20.06.2024 द्वारा प्रतिस्थापित –

51.	भवनों से संबंधित मूल संकर्म और मरम्मत और अन्य संकर्म	सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम, [6][राजस्थान नगरीय पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत निगम लिमिटेड], आवास विकास और आधारभूत लिमिटेड, [3][राजस्थान पुलिस आवासन और निर्माण निगम लि., रियल एस्टेट डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान लि.] या केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार का कोई विभाग, बोर्ड या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो संकर्मों के निष्पादन में लगे हुए हैं।	राज्य सरकार के किसी विभाग, बोर्ड या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा प्रभारित किये जाने वाले उपरिव्यय, वित्त विभाग की सहमति से संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।

पुनः अधिसूचना संख्या एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2025 दिनांक 01.12.2025 द्वारा प्रतिस्थापित –

51.	भवनों से संबंधित मूल संकर्म और मरम्मत और अन्य संकर्म	(क) राज्य सरकार के निम्नलिखित संकर्म विभाग,– (i) सार्वजनिक निर्माण विभाग (ii)लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (iii)जल संसाधन विभाग (iv)वन विभाग (v)कमांड एरिया विकास विभाग (ख) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान नगरीय पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत निगम लिमिटेड, राजस्थान पुलिस आवासन और निर्माण निगम लिमिटेड, रियल एस्टेट डवलपमेंट एण्ड कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड या राजस्थान अथवा केन्द्रीय सरकार का कोई बोर्ड, या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो संकर्मों के निष्पादन में लगे हुए हैं।	राज्य सरकार के संकर्म विभाग द्वारा प्रभारित किये जाने वाले उपरिव्यय वित्त विभाग द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे। कार्यकारी अभिकरण द्वारा प्रभारित किये जाने वाले उपरिव्यय निम्नानुसार होंगे – (i) 100 करोड़ रुपये तक मूल संकर्म और मरम्मत – 9 प्रतिशत (ii) 100 करोड़ रुपये से अधिक किंतु 300 करोड़ रुपये तक – 9 करोड़ + 100 करोड़ रुपये से अधिक का 7 प्रतिशत (iii) 300 करोड़ रुपये से अधिक – 23 करोड़ रुपये + 300 करोड़ रुपये से अधिक का 5 प्रतिशत

2. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 26.12.2016 द्वारा जोडा गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(II) दिनांक 26.12.2016 में प्रकाशित।
3. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 23.1.2017 द्वारा *''राजस्थान पुलिस आवासन और निर्माण निगम लि.''* के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफ.डी./एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 8.6.2017 द्वारा जोडा गया एवं दिनांक 16.02.2023 द्वारा विलोपित किया गया –

53.	सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिक्स और दूर संचार से संबंधित विशेषज्ञीय सेवायें	प्रगत संगणन विकास केन्द्र, भारत सरकार (सी–डैक)	उपापन से पूर्व वित्त विभाग का अनुमोदन अभिप्राप्त किया जायेगा।

5. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./ जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 13.9.2017 द्वारा जोडा गया, राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 (ग) (II) दिनांक 19.9.2017 में प्रकाशित।
6. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफ.डी./एसपीएफसी/2017 दिनांक 21.3.2018 द्वारा 'राजस्थान आवास विकास और आधारभूत लिमिटेड' को प्रतिस्थापित किया गया।
7. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफ.डी./एसपीएफसी/2025 दिनांक 14.8.2025 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया –

50.	शासकीय बैठकों/सम्मेलनों /आयोजनों में खाद्य और पेय, कैटरिंग	राजस्थान पर्यटन विकास निगम/भारतीय पर्यटन विकास निगम/राजस्थान राज्य होटल निगम से	–

अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफ.डी./एसपीएफसी/2025 दिनांक 25.11.2025 द्वारा पुनः प्रतिस्थापित किया गया –

50.	शासकीय बैठकों/सम्मेलनों/आयोजनों में खाद्य और पेय, कैटरिंग	राजस्थान पर्यटन विकास निगम/भारतीय पर्यटन विकास निगम/राजस्थान राज्य होटल निगम/कान्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान से	कान्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, केवल कान्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित बैठकों/सम्मेलनों/आयोजनों में खाद्य, पेय और कैटरिंग प्रदाय करेगा।

1	2	3	4
[1][55.	विलोपित		
[2][56.	[5][(i) राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित मदें	राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) का ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह	[6][500000/- रुपये की वार्षिक सीमा के साथ प्रत्येक अवसर पर 100000/– रुपये तक] के अध्यधीन रहते हुए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पाद, जिनकी दरें राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् द्वारा यथा अवधारित होंगी, प्रशासनिक विभाग (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग) द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित की जायेंगी।]
	(ii) उड़ान योजना के अधीन सेनिट्री नेपकिन्स	राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) का ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह	(i) दरें, वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग) द्वारा विनिश्चित की जायेंगी। (ii) उड़ान योजना के अधीन अपेक्षित वार्षिक परिमाण के 20% तक उपापन किया जा सकेगा।]
[3][57.	माल और सेवाएं	राज्य सरकार के पास ब्रोंज़ या उच्चतर क्यूरेट स्कोर के साथ रजिस्ट्रीकृत और अनुमोदित स्टार्टअप को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार बोली प्रक्रिया में सम्मिलित किये बिना सीधे कार्य आदेश दिये जायेंगे :– 1. क्यूरेट ब्रोंजः प्रति स्टार्ट–अप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक कार्य आदेश 2. क्यूरेट सिल्वरः प्रति स्टार्ट–अप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो कार्य आदेश 3. क्यूरेट गोल्डः प्रति स्टार्ट–अप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो कार्य आदेश 4. क्यूरेट प्लैटिनमः प्रति स्टार्ट–अप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन कार्य आदेश 5. क्यूरेट सिग्नेचरः प्रति स्टार्ट–अप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन कार्य आदेश	1. उपापन की विषय–वस्तु का अनुमानित मूल्य 15 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा। 2. भारत सरकार या राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्टअप को उपलब्ध कराये गये किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म (जैसे ई–बाजार राजस्थान, आदि) के माध्यम से उपापन किया जा सकेगा।]
[4][58.	सामाजिक–आर्थिक/ अवसंरचना विकास, पर्यावरण संबंधी सुधार, कार्यकुशलता उन्नयन इत्यादि के लिए रिसोर्स मोबीलाइजेशन (जैसे पी.पी.पी. परियोजनाएं/ आस्ति पुनर्विकास/आस्ति मानेटाइजेशन) को सम्मिलित करते हुए परियोजना/कार्यक्रम विनिर्मिति और कार्यान्वयन के लिए शुरू से अंत तक वृत्तिक सेवाओं को किराये पर लेना, परामर्श सेवाओं को छोड़कर जहां केवल परामर्श, कार्यान्वयन की सफलता में बिना किसी भूमिका/पण के लिए अपेक्षित है।	पीडीकोर लिमिटेड	1. फीस, प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित वृत्तिक फीस और परियोजना/कार्यक्रम के समापन के लिए निर्धारित पूर्णता/ सफलता फीस का संयोजन होगी। 2. कुल सेवा प्रभारों का 50 प्रतिशत, समस्त मामलों में सफलता फीस के रूप में संदेय होगा।]

1. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफ.डी./एसपीएफसी/2017 दिनांक 23.1.2018 द्वारा जोडा गया। राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(II) दिनांक 23.1.2018 में प्रकाशित एवं 16.2.2023 से विलोपित –

[55.	विज्ञान केन्द्रों की स्थापना से संबंधित उपापन की विषय वस्तु।	संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, एक स्वायत सोसाइटी।	उपापन से पूर्व वित्त विभाग का अनुमोदन अभिप्राप्त किया जायेगा।]

2. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफ.डी.–एसपीएफसी/2017 दिनांक 26.4.2021 द्वारा जोडा गया। राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(II) दिनांक 26.4.2021 में प्रकाशित तथा अधिसूचना दिनांक 04.11.2022 द्वारा प्रतिस्थापित –

56.	राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित मदें	राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) का ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह	1.00 लाख रुपये की वार्षिक सीमा के साथ प्रत्येक अवसर पर 10,000/– रुपये तक के अध्यधीन रहते हुए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पाद, जिनकी दरें राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् द्वारा यथा अवधारित होंगी, प्रशासनिक विभाग (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग) द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित की जायेंगी।

3. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफ.डी./जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 23.7.2021 द्वारा जोडा गया। राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(II) दिनांक 23.7.2021 में प्रकाशित।
4. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफ.डी./जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 25.10.2021 द्वारा जोडा गया। राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 25.10.2021 में प्रकाशित।
5. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफ.डी.–एसपीएफसी/2017 दिनांक 08.09.2023 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(II) दिनांक 08.09.2023 में प्रकाशित –

56.	(i)राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित मदें	राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) का ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह	1.00 लाख रुपये की वार्षिक सीमा के साथ प्रत्येक अवसर पर 10,000/– रुपये तक के अध्यधीन रहते हुए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पाद, जिनकी दरें राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् द्वारा यथा अवधारित होंगी, प्रशासनिक विभाग (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग) द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित की जायेंगी।

6. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 08.07.2025 द्वारा ''200000/- रुपये की वार्षिक सीमा के साथ प्रत्येक अवसर पर 25000/– रुपये तक'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

1	2	3	4
[1][59.	(क) लोक प्रसाधनों का सन्निर्माण प्रचालन और अनुरक्षण (ख) निजी प्रसाधनों का सन्निर्माण	सुलभ अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन	1. लोक और निजी प्रसाधनों के सन्निर्माण के लिए, सुलभ अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन, जिसे इसमें इसके पश्चात् संगठन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, को निम्नानुसार अग्रिम रकम दी जायेगी : (क) निजी प्रसाधनों के सन्निर्माण के मामले में, सन्निर्माण लागत रकम का 50 प्रतिशत, संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा संगठन को अग्रिम के तौर पर संदत्त किया जायेगा और सन्निर्माण लागत रकम के 40 प्रतिशत की दूसरी किस्त, आनुपातिक कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् संदत्त की जायेगी और सन्निर्माण लागत रकम का शेष 10 प्रतिशत, कार्य के संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने के पश्चात् संदत्त किया जायेगा। (ख) लोक प्रसाधनों के सन्निर्माण के मामले में, प्राक्कल्लित सन्निर्माण लागत रकम का 80 प्रतिशत अग्रिम के तौर पर दिया जायेगा और शेष 20 प्रतिशत रकम कार्य के संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने के पश्चात्‌दी जायेगी। 2. निजी प्रसाधनों के लिए प्रति इकाई की लागत और लोक प्रसाधनों के लिए सन्निर्माण लागत/दरों के अनुसार प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। 3. लोक और निजी प्रसाधनों के लिए प्राक्कलन, संबंधित बीएसआर के अनुसार तैयार किया जायेगा और कार्य के विशिष्ट विवरण के अनुसार निम्नलिखित समिति द्वारा दरें विनिश्चित की जायेंगी :– (i) प्रभारी – सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग – अध्यक्ष (ii) निदेशक और पदेन संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग– सदस्य (iii) मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राजस्थान– सदस्य (iv) वित्त विभाग का प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे का नहीं हो –सदस्य (v) मुख्य अभियंता, स्थानीय निकाय विभाग, सदस्य सचिव (vi) वित्तीय सलाहकार, स्थानीय निकाय विभाग–सदस्य उपर्युक्त समिति प्रस्तावित प्रसाधनों के रेखाचित्र और डिजाइन का भी अनुमोदन करेगी। 4. प्रसाधनों के अनुरक्षण, स्वच्छता को सुनिश्चित और मानीटर करने और प्रसाधनों के उपयोग प्रभारों और विद्यमान लोक प्रसाधनों के लिए अनुरक्षण प्रभारों को विनिश्चित करने के लिए समिति निम्नानुसार होगी : (i) निदेशक ओर पदेन संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग–अध्यक्ष (ii) आयुक्त, जयपुर नगर निगम, ग्रेटर – सदस्य (iii) मुख्य अभियंता, स्थानीय निकास विभाग – सदस्य (iv) वित्तीय सलाहकार, स्थानीय निकाय विभाग– सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार, जयपुर नगर निगम, हैरिटेज – सदस्य 5. (i) यदि संगठन जनता से उपयोग प्रभार प्राप्त या संगृहीत करता है तो, संगठन को अनुरक्षण प्रभार संदेय नहीं किया जायेगा।

1. अधिसूचना संख्या एफ.8(3)एफ.डी./एसपीएफसी/मिस./सुलभ/2021 दिनांक 23.12.2021 द्वारा जोडा गया। राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 23.12.2021 में प्रकाशित।

1	2	3	4
			(ii) विद्यमान लोक प्रसाधनों के मामलों में जहां संगठन जनता से उपयोग प्रभार प्राप्त या संगृहीत नहीं करता है, उपर्युक्त खण्ड (4) में उल्लिखित समिति द्वारा अनुरक्षण प्रभार विनिश्चित किये जायेंगे। 6. सुलभ अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन, निजी भवन स्वामियों को नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ प्रसाधनों के सन्निर्माण के लिए प्रोत्साहित करेगा और सन्निर्माण के पश्चात् पांच वर्ष तक तकनीकी दोषों की मरम्मत मुफ्त करेगा। 7. संगठन को, विनिर्दिष्ट सन्निर्माण कार्य की प्राक्कलित लागत के अतिरिक्त पर्यवेक्षण प्रभार का 10 प्रतिशत संदत्त किया जायेगा। 8. सन्निर्माण के प्रारंभ की तारीख की संगणना अग्रिम रकम के संदाय की तारीख से की जायेगी। यदि संगठन आबंटित कार्य को पूर्ण किये जाने की नियत कालावधि के भीतर पूर्ण करने में असफल रहता है, तो विभाग नियमों के अनुसार परिनिर्धारित नुकसानी, जो विलंबित सन्निर्माण का अधिकतम 10 प्रतिशत होगी, अधिरोपित करने के पश्चात् पूर्ण किये जाने की कालावधि को बढ़ा देगा। 9. लोक प्रसाधनों का अनुरक्षण, मरम्मत और स्वच्छता कार्य संगठन द्वारा 30 वर्ष के लिए किया जायेगा और ये प्रसाधन 'संदाय और उपयोग' के आधार पर अनुरक्षित किये जायेंगे। 10. स्थानीय निकाय विभाग इस संबंध में संगठन के साथ संविदा निष्पादित करेगा। 11. संविदा की शर्तों से उत्पन्न किसी विवाद के मामले में, सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।]
	[1][(ग) सरकारी भवनों में प्रसाधनों का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण कार्य	सुलभ अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन	1. सरकारी भवनों में प्रसाधनों के लिये प्राक्कलन, संबंधित बीएसआर के अनुसार तैयार किया जायेगा और कार्य के विनिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित समिति द्वारा दरें विनिश्चित की जायेंगी :– (i) प्रभारी सचिव, प्रशासनिक विभाग – अध्यक्ष (ii) संबंधित विभागाध्यक्ष – सदस्य (iii) संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का वित्त विभाग का प्रतिनिधि – सदस्य (iv) संबंधित विभाग के अधीक्षण अभियंता से अनिम्न रैंक का अभियंता (यदि उपलब्ध है), यदि उपलब्ध नहीं हो तो सार्वजनिक निर्माण विभाग/स्थानीय निकाय विभाग के अधीक्षण अभियंता से अनिम्न रैंक का अभियंता – सदस्य (v) संबंधित विभाग का वरिष्ठतम लेखा अधिकारी – सदस्य सचिव 2. निम्नलिखित समिति प्रसाधनों का अनुरक्षण, स्वच्छता को सुनिश्चित और मॉनिटर तथा विद्यमान प्रसाधनों के लिये अनुरक्षण प्रभारों को विनिश्चित करेगी :– (i) विभागाध्यक्ष – अध्यक्ष

1. अधिसूचना संख्या एफ.8(3)एफ.डी./एसपीएफसी/मिस./सुलभ/2021 दिनांक 20.12.2022 द्वारा जोडा गया। राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 20.12.2022 में प्रकाशित।

1	2	3	4
			(ii) उपापन इकाई का कार्यालयाध्यक्ष – सदस्य (iii) संबंधित विभाग के अधीक्षण अभियंता से अनिम्न रैंक का अभियंता (यदि उपलब्ध है), यदि उपलब्ध नहीं हो तो सार्वजनिक निर्माण विभाग/स्थानीय निकाय विभाग के अधीक्षण अभियंता से अनिम्न रैंक का अभियंता – सदस्य (iv) संबंधित विभाग का वरिष्ठतम लेखा अधिकारी – सदस्य सचिव 3. सुलभ अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन, जिसे इसमें इसके पश्चात् संगठन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, को विनिर्दिष्ट सन्निर्माण कार्य की प्राक्कलित लागत के अतिरिक्त पर्यवेक्षण प्रभारों का 10 प्रतिशत संदत्त किया जायेगा। 4. सन्निर्माण के प्रारंभ की तारीख की संगणना कार्य आदेश जारी करने की तारीख से की जायेगी। यदि संगठन कार्य को पूर्ण किये जाने की नियत कालावधि के भीतर आबंटित कार्य को पूर्ण करने में असफल रहता है, तो विभाग नियमों के अनुसार परिनिर्धारित नुकसानी, जो विलंबित सन्निर्माण लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत होगी, अधिरोपित करने के पश्चात् पूर्ण किये जाने की कालावधि बढ़ा देगा। 5. प्रसाधनों का अनुरक्षण, मरम्मत और स्वच्छता कार्य संगठन द्वारा 10 वर्ष के लिये किया जायेगा। अनुरक्षण प्रभार उपापन इकाई द्वारा संगठन को संदेय होंगे। 6. संबंधित विभाग संगठन के साथ इस संबंध में संविदा निष्पादित करेगा। 7. संविदा की शर्तों से उत्पन्न किसी विवाद के मामले में, सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।]
[1][60.	ई–बाजार (ऑनलाइन प्लेटफार्म) के माध्यम से उच्च गुणवत्ता उत्पाद	इस प्रयोजन के लिए उद्योग विभाग द्वारा पैनल में रखी गयी, एमएसएमई इकाइयों द्वारा विनिर्मित उत्पाद	एक वित्तीय वर्ष में 10.00 लाख रुपये तक के माल का उपापन।]
[2][61.	लोक सहभागिता के रूप में लोक उपयोगी प्रयोजन के लिए माल या संकर्मों या सेवाओं का उपापन	कोई भामाशाह/न्यास/सोसायटी/एन.जी.ओ.	1. माल/संकर्मों/सेवाओं के उपापन का प्राक्कलित मूल्य 20 लाख रुपये से कम नहीं होगा। 2. माल/संकर्मों/सेवाओं में ऐसे भामाशाह/ न्यास/सोसायटी/एन.जी.ओ. का अंशदान उपापन के प्राक्कलित मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिक होगा। 3. शेष अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। 4. इस संबंध में ब्यौरेवार मार्गदर्शक सिद्धांत वित्त विभाग द्वारा पृथकतः जारी किये जायेंगे।]

1. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफ.डी./जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 23.12.2021 द्वारा जोडा गया। राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 23.12.2021 में प्रकाशित।
2. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफ.डी./जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 11.05.2022 द्वारा जोडा गया। राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 11.05.2022 में प्रकाशित।

1	2	3	4
[1][62.	राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड द्वारा दी जाने वाली वृत्तिक सेवाओं को किराये पर लेना जैसे बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप दिये जाने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, मॉडल रियायती करार, समझौता–ज्ञापन, वित्तीय और विधिक मामले, मध्यस्थता/विवाद समाधान प्रक्रिया के मामले, संव्यवहार सलाहकार, संविदा प्रबंध सेवा नियमों की विरचना, कराधान मामले, लेखांकन को सम्मिलित करते हुए लोक उपापन के लिए परामर्शी कार्य, उर्जा संपरीक्षा, प्रबंध संपरीक्षा, विशेष संपरीक्षा, समाजिक संपरीक्षा, आंतरिक संपरीक्षा, संव्यवहार संपरीक्षा इत्यादि को सम्मिलित करते हुए संपरीक्षा की वृत्तिक परामर्शी सेवाएं, अध्ययन/ अनुसंधान करना, प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए रिपोर्ट तैयार करना, नयी परियोजनाओं के लिए साध्यता रिपोर्ट तैयार करना, प्रबंध सूचना प्रणाली और मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली इत्यादि के सृजन को सम्मिलित करते हुए कार्मिक प्रबंध।	राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड	दी जाने वाली सेवाओं के लिए प्रभार वित्त विभाग की सहमति से राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।]

1. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2022 दिनांक 23.05.2022 द्वारा जोडा गया। राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 23.05.2022 में प्रकाशित।

1	2	3	4
[1][63.	नेशनल इंस्टीट्यूट फोर स्मार्ट गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को किराये पर लेना जैसे कि स्ट्रेटेजिक आईटी सलाहकार सेवाएं, वित्तीय सलाहकार सेवाओं को सम्मिलित करते हुए मानव संसाधन सलाहकार और प्रबंध परामर्शी सेवाएं, कार्यक्रम और परियोजना प्रबंध, परियोजना प्रबंध इकाइयों की स्थापना को सम्मिलित करते हुए क्षमता विकास, कार्यक्रम प्रबंध इकाइयों को सम्मिलित करते हुए कार्यक्रम/परियोजना का मानिटर करना, समन्वय इत्यादि, प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता निर्धारण को सम्मिलित करते हुए क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रबंध, कन्टेन्ट विकास, थीम आधारित/कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण, परियोजना प्रबंध प्रमाणीकरण कार्यक्रम, जनशक्ति संवर्धन, गुण अर्जन, संव्यवहार सलाहकार सेवाएं, सोशल मीडिया सलाहकार, समर्थन पुनर्विलोकन, नीतियों की तैयारी और क्रियान्वयन।	नेशनल इंस्टीट्यूट फोर स्मार्ट गवर्नमेंट	दी जाने वाली सेवाओं के लिए प्रभार वित्त विभाग की सहमति से नेशनल इंस्टीट्यूट फोर स्मार्ट गवर्नमेंट द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।]
[2][64.	विज्ञान केन्द्रों की स्थापना से संबंधित उपापन की विषय–वस्तु	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त सोसायटी।	

1. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 07.07.2022 द्वारा जोडा गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 07.07.2022 में प्रकाशित।
2. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 16.03.2023 द्वारा जोडा गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 16.03.2023 में प्रकाशित।

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th colspan="3">4</th></tr>
<tr><td>[1][65.</td><td>समस्त प्रकार के सर्वेक्षण, जोनल योजनाएं, गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण, तृतीय पक्षकार निरीक्षण, परामर्श, डीपीआर बनाना और अन्य इंफ्रा संबंधी कार्य</td><td>राजस्थान राज्य भू–संपदा विकास परिषद् (राजरेडको)</td><td colspan="3">1. [3][प्रत्येक मामले में 1.00 करोड़ रुपये तक का उपापन]
2. उपापन का विनिश्चय निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समिति की सिफारिश पर लिया जायेगा, अर्थात्:–
(i) संबंधित प्रशासनिक विभाग का प्रभारी सचिव – अध्यक्ष,
(ii) संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष – सदस्य, और
(iii) संबंधित विभाग का वरिष्ठतम लेखा अधिकारी – सदस्य सचिव।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">[2][66.</td><td rowspan="3">ई–नीलाम प्लेटफार्म की सेवाएं</td><td rowspan="3">एनसीडीईएक्स ई–मार्केट्स लिमिटेड (एनईएमएल) एमएसटीसी लिमिटेड</td><td colspan="3">अभिकरणों द्वारा प्रभारित की जाने वाली प्रक्रिया फीस निम्नानुसार होगी :–</td></tr>
<tr><td colspan="2">उपापन की विषय वस्तु का नीलाम मूल्य</td><td>प्रक्रिया फीस</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>एक करोड रुपये तक</td><td>नीलाम मूल्य का एक प्रतिशत</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>(ii)</td><td>एक करोड रुपये से अधिक और पांच करोड रुपये तक</td><td>एक लाख रुपये और एक करोड से अधिक नीलाम मूल्य का 0.25 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>(iii)</td><td>पांच करोड से अधिक</td><td>2 लाख रुपये ओर पांच करोड से अधिक नीलाम मूल्य का 0.10 प्रतिशत। तथापि कुल प्रक्रिया फीस 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।</td></tr>
</table>

---

1. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 19.09.2024 द्वारा जोडा गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 19.09.2024 में प्रकाशित।
2. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 19.09.2024 द्वारा जोडा गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 19.09.2024 में प्रकाशित एवं अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफडी/एसपीएफसी/2025 दिनांक 25.07.2025 द्वारा प्रतिस्थापित –

[66.	ई–नीलाम प्लेटफार्म की सेवाएं	एनसीडीईएक्स ई–मार्केट्स लिमिटेड (एनईएमएल)/ एमएसटीसी लिमिटेड	दरें निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समिति की सिफारिश पर वित्त विभाग द्वारा विनिश्चित की जायेंगी, अर्थात् :– (i) संबंधित प्रशासनिक विभाग का प्रभारी सचिव – अध्यक्ष, (ii) संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष – सदस्य, (iii) संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का वित्त विभाग का प्रतिनिधि – सदस्य, और (iv) संबंधित विभाग का वरिष्ठतम लेखा अधिकारी – सदस्य सचिव।]

3. अधिसूचना संख्या एफ.2(3)एफडी/एसपीएफसी/2025 दिनांक 08.05.2026 'प्रत्येक मामले में 50.00 लाख रुपये तक का उपापन' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

सामान्य शर्तें :

1. उपापन संस्था, उपापन की उपरोक्त विषय वस्तु का उपापन करते समय, उपरोक्त सारणी में विनिर्दिष्ट स्रोतों / बोली लगाने वालों के प्रवर्ग से प्रस्ताव की याचना करेगी और यदि आवश्यक हो तो प्रस्तावित कीमतों पर सद्भावपूर्वक बातचीत कर सकेगी।
2. उपापन संस्था उपापन की विषय वस्तुओं के लिए खुली प्रतियोगी बोली की रीति से भी उपापन करने के विकल्प को अंगीकृत कर सकेगी।
3. उपरोक्त सारणी में वर्णित स्रोतों / बोली लगाने वालों के प्रवर्ग से उपापन वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन और अपेक्षित बजट व्यवस्था की उपलब्धता के अध्यधीन होगा।

[1][4.यदि, माल, संकर्म का उपापन, सरकारी कंपनी या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, स्वामित्वाधीन या नियंत्रित कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 की उप–धारा (5) या (7) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन है या स्वायत्त निकाय, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां, सहकारी सोसाइटियां, जो राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित से भिन्न हैं, से किया जाना है, तब उपापन से पूर्व विभागीय उच्च अधिकार समिति का अनुमोदन अभिप्राप्त किया जायेगा। विभागीय उच्च अधिकार समिति निम्नानुसार होगी :–

1. विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव	– अध्यक्ष
2. विभागाध्यक्ष	– सदस्य
3. लेखा सेवाओं का वरिष्ठतम अधिकारी	– सदस्य
4. तकनीकी अधिकारी (यदि अपेक्षित हो)	– सदस्य
5. भण्डार का प्रभारी अधिकारी	– सदस्य–सचिव

टिप्पण : विभागीय उच्च अधिकार समिति की बैठक तब तक नहीं होगी जब तक कि लेखा सदस्य उपस्थित न हो।

विभागीय उच्च अधिकार समिति का सदस्य–सचिव निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा,–

(i) बैठक का कार्यसूची टिप्पण और कार्यवृत्त तैयार करना;

(ii) माल के प्रदाय / संकर्म के निष्पादन के लिए यदि राजस्थान राज्य के सरकारी संगठन / सरकारी कंपनियां / बोर्ड / निगम / सहकारी सोसाइटियां इत्यादि समर्थ हों तब भी राज्य के बाहर से उपापन का न्यायोचित्य;

(iii) राजस्थान के बाहर और राज्य के भीतर से उपापन की विषय–वस्तु की दरों के तुलनात्मक विवरण तैयार करना; और

(iv) उपापन की विषय–वस्तु की दरों के मद–वार ब्यौरे तैयार करना।]

शासन सचिव,वित्त (बजट)।

---

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी. / जीएफएण्डएआर / 2011 दिनांक 23.1.2017 द्वारा जोडा गया। राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 23.1.2017 में प्रकाशित एवं अधिसूचना संख्या प.2 (1) वित्त / जीएण्डटी (एसपीएफसी) / 2017 दिनांक 6.8.2018 द्वारा प्रतिस्थापित(6.8.2018 से प्रभावी) :–

"4.यदि माल, संकर्म या परामर्शी सेवाओं से भिन्न सेवाओं का उपापन पब्लिक सेक्टर उद्यम, जो राजस्थान सरकार के पब्लिक सेक्टर उद्यम से भिन्न है, से किया जाना है, तब उपापन से पूर्व वित्त विभाग का अनुमोदन अभिप्राप्त किया जायेगा।"

पुनःअधिसूचना संख्या प. 2 (1) वित्त / जीएण्डटी–एसपीएफसी / 2017 दिनांक 15.4.2021 द्वारा प्रतिस्थापित :–

"4.यदि, माल या संकर्म का उपापन, सरकारी कंपनी या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, स्वामित्वाधीन या नियंत्रित कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 की उप–धारा (5) या (7) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन है या स्वायत्त निकाय, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां, सहकारी सोसाइटियां, जो राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन नियंत्रित या प्रबंधित से भिन्न हैं, से किया जाना है, तब उपापन से पूर्व वित्त विभाग का अनुमोदन अभिप्राप्त किया जायेगा ।]

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा अनुभाग)

अधिसूचना*

जयपुर, नवम्बर 19, 2015

एस.ओ.165.–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 33 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि घरेलू उद्योग को प्रोन्नत करने और राज्य सरकार की सामाजिक–आर्थिक नीति को अग्रसर करने के लिए राजस्थान में स्थित सूक्ष्म और लघु उद्यमों से आज्ञापक उपापन आवश्यक है और, [1][इसी प्रकार, राजस्थान में स्थित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से उपापन में क्रय अधिमानता आवश्यक है,] इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) में यथा परिभाषित उपापन संस्थाओं के लिए, निम्नलिखित रीति से, अनुसूची–। में उल्लिखित माल को केवल सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपाप्त करना और साथ ही अनुसूची–। में सम्मिलित नहीं किये गये माल के उपापन में राजस्थान में स्थित [2][सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को क्रय अधिमानता] या दोनों देना आज्ञापक होगा, अर्थात् :–

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, –

(क) **'सूक्ष्म', 'लघु' और 'मध्यम'** उद्यमों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन वर्गीकृत और राजस्थान में स्थित और इस रूप में उद्योग विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अभिप्रेत हैं ;

(ख) **'अधिनियम'** से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) अभिप्रेत है ;

(ग) **'प्ररूप'** से इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(घ) **'माल'** से अधिनियम में यथा परिभाषित माल अभिप्रेत है ;

(ङ) **'सरकार'** से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(च) **'स्थानीय उद्यम'** से उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित, माल के विनिर्माण या उत्पादन में किसी भी रीति से लगा हुआ, राजस्थान राज्य में स्थित और उद्यमकर्ता ज्ञापन–II/उद्योग आधार ज्ञापन की उनकी अभिस्वीकृति प्राप्त किया हुआ और रजिस्ट्रीकृत कोई औद्योगिक उपक्रम या कोई कारबार समुत्थान या कोई अन्य संस्थापन, जो किसी भी नाम से जाना जाये, अभिप्रेत है;

(छ) [3][विलोपित]

(ज) **'क्रय अधिमानता'** से किसी उपापन संस्था द्वारा आमंत्रित किसी बोली के जवाब में, खण्ड 1(क) के अधीन के प्रवर्ग में सम्मिलित स्थानीय उपक्रमों के लिए, बोली के समस्त अन्य पैरामीटरों के समान रहते हुए, क्रय में अधिमानता अभिप्रेत है; और

(झ) **'अनुसूची'** से इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

---

* अधिसूचना संख्या प.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 19.11.2015, राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग)(।।) दिनांक 14.7.2016 में प्रकाशित।

1. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 29.8.2018 द्वारा *''इसी प्रकार, राजस्थान में स्थित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से उपापन में क्रय और कीमत अधिमानता आवश्यक है,.''* के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राजपत्र विशेषांक 4(ग)(।।) दिनांक 4.9.2018 में प्रकाशित।

2. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 29.8.2018 द्वारा ''सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कीमत या क्रय अधिमानता या दोनो,.'' के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राजपत्र विशेषांक 4(ग)(।।) दिनांक 4.9.2018 में प्रकाशित।

1. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 29.8.2018 द्वारा विद्यमान उप–खण्ड (छ) को विलोपित किया गया, राजस्थान राजपत्र विशेषांक 4(ग)(।।) दिनांक 4.9.2018 में प्रकाशित –

*''(छ) **'कीमत अधिमानता'** से किसी उपापन संस्था द्वारा आमंत्रित किसी बोली के जवाब में, स्थानीय उपक्रमों और राज्य से बाहर के उपक्रमों के बीच, कीमत बोलियों के, बोली के समस्त अन्य पैरामीटरों के समान रहते हुए, मूल्यांकन की रीति, जो इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट है, अभिप्रेत है;''*

[4][2. **प्रयोज्यता** : यह अधिसूचना इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में उद्धृत मदों के उपापन पर लागू होगी।]

3. **जब कभी भी अनुसूची में उल्लिखित किसी वस्तु/वस्तुओं के सम्बन्ध में बोली आमंत्रण नोटिस जारी किया जाये,–**

(क) बोली आमंत्रण नोटिस में एक खण्ड सम्मिलित किया जायेगा कि उपाप्त किये जाने वाली वस्तु/वस्तुओं को, इस अधिसूचना के खण्ड 1(क) में यथा परिभाषित राजस्थान में स्थित सूक्ष्म और लघु उद्यमों में से ही उपापन के लिए आरक्षित रखा जायेगा;

(ख) ऐसे उपापन का 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के स्वामित्वाधीन स्थानीय सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपापन के लिए निश्चित किया जायेगा;

(ग) खण्ड 1(क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न स्रोतों से प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा;

(घ) खण्ड 1(क) में उल्लिखित प्रवर्ग में सम्मिलित उद्यमों को माल के प्रदाय के लिए संविदा माल के उपापन के लिए उनकी सक्षमता की सीमा तक आदेश को भाग में बांटकर दी जा सकेगी; और

(ङ) जब कभी भी उपापन इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित वस्तु/वस्तुओं के संबंध में हो तब उद्योग विभाग का प्रतिनिधि भी राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 3 के अधीन गठित उपापन समितियों का सदस्य होगा। ऐसा सदस्य जिला उद्योग अधिकारी की रैंक से नीचे का नहीं होगा। यदि इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित नहीं की गयी वस्तु/वस्तुओं के लिए दस लाख रूपए से उपर के माल का उपापन किया जाता है तो उपापन संस्था के लिए जिला उद्योग अधिकारी की रैंक से नीचे के, उद्योग विभाग के किसी प्रतिनिधि को उपापन समिति के सदस्य के रूप में आमंत्रित करना वैकल्पिक होगा।

[5][4. **विलोपित]**

---

1. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 29.8.2018 द्वारा ***''अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गयी वस्तुओं के लिए, राज्य से बाहर के उद्यमों से प्राप्त बोलियों की तुलना में स्थानीय उद्यमों को, उत्कथित कीमतों के मूल्यांकन द्वारा कीमत अधिमानता निम्नानुसार दी जायेगी.''*** के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राजपत्र विशेषांक 4(ग)(।।) दिनांक 4.9.2018 में प्रकाशित।
2. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 29.8.2018 द्वारा विद्यमान उप–खण्ड (क) को विलोपित किया गया–
''(क) स्थानीय उद्यमों की बोलियों को सारणीबद्ध करने के दौरान इन उद्यमों द्वारा उत्कथित दरों में से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर के तत्व को अपवर्जित किया जायेगा, जब कि राजस्थान से बाहर के उद्यमों की दरों में केन्द्रीय कर के तत्व को केवल मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए सम्मिलित किया जायेगा बशर्ते कि विनिर्देश और समस्त अन्य अपेक्षाएं बोली के अनुसार हों।''
3. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 29.8.2018 द्वारा *''यदि कीमत अधिमानता देने के पश्चात् भी स्थानीय बोलियों की कीमतें प्रतियोगी नहीं पायी जाती हैं और राज्य के बाहर से बोली लगाने वाले उद्यम को निम्नतम विनिर्णित किया जाता है''* के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राजपत्र विशेषांक 4(ग)(।।) दिनांक 4.9.2018 में प्रकाशित।
4. अधिसूचना संख्या प.1(8)वित्त/एफआर–एसपीएफसी/2017 दिनांक 12.06.2026 द्वारा प्रतिस्थापित –
''2. माल निम्नलिखित दो समूहों में विभक्त किया जायेगा :–
(क) अनुसूची में उल्लिखित वस्तुएं, जो सम्पूर्णतः स्थानीय सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपाप्त की जायेंगी।
(ख) समस्त अन्य वस्तुएं, जो इस अधिसूचना के खण्ड 4 के अध्यधीन किसी अन्य स्रोत से उपाप्त की जा सकती हैं।''
5. अधिसूचना संख्या प.1(8)वित्त/एफआर–एसपीएफसी/2017 दिनांक 12.06.2026 द्वारा विलोपित किया गया–

[1]**[अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गयी वस्तुओं के लिए, स्थानीय उद्यमों को क्रय अधिमानता निम्नानुसार दी जायेगी]:–**

(क) [2][विलोपित]

(ख) [3][यदि राज्य के बाहर से बोली लगाने वाले उद्यम को निम्नतम विनिर्णित किया जाता है] तो स्थानीय उद्यमों को, बोली के समस्त अपेक्षित विनिर्देशों और शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन, क्रय अधिमानता निम्नलिखित रीति से दी जायेगी :–

(i) स्थानीय उद्यमों को बोली परिमाण के 80 प्रतिशत का प्रदाय करने का अवसर दिया जायेगा (20 प्रतिशत प्रस्ताव मूल निम्नतम बोली लगाने वाले उद्यम को दिया जायेगा)। इस 80 प्रतिशत में से न्यूनतम 60 प्रतिशत स्थानीय सूक्ष्म और लघु उद्यमों से, यदि उन्होंने भी बोली लगाई है, क्रय किया जाना अपेक्षित होगा और इस 60 प्रतिशत के भीतर, 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के स्वामित्व में के स्थानीय सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपापन के लिए निश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त वर्णित 80 प्रतिशत में से और 20 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक, का शेष परिमाण स्थानीय मध्यम उद्यमों, यदि उन्होंने भी बोली लगाई हो, से उपाप्त किया जायेगा।

(ii) बोली परिमाण के 80 प्रतिशत के लिए क्रय अधिमानता के इस विकल्प के प्रयोग के लिए, ऐसी स्थिति में, स्थानीय उद्यम को, जिसने स्थानीय बोली लगाने वाले उद्यमों में से न्यूनतम दर उत्कथित की है, प्राप्त सबसे निम्नतम दर (एल1) के साथ मिलान करने के लिए, प्रति प्रस्ताव दिया जायेगा। *[विलोपित]

(iii) यदि निम्नतम स्थानीय उद्यम उपरोक्त उप–खण्ड (ii) के अनुसार प्रति प्रस्ताव के लिए सहमत नहीं होता है या उसके पास सम्पूर्ण बोली मात्रा उपलब्ध कराने की क्षमता नहीं है तो वही प्रति प्रस्ताव, उस क्रम में पात्र स्थानीय बोली उद्यमों के अगले निम्नतम बोली लगाने वाले को दिया जायेगा जब तक प्रदाय की जाने वाली मात्रा की पूर्ति न हो जाए। खण्ड 1(क) पर यथा उल्लिखित प्रवर्ग में सम्मिलित उद्यमों को माल के प्रदाय के लिए संविदा, उनकी क्षमता की सीमा तक, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 74 में उपबंधित रीति में माल के उपापन के लिए प्रस्ताव को भाग में बांटकर की जायेगी।

(iv) यदि बोली लगाने वाला जो माल के प्रदाय का प्रस्ताव करता है, राजस्थान में अवस्थित कोई व्यवहारी है और बोली कीमतें राजस्थान के स्थानीय उद्यमों द्वारा प्रस्तावित दरों के बराबर हैं तथा माल की गुणवक्ता और विनिर्देश एक से हैं तो स्थानीय उद्यमों को ऐसे व्यवहारी पर अधिमानता दी जायेगी।

*अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 29.8.2018 द्वारा विद्यमान अभिव्यक्ति ''ऐसे मामले में, उपरोक्त खण्ड (क) में कथित कीमत अधिमानता और लागू नहीं रहेगी और शुद्ध निम्नतम कीमत (एल1 कीमत) का मिलान अपेक्षित होगा।'' को विलोपित किया गया, राजस्थान राजपत्र विशेषांक 4(ग)(।।) दिनांक 4.9.2018 में प्रकाशित।

5. उपापन संस्था के लिए उन समस्त मामलों में कारणों को लेखबद्ध किया जाना आज्ञापक होगा जहां राजस्थान के स्थानीय उद्यमों द्वारा विनिर्मित वस्तुएं उपाप्त नहीं की गयी हैं और इस अधिसूचना में यथा उपबंधित क्रय अधिमानता नहीं दी गयी है, जो अन्य बातों के साथ–साथ, या तो राज्य के स्थानीय उद्यमों द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग न लेने या राज्य के बाहर के उद्यम द्वारा प्रस्तावित निम्नतम बोली कीमत के समान आने में स्थानीय उद्यम की असक्षमता अथवा स्थानीय उद्यम द्वारा बोली के अपेक्षित विनिर्देश से मिलान न होने के मामले में होगा।

6. [1][किसी अधिकारी या उपापन संस्था द्वारा क्रय अधिमानता की मंजूरी की शक्तियों का प्रयोग]उस सीमा तक किया जायेगा जिस सीमा तक उन्हें सामान्य वित्त और लेखा नियम के अधीन शक्तियों की अनुसूची में या विशिष्ट विभाग, पब्लिक सेक्टर उपक्रम/स्वायत्त निकाय आदि पर लागू अन्य सामान्य या विशेष आदेश के अधीन माल के उपापन के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं।

7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से उपापन के आंकड़े नीति को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक हैं और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक उपापन संस्था उनकी अपनी उपापन योजना में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से पूर्ति किये जाने वाले उपापन और उससे संबंधित उपलब्धियों को अपने वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करेगी।

8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में यथा उल्लिखित उद्यमी ज्ञापन–II/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति रखने वाले राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कारबार करने की संव्यवहार लागत को कम करने को, उद्यमी ज्ञापन–II/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति की स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि निम्नरूप से या राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में यथा संशोधित रूप में प्रस्तुत करने पर, सुगम बनाया जायेगा :–

(क) बोली दस्तावेज विहित लागत के 50 प्रतिशत पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उपलब्ध कराया जायेगा ;

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बोली प्रतिभूति उनके द्वारा प्रदाय की जाने वाली प्रस्तावित परिमाण के मूल्य की 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) दर पर होगी ; और

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए निष्पादन प्रतिभूति माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम की 1 प्रतिशत दर पर होगी।

[2][(घ) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन) नियम, 2020 के प्रारंभ की तारीख (13.08.2020) से 31.03.2021 तक की कालावधि के दौरान खण्ड (ख) या, यथास्थिति, (ग) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बोली प्रतिभूति उनके द्वारा प्रदत्त किये जाने वाले प्रस्तावित परिमाण के मूल्य के 0.25 प्रतिशत की दर पर और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए निष्पादन प्रतिभूति माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम के 0.5 प्रतिशत की दर पर होगी।]

9. (क) अनुसूची में सम्मिलित माल के उपापन के लिए जारी बोली आमंत्रण नोटिस की दो प्रतियां कार्यालय उद्योग आयुक्त, राजस्थान को सदैव भेजी जायेंगी, जो उसे उद्योग विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने की और इसे आगे राज्य के समस्त जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबन्धकों को भेजने की व्यवस्था करेगा;

(ख) अनुसूची में सम्मिलित से भिन्न माल के लिए, जहां कहीं भी उपापन संस्था की यह राय हो कि सूक्ष्म और लघु उद्यम किसी विशिष्ट बोली आमंत्रण नोटिस के विरूद्ध बोली लगा सकते हैं, तो प्रत्येक ऐसे बोली आमंत्रण नोटिस की दो प्रतियां उद्योग विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के लिए उद्योग आयुक्त को भेजी जायेंगी।

---

1. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 29.8.2018 द्वारा विद्यमान अभिव्यक्ति *''किसी अधिकारी या उपापन संस्था द्वारा क्रय अधिमानता या कीमत अधिमानता या दोनों की मंजूरी की शक्तियों का प्रयोग ''* के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, राजस्थान राजपत्र विशेषांक 4(ग)(।।) दिनांक 4.9.2018 में प्रकाशित।
2. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 13.8.2020 द्वारा जोड़ा गया।

10. [1][इस अधिसूचना के अधीन क्रय अधिमानता को चाहने के क्रम में,] प्ररूप 'क' में यथा विहित आवेदन, स्थानीय उद्यम द्वारा संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को या उद्योग विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा जो सम्यक् तत्परतापूर्वक परीक्षण के पश्चात् उसके लिए सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करेगा :

परन्तु इस संबंध में किसी शिकायत की दशा में, व्यथित आवेदक द्वारा सादे कागज पर अपील आयुक्त, उद्योग विभाग या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी को फाइल की जा सकेगी।

11. प्रत्येक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उपापन संस्था को सम्यक् रूप से भरे गये बोली दस्तावेज के साथ प्ररूप 'ख' में एक शपथपत्र प्रस्तुत करे।

12. अपेक्षित उपापन के लिए, सूक्ष्म, लघु या, यथास्थिति, मध्यम उद्यम को कार्य प्रस्ताव जारी करने के पूर्व उपापन संस्था यह सुनिश्चित करने के लिए उद्योग विभाग के अधीन जिला उद्योग अधिकारी से अनिम्न रैंक के समुचित प्राधिकारी को निवेदन कर सकेगी कि उक्त उद्यम, जिससे उपापन किया जाना है, के पास बोली दस्तावेज में यथा अपेक्षित मात्रात्मक और गुणवत्ता निबन्धनों में आवश्यक उत्पादन क्षमता है। उद्योग विभाग ऐसे मामले में संबंधित उपापन संस्था को अपेक्षित सहयोग उपलब्ध करवायेगा।

13. निम्नलिखित मानीटरी समिति इस अधिसूचना के क्रियान्वयन और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा की गयी शिकायतों को सम्मिलित करते हुए कठिनाईयों के निराकरण की मानीटरी करेगी, अर्थात् :–

(i)	प्रमुख सचिव, उद्योग (एस.एस.आई और के.वी.आई.)	अध्यक्ष
(ii)	उद्योग आयुक्त, राजस्थान	सदस्य
(iii)	निदेशक, एम.एस.एम.ई.डी. संस्थान, भारत सरकार, 22 गोदाम, जयपुर	सदस्य
(iv)	मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राज., जयपुर या उसका नामनिर्देशिती जो अधीक्षण अभियन्ता की रैंक से नीचे का न हो	सदस्य
(v)	मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. राज., जयुपर या उसका नामनिर्देशिती जो अधीक्षण अभियन्ता की रैंक से नीचे का न हो	सदस्य
(vi)	मुख्य अभियन्ता, ज.स्वा.अ.वि. राज., जयपुर या उसका नामनिर्देशिती जो अधीक्षण अभियन्ता की रैंक से नीचे का न हो	सदस्य
(vii)	वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में	सदस्य
(viii)	अतिरिक्त / संयुक्त / उपनिदेशक, उद्योग (विपणन)	संयोजक

1. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 29.8.2018 द्वारा विद्यमान अभिव्यक्ति *''इस अधिसूचना के अधीन कीमत अधिमानता या क्रय अधिमानता या दोनों को चाहने के क्रम में, ''* के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, राजस्थान राजपत्र विशेषांक 4(ग)(।।) दिनांक 4.9.2018 में प्रकाशित।

अनुसूची

अनुसूची में सम्मिलित वस्तुओं की सूची

क्र.सं.	मद
1	2
	कृषि और खाद्य आधारित
1.	पशु खाद्य
2.	अचार और मुरब्बा
3.	सरसों का तेल और खल
4.	आटा, मैदा
5.	पापड़
6.	प्रसंस्कृत सोनामुखी, अजवाइन पाउडर
7.	पोषण खाद्य
	पशुपालन आधारित
8.	लेदर बैग्स, बक्से, लेदर, फुटवियर
	भवन और सिरेमिक्स आधारित
9.	एस्बेस्टोस सीमेन्ट पाइप और फिटिंग्स
10.	सीमेन्ट होलो ब्लोक्स
11.	मोजेक सीमेन्ट टाईल्स, सिरेमिक टाइल्स
12.	आर.सी.सी. स्पन पाईप्स, आर.सी.सी. ह्यूम पाईप्स और अन्य आर.सी.सी. उत्पाद
13.	स्टोन चिप्स और पॉलिस्ड टाईल्स
14.	मार्बल स्लैब्स और टाईल्स
15.	स्टोन स्लैब्स और टाईल्स (सभी प्रकार)
16.	ग्रेनाइट स्लैब्स और टाईल्स
17.	सीमेन्ट टाईल्स
18.	पत्थर नक्काशी और पत्थर आर्ट वर्क
19.	ईंटे (फ्लाई एश ईंटे, इन्सुलेशन ईंटे, एग्रो वेस्ट ईंटे)
	रसायन आधारित
20.	आयुर्वेदिक, पशु–चिकित्सा दवाएं
21.	क्लीनिंग पाउडर / डिटर्जेंट पाउडर
22.	कम्प्यूटर स्टेशनरी
23.	फाइबर ग्लास कूलर्स
24.	पार्टिकल बोर्ड से निर्मित फर्नीचर
25.	मिनरल वाटर
26.	मोटर स्टोरेज बैटरीज
[1][27.	विलोपित]
28.	फिनायल (काला कीटाणुनाशक द्रव)
29.	फिनायल और कपूर की गोलियां
30.	प्लास्टिक केन, प्लास्टिक / पी वी सी / एल डी पी ई / एच डी पी ई भूमि के ऊपर पानी भंडारण टैंक, प्लास्टिक प्रोफाइल, बहु परती प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक की वस्तुएं
31.	पोलीथीन बैग्स, पोलीथीन फिल्म और पोली प्रोपाइलीन बैग्स

1. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त / जीएण्डटी–एसपीएफसी / 2017 दिनांक 15.4.2021 द्वारा आइटम संख्या 27. पेट कन्टेनर्स को विलोपित किया गया।

32.	पी.वी.सी. फुटवियर, पी वी सी दरवाजे और पैनल
33.	आई एस आई प्रमाणन निशान धारक साबुन (धोने का)
34.	थर्मामीटर्स
35.	जिंक ऑक्साइड
36.	जिंक वाटर बॉटल्स
37.	जिंक सल्फेट
	अभियांत्रिकी और सहबद्ध आधारित
38.	कृषि उपकरण जैसे तगारी, फावड़ा, पंजा, कल्टीवेटर, उद्यान औजार, बेलचा, ट्रेक्टर ट्रॉली/ट्रेलर, कुल्हाड़ी, कुदाली
39.	आई एस आई प्रमाणपत्र सहित प्रेशर कूकर और एल्यूमिनियम के बर्तन, खाना पकाने के बर्तन, सभी प्रकार के बर्तन
40.	कंटीले तार
41.	तारों के खुले जाल और अन्य प्रकार के बुने हुए तार, वेल्डेड तारों के जाल
42.	धातु से बने हुए बक्से और आइरन कॉट्स
43.	बाल्टियां, डिब्बे (दूध मापने के लिए जी. आई. चद्दरों से बने हुए)
44.	चेन लिंक्स
45.	कॉपर वायर—दरवाजें और इनेमल्ड
46.	सी.आई. सॉयल पाइप्स, सी. आई. ज्वोइंट्स, फिटिंग एवं कप्लिंग, कन्ड्यूट पाइप्स
[1][47.	विलोपित]
48.	फ्लशिंग सिस्टर्न्स (धातु/सी आई)
49.	सभी प्रकार की हस्तचलित गाड़ियां
50.	कब्जे
51.	मैनहोल कवर
52.	धातुमय निर्माण हार्डवेयर, अत्यधिक तनाव वाले और अन्य विशेष प्रकार वालों को छोड़कर नट और बोल्ट, सभी प्रकार के रिवेट्स, फावड़े, कुदाल, तार की वस्तुएं जैसे तार कीलें, लकड़ी के पेंच आदि
53.	रूम के कूलर (डेजर्ट प्रकार के)
54.	इन्स्यूलेशन के लिए सेपरेटर
55.	सिलाई मशीन
56.	स्प्रिंकल और प्रणाली
57.	स्टील फर्नीचर, कम्प्यूटर फर्नीचर और सभी प्रकार के लकड़ी के फर्नीचर
58.	सभी प्रकार के फैब्रिकेशन
59.	मोनो ब्लॉक पम्प, सब मर्सिबल पम्प, सेनिटरी फ्यूसियल पम्प
60.	बाट और 50 कि.ग्रा. तक वजन करने वाले उपकरण
61.	व्हील बैरो
62.	ऑटो बियरिंग कम्पोनेट
63.	आयरन हैण्डीक्राफ्ट
64.	माइक्रोस्कोप
	विद्युत और इलैक्ट्रोनिक आधारित
65.	आई.एस.आई. चिन्हित छत के पंखे/टेबल पंखें
66.	विद्युतीय फिटिंग एवं फिक्सचर्स (आई. एस. आई. चिन्हित)
67.	उपसाधन सहित इलैक्ट्रोनिक कैलकुलेटर
68.	जी.एल.एस. लैम्प (आई. एस. आई. मार्क के अनुरूप)
69.	पी.वी.सी. तार एवं केबल्स (आई. एस. आई. चिन्हित)
70.	क्वार्ट्ज दीवाल घड़ी
71.	वोल्टेज स्टेबलाइजर (आई. एस. आई. चिन्हित)

1. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/जीएण्डटी—एसपीएफसी/2017 दिनांक 15.4.2021 द्वारा आइटम संख्या 47.पिल्फर प्रूफ सील/कैप्स को विलोपित किया गया।

[1][72.	आईएसआई सत्यापन के साथ 33 केवी तक के वितरण के लिए इन्सुलेटर्स]
73.	विद्युत लकड़ी के बोर्ड
74.	इन्वर्टर (आई. एस. आई. चिन्हित)
[2][75.	132 केवी और इससे ऊपर के स्तर के लिए ईएचवी पावर ट्रांसफार्मर्स को छोड़कर पावर और वितरण ट्रांसफार्मर]
76.	पी सी सी पोल्स
	खनिज आधारित
77.	प्लास्टर ऑफ पेरिस, सर्जिकल प्लास्टर ऑफ पेरिस
78.	स्टोन ग्रिट्स
	विविध
[3][79.	विलोपित]
80.	फाईल पैड्स/फाईल कवर
81.	पेपर उत्पाद जैसे पेपर कोन, बैग, आईसक्रीम कप, प्रिच, सभी प्रकार के पेपर एनवलप
82.	जीवाणु खाद
83.	पेपर बोर्ड
	टेक्सटाइल्स आधारित
84.	एब्सोरबेन्ट कॉटन (स्टरलाइज्ड)
85.	पट्टी का कपड़ा, गॉज का कपड़ा
86.	कॉटन होजरी बनियान, मोजें (सभी प्रकार के)
87.	मच्छरदानी
88.	दरियां, निवार, टाट पट्टी (जूट और कपास), टेप कॉटन
89.	सभी प्रकार के गारमेन्ट्स
90.	नम्दा (फेल्ट वुलन)
91.	तारपॉलिन्स
92.	टेन्ट्स
93.	ऊनी होजरी
94.	शाल
95.	स्कूल बस्ते एवं कैनवास बस्ते
96.	सभी प्रकार के वेड मद (कॉटन/सिन्थेटिक)
97.	बनियान (कॉटन/ऊनी)
98.	होलडोल/स्लीपिंग बैग्स
99.	टोपी/हैट

1. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 15.4.2021 द्वारा आइटम संख्या 72. ''इन्सुलेटर (आई. एस. आई. चिन्हित)'' को प्रतिस्थापित किया गया।
2. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 15.4.2021 द्वारा आइटम संख्या 75. ''विद्युत ट्रान्सफार्मर'' को प्रतिस्थापित किया गया।
3. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 15.4.2021 द्वारा आइटम संख्या 79. ''लहरिया पेपर कार्ड बोर्ड बॉक्स एवं कार्टन्स'' को विलोपित किया गया।

प्ररूप क

(दो प्रतियों में आवेदन करें)

[1][माल के उपापन में क्रय अधिमानता के लिए एम.एस.एम.ई. द्वारा आवेदन]

प्रेषित,
महाप्रबंधक
जिला उद्योग केन्द्र, जिला ......

1. आवेदक का नाम पद सहित :
2. स्थायी पता :
3. सम्पर्क विवरण :
   (क) टेलिफोन नं. :
   (ख) मोबाइल नं. :
   (ग) फैक्स नं. :
   (घ) ई–मेल :
4. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम का नाम :
5. कार्यालय पता :
6. कार्यस्थल का पता :
7. उद्यमी ज्ञापन–II/उद्योग आधार ज्ञापन की सं. एवं तारीख : (फोटो प्रति संलग्न करें)
8. वह उत्पाद जिनके लिए उद्यमी ज्ञापन–II /उद्योग आधार ज्ञापन प्रयोग में लिए गए :
9. उत्पाद जो वर्तमान में उद्यम द्वारा उत्पादित किए जा रहे है :
10. [2][उत्पाद जिनके लिए क्रय अधिमानता के लिए आवेदन किया गया है :]
11. क्षमता निर्धारण प्रमाणपत्र के अनुसार उत्पादन क्षमता (क्षमता निर्धारण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करे)

क्र.सं.	उत्पाद	उत्पादन क्षमता	
		मात्रा	मूल्य
1			
2			
3			
4			

12. प्रतिष्ठापित संयंत्र एवं मशीनरी की सूची

क्र.सं.	संयंत्र एवं मशीनरी का नाम	मात्रा	मूल्य
1			
2			
3			
4			

13. प्रतिष्ठापित परीक्षण उपस्करों की सूची

क्र.सं.	परीक्षण उपस्करों के नाम	मात्रा	मूल्य
1			
2			
3			
4			

---

1. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 29.8.2018 द्वारा विद्यमान अभिव्यक्ति *"माल के उपापन में कीमत अधिमानता या क्रय अधिमानता या दोनों के लिए एम.एस.एम.ई. द्वारा आवेदन"* के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, राजस्थान राजपत्र विशेषांक 4(ग)(I) दिनांक 4.9.2018 में प्रकाशित।
2. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 29.8.2018 द्वारा विद्यमान अभिव्यक्ति *"उत्पाद जिनके लिए कीमत अधिमानता या क्रय अधिमानता या दोनों के लिए आवेदन किया गया है :"* के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, राजस्थान राजपत्र विशेषांक 4(ग)(I) दिनांक 4.9.2018 में प्रकाशित।

14. [1][गत वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में उपभुक्त फायदे]

क. बोली प्रतिभूति और निष्पादन प्रतिभूति निक्षेप करने के फायदे :

गत वित्तीय वर्ष			चालू वित्तीय वर्ष	
विभाग	बोली प्रतिभूति	निष्पादन प्रतिभूति	बोली प्रतिभूति	निष्पादन प्रतिभूति

ख. प्राप्त प्रदाय आदेशों का विवरण :

गत वित्तीय वर्ष				चालू वित्तीय वर्ष		
विभाग	क्रय आदेश की सं. एवं तारीख	रकम जिसके लिए क्रय आदेश प्राप्त हुए	प्रदायित माल की रकम	क्रय आदेश की सं. एवं तारीख	रकम जिसके लिए क्रय आदेश प्राप्त हुए	प्रदायित माल की रकम

मैं यह घोषणा करता हूं कि आवेदन में दिये गये उपरोक्त समस्त तथ्य सही है और मेरा उद्यम स्तम्भ संख्यांक 10 में उल्लिखित वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है।

दिनांक :

हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम मय पद की मुद्रा)

कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र...

प्रमाणपत्र

(खण्ड 10 देखिए)

पत्रावली सं. दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स .... का दिनांक ....को .... द्वारा निरीक्षण किया गया और उद्यम द्वारा उल्लिखित तथ्य आवेदक द्वारा दर्शित अभिलेख के अनुसार सही है। [2][उद्यम इस अधिसूचना के अधीन क्रय अधिमानता के लिए पात्र है।] यह प्रमाणपत्र इसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष के लिए विधिमान्य है।

कार्यालय मुद्रा

हस्ताक्षर
(अधिकारी का पूरा नाम) महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र
रबर मुद्रा/स्टाम्प

संलग्न :– (1) आवेदन
(2)
(3)

प्ररूप ख

शपथपत्र का रूपविधान

(खण्ड 11 देखिए)

मैं ...., पुत्र .... आयु .... वर्ष, ... का निवासी, मैसर्स .... का स्वत्वधारी/भागीदार /निदेशक, इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि :

(क) मेरे/हमारे उपरोक्त उल्लिखित उद्यम मैसर्स .... को जिला उद्योग केन्द्र .... द्वारा उद्यम संबंधी ज्ञापन भाग–II की अभिस्वीकृति जारी की गयी है। अभिस्वीकृति सं. .... दिनांक .... निम्नलिखित वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए जारी की गयी है :

वस्तु का नाम उत्पादन क्षमता (वार्षिक)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(ख) मेरी/हमारी उपरोक्त उल्लिखित उद्यम संबंधी ज्ञापन भाग–II की अभिस्वीकृति उद्योग विभाग द्वारा रद्द या प्रत्याहृत नहीं की गयी है तथा यह कि उद्यम उपरोक्त वस्तुओं का नियमित रूप से विनिर्माण कर रहा है।

(ग) मेरे/हमारे उद्यम के पास समस्त अपेक्षित संयत्र और मशीनरी है और उपरोक्त उल्लिखित वस्तुओं का विनिमार्ण करने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित है।

स्थान :–

हस्ताक्षर
स्वत्वधारी/निदेशक प्राधिकृत हस्ताक्षरी
मय रबर स्टाम्प एवं दिनांक

टिप्पण : यदि उपाप्त की जानी वाली/भाड़े पर ली जाने वाली वस्तुओं की लागत 1,00000/– रुपये (एक लाख रुपये) से अधिक हो जाती है तो उपापन संस्था से उत्पादन क्षमता का और यह कि गुणवत्ता नियंत्रण उपाय स्थापित किये गये हैं, के बारे में स्वयं के समाधान के लिए उत्पादन इकाई का निरीक्षण कराये जाने की अपेक्षा की जायेगी।

[प.1(8)वित्त/साविलेनि/2011]
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)

1. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 29.8.2018 द्वारा विद्यमान अभिव्यक्ति *''गत वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में कीमत अधिमानता प्रमाणपत्र के अनुसार''* के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, राजस्थान राजपत्र विशेषांक 4(ग)(I) दिनांक 4.9.2018 में प्रकाशित।
2. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 29.8.2018 द्वारा विद्यमान अभिव्यक्ति *''उद्यम इस अधिसूचना के अधीन कीमत अधिमानता या क्रय अधिमानता या दोनों के लिए पात्र है।''* के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, राजस्थान राजपत्र विशेषांक 4(ग)(I) दिनांक 4.9.2018 में प्रकाशित।

Finance (Financial Rules) Department

No. F.2(3)/FD/FR-SPFC/2025 Jaipur, dated:12.06.2026

NOTIFICATION

G.S.R. 18. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 33 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, in view of 'Ease of Doing Business', to ensure transparency and competition in public procurement as well as working towards 'Aatmanirbhar Bharat' and to ensure the best use of government fund in public interest, necessary for the promotion of domestic industry and for furtherance of socio-economic policy of the State Government, hereby notifies to the procuring entity to accord preference to goods and services manufactured in country (Make in India) in public procurement, in the following manner, namely :-

1. For the purpose of this notification,-

"(a) **"Class 1 Local Supplier"** means a supplier or service provider, whose goods, services offered for procurement, has local content equal to or more than 50% ;

(b) **"Local content"** means the amount of value added in India which unless otherwise prescribed by the Nodal Department, shall be the total value of item procured (excluding net domestic indirect taxes) minus the value of imported content in the item (including all customs duties) as a proportion of total value, in percent;

(c) **"Non-Class 1 supplier"** means a supplier or service provider, whose goods or services offered for procurement, has local content less than 50%;

(d) **"Non-MSE Class-I local supplier"** means a supplier or service provider, whose goods or services offered for procurement, has local content equal to or more than 50% and not belong to MSE category;and

(e) **"Margin of Purchase Preference'' -** the margin of purchase preference shall be 20%.

2. During the procurement process, for items not included in Schedule of Notification No. F.1(8)FD/GF&AR/ 2011 dated 19.11.2015, as amended from time to time, in case of the following category of bidders being declared as L-1, the distribution of subject matter of procurement shall be as follows :

L-1	Distribution
MSEs from Rajasthan	100% quantity order to be placed to the L-1 bidder subject to provisions of this Notification.
Class-I Local Supplier from outside Rajasthan	• 20% quantity order to be placed to the original lowest bidder enterprise. • For remaining 80% quantity, purchase preference shall be given to MSEs of Rajasthan as per provisions mentioned below.
Non-MSE Class-I local supplier from Rajasthan	• 50% quantity order to be placed to the original lowest bidder enterprise. • For remaining 50% quantity, purchase preference shall be given to MSEs of Rajasthan as per provisions mentioned below.
• Non-MSE Non-Class-I local supplier from Rajasthan • Non Class-I Local Supplier from outside Rajasthan	• 20% of quantity order to be placed to the original lowest bidder enterprise. • 40% of quantity, purchase preference shall be given to MSEs of Rajasthan as provisions mentioned below. • 40% of quantity purchase preference shall be given to eligible local sup whose quoted rates falling within the margin of purchase preference.

3. Purchase preference to eligible bidders shall be given in the following manner, subject to fulfillment of all required specifications and conditions of the bid :-

(i) opportunity shall be given to the eligible bidders to supply offered quantity. Within the offered quantity for procurement from Micro and Small Enterprises of Rajasthan, 4% of this quantity shall be earmarked for procurement from Micro and Small Enterprises of Rajasthan owned by member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe.

(ii) to exercise this option of Purchase Preference, a counter offer would be given to the eligible bidder, which has quoted the minimum rate among the eligible bidders, to match the overall lowest (L-1) rate received.

(iii) in case, the lowest eligible bidders does not agree to the counter offer as per sub clause (ii) above, or does not have the capacity to provide the entire bid quantity, the same counter offer shall be made to the next lowest bidder among the eligible bidders, in that order till the quantity to be supplied is met.

(iv) if the subject matter of procurement is non-divisible in nature, the contract shall be awarded to the original lowest bidder.

(Mahendra Mohan)
Joint Secretary to the Government.

अधिसूचना संख्याः एफ.2(1)एफ.डी/एस.पी.एफ.सी./2017 अगस्त 28, 2018

एस.ओ.134:– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 33 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं.21) की धारा 6 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि घरेलू उद्योग को प्रोन्नत करने के लिए राज्य के युवाओं में उद्यमिता के प्रोत्साहन और लोक उपापन में उनकी भागीदारी में वृद्धि करने के लिए राजस्थान में अवस्थित और युवाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स के लिए विगत अनुभव और वित्तीय पण्यावर्त से संबंधित अपेक्षित तकनीकी अर्हताओं में शिथिलीकरण मंजूर करके क्रय अधिमानता उपलब्ध करवाना आवश्यक है, इसके द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) में यथापरिभाषित उपापन संस्थाएं, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2011, दिनांक 19.11.2015 द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को मंजूर की गयी अधिमानता के अतिरिक्त, राजस्थान में स्थित स्टार्टअप्स को माल और सेवाओं के उपापन के लिए निम्नलिखित रीति में अधिमानता देगी, अर्थात् :–

(i) यदि, जहां उपापन की विषय–वस्तु का अनुमानित मूल्य, जैसा कि अनुसूची में उल्लिखित है, एक अवसर पर एक करोड़ रु. से अधिक नहीं है, वहां उपापन की विषय–वस्तु में किसी स्टार्टअप के अनुभव के वर्षों की संख्या और उपापन की विषय–वस्तु के मूल्य के संबंध में विगत कुछ वर्षों में स्टार्टअप के वित्तीय पण्यावर्त के संबंध में तकनीकी अर्हताएं अनुसूची में उल्लिखित विषय–वस्तु के उपापन के लिए साध्य सीमा तक समुचित रूप से शिथिल की जायेंगी। ऐसे समस्त मामलों में जिनमें स्टार्टअप्स को इस अधिसूचना में यथा उपबंधित शिथिलता नहीं दी गयी है, उनमें उपापन संस्था द्वारा करण लेखबद्ध किया जाना आज्ञापक होगा।

(ii) जब कभी, अनुसूची में उल्लिखित उपापन की विषय–वस्तु के संबंध में, उपापन, जहां उपापन का अनुमानित मूल्य एक अवसर पर एक करोड़ रुपये तक है वहां सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) का प्रतिनिधि राजस्थान लोक–उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 3 के अधीन गठित उपापन समिति का सदस्य होगा। ऐसा सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में उपनिदेशक की रैंक से नीचे का नहीं होगा; और –

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, –

(क) स्टार्टअप से औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा इस रूप में परिभाषित संस्था अभिप्रेत है और, तद्नुसार, जिसने भारत सरकार में सक्षम प्राधिकारी से उसके लिए मान्यता प्राप्त कर ली है और यह भी कि उक्त संस्था राजस्थान में स्थित है, या राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी, 2015 के अधीन राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा स्टार्टअप के रूप में अनुमोदित कोई संस्था अभिप्रेत है;

(ख) अनुसूची से इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है; और

(ग) युवा से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी राष्ट्रीय युवा नीति जो कि संबंधित उपापन संस्था द्वारा बोली दस्तावेज जारी किये जाने की तारीख को प्रवृत्त है, में यथा परिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है।

अनुसूची

अनुसूची में सम्मिलित मदों/क्रियाकलापों की सूची

1. मोबाइल एप्लीकेशन्स।
2. वेबसाइट्स।
3. वेब सक्षम एप्लीकेशन्स जिनमें, एफ एम एस की आवश्यकता नहीं है।
4. सर्विस डिलीवरी पाइन्ट्स/कियोस्क की स्थापना।
5. विषय–वस्तु प्रबंध।
6. सोशल मीडिया प्रबंध।

शासन सचिव

अधिसूचना संख्या : एफ.2(1)एफ.डी / एस.पी.एफ.सी. / 2017 अगस्त 30, 2018

एस.ओ.135 :– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 33 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं.21) की धारा 6 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि घरेलू उद्योग को प्रोन्नत करने के लिए और राज्य सरकार की सामाजिक–आर्थिक नीति को अग्रसर करने के लिए राज्य में युवाओं के मध्य उद्यमिता के प्रोत्साहन और लोक उपापन में उनकी भागीदारी में वृद्धि करने के लिए राजस्थान में स्थित और युवाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के लिए विगत अनुभव और वित्तीय पण्यावर्त से संबंधित अपेक्षित तकनीकी अर्हताओं में शिथिलीकरण मंजूर करके क्रय अधिमानता उपलब्ध करवाना आवश्यक है, इसके द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) में यथापरिभाषित उपापन संस्थाएं, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8) / एफ.डी. / जी.एफ.एण्ड ए.आर. / 2011, दिनांक 19.11.2015 द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को मंजूर की गयी अधिमानता के अतिरिक्त, राजस्थान में स्थित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को माल और सेवाओं के उपापन के लिए निम्नलिखित रीति में अधिमानता देगी, अर्थात् :–

(i) राजस्थान में स्थित और युवाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को उपापन की विषय–वस्तु में अनुभव के वर्षों की संख्या और उपापन की विषय–वस्तु के मूल्य के संबंध में विगत कुछ वर्षों में वित्तीय पण्यावर्त के संबंध में उपापन संस्था द्वारा तकनीकी अर्हताओं की अपेक्षा में शिथिलीकरण प्रदार कर के माल और सेवाओं के उपापन के लिए साध्य सीमा तक क्रय अधिमानता दी जायेगी।

(ii) ऐसे समस्त मामलों में जिनमें सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम को इस अधिसूचना में यथा उपबंधित अधिमानता नहीं दी गयी है, उनमें उपापन संस्था द्वारा कारण लेखबद्ध किया जाना आज्ञापक होगा।

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,–

(क) एस.मएस.एम.ई. से अधिसूचना संख्यांक एफ.1 (8) एफ.डी. / जी.एफ.एण्ड ए.आर. / 2011, दिनांक 19.11.2015 में परिभाषित संस्था अभिप्रेत है;

(ख) युवा से, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी राष्ट्रीय युवा नीति, जो कि संबंधित उपापन संस्था द्वारा बोली दस्तावेज जारी किये जाने की तारीख को प्रवृत्त है, में यथापरिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है।

शासन सचिव

महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं/परिपत्र/आदेश

क्रमांक : प. 1 (1) वित्त/साविलेनि/2007 **जयपुर, दिनांक : 29.3.2012**

विषय : e-procurement प्रणाली द्वारा खरीद प्रक्रिया हेतु।

वित्त विभाग द्वारा परिपत्र संख्या 2/2012 दिनांक 27.01.2012 (प्रति संलग्न) द्वारा समस्त राजकीय विभाग व स्वायत्तशासी संस्थानों में दिनांक 01.04.2012 से e-procurement के माध्यम से रू. 50 लाख से अधिक की खरीद के निर्देश जारी किए गए थे। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा GF&AR Part-II के नियम 38 (बी) में संशोधन आदेश जारी किए जा चुके हैं।

इसी अनुरूप समस्त स्वायत्तशासी संस्थान/स्थानीय निकाय/बोर्ड/निगम/पंचायत समिति/राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कम्पनी/सहकारी संस्थाएँ भी उनके संविधान के अन्तर्गत नियमों में संशोधन 15 दिवस में कराये जाने की व्यवस्था भी करावें।

इस संबंध में राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा समस्त विभागों/संस्थानों हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों/ठेकेदारों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करवाई जा चुकी है। जिन संस्थानों द्वारा उक्त सुविधा का लाभ अब तक नहीं लिया है वे e-procurement प्रक्रिया लागू कराने के साथ–साथ प्रशिक्षण का लाभ भी प्राप्त कर लेवे तथा इस हेतु Digital Signature विभाग के संबंधित अधिकारी/फर्मों के भी पंजीबद्ध करवायें जाने चाहिए। उक्त सुविधा के एवज में रू. 50 लाख से अधिक के टेण्डर कराने की दशा में RISL द्वारा निर्धारित Digital Signature cost व processing charges का भुगतान भी उन्हें देय होगा। इस हेतु संस्थान State e-procurement Portal का उपयोग भी टेण्डर प्रक्रिया हेतु संपादित करा सकेगा।

अतः समस्त स्वायत्तशासी संस्थान/बोर्ड/निगम/स्थानीय निकाय/पंचायत समिति/राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कम्पनी/सहकारी संस्थाएँ उक्त निर्देशों के अनुसार स्वयं के वित्तीय नियमों में सक्षम स्तर पर अनुमोदन/ संशोधन कराते हुए उक्त नियमों को तुरन्त प्रभावी करें।

शासन सचिव वित्त (बजट)

आदेश संख्याः प. 1(8) वित्त/साविलेनि/2011 **दिनांकः 11.7.2012**

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 50 के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा उपापन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ की स्थापना करती है जिसके प्रमुख अधिकारी शासन सचिव, वित्त (बजट) होगें । उक्त प्रकोष्ठ के सुचारू संचालन के लिए संयुक्त सचिव, वित्त (जीएण्डटी) को राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है । प्रकोष्ठ द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (2) व (3) में वर्णित कार्य सम्पादित किए जायेंगे ।

प्रमुख शासन सचिव, वित्त

परिपत्र क्रमांक : प.1(1)वित्त/साविलेनि/2007 दिनांक : 30.7.2012

राज्य सरकार के संवेदनशील, जवाबदेह एवं पारदर्शी शासन देने के संकल्प के क्रम में भण्डार क्रय नियम एवं निविदा प्रणाली में पारदर्शिता बढाने हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 पारित किया गया है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–।। के नियम 38 (B) के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य समस्त विभागों में एक अप्रेल, 2012 के बाद 50.00 लाख रुपये से अधिक की समस्त खरीद/निर्माण e-procurement से किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग हेतु यह सीमा 25.00 लाख रुपये निर्धारित है।

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 19/2011 दिनांक 30.9.2011 द्वारा सभी राजकीय विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों को e-procurement व्यवस्था हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। पुनः परिपत्र संख्या 2/2012 दिनांक 27.1.2012 द्वारा e-procurement सम्बन्धी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु स्मरण पत्र जारी किया गया। परिपत्र संख्या 9/2012 दिनांक 29.3.2012 द्वारा समस्त स्वायत्तशाषी संस्थान/बोर्ड/निगम/स्थानीय निकाय/पंचायत समिति/राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन कम्पनी/सहकारी संस्थान को e-procurement व्यवस्था हेतु स्वयं के वित्तीय नियमों में सक्षम स्तर पर अनुमोदन/संशोधन कराने हेतु निर्देश दिये गये थे।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा e-procurement को सफलतापूर्वक लागू करने हेतु समस्त विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों तथा ठेकेदारों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा सभी प्रकार की तकनीकी सहायता /मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि समस्त प्रयासों के उपरांत भी कतिपय विभागों/स्वायत्तशाषी संस्थानों में e-procurement हेतु समुचित व्यवस्था नहीं की गई है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–।। के नियम 38(B) का पालन नहीं किया जा रहा है।

समस्त राजकीय विभागों तथा स्वायत्तशाषी संस्थानों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 16.8.2012 से पूर्व अपने विभागीय अधिकारियों तथा ठेकेदारों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करावें तथा तकनीकी रूप से e-procurement व्यवस्था को लागू करना सुनिश्चित करें।

प्रमुख शासन सचिव, वित्त

परिपत्र क्रमांक : प.1(7)वित्त/साविलेनि/2011 **दिनांक : 12.9.2012**

राजकीय खरीद हेतु खुली निविदा आमंत्रण के क्रम में निविदा प्रपत्र बिक्री से प्राप्त राशि विभागों द्वारा विभाग के संबंधित राजस्व मद में जमा कराई जा रही है।

सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि परम्परागत खुली निविदा में भौतिक रूप से प्राप्त निविदाऐं अथवा e-procurement हेतु निविदा प्रपत्रों के विक्रय से प्राप्त राजस्व भविष्य में निम्न बजट मद में जमा कराया जावे –

बजट मद – 0075 – विविध सामान्य सेवाऐं
800 – अन्य प्राप्तियां
(52) – निविदा शुल्क
[01] – निविदा शुल्क की प्राप्तियां

निविदा प्रपत्र विक्रय से रोकड/ड्राफ्ट आदि रूप में प्राप्त राजस्व तथा e-procurement से प्राप्त राजस्व दोनों ही उपरोक्त बजट मद में जमा करावें। इस बजट शीर्ष के नियंत्रण अधिकारी निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर होंगे।

संयुक्त सचिव

परिपत्र क्रमांक : प.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 **दिनांक : 27.11.2012**

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012/नियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2012 को राज्य में शीघ्र ही लागू किया जा रहा है। उक्त अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत राज्य लोक उपापन पोर्टल बनाया गया है। उक्त पोर्टल पर उपापन संस्था उपापन से संबंधित सूचना को इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसार पोर्टल पर प्रकाशित करवायेगी।

राजस्थान लोक उपापन पोर्टल पर सूचनाओं को अपलोड करने हेतु आपके विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना है। उक्त नोडल अधिकारी से संबंधित विवरण संलग्न प्रपत्र संख्या एसपीपीपी/02 में भरकर ***caospfc@gmail.com*** पर ईमेल कराते हुये फैक्स नं. 0141–2227921 पर भी प्रेषित करें तथा एक अतिरिक्त प्रति संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जीएण्डटी) विभाग को दिनांक 04.12.2012 से पूर्व प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें। किसी भी अतिरिक्त जानकारी हेतु श्री भवानी शंकर शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त (जीएण्डटी) विभाग से मोबाईल नं. 9414047422 पर संपर्क किया जा सकता है।

इस हेतु समसंख्यक अ.शा.पत्र दिनांक 26.11.2012 द्वारा समस्त प्रशासनिक सचिवों को निवेदन किया गया है कि वे "पोर्टल पर सूचनाओं को अपलोड कराने हेतु आपके अधीनस्थ विभागाध्यक्षों एवं संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/

प्रबंध निदेशकों द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त कराया जाना है। अतः अनुरोध है इस हेतु संलग्न प्रपत्र संख्या SPPP/02 में भरकर caospfc@gmail.com पर ई–मेल कराते हुए इसकी प्रति नोडल अधिकारी संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जीएण्डटी) को शीघ्र भिजवाये जाने हेतु आपके स्तर से निर्देश जारी कराने का कष्ट करें।''

इसी प्रकार समस्त विभागाध्यक्षों को भी समसंख्यक पत्र दिनांक 26.11.2012 द्वारा निवेदन किया गया है।

समस्त प्रशासनिक सचिवों/विभागाध्यक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित समयावधि में वांछित सूचना प्रेषित कराना सुनिश्चित करेंगे।

संयुक्त सचिव

Circular No. : F.1(8)FD/G&T/2011 Dated : 19.12.2012

In connection with Circular No. 33/2012, F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 27.11.2012, it is mentioned that the circular already available at the website of Finance Department and was also sent via post to all of the Administrative Departments/HODs/PSUs/Commissions etc.

It is expected that Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 and Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2012 will soon come into force.

It is stated that those who have not provided the information required in the aforesaid circular are again requested to please provide the same in the desired format - SPPP/02 (copy enclosed) immediately, in absence of the same, it is not possible to provide the support for uploading information regarding procurement as per provisions of the Act.

It is also stated that the form no. SPPP/03 (copy enclosed), filled by procuring entities of the department/organisation and its attached and subordinate offices, shall be received by the Nodal Officer nominated by you. The Nodal Officer shall issue user id and password to the Procuring Entity for the cause of the procurement related information to be uploaded on the portal as required under Section 17 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012.

This is Most Urgent.

Form No.SPPP/02

Rajasthan State Public Procurement Portal

http://sppp.raj.nic.in

Application for creation of Nodal Officer Account

1.	Title* Mr./Mrs./Ms./Dr.
2.	First Name* : Middle Name : Last Name* :
3.	Designation* :
4.	E-mail ID* say abc@nic.in: (E-mail ID be used as Login ID)
5.	Name of Administrative Department*:
6.	Department*:
7.	Office Name* :
8.	Address 1* :
9.	Address 2 :
10.	District* :
11.	City* :
12.	State*:
13.	Pin code*:
14.	Phone* : +91 : STD No.
15.	Fax : +91: STD No.
16.	Mobile: +91-
17.	User Role : NODAL OFFICER

Signature of the Nodal Officer — Signature of Administrator

Name: — Name :
Date: — Date :
Seal : — Seal :

Note: The completed, signed and scanned form may please be sent to the e-mail-id.....................................An email will be sent confirming the creation of user account.

Disclaimer : The sole responsibility of the accuracy and validity of User Information/Contents in the Bid documents shall rest with the authorised user of the Account.

Instructions for Filling Up the Form

- * Kindly fill all fields in Capital letters
- * Email ID is used as Login ID in the portal. Please write your valid & working email ID.

Form No.SPPP/03

Rajasthan State Public Procurement Portal

http://sppp.raj.nic.in

Application for creation of Procurement Entity Account

1.	Title* Mr./Mrs./Ms./Dr.
2.	First Name* : Middle Name : Last Name* :
3.	Designation* :
4.	E-mail ID* say abc@nic.in: (E-mail ID be used as Login ID)
5.	Name of Administrative Department*:
6.	Department*:
7.	Office Name* :
8.	Address 1* :
9.	Address 2 :
10.	District* :
11.	City* :
12.	State*:
13.	Pin code*:
14.	Phone* : +91 : STD No.
15.	Fax : +91: STD No.
16.	Mobile: +91-
17.	User Role : PROCUREMENT ENTITY

Signature of the applicant

Name:
Date:

Signature of Nodal Officer

Name :
Date :
Seal :

Note: Requested bid administration accounts details will be communicated by email.

Disclaimer : This account is meant for publishing and maintaining the Bid information on Rajasthan State Public Procurement Portal. The sole responsibility of the accuracy and validity of User information/Contents in the Bid documents shall rest with the authorised user of the Account i.e. the concerned Bid Inviting Authority is responsible for Bid Administration. NIC shall be responsible only for ensuring the system performance and security.

Instructions for Filling Up the Form

* Kindly fill all fields in Capital letters
* Email ID is used as Login ID in the portal. Please write your valid & working email ID.

परिपत्र क्रमांक : प. 1 (8)वित्त/साविलेनि/2011 **दिनांक : 21.12.2012**

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012) राजस्थान राज्य विधान सभा द्वारा पारित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लोक उपापन से संबंधित मामलों की प्रविष्टि हेतु राज्य लोक उपापन पोर्टल (State Public Procurement Portal) (http://sppp.raj.nic.in) स्थापित किया गया है। उक्त अधिनियम, तत्संबंधी नियमों एवं मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन सूचनाओं को पोर्टल पर प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है।

राज्य सरकार के समस्त विभागों, संगठनों, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, सोसायटी, न्यास, स्वायत्त निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कोई निकाय दिनांक 01 जनवरी, 2013 से अधिनियम की धारा 17 में उल्लिखित समस्त सूचनाएं पोर्टल पर प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें। सूचनाओं को अपलोड करने हेतु सभी विभागों, संगठनों से नोडल अधिकारी की सूचना फार्म संख्या sppp/02 में चाही गई है। नोडल अधिकारियों को यूजर आईडी एवं पासवर्ड विभाग द्वारा जारी किया जायेगा। संबंधित विभाग अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों से sppp/03 में सूचना एकत्रित कर उन्हें यूजर आईडी एवं पासवर्ड आवंटन का कार्य संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा किया जाना है।

अतः संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि यूजर आईडी एवं पासवर्ड आवंटन का कार्य दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक पूर्ण किया जाकर दिनांक 01 जनवरी, 2013 से अनिवार्य रूप से सूचनाएं पोर्टल पर प्रकाशित की जावे।

शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग

परिपत्र क्रमांक : प. 1 (8)वित्त/साविलेनि/2011 **दिनांक : 26.12.2012**

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012) की धारा 17 के तहत राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल बनाया जाकर इस विभाग के परिपत्र संख्या 38/2012 दिनांक 21.12.2012 के द्वारा दिनांक 1.1.2013 से उक्त पोर्टल पर लोक उपापन (Goods, Works & Services) से संबंधित, Notice Inviting Bid (NIB) से लेकर कार्यादेश (Work Award) जारी कराने की प्रक्रिया एक्ट एवं नियमों के अनुसार पोर्टल पर प्रकाशित की जानी है।

इस हेतु समस्त विभागों/संस्थानों को नोडल अधिकारी घोषित कर sppp-2 प्रपत्र में सूचना इस कार्यालय को प्रेषित कराने हेतु परिपत्र क्रमांक 37/2012 दिनांक 19.12.2012 से लिखा जा चुका है। प्राप्त सूचनानुसार सम्बन्धित नोडल अधिकारियों को user ID एवं पासवर्ड जारी कराने की प्रक्रिया विभाग द्वारा प्रारंभ की जाकर आवंटित user ID एवं पासवर्ड संबंधित e-mail पर प्रेषित कर दिये हैं।

नोडल अधिकारी अपने अधीन उपापन संस्था को निम्न प्रक्रियानुसार user ID एवं पासवर्ड जारी करेंगे। सर्वप्रथम SPPP(State Public Procurement Portal) पर पहुचने के लिए web address "http://sppp.raj.nic.in" पर access करें। उक्त पोर्टल के Home Page के Open होने पर user help पर उपापन संस्थाओं को यूजर आईडी, पास वर्ड जारी करने की विस्तृत प्रक्रिया उल्लेखित हैं। इसके पश्चात् Home Page के मीनू बार के दाहिने हाथ पर साईन इन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर login creation window खुलेगी, इस window में user help पर दी गई प्रक्रियानुसार संबंधित नोडल अधिकारी अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ उपापन संस्था (HOD/HOO/DDO) जिसे एक्ट की धारा 3 की उपधारा 2 में उपापन संस्था (Procuring entity) कहा गया है, से भरवाये गये SPPP-3 की सूचना के अनुसार user ID व pass word जारी करने की कार्यवाही करेंगे। संबंधित उपापन संस्था एक्ट की धारा 17 के अनुसार नोडल अधिकारी द्वारा दिये गये user ID व password का प्रयोग करते हुए वांछित सूचना पोर्टल पर अपलोड करेगी। यदि सहवन से कोई गलत सूचना अपलोड की गई है तो संबंधित नोडल अधिकारी उस सूचना को पोर्टल से हटा कर परिवर्तन/संशोधन की सूचना पोर्टल पर भी डालेगा, साथ ही पोर्टल से अपलोड की गई कोई सूचना हटाने की कार्यवाही के कारण सहित वित्त (SPFC) विभाग को e-mail ID - caospfc@gmail.com पर प्रेषित करेंगे। इसके अतिरिक्त Procurring entity के परिवर्तन के कारण या अन्य कारण से user ID व password बदलना पडे तो यह कार्य नोडल अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जावेगा।

अतः समस्त विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों/बोर्ड/सोसायटी आदि से अपेक्षा है कि उक्त पोर्टल को उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार संधारण की कार्यवाही 1 जनवरी, 2013 से पूर्व निष्पादित कराये जाने की व्यवस्था करावें। उपापन नियम (Procurement Rules) लागू कराये जाने से पूर्व उक्त पोर्टल पर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से प्रोक्योरमेंट से संबंधित सूचनाओं को अपलोड किया जाना सुनिश्चित हो सके।

संयुक्त सचिव

अधिसूचना संख्या प.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 **दिनांक 24.1.2013**

जी.एस.आर. 217 : राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 1 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा 26 जनवरी, 2013 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

(राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग)(।।) दिनांक 24.1.2013 में प्रकाशित)

Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 Dated: 24.1.2013

G.S.R.217 : In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby appoints 26th January, 2013 as the date, on which all the provisions of said Act shall come into force.

Secretary to the Government, Finance (Budget)
(Published in Rajasthan Gazetted EO Part 4(Ga)(I) dated 24.1.2013)

अधिसूचना संख्या प.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 24.1.2013

जी.एस.आर.97 : राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 1 के उप–नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, 26 जनवरी, 2013 को, इसके द्वारा उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त नियम प्रवृत्त होंगे।

शासन सचिव, वित्त (बजट)
(राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 24.1.2013 में प्रकाशित)

Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 Dated: 24.1.2013

G.S.R.97 : In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 1 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government hereby appoints 26th January, 2013 as the date, on which said rules shall come into force.

Secretary to the Government, Finance (Budget)
(Published in Rajasthan Gazetted EO Part 4(Ga)(I) dated 24.1.2013)

परिपत्र क्रमांकः एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांकः 4.2.2013

जैसा कि आपको विदित है राजस्थान राजपत्र में जारी अधिसूचना दिनांक 24.01. 2013 द्वारा **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012)** एवं **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013)** राज्य में **दिनांक 26.01.2013 से प्रभावी** हो गये हैं। समस्त उपापन संस्थाएँ (Procurement Entities) जिसमें राज्य सरकार के समस्त विभाग, सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई भी राज्य पब्लिक सेक्टर उद्यम, संविधान द्वारा स्थापित या गठित कोई भी निकाय जिसके व्यय की पूर्ति राज्य की समेकित निधि से की जाती है, राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या सोसायटी या न्यास या स्वायत्त निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई निकाय, सम्मिलित है, के द्वारा सामग्री, सेवा, संकर्म (Works) के उपापन (Procurement) के मामलों में उक्त अधिनियम एवं नियमों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

उक्त अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत **राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ (State Procurement Facilitation Cell) का गठन किया जा चुका है।** उक्त प्रकोष्ठ का नोडल अधिकारी संयुक्त सचिव, वित्त (जीएण्डटी) विभाग को बनाया गया है यदि उपापन संस्था उक्त अधिनियम एवं नियमों के संदर्भ में कोई जानकारी की अपेक्षा रखती है तो प्रशासनिक विभाग के माध्यम से प्रकरण राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जा सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 में दिये गये प्रावधान के तहत **राज्य लोक उपापन पोर्टल (*http://sppp.raj.nic.in*) बना दिया गया है।** उपापन संस्था अधिनियम की धारा 17 (2) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पालना सुनिश्चित करावें।

उक्त अधिनियम के अध्याय 3 एवं नियमों के अध्याय 7 के अनुसार बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला (bidder or prospective bidder) उपापन प्रक्रिया के दौरान उपापन संस्था के किसी निर्णय, कार्रवाई या लोप, इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों के उपबन्धो के उल्लंघन में है तो वह अपील दाखिल कर सकेगा। इस संबंध में बोली दस्तावेजों, पूर्व अर्हता दस्तावेजों, रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में प्रथम अपील अधिकारी का पदाभिहित (designated) विनिर्दिष्ट (specified) उल्लेख उपापन संस्था द्वारा किया जाना आवश्यक है। *अतः, अधिनियम की धारा 3 (2) में उल्लिखित समस्त विभाग/संगठन अपने स्तर पर प्रथम अपील अधिकारी का निर्धारण कर वित्त विभाग को दिनांक 15 फरवरी, 2013 तक सूचित करें।* यहां यह उल्लिखित करना उपयुक्त होगा कि प्रथम अपील अधिकारी उपापन संस्था से एक स्तर उच्च होना आवश्यक है। द्वितीय अपील अधिकारी राज्य सरकार के विभागों के लिये संबंधित प्रशासनिक विभाग होगा। यदि प्रशासनिक विभाग स्वयं उपापन संस्था या प्रथम अपील अधिकारी है तो वित्त विभाग प्रथम/द्वितीय अपील अधिकारी होगा। ऐसे मामलों में जहां वित्त विभाग प्रथम अपील अधिकारी है तो द्वितीय अपील अधिकारी प्रकरण विशेष के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित (designated) किया जायेगा।

उक्त अधिनियम के अनुसार सामग्री, सेवा, संकर्म के उपापन के लिये स्टेण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेन्ट्स प्रक्रियाधीन है। अधिनियम की धारा 59 (Savings) के अनुसार इस अधिनियम में उपबन्धित सामग्री, सेवा एवं संकर्मो के उपापन से संबंधित समस्त नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचनायें, विभागीय संहिताएँ, निर्देशिकायें, उपविधियां, शासकीय ज्ञापन या परिपत्र जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को प्रवृत्त थे, उनके इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत होने की सीमा तक तब तक प्रवर्त बने रहेगें जब तक कि उनको इस अधिनियम के अधीन बनाये या जारी किये गये नियमों, मार्गदर्शक सिद्धान्तो, अधिसूचना या यथास्थिति आदेश द्वारा निरसित या अतिक्रमित नहीं कर दिया जाता। अतः, उक्त अधिनियम एवं नियमों के अनुसार सामग्री या सेवा के उपापन के लिये वर्तमान प्रचलित बिड दस्तावेज सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पार्ट II में दिये गये SR फार्म 14, 15, 16 और 17 तथा संकर्म के उपापन के लिये सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के अपेण्डिक्स XI में दिये गये वर्तमान प्रचलित दस्तावेज बोली दस्तावेजों के रूप में अधिनियम व नियमों के प्रावधानों की सीमा तक प्रयोग किये जा सकेगें, जब तक कि नवीन स्टेण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेन्ट्स जारी नहीं किये जाते है। तथापि **निम्नांकित संलग्नक (Annexures) वर्तमान प्रचलित बोली दस्तावेजों के साथ सम्मिलित करते हुये ही बिड दस्तावेज जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाये–**

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Annexure B : Declaration by Bidders regarding Qualifications

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

Annexure D : Additional Conditions of Contract

अतः प्रशासनिक विभाग अपने अधीन समस्त विभागो, कार्यालयों एवं संगठनो से उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः **Annexure A to D**

शासन सचिव, वित्त (बजट)

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ………………………. for procurement of ………………………. in response to their Notice Inviting Bids No…………… Dated………….. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date: Signature of bidder
Place: Name :
Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ______________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1
[See rule 83]
Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ………of ……………
Before the ……………………… (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
(i) Name of the appellant:
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
(i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Place ……………………………………
Date ……………………………………
Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of

procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

परिपत्र क्रमांकः एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011पार्ट।। दिनांक :1.3.2013

जैसा कि आपको विदित है राजस्थान राजपत्र में जारी अधिसूचना दिनांक 24.01.2013 द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013) राज्य में दिनांक 26.01.2013 से प्रभावी हो गये है। समस्त उपापन संस्थाएँ (Procurement Entities) जिसमें राज्य सरकार के समस्त विभाग, सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई भी राज्य पब्लिक सेक्टर उद्यम, संविधान द्वारा स्थापित या गठित कोई भी निकाय जिसके व्यय की पूर्ति राज्य की समेकित निधि से की जाती है, राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या सोसायटी या न्यास या स्वायत्त निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई निकाय, सम्मिलित है, के द्वारा सामग्री, सेवा, संकर्म (Works) के उपापन (Procurement) के मामलों में उक्त अधिनियम एवं नियमों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

परिपत्र संख्या 3/2013 दिनांक 4.2.2013 को परिपत्र जारी कर अन्य दिशा–निर्देश के साथ अधिनियम के अध्याय–III तथा नियमों के अध्याय VII के तहत अपील अधिकारी नियुक्त कर दिनांक 15.2.2013 तक सूचना प्रेषित करने का अनुरोध किया गया था।

खेद का विषय है कि आज दिनांक तक भी ज्यादातर विभागों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः पुनः अनुरोध है कि अधिनियम की धारा 3 (2) में उल्लिखित समस्त विभाग/संगठन अपने स्तर पर प्रथम अपील अधिकारी का निर्धारण कर वित्त विभाग को दिनांक 15 मार्च, 2013 तक सूचित करें। यहां यह उल्लिखित करना उपयुक्त होगा कि प्रथम अपील अधिकारी उपापन संस्था से एक स्तर उच्च होना आवश्यक है। द्वितीय अपील अधिकारी राज्य सरकार

के विभागों के लिये संबंधित प्रशासनिक विभाग होगा। यदि प्रशासनिक विभाग स्वयं उपापन संस्था या प्रथम अपील अधिकारी है तो वित्त विभाग प्रथम/द्वितीय अपील अधिकारी होगा। ऐसे मामलों में जहां वित्त विभाग प्रथम अपील अधिकारी है तो द्वितीय अपील अधिकारी प्रकरण विशेष के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित (designated) किया जायेगा।

अतः वांछित सूचना दिनांक 15 मार्च 2013 तक भिजवानें का श्रम करें ।

संयुक्त शासन सचिव

परिपत्र क्रमांकः 1(8) वित्त/साविलेनि) /2011 दिनांकः 05.03.2013

जैसा कि आपको विदित है राजस्थान राजपत्र में जारी अधिसूचना दिनांक 24.01. 2013 द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013) राज्य में दिनांक 26.01.2013 से प्रभावी हो गये है। समस्त उपापन संस्थाएँ (Procurement Entities) जिसमें राज्य सरकार के समस्त विभाग, सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई भी राज्य पब्लिक सेक्टर उद्यम, संविधान द्वारा स्थापित या गठित कोई भी निकाय जिसके व्यय की पूर्ति राज्य की समेकित निधि से की जाती है, राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या सोसायटी या न्यास या स्वायत्त निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई निकाय, सम्मिलित है, के द्वारा सामग्री, सेवा, संकर्म (Works) के उपापन (Procurement) के मामलों में उक्त अधिनियम एवं नियमों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

उक्त अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ (State Procurement Facilitation Cell) का गठन किया जा चुका है। उक्त प्रकोष्ठ का नोडल अधिकारी संयुक्त सचिव, वित्त (जीएण्डटी) विभाग को बनाया गया है यदि उपापन संस्था उक्त अधिनियम एवं नियमों के संदर्भ में कोई जानकारी की अपेक्षा रखती है तो प्रशासनिक विभाग के माध्यम से प्रकरण राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जा सकता है।

प्रकोष्ठ कार्यालय कमरा नम्बर 308 एवं 309, वित्त भवन में है। अतः भविष्य में इस प्रकोष्ठ से संबंधित समस्त पत्राचार निम्न पते पर किये जावें–

स्टेट उपापन सुविधा प्रकोष्ठ
(State Procurement Facilitation Cell)
कमरा नम्बर, 308
वित्त भवन, जनपथ,
जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

आदेश क्रमांक : प.1(7)वित्त/साविलेनि/2011 **दिनांक : 6.9.2013**

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत ई–टेण्डरिंग में टेण्डर फार्म फीस, बिड सिक्योरिटी, RISL की प्रोसेसिंग फीस e-payment के माध्यम से जमा कराये जाने हेतु अन्तरिम व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जाती है –

1. ई–पेमेंट से प्राप्त राशि के लेखांकन हेतु कोष, जयपुर (शहर) को Unified Treasury घोषित किया जाता है।
2. बैंको द्वारा e-scroll and Physical Scroll (राजकोष में निर्धारित) व चालानो की वांछित सूचना प्रपत्र 45–A में नियमित रूप से Unified Treasury को भेजी जावेगी। बैंक के द्वारा भेजे जाने वाले ऐसे चालानों में जमाकर्ता का विवरण अंकित नही किया जाकर सिस्टम जनरेटेड यूनिक रेफरेंस नंबर का उल्लेख किया जावेगा ताकि टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने वाले निविदादाताओं की गोपनीयता सुनिश्चित बनी रहे।
3. निविदा करने वाले कार्यालय से संबंधित कोष द्वारा बैंक स्क्रोल में प्राप्त ट्रेजरी कोड एवं यूनिक रेफरेंस नम्बर के आधार पर Ty.32 में जमा राशि का इंद्राज किया जायेगा जो यूनिफाईड कोष की सूचना पर आधारित होगा।
4. उपापन संस्था निविदा खोलने से पूर्व उक्त प्रकिया से नियमानुसार वांछित राशि जमा होने की पुष्टि कर लेगी इस हेतु ट्रेजरी वाउचर नंबर से भी पुष्टि की जावेगी।
5. उपापन संस्था के द्वारा असफल निविदादाता की बिड सिक्युरिटी को संबंधित कोष कार्यालय के मार्फत ही लौटाया जावेगा। इस हेतु कोष द्वारा चालान के यूनिक रेफरेंस नंबर की कोष कार्यालय के अभिलेख से पुष्टि की जाएगी। रिफण्ड का कार्य कोष में पूर्व प्रचलित प्रावधान व प्रक्रिया के अनुसार ही किया जावेगा, किन्तु कोष कार्यालय द्वारा सिस्टम से प्राप्त रेफरेंस नम्बर से भी पुष्टि सुनिश्चित की जावेगी।
6. RISL की प्रोसेसिंग फीस कोष कार्यालय के अभिलेख में पृथक् से सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DOIT) के राजस्व मद में जमा की जाएगी। DoIT द्वारा आवश्यक प्रावधान करवाकर राशि का आहरण कर RISL को डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से भुगतान की जाएगी।

उक्त अन्तरिम व्यवस्था महालेखाकार राजस्थान से प्राप्त अनुमति अनुसार 25 नमूना निविदा प्रक्रियाओं हेतु निर्धारित की जा रही है।

परीक्षण उपरांत सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, महालेखाकार राजस्थान, जयपुर से अनुमोदन प्राप्त करेगा तथा तदानुसार अन्तिम व्यवस्था निर्धारित की जाएगी।

शासन सचिव वित्त (बजट)

परिपत्र क्रमांक : प. 1 (8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक : 4.10.2013

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अनुसार उपापन संस्थाओं द्वारा रुपये एक लाख एवं इससे ज्यादा के उपापन (Procurement) को एक्ट की धारा 17 के अनुसार पोर्टल पर प्रदर्शित कराया जाना आवश्यक है।

इस हेतु विभागों/संगठनों द्वारा Nodal Officer नामित करने से सम्बन्धित निम्न पत्र/परिपत्र पूर्व में जारी किये गये हैं–

1. परिपत्र संख्या 33/2012 दिनांक 27.11.2012
2. परिपत्र संख्या 37/2012 दिनांक 19.12.2012
3. परिपत्र संख्या 38/2012 दिनांक 21.12.2012
4. परिपत्र संख्या 39/2012 दिनांक 26.12.2012
5. परिपत्र संख्या 03/2013 दिनांक 04.02.2013

किन्तु कतिपय विभागों द्वारा आदिनांक तक Nodal Officer नामित नहीं किया गया है जिससे ऐसे विभागों द्वारा prescribed सूचना "http://sppp.raj. nic.in" पोर्टल पर प्रदर्शित करने में समस्या आना स्वाभाविक है।

अतः ऐसे समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों से अपेक्षा है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालय/संगठनों के क्रम में सुनिश्चित करें कि वित्त विभाग की website "http://sppp.raj.nic.in" पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियम व परिपत्रों, अधिसूचनाओं के अनुसार ही procurement की कार्यवाही की जाए तथा अधिनियम की धारा 19(2) के अनुसार टेण्डर प्रक्रिया से संबंधित सूचना आवश्यक रूप से अपलोड की जाए।

शासन सचिव वित्त (बजट)

परिपत्र क्रमांक : एफ.4(2)वित्त/एसपीएफसी/2013 दिनांक : 30.1.2014

प्रायः देखा गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर बोली आमंत्रित करने वाला नोटिस (N.I.B.), बिड दस्तावेज संशोधन, स्पष्टीकरण, शुद्धिपत्र के अलावा उपापन से संबंधित अन्य अपेक्षित सूचनाएं अपलोड नहीं की जाती हैं, जबकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 4 के प्रावधानानुसार प्रत्येक उपापन संस्था को राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर उपापन से संबंधित अपेक्षित सूचना अपलोड कर प्रकाशित करना अनिवार्य है।

अतः सभी उपापन संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 17(3) के अनुसार यथा अपेक्षित उपापन से संबंधित सूचनायें, यथाः बोली आमंत्रण नोटिस, पूर्व–अहर्ता दस्तावेज, बोली लगाने वालों के रजिस्ट्रीकरण

दस्तावेज, बोली दस्तावेज तथा उसके संशोधन, स्पष्टीकरण, शुद्धिपत्र, बोली लगाने वालों की सूची, कारण सहित अपवर्जित बोली लगाने वालों की सूची, सफल बोलियों का, उनकी कीमतों का और बोली लगाने वालों का ब्यौरा, बोली की स्वीकृति/अवार्ड/निरस्तीकरण, बोली लगाने वालों, जिन्हें राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया है, की विशिष्टयां, साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन कार्यवाही का कारण, अपील एवं उपापन कार्यवाही को रोकने से संबंधित सूचना, आदि राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर अपलोड करना सुनिश्चित करावें।

संयुक्त शासन सचिव

Circular No. : F.1(8)FD/G&T/2014 Dated : 24.7.2014

As you are well aware that Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 and Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 have come into force on 26 January, 2013. In this regard, it would be pertinent to reiterate that publishing of procurement related information/documents on State Public Procurement Portal, i.e. http://sppp.raj.nic.in, as per the provisions of the said Act and Rules, is mandatory.

In this continuation, Finance Department has been pursuing with the Departments continuously so that the nomination of Nodal Officers under all Head of the Departments in the State, is done on priority, but, even till data, information for the nomination of the Nodal officers is yet to be received from various Departments of the State.

This is to bring to your kind notice that any delay in the nomination of Nodal Officer for Departments would adversely affect the mandatory requirements to be fulfilled by the Departments under the said Act and Rules. Hence, you are again requested to ensure that Nodal Officer for the Department is nominated immediately, under intimation to State Procurement Facilitation Cell (SPFC), Finance Department in the prescribed Form no.SPPP/02, and a scanned soft copy of the same be also sent to email id *caospfc@gmail.com.*

This is clarified that any Gazetted Officer serving in the Department can be nominated as Nodal Officer for that Department. Further, if considered necessary for administrative convenience at the Department level, one IT personnel of the Department may be directed to provide IT assistance to the Nodal Officer for uploading of/verification of the documents on the said portal as per Section 17 of the said Act.

In case of transfer, retirement etc. of the Nodal Officer of a Department, another officer should be immediately nominated to take the charge of the outgoing Nodal Officer so as to ensure that the mandatory requirements under the said Act and Rules are not adversely affected.

The duties and responsibilities of the Nodal Officer shall be as under :

1. The Nodal Officer shall coordinate to ensure that all documents related to procurement process, as provided in Section 17 of RTPP Act, 2012, are duly uploaded on State Public Procurement Portal;
2. The Nodal Officer shall ensure, on priority, the allotment of user id and password to attached and/or subordinate offices as procuring Entities, after having received the required information in the prescribed Form no. SPPP/03;
3. The Nodal Officer shall coordinate regularly with the Procuring Entities in the Department/attached offices/subordinate offices and attempt to resolve any issues that may arise related to uploading of procurement related documents on the said portal.
4. In case of any queries, the Nodal Officer shall immediately contact SPFC, Finance Department telephonically (0141-2743455, 0141-2177720) and/or through email caospfc@gmail.com for necessary clarifications. Exclusive Helpline numbers for the purpose shall also be notified shortly to the Departments.
5. The Nodal Officer of the Department shall be the single point of contact for Finance (SPFC) Department in all matters of that Department related to the said portal.
6. The Nodal Officer shall also arrange to submit a certificate on 15 April and 15 October of every year in the prescribed format (Annex.A), on email caospfc@gmail.com certifying that the all procurements made by different Procuring Entities of the Department concerned in the last six months have been done in accordance with the RTPP Act and Rules.

This is hereby re-emphasized that it is mandatory to publish the prescribed documents related to the procurement process on the official portal i.e. http://sppp.raj.nic.in and the Nodal Officer of the Department shall be under the obligation to coordinate for the same.

The Head of the Departments are again requested to accord highest priority for nomination of the Nodal Officer for their respective Department.

Special Secretary, Finance (Budget)

अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफडी/जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक : 5.6.2015

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 28 की उप–धारा (1) के खण्ड (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना

समीचीन है, इसके द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उपापन संस्था, उक्त उप–धारा में विनिर्दिष्ट पद्धतियों के अतिरिक्त, उपापन की किसी विषय–वस्तु को स्विस चैलेन्ज पद्धति अर्थात् उपापन की ऐसी पद्धति जिसमें किसी सरकारी परियोजना के लिए एक अनपेक्षित प्रस्ताव अन्तर्वलित हो और जो तीसरे पक्षकारों को खुली बोली के माध्यम से मूल प्रस्ताव को चुनौती देने की अनुमति प्रदान करती हो और तब मूल प्रस्तावक को, सर्वाधिक लाभप्रद या सर्वाधिक प्रतियोगी प्रस्ताव का प्रति–मिलान करने की सुविधा प्रदान करती हो, द्वारा भी उपाप्त कर सकेगी।

विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)
(राज.राजपत्र विशेषांक भाग 1(ख) दिनांक 5.6.2015 मे प्रकाशित)।

Notification No. : F.1(8)FD/GF&AR/2014 Dated : 5.6.2015

In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (1) of section 28 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest, hereby notifies that the procuring entity may procure a subject matter of procurement, in addition to the methods specified in said sub-section, by method of Swiss Challenge, i.e. a method of procurement which involves an unsolicited proposal for a government project and allows the third parties to challenge the original proposal through open bidding and then lets the original proponent counter-match the most advantageous or the most competitive offer.

Special Secretary to Govt.,Finance (Budget)
(Published in Raj.Gazette EO Part 1(Kha) dated 5.6.2015)

अधिसूचना संख्या : एफ.1(8)एफडी/जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक : 28.8.2015

जी.एस.आर. 81:– यतः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 17 के उप–नियम (1) के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 31 के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार के विभागों या इससे संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों की दशा में, कोई उपापन संस्था वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अध्यधीन रहते हुए, बारह मास की अधिकतम कालावधि के लिए और प्रत्येक मामले में पांच लाख रुपये की वित्तीय सीमा तक, एकल स्त्रोत पद्धति के माध्यम से परामर्शी या वृत्तिक की सेवाएं किराये पर ले सकेगी और समस्त अन्य उपापन संस्थाओं की दशा में, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अध्यधीन रहते हुए, उपर्युक्त सीमा प्रत्येक मामले में बारह लाख रुपये होगी;
और यतः राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि., जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर विद्युत वितरण निगम

लि. और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. सरकारी कंपनियां हैं और राज्य सरकार उक्त शक्ति वितरण कंपनियों के लिए वित्तीय पुनःसंरचना योजना (वि.पु.यो.) के लिए पहले ही अपनी सहमति दे चुकी है और वित्तीय पुनःसंरचना योजना के उपबंधों के अनुसार उक्त कंपनियों को वित्तीय सहायता दे चुकी है, किंतु उक्त कंपनियों की वित्तीय स्थिति अब तक संतोषजनक नहीं है। राज्य सरकार के साथ ही उक्त कंपनियां भी, उक्त कंपनियों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए प्रयासरत हैं। वित्तीय पुनःसंरचना योजना के अधीन उनके कर्तव्यों के पालन के अनुक्रम में, उक्त कंपनियों के लिए विशेषज्ञीय सेवाएं अपेक्षित हैं।

अतः अब, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 58 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि., जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 31 के लागू किये जाने से और राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 17 के उप–नियम (1) के अधीन विहित वित्तीय सीमाओं से, इसके द्वारा 31.7.2018 तक छूट देती है, अर्थात् :–

(i) यह कि उक्त छूट परामर्शी या वृत्तिक को किराये पर लेने से संबंधित सेवाओं के उपापन तक सीमित होगी;

(ii) यह कि उक्त छूट प्रत्येक मामले में अधिकतम पचास लाख रुपये के उपापन तक सीमित होगी;

(iii) यह कि उक्त छूट के अधीन उपापन पूर्ण पारदर्शिता के साथ और प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जायेगा;

(iv) यह कि प्रशासनिक विभाग के अधीन पदस्थापित राजस्थान लेखा सेवा का वरिष्ठतम सदस्य, वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में, सेवाओं के उपापन के लिए गठित प्रत्येक समिति का सदस्य होगा।

विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)
(राज.राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 1.9.2015 मे प्रकाशित)।

Notification No. : F.1(8)FD/GF&AR/2014 **Dated : 28.8.2015**

G.S.R.81.-Whereas under the provisions of section 31 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No.21 of 2012), read with sub-rule (1) of rule 17 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, in case of departments of State Government or its attached or subordinate offices, a procuring entity may hire the services of consultant or professional through single source method for a maximum period of twelve months and upto financial limit of rupees five lakhs in each case, subject to delegation of financial powers and in case of all other procuring entities, above limit shall be repees twelve lakhs in each case, subject to delegation of financial powers;

And whereas the Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd., Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd., Jaipur Vidyut Vitaran Nigam Ltd., Ajmer Vidyut Vitaran Nigam Ltd., and Jodhpur Vidyut Vitaran Nigam Ltd. are Government Companies and the State Government has already given its consent for financial restructuring plan (FRP) for the said power distribution companies and extended financial support to the said companies according to the provisions of the financial restructuring plan, but the financial position of the said companies is still not satisfactory. The State Government as well as the said companies are trying to improve the financial position of the said companies. In order to perform their duties under the financial restructuring plan, these companies require specialized consultancy services;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government is satisfied that it is necessary in public interest so to do, hereby exempts the Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd., Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd., Jaipur Vidyut Vitaran Nigam Ltd., Ajmer Vidyut Vitaran Nigam Ltd., and Jodhpur Vidyut Vitaran Nigam Ltd. from application of the section 31 of the said Act and from financial limits prescribed under sub-rule (1) of rule 17 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, upto 31.07.2018, on the following conditions, namely :-

(i) that the said exemption shall be limited to the procurement of services pertaining to hiring of consultants/professional;

(ii) that the said exemption shall be limited to the procurement of maximum of rupees fifty lakhs in each case;

(iii) that the procurement under the said exemption shall be done with full transparency and as per guidelines approved by the Administrative Department;

(iv) that the senior most member of Rajasthan Accounts Service, posted under the Administrative Department, shall be a member of every committee formed for procurement of services, as representative of Finance Department.

Special Secretary to Govt.,Finance (Budget)
(Published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(I) dated 1.9.2015)

परिपत्र क्रमांक : एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2014 दिनांक : 31.8.2015

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43 के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था खुली प्रतियोगी बोली (Open Competitive Bidding) एवं द्वि–प्रक्रमी बोली (Two Stage Bidding) में बोलियों की, या जहां लागू हो, पूर्व अर्हता/बिड आमंत्रण का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल और उसकी स्वयं की शासकीय वेबसाईट, यदि उपलब्ध हो, पर करेगी। साथ ही इस नियम के उप नियम (6) और (7) में यथा–विहित पर्याप्त परिचालन वाले समाचार–पत्रों में एक संक्षिप्त नोटिस भी प्रकाशित किया जायेगा। इसी प्रकार राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 29 (5) में प्रावधानानुसार किसी खुली प्रतियोगी बोली के मामले में, कोई उपापन संस्था, राज्य लोक उपापन पोर्टल पर बोली का आमंत्रण प्रकाशित करके और कम से कम एक ऐसी अन्य रीति से, जो विहित की जाये, बोलियां आमंत्रित करेगी।

यह देखा गया है कि कई उपापन संस्थाओं द्वारा बोलियों का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल पर नहीं किया जा रहा है एवं अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा विलंब से बोली सूचनाओं का प्रकाशन पोर्टल पर किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि उपापन संस्थाएं समाचार–पत्रों में बोली आमंत्रण सूचना (N.I.B.) प्रकाशन हेतु भेजते समय प्रायः इस भ्रम में रहती है कि नियमों में प्रावधित न्यूनतम समय सीमा की गणना किस तिथि से की जाए क्योंकि समाचार पत्रों में NIB प्रकाशन की तिथि निश्चित नहीं होती।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 29 (5) के अन्तर्गत राज्य लोक उपापन पोर्टल (sppp.rajasthan.gov.in) पर प्रकाशित NIB को ही प्रथम प्रकाशन माना जाएगा और नियमानुसार निर्धारित समय सीमा की गणना पोर्टल पर उक्त प्रकाशन की तिथि, जो कि स्पष्टतया निश्चित है, से ही की जाएगी। प्रत्येक उपापन संस्था द्वारा समाचार पत्रों में नियम 43 के अन्तर्गत NIB के प्रकाशन हेतु भेजते समय पोर्टल पर किए गए NIB के प्रकाशन का उल्लेख भी किया जाना अनिवार्य होगा। समाचार–पत्र में संक्षिप्त बोली आमंत्रण नोटिस का प्रकाशन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43(6), (7) एवं (8) में दर्शायी गयी प्रचार की रीतियों के अनुसार किया जाना भी आवश्यक है।

समस्त विभागों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं/निगम/बोर्ड/सोसायटी आदि समस्त उपापन संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि उक्तानुसार कार्रवाई कर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों की पालना कराई जाए।

विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (बजट)

अधिसूचना संख्या : प.1(8)एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक : 16.9.2015

जी.एस.आर.91 : राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 5 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 28 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा घोषित करती है कि उपापन के निम्नलिखित प्रकारों में इलेक्ट्रोनिक उपापन का अंगीकरण अनिवार्य होगा, अर्थात् :–

1. पच्चीस लाख रुपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले माल और सेवाओं के उपापन।
2. दस लाख रुपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले संकर्मों के उपापन।

विशिष्ट शासन सचिव

(राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 17.9.2015 में प्रकाशित)

Notification No. : F.1(8)FD/GF&AR/2011 Dated : 16.9.2015

GSR 91. - In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 28 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 5 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government hereby declares that the adoption of electronic procurement shall be compulsory in following types of procurement, namely :-

1. Procurement of Goods and Services having estimated value of rupees twenty five lakhs or more.
2. Procurement of Works having estimated value of rupees ten lakhs or more.

Special Secretary to the Government

(Published in Rajasthan Gazette Ext. Ord. Pt.4 (Ga)(I) dated 17.9.2015)

अधिसूचना संख्या : प.1(8)एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक : 31.8.2016

एस.ओ.69 : राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 5 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 28 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 16 सितम्बर, 2015 को अतिष्ठित करते हुए, इसके द्वारा घोषित करती है कि उपापन के निम्नलिखित प्रकारों में इलेक्ट्रोनिक उपापन का अंगीकरण अनिवार्य होगा, अर्थात् :–

1. दस लाख रुपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले माल और सेवाओं के उपापन; और
2. पांच लाख रुपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले संकर्मों के उपापन।

यह अधिसूचना 01 सितम्बर, 2016 से प्रवृत्त होगी।

शासन सचिव

(राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(II) दिनांक 31.8.2016 में प्रकाशित)।

Notification No. : F.1(8)FD/GF&AR/2011 Dated : 31.8.2016

S.O. 69. - In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 28 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 5 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, in supersession of this department's notification number F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 16 September, 2015, hereby declared that the adoption of electronic procurement shall be compulsory in following types of procurement, namely :-

1. Procurement of Goods and Services having estimated value of rupees ten lakh or more; amd

2. Procurement of Works having estimated value of rupees five lakh or more.

This notification shall come into force with effect from 01st September, 2016.

Secretary to the Government

(Published in Rajasthan Gazette Ext. Ord. Pt.4 (Ga)(II) dated 31.8.2016)

परिपत्र क्रमांक : एफ.7(5)वित्त/एसपीएफसी/2013 दिनांक : 27.9.2016

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियम राज्य में दिनांक 26 जनवरी, 2013 से लागू हो चुके हैं। इस अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत लोक उपापन में पारदर्शिता को उपापन प्रक्रिया के अनिवार्य घटक के रूप में माना गया है। कतिपय प्रकरणों में यह देखा गया है कि उपापन संस्थाओं द्वारा राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर केवल बोली आमंत्रण सूचना (NIB) को ही प्रकाशित किया जा रहा है, जबकि राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जाने वाली सूचनाओं/दस्तावेजों के प्रकाशन के संबंध में समय–समय पर इस विभाग द्वारा परिपत्र जारी कर निर्देशित किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अभी तक भी कतिपय उपापन संस्थाओं द्वारा उपापन से संबंधित समस्त अपेक्षित आवश्यक सूचनाओं का राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशन नहीं किया जाना गम्भीर विषय है।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17 के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था द्वारा उपापन से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं राज्य लोक उपापन पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी:–

1. पूर्व–अर्हता दस्तावेज, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज, बोली दस्तावेज तथा उसके संशोधन, स्पष्टीकरण जो बोली–पूर्व सम्मेलन के अनुसरण में हो, और उसके शुद्धि–पत्र,
2. पूर्व–अर्हता या, यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण के दौरान सहित बोली लगाने वालों की सूची, जिन्होंने बोली लगायी है,
3. पूर्व–अर्ह और, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची,
4. धारा 25 के अधीन, कारण सहित अपवर्जित बोली लगाने वालों की सूची,
5. धारा 38 और 39 के अधीन विनिश्चय,
6. सफल बोलियों का, उनकी कीमतों का और बोली लगाने वालों का ब्यौरा,
7. बोली लगाने वालों, जिन्हें राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया हैं, कि विशिष्टयां, साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन कार्रवाई का कारण और विवर्जन की कालावधि,

8. कोई अन्य सूचना, जो विहित की जाये।

कतिपय मामलों में यह भी देखने में आया है कि जिन मामलों में ई–बिड आमंत्रित की जाती है, वहां उपापन संस्थाओं द्वारा केवल ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ही बिड का प्रकाशन किया जाता है परन्तु राज्य लोक उपापन पोर्टल पर नहीं किया जाता है अथवा केवल बोली आमंत्रण सूचना (NIB) का ही प्रकाशन किया जाता है एवं इसके पश्चात् आवश्यक दस्तावेज यथा बिड डाक्युमेन्ट आदि का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल पर नहीं किया जाता है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक के उपापनों के लिए ई–प्रोक्योरमेंट मात्र उपापन का इलेक्ट्रोनिक माध्यम है। अतः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार राशि रू. एक लाख या इससे अधिक के उपापनों के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित पूर्ण उपापन कार्यवाही का राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशन किया जाना बाध्यकारी है और यह पूर्णतया सम्बन्धित उपापन संस्था का ही दायित्व है।

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1(8)/वित्त/जीएण्डटी/2014, दिनांक 24.7.2014 (परिपत्र क्रमांक 1/2014) द्वारा नोडल अधिकारी के कर्तव्यों में अन्य कार्यों के अतिरिक्त उनके विभाग के अधीन समस्त उपापन संस्थाओं द्वारा इस अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत प्रावधित समस्त वांछित दस्तावेज राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशन किये जाने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रत्येक छमाही (15 अप्रेल एवं 15 अक्टुबर तक प्रेष्य) में भिजवाने बाबत् निर्देशित किया गया है। अतः समस्त विभागाध्यक्ष अपने अधीन समस्त उपापन संस्थाओं बाबत् उक्त प्रमाण पत्र नोडल अधिकारियों के माध्यम से cao.spfc@rajasthan.gov.in पर दिनांक 15 अप्रेल एवं 15 अक्टुबर तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि उक्त प्रावधानों की पालना हो सके।

अतः समस्त उपापन संस्थाएँ राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17 में प्रावधित सूचनाओं/दस्तावेजों का प्रकाशन अनिवार्य रूप से राज्य लोक उपापन पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें। यदि राज्य लोक उपापन पोर्टल पर नियमानुसार दस्तावेजों एवं सूचनाओं को प्रकाशित नहीं किया जाता है तो यह राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 का उल्लंघन होगा जिसके लिए सम्बन्धित उपापन संस्था के उत्तरदायी अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही के साथ–साथ इस अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत प्रावधित शास्तियों से दण्डित करने संबंधी कार्यवाही नियन्त्रणाधिकारी द्वारा अविलम्ब की जाए।

अधिसूचना संख्या : एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक : 28.10.2016

एस.ओ. 88 :– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में विकासात्मक कार्यों का दक्ष, प्रभावी और उन्नत निष्पादन सुनिश्चित किये जाने के लिए मान्यताप्राप्त कार्यकारी अधिकरणों से भिन्न विश्वसनीय संगठनों को अन्तर्वलित किया जाना आवश्यक है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पैनल में सम्मिलित किये गये गैर–सरकारी संगठनों से, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के अधीन गठित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जिम्मे लिये गये उपापन को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) के उपबन्धों की प्रयोज्यता से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

शासन सचिव
(राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग)(II) दिनांक 28.10.2016 में प्रकाशित)

Notification No. : F.1(8)/FD/GF&AR/2011 Dated : 28.10.2016

S.O.88. - In exercise of the powers conferred by section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government, being of the opinion that it is necessary to involve credible organizations, other than recognized executing agencies, in order to ensure efficient, effective and innovative execution of developmental works in public interest so to do, hereby, exempts the procurement from non-governmental organizations empanelled by Rural Development and Panchayati Raj Department, Government of Rajasthan undertaken by Panchayati Raj Institutions, constituted under Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), from the application of the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012).

Secretary to Government
(Published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(II) dated 28.10.2016)

क्रमांकः एफ.4(1)वित्त/एसपीएफसी/2013 दिनांक : 28.10.2016

विषय : राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) के नवीन वर्जन के उपयोग एवं प्रशिक्षण के संबंध में।

जैसा कि विदित है इस विभाग द्वारा दिनांक 29.9.2016 से राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) का नवीन वर्जन लागू किया गया है जिसमें उपापन से संबंधित सूचनाओं/दस्तावेजों को प्रकाशित किए जाने हेतु यूजर फ्रेण्डली नवीन फीचर्स सम्मिलित किये गये हैं। पोर्टल के नवीन वर्जन के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं हेण्ड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए राज्य के विभागों में पदस्थापित वित्तीय सलाहकारों/वरिष्ठतम लेखा सेवा अधिकारियों, SPPP के लिए नामित नोडल अधिकारियों एवं तकनीकी अधिकारियों के लिए दिनांक 17.10.2016 से 28.10.2016 तक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (Training of Trainers) कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगभग समस्त विभागों के अधिकारीगण ने अच्छे तरीके से व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके द्वारा अच्छा फीडबैक दिया गया है। वित्त विभाग अब सभी विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षा करता है कि वे इन प्रशिक्षित अधिकारीगण के माध्यम से विभाग में कार्यरत समस्त उपापन संस्थाओं के अधिकारियों/कार्मिकों को SPP Portal के उपयोग बाबत् प्रशिक्षण प्रदान करें।

वित्त विभाग सभी जिला कोषाधिकारियों को भी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (Training of Trainers) प्रदान किया गया है ताकि वे जिला स्तर पर उपापन संस्थाओं के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन प्रदान कर सकें।

इस पोर्टल में एक नवीन फीचर यह भी सम्मिलित किया गया है कि उपापन संस्था को किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण (SPP Portal/eProcurement Portal/RTPP Act and Rules बाबत्) की आवश्यकता महसूस होती है तो वे उच्चाधिकारियों को ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज सकती है। उपापन संस्थाएं इस हेतु SPP Portal पर उपलब्ध चेन्ज रिक्वेस्ट फॉर्म (CRF) के माध्यम से अपने नोडल अधिकारी को प्रशिक्षण दिए जाने हेतु ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नोडल अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वे अपने अधीन उपापन संस्थाओं को पोर्टल के उपयोग के संबंध में प्रशिक्षित करे।

किसी भी विभाग में यदि इस संबंध में कोई कठिनाई महसूस होती है अथवा और प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस होती है तो ईमेल (cao.spfc@rajasthan.gov.in) के माध्यम से राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ से अनुरोध कर सकते हैं।

चूंकि राज्य लोक उपापन पोर्टल पर सूचनाएं/दस्तावेज प्रकाशन किए जाने का अनिवार्य प्रावधान है, अतः सभी विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विभाग में नोडल अधिकारी के माध्यम से विभाग में कार्यरत समस्त उपापन संस्थाओं का पंजीयन पोर्टल पर कराया जाकर 15 दिवस में वित्त (SPFC) विभाग को ईमेल के माध्यम से सूचित करावें।

शासन सचिव वित्त (बजट)

परिपत्र क्रमांक : एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 **दिनांक 21.12.2016**

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 के अन्तर्गत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील प्रस्तुत करने हेतु विषद प्रावधान दिए हुए हैं। इस क्रम में प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों के निर्धारण के संबंध में वित्त (G&T) विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 04.02.2013 जारी किया गया था।

कतिपय मामलों में यह वित्त विभाग के ध्यान में आया है कि उक्त धारा 38 के अन्तर्गत बोली दस्तावेजों में प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को निर्धारण करने के पश्चात् यदि प्रशासनिक कारणों से प्रथम अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी हेतु विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का पद समाप्त हो जाता है अथवा वह पद रिक्त हो जाता है और किसी अन्य अधिकारी के पास उक्त रिक्त पद का कार्यभार नहीं रहता है, ऐसी स्थितियों में अपीलीय अधिकारी के पुनः निर्धारण की समस्या उत्पन्न हो जाती है ।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश प्रसारित किए जाते हैं कि किसी भी अपीलीय प्राधिकारी का पद रिक्त होने एवं अन्य किसी के पास अतिरिक्त कार्यभार नहीं होने की स्थिति में अथवा अपीलीय प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट अधिकारी का पद समाप्त होने की स्थिति में उपापन संस्था का यह दायित्व होगा कि वह तत्काल सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर प्रथम अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, का निर्धारण करेगी और उसका शुद्धिपत्र के रूप में राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित भी करेगी।

यदि किसी उपापन प्रक्रिया में प्रथम अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी प्रशासनिक विभाग विनिर्दिष्ट हैं तो उक्तानुसार पद समाप्ति होने अथवा बिना अतिरिक्त कार्यभार के रिक्त होने की स्थिति में शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग ऐसे मामलों में प्रशासनिक विभाग के स्थान पर प्रथम अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, होगें। यदि ऐसी किसी परिस्थिति में शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट होते हैं तो ऐसे प्रकरणों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा पृथक से विनिर्दिष्ट किए जाएगें।

वित्त (G&T) विभाग के पूर्व परिपत्र दिनांक 04.02.2013 के क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे समस्त प्रकरणों में जिनमें वित्त विभाग को प्रथम अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी विनिर्दिष्ट किया जाना हो, उनमें शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग ही प्रथम/द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी नामित होंगे।

यह परिपत्र प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जीएण्डटी)

क्रमांकःप.1(8) वित्त/साविलेनि/2011 **जयपुर, दिनांकः 23.12.2016**

विषयः प्रथम एवं द्वितीय अपील पर हुए निर्णयो को राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17 के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय अपीलों पर सक्षम अपीलीय प्राधिकारीगण द्वारा लिये गये निर्णयों को राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) के ''अपील मोड्यूल'' पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

प्रायः देखने में आया है कि उपापन संस्थाओं द्वारा उक्त अपील मोड्यूल पर अपीलों के निर्णयों के अलावा कतिपय अन्य दस्तावेज जैसे संशोधित बोली आमंत्रण सूचनाएँ, बोली प्रस्तुतीकरण की दिनांक में संशोधन आदि सूचनाएँ भी इस मोडूयूल में अपलोड की जा रही हैं, जो नियम विरूद्व है। अन्य सूचनाओं के लिए SPPP पर पृथक मोड्यूल उपलब्ध कराये हुए हैं। अतः उपापन संस्थाओं से यह आग्रह किया जाता है कि भविष्य में अपीलों के निर्णय नियमित रूप से निर्धारित मोड्यूल में ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।

समस्त उपापन संस्थाओं से आग्रह है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17 के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय अपीलों पर इस अधिनियम के लागू होने से आदिनांक तक हो चुके समस्त निर्णयों को राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) के निर्धारित मोड्यूल पर दिनांक 28.12.2016 तक अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इन निर्णयो को ई–मेल आईडी *cao.spfc@rajasthan.gov.in* पर भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करने का श्रम करें।

सयुंक्त शासन सचिव

अधिसूचना संख्या : एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 **दिनांक : 04.01.2017**

एस.ओ. 124 :– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर रायल्टी संग्रहण संविदा और अतिरिक्त रायल्टी संग्रहण संविदा के समनुदेशन के लिए समुचित व्यवस्था हेतु समय अपेक्षित है और उक्त कालावधि के दौरान राजस्व की हानि को रोकने के लिए लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के उपबंधों की प्रयोज्यता से खान और भू–विज्ञान विभाग द्वारा रायल्टी संग्रहण संविदा और अतिरिक्त रायल्टी संग्रहण संविदा के लिए सेवाओं के उपापन को इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

शासन सचिव

(राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग)(।।) दिनांक 04.01.2017 में प्रकाशित)

Notification No. : F.1(8)/FD/GF&AR/2011 Dated : 04.01.2017

S.O.124. - In exercise of the powers conferred by section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government, being of the opinion that time is required for making appropriate arrangements for assignment of royalty collection contract and excess royalty collection contract and to prevent loss of revenue during the said period, it is necessary in public interest so to do, hereby exempts the procurement of services for royalty collection contract and excess royalty collection contract by the Mines and Geology Department from the application of the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012.

Secretary to Government
(Published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(II) dated 04.01.2017)

परिपत्र क्रमांक : एफ.7(2)वित्त/एसपीएफसी/2013 दिनांक 17.2.2017

प्रायः यह देखा गया है कि विभिन्न उपापन संस्थाओं द्वारा उपापन प्रक्रिया के दौरान प्रकाशित की गई निविदा सूचना एवं अन्य संबंधित प्रकरण यथा नोडल ऑफिसर बनवाने या उनमें नाम परिवर्तन कराने या इसी प्रकार के अन्य परिवर्तनों के लिये पत्राचार की भौतिक प्रतियां वित्त (जीएण्डटी/एसपीएफसी) विभाग को प्रेषित की जा रही हैं, जिन पर वित्त विभाग के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः समस्त उपापन संस्थाओं से आग्रह है कि उपापन प्रक्रिया के दौरान परिवर्तन/संशोधन संबंधी सूचनाएं चेंज रिक्वेस्ट फार्म (CRF) e-mail के जरिये cao.spfc@rajasthan.gov.in पर ही निर्धारित रीति से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही वित्त (जीएण्डटी/एसपीएफसी) विभाग को ऐसे पत्रों/आदेशों की प्रतियां प्रेषित न करें, जिन पर वित्त विभाग के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नियमानुसार SPP Portal पर प्रकाशन का पूर्ण दायित्व संबंधित उपापन संस्था का ही है, अतः भविष्य में समस्त उपापन संस्थाएं प्रकाशन/परिवर्तन/ संशोधन संबंधित सूचनाएं SPP Portal की e-mail cao.spfc@rajasthan.gov.in पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जीएण्डटी)

परिपत्र क्रमांकःएफ.2(2)वित्त/एसपीएफसी/2017 **दिनांक 31.3.2017**

विषय : समाचार–पत्रों में प्रकाशित होने वाली बोली आमंत्रण सूचनाओं (NIB) में Unique Bid Number (UBN) का अंकन अनिवार्य किए जाने के संबंध में।

प्रत्येक उपापन संस्था द्वारा जारी की जाने वाली बोली आमंत्रण सूचना (NIB) एवं बोली दस्तावेज (Bid Document) का प्रथम प्रकाशन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17 के अध्यधीन स्थापित एवं संधारित राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर किया जाना बाध्यकारी है।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 8 के प्रावधानानुसार राज्य लोक उपापन पोर्टल पर बोली दस्तावेज के प्रकाशन किए जाने के तुरन्त पश्चात् पोर्टल द्वारा प्रत्येक बिड को एक 16 अंक का Unique Bid Number (UBN) आवंटित किया जाता है जो कि वर्णाक्षर एवं अंकों में होते हैं। इस UBN के प्रथम तीन वर्णाक्षर विभाग का कोड, अगले 4 अंक वित्तीय वर्ष, अगले दो वर्णाक्षर बोली का प्रकार, अगला एक वर्णाक्षर देहरी मूल्य (Threshold Value), अगले दो वर्णाक्षर उपापन की पद्धति एवं अंतिम पांच अंक बिड का क्रमांक होते हैं। UBN का उपयोग उपापन के दौरान एवं पश्चात् उपापन संस्था, बिडर्स एवं आमजन द्वारा Tracking हेतु किया जाता है।

दिनांक 15 अप्रेल, 2017 से समाचार–पत्रों में प्रकाशित होने वाली बोली आमंत्रण सूचनाओं में उक्त Unique Bid Number (UBN) का उल्लेख किया जाना अनिवार्य किया जाता है। अतः 15 अप्रेल, 2017 से बिना Unique Bid Number (UBN) अंकन के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा कोई भी बोली आमंत्रण सूचना (NIB) प्रकाशनार्थ स्वीकार नहीं की जावेगी।

अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बोली आमंत्रण सूचना (NIB) का प्रथम प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल पर किया जावे तथा उसी दिवस को बोली दस्तावेजों का प्रकाशन भी पोर्टल पर किया जावे। बोली दस्तावेजों के राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित होने पर सृजित होने वाले Unique Bid Number (UBN) का उल्लेख समाचार–पत्रों में प्रकाशन हेतु जारी की जाने वाली बोली आमंत्रण सूचना (NIB) में भी अनिवार्य रूप से किया जावे।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जीएण्डटी)

क्रमांकः एफ.4(4)वित्त/एसपीएफसी/2015 **दिनांक : 18.4.2017**

समस्त विभागाध्यक्ष

विषय: आपके विभाग के नोडल अधिकारी (एसपीपीपी) द्वारा अधीनस्थ समस्त उपापन संस्थाओं (Procuring Entities) द्वारा जारी बिड संबंधी दस्तावेजों को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड किये जाने के संबंध में प्रेषित किये जाने वाले छमाही प्रमाण–पत्र के संबंध में।

संदर्भ: वित्त (एसपीएफसी) विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ.1(8) एफडी/जीएण्डटी/2014 दिनांक 24.7.2014 (परिपत्र संख्या 1/2014) तथा ईमेल दिनांक 24.1.2017, 8.2.2017 एवं 9.3.2017।

विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र द्वारा राज्य लोक उपापन पोर्टल हेतु मनोनीत नोडल अधिकारियों के कार्यों/उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करते हुए यह निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक नोडल अधिकारी द्वारा वर्ष में दो बार 15 अप्रेल एवं 15 अक्टूबर को निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण–पत्र प्रेषित किया जाना अनिवार्य है जिसमें उनके अन्तर्गत उपापन संस्थाओं द्वारा किए गए समस्त उपापन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानानुसार किये गये हैं, इसे सत्यापन किया जाना है। इस संदर्भ में समस्त नोडल अधिकारियों को संदर्भित दिनांकों को ईमेल द्वारा भी उक्त प्रमाण–पत्र शीघ्र वित्त विभाग को प्रेषित किए जाने हेतु लिखा गया, किन्तु खेद का विषय है कि अभी भी अधिकांश नोडल अधिकारियों द्वारा आदिनांक भी उक्त विषयक प्रमाण–पत्र प्रेषित नहीं किए गए हैं। इस विषय को वित्त विभाग में अत्यंत गंभीरता से लिया गया है।

इस संबंध में लेख है कि आपके विभाग में राज्य लोक उपापन पोर्टल हेतु मनोनीत नोडल अधिकारी को पाबन्द करने का श्रम करें कि वे अब 7 दिवस में निर्धारित प्रपत्र में उनके अधीनस्थ समस्त उपापन संस्थाओं द्वारा किए गए समस्त उपापन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानानुसार किये जाने का प्रमाण–पत्र स्केन कर ईमेल (cao.spfc@rajasthan.gov.in) पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। कृपया इसमें अब भी कोताही बरतने वाले नोडल अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई कराई जाने की भी व्यवस्था करावें।

संयुक्त शासन सचिव

अधिसूचना संख्या : एफ.2(1)एफ.डी./एस.पी.एफ.सी./2017 **दिनांक : 1.5.2017**

एस.ओ. 17 : यतः डिजीटल इंडिया पहल के अधीन, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने पारदर्शी और दक्ष रीति में, विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि द्वारा सामान्यतः अपेक्षित माल और सेवाओं के ऑनलाइन उपापन को सुकर बनाने के उद्देश्य से, सरकारी उपभोक्ताओं के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल ''सरकारी ई–मार्केट प्लेस (GeM)'' विकसित और संचालित किया है;

और यतः राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि सरकारी ई–मार्केट प्लेस के माध्यम से किया गया उपापन, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर उपापन प्रक्रिया में सरकार के मानवीय संव्यवहारिक अन्तःक्रिया (Transactional Interface) को न्यून करेगा।

अतः अब, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, सरकारी ई–मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से किये गये उपापनों को, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1), धारा 11, 17 और 46 को छोड़कर, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) के उपबंधों के लागू किये जाने से, इसके द्वारा छूट देती है।

शासन सचिव
(राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4 (ग)(II) दिनांक 1.5.2017 में प्रकाशित)

Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 Dated : 1.5.2017

S.O.17 : Whereas, under Digital India initiative, the Directorate General of Supplies and Disposal, Government of India, New Delhi has developed and hosted an online portal "Government e-Marketplace (GeM)" for the government users, with an objective to facilitate online procurement of goods and services, commonly required by various government departments, organizations, public sector undertakings etc., in a transparent and efficient manner;

And, whereas, the State Government is satisfied that the procurement through Government e-Marketplace shall minimize the Government's human transactional interface in procurement processes by leveraging technology.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government, being of the opinion that it is expedient in the public interest, so to do, hereby exempts the procurements made through Government e-Marketplace (GeM) portal from the application of the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), except for sub-section (1) of section 4, section 11, 17 and 46 of the said Act.

Secretary to the Government
(Published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(II) dated 1.5.2017)

परिपत्र क्रमांक : एफ.1(8)वित्त / एसपीएफसी / 2017 **दिनांक : 1.5.2017**

विषयः– भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत DGS&D द्वारा launch किये गये Government e-marketplace (GeM) Portal के उपयोग बाबत दिशा–निर्देश।

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (DGS&D) द्वारा देश की विभिन्न उपापन संस्थाओं को माल एवं सेवाएं प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से Government e-Marketplace (GeM) नामक पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध उत्पादों अथवा सेवाओं का online उपापन किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.03.2017 को जारी सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 149 के प्रावधानानुसार GeM पर उपलब्ध सामग्री एवं सेवाओं के उपापन भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों / विभागों द्वारा GeM के माध्यम से ही किया जाना बाध्यकारी किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01 मई, 2017 से राज्य की समस्त उपापन संस्थाओं के लिए माल एवं सेवाओं (Goods & Services) के उपापन हेतु DGS&D द्वारा विकसित GeM portal के उपयोग की अनुमति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में आंशिक रूप से छूट प्रदान करते हुए अधिसूचना क्रंमाक एफ. 2(1) / वित्त / एसपीएफसी / 2017 दिनांक 01.05.2017 जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना दिनांक 01.05.2017 के जारी होने के पश्चात् राज्य की सभी उपापन संस्थाऐं GeM portal के माध्यम से इस पोर्टल पर उपलब्ध माल और सेवाऐं उपाप्त करने के लिए अधिकृत हो गई हैं। GeM portal के माध्यम से उपापन के लिए प्रत्येक उपापन संस्था को वित्त (SPFC) विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों की पालना आवश्यक रूप से किया जाना है।

समस्त उपापन संस्थाओं की सामान्य जानकारी हेतु GeM portal के उपयोग से संबंधित प्रक्रियाओं को समझाने के उद्देश्य से और उपापन प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कठोरता से पालनार्थ निम्नांकित दिशानिर्देश जारी किये जाते हैंः–

1. वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1) / वित्त / एसपीएफ सी / 2017 दिनांक 01.05.2017 की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी। इस अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 4(1), 11, 17 एवं 46 को GeM के माध्यम से होने वाले उपापनों पर लागू रखा गया है तथा राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम, 2013 के शेष सभी प्रावधानों से GeM portal के माध्यम से किए जाने वाले उपापनों को छूट प्रदान की गई है।

2. राज्य की कोई भी उपापन संस्था GeM portal पर किसी वित्तीय वर्ष के दौरान एक लाख रूपये से नीचे की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, बिना कोटेशन आमंत्रित किये एक अवसर पर दस हजार रूपये तक मूल्य के उत्पाद/सेवाओं का उपापन कर सकेगी। राशि रू. दस हजार से अधिक मूल्य के उत्पाद/सेवाओं का उपापन GeM portal पर केवल बिडिंग अथवा रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से ही किया जावेगा।

3. सभी उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि GeM portal के माध्यम से किए जाने वाले समस्त उपापनों में पूर्ण पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा सुनिश्चित किया जाना उपापन से जुडे प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का दायित्व होगा। उपाप्त किए जाने वाले उत्पादों अथवा सेवाओं का एवं आपूर्तिकत्ताओं/सेवाप्रदाताओं का चयन बिना किसी प्रकार के भेदभाव के वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4. GeM portal पर उपापन हेतु प्रत्येक उपापन संस्था एक उपापन समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे–

(i) उपापन संस्था का कार्यकारी प्रमुख अथवा उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में एक वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी

(ii) उपापन संस्था के लेखा संवर्ग का वरिष्ठतम अधिकारी/कर्मचारी

(iii) यदि अपेक्षित हो तो, उपापन की विषयवस्तु के विशेषज्ञ के रूप में एक तकनीकी अधिकारी।

GeM portal से संबंधित प्रत्येक उपापन में, भले ही वह एकल स्रोत उपापन हो अथवा बिडिंग अथवा इलेक्ट्रोनिक रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया से किया गया उपापन हो, उक्तानुसार गठित समिति में क्रम संख्या (i) एवं (ii) पर अंकित अधिकारीगण का होना अनिवार्य होगा। उपापन संस्था अपने स्वविवेक से अन्य अधिकारी भी इस समिति में सम्मिलित कर सकेगी।

यदि किसी उपापन संस्था में लेखा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी/कर्मचारी का पद रिक्त हो तो जिस अधिकारी/कर्मचारी के पास रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार हो, वह अधिकारी/कर्मचारी उक्त समिति के सदस्य के रूप में लिया जाएगा। यदि किसी उपापन संस्था में लेखा संवर्ग का कोई पद स्वीकृत नहीं हो (उदाहरणार्थ ग्राम पंचायत कार्यालय) तो लेखा कार्य संपादन करने हेतु उत्तरदायी कार्मिक को उक्त सदस्य समिति के सदस्य के रूप में लिया जाएगा।

5. GeM portal के माध्यम से किये गये राशि रू. एक लाख अथवा अधिक राशि के उपापन से संबंधित Bid Summary Document और आपूर्ति आदेश/कार्यादेश/स्वीकृति पत्र राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17 के अन्तर्गत संधारित राज्य लोक उपापन

पोर्टल (SPPP) पर अपलोड किये जाने अनिवार्य होगें। साथ ही राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर इस प्रक्रिया से जनरेट होने वाले यूनिक बिड नम्बर (UBN) को इस उपापन प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्त संव्यवहारों में उपयोग में लिया जायेगा। Bid Summary Document तैयार होने के तुरन्त पश्चात् और आपूर्ति आदेश/कार्यादेश/स्वीकृति पत्र जारी किये जाने के तीन दिवस के भीतर राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यह उल्लेखनीय है कि GeM portal के माध्यम से किये जाने वाले उपापनों को राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर प्रकाशित करने हेतु एक पृथक मोड्यूल राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर तैयार किया जा रहा है, परन्तु जब तक उक्त नवीन मोड्यूल क्रियाशील नहीं हो जाता, तब तक उक्तानुसार उपापन को राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर एकल स्त्रोत उपापन के मोड्यूल में अपलोड किया जा सकता है। इस हेतु उपापन संस्था राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर "Bid Title" शीर्षक के अन्तर्गत "Procurement through GeM" लिखते हुए उपापन का बिड टाइटल दिया जाएगा।

6. GeM portal पर किये गये प्रत्येक उपापन का इन्द्राज उपापन संस्था द्वारा संधारित किये जाने वाले उपापन रजिस्टर में किया जायेगा। GeM portal पर किये गये उपापन से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजात की प्रतियां सम्बन्धित उपापन पत्रावली में रखी जावेगी जिन्हें आवश्यकतानुसार निरीक्षण, अंकेक्षण आदि हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

7. प्रत्येक प्रस्तावित उपापन से पूर्व समस्त अपेक्षित प्रशासनिक, वित्तीय और आवश्यकतानुसार तकनीकी स्वीकृतियाँ प्राप्त करना और उपापन हेतु समुचित बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करना संबंधित उपापन संस्था का दायित्व होगा। प्रत्येक उपापन संस्था स्वयं को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों की सीमा तक ही उपापन के लिए अधिकृत होगी।

8. GeM portal पर दिये गये पंजीकरण संबंधी दिशानिर्देश, क्रेता संस्थाओं के लिए नियम व शर्ते, बोली की प्रक्रियाएँ, क्रय सम्बन्धी वित्तीय सीमाएँ आदि उपापन संस्थाओं पर लागू रहेंगी। समस्त उपापन संस्थाओं से अपेक्षा है कि GeM portal पर उपलब्ध उपयोगकर्ता पुस्तिका (User Manual), नियम व शर्ते, अन्य दिशानिर्देश आदि को समुचित प्रकार से समझ कर ही GeM portal पर उपापन प्रक्रिया प्रारम्भ की जावे। अतः उपापन से पूर्व GeM portal पर उपलब्ध उक्त दस्तावेजों आदि का पूर्ण अध्ययन करना एवं उनकी पालना सुनिश्चित करना उपापन से जुड़े प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का दायित्व होगा। अपूर्ण जानकारी अथवा आधी–अधूरी तैयारी से किये गये उपापन के कारण यदि राज्य सरकार पर अथवा सम्बन्धित उपापन संस्था के

विरूद्ध कोई अनावश्यक दायित्व उत्पन्न होता है अथवा हानि पहुँचती है तो उसका दायित्व संबंधित उपापन संस्था के संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों का होगा। अतः उपापन संस्था को किसी विषयवस्तु के उपापन के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई संशय होने अथवा अस्पष्टता होने की स्थिति में उपापन प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त (SPFC) विभाग की हैल्पलाइन (0141–2743455) अथवा DGS&D, भारत सरकार (हैल्पडेस्कः 011–43505211, 011–43505213) से आवश्यक स्पष्टीकरण दूरभाष/ईमेल के माध्यम से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9. प्रत्येक उपापन संस्था के उपापन से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी https://gem.gov.in वेबसाईट खोलकर सर्वप्रथम उक्त साईट के मुख्य पृष्ठ पर training मॉड्यूल में उपलब्ध प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेजों तथा support मॉड्यूल के अन्तर्गत user manual, terms & conditions, guidelines आदि का गहनता से अध्ययन करेगें तथा समस्त प्रक्रियाओं को भली भांति एवं समुचित प्रकार से समझने के उपरान्त ही किसी उपापन प्रक्रिया को प्रारम्भ किया जायेगा। GeM portal पर विभिन्न प्रकार की माल (Goods)/उत्पाद (products) और सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनका उपापन संबंधित उपापन संस्था द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं की पालना करते हुए किया जा सकता है।

10. GeM portal पर उपाप्त किये उत्पादों अथवा सेवाओं के विरूद्ध समयबद्ध भुगतान किये जाने को अत्यधिक महत्ता दी गई है। वर्तमान मे राज्य की IFMS व्यवस्था को GeM portal से link नहीं किया गया है, अतः IFMS और GeM portal के मध्य link स्थापित होने और इस हेतु समुचित आदेश जारी किये जाने तक, उक्त GeM portal के माध्यम से उपाप्त किये जाने वाले उत्पादों अथवा सेवाओं का भुगतान नियमानुसार राज्य सरकार के विभागों के अन्तर्गत वर्तमान में चल रही कोष कार्यालय व्यवस्था के माध्यम से किया जावेगा। राज्य सरकार के विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य उपापन संस्थाओं जैसे स्थनीय निकायों, सोसायटीज, PSU's, आदि में लागू वर्तमान भुगतान व्यवस्था के अनुरूप ही किया जाता रहेगा परन्तु समस्त सम्बन्धित उपापन संस्थाओं (राजकीय विभागों एवं अन्य उपापन संस्थाओं) का यह दायित्व होगा कि GeM portal पर निर्धारित समय सीमा में भुगतान किया जावे। इस हेतु आवश्यकतानुसार विक्रेता फर्म के बैंक खाते संबंधी विवरण प्राप्त कर RTGS/ NEFT आदि Electronic माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।

11. GeM portal के माध्यम से उपाप्त उत्पादों अथवा सेवाओं के संबंध में निश्चित की गई समय–सीमाओं (time-lines) के अनुसार कार्रवाई संपादित करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए GeM portal के माध्यम से उपाप्त

उत्पादों को प्राप्त किये जाने के 10 दिवस के भीतर उक्तानुसार प्राप्त उत्पादों के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप होने अथवा ना होने का विनिश्चिय उपापन संस्था द्वारा समुचित परीक्षण उपरान्त कर लिया जाना अनिवार्य है। यदि 10 दिवस में वांछित कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो संबंधित उपापन संस्था को उक्तानुसार उपाप्त उत्पादों को स्वीकार करना बाध्यकारी हो जाता है, सूचित रहें। इसके संबंध में पूर्ण विवरण GeM portal पर support module के अन्तर्गत दिये गये procedure for payment का अध्ययन कर समझा जाना चाहिये। इसी अनुसार उपाप्त उत्पादों अथवा सेवाओं के विरूद्ध किये जाने वाले भुगतान को भी समय–सीमाओं में बद्ध किया गया है, जिसका विवरण भी उक्त procedure for payment में उपलब्ध है।

12. GeM portal पर उपापन संस्थाओं की सहायतार्थ Support module में एक विस्तृत User manual उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उपापन संस्थाओं हेतु GeM portal पर रजिस्ट्रेशन से लेकर उपापन की पूर्ण प्रक्रिया का अत्यन्त सरल एवं सचित्र विवरण दिया गया है। प्रत्येक उपापन संस्था द्वारा इसका गहनता से अध्ययन करना अपेक्षित है ताकि GeM portal के माध्यम से उपापन किए जाने की प्रक्रिया को सरल ढ़ंग से समझा जाकर नियमानुसार उपापन किया जा सके।

13. GeM portal पर उपलब्ध User manual , Terms & conditions, Procedure for payments, Guidelines for buyers, Training module आदि को पूर्णरूप से समझने के उपरान्त उपापन संस्थाओं द्वारा GeM portal पर पंजीकरण (Registration) कराया जाना चाहिये, जिसके पश्चात ही GeM portal पर क्रेता/उपापन संस्था द्वारा उपापन किया जा सकता है। GeM portal पर उपलब्ध Support module में उपलब्ध Guidelines for buyer registration के बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित Primary User राजस्थान सरकार में विभागों के प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारी होंगे। शेष उपयोगकर्ता अधिकारीगण यथा Buyers, DDOs, Consignees and PAOs की भूमिका विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जावेगी जो उनके पंजीकरण करने सम्बन्धी आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित करनी होंगी।

राज्य सरकार के विभागों के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों यथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड, निगम, स्थानीय निकाय, सोसायटी आदि में इन दायित्वों के लिए Primary User उस संस्था के प्रशासनिक विभाग के प्रभारी सचिव द्वारा नामित संयुक्त शासन सचिव से अन्यून अधिकारी होगा एवं शेष उपयोगकर्ता अधिकारीगण यथा Buyers, DDOs, Consignees and PAOs की भूमिका संबंधित संस्था की आवश्यकतानुसार नामित संयुक्त शासन सचिव द्वारा निर्धारित की जावेगी जो उनके पंजीकरण करने सम्बन्धी आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित करनी होंगी।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई उपापन संस्था GeM portal के माध्यम से उपापन करने के स्थान पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उपापन की विषयवस्तु का उक्त अधिनियम एवं नियमों में प्रावधित उपापन पद्धतियों में से किसी भी पद्धति से उपापन करना चाहे तो इसके लिए प्रत्येक उपापन संस्था पूर्व की भांति ही स्वतन्त्र है। यदि कोई संस्था GeM portal के माध्यम से माल अथवा सेवाओं का उपापन करना चाहती हो तो उक्तानुसार विहित दिशानिर्देशों एवं शर्तो के अध्यधीन ही कर सकती है, परंतु GeM portal के माध्यम से ही उपापन किया जाना किसी भी उपापन संस्था के लिए बाध्यकारी नहीं है।

समस्त उपापन संस्थाओं को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि GeM portal पर किसी भी प्रकार के उपापन के संबंध में उपर्युक्त दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना अनिवार्य हैं और यदि GeM portal पर किसी उपापन में इन दिशा–निर्देशों की पालना के अभाव में उपापन संस्था के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जावेगी।

संयुक्त शासन सचिव

Circular No. : F.3(1)SPFC/FD/2013 Dated : 11.7.2017

Subject: Procedure for the issue of Guidelines under Section 56 of the RTPP Act, 2012.

In supersession of the previous directions issued in this regard, through U.O. Notes dated 23.05.2012, dated 02.06.2014 and dated 14.02.2017, the procedure for the issue of Guidelines under Section 56 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 shall be as follows :

1. The Administrative Department shall seek prior concurrence from Finance (SPFC) Department on the draft of the Guidelines, proposed to be issued by a Procuring Entity.
2. The Administrative Department concerned shall arrange to get the concerned Guidelines issued from the level of the Procuring Entity.
3. The Administrative Department concerned shall be responsible to arrange to lay the Guidelines so issued, before the House of the State Legislature as per the procedure provided in Section 56 of the RTPP Act, 20102.

Finance Secretary, Budget

Circular No.: F. 2(2) FD/SPFC/2017 **Dated : 25.7.2017**

Subject : Monitoring of Registration of Users and procurement through GeM Portal.

As you are already aware, the DGS&D, Government of India has hosted Government e-Marketplace (GeM) portal, a dynamic, self-sustaining and user friendly portal for procurement of common use goods and services by Government entities. In this continuation, a Notification has been issued by FD, SPFC on 01.05.2017, vide which procurement of goods and services through GeM Portal has been allowed and, at the same time, the said procurement has been exempted from the application of provisions of the RTPP Act and Rules, except for the Section 4(1), 11, 17 and 46 of the RTPP Act.

In this continuation, FD, SPFC has issued operational Guidelines on 01.05.2017, incorporating the instructions for the procuring entities for making procurement of goods and services through GeM Portal. The said Notification and the Guidelines are also available on FD's Website www.finance.rajasthan.gov.in as well as on State Public Procurement Portal www.sppp.rajasthan.gov.in.

It would be pertinent to mention that, as on date, there are almost 58,000 products available for procurement, encompassing a whole range, like that of IT products, office related utility items, automobiles, goods needed in Works Departments etc. Being an e-marketplace, GeM Portal is a fully transparent platform for procurement with virtually negligible human interface. FD, SPFC, in coordination with DGS&D, has already organized a comprehensive training and capacity building (Training of Trainers-ToT) program in the month of June, 2017.

Government of India is pursuing the adoption and use of GeM Portal for the procurement of Goods and Services. **Accordingly, Head of the Departments (HoDs) under the State Government are directed to ensure the following:-**

1. The Procuring Entities under the HoD must be registered on GeM Portal before 15 August, 2017;
2. The information of the registration of Primary User and Secondary Users is to be made available to FD, SPFC through email to cao.spfc@rajasthan.gov.in by or before 14 August, 2017 (Format GeM-1);

3. The information regarding the procurement made by the Procuring Entities through GeM Portal is also to be made available to FD, SPFC **on monthly basis** through email to cao.spfc@rajasthan.gov.in on 10th of every month (Format GeM-2).

This is to be noted that registration of users on GeM Portal and procurement through GeM Portal is being monitored at the highest levels in Government of India. Hence, all HoDs shall ensure that the information required above reaches FD SPFC through email as specified above. **Duly filled Formats (both) with information till the date of issue of this Circular are to be sent by 31 July, 2017 to FD SPFC through email.**Any delay or non-availability of the required information shall be taken seriously by the Finance Department.

Encl.: Format GeM – 1 &GeM - 2

Secretary, Budget and Chairperson, SPFC

FORMAT GeM - 1

NAME OF DEPARTMENT:
NAME OF PRIMARY USER:

DETAILS OF SECONDARY USERS

S.No.	Name of Secondary User	Designation	Office Name & Address	Role (Buyer/Consignee/PAO)	Remarks
1	2	3	4	5	6

Note : 1. The Format GeM-1 shall be sent by the HoDs on or before 14.08.2017. Later to this, this Format shall be sent in case of change of users, like that in case of retirements, transfers of the officers concerned, creation of new users etc.
2. Buyer and Consignee can be one and the same officer, but PAO has to be a separate officer.

FORMAT GeM - 2

NAME OF THE OFFICE :
FOR THE MONTH OF , 2017 :

DETAILS OF PROCUREMENT THROUGH GeM

S.No.	Office Name & Address	Type of Procurement (Goods or Services)	Details of Procurement	Method of Procurement	Amount of the Order placed	Uploaded on SPPP, with date of uploading	Total amount of procurement through GeM in FY 2017-18	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Note : 1. This Format is to be sent by 10th of every month to cao.spfc@rajasthan.gov.in including the details of previous claendar month.

Notification No.: F.2(1)/FD/SPFC/2017 Dated :12.1.2018

S.O.274. - In exercise of the powers conferred by section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government, being of the opinion that the procurement of electricity is to be made in accordance with the provisions of the Electricity Act, 2003 (Central Act No. 36 of 2003), it is necessary in public interest so to do, hereby exempts the procurement of electricity from the application of the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012)

Secretary to the Government.

[Publised in Rajasthan Gazettee EO Part 4(Ga)(II) dated 12.01.2018]

अधिसूचना संख्या : एफ.2(1)एफ.डी./एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक : 12.1.2018

एस.ओ.274 :– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि विद्युत का उपापन विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम सं.36) के उपबंधों के अनुसार किया जाना है, लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, अतः विद्युत के उपापन को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्या 21) के उपबंधों की प्रयोज्यता से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

शासन सचिव

[राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 (ग)(II) दिनांक 12.1.2018 में प्रकाशित]

परिपत्र क्रमांक : प.2(4)वित्त/साविलेनि/1999 दिनांक : 16.1.2018

यह देखने में आया है कि उपापन इकाई के स्तर पर कतिपय उपापन नियमों की पालना किये बिना कर लिए जाते हैं। ऐसे उपापन महालेखाकार व जन लेखा समिति द्वारा आक्षेपित किये जाते हैं। महालेखाकार एवं जन लेखा समिति द्वारा की जाने वाली प्रतिकूल आपत्तियों से आरोपित/अपचारी अधिकारियों/ कर्मचारियों को बचाने के लिये विभागों द्वारा प्रकरण कार्योतर सहमति हेतु वित्त विभाग को संदर्भित कर दिये जाते हैं।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों में उपापन के नियम तथा प्रक्रिया निर्धारित है।

अतः संबंधित उपापन इकाइयों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उपापन नियमों की पालना किये बिना किसी भी परिस्थिति में उपापन की कार्यवाही निष्पादित नहीं की जाये। राज्य सरकार ऐसे मामलों को गंभीरता से लेगी जिनमें नियमों में उपापन से पूर्व शिथिलता प्रदत्त नहीं की गई है। वित्त विभाग द्वारा कार्योतर सहमति दिया जाना संभव नहीं होगा।

तथापि, ऐसे प्रकरण जिनमें उपापन संस्थाओं द्वारा उपापन नियमों की पूर्णतः पालना नहीं की है, उन प्रकरणों की प्रशासनिक विभाग अपने स्तर पर समीक्षा कर उत्तरदायी कार्मिकों के विरूद्ध सम्बद्ध नियमों में कार्यवाही निष्पादित करेंगे। तत्पश्चात्, ऐसे प्रकरणों को अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकृत मंत्रीमण्डलीय उप समिति को यथोचित निर्णयार्थ संदर्भित करेंगे।

यह परिपत्र पूर्व में जारी परिपत्र संख्या प.1(6)वित्त/साविलेनि/2005 दिनांक 14.9. 2006 (परिपत्र संख्या 15/2006) के अतिक्रमण में जारी किया जा रहा है।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

Circular No.F.6(2)FD/GF&AR/2016/SPFC Dated : 2.2.2018

Sub: Monitoring of Registration of Users and procurement through GeM Portal.

Ref.: This office circular No.2(2)FD/SPFC/2017 dated 25.7.2017.

It was informed by the referred circular that the monthly information regarding procurement made through GeM Portal has to be sent to Finance (SPFC) Department in prescribed format GeM-2. But, it is a matter of regret that the required information has not been sent by you.

You have been already requested for the adoption and use of GeM Portal for the procurement of Goods and Services. All HoDs are requested to register after of all PEs under their jurisdiction on GeM Portal as Secondary User. All the PEs must ensure that information regarding procurement made through GeM portal be sent to their HoDs (Primary User) on 1st day of every month in prescribed format GeM-2. HoDs are requested to ensure that the cumulative information of procurement made through GeM Portal is to be sent by their PEs to Finance (SPFC) Department through email (cao.spfc@rajasthan.gov.in).

Secretary Finance (Budget)

परिपत्र क्रमांकः एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 **दिनांक : 30.4.2018**

विषयः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश बाबत।

संदर्भः एकलपीठ याचिका संख्या 372/2013 अनोख बाई व 1 अन्य बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2016 ।

राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि कतिपय मामलों में उपापन संस्थाओं द्वारा यह सुनिश्चित करने के पूर्ण प्रयास नहीं किए जाते हैं कि श्रम नियोजित श्रमिकों को नियमानुसार देय न्यूनतम मजदूरी नियमित रूप से प्राप्त होती रहे, जिससे इस प्रकार के प्रकरणों में श्रम नियोजित श्रमिकों के शोषण की संभावना बनी रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा सन्दर्भित निर्णय में इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुए विस्तृत निर्देश प्रदान किए गए हैं।

माननीय न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय की पालना में समस्त उपापन संस्थाओं को एतद्द्वारा यह निर्देश दिए जाते हैं कि राज्य सरकार की विभिन्न उपापन संस्थाओं के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं एवं संकर्मों के संपादन में कार्यरत मानव संसाधन को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों की पूर्ण पालना की जानी अनिवार्य है तथा उपापन संस्था द्वारा विभिन्न सेवाओं के संपादन में आवश्यकतानुसार मानव संसाधन हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों में प्रावधित उपापन की विभिन्न रीतियों में से उपयुक्त रीति का चयन करते हुए किया जाएगा परन्तु प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से मानव संसाधन का उपापन नहीं किया जाएगा।

उपापन संस्था द्वारा उक्तानुसार विभिन्न सेवाओं के संपादन में कार्यरत मानव संसाधन की उपापन प्रक्रिया हेतु बोली दस्तावेजों में अन्य आवश्यक बिन्दुओं के साथ–साथ निम्नांकित विशिष्ट बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से समावेश किया जायेगा–

(i) बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :–

क. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

(ii) जॉब बेसिस पर सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगीः–

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESIदर प्रतिशत	सामग्री राशि/ उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिकों की संख्या	राशि					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		1. अकुशल 2. अर्द्ध कुशल 3. कुशल 4. उच्च कुशल								

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध कराई जायेंगी तथा केवल स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जा सकेंगी)

(iii) संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगीः–

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESIदर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. अकुशल– 2. अर्द्ध कुशल– 3. कुशल– 4. उच्च कुशल–						

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1–4, 6 व 7 की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेंगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेंगी)

(iv) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

(v) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

(vi) यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्रवाई की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जाएंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

(vii) संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

(viii) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

(ix) श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

(x) संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

(xi) संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण अंकित किया जायेगा।

(xii) राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

(xiii) संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर(GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर(GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर(GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर(GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर(GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xiv) श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वंय उतरदायी होगा।

(xv) यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(xvi) नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xvii) कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी व दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(xviii) यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

(xix) यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्‌देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं

करते हुए, इसे पृथक् से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक् से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

(xx) उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग के सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अध्यधीन अन्य आवश्यक शर्तों के साथ–साथ उक्तानुसार शर्तों को बोली दस्तावेजों में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना सुनिश्चित करें ताकि श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना की जा सके। उक्तानुसार शर्त संख्या (iii) से (xx) का समावेश सफल बोलीदाता/संवेदक से किए जाने वाले अनुबन्ध में अनिवार्य रूप से किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता को राज्य सरकार द्वारा अत्यन्त गंभीरता से लिया जायेगा।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

Order No.F.2(1)FD/SPFC/2017 Dated : 14.5.2018

The Finance Department circular No. F.9(1)FD-1(1)Bud/2012 (Circular No. 9/2015) dated 01.07.2015 regarding Hiring of Computers (along with trained personnel) is hereby withdrawn w.e.f. 25.4.2018.

Secretary, Finance (Budget)

परिपत्र क्रमांक : प.1(1)वित्त/साविलेनि/2017 दिनांक : 30.5.2018

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 70 (7) एवं 76 (4) के अनुसरण में बोलीदाता को नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वयं की लागत से करार बंध–पत्र (Agreement) निष्पादित करना होता है। उक्त स्टाम्प पेपर कितने मूल्य का हो, के संबंध में समय–समय पर विभिन्न विभागों द्वारा जानकारी चाहने के क्रम में स्थिति स्पष्ट की जाती है कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में उल्लेख अनुसार व समय–समय पर होने वाले संशोधनानुसार विहित मूल्य के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बोलीदाता की लागत पर करार बंध–पत्र (Agreement) निष्पादित किए जाएं।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 58 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी के वर्तमान प्रावधान निम्नानुसार हैं –

''(a) राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 58 के अनुसार वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट (works contract) के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी अधिकतम रुपये 15000/– के अध्यधीन ऐसे कॉन्ट्रेक्ट की राशि/मूल्य 0.25 प्रतिशत की दर से देय है।

(b) माल या सेवाओं के उपापन (Procurement) के लिए निष्पादित ऐसा कोई करार बंध–पत्र (Agreement) जो वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट (works contract) की परिभाषा में नहीं आता हो, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 5 (g) में वर्णित सामान्य करार बंध–पत्र (Agreement) की परिभाषा में आएगा जिस पर रुपये 500/– स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।''

शासन सचिव, वित्त (बजट)

परिपत्र क्रमांकःएफ.2/एफ.डी.(1)एस.पी.एफ.सी /2017 **दिनांकः 11.7.2018**

विषयः–वित्त(सा.वि.ले.नि/एसपीएफसी) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.04.2018, परिपत्र दिनांक 30.04.2018 तथा आदेश दिनांक 14.05.2018 के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत।

इस विभाग द्वारा ऑपरेटर के साथ कम्प्यूटर किराये पर लेने के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना एफ.2/एफ.डी.(1)एस.पी.एफ.सी /2017 दिनांक 25.04.2018 तथा आदेश क्रमांक एफ.2/एफ.डी.(1)एस.पी.एफ.सी/2017 दिनांक 14.05.2018 एवं परिपत्र संख्याः 1/2018 दिनांक 30.04.2018 के सम्बन्ध में विभिन्न प्रशासनिक विभागों से मार्गदर्शन हेतु प्रकरण प्राप्त हुए हैं जिनके प्रकाश में उक्तानुसार जारी अधिसूचना, आदेश एवं परिपत्र के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती हैः–

1. वित्त (एस.पी.एफ.सी.) विभाग द्वारा जारी उक्त अधिसूचना दिनांक 25.04.2018 के अस्तित्व में आने से पूर्व में निष्पादित समस्त अनुबंध तत्समय प्रचलित नियमों के अध्यधीन ही प्रभावी रहेंगे।
2. वित्त (जी एण्ड टी) विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.2/एफ.डी.(1)एस.पी.एफ.सी. /2017 दिनांक 14.05.2018 जिसके द्वारा वित्त विभाग द्वारा पूर्व मे जारी परिपत्र क्रमांक एफ.9(1) एफ.डी.(1) Bud/2017 दिनांक 01.07.2015 को दिनांक 25.04.2018 से प्रत्याहरित किया गया है अतः दिनांक 14.05.2018 को जारी उक्त आदेश भी 25. 04.2018 से ही प्रभावी होगें।
3. यदि दिनांक 25.04.2018 से 14.05.2018 की अवधि में ऑपरेटर के साथ कम्प्यूटर किराये पर लेने के सम्बन्ध में उपापन संस्थाओं के स्तर पर बोली प्रक्रिया विचाराधीन होने के बावजूद यदि कार्यादेश जारी नहीं हुआ है और

4. संवेदक के साथ करार निष्पादित नहीं किया गया है। तब उपापन पर वित्त (एस.पी. एफ.सी.) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.04.2018 प्रभावी होगी। जिन प्रकरणों में इस अवधि में कार्यादेश जारी होकर संविदा निष्पादित हो चुकी है, उन पर पूर्व के प्रावधान ही लागू रहेगें।

4. समस्त उपापन संस्थाएँ ऑपरेटर के साथ कम्प्यूटर किराये पर लेने के संबंध में उपापन की कार्यवाही वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2/एफ.डी.(1)एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 30.04.2018 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 28 में उल्लेखित उपापन की पद्धतियों (GeM सहित) के अनुसार कर सकेगें।

5. वित्त विभाग द्वारा मानव संसाधन की सेवाओं के उपापन के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 30.04.2018 में व्यक्तिगत रूप से जोब बेसिस (job Basis) पर अनुबन्ध करने का उल्लेख नहीं किया गया है अपितु उपापन संस्था द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 की अनुपालना करते हुए संवेदक/सेवा प्रदाता के माध्यम से ही सेवाएँ जोब बेसिस पर लिया जाना सुनिश्चित किया जाना है अतः व्यक्तिगत अनुबन्ध नहीं किए जाकर संवेदक/सेवा प्रदाता के माध्यम से ही मानव संसाधन की सेवाओं का उपापन किया जाना सुनिश्चित करें।

6. ESI एवं EPF की कटौती के संदर्भ में परिपत्र में दिशा निर्देशो का उल्लेख किया गया है अतः तदनुसार अनुपालना सुनिश्चित करें।

7. उक्त परिपत्र में ऑपरेटर के साथ कम्प्यूटर किराये पर लेने के लिए पृथक से कोई न्यूनतम दरों का निर्धारण नहीं किया गया है अपितु उपापन संस्था को मानव संसाधन की सेवाओं का उपापन करते समय परिपत्र में उल्लेखित दिशा–निर्देशों यथा प्रचलित न्यूनतम मजदूरी, EPF, ESI आदि की अनुपालना करते हुए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उपापन किया जाना है।

8. ऑपरेटर के साथ कम्प्यूटर किराये पर लेने की सेवाएँ प्राप्त किए जाने हेतु वित्त (व्यय) विभाग के स्तर से पूर्व की भांति नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

9. वित्त विभाग (जीएण्डटी) के परिपत्र संख्या 1/2018 दिनांक 30.04.2018 के दिशा–निर्देश समस्त प्रकार के मानव संसाधनों (ऑपरेटर के साथ कम्प्यूटर किराये पर लेने सहित) की सेवाओं के उपापन के संबंध में लागू होगें।

शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग

Circular No. F.2(4)FD/SPFC/2017 Dated : 19.7.2018

In supersession of all earlier circulars regulating hiring of vehicles (Cars and Jeeps only), the following guidelines are hereby issued for hiring of vehicles as per the Rule 32 of Rajasthan Transparency Public Procurement Rules 2013 and Item no. 42 of S.O. 135 dated 04.09.2013:–

1. Heads of departments and Heads of offices can hire vehicles at their level with the specific permission of Finance Department. The number of vehicles that can be hired shall be as approved by the Finance Department on annual basis, or approved for a shorter period of less than one year. Appropriate budget provision must exist for this purpose.
2. Hiring of a vehicle shall be allowed on the basis of functional and operational jurisdiction of that particular department and / or that particular office. There shall be four categories of maximum ceiling of expenditure and mileage for hiring of a vehicle. Category of maximum ceiling shall be decided by Finance Department in respect of each department and office, while according permission for hiring of a vehicle. The categories would be as follows :-
   - (i) Rs. 22,000/- per month (GST extra, if applicable) for 1500 kms, for offices having a city (Municipal limits of a town) as their jurisdiction;
   - (ii) The maximum ceiling of Rs.26,000/- per month (GST extra, if applicable) for 2000 Kms for offices having a district as their jurisdiction.
   - (iii) The maximum ceiling of Rs. 27,600/- per month (GST extra, if applicable) for 2200 Kms for offices having jurisdiction of more than one district but less than the whole state.
   - (iv) The maximum ceiling of Rs. 30,000/- per month (GST extra, if applicable) for 2500 Kms for official use in respect of those offices whose functional and operational jurisdiction is spreading over the entire State.
3. However, the taxi vehicles hired under the above categories, plys less than the maximum ceiling of 1500 Kms, 2000 Kms, 2200 Kms and 2500 Kms, respectively, then the monthly payment shall be made as below:-
   - (i) For first 1500 Kms or less – Rs.22,000/- per month (GST extra, if applicable).
   - (ii) For additional running of vehicle (more than 1500 Kms) – @ Rs. 8.00 per Km.

4. If in an office, a vehicle is required on as and when basis, it may be hired with due permission of Finance Department.The maximum ceiling of expenditure in a month would be Rs.11,000/- per month.
5. In case, a vehicle is required to ply more than the above prescribed ceiling of Kms, the Head of Department and Administrative Department concerned shall be competent to regularise upto 300 and 600 Kms per month, respectively and 1500 Kms and 3000 Kms in a financial year, respectively, in excess of the prescribed ceiling, @ Rs. 8.00/- per Km. In case of a vehicle required to ply more than the limit in competence of Head of Department and an Administrative Department, it shall be referred to Finance Department for regularisation. However, the charges shall not be more than Rs.8.00/-per Km.
6. Taxi vehicles can be hired without resorting to bidding process on the recommendation of a procurement committee constituted as per rule 3 of Rajasthan Transparency Public Procurement Rules 2013.

   However, the procurement committee may consider to obtain quotations from an individual, firm, travel agency having vehicles registered as taxi. The vehicle should not be more than 6 years old, the committee should try to have comparatively a new model. In case the vehicle is more than 6 year old and the condition of the vehicle is satisfactory, a relaxation of not more than 2 years (i.e. the vehicle should not be more than 8 years old) can be given by the Administrative Department.
7. Performance Security on the basis of annual expenditure on hiring of vehicles as provided in Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 shall be taken from the individual/contractor/firm.
8. All taxes except toll tax shall be borne by the individual/contractor/firm. Reimbursement of toll tax paid by the individual/contractor/firm shall be made on production of receipt of payment of toll tax.
9. All legal deductions(if applicable), such as income tax (TDS) /GST shall be made as per law/rules applicable at the time of payment.
10. The hired vehicles can be used anywhere in the State. In case of night halt at the place other than that of headquarters, a sum of Rs.300/-per night shall be paid for the driver.
11. As per Order No.F.4 (6) State Motor Garage/2010 dated 28th September, 2010 of State Motor Garage Department (and amended time to time) deductions shall be made from the salary of the officers using such hired vehicles.

12. In light of the decision of Hon'ble High Court of Rajasthan, Jaipur in writ petition 372/2013 in the matter of Anokh Bai & others versus State & others, the minimum wages to the driver shall be ensured by the contractor/firm/individual and a certificate for the same has to be submitted by the contractor/firm/individual every month in the enclosed format.
13. These rates/conditions shall be applicable from 01.08.2018. The existing contracts for hiring of vehicles, which have been entered into prior to issue of this Circular having the price escalation condition can also implement these rates from 01.08.2018.
14. An "Agreement" needs to be signed between the procuring entity and taxi vehicle provider.
15. A format of log sheet to be maintained for hired taxi vehicle is enclosed.

Above guidelines shall also be applicable to Government Companies, Boards, Statutory Corporations, Universities, Local Bodies and Autonomous Bodies receiving financial assistance fully or partly from the State Government.

Encl.: As above.

Secretary, Finance (Budget)

DAILY LOG SHEET FOR HIRED TAXI VEHICLES
(To be filled and Signed in Triplicate)

Vehicle No.	Date	Duty Start Time	Reporting Place	Opening Kms. reading	Details of Journeys undertaken	Closing KMs. reading	Total KMs traveled (figures and Words)	Closing Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Vehicle require nest
10.
Place :
Date :
Time :

(Signature of OIC)
11.
Name :
Date :

Format of Certificate

It is certified that I/We(Name of Contractor/Firm /individual) ---------------------------- has/have paid wages complying the provisions of the Minimum Wages Act, 1948 for the month of -------------------------. Further, I/We hereby certify that I/We have also complied with the provisions of all relevant Act and Rules.

Dated: Signature of Authorised Signatory
(Name)------------------------
Name of the Contractor/Firm/
Individual (with Seal)

Notification No. F.2(1)/FD/SPFC/2017 Dated : August 28, 2018

S.O.134. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 33 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that in order to encourage entrepreneurship among the youth of the State and increase their participation in the public procurement, providing purchase preference by granting relaxation in the required technical qualifications related to past experience and financial turnover for Startups situated in Rajasthan and operated by youth is necessary for the promotion of domestic industry and for furtherance of the socio-economic policy of the State Government, hereby notifies that procuring entities, as defined in sub-section 2 of section 3 of the said Act, shall, in addition to the preference granted to the MSMEs vide notification number F.1(8)/FD/GF&AR/2011, dated 19.11.2015, accord preference to the Startups in Rajasthan for the procurement of Goods and Services in the following manner, namely :-

(i) In case, where the estimated value of subject matter of procurement, as mentioned in the Schedule, is not more than Rs. One Crore on one occasion, the technical qualifications with respect to number of years of experience of a Startup in the subject matter of procurement and financial turnover of the Startup in past certain years in relation to the value of subject matter of procurement shall be appropriately relaxed to the extent feasible for the procurement of subject matter mentioned in the Schedule. It shall be mandatory for the procuring entity to record reasons, in writing, in all such cases where the relaxation to Startups is not given as provided in this notification;

(ii) Whenever, the procurement is in respect of subject matter of procurement mentioned in Schedule, where the estimated value of procurement is upto Rs. One Crore on one occasion, a representative of the Department of Information, Technology & Communication (DoIT&C) shall be a member of Procurement Committee, constituted under rule 3 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013. Such member shall not be below the rank of Deputy Director in Department of Information, Technology & Communication; and -

For the purpose of this notification, -

(d) Startup means an entity defined as such by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India and, accordingly, has received recognition for the same from the competent authority in Government of India and, also, that the said entity is situated in Rajasthan, OR an entity approved as Startup by the State Level Implementation Committee under the Rajasthan Startup Policy, 2015;

(e) Schedule means the Schedule appended to this notification; and

(f) Youth means the persons as defined in the National Youth Policy, issued by the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, and which is in force on the date of issue of the bidding document by the procuring entity concerned.

Schedule

LIST OF ITEMS/ACTIVITIES INCLUDED IN THE SCHEDULE

7. Mobile Applications
8. Websites
9. Web enabled Applications, not requiring FMS
10. Setting up of Service Delivery Points/Kiosks
11. Content Management
12. Social Media Management

Secretary to the Government.

(Published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(II) dated 4.9.2018)

अधिसूचना संख्या : एफ.2(1)एफ.डी/एस.पी.एफ.सी./2017 **अगस्त 28, 2018**

एस.ओ.134:– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 33 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं.21) की धारा 6 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि घरेलू उद्योग को प्रोन्नत करने के लिए और राज्य के युवाओं में उद्यमिता के प्रोत्साहन और लोक उपापन में उनकी भागीदारी में वृद्धि करने के लिए राजस्थान में अवस्थित और युवाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स के लिए विगत अनुभव और वित्तीय पण्यावर्त से संबंधित अपेक्षित तकनीकी अर्हताओं में शिथिलीकरण मंजूर करके क्रय अधिमानता उपलब्ध करवाना आवश्यक है, इसके द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) में यथापरिभाषित उपापन संस्थाएं, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2011, दिनांक 19.11.2015 द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को मंजूर की गयी अधिमानता के अतिरिक्त, राजस्थान में स्थित स्टार्टअप्स को माल और सेवाओं के उपापन के लिए निम्नलिखित रीति में अधिमानता देगी, अर्थात् :–

(iii) यदि, जहां उपापन की विषय–वस्तु का अनुमानित मूल्य, जैसा कि अनुसूची में उल्लिखित है, एक अवसर पर एक करोड़ रु. से अधिक नहीं है, वहां उपापन की विषय–वस्तु में किसी स्टार्टअप के अनुभव के वर्षों की संख्या और उपापन की विषय–वस्तु के मूल्य के संबंध में विगत कुछ वर्षों में स्टार्टअप के वित्तीय पण्यावर्त के संबंध में तकनीकी अर्हताएं अनुसूची में उल्लिखित विषय–वस्तु के उपापन के लिए साध्य सीमा तक समुचित रूप से शिथिल की जायेंगी। ऐसे समस्त मामलों में जिनमें स्टार्टअप्स को इस अधिसूचना में यथा उपबंधित शिथिलता नहीं दी गयी है, उनमें उपापन संस्था द्वारा करण लेखबद्ध किया जाना आज्ञापक होगा।

(iv) जब कभी, अनुसूची में उल्लिखित उपापन की विषय–वस्तु के संबंध में, उपापन, जहां उपापन का अनुमानित मूल्य एक अवसर पर एक करोड़ रुपये तक है वहां सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) का प्रतिनिधि राजस्थान लोक–उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 3 के अधीन गठित उपापन समिति का सदस्य होगा। ऐसा सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में उपनिदेशक की रैंक से नीचे का नहीं होगा; और –

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, –

(क) स्टार्टअप से औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा इस रूप में परिभाषित संस्था अभिप्रेत है और, तद्नुसार, जिसने भारत सरकार में सक्षम प्राधिकारी से उसके लिए मान्यता प्राप्त कर ली है और यह भी कि उक्त संस्था राजस्थान में स्थित है, या राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी, 2015 के अधीन राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा स्टार्टअप के रूप में अनुमोदित कोई संस्था अभिप्रेत है;

(ख) अनुसूची से इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है; और
(ग) युवा से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी राष्ट्रीय युवा नीति जो कि संबंधित उपापन संस्था द्वारा बोली दस्तावेज जारी किये जाने की तारीख को प्रवृत्त है, में यथा परिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है।

अनुसूची

अनुसूची में सम्मिलित मदों/क्रियाकलापों की सूची

1. मोबाइल एप्लीकेशन्स।
2. वेबसाइट्स।
3. वेब सक्षम एप्लीकेशन्स जिनमें, एफ एम एस की आवश्यकता नहीं है।
4. सर्विस डिलीवरी पाइन्ट्स/कियोस्क की स्थापना।
5. विषय–वस्तु प्रबंध।
6. सोशल मीडिया प्रबंध।

शासन सचिव

(राज.राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग)(।।) दिनांक 4.9.2018 में प्रकाशित)

Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 Dated : August 30, 2018

S.O.135. - In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 33 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that in order to encourage entrepreneurship among the youth of the State and increase their participation in the public procurement, providing purchase preference by granting relaxation in the required technical qualifications related to past experience and financial turnover for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), situated in Rajasthan and operated by the youth, is necessary for the promotion of domestic industry and for furtherance of the socio-economic policy of the State Government, hereby notifies that procuring entities, as defined in sub-section 2 of section 3 of the said Act, shall, in addition to the preference granted to the MSMEs vide notification number F.1(8)/FD/GF&AR/2011 dated 19.11.2015, accord preference to the MSMEs situated in Rajasthan for the procurement of Goods and Services in the following manner, namely :-

(i) The purchase preference shall be given by the procuring entity to MSMEs situated in Rajasthan and operated by the youth by grant of relaxation in the requirement of the technical qualifications with respect to number of years of experience in the subject matter of procurement and financial turnover in past certain years in relation to the value of subject matter of procurement to the extent feasible for the procurement of Goods and Services.

(ii) It shall be mandatory for the procuring entity to record reasons, in writing, in all such cases where the preference to Micro, Small or Medium Enterprise is not given as provided in this notification.

For the purpose of this notification, -

(a) MSME means an entity defined as such in the notification number F.1(8)/FD/GF&AR/2011, dated 19.11.2015;

(b) Youth means the persons as defined in the National Youth Policy, issued by the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India and which is in force on the date of issue of the bidding document by the Procuring Entity concerned.

Secretary to the Government

(Published in Raj.Gazette EO Part 4(Ga)(II) dated 4.9.2018)

अधिसूचना संख्या : एफ.2(1)एफ.डी / एस.पी.एफ.सी. / 2017 अगस्त 30, 2018

एस.ओ.135 :– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 33 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं.21) की धारा 6 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि घरेलू उद्योग को प्रोन्नत करने के लिए और राज्य सरकार की सामाजिक–आर्थिक नीति को अग्रसर करने के लिए राज्य में युवाओं के मध्य उद्यमिता के प्रोत्साहन और लोक उपापन में उनकी भागीदारी में वृद्धि करने के लिए राजस्थान में स्थित और युवाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के लिए विगत अनुभव और वित्तीय पण्यावर्त से संबंधित अपेक्षित तकनीकी अर्हताओं में शिथिलीकरण मंजूर करके क्रय अधिमानता उपलब्ध करवाना आवश्यक है, इसके द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) में यथापरिभाषित उपापन संस्थाएं, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8) / एफ.डी. / जी.एफ.एण्ड ए.आर. / 2011, दिनांक 19.11.2015 द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को मंजूर की गयी अधिमानता के अतिरिक्त, राजस्थान में स्थित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को माल और सेवाओं के उपापन के लिए निम्नलिखित रीति में अधिमानता देगी, अर्थात् :–

(i) राजस्थान में स्थित और युवाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को उपापन की विषय–वस्तु में अनुभव के वर्षों की संख्या और उपापन की विषय–वस्तु के मूल्य के संबंध में विगत कुछ वर्षों में वित्तीय पण्यावर्त के संबंध में उपापन संस्था द्वारा तकनीकी अर्हताओं की अपेक्षा में शिथिलीकरण प्रदान कर के माल और सेवाओं के उपापन के लिए साध्य सीमा तक क्रय अधिमानता दी जायेगी।

(ii) ऐसे समस्त मामलों में जिनमें सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम को इस अधिसूचना में यथा उपबंधित अधिमानता नहीं दी गयी है, उनमें उपापन संस्था द्वारा कारण लेखबद्ध किया जाना आज्ञापक होगा।

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,–

(क) एम.एस.एम.ई. से अधिसूचना संख्यांक एफ.1 (8) एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2011, दिनांक 19.11.2015 में परिभाषित संस्था अभिप्रेत है;

(ख) युवा से, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी राष्ट्रीय युवा नीति, जो कि संबंधित उपापन संस्था द्वारा बोली दस्तावेज जारी किये जाने की तारीख को प्रवृत्त है, में यथापरिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है।

शासन सचिव

(राज.राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग)(।।) दिनांक 4.9.2018 में प्रकाशित)

Notification No.F.2(1)/FD/SPFC/2017 Dated :11.9.2018

S.O.162. - The Governor of Rajasthan is hereby, for the purpose of approval for grant of exemption under section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), makes the following categories of cases, namely. :-

(i) The procurement cases wherein procurement process has not been initiated, the power to exempt any procurement or a class or category of procurements or a class or category of procuring entities from the application of all or any of the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 shall be exercised by the Finance Department with the competent approval.

(ii) The exemption in procurement cases, wherein, the procurement process has already been started may be assigned to an authorized sub-committee of the Cabinet, subject to the following :-

(a) The Administrative Department concerned is convinced that the case is exceptional in nature and consider it as an appropriate and fit case for such exemption making a clear recommendation for the same and

(b) After initiating an appropriate action against the defaulters;

(iii) The Administrative Department of the sub-committee of the Cabinet shall be Cabinet Secretariat. The member secretary shall be the Secretary-in-charge of the Administrative Department concerned whose case of exemption is placed for consideration of the said sub-committee.

Secretary to the Government.

[Publised in Rajasthan Gazettee EO Part 4(Ga)(II) dated 11.9.2018]

अधिसूचना क्रमांक : एफ.2(1)/एफ.डी./एसपीएफसी/2017 दिनांक : 11.09.2018

एस.ओ.232 :—राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं.21) की धारा 58 के अधीन छूट प्रदान करने के लिए अनुमोदन के प्रयोजन हेतु, इसके द्वारा, मामलों के निम्नलिखित प्रवर्ग बनाते हैं, अर्थात्:—

(i) उपापन के ऐसे मामले, जिनमें उपापन प्रक्रिया आरम्भ नहीं की गई है, किसी उपापन या उपापनों के किसी वर्ग या प्रवर्ग या उपापन इकाईयों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के समस्त या उनमें से किन्हीं भी उपबंधों के लागू होने से छूट देने की शक्ति का प्रयोग वित्त विभाग द्वारा सक्षम अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा।

(ii) उपापन के वे मामले, जिनमें उपापन प्रक्रिया पहले से ही आरंभ हो चुकी है, मंत्रिमण्डल की प्राधिकृत उप—समिति को निम्नलिखित के अध्यधीन रहते हुए छूट के लिए समनुदेशित किए जा सकेंगे :—

(क) संबंधित प्रशासनिक विभाग का यह समाधान हो गया है कि मामला आपवादिक प्रकृति का है और उसके लिए स्पष्ट रूप से सिफारिश करते हुए ऐसी छूट के लिए उसे समुचित और उचित मामला मानता है; और

(ख) व्यतिक्रमियों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही आरम्भ करने के पश्चात्।

(iii) मंत्रिमण्डल की उप—समिति का प्रशासनिक विभाग, मंत्रिमण्डल सचिवालय होगा। उप—समिति में जिस प्रशासनिक विभाग द्वारा छूट का मामला विचारार्थ रखा गया है, उसका प्रभारी सचिव उप—समिति का सदस्य सचिव होगा।

शासन सचिव

परिपत्र क्रमांक : एफ.2(1)/एफ.डी./एसपीएफसी/2017 दिनांक : 14.11.2018

विषय : वित्त (जीएण्डटी) विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या–1 दिनांक 30.4.2018 के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत्।

इस विभाग द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधनों की सेवाओं के उपापन के संबंध में जारी परिपत्र सख्या–1/2018 दिनांक 30.4.2018 के बिन्दु संख्या (V) पर वर्णित ''राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोलियों में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी, के संबंध में विभिन्न प्रशासनिक विभागों से मार्गदर्शन हेतु प्राप्त प्रकरणों के क्रम में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है :

''बोलीदाता (bidder) के द्वारा निविदा प्रस्तुत किये जाने के समय राजस्थान श्रमिक अनुबंधित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबंध नियम, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अद्यतन प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है, तो बोलीदाता द्वारा पंजीकरण प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तदनुसार वचन–पत्र (Undertaking) प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है।

सफल बोलीदाता को यह शपथ–पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि निविदा अवधि के दौरान यदि उसके द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबन्धित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबन्ध नियम, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हो तो तदनुसार पंजीकरण कराते हुए प्रमाण–पत्र की प्रति संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी।''

शासन सचिव, वित्त (बजट)

No. F.3(1)/SPFC/FD/2013 **Dated : 27.02.2019**

The Finance Department Circular No.F.3(1)/SPFC/FD/2013 dated 11.7.2017 regarding procedure for the issue of Guidelines under section 56 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 is hereby withdrawn with immediate effect.

Secretary, Finance (Budget)

Circular No. F.2(4)FD/SPFC/2017 **Dated : 28.2.2019**

Sub : Revision in the rates in respect of hiring of vehicles.

Refer to the Circular of even number dated 19.07.2018 (Circular No.4/2018) issued by department regarding hiring of vehicles. The maximum ceiling of expenditure prescribed in existing point No. 2(i), (ii), (iii) and (iv) of this circular are hereby revised as under :-

Particulars	Revised rates
Point No. 2(i) for offices having a city (Municipal limits of a town) as their jurisdiction	Rs. 24,000/- per month for 1500 Kms (GST extra, if applicable)
Point No. 2(ii) for offices having a district as their jurisdiction.	Rs.28,500/- per month for 2000 Kms (GST extra, if applicable)
Point No. 2(iii) for offices having jurisdiction of more than one district but less than the whole state.	Rs.30,300/- per month for 2200 Kms (GST extra, if applicable)
Point No. 2(iv) for official use in respect of those offices whose functional and operational jurisdiction is spreading over the entire State.	Rs.33,000/- per month for 2500 Kms (GST extra, if applicable)

Point No.3

(i) Revised to Rs. 24,000/- per month (GST extra, if applicable).

(ii) For additional running of vehicle (more than 1500 Kms) – @ Rs. 9.00 per Km.

Point No.4 The maximum ceiling of expenditure in a month for vehicles required on as and when basis would be Rs.12,000/- per month.

Point No.5 Further, the rates for additional running/plying of vehicle for more than 1500 Kms, the charges shall not be more than Rs. 9.00 per Km.

Point No.13 These rates/conditions shall be applicable with effect from 01.03.2019. (Payment for which payable on 1 April, 2019). The existing contracts for hiring of vehicles, which have been entered into prior to issue of this Circular having the price escalation condition/clause can also implement these rates with effect from 01.03.2019.

Point No.15 A format of log sheet to be maintained for hired taxi vehicle is enclosed.

All other terms & conditions mentioned in the above referred circular shall remain unchanged.

Encl.As above **Secretary, Finance (Budget)**

DAILY LOG SHEET FOR HIRED TAXI VEHICLES
(To be filled and Signed in Triplicate)

Vehicle No.	Date	Duty Start Time	Reporting Place	Opening Kms. reading	Details of Journeys undertaken	Closing KMs. reading	Total KMs traveled (figures and Words)	Closing Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Vehicle require nest
10.
Place :
Date :
Time :

(Signature of OIC)
11.
Name :
Date :

परिपत्र क्रमांक : प. 4(1)/वित्त/एसपीएफसी/2013 दिनांक : 13.05.2019

समस्त विभागाध्यक्ष
राजस्थान।

विषय : राज्य लोक उपापन पोर्टल पर सूचनाओं के प्रकाशन तथा Content Archival Policy (CAP) के अन्तर्गत डाटा हटाने बाबत्।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17, RTPP नियत, 2013 के नियम 4 तथा इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या–1 दिनांक 30.01.2014 तथा समय–समय पर जारी अन्य परिपत्रों/आदेशों/दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था द्वारा RTPP Act की धारा 17 के बिन्दु संख्या 1 से 8 में वर्णित समस्त सूचनाओं का राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशन किया जाना बाध्यकारी है परन्तु अधिकांश प्रकरणों में यह पाया गया है कि कतिपय उपापन संस्थाओं द्वारा उपापन से संबंधित समस्त अपेक्षित आवश्यक सूचनाओं का राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशन नहीं किया जा रहा है जो कि पारदर्शिता की भावना के विरूद्ध है।

विदित हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2015–16 के मध्य उपापन संस्थाओं द्वारा SPPP पर कुल 45524 बोलियां अपलोड की गई जिनमें से मात्र 7028 बोलियों में ही कार्यादेश अपलोउ किया जाना पाया गया है अर्थात् उक्त अवधि में 38496 बोलियों में उपापन संस्थाओं द्वारा SPP Portal पर समयबद्ध कार्यादेश अपलोड नहीं किए गए हैं जिससे प्रतीत होता है कि राज्य उपापन पोर्टल पर उपापन संबंधी सूचनाओं के प्रकाशन के संबंध में कतिपय उपापन संस्थाओं द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17 एवं RTPP Rules, 2013 के नियम 4 की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है। उक्तानुसार उल्लिखित अपूर्ण डाटा को पोर्टल पर संगृहीत रखने से पोर्टल पर अतिरिक्त भार पडता है तथा पोर्टल की दक्षता भी प्रभावित होती है।

अतः वित्तीय वर्ष 2012–13 से 31 मार्च, 2016 तक का डाटा राज्य लोक उपापन पोर्टल से हटाया जा रहा है तथा भविष्य में किसी भी उपापन संस्था को उक्त वर्णित डाटा की आवश्यकता होने पर ऑनलाईन सीआएफ के जरिए वित्त (G&T-SPFC) विभाग के माध्यम से ई–मेल (cao.spfc@rajasthan.gov.in) के द्वारा राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ (SPFC) से अनुरोध किया जा सकता है।

चूंकि राज्य लोक उपापन पोर्टल पर RTPP Act/Rules की अनुपालना में आमंत्रित की जाने वाली बोलियों से संबंधित सूचनाऐं/दस्तावेजों को अनिवार्यतः प्रकाशित किए जाने का प्रावधान है अतः समस्त विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने विभाग एवं अधीनस्थ उपापन संस्थाओं से संबंधित आवश्यक सूचनाओं का प्रकाशन लोक उपापन पोर्टल पर नियमानुसार निर्धारित अवधि में ही कराना सुनिश्चित कराएं।

संयुक्त शासन सचिव

Circular No.F.6(2)FD/GFAR/2016/SPFC Dated : 31.05.2019

Sub: Monitoring of Registration of Users and Procurement through GeM Portal.
Ref: This office, circular No. 2(2)FD/SPFC/2017 dated 25.7.2017 and F.6(2)FD/ GF&AR/ 2016/ SPFC Dated 2.2.2018.

All Head of Departments were directed by the referred circulars that the monthly information regarding registration of users on GeM Portal and procurement made through GeM Portal has to be sent to Finance (G&T-SPFC) Department in prescribed format GeM-1 and GeM-2 on monthly basis. But it is a matter of regret that the required information has not been regularly sent by the HoDs on monthly basis.

Government of India is pursuing the adoption and use of GeM Portal for the procurement of Goods and Services. Accordingly, Administrative Departments (ADs) under the State Government are further directed to ensure the following :-

1. Ensure the registration of HODs (Primary users) and procuring entities on GeM Portal under the Administrative Departments.
2. The Information of the registration of primary users and secondary users is to be made available to Finance (G&T-SPFC) Department through e-mail (**cao.spfc@rajasthan.gov.in**) on or before 15.6.2019 in the prescribed format GeM-1.
3. The information regarding procurement made through GeM Portal is to be sent by HoD (Primary Users) to the Administrative Departments (ADs) concerned on 5th day of every month in prescribed format GeM-2 and subsequently the cumulative information is to be sent by the Administrative Departments (ADs) concerned to Finance (G&T-SPFC) Department through e-mail (**cao.spfc@rajasthan.gov.in**) **on or before 10th day of every month.**
4. Administrative Departments are requested to ensure that the cumulative information of procurement made by their Procuring Entities through GeM Portal is to be sent to Finance (G&T-SPFC) Department through e-mail (**cao.spfc@rajasthan. gov.in**) in prescribed format **GeM-3 positively by 10th day of every month.**

This is to be noted that registration of users on GeM Portal and procurement through GeM Portal is being monitored at the highest levels in Government of India. Hence, all Administrative Departments (ADs) shall ensure that the information required as above must be e-mailed to FD (G&T-SPFC) within given time frame.

Encl. As above format of GeM-1, GeM-2 and GeM-3

Secretary Finance (Budget)

Format GeM-1

Name of Administrative Department :
Name of Department :
Name of Primary User :
(Separate for each primary user)

DETAILS OF SECONDARY USERS

S.No.	Name of Secondary User	Designation	Office Name & Address	Role (Buyer/Consignee/PAO)	Remarks
1	2	3	4	5	6

1. The Format of GeM-1 shall be sent by the **HoDs through AD concerned on or before 15.6.2019.** Later to this, this Format shall be sent in case of change of users, like that in case of retirements, transfers of the officers concerned, creation of new users etc.
2. Buyer and Consignee can be one and the same officer, but PAO/DDO has to be a separate officer.

Format GeM-2

Name of Administrative Department :
Name of Department :
Name of Primary User :
(Separate for each primary user)
For the month of :...................., 2019

DETAILS OF PROCUREMENT THROUGH GeM

S. No.	Offices name & addresses of Secondary users	Type of Procure-ment (Goods or services)	Details of procur-ement	Method of Procu-rement	Amount of the order placed	Uploaded on SPPP, with date of uploading	Total amount of procurement for the month			Rema-rks
							Goods	Services	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Note : This duly filled format is to be sent by 10th of **every month** to cao.spfc@rajasthan.gov.in including the details of previous calendar month by **HoDs through AD concerned.**

Format GeM-3

Name of Administrative Department :
Name of Department :
Name of Primary User :
(Separate for each primary user)

Address of primary user :

DETAILS OF PROCUREMENT (cumulative) OF DEPARTMENT THROUGH GeM

S. No.	Total Procurement of Department through GeM from 1.5.2017 to 31.3.2018			Total Procurement of Department through GeM from 1.4.2018 to 31.3.2019			Total Procurement of Department through GeM from 1.4.2019 to 31.5.2019			Total Procurement from 1.5.2017 to 30.4.2019			Rema rks
	Goods	Services	Total	Goods	Services	Total	Goods	Services	Total	Goods	Services	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Note : This duly filled format is to be sent by 15th of June, 2019 to cao.spfc@rajasthan.gov.in including the details of all previous procurement of whole Department by HoDs through Administrative Department concerned.

परिपत्र क्रमांक एफ.1(8)वित्त/एसपीएफसी/2017 **जयपुर, दिनांक : 26.6.2019**

विषय : Government e-marketplace (GeM) से किए गए उपापन का समयबद्ध भुगतान किये जाने बाबत्।

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 1 (8) वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 1.5.2017 द्वारा राज्य की समस्त उपापन संस्थाओं के लिए GeM के माध्यम से उपापन के संबंध में उपापन संस्थाओं से अपेक्षित था कि GeM Portal के माध्यम से किए गए उपापनों के भुगतान निर्धारित समय सीमा में ही किए जाए। वित्त विभाग के ध्यान में लाया गया है कि राज्य की कतिपय उपापन संस्थाओं द्वारा GeM के माध्यम से किए गए उपापनों का समयबद्ध भुगतान नहीं किया जा रहा है। अतः समस्त संबंधित उपापन संस्थाओं को पुनः परामर्शित किया जाता है कि उनके द्वारा GeM Portal, वाणित्य मंत्रालय, भारत सरकार से सम्पादित किए गए उपापन प्रकरणों का समय पर भुगतान सुनिश्चित कराएं।

संयुक्त शासन सचिव

परिपत्र क्रमांक एफ.4(1)वित्त/एसपीएफसी/2013 **जयपुर, दिनांक : 10.12.2019**

विषय : राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) में Government e-mail service का उपयोग करने के संबंध में।

राज्य लोक उपापन पोर्टल पर वर्तमान में नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं के द्वारा सरकारी ई–मेल सिस्टम/सेवाएं एवं सार्वजनिक ई–मेल सिस्टम/सेवाएं यथा Yahoo/Gmail/Hotmail/Outlook/Rediff आदि का उपयोग किया जा रहा है।

सूचना एवं संचार विभाग, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.02. 2015 की अनुपालना में राजकीय संवाद/संव्यवहारों हेतु सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/निगमों में सरकारी ई–मेल सिस्टम/ सेवाओं का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। उक्त अधिसूचना की पालना में प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 23.09.2019 द्वारा राजकीय संव्यवहारों/संवाद हेतु सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/निगमों में सरकारी ई–मेल सिस्टम/सेवाएं जो कि एनआईसी और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है का प्रयोग तुरन्त प्रभाव से अनिवार्य कर दिया गया है एवं वर्तमान में राज्य लोक उपापन पोर्टल/ई–प्रोक पोर्टल पर सार्वजनिक ई–मेल सेवा यथा Yahoo/Gmail/Hotmail /Outlook/Rediff द्वारा जारी ई–मेल आई.डी. का उपयोग तुरन्त प्रभाव से निषेध कर दिया है।

प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 23.09.2019 (प्रति संलग्न) के अनुसरण में सार्वजनिक ई–मेल सेवा प्रदाता यथा Yahoo/Gmail/Hotmail/Outlook/Rediff द्वारा जारी ई–मेल आई.डी. का उपयोग तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। समस्त सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/निगमों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य लोक उपापन पोर्टल/ई–प्रोक पोर्टल में नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं के द्वारा सरकारी ई–मेल username@rajasthan.gov.in/username/ @rajasthan.in एवं NIC के इमेल username@nic.in का अनिवार्यतः उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जावे। जिन सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/निगमों के पास स्वयं के डोमेन पर इमेल बना रखी है उन्हें राजस्थान स्टेट डाटा सेन्टर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सर्वर पर होस्ट किया जा सकता है। सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/निगमों द्वारा पहले से उपलब्ध डोमेन और ई–मेल को काम में लिया जा सकता है। अतः सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/निगमों में राज्य लोक उपापन पोर्टल/ई–प्रोक पोर्टल में नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं के द्वारा सरकारी ई–मेल सिस्टम/सेवाओं का उपयोग अनिवार्यतः करना सुनिश्चित करें अन्यथा सार्वजनिक ई–मेल के माध्यम से संचार/संवाद व्यवस्था का उपयोग राज्य लोक उपापन पोर्टल/ई–प्रोक पोर्टल पर दिनांक 01.01.2020 से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

Notification No. F.2(1)/FD/SPFC/2017 Jaipur, dated: 06.04.2020

In exercise of the powers conferred by section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government, being of the opinion that COVID-19 has been declared pandemic across the world and the detail procedures of procurement as per the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 and rules made thereunder are not feasible to be adhered fully in this emergent and unforeseen situation, it is necessary in public interest so to do, hereby exempts the procurement of Goods, Works and Services related to management of COVID-19 pandemic only, by Medical & Health Department and Procuring Entities under their control, Medical Education Department and Procuring Entities under their control and District Collectors as a Procuring Entity from the Application of the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012.

Secretary to the Government
Finance(Budget) Department

अधिसूचना क्रमांकः प. 2 (1) एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक : 06.04.2020

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि कोविड–19 को पूरे विश्व में महामारी घोषित कर दिया गया है और इस आपात और अकल्पित स्थिति में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार उपापन की विस्तृत प्रक्रियाओं का पूर्ण रूप से अनुसरण किया जाना साध्य नहीं है और लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और उनके नियंत्रणाधीन उपापन संस्थाओं, चिकित्सा शिक्षा विभाग और उनके नियंत्रणाधीन उपापन संस्थाओं और एक उपापन इकाई के रूप में, जिला कलक्टरों द्वारा, केवल कोविड–19 महामारी के प्रबन्ध से संबंधित माल, संकर्म और सेवाओं के उपापन को, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के उपबंधों के लागू होने से, इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

Notification No. F.2(1)/FD/SPFC/2017 Jaipur, dated: 20.04.2020

In exercise of the powers conferred by section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government, being of the opinion that COVID-19 has been declared pandemic across the world and the detail procedures of procurement as per the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 and rules made thereunder are not feasible to be adhered fully in this emergent and unforeseen situation, it is necessary in public interest so to do, hereby exempts the procurement of Goods and Services related to management of COVID-19 pandemic only, by Food, Civil Supply and Consumer Affairs department, Rajasthan State Food & Civil Supply Corporation Limited and District Collectors (Supply) from the Application of the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012.

Secretary to the Government

अधिसूचना क्रमांकः प. 2 (1) एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक : 20.04.2020

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि कोविड–19 को पूरे विश्व में महामारी घोषित कर दिया गया है और इस आपात और अकल्पित स्थिति में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार उपापन की विस्तृत प्रक्रियाओं का पूर्ण रूप से अनुसरण किया जाना साध्य नहीं है और लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और जिला कलक्टरों (रसद) द्वारा, केवल कोविड–19 महामारी के प्रबन्ध से संबंधित माल और सेवाओं के उपापन को, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के उपबंधों के लागू होने से, इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

परिपत्र क्रमांक प.6(5) वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.4.2020

विषयः– ई–ग्रास पर ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रकिया हेतु एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं RISL फीस जमा कराने एवं RISL फीस को कोषालय सचिवालय में संधारित पी.डी. खाते में हस्तान्तरित किये जाने की प्रकिया।

लोक उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित करने के उद्देश्य से ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर ई–निविदाओं के प्रेषण के लिए एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं RISL फीस को ऑनलाईन ई–ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना आवश्यक है। इसके अन्तर्गत ई–ग्रास पर एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी राशि एवं RISL फीस जमा कराने एवं RISL फीस को कोषालय सचिवालय में संधारित पी.डी. खाते में हस्तान्तरित किये जाने की क्रिया विधि निम्नानुसार है :–

1. बिडर द्वारा ई–ग्रास पर प्रोफाइल बनाने के बाद ई–प्रोक्योरमेन्ट हेतु बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं RISL फीस का भुगतान एक ही चालान से ऑनलाइन जमा करवाया जायेगा। इस राशि में से बोली दस्तावेज मूल्य एवं RISL फीस रिफण्ड योग्य नहीं होगी। बिड सिक्योरिटी हेतु बजट मद 8443–103, 108 एवं 109 में जमा राशि नियमानुसार संबंधित विभाग द्वारा रिफण्ड किये जाने हेतु सिस्टम में व्यवस्था की गयी है। RISL फीस (i) सिविल विभागों की निविदाओं हेतु बजट मद 8658-00-102-(16)-[01] (सिविल विभाग), (ii) निर्माण विभागों की निविदाओं हेतु बजट मद 8658-00-102-(16)-[02] (निर्माण विभाग) (iii) वन विभाग की निविदाओं हेतु बजट मद 8658-00-102-(16)-[03] (वन विभाग) के अन्तर्गत जमा की जायेगी। बोली दस्तावेज मूल्य हेतु निर्धारित राजस्व मद में बिडर द्वारा राशि जमा कराने हेतु ई–ग्रास पर प्रावधान उपलब्ध रहेगा।

2. बिड सिक्योरिटी जमा कराने के लिए सभी विभागों हेतु बजट मद 8443–103 जबकि निर्माण कार्यों हेतु बिड सिक्योरिटी बजट मद 8443–108 (निर्माण विभागों) एवं 8443–109 (वन विभाग) में जमा कराने की दशा में डिविजन कोड का चयन ई–ग्रास पर किया जाना अनिवार्य होगा।

3. इस प्रक्रिया से जमा राशि का लेखांकन ई–कोषालय के स्तर पर किया जायेगा। ई–ग्रास पर उपलब्ध विभागवार/कार्यालयवार रिपोर्ट्स में जमा राशि से संबंधित रिपोर्ट्स प्रदर्शित की जायेगी।

4. ई–कोषालय में बिन्दु संख्या 1 में वर्णित बजट मद 8658-00-102-(16)-[01], [02], [03] के अन्तर्गत जमा RISL फीस को माह में दो बार बजट मद 8782–101 (Inter Treasury Transfer) के माध्यम से कोषालय (सचिवालय) जयपुर में RISL के पी.डी. खाते में जमा किये जाने हेतु समायोजन बिल के माध्यम से हस्तान्तरित किया जायेगा। जिसे कोषालय (सचिवालय) जयपुर द्वारा उसी माह में मद 8782–101 को माईनस क्रेडिट करते हुए RISL के पी.डी. खाते में अलग–अलग समायोजन बिलों के माध्यम से हस्तान्तरित किया जाना अनिवार्य होगा। यह सूचना ई–ग्रास से वॉम पर Seamless Data Sharing की व्यवस्था से हस्तांतरित की जायेगी। सिस्टम पर उपलब्ध रिपोर्ट्स के माध्यम से संबंधित निर्माण खण्ड ई–ग्रास पर जमा राशि व रिफण्ड राशि का स्टेटस भी देख सकते है।

5. निर्माण कार्यों से संबंधित बिड हेतु उक्त चालान से संबंधित राशि निर्माण लेखों में फार्म 80 में प्रदर्शित होने पर कोषालयों द्वारा चालान की प्रति प्रत्येक मद में जमा राशि के लेखों के साथ महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करवायी जायेगी।

6. उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत बिडर को प्रारम्भ में ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर बिड भरने के साथ–साथ ई–ग्रास पर एक चालान के माध्यम से ई–भुगतान का चयन करते हुए अपेक्षित राशि जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया को एन.आई.सी. द्वारा ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल से ई–ग्रास का इन्टीग्रेशन करते हुए अविलम्ब लिंक करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। व्यवस्था स्थापित होने तक बिडर को ई–ग्रास पर भुगतान होने के उपरान्त चालान CIN नम्बर के साथ जनरेट कर ई–प्रोक साईट पर स्केन कर अपलोड करना होगा। ई–ग्रास एवं ई–प्रोक्योरमेन्ट का लिंक स्थापित होने के उपरान्त अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा ई–ग्रास सिस्टम ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल से बिडर का नाम लेने के स्थान पर सिस्टम जनरेटेड कोड फेच करेगा तथा बिड फाइनल होने के बाद बिडर का नाम पूर्व के कोड से फ्लेग करते हुए किया जाना सुनिश्चित करेगा जिससे बिडर को होने वाले रिफण्ड भुगतान में असुविधा न हो। उपापन संस्था द्वारा ई–ग्रास पर कार्यालयवार उपलब्ध रिपोर्टस एवं ई–कोषालय के TY-33 से जमाओं का मिलान भी सुनिश्चित किया जावेगा।

7. ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल के ई–ग्रास पोर्टल से इन्टीग्रेशन के उपरान्त ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर निर्माण कार्यो से संबंधित बिड भरने हेतु बजट मद 8443–108,109 में बनाये गये चालान की राशि निर्माण लेखों में सम्मिलित किये जाने के उद्देश्य से प्रविष्टि एक कोड के साथ एन.आई.सी. वॉम को उपलब्ध करायी जावेगी। बिड खुलने के बाद उक्त प्रविष्टि हेतु संवेदक का नाम एवं अन्य विवरण एन. आई. सी. (वॉम) को उपलब्ध कराया जायेगा।

एनआईसी (वॉम) द्वारा तद्नुसार ही प्रविष्टि को निर्माण लेखों में सम्मिलित किया जावेगा, जिसके पश्चात ही बिड सिक्योरिटी राशि रिफण्ड किये जाने हेतु उपलब्ध होगी। इस हेतु ई–ग्रास व ई–प्रोक पोर्टल का इन्टीग्रेशन व लिंक किया जायेगा। ई–प्रोक पोर्टल से भुगतान हेतु संवेदक को ई–ग्रास पर आने का लिंक तथा ई–ग्रास पर भुगतान करने के तुरन्त पश्चात् ई–प्रोक पोर्टल पर जाने का लिंक भी दिया जायेगा।

9. ई–प्रोक्योरमेन्ट हेतु बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं RISL फीस का भुगतान एक ही चालान से ई–ग्रास के माध्यम से जनरेट किये जाने पर संबद्ध एजेन्सी बैंक को तीनों बजट मदों की कुल राशि एवं जीआरएन नम्बर के साथ प्रेषित किया जायेगा तथा बैंक द्वारा जमा राशि के स्क्रॉल दिये जाने पर सिस्टम पर ई–कोषालय को पृथक–पृथक उक्त तीनों मदो में जमा राशि के अनुसार चालान नम्बर जनरेट करने, लेखा सूचियां तैयार करने एवं लेखांकन करने हेतु व्यवस्था की जायेगी।

9. ई–कोषालय के स्तर पर उक्त जमा राशि का पूर्ण लेखांकन तथा मिलान दैनिक आधार पर अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. ई–प्रोक पोर्टल के अतिरिक्त की जाने वाली बिड हेतु (जिनमें RISL Fees जमा नहीं होती) भी बिड सिक्योरिटी हेतु बजट मद 8443–103, 108, 109 व बोली दस्तावेज मूल्य राशि निर्धारित राजस्व बजट मद में जमा कराने हेतु सिंगल चालान से उक्त माध्यम से बिडर/कार्यालय द्वारा जमा करवायी जा सकेगी। इस व्यवस्था में मेन्यूअल एवं ई–मोड उपलब्ध रहेंगे।

11. यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

अतः उक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना की जावे।

शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग

परिपत्र क्रमांकः प. 4(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी./2013 जयपुर, दिनांक : 29.04.2020

विषय : राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) में सरकारी ई–मेल सिस्टम/सेवाओं (Government e-mail system/service) का उपयोग करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10.12.2019 द्वारा निर्देशित किया गया था कि सभी नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं को राज्य लोक उपापन पोर्टल/ई–प्रोक पोर्टल पर सरकारी ई–मेल सिस्टम/सेवाओं का दिनांक 01.01.2020 तक अनिवार्यतः उपयोग करें। इस हेतु दिनांक 01.02.2020 व 31.03.2020 तक तिथि बढायी गयी थी। उक्त कार्य हेतु तिथि एतद्द्वारा दिनांक 01.07.2020 तक बढायी जाती है ताकि समस्त नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाएं राज्य लोक उपापन पोर्टल/ई–प्रोक पोर्टल पर सरकारी ई–मेल सिस्टम/सेवाओं को आदिनांक (updation) कर सके।

सार्वजनिक ई–मेल सिस्टम/सेवाएं यथा yahoo/gmail/hotmail/outlook/rediff आदि का उपयोग राज्य लोक उपापन पोर्टल/ई–प्रोक पोर्टल पर दिनांक 01.07.2020 से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा। अतः सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/निगमों में राज्य लोक उपापन पोर्टल/ई–प्रोक पोर्टल में नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं को इस क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि सरकारी ई–मेल सिस्टम/सेवाओं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के ई–मेल username@rajasthan.gov.in/username@rajasthan.in एवं NIC के ई–मेल username@nic.in का अनिवार्यतः उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

परिपत्र क्रमांकः एफ 7(5)वित्त/एस.पी.एफ.सी/2013 दिनांक : 11.5.2020

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.09.2016 के द्वारा समस्त उपापन संस्थाओं को RTPP Act, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपापन से सम्बन्धित समस्त अपेक्षित आवश्यक सूचनाओं/आदेशों का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल पर आवश्यक रूप से किये जाने बाबत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

परन्तु व्यवहार में यह पाया गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा अभी तक भी पोर्टल पर केवल बोली आमंत्रण सूचनाओं (NIB) का ही प्रकाशन किया जा रहा है तथा उपापन से सम्बन्धित अन्य समस्त आवश्यक सूचनाओं/आदेशों का पोर्टल पर प्रकाशन नहीं किया जा रहा है, जो कि गम्भीर विषय है।

इस सम्बन्ध में एतद् द्वारा समस्त उपापन संस्थाओं को पुनः निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे RTPP Act, 2012 की धारा 17 के अनुसार उपापन से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचनाएं राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर आवश्यक रूप से प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करावें:—

1. पूर्व—अर्हता दस्तावेज, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज, बोली दस्तावेज तथा उसके संशोधन, स्पष्टीकरण जो बोली—पूर्व सम्मेलन के अनुसरण में हो, और उसके शुद्धि—पत्र,
2. पूर्व—अर्हता या, यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण के दौरान सहित बोली लगाने वालों की सूची, जिन्होंने बोली लगायी है,
3. पूर्व—अर्ह और, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची,
4. धारा 25 के अधीन, कारण सहित अपवर्जित बोली लगाने वालों की सूची,
5. धारा 38 और 39 के अधीन विनिश्चय,
6. सफल बोलियों का, उनकी कीमतों का और बोली लगाने वालों का ब्यौरा,
7. बोली लगाने वालों, जिन्हें राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया हैं, कि विशिष्टयां, साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन कार्रवाई का कारण और विवर्जन की कालावधि,
8. कोई अन्य सूचना, जो विहित की जाये।
9. एवं उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित अन्य आदेश

कतिपय प्रकरणों में यह भी देखा गया है कि जिन मामलों में ई—बोली आंमत्रित की जाती है, उनमें उपापन संस्थाओं द्वारा केवल ई—प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ही बिड एवं तत्पश्चात आवश्यक दस्तावेजों का प्रकाशन किया जाता है परन्तु राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर नहीं। RTPP Act, 2012 के अनुसार राशि रूपये 1.00 लाख या इसे अधिक के उपापन के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित पूर्ण कार्यवाही का राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशन किया जाना बाध्यकारी है।

इसी प्रकार इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ1(8) जी एण्ड टी/2014 दिनांक 24. 07.2014 के अनुसार नोडल अधिकारी के कर्तव्यों में अन्य कार्यो के साथ—साथ उनके विभाग के अधीन समस्त उपापन संस्थाओं द्वारा इस अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत प्रावधित समस्त वांछित दस्तावेजों की राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रत्येक छःमाही (15 अप्रेल एवं 15 अक्टूबर प्रेष्य) भिजवाने बाबत निर्देशत किया गया है। परन्तु अधिकांश विभागाध्यक्षों/उपापन संस्थाओं द्वारा उक्त प्रमाण पत्र इस विभाग को प्रेषित किये जाने का अभाव पाया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में पुनः निर्देश प्रदान किये जाते है कि समस्त विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ उपापन संस्थाओं के बाबत उक्त प्रमाण पत्र नोडल अधिकारियों के माध्यम से ***cao.spfc@rajasthan.gov.in*** पर निर्धारित समय (15 अप्रेल एवं 15 अक्टूबर) पर आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावें।

RTPP Act, 2012 एवं RTPP नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रावधान समस्त अपेक्षित सूचनाओं का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर नहीं किया जाना RTPP Act, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों के **गंभीर उल्लंघन** की श्रेणी में आता है, जिसके लिए सम्बन्धित उपापन संस्था के उत्तरदायी अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही के अतिरिक्त इस अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत प्रावधित शाक्तियों से दंडित करने की कार्यवाही सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अविलम्ब संपादित की जावें।

उपापन संस्थाओं के अधीन पदस्थापित राजस्थान लेखा सेवा/अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों/कार्मिको का उक्त प्रावधानों की अनुपालना का प्राथमिक दायित्व होगा।

उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावें।

शासन सचिव वित्त (बजट)

परिपत्र क्रमांकः एफ 7(5)वित्त/एस.पी.एफ.सी/2013 **दिनांकः 12.5.2020**

RTPP Act, 2012 की धारा–10 के अन्तर्गत सभी उपापन संस्थाओं हेतु उनके किये जाने वाले उपापनों के सम्बन्ध में निम्नांकित अभिलेख संधारित किये जाने का प्रावधान किया गया हैः–

(1) उपापन संस्था अपनी उपापन कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(क) धारा 5 के अधीन उपापन की आवश्यकता के अवधारण से सम्बन्धित दस्तावेज;
(ख) धारा 12 के अधीन उपापन की विषय वस्तु का वर्णन;
(ग) धारा 29 की उप–धारा (4) के अधीन खुली प्रतियोगी बोली से भिन्न किसी उपापन की पद्धति के चुनाव के लिए कारण का कथन;
(घ) भाग ले रहे बोली लगाने वालों की विशिष्टियां;
(ड.) बोली–पूर्व सम्मेलनों के दौरान सहित स्पष्टीकरणों के लिए अनुरोध और उनके कोई भी प्रत्युत्तर;
(च) बोली की कीमतें और अन्य वित्तीय निबंधन;
(छ) बोलियों के मूल्यांकन का सारांश;
(ज) धारा 38 के अधीन किसी अपील के ब्यौरे, और उनसे सम्बन्धित विनिश्चय;
(झ) कोई भी अन्य सूचना या अभिलेख, जैसा विहित किया जाये।

(2) धारा 38 के अधीन अपीलों के सम्बन्ध में या किसी बैठक के अनुक्रम सहित किसी उपापन के अनुक्रम में तैयार किये गये या उपापन प्रक्रिया के अभिलेख का भाग कोई दस्तावेज, अधिसूचना, विनिश्चय या कोई अन्य सूचना ऐसे किसी रूप में होगी, जो सूचना की अन्तर्वस्तु का अभिलेख उपलब्ध कराती हो और सुगम हो, ताकि पश्चात्वर्ती निर्देश के लिए उपयोग किये जाने योग्य हो।

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) या अभिलेखों के प्रतिधारण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अध्यधीन, उपापन संस्था उपापन प्रक्रिया या, यथास्थिति, उपापन संविदा के अवसान के पश्चात् किसी युक्तियुक्त कालावधि के लिए उप–धारा (1) और (2) में उपदर्शित दस्तावेजी अभिलेख को प्रतिधारित करेगी ताकि लेखापरीक्षा या ऐसे अन्य पुनर्विलोकन को समर्थ बनाये।

इसी प्रकार RTPP नियम 2013 के नियम 79 के अन्तर्गत भी उपापन के सम्बन्ध में उपरोक्त धारा 10 में वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त निम्नांकित दस्तावेजी अभिलेख उपापन संस्था को संधारण हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है:–

(क) बोली की कीमत सहित बोली लगाने वालों के नाम और पते और यदि बोली सशर्त है तो बोली की शर्तें;

(ख) उस कीमत सहित, जिस पर उपापन किया गया है, सफल बोली लगाने वाले का नाम और पता;

(ग) दर संविदा पद्धति के मामले में, उन बोली लगाने वालों के नाम और पते, जिनके साथ दर संविदा की गयी है;

(घ) बोली दस्तावेजों में किये गये उपातंरणों, यदि कोई हो, का सारांश;

(ड.) अपेक्षित अर्हता, अर्हता रखने वाले बोली लगाने वालों के ब्यौरे और कारणों सहित, अर्हित या अनर्हित बोली लगाने वालों के ब्यौरें;

(च) जहां कोई लिखित उपापन संविदा निष्पादित की गयी है, वहां दर संविदा को सम्मिलित करते हुए, संविदा की प्रति;

(छ) पैनलीकरण के मामले में, पैनलीकरण के निबंधन और शर्तें और करार, यदि कोई हो, की प्रति;

(ज) बोलियों के मूल्यांकन और तुलना का सांराश, लागू अधिमान की किसी सीमा सहित और किसी बोली को खारिज करने या विचार नहीं करने के कारणों, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए,

(झ) यदि उपापन प्रक्रिया रद्द की जाती है तो रद्दकरण के कारण।

परन्तु प्रायः यह देखा गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा उपरोक्त अभिलेखों का पूर्णतः संधारण नहीं किया जा रहा है, जो कि उक्त अधिनियम/नियमों के **गंभीर उल्लंघन** की श्रेणी में आता है। उपापन संस्थाओं का यह कृत्य विभिन्न स्तरों पर अंकेक्षण आक्षेपों के गठन का कारण बनता है तथा प्रचलित व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी को भी प्रदर्शित करता है।

अतः समस्त उपापन संस्थाओं को एतद् निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त अधिनियम/नियमों की अनुपालना के दृष्टिगत समस्त वांछित अभिलेखों का आवश्यक रूप से संधारण किया जाना सुनिश्चित करावे।

उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना की जावे।

शासन सचिव वित्त (बजट)

परिपत्र क्रमांकः एफ 7(5)वित्त/एस.पी.एफ.सी/2013 **दिनांकः 13.5.2020**

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.09.2016 के द्वारा समस्त उपापन संस्थाओं को RTPP Act, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपापन से सम्बन्धित समस्त अपेक्षित आवश्यक सूचनाओं/आदेशों का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर आवश्यक रूप से किये जाने बाबत् विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

परन्तु व्यवहार में यह पाया गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा अभी तक भी पोर्टल पर बोली आमंत्रण सूचनाओं (NIB) एवं बोली दस्तावेजों (Bid Document) का ही प्रकाशन किया जा रहा है तथा उपापन से सम्बन्धित अन्य समस्त आवश्यक सूचनाओं/आदेशों जैसे कि RTPP Rule 57(1)(i) के अनुसार तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के परिणाम, वित्तीय मूल्यांकन का परिणाम एवं नियम 71 के अनुसार संविदा के अधिनिर्णय की सूचना (Work Order) आदि का पोर्टल पर प्रकाशन नहीं किया जा रहा है, जो कि एक गम्भीर विषय है।

SPPP से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 से संबंधित उपापनों के संबंध में अपलोड किए जाने योग्य बकाया अभिलेखों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम संख्या	वर्ष	कुल प्रकाशित बोलीयां	बकाया तकनीकी चार्ट का विवरण	बकाया वित्तीय चार्ट का विवरण	बकाया कार्यादेश का विवरण
1	2017–18	104667	90460	92768	96014
2	2018–19	115257	102728	104362	107408
3	2019–20	106062	95915	97196	100339

इससे स्पष्ट होता है कि उपापन संस्थाओं द्वारा राज्य लोक उपापन में अपेक्षित पारदर्शिता का पालन नही किया जा रहा है, जिससे कि RTPP Act, 2012 एवं RTPP नियम, 2013 के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ही प्रश्नचिन्ह् उत्पन्न हो जाता है। उपरोक्त स्थिति को राज्य सरकार द्वारा बहुत ही गम्भीरता से लिया गया है। अतः सभी उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तालिका के अनुसार उपापन से सम्बन्धित बकाया अभिलेखों को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर आवश्यक (mandatory) रूप से यथाशीघ्र प्रकाशित करवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा निर्देशों की पालना के उपरान्त की गयी कार्यवाही से इस विभाग को भी सूचित करावें। साथ ही भविष्य में किये जाने वाले उपापनों के संबंध में भी उक्त निर्देशों की पालना की जावे।

उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

शासन सचिव,वित्त (बजट)

परिपत्र क्रमांकः एफ 4(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी/2013 **जयपुर, दिनांक :13.5.2020**

एनआईसी द्वारा स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट मोबाइल ऐप का अपडेटेड वर्जन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध कराया गया है। इसमें बिड सब टाईप, बिड टाईप, यूबीएन और डिपार्टमेंट वाइज, डैशबोर्ड, बहुभाषी सुविधा (हिंदी और अंग्रेजी) पर आधारित खोज और बेहतर यूजर इंटरफेस जैसी नई सुविधाएँ समाहित की गई हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए एक लिंक (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sppprajasthan.sppp_v3_02) एसपीपी पोर्टल पर भी उपलब्ध है। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने से संबंधित मुख्य चरण निम्नानुसार है:–

- स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए Android phone जरूरी है।
- प्ले स्टोर पर SPP Portal keyword से search करें।
- SPP Portal Icon आने पर Install option पर click करें।
- Install होने पर open option पर click करें जिससे मोबाइल ऐप interface खुल जायेगा।
- मोबाइल ऐप में विभिन्न विकल्प उपलब्ध है जैसे कि Bid Search, Latest Active Bid, Bid Closing Today, Bid Closing within 7 Days, Bid Closing within 14 Days, FAQ,Contact Us etc. और SPP Portal का direct link भी उपलब्ध है।
- Bid Search में UBN, Financial year, Department wise, Bid type and Bid sub type से search कर सकते है।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसरण में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य लोक उपापन पोर्टल की स्थापना की गई है तथा उपापन संस्थाओं, राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों, स्टेक होल्डर्स एवं आम जनता को सुगम पहुंच की दृष्टि से उक्त मोबाइल ऐप विकसित किया गया है।

यह आम जनता के लिए सुलभ है ताकि उन्हें राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट मोबाइल ऐप का प्राथमिक उद्देश्य सभी उपापन संस्थाओं राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों, स्टेक होल्डर्स एवं आम जनता को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जिसका उपयोग कभी भी और कहीं भी किया जा सकें एवं राज्य सरकार के अधीन विभिन्न उपापन संस्थाओं द्वारा किये जा रहे उपापनों के संबंध में नवीनतम जानकारियां सुगमता से प्राप्त हो सकें।

अतः समस्त उपापन संस्थाओं, राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों, स्टेक होल्डर्स एवं आम जनता से अनुरोध है कि वे उक्त एसपीपीपी मोबाईल ऐप का अधिक से अधिक उपयोग कर लाभान्वित होवे।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

परिपत्र कमांकः प. 3(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी./2020 **जयपुर, दिनांक :08.06.2020**

विषय : कोविड–19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के मध्यनजर उपापन के लिये किये गये अनुबंधों की समयावधि में वृद्धि बाबत्।

कोविड–19 महामारी के कारण सम्पूर्ण देश में लागू लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण माल, सेवाओं एवं मानव श्रम के संचालन पर गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पाबंदियां लगाई गई जिससे परिवहन एवं यातायात भी प्रभावित हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में संवेदकों को अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है तथा वे अपने संविदात्मक दायित्वों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं कर पाये हैं।

उपरोक्त स्थितियों के मध्यनजर राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोविड–19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन की स्थिति के कारण प्रभावित हुयी माल एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं संकर्मों के निष्पादन के संदर्भ में दिनांक 19.2.2020 के पश्चात् पूर्ण होने वाले संविदात्मक दायित्वों को पूर्ण करने की अवधि अधिकतम छः माह तक बढ़ाने पर संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं पर बिना परिसमापित नुकसानी (Liquidated Damages) आरोपित किये विचार किया जावे। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के तहत यह अभिवृद्धित समयावधि प्रकरण विशेष एवं महामारी के कारण प्रभावित निष्पादन पर आधारित होगी तथा संवेदक के दिनांक 19.2.2020 को संविदा से संबंधित अन्य दायित्वों के निर्वहन में दोषी नहीं होने पर ही लागू होगी।

उपरोक्त कारण के अलावा प्रत्येक अनुबंध में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार निर्णय लिया जावे।

समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।

शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग

परिपत्र कमांक एफ.7(4)वित्त/एसपीएफसी/2015 **जयपुर, दिनांक 12.06.2020**

विषय :—कोविड़—19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के दृष्टिगत राजकीय निगमों, बोर्ड, उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी निकायों के अन्तगर्त बकाया दावों के त्वरित भुगतान के संबंध में।

कोविड़—19 महामारी के कारण सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण विभिन्न राजकीय निगम, बोर्ड, उपक्रमों तथा स्वायत्त शासी निकायों द्वारा एमएसएमई उद्योगों तथा संवेदकों द्वारा पूर्ण की गयी आपूर्ति, सेवाओं एवं संक्रमों के निष्पादन के फलस्वरुप देय दावों का भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं हो पाने के कारण उन्हें अत्यधिक आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में संविदा की शर्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए 15 दिवस के भीतर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावे।

इसी प्रकार जिन प्रकरणों में कार्य/सप्लाई हेतु कार्यादेश जारी हो चुका है तथा सफल घोषित संवेदक द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) जमा कराते हुये उपापन संस्था के साथ अनुबंध किया जा चुका है, उनमें असफल घोषित संवेदकों द्वारा जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि तत्काल प्रभाव से लौटाया जाना सुनिश्चित किया जावे। जिन प्रकरणों में कार्य/सप्लाई बोली शर्तों के अनुसार पूर्ण हो चुके है एवं बोलीदाता द्वारा जमा करायी गयी कार्य संपादन प्रतिभूति राशि रोकी गयी है, में नियमानुसार कार्य संपादन प्रतिभूति राशि तत्काल प्रभाव से लौटाया जाना सुनिश्चित करावें।

इसके अतिरिक्त राजकीय निगम, बोर्ड, उपक्रमों तथा स्वायत्त शासी निकायों द्वारा उपयोगिताओं के बकाया दायित्वों यथा विद्युत, जल आदि का शीघ्र भुगतान करने की कार्यवाही की जावें।

साथ ही राजकीय निगमों, बोर्ड तथा उपक्रमों द्वारा स्वायत्त शासी निकायों के बकाया लीज आदि के शीघ्र भुगतान करने की कार्यवाही की जावें।

उपरोक्त निर्देशों के संबंध में कार्यवाही पूर्ण करने पश्चात् सम्बन्धित विभागों/कार्यालयों में पदस्थापित राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी तत्संबधित इकजाई सूचना दिनांक 06.07.2020 तक इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग

परिपत्र क्रमांकः एफ 4(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी./2013 **दिनांक :18.6.2020**

विषयः— राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) में Government e-mail service का उपयोग करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10.12.2019 द्वारा निर्देशित किया गया था कि सभी नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं को राज्य लोक उपापन पोर्टल/e-proc पोर्टल पर सरकारी ई—मेल सिस्टम/सेवाओं का उपयोग अनिवार्य है। उक्त कार्य हेतु दिनांक 01.01.2020, तत्पश्चात् 01.02.2020 व 31.03.2020 तक तिथि बढायी गयी थी।

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.04.2020 द्वारा उक्त कार्य हेतु तिथि दिनांक 01.07.2020 तक बढा दी गई है। सार्वजनिक ई—मेल यथा yahoo/gmail/hotmail/ outlook/rediff आदि के माध्यम से संचार/संवाद व्यवस्था का उपयोग दिनांक 01.07.2020 से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

अतः सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/निगमों में राज्य लोक उपापन पोर्टल में समस्त नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं को इस क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि सरकारी ई–मेल सिस्टम/सेवाओं यथा username@rajasthan.gov.in/username@ rajasthan.in सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा एवं username@nic.in NIC के इे–मेल का अनिवार्यत उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग

Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 Dated :June 24, 2020

S.O. 269:–In exercise of the powers conferred by section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby rescinds this department's notification number F. 2(1)FD/SPFC/2017 dated 06.04.2020, published in Rajasthan Gazette on dated 06.04.2020 vide SO 217, with immediate effect.

Secretary to the Government

Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 Dated :June 24, 2020

S.O. 270:–In exercise of the powers conferred by section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby rescinds this department's notification number F. 2(1)FD/SPFC/2017 dated 20.04.2020, published in Rajasthan Gazette on dated 20.04.2020 vide SO 227, with immediate effect.

Secretary to the Government

परिपत्र क्रमांक : एफ.7(5)वित्त/एसपीएफसी/सामान्य/2013 दिनांक 25.06.2020

प्रायः यह देखा गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा उनके द्वारा किये जा रहे उपापनों के संदर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाने वाली बोली आंमत्रण सूचना का आकार अनावश्यक रूप से काफी विस्तृत एवं बड़ा होता है जबकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43 के अन्तर्गत संक्षिप्त नोटिस के प्रकाशन का उल्लेख किया गया है, जो निम्नानुसार हैः–

43. बोली आमंत्रित करने वाली सूचनाः– *(1) उपापन संस्था खुली प्रतियोगी बोली और द्वि प्रक्रमी बोली में बोलियों की, या जहां लागू हो, पूर्व–अर्हता के लिए आवेदन की अभ्यर्थना बोली या, यथास्थिति, पूर्व–अर्हता के आमंत्रण का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल और उसकी स्वयं की शासकीय वेबसाइट, यदि उपलब्ध हो, पर करके करेगी। इस नियम के उप–नियम (6) और (7) में यथा–विहित पर्याप्त परिचालन वाले समाचार पत्रों में* ***एक संक्षिप्त नोटिस*** *भी प्रकाशित किया जायेगा।*

(5) समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला बोली आमंत्रित करने वाला नोटिस संक्षिप्त होना चाहिए। उपापन की एक से अधिक विषय–वस्तु के लिए बोली यथा–संभव एक नोटिस में प्रकाशित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार उपापन संस्था के स्तर पर बोली आमंत्रण सूचना के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त नोटिस के प्रकाशन के बाबत् प्रावधान सुस्पष्ट रूप से निर्धारित है। परन्तु अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा इन प्रावधानों की अनुपालना नहीं की जा रही है।

अतः समस्त उपापन संस्थाओं को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में किये जाने वाले उपापनों के संदर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाने वाली बोली आंमत्रण सूचना का प्रारूप आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 43 के प्रावधानों के अनुसार संक्षिप्त (Abridged) रखें। इस हेतु Template की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

शासन सचिव, वित्त (बजट)

Template

....(Name of Procuring Entity)

F. ( )/ Date :

Notice Inviting Bid

Bids for............................(Name(s) of subject matter(s) of Procurement) are invited from interested bidders upto...........(time) ....(date). Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state; and ....departmental website.
UBN ....

(Designation of Bid Inviting Officer)

क्रमांकः एफ.4(1)वित्त / एसपीएफसी / 2013 **जयपुर, दिनांक : 06.07.2020**

समस्त विभागाध्यक्ष,
राजकीय विभाग / निगम / मण्डल,
राजस्थान सरकार।

विषय : राज्य लोक उपापन पोर्टल हेतु आपके विभाग के नोडल ऑफिसर सूचना प्रेषित करने बाबत्।

महोदय,

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 राज्य में दिनांक 26 जनवरी, 2013 से लागू हैं। उक्त अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत उपापन से संबंधित सूचनाओं को राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर प्रकाशित / अपलोड किये जाने में समन्वय का दायित्व विभागाध्यक्ष द्वारा नामित नोडल अधिकारी द्वारा वहन किया जाता है।

राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ (एसपीएफसी) में संधारित विभागाध्यक्षों / नोडल अधिकारियों के रजिस्टर को अपडेट किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अतः आपसे अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में विभागाध्यक्षों व नोडल अधिकारियों की सूचना 10 जुलाई 2020 तक भिजवाने का श्रम करावें व सूचना की एक प्रति cao.spfc@rajasthan.gov.in पर भी प्रेषित कराने का श्रम करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार। संयुक्त शासन सचिव

Information regarding Head of Departments & Nodal Officer

S. No.	Name of Department	Head of Department				Nodal Officer			
		Name	Designation	Telephone No.	e-mail I.D.	Name Designation	Designation	Telephone No.	e-mail I.D.

परिपत्र क्रमांकः एफ.6(5)वित्त/साविलेनि/2018 जयपुर, दिनांक : 09.07.2020

विषय : ई ग्रास पर एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं आरआईएसएल फीस जमा करवाये जाने की प्रक्रिया के चरण।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ.6(5)वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 द्वारा राज्य सरकार के सिविल विभागों, निर्माण विभागों तथा वन विभाग में लोक उपापन प्रक्रिया में ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ई–निविदाओं के लिए एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं आरआईएसएल फीस को ऑनलाईन ई–ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा कराने के प्रावधान किये गये हैं। ई–ग्रास पोर्टल पर ऑनलाईन चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं आरआईएसएल फीस जमा करवाये जाने के संबंधित चरण निम्नानुसार हैं :–

1. बिडर का ई–ग्रास पर लॉगिन पहले से नहीं बना हो तो सर्वप्रथम बिडर को ई–ग्रास पोर्टल पर New User Sign Up से लॉगिन फार्म भरना है।
2. Logid ID Password प्राप्त करने के पश्चात् ई–ग्रास पोर्टल पर sign in करें।
3. चालान जमा करवाने हेतु Service Challan का ऑप्शन चयन करें।
4. Department का चयन करें। उसके पश्चात् services के ऑप्शन में e-proc या Non-eproc ऑप्शन का चयन करें।

उल्लेखनीय है e-proc के प्रकरण में केवल ऑनलाइन भुगतान ही स्वीकार किया जायेगा। Non-eproc में दोनों विकल्प Manual (Offline) एवं e-mode (Online) मौजूद हैं।

5. चालान फॉर्म में period के option और one time के ऑप्शन का चयन करें।
6. Payment mode में online और offline दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। ऑनलाइन मोड चयन करने पर संबंधित बैंक की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जायेगा।

ऑफलाइन भुगतान करने की स्थिति में जिस बैंक का विकल्प चुना है उसकी संबंधित बैंक में चालान जमा कराना होगा। Manual (Offline) में केश/चेक/डी.डी.द्वारा भुगतान का ऑप्शन उपलब्ध है।

विस्तृत प्रक्रिया ई ग्रास पोर्टल (https://egras.raj.nic.in/) पर User Manual में उपलब्ध है। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए ई–ग्रास हेल्प डेस्क नंबर 0141–5111007, 5111010 पर संपर्क किया जा सकता है।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

अधिसूचना क्रमांकः एफ.2(1)एफ.डी./एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक : 16.07.2020

एस.ओ.299:–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान राजपत्र में एस.ओ.217 द्वारा दिनांक 06.04.2020 को प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.2(1)एफ.डी./एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 06.04.2020 को इसके द्वारा, तुरंत प्रभाव से विखंडित करती है।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

अधिसूचना क्रमांकः एफ.2(1)एफ.डी. / एस.पी.एफ.सी. / 2017   दिनांक : 16.07.2020

एस.ओ.300:—राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान राजपत्र में एस.ओ.227 द्वारा दिनांक 20.04.2020 को प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.2(1)एफ.डी. / एस.पी.एफ.सी. / 2017 दिनांक 20.04.2020 को इसके द्वारा, तुरंत प्रभाव से विखंडित करती है।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

परिपत्र क्रमांकः प.2(1)वित्त / एसपीएफसी / 2017   दिनांक : 27.7.2020

विषय : राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों के अंतर्गत संशोधन / मार्गदर्शन संबंधी प्रकरण वित्त (जीएण्डटी) विभाग को संदर्भित किये जाने के क्रम में।

प्रायः यह देखा गया है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों में आवश्यक संशोधन हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जाते हैं परन्तु प्रस्तावों में कई कमियां होने के कारण अधिकांश प्रस्ताव को कमियों की पूर्ति हेतु बार—बार लौटाना होता है। जिससे प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग दोनों का समय एवं श्रम व्यर्थ होता है। अतः प्रशासनिक विभाग राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों में आवश्यक संशोधन / मार्गदर्शन हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करे :—

1. प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव विस्तृत, बिन्दुवार, स्पष्ट एवं स्वस्फूर्त टिप्पणी (Self Contained Note) सहित होना चाहिये।
2. विभाग द्वारा वर्तमान प्रचलित नियमों / परिपत्रों के तहत किये जा रहे उपापन में महसूस की जा रही कठिनाईयों का साक्ष्य सहित विवरण हो।
3. बोलीदाता, जिसका नाम अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 के बोली लगाने वालों के स्त्रोत / प्रवर्ग में जोडा जाना प्रस्तावित किया गया है, उस बोलीदाता के उपापन की विषयवस्तु के संबंध में माल का उत्पादक या विनिर्माता होने, सेवा का विशिष्ट सेवा प्रदाता होने, संकर्म का निष्पादनकर्ता होने संबंधी दस्तावेज संलग्न किये जावें। साथ ही बोलीदाता द्वारा पूर्व 3 वित्तीय वर्षों में उपापन की विषयवस्तु के संबंध में वर्षवार टर्नओवर के दस्तावेज संलग्न किये जावें। बोलीदाता के कार्यक्षेत्र के संबंध में दस्तावेज यथा Memorandum of Association (MoA) व Article of Association (AoA), विधान, पंजीकरण दस्तावेज आदि संलग्न किये जावें।

   बोलीदाता की श्रेणी यथा

   - राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विभाग / बोर्ड होने;
   - कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (45) में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी होने;

- केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों के प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 की उप–धारा (5) या (7) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन होने;
- स्वायत्त निकाय, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां, सहकारी सोसाइटियां जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित या नियंत्रित या स्वामित्वाधीन होने या
- अन्य

का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। प्रशासनिक विभाग यह भी सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा प्रेषित किया जा रहा प्रस्ताव आरटीपीपी एक्ट, 2012 की धारा 6 (2) के अनुरूप है।

4. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में प्रस्तावित संशोधन के बारे में वर्तमान में प्रभावी नियम, प्रस्तावित एवं उनका पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए निम्न प्रारूप में प्रस्ताव भिजवाये जावें :–

क्र.सं.	RTPP नियमों में वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन का प्रारूप	प्रस्तावित संशोधन के पश्चात् नियमों की परिवर्तित स्थिति	प्रस्तावित संशोधनों का पूर्ण औचित्य
1	2	3	4	5

5. प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय में पदस्थापित लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरांत विस्तृत टिप्पणी आवश्यक रूप से भिजवायी जावे। इसके अभाव में प्रस्ताव पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

अति.मुख्य सचिव, वित्त

परिपत्रक्रमांकः प.(1)वित्त/एसपीएफसी/2013 दिनांकः 8.9.2020

विषयः– राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP)/e-proc पोर्टल में Government e-mail service का उपयोग करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक **परिपत्र दिनांक 10.12.2019, 29.04.2020 एवं 18.06.2020** द्वारा राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP)/e-proc पोर्टल में Government e-mail service का उपयोग करने के संबंध में समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देश प्रदान किये गये थे। परंतु उपापन संस्थाओं द्वारा इन निर्देशों की पूर्णतः पालना नहीं की गयी है। इसी क्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) विभाग के यू. ओ. नोट दिनांक 10.07.2020 द्वारा प्रशासनिक विभागों से भी अनुरोध किया गया था कि सभी नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं को राज्य लोक उपापन पोर्टल/e-proc पोर्टल पर सरकारी ई–मेल एड्रेस का उपयोग करने हेतु निर्देशित करावें।

उल्लेखनीय है कि राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP)/e-proc पोर्टल में Government e-mail service का अनिवार्यतः उपयोग किये जाने का निर्णय लिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा मुख्य सचिव के स्तर से जारी परिपत्र क्रमांक F8(334)/DOIT/Gen/19/014147/2019 दिनांक 23.09.2019 के द्वारा **yahoo/gmail/hotmail/outlook/rediff आदि ई–मेल एड्रेस के माध्यम से राजकीय संचार/संवाद किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। उपापन संस्थाओं को भी इनका उपयोग अनुमत नहीं है। राज्य लोक उपापन पोर्टल/e-proc पोर्टल पर सरकारी ई–मेल एड्रेस का उपयोग ही अनुमत है।**

बार–बार निर्देश जारी किये जाने के उपरांत भी SPP Portal पर वर्तमान में कुल 8439 उपयोगकर्ताओं (Active Nodal officer-714 एवं Procuring entity-7725) के विरूद्ध आदिनांक तक 2659 उपयोगकर्ताओं द्वारा ही सरकारी ई–मेल एड्रेस का उपयोग किया जा रहा है तथा **5780 नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं द्वारा राज्य लोक उपापन पोर्टल पर सरकारी ई–मेल एड्रेस को आदिनांक तक अपडेट नही किया गया है।**

सरकारी ई–मेल सेवाओं के उपयोग करने के अभाव में उपापन कार्य में बाधा उत्पन्न होने की संभावना रहेगी क्योंकि दिनांक 10.10.2020 के उपरांत राज्य लोक उपापन पोर्टल/e-proc पोर्टल के उपयोग हेतु केवल सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (username@rajasthan.gov.in/username@rajasthan.in) /एनआईसी (username@nic.in) द्वारा जारी किये गये सरकारी ई–मेल एड्रेस ही मान्य होंगे। उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) विभाग के यू. ओ. नोट दिनांक 10.07.2020 द्वारा तीन महीने का समय दिया गया था जिसकी अवधि दिनांक 10.10.2020 को समाप्ति पर है।

अतः इस संबंध में सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/निगमों में राज्य लोक उपापन पोर्टल के समस्त नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं को प्रशासनिक विभाग के स्तर से त्वरित कार्यवाही हेतु पुनः अनुरोध किया जाना अपेक्षित है। **राज्य लोक उपापन पोर्टल /e-proc पोर्टल के समस्त नोडल अधिकारियों/उपापन संस्थाओं द्वारा सरकारी ई–मेल एड्रेस का उपयोग दिनांक 10.10.2020 से पूर्व अनिवार्यतः प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित किया जावे।**

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावे।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

परिपत्र क्रमांक : एफ.7(3)वित्त/एसपीएफसी/2015 **जयपुर, दिनांकः 10.9.2020**

विषयः– आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा 46 के अंतर्गत विवर्जित (Debar) किये गये बोलीदाताओं से संबंधित सूचना राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर प्रदर्शित करने के संबंध में।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के धारा 46 के अंतर्गत बोलीदाताओं द्वारा किये जाने वाले विभिन्न दोषों/अपराधों हेतु निम्न विवरणानुसार बोली लगाने से विवर्जित (Debar) किये जाने के प्रावधान किये गये हैः–

1. यदि बोलीदाता –

(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 49) के अधीन; या

(ख) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन, लोक उपापन संविदा के निष्पादन के भाग के रूप में जीवन या सम्पत्ति की हानि कारित करने या लोक स्वास्थ्य की आशंका कारित करने के, किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है।

2. उप–धारा (1) के अधीन विवर्जित बोली लगाने वाला उस तारीख, जिसको वह विवर्जित किया गया था, से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष के अनधिक की अवधि के लिए किसी उपापन संस्था की उपापन प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नहीं होगा।

3. यदि उपापन संस्था यह पाती है कि किसी बोली लगाने वाले ने धारा 11 के निबंधनों में विहित सत्यनिष्ठा संहिता का भंग किया है तो वह बोली लगाने वाले को तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विवर्जित कर सकेगी।

4. जहाँ किसी बोली लगाने वाले की सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य संपादन प्रतिभूति या, यथास्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्थान द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

इसी संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17(छ) के अनुसार बोली लगाने वालों, जिन्हें राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया है, कि विशिष्टियां, साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन की कार्यवाही का कारण और विवर्जन की कालावधि का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल पर किया जाना आवश्यक है।

परंतु यह देखा गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा दोषी बोलीदाताओं के विरूद्ध की गयी विवर्जन की कार्यवाही से संबंधित विवरण का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल पर नहीं किया जा रहा है। इसे राज्य सरकार द्वारा अत्यधिक गंभीरता से लिया गया है।

अतः इस बाबत् समस्त उपापन संस्थाओं को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार दोषी पाये गये एवं विवर्जित किये गये सभी बोलीदाताओं से संबंधित सूचनाओं का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल पर आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही ऐसे प्रकरणों की समेकित सूचना इस विभाग को 15 दिवस में प्रेषित की जावें जिनमें दोषी बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति/कार्य संपादन प्रतिभूति जब्त कर ली गई हो परंतु उन्हें विवर्जित करने की कार्यवाही नहीं की गई।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

Circular No.F.6(2)FD/GFAR/2016/SPFC **Dated : 25.9.2020**

Subject : Monitoring of Registration of Users and Procurement through GeM Portal.
Ref.: This office circular No.2(2)FD/SPFC/2017 dated 25.7.2017, No. 6 (2) FD/ GFAR/ 2016/SPFC dated 2.2.2018, 31.5.2019 and 18.6.2020.

All Head of Departments were directed by the referred irculars that the monthly information regarding registration of users on GeM Portal and procurement made through GeM Portal has to be sent to Finance (G&T) Department in prescribed format GeM-1, GeM-2 and GeM-3 on monthly basis.

It is a matter of regret that the required information has not been regularly sent by the HODs on monthly basis.

Government of India is pursuing the adoption and use of GeM Portal for the procurement of Goods and Services. Accordingly, Administrative Departments (ADs) under the State Government are further directed to ensure the following :-

1. Ensure the registration of HODs (Primary users) and procuring entities on GeM Portal under the Adminisrative Departments.
2. The Information of the registration of primary users and secondary users is to be made available to Finance (G&T) Department through e-mail (cao.spfc@rajasthan.gov.in) on or before 15.10.2020 in the prescribed format GeM-1.

3. The information regarding procurement made through GeM Portal is to be sent by HoDs (Primary Users) to the Administrative Departments (ADs) concerned on 5th day of every month in prescribed format GeM-2 and subsequently the cumulative information is to be sent by the Administrative Departments (ADs) concerned to Finance (G&T) Department through e-mail (cao.spfc@rajasthan.gov.in) on or before 10th day of every month.

4. Administrative Departments are requested to ensure that the cumulative information of procurement made by their Procuring Entities through GeM Portal is to be sent to Finance (G&T) Department through e-mail (cao.spfc@rajasthan.gov.in) in prescribed format GeM-3 positively by 10th day of every month.

This is to be noted that registration of users on GeM Portal and procurement through GeM Portal is being monitored at the highest levels in Government of India. Hence, all Administrative Departments (ADs) shall ensure that the information required as above must be e-mailed to FD (G&T) within given time frame.

Encl.: As above format of GeM-1, GeM-2 and GeM-3.

Secretary Finance (Budget)

Format GeM-1

Name of Administrative Department :

Name of Department :

Name of Primary User :

(Separate for each primary user)

DETAILS OF SECONDARY USERS

S.No.	Name of Secondary User	Designation	Office Name & Address	Role (Ruyer/Consignee/PAO)	Remarks
1	2	3	4	5	6

1. The Format of GeM-1 shall be sent by the **HoDs through AD concerned on or before 15.10.2020** Later to this, this Format shall be sent in case of change of users, like that in case of retirements, transfers of the officers concerned, creation of new users etc.
2. Buyer and Consignee can be one and the same officer, but PAO/DDO has to be a separate officer.
3.

Format GeM-2

Name of Administrative Department :

Name of Department :

Name of Primary User :

(Separate for each primary user)

For the month of..................2020.

DETAILS OF PROCUREMENT THROUGH GeM

S. No.	Offices name & addresses of Secondary users	Type of Procurement (Goods or services)	Details of procurement	Method of Procurement	Amount of the order placed	Uploaded on SPPP, with date of uploading	Total amount of procurement for the month			Remarks
							Goods	Services	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Note : This duly filled format is to be sent by 10th of every month to cao.spfc@rajasthan.gov.in including the details of previous calendar month by HoDs through AD concerned.

Format GeM-3

Name of Administrative Department :

Name of Department :

Name of Primary User :

(Separate for each primary user)

Address of primary user :

DETAILS OF PROCUREMENT (cumulative) of DEPARTMENT THROUGH GeM

S. No.	**Total Procurement of Department through GeM from 1.5.2017 to 31.3.2018 (Amount in Rupees)**			**Total Procurement of Department through GeM from 1.4.2018 to 31.3.2019 (Amount in Rupees)**			**Total Procurement of Department through GeM from 1.4.2019 to 31.3.2020 (Amount in Rupees)**			**Total Procurement from 1.5.2017 to 31.3.2020 (Amount in Rupees)**			**Remarks**
	Goods	Services	Total	Goods	Services	Total	Goods	Services	Total	Goods	Services	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Note : This duly filled format is to be sent by 15th of October 2020 to cao.spfc@rajasthan.gov.in including the details of all previous procurement of whole Department by HODs through Administrative Department concerned.

परिपत्र क्रमांक : एफ.3(4)वित्त/एसपीएफसी/एसपीपीपी/तकनीकी/2020 **दिनांकः 22.10.2020**

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17, आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 4 तथा इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या–1 दिनांक 30.1.2014 व 13.5.2020 तथा समय–समय पर जारी अन्य परिपत्रों/आदेशों/दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था द्वारा आरटीपीपी एक्ट की धारा 17 (3) के बिन्दु संख्या 'क' से 'ज' में वर्णित समस्त सूचनाओं का राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशन किया जाना बाध्यकारी है परन्तु अधिकांश प्रकरणों में यह पाया गया है कि उपापन संस्थाओं द्वारा उपापन से संबंधित समस्त अपेक्षित आवश्यक सूचनाओं का राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशन नहीं किया जा रहा है जो कि लोक उपापन में पारदर्शिता की भावना के विरूद्ध है।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप उपापन में पारदर्शिता बढाये जाने हेतु सफल बोलीदाताओं को दिये जाने वाले कार्यादेश का राज्य लोक उपापन पोर्टल पर उपापन संस्थाओं द्वारा प्रकाशन किये जाने हेतु एक नवीन मोड्यूल Work Order Identification Number (WIN) की सुविधा राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रारंभ की गयी है जिस पर प्रत्येक कार्यादेश का प्रकाशन किये जाने पर Work Order Identification Number (WIN) जनरेट होगा।

इस प्रकार प्रत्येक कार्यादेश के लिए एक 16 अंक/अक्षर का कोड आवंटित किया जायेगा। आवंटित कोड के प्रथम तीन अक्षर विभाग के बारे में, आगामी चार अंक चालू वित्तीय वर्ष के लिए (वर्ष 2020–21 के लिए 2021), आगामी एक अक्षर W/S/G (Works/Services/Goods) उपापन की श्रेणी के बारे में, आगामी पांच अंक बोली संख्या के लिए इसके पश्चात् कार्यादेश को प्रदर्शित करने हेतु W तथा अंतिम दो अंक कार्यादेश के क्रमांक के बारे में इंगित करेंगे।

राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) को आईएफएमएस से इंटीग्रेशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अतः कार्यादेशों के संदर्भ में किये जाने वाले भुगतानों में Work Order Identification Number (WIN) का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा तत्संबंधी बिलों का भुगतान किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों एवं उपापन संस्थाओं को एतद्द्वारा पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे अपने विभाग में किए जाने वाले उपापनों से संबंधित आवश्यक सूचनाओं का प्रकाशन लोक उपापन पोर्टल पर नियमानुसार निर्धारित अवधि में ही कराना सुनिश्चित करावें।

उपरोक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना की जावें।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

क्रमांक : एफ.6(5)वित्त/साविलेकन/2010 **दिनांकः 22.10.2020**

समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान

विषय : ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया में ई–ग्रास पर एकल चालान के माध्यम से बोली दस्तावेज मूल्य, बोली प्रतिभूति राशि एवं आरआईएसएल प्रोसेसिंग फीस जमा कराने की प्रक्रिया के दौरान राशियों के गलत मद में जमा हो जाने की स्थिति में प्रतिदाय (Refund) की प्रक्रिया के संबंध में।

लोक उपापन की प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित करने के उद्देश्य से ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया में ई–ग्रास पर एकल चालान के माध्यम से बोली दस्तावेज मूल्य, बोली प्रतिभूति राशि एवं आरआईएसएल प्रोसेसिंग फीस जमा कराने के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.4.2020 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान तथा आरआईएसएल एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार एकल चालान प्रक्रिया के दौरान अनेक संवेदकों द्वारा त्रुटिवश बोली प्रतिभूति राशि का आरआईएसएल प्रोसेसिंग फीस मद में तथा बोली दस्तावेज मूल्य राशि को बोली प्रतिभूति राशि मद में जमा करा दिये जाने के कारण अधिक जमा करायी गयी राशि के प्रतिदाय हेतु अनेक प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं।

प्रकरण के संबंध में सक्षम स्तर पर विचार किये जाने के उपरांत इस संबंध में की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही के बाबत् निम्नानुसार दिशा–निर्देश एतद्द्वारा जारी किये जाते हैं :–

1. समस्त उपापन संस्थाएं ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया के दौरान जारी किये जाने वाले बोली प्रपत्र में ई–ग्रास पर एकल चालान के माध्यम से बोली दस्तावेज मूल्य, बोली प्रतिभूति राशि एवं आरआईएसएल प्रोसेसिंग फीस जमा कराने के बाबत संवेदकों के मार्गदर्शनार्थ सम्पूर्ण प्रक्रिया का यथास्थान उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करावें। जिससे कि इस संबंध में त्रृटि जाने की संभावना को कम किया जा सके।

2. एकल चालान के माध्यम से बोली दस्तावेज मूल्य, बोली प्रतिभूति राशि एवं आरआईएसएल प्रोसेसिंग फीस जमा कराने की प्रक्रिया के दौरान त्रुटिवश एक मद की राशि दूसरे मद में जमा हो जाने की स्थिति में अधिक जमा राशि के प्रतिदाय के संबंध में निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जावे :–

(अ) बोली दस्तावेज मूल्य मद में बोली प्रपत्र में त्रुटिवश निर्धारित राशि से अधिक जमा हुई राशि लौटाने हेतु संवेदक द्वारा संबंधित विभाग को आवेदन किया जायेगा। संबंधित विभाग द्वारा बोली दस्तावेज मूल्य मद 0075 में बोली प्रपत्र के प्रावधानुसार देय राशि से अधिक जमा हुई राशि रिफण्ड किये जाने हेतु स्वीकृति जारी की जायेगी तथा तत्संबंधी रिफण्ड बिल कोषालय को प्रस्तुत कर राशि संवेदक को लौटाने की कार्यवाही की जायेगी।

(ब) आरआईएसएल फीस मद के अन्तर्गत बोली प्रतिभूति राशि जमा होने की दशा में, चूंकि परिपत्र दिनांक 27.4.2020 में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत आरआईएसएल फीस मद में जमा राशि ई–कोषालय द्वारा उसी माह में कोषालय सचिवालय, जयपुर को स्थानान्तरित कर दी जाती है तथा कोषालय सचिवालय, जयपुर द्वारा यह राशि आरआईएसएल के पी.डी. खाते में जमा कर दी जाती है। इसलिये आरआईएसएल मद में त्रुटिवश नियमानुसार जमा होने वाली

राशि से अधिक जमा हुई राशि के संबंध में बोली आमंत्रित करने वाले विभाग के माध्यम से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर आरआईएसएल द्वारा उक्त लौटायी जाने वाली राशि स्वयं के पी.डी. खाते से पी.डी.पेमेन्ट एडवाईस के माध्यम से लौटाने की कार्यवाही की जायेगी।

(स) बोली प्रतिभूति राशि मद 8443–103, 108, 109 में जमा वास्तविक राशि संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार ही लौटाने की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

परिपत्र क्रमांक : एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 जयपुर, दिनांक : 23.12.2020

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)वित्त/जीएण्डटी – एसपीएफसी/ 2017 दिनांक 18.12.2020 द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 42(2) में संशोधन करते हुए आमंत्रित की जाने वाली आगामी बोलियों के संदर्भ में दिनांक 31.12.2021 तक बिड सिक्यूरिटी राशि प्राप्त नहीं करने एवं इसके स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

चूंकि उक्त नियमों में बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का नवीन प्रावधान किया गया है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं के उपयोगार्थ बिड सिक्यूरिटी के संबंध में लिए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) का मानक प्रारूप संलग्न प्रेषित है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 सपठित अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration) पर 50/– रूपये स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बिड सिक्यूरिटी के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) पर उक्तानुसार राजस्थान राज्य में स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज का भुगतान सुनिश्चित करावें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार **संयुक्त शासन सचिव**

Form of Bid-Securing Declaration

Date :

Bid No.:

Alternative No.:

To:

....

....

We, the undersigned, declare that :

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;

(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;

(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;

(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and

(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid;
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed : ....

Name : ....

In the capacity of : ....

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of

Corporate Seal..........................

[Note : In case of a Join Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

Order No. F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 Jaipur, dated:15.1.2021

Subject: Regarding requirement of mandatory prior registration of bidders from the countries sharing land border with India-Restrictions under Rule 13 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013

Attention is invited to the FD Notification of even no. dated 01.01.2021 vide which amendment in Rule 13 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement (RTPP) Rules,2013 was made. The above mentioned notification was issued in compliance of Order F.No.6/18/2019-PPD dated 23rd July 2020, issued by Public Procurement Division, Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi In this regard, the following is hereby ordered on the grounds stated therein:

<u>Requirement of registration</u>

1. Any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in any procurement whether of goods, services (including consultancy services and non-consultancy services) or works (including turnkey projects) only if the bidder is registered either with the Competent Authority of GoI by Department of Promotion of Industries and internal trade under the Ministry of Commerce and Industry or with the Competent Authority of GoR (constituted as per **Annexure-I**).

2. **<u>Applicability</u>:**-This order shall be applicable to all the procuring entities referred to in the sub-section (2) of section 3 of RTPP Act,2012 :-

(a) any department of the State Government or its attached or subordinate office;

(b) any State Public Sector Enterprise owned or controlled by the State Government;

(c) any body established or constituted by the Constitution whose expenditure is met from the Consolidated Fund of the State;

(d) any body or board or corporation or authority or society or trust or autonomous body (by whatever name called) established or constituted by an Act of the State Legislature or a body owned or controlled by the State Government;

(e) any other entity which the State Government may, by notification, specify to be a procuring entity for the purpose of this Act, being an entity that receives substantial financial assistance from the State Government in so far as the utilization of such assistance towards procurement is concerned.

Notwithstanding anything contained in above, the provisions of this order shall apply to a procuring entity subject to any obligation of the State Government under or arising out of any agreement entered into by the Central Government with any other country or with an intergovernmental international financing institution and the requirements of such agreement shall prevail over the provisions of this order.

3. This Order shall not apply to-

(i) cases where orders have been placed or contract has been concluded or letter/notice of award/ acceptance (LoA) has been issued on or before the date of this order; and

(ii) cases falling under the following special cases:-

(a) Bonafide procurements made through GeM without knowing the country of the bidder till the date fixed by GeM for this purpose, shall not be invalidated by this Order.

(b) Bonafide small procurements, made without knowing the country of the bidder, shall not be invalidated by this Order.

(c) In projects which receive international funding with the approval of the Department of Economic Affairs (DEA), Ministry of Finance, the procurement guidelines applicable to the project shall normally be followed, notwithstanding anything contained in this Order and without reference to the Competent Authority. Exceptions to this shall be decided in consultation with DEA.

4. Bids where no contract has been concluded or no LoA has been issued so far shall be handled in the following manner:

a**) In bids which are yet to be opened, or where evaluation of technical bid or the first exclusionary qualificatory stage(i.e., the first stage at which the qualifications of bids are evaluated and unqualified bidders are excluded) has not been completed:**No contracts shall be placed on bidders from such countries, bids received from bidders from such countries shall be dealt with as if they are non-compliant with the bid conditions and the bid shall be processed accordingly.

b) **If the bidding process has crossed the first exclusionary qualificatory stage:** If the qualified bidders include bidders from such countries, the entire process shall be scrapped and initiated de novo. The de novo process shall adhere to the conditions prescribed in this Order.

Clarification:- It is hereby clarified that for the purpose of paragraph 4 (b), "qualified bidders" means only those bidders who would otherwise have been qualified for award of the bid after considering all factors including price, if the GoI Order (Public Procurement No. 1) dated 23rd July 2020 had not been issued.

If the bidders from such countries would not have qualified for award for reasons unconnected with the said Order (for example, because they do not meet bid criteria or their price bid is higher or because of the provisions of purchase preference under any other order or rule or any other reason) then there is no need to scrap the bid *I*start the process de novo.

The following examples are given to assist in implementation of the Order-

Example 1: Four bids are received in a bid process. One of them is from a country which shares a land border with India. The bidder from such country is found to be qualified technically by meeting all prescribed criteria and is also the lowest bidder. In this case, the bidder is qualified for award of the bid, except for the provisions of the GoI Order (Public Procurement No. 1) dated 23rd July, 2020. In this case, the bid should be scrapped and fresh bid initiated.

Example 2: The facts are as in Example 1, but the bidder from such country, though technically qualified is not the lowest because there are other technically qualified bidders whose price is lower. Hence the bidder from such country would not be qualified for award of the bid irrespective of the GoI Order (Public Procurement No. 1) dated 23rd July 2020. In such a case, there is no need to scrap the bid.

Example 3: The facts are as in Example 1, but the bidder from a country which shares a land border with India, though technically qualified, is not eligible for award due to the application of price preference as per other orders /rules. In such a case, there is no need to scrap the bid.

Example 4: Three bids are received in a bid process. One of them is a bidder from a country sharing a land border with India. The bidder from such a country does not meet the technical requirements and hence is not qualified. There is no need to scrap the bid.

Incorporation in bid conditions

5. In bids to be issued after the date of this order, the provisions of paragraph-1 and of other relevant provisions of this Order shall be incorporated in the bid conditions.

Certificate regarding compliance

6. A certificate shall be taken from bidders in the bid documents regarding their compliance with this Order. If such certificate given by a bidder whose bid is accepted is found to be false, this would be a ground for immediate termination and further legal action in accordance with law.

Validity of registration

7. In respect of bids, registration should be valid at the time of submission of bids and at the time of acceptance of bids. In respect of supply otherwise than by bid, registration should be valid at the time of placement of order. If the bidder was validly registered at the time of acceptance / placement of order, registration shall not be a relevant consideration during contract execution.

Encl:- As above

Joint Secretary

Annexure-I

Competent Authority and Procedure for Registration

Requirement of Registration

Any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in any procurement whether of goods, services or works only if the bidder is registered either with the Competent Authority of GoI or with the Competent Authority of GoR. The procedure for the registration in the state would beas under-

Procedure for Registration

A. The registration would be done by Industries Department, GoR.

B. The Registration Committee shall have the following members:-

  (i) Principal Secretary, Industries Department, shall be the Chairman;

  (ii) Commissioner, Department of Industries and Joint Secretary (CSR)-Member Secretary;

  (iii) Director MSME-Development Institute, GoI, Jaipur- Member;

  (iv) Chief Engineer, Public Works Department, or his Nominee, Not below the rank of Superintending Engineer-Member;

  (v) Financial Advisor, Department of Industries, as a representative of Finance Department-Member;

C. Industries Department, Government of Rajasthan shall comply the method of application. (format as per Annexure-II)

D. On receipt of an application seeking registration from the applicant, the Industries Department shall first seek political and security clearances from the Ministry of External Affairs, GoI, New Delhi and Ministry of Home Affairs, GoI, New Delhi as per guidelines issued from time to time. Registration shall not be given unless political and security clearance have both been received.

E. The decision of the Industries Department, to register such bidder may be for all kinds of bids or for a specified type(s) of goods, services or works and may be for a specified or unspecified duration of time, as deemed fit. The decision of the Industries Department shall be final.

F. The Industries Department is empowered to cancel the registration already granted if it determines that there is sufficient cause. Such cancellation by itself, however, will not affect the execution of contracts already awarded. Pending cancellation, it may also suspend the registration of a bidder, and the bidder shall not be eligible to bid in any further bids during the period of suspension.

G. Reasons of rejection of registration application submitted by a bidder are as under-

  (a) National security reasons
  (b) Incomplete applications
  (c) Shortage of documents
  (d) If debarred/blacklisted/banned by any government entity of India.

H. In transitional cases, where it is felt that it will not be practicable to exclude bidders from a country which shares a land border with India, a reference seeking permission to consider such bidders shall be made by the procuring entity to the Industries Department, giving full information and detailed reasons. The Industries Department shall decide whether such bidders may be considered, and if so shall follow the procedure laid down in the above paras.

I. Quarterly reports on the acceptance/refusal of registration during the preceding period may be required to be sent to the Finance Department GoR.

Note:

1. Registration granted by the Industries Department, Government of Rajasthan shall only be valid for procurement by the Government of Rajasthan and its agencies/public enterprises etc.

2. **Registration granted by the Competent Authority of the Government of India shall be valid not only for Procurement by Central Government and its agencies/public enterprises etc. but also for procurement by State Governments and their agencies/public enterprises etc. No fresh registration at the State level shall be required for such cases.**

Annexure-II

Covering Letter Format

To

The Principal Secretary,
Department of Industries, GoR
Chairman Registration Committee,
Govt. Secretariat, Jaipur

Subject: Application for registration of bidders having beneficial ownership in countries which share land border with India in accordance with Rule 13 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013.

1. We,M/s_(Name of the Bidder), hereby submit an application for registration of our Company in accordance with Rule 13 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013 through its authorized signatory consisting of following documents:

    i. The Coveringletter
    ii. Letter of authority in favor ofsignatory.
    iii. Details of Bidder as per Appendix"A".
    iv. Details of Manufacturer/ Service provider/ Contractor, if different from bidder, asper Appendix"B".
    v. Details of item (goods/ services / works) for which registration is being sought as per Appendix"C".
    vi. Details of Bidder for security clearance as per Appendix "D".
    vii. Details of Manufacturer/ Service provider/ Contractor, if different from bidder,for security clearance as per Appendix"E".

2. We confirm that the application complete in all respects, and duly signed by authorized signatory on all pages, is being submitted in ten hard copies. We also confirm that a soft copy in pdf format has been emailed to indraj@rajasthan.gov.in. We understand that incomplete application will not be processed and summarilyignored.

3. We also confirm thatwe,M/s__________________(Name of the Bidder), andM/s (Name of Manufacturer/ Service provider/ Contractor, if different from bidder) are not currently debarred/blacklisted/banned by any Government entity in India.

4. We also confirm that signatory of this letter & application form is the authorized signatoryof the _____(Name of the Bidder). A copy of authorization letter isenclosed.

5. We understand that the registration granted by the Registration Committee shall be only for the purpose of bid participation under Rule 13 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013.We also understand that validity period of Registration shall be 3 years from date of issue of registration letter. However, in case of appointment of new Director(s)/ new shareholders with more than 10% shares/ change in controlling ownership interest or control through other means, the registration shall automatically standannulled.

(Name and Signature of authorized signatory of bidder along with telephone number and email Id)

Appendix - A

Bidder's details for registration

1.	**Name of Bidder** -	
2.	**Type of business entity** (Natural Person/ Private Limited Company/ Public Limited Company/ Sole Proprietorship/One Person Company/ Partnership firm/ Limited Liability Partnership/ Joint Venture/ Trust/ NGO/or any other type of entity) In case of incorporated entity - to attach certificate of incorporation.	
3.	Complete **address of the Registered Office** with contact person name, telephone number and email Id.	
4.	Whether registration is being sought as Manufacturer/ service provider/ contractor for supply of goods/ services / works or As an **agent/reseller/distributor/member of consortium/ Branch Office/ Office Controlled by bidder/any subsidy of any artificial juridical person**/ any other type of category) Bidder to give details in which category – registration is being sought.	
5.	In case bidder is seeking registration as manufacturer, complete address of the **manufacturing premises** with name, telephone number and email Id ofcontact Person.	
6.	In case bidder is seeking registration as service provider/ contractor, **complete address of the premises from where services** are provided may be given with name, telephone number and email Id of Contact person.	
7.	In case registration is being sought as an **agent/reseller/distributor/Office controlled by bidder/ any other subsidy of any artificial juridical person /any other category other than manufacturers,service provider and contractor** of above -the **details of manufacturer/ service provider/ contractor** may be furnished in **Appendix- B**.	
8.	The **details of items (**goods/ services / works**)** for which registration is sought as per **Appendix- C**.	

9. Financial details of the bidder in INR/ US Dollar for last five financial years in the following format, duly certified by practicing Chartered Accountant (CA) inIndia:

Financial year (FY)	Net Sales turnover during the FY	Net Profit duringthe FY	Net worth at theend of the FY

10. Beneficial owners of the bidder, in the following format, duly certified by practicing Chartered Accountant (CA) in India:

Beneficial owner details				
Name of the beneficial owner	**% beneficial ownership**	**Natural person or legal/ artificial juridical person/ entity**	**Country of Citizenship /Country of incorporation legal /artificial juridical person/entity**	**In case of legal/artificial juridical person/entity, beneficial ownership details of suchentities may be furnished and So on.**

Note- The details at serial number "9" and "10" should be on Chartered Accountant's letterhead indicating name, membership number and UDINnumber.

Appendix - B

Manufacturer/ Service provider/ Contractor details for registration

(Note: The Appendix-B is to be filled up only in case Manufacturer/ Service provider/ Contractor is other not bidder, whose details have already been provided in Appendix -A)

1.	**Name of manufacturer/ service provider/ contractor**	
2.	**Type of business entity** (Natural Person/ Private Limited Company/ Public Limited Company/ Sole Proprietorship/ One Person Company/ Partnership firm/ Limited Liability Partnership/ Joint Venture/ Trust/ NGO/or any other type ofentity) In case of incorporated entity - to attach certificate of incorporation.	
3.	Complete **address of the Registered Office of manufacturer/ service provider/ contractor** with contact person name, telephone number and emailId.	
4.	In case of manufacturer, complete address of the **manufacturing premises** with name, telephone number and email Id of contact person.	
5.	In case of service provider/ contractor, **complete address of the premises from where services**are Provided may be given with name, telephone number and email Id of contact person.	

7. **Financial details# of the manufacturer/ Service provider/ Contractor in INR/ US Dollar** for last five financial years in the following format, duly certified by practicing Chartered Accountant (CA) inIndia:

Financial year (FY)	Net Sales turnover during the FY	Net Profit duringthe FY	Net worth at theend of the FY

8. Beneficial owners of the Manufacturer/ Service provider/ Contractor

Beneficial owner details				
Name ofthe beneficial owner	**% beneficial ownership**	**Natural person or legal/ artificial juridical person/ entity**	**Country Citizenship / Country of incorporation of legal/artificial juridical person/ Entity.**	**In case of legal/artificial juridical person/ entity, beneficialownership details of suchentities may be furnished and So on.**

Note- Thedetailsatserialnumber“7”and“8”shouldbeonCharteredAccountant'sletterhead indicating name, membership number and UDINnumber.

Appendix - C

Details of items (goods/ services / works) for which registration is sought

1	Description of items (goods/ services / works) for which registration is being sought.	
2	Broad technical specification parameters/ details of items	
3	Annual Capacity of bidder for each of the goods/ services / works for which registration is being sought.	
4	Major public procuring entities in India for these items	

5. Details of contracts received by the bidder in last 05 years from public procuring entities in India in the following format, duly certified by practicing Chartered Accountant (CA) inIndia:

Sr. No.	**Description of goods/ services / works with broad technical parameters**	**Procuring entity details – Name and complete address of the Organization.**	**Purchase Order No., date, Qty. and value**	**Status of the Order – Executed successfully/ under execution/ cancelled**

6. Details of contracts received by the bidder in last 05 years from private procuring entities in India in the following format, duly certified by practicing Chartered Accountant (CA) in India:

Sr. No.	**Description of goods/ services / works with broad technical parameters**	**Procuring entity details – Name and complete address of the Organization.**	**Purchase Order No., date, Qty. and value**	**Status of the Order – Executed successfully/ under execution/ cancelled**

7. Details of outsourced components/goods and subcontracted works and services proposed to be used in execution of contract may be provided in the format given below:

Sr. No.	Details ofoutsourced components/goods andsubcontracted works and services	Major technical parameters	Manufactured by /Subcontracted to	Country of Origin

Note:

1. The details at serial number “5” and “6” above are required to be furnished only for those goods/ services / works for which registration is being sought and for the same Manufacturer/ Service provider/ Contractor, whose details have been furnished in Appendix-B, if bidder is not Manufacturer/ Service provider/ Contractor. In case of large number of contracts, the details may be restricted to 20 (twenty) high valuecontracts.
2. The details at serial number “7” above are required to be furnished only for top 20 high value outsourced components/goods and subcontracted works andservices.
3. Bidder can seek registration for multiple items in an application by providing requisite details for each of the item for which registration is beingsought.
4. Thedetailsatserialnumber“5”and“6”shouldbeonCharteredAccountant'sletterhead indicating name, membership number and UDINnumber.

Appendix-D

Details of bidder for security clearance

I. Details in respect of biddingcompany/person:

Sl. No.	Name of company/ person	Type of Company (Pvt. Ltd. /Pub. Lt d. /Sole Proprietor ship/one person company/partnership/ LLP/JV/Trust/NGO etc.)	Country of registration in case of company/ nationality (if holding multiple nationality, all must be mentioned) in case of person	Registration number with date incase of company/pass port nos. and issue date in case of person	Registered office address and correspondence address in case of company/Conta ct Address in case of person	Previous Name of the Company, if any	Details of earlier registration, if any (ref. no. & date)

II. Details of beneficial ownership ofentity:

SI. No.	Name of company/ individual which/who are the beneficial owner of bidding company	Country of registration, registration number with date in case beneficial owner is a company/nationality, passport number and issue date (if holding multiplenationality, all must be mentioned)in case beneficial owner is an individual	Registered office address and correspondence address in case of company/Contact Address in case of person	Details of intermediary company(s) /persons between bidder company or person and beneficial owner company/indivi dual	Enclose a chart depicting the link between bidding company/person and the beneficial company/owners along with details such as address, parentage, passport details (in case of individuals) or company registration details (in case ofcompanies)

III. Details in respect of Directors of biddingCompany:

SI. No	Full Name of Board of Directors	Present position held with date (since when)	Date of birth	Percentag e (name of father/ mother)	Present & Permanent Address	Nationality (if holding multiple nationality, all must be mentioned)	Passport Nos. and issue date, if any.	Contact Address & telephone number

IV. Details of shareholders of bidding company (all companies/entities/individuals with more than 10% shares or having controlling ownership interest or exercising control through means in case of less than 10%shares):

SI. No.	Full Name of individual / company	Parentage (name of father/mother) in case of individuals an d registration number in case of companies	Permanent address /present address in case of individuals, and registered and correspondence address in case of companies	Present position held, if any, in the applicant company	Nationality, in case of individual (if holding multiple nationality, all must be mentioned)/count ry of registration, in case of company	Passport Nos. and date of issue, if any (date of birth, in case passport is not available) for individuals	% of shares held in the company

V. **Details of tender(s) and specific goods/services/works proposed to be supplied:**

VI. **Reasons for seeking registration with Registration Committee of GoR:** A brief note to beattached

VII. **Details of nature of activities undertaken by bidding company/person:** A brief note to beattached

VIII. **Details of nature of activities undertaken by beneficial owner of bidding company/person:** A brief note to beattached

IX. Details of criminal cases, if any, against the bidding company, its director(s) or person as perannexure

Annexure to Appendix - D

<u>Self-Declaration for bidding company and its director(s)/owners or person</u>

a. Name & address and registration number of the Company:

b. Name and address of owners (in case of proprietorship firm)/directors ofthe company/person :

1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
4. ___________________________________

c. Are the company owners (in case of proprietorship firm)/directors/person listed above, are the subject ofany?

1. Preventive detention proceedings under Public Safety Act/National Security Actetc. : Yes/No
2. Criminal Investigation in which charge sheet has been filed: Yes/No

d. If, Yes, please provide followingdetails

1. Case/FIRnumber :
2. Detention/warrant number,ifany :
3. Police Station/district/agency:
4. Sections of law under which cases has/havebeenfiled :
5. Name and place of the court:

e. The above mentioned details are in respect of both India and any otherforeign country.

(Signature)

Note: The above self-declaration is required to be filled and signed by the authorized signatory of the Company.

Appendix - E

Details of Manufacturer/Service Provider/Contractor for security clearance

(Note: The Appendix-E is to be filled up only in case Manufacturer/ Service provider/ Contractor is other not bidder, whose details have already been provided in Appendix -D)

I. Details in respect of Manufacturer/Serviceprovider/Contractor:

SI No.	Name of company/ person	Type of Company (Pvt. Ltd. /Pub. Ltd. / Sole Proprietorship/ one person company/partnership/LLP/JV/ Trust/NGO etc.)	Country of registration in case of company/ nationality (if holding multiple nationality, all must be mentioned) in case of person	Registration number with date in case of company/ passport nos. and issue date in case of person	Registered office address and correspondence address in case of company/Contact Address in case of person	Previous Name of the Company if any	Details of earlier registration, if any (ref. no. & date)

II. Details of beneficial ownership of Manufacturer/Service provider/Contractor :

SI No.	Name of company/ individual which/who are the beneficial owner of bidding company	Country of registration, registration number with date in case beneficial owner is a company/nationality, passport number and issue date (if holding multiple nationality, all must be mentioned) in case beneficial owner is an individual	Registered office address and correspondence address in case of company/ Contact Address in case of person	Details of intermediary company(s)/ persons between bidder company or person and beneficial owner company/individual	Enclose a chart depicting the link between manufacturing company/ person or service provider or contractor and the beneficial company /owners along with details such as address, parentage, passport details (in case of individuals) or company registration details (in case of companies)

III. Details in respect of Directors of Manufacturing Entity/ Individuals/ Service Provider/Contractor:

SI No.	Full Name of Board of Directors	Present position held with date (since when)	Date of birth	Percentage (name of father/mother)	Present & Permanent Address	Nationality (if holding multiple nationality, all must be mentioned)	Passport Nos. and issue date, if any.	Contact Address & telephone number

IV. Details of shareholders of Manufacturer/Service provider/Contractor (all companies/entities/individuals with more than 10% sharesorhavingcontrolling ownership interest or exercising control through means in case of less than 10% shares):

SI. No.	Full Name of individual /company	Parentage (name of father/mother) in case of individuals and registration number in case of companies	Permanent address /present address in case of individuals, and registered and correspondence address in case of companies	Present position held, if any, in the applicant company	Nationality, in case of individual (if holding multiple nationality, all must be mentioned)/ country of registration, in case of company	Passport Nos. and date of issue, if any (date of birth, in case passport is not available) for individu-als	% of shares held in the company

V. Details of tender(s) and specific goods/services/works proposed to besupplied:

VI. Reasons for seeking registration with Registration Committee of GoR: A brief note to beattached

VII. Details of nature of activities undertaken by bidding company/person: A brief note to beattached

VIII. Details of nature of activities undertaken by beneficial owner of bidding company/person: A brief note to beattached

IX. Details of criminal cases, if any, against the bidding company, its director(s) or person as perannexure

Order No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated : 23.3.2021

Subject : Regarding amendment in Rule 75 of the RTPP Rule, 2013.

Attention in invited to the FD's Notification of even number dated 17.03.2021 vide which amendment in Rule 75 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 was made.

In pursuance of above amended provisions of rule 75 of the said rules, the State Government hereby direct to all Procuring Entities to reduce the performance security in all existing contracts. However, the benefit of the reduced performance security shall not be given in the contracts under dispute wherein arbitration/counts proceedings have been already started or are contemplated.

These directions will be applicable for all kinds of procurements viz. Goods, Services and Works.

Pr.Secretary to the Government.

Order No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated : 30.3.2021

Subject : Regarding Mandatory Prior registration of bidders from the countries sharing land border with India-Restrictions under Rule 13 of the RTPP Act.

Attention in invited to the FD's Order of even number dated 15.01.2021 vide which detailed procedure of prior registration in relation to bidders from the countries sharing land border with India was laid down. In accordance with clarifications issued by Government of India, following amendments are made in the referred order :-

1. Notwithstanding anything contained therein, it is hereby clarified that the said Order will not apply to bidders from those countries (even if sharing a land border with India) to which the Government of India has extended lines of credit or in which the Government of India is engaged in development projects.

2. To ensure availability of raw material or components/sub-assemblies of the finished goods etc. with the bidders, from the vendors sharing land border with India. In this context following is hereby clarified :

   i. A bidder is permitted to procure raw material, components, sub-assemblies etc. from the vendors from countries which shares a land border with India. Such vendors will not be required to be registered with the Competent Authority, as it is not regarded as "sub-contracting".

   ii. However, in case a bidder has proposed to supply finished goods procured directly/indirectly from the vendors from the countries sharing land border with India, such vendor will be required to be registered with the Competent Authority.

3. Procurement of spare parts and other essential service support like Annual Maintenance Contract (AMC)/Comprehensive Maintenance Contract (CMC), including consumables for closed systems, from Original Equipment Manufacturers (OEMs) or their authorized agents, shall be exempted from the requirement of registration as mandated under Rule 13 of the RTPP Rules, 2013 and orders issued in this regard.

Joint Secretary to the Government.

Circular No.F.2(4)FD/SPFC/2017 Jaipur, dated : 31.03.2021

Subject :- Revision in the rates in respect of hiring of vehicles.

Refer to the Circular of even number dated 19.07.2018 & 28.02.2019 issued by department regarding hiring of vehicles. The maximum ceiling of expenditure prescribed in existing point No. 2(i), (ii), (iii) and (iv) of this circular are hereby revised as under :-

Particulars	Revised rates
Point No. 2(i) for offices having a city (Municipal limits of a town) as their jurisdiction	Rs. 26400/- per month for 1500 Kms (GST extra, if applicable)
Point No. 2(ii) for offices having a district as their jurisdiction	Rs. 31350/- per month for 2000 Kms (GST extra, if applicable)
Point No. 2(iii) for offices having jurisdiction of more than one district but less than the whole state	Rs. 33,330/- per month for 2200 Kms (GST extra, if applicable)
Point No. 2(iv) for official use in respect of those offices whose functional and operational jurisdiction is spreading over the entire state	Rs. 36300/- per month for 2500 Kms (GST extra, if applicable)

Point No. 3 :

(i) Revised to Rs 26400/- per month (GST extra, if applicable)

(ii) For additional running of vehicle (more than 1500 Kms) - @ Rs. 10.00 per Km.

Point No. 4 : The maximum ceiling of expenditure in a month for vehicles required on as and when basis would be Rs. 13200/- per month.

Point No. 5 : Further, the rates for additional running/plying of vehicle for more than 1500 Kms, the charges shall not be more than Rs. 10.00 per Km.

Point No. 13 : These rates/conditions shall be applicable with effect from 01.04.2021 (Payment for which payable on 1 May, 2021), The existing contracts for hiring of vehicles, which have been entered into prior to issue of this Circular having the price escalation/clause can also implement these rates with effect from 01.04.2021

All other terms & conditions mentioned in the above referred circular shall remain unchanged.

Secretary to the Government

Notification No. F.2(1)/FD/G&T-SPFC/2017 Jaipur, dated: 18.04.2021

In exercise of the powers conferred by section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government, being of the opinion that second wave of COVID-19 has been sweeping across the country and the detail procedure of procurement as per the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 and rules made thereunder are not feasible to be adhered fully in this emergent and unforeseen situation, it is necessary in public interest so to do, hereby exempts the procurement of Goods, Works and Services related to management of COVID-19 pandemic only, by Medical & Health Department and Procuring Entities under their control, Medical Education Department and Procuring Entities under their control and District Collectors as a Procuring Entity from the Application of the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012.

Secretary to the Government

अधिसूचना संख्या एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 जयपुर, दिनांक : 18.04.2021

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि कोविड 19 की दूसरी लहर पूरे देश में फैल रही है और राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार उपापन की विस्तृत प्रक्रिया का इस आपातिक और अकल्पित परिस्थिति में पूर्ण रूप से पालन करना साध्य नहीं है, और लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और उसके नियंत्रण के अधीन उपापन संस्थाओं, चिकित्सा शिक्षा विभाग और उसके नियंत्रण के अधीन उपापन संस्थाओं और उपापन संस्था के रूप में जिला कलक्टरों द्वारा केवल कोविड–19 महामारी के प्रबंध से संबंधित माल, संकर्म और सेवाओं के उपापन पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के उपबंधों को लागू किये जाने से इसके द्वारा छूट देती है।

वित्त सचिव (बजट)

Notification No. F.2(1)/FD/SPFC/2017 **Jaipur, dated: 04.05.2021**

In exercise of the powers conferred by section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government, being of the opinion that second wave of COVID-19 has been sweeping across the country and the detail procedure of procurement as per the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 and rules made thereunder are not feasible to be adhered fully in this emergent and unforeseen situation, it is necessary in public interest so to do, hereby exempts the procurement and installation of Oxygen Plants and Oxygen Concentrators and other ancillary matters connected thereto, related to management of COVID-19 pandemic only, by Department of Local Bodies and Procuring Entities (Local Bodies, Development Authorities, Housing Board and UITs) under their control from the Application of the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012.

(Ashutosh Vajpayi)
Joint Secretary to Government

अधिसूचना संख्या एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2017 जयपुर, दिनांक : 04.05.2021

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि कोविड 19 की दूसरी लहर पूरे देश में फैल रही है और राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार उपापन की विस्तृत प्रक्रिया का इस आपातिक और अकल्पित परिस्थिति में पूर्ण रूप से पालन करना साध्य नहीं है, और लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, स्थानीय निकाय विभाग और उसके नियंत्रण के अधीन उपापन संस्थाओं (स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, आवासन मंडल और न.वि.न्या.) द्वारा केवल कोविड–19 के प्रबंध से संबंधित ऑक्सीजन संयंत्रों और ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर्सऔर उससे संबद्ध अनुषंगिक सामग्री के उपापन और लगाये जाने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के उपबंधों को लागू किये जाने से इसके द्वारा छूट देती है।

सयुक्त शासन सचिव

परिपत्र संख्या एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक :1.7.2021

विषयः ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टलमें बिड ओपनर्स की वर्तमान व्यवस्था 2/2 के स्थान पर 2/3 एवं 2/4 की व्यवस्था को लागू करने के संबंध में।

ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर वर्तमान में बिड ओपनर्स के लिए 2/2, 2/3 एवं 2/4 की व्यवस्था उपलब्ध है। दिनांक 01.07.2021 से उक्त व्यवस्था में 2/2 को हटाते हुए 2/3 एवं 2/4 की व्यवस्था ही रखी गई है।

अतः सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/निगमों को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि ई–प्रौक पोर्टल में बिड ओपनर्स की 2/3 एवं 2/4 की व्यवस्था को शीघ्रातिशीघ्र अंगीकृत करे। इस संबंध में उपापन प्राधिकारियों को बिड ओपनर्स के चयन में यदि कोई समस्या आती है तो इस हेतु ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल के हेल्पडेस्क पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संयुक्त शासन सचिव

परिपत्र संख्या एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक : 9.7.2021

विषयः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापन में बालश्रम नियोजित नहीं करने बाबत्।

इस विभाग द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापन के संबंध में जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.4.2018 व 14.11.2018 की निरंतरता में समस्त उपापन संस्थाओं को यह निर्देशित किया जाता है कि ''बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 संशोधित अधिनियम,2016 तथा उक्त अधिनियम के तहत राजस्थान बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन नियम, 2018 के प्रावधानानुसार बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिबंधित करते हुए इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध निर्धारित किया गया है, अतः मानव संसाधन की सेवाओं के उपापन में बालश्रम नियोजित नहीं करने के प्रावधान की अक्षरशः पालना की जावे व निविदा प्रपत्रों में इसका उचित स्थान पर उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त शासन सचिव

परिपत्र क्रमांक प 3 (1) वित्त/एसपीएफसी/2019 जयपुर, दिनांकः 15.7.2021

विषय : **कोविड–19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के मध्यनजर उपापन के लिये किये गये अनुबंधों की समयावधि में वृद्धि बाबत्।**

कोविड–19 महामारी की द्वितीय लहर के प्रसार को रोकने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प. 33 (2) गृह–9/2020 दिनांक 14.04.2021 जारी कर दिनांक 16.04.2021 से अनेक पाबंदियां लागू की गईं। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोविड–19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन की स्थिति के कारण प्रभावित हुयी माल एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं संकर्मों के निष्पादन के संदर्भ में दिनांक 16.04.2021 के पश्चात् पूर्ण होने वाले संविदात्मक दायित्वों को पूर्ण करने की अवधि, संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं पर, बिना परिसमापित नुकसानी (Liquidated Damages) आरोपित किये, अधिकतम छः माह तक बढ़ाये जाने का विचार किया जावे।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के तहत यह अभिवृद्धित समयावधि प्रकरण विशेष एवं महामारी के कारण प्रभावित निष्पादन पर आधारित होगी तथा संवेदक के दिनांक 16.04.2021 को संविदा से संबंधित अन्य दायित्वों के निर्वहन में दोषी नहीं होने पर ही लागू होगी। उपरोक्त कारण के अतिरिक्त प्रत्येक अनुबंध में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार निर्णय लिया जावे।

संयुक्त शासन सचिव

परिपत्र क्रमांक प. 7 (11) वित्त/एसपीएफसी/2017 पार्ट–। जयपुर, दिनांकः 29.7.2021

विषय : **GeM Portal पर किये जा रहे उपापन के संबंध में विभिन्न उपापन संस्थाओं की बकाया भुगतान राशि के भुगतान को सुनिश्चित करवाने बाबत्।**

संयुक्त शासन सचिव एवं सी.एफ.ओ. जैम, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 26.07.2021 द्वारा अवगत कराया है कि राज्य के विभिन्न उपापन संस्थाओं द्वारा जैम पोर्टल पर उपापन किया जा रहा है, किन्तु कुछ उपापन संस्थाओं द्वारा जैम पोर्टल पर किये जा रहे उपापन का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिस कारण भविष्य में राज्य सरकार के विभिन्न उपापन संस्थाओं की Poor Rating के कारण विक्रेताओं द्वारा संतोषप्रद सेवाएं दिया जाना संभव नहीं होगा।

संबंधित प्रशासनिक विभागों से अनुरोध है कि अपने अधीन उपापन संस्थाओं को निर्देशित करावें कि, जैम पोर्टल पर किये गये उपापन के संबंध में बकाया भुगतान राशि का निस्तारण नियमानुसार अतिशीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

शासन सचिव

No.F. 8 (15) FD/SPFC/Consultant/2020 Jaipur, dated : 30.7.2021

To
All Head of the Departments,
All Officers of Accounts Cadre/
All Procuring Entities/Stakeholders/Citizens

Subject: <u>Inviting comments and suggestions toward Finalization of Summarized Goods SBD.</u>

The ***Summarized Standard Bidding Document (SBD) for procurement of Goods*** is prepared for goods procurement with clear technical specifications to be procured nationally using Lowest Price Bid Selection Method via e-procurement mechanism.

The Summarized SBD is being circulated to all the Head of Departments/Procuring Entities/Officers of Accounts Cadre/Stakeholders/Citizens for their comments and suggestions. It is requested to all to submit the comments and suggestions for improvement of this document by August 16, 2021 by email at jsfgt@rajasthan.gov.in and CAO.SPFC@rajasthan.gov.in

These suggestions will be considered by SPFC department before finalizing the Summarized SBD for Goods. If no suggestion is received from the departments by August 16, 2021, it would be assumed that no changes are required in the document and will be formalized for use in State.

Secretary to the Government

परिपत्र क0: एफ 2(1)वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक : 25.11.2021

विषयः–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 के तहत दिये जाने वाले बिड सिक्योरिंग घोषणा पत्र बाबत्।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 23.12.2020 द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक बिड सिक्योरिटी के स्थान पर बिड सिक्योरिटी के संबंध में घोषणा पत्र लिए जाने का प्रावधान किया गया था। इसकी निरन्तरता में बिड सिक्योरिटी के संबंध में घोषणा पत्र हेतु जमा कराये जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी या स्टाम्प ड्यूटी की कमी (देय स्टाम्प ड्यूटी व लगाये गये स्टाम्प मूल्य का अन्तर) तथा उस पर लगने वाले अधिभारों के लिए ई–ग्रास के माध्यम से निम्न बजट मदों में जमा कराये जाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है :–

1. 0030–02–103–(01) दस्तावेजों के मुद्रांकन/कमी मुद्रांक हेतु प्राप्त आय
2. 0030–02–800–(02) स्टॉम्प शुल्क पर आधारभूत विकास हेतु अधिभार
3. 0030–02–800–(03) स्टॉम्प शुल्क पर गौसंवर्धन/संरक्षण हेतु अधिभार
4. 0030–02–800–(04) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से राहत हेतु अधिभार

यह सुविधा समस्त बोली दाताओं के लिए उपलब्ध रहेगी।

संयुक्त शासन सचिव

परिपत्र क्रमांक प. 8 (2) वित्त/एसपीएफसी/विधि/2020 **दिनांक : 16.12.2021**

विषय : Gem Portal पर किये जा रहे उपापन के संबंध में विभिन्न उपापन संस्थाओं की पेंडेंसी एवं उपापन के संबंध में किए गए भुगतान को जैम पोर्टल पर अपडेट/अद्यतन करवाने बाबत्।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) से प्राप्त अर्धशासकीय पत्र दिनांक 01.012.2021 द्वारा राज्य की उपापन संस्थाओं के जैम पोर्टल पर लंबित भुगतान प्रकरणों एवं ऑफलाइन किये गये भुगतानों के जैम पोर्टल पर समयबद्ध अपडेट/अद्यतन नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया है।

जैम पोर्टल पर किये जा रहे उपापन का समय पर भुगतान किए जाने के संबंध में पूर्व में भी दिनांक 29.07.2021 को परिपत्र जारी किया जा चुका है।

संबंधित प्रशासनिक विभागों से अनुरोध है कि अपने अधीन उपापन संस्थाओं को निर्देशित करावें कि, जैम पोर्टल पर किये गये उपापनों से संबंधित लंबित भुगतान प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार अतिशीघ्र किया जावे, साथ ही उपापन संस्थानों द्वारा ऑफलाइन किये गये भुगतानों को जैम पोर्टल पर अपडेट/अद्यतन किया जावे। उपापन संस्था जैम पोर्टल पर इस संबंध में सहायता के लिए रीजनल फेसीलेटर (राजस्थान) एवं सीनियर ट्रेनर श्री शशांक शर्मा मोबाईल नं. 7338999814 पर संपर्क कर सकते हैं।

संयुक्त शासन सचिव

Circular No. F.2(4)FD/SPFC/2017 Jaipur, dated : 5.4.2022

Subject :- Revision in the rates in respect of hiring of vehicles.

1. This is in reference to the circulars of even number dated 19.07.2018, 28.02.2019 & 31.03.2021 issued by this department regarding hiring of vehicles. The maximum ceiling of expenditure and rates prescribed in existing point No. 2(i), (ii), (iii) and (iv) of this circular are hereby revised as under :-

Particulars	Revised rates
Point NO. 2(i) for offices having a city (Municipal limits of a town) as their jurisdiction	Rs. 27900/- per month for 1500 Kms (GST extra, if applicable)
Point No. 2(ii) for offices having a district as their jurisdiction	Rs. 32900/- per month for 2000 Kms (GST extra, if applicable)
Point No. 2(iii) for offices having jurisdiction of more than one district but less than the whole state	Rs. 34900/- per month for 2200 Kms (GST extra, if applicable)
Point No. 2(iv) for official use in respect of those offices whose functional and operational jurisdiction is spreading over the entire state	Rs. 37900/- per month for 2500 Kms (GST extra, if applicable)

2. Point No. 3, 4, 5 & 13 of above mentioned circulars are also revised as under :-

Point No. 3 :

(i) Revised to Rs 27900/- per month (GST extra, if applicable)

(ii) For additional running of vehicle (more than 1500 Kms) - @ Rs. 10.00 per Km.

Point No. 4 :

The maximum ceiling of expenditure in a month for vehicles required on as and when basis would be Rs. 14000/- per month.

Point No. 5 :

Further, the rates for additional running/plying of vehicle for more than 1500 Kms, the charges shall not be more than Rs. 10.00 per Km.

Point No. 13 :

These rates/conditions shall be applicable with effect from 01.04.2022 (Payment for which payable on 1 May, 2022). The existing contracts for hiring of vehicles, which have been entered into prior to issue of this Circular having the price escalationclause can also implement these rates with effect from 01.04.2022.

All other terms & conditions mentioned in the above referred circular shall remain unchanged.

Finance Secretary (Budget)

परिपत्र क्र0: एफ 7(5)वित्त/एसपीएफसी/2013 जयपुर, दिनांक : 27.04.2022

विषयः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम, 2013 के अनुसरण में संधारित किये जाने वाले अभिलेखों बाबत्।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा–10 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 79 द्वारा प्रत्येक उपापन संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से संधारित किये जाने वाले अभिलेखी दस्तावेजों के संबंध में प्रावधान किये गये हैं। इस हेतु पूर्व में इस विभाग द्वारा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 12.05.2020 भी जारी किया गया है। परन्तु प्रायः यह देखा गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा उपरोक्त अभिलेखों का पूर्णतः संधारण नहीं किया जा रहा है, जो कि उक्त अधिनियम/नियमों के **गंभीर उल्लंघन** की श्रेणी में आता है। उपापन संस्थाओं का यह कृत्य विभिन्न स्तरों पर अंकेक्षण आक्षेप का कारण बनता है तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की मूल भावना पारदर्शिता के अनुकूल भी नहीं है।

अतः समस्त उपापन संस्थाओं को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012/नियम 2013 के प्रावधानों के दृष्टिगत समस्त वांछित अभिलेखों का आवश्यक रूप से संधारण किया जाना सुनिश्चित करावें।

RTPP Act, 2012 की धारा–10 के अन्तर्गत सभी उपापन संस्थाओं हेतु उनके द्वारा किये जाने वाले समस्त उपापनों के सम्बन्ध में निम्नांकित अभिलेख संधारित किये जाने का प्रावधान किया गया हैः–

(1) उपापन संस्था अपनी उपापन कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्ः–

- (क) धारा 5 के अधीन उपापन की आवश्यकता के अवधारण से सम्बन्धित दस्तावेज;
- (ख) धारा 12 के अधीन उपापन की विषय वस्तु का वर्णन;
- (ग) धारा 29 की उप–धारा (4) के अधीन खुली प्रतियोगी बोली से भिन्न किसी उपापन की पद्धति के चुनाव के लिए कारण का कथन;
- (घ) भाग ले रहे बोली लगाने वालों की विशिष्टियां;
- (ड.) बोली–पूर्व सम्मेलनों के दौरान सहित स्पष्टीकरणों के लिए अनुरोध और उनके कोई भी प्रत्युत्तर;
- (च) बोली की कीमतें और अन्य वित्तीय निबंधन;
- (छ) बोलियों के मूल्यांकन का सारांश;
- (ज) धारा 38 के अधीन किसी अपील के ब्यौरे, और उनसे सम्बन्धित विनिश्चय;
- (झ) कोई भी अन्य सूचना या अभिलेख, जैसा विहित किया जाये।

(2) धारा 38 के अधीन अपीलों के सम्बन्ध में या किसी बैठक के अनुक्रम सहित किसी उपापन के अनुक्रम में तैयार किये गये या उपापन प्रक्रिया के अभिलेख का भाग कोई दस्तावेज, अधिसूचना, विनिश्चय या कोई अन्य सूचना ऐसे किसी रूप में होगी जो सूचना की अन्तर्वस्तु का अभिलेख उपलब्ध कराती हो और सुगम हो ताकि पश्चात्वर्ती निर्देश के लिए उपयोग किये जाने योग्य हो।

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) या अभिलेखों के प्रतिधारण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अध्यधीन, उपापन संस्था उपापन प्रक्रिया या, यथास्थिति, उपापन संविदा के अवसान के पश्चात् किसी युक्तियुक्त कालावधि के लिए, उप–धारा (1) और (2) में उपदर्शित दस्तावेजी अभिलेख को प्रतिधारित करेगी ताकि लेखापरीक्षा या ऐसे अन्य पुनर्विलोकन को समर्थ बनाये।

इसी प्रकार राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 79 के अन्तर्गत भी उपापन के संबंध में उक्त धारा–10 में वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त निम्नांकित दस्तावेजी अभिलेख उपापन संस्था को संधारण हेतु विनिर्दिष्ट किया गया हैः–

(क) बोली की कीमत सहित समस्त बोली लगाने वालों के नाम ओर पते और यदि बोली सशर्त है तो बोली की शर्तें;

(ख) उस कीमत सहित, जिस पर उपापन किया गया है, सफल बोली लगाने वाले का नाम और पता;

(ग) दर संविदा पद्धति के मामले में, उन बोली लगाने वालों के नाम और पते, जिनके साथ दर संविदा की गयी है;

(घ) बोली दस्तावेजों में किये गये उपातंरणों, यदि कोई हो, का सारांश;

(ङ) अपेक्षित अर्हता, अर्हता रखने वाले बोली लगाने वालों के ब्यौरे और कारणों सहित, अर्हित या अनर्हित बोली लगाने वालों के ब्यौरें;

(च) जहां कोई लिखित उपापन संविदा निष्पादित की गयी है, वहां दर संविदा को सम्मिलित करते हुए, संविदा की प्रति;

(छ) पैनलीकरण के मामले मे, पैनलीकरण के निबंधन और शर्तें और करार, यदि कोई हो, की प्रति;

(ज) बोलियों के मूल्यांकन और तुलना का सांराश, लागू अधिमान की किसी सीमा सहित और किसी बोली को खारिज करने या विचार नहीं करने के कारणों, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए,

(झ) यदि उपापन प्रक्रिया रद्द की जाती है तो रद्दकरण के कारण;

उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना की जावे।

शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग

परिपत्र क0ः एफ 7(5)वित्त/एसपीएफसी/2013 **जयपुर दिनांक : 27.4.2022**

विषयः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा–17 के अनुसार उपापन संबंधी सूचनाओं का राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर प्रकाशन।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.09.2016 व दिनांक 11.05.2020 के द्वारा समस्त उपापन संस्थाओं को RTPP Act, 2012 व RTPP Rules, 2013 के प्रावधानों के तहत उपापन से संबंधित समस्त अपेक्षित आवश्यक सूचनाओं/आदेशों का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल पर आवश्यक रूप से किये जाने बाबत् विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

परन्तु व्यवहार में यह पाया गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा अभी तक भी पोर्टल पर केवल बोली आमंत्रण सूचनाओं (NIB) का ही प्रकाशन किया जा रहा है तथा उपापन से संबंधित अन्य उपरोक्त समस्त आवश्यक सूचनाओं/आदेशों का पोर्टल पर प्रकाशन नहीं किया जा रहा है, जोकि गंभीर विषय है।

इस संबंध में एतद्द्वारा समस्त उपापन संस्थाओं को पुनः निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे RTPP Act, 2012 की धारा–17 के अनुसार उपापन से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर आवश्यक रूप से प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करावें:–

1. पूर्व–अर्हता दस्तावेज, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज, बोली दस्तावेज तथा उसके संशोधन, स्पष्टीकरण जो बोली–पूर्व सम्मेलन के अनुसरण में हो, और उसके शुद्धि–पत्र,
2. पूर्व–अर्हता या, यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण के दौरान सहित बोली लगाने वालों की सूची, जिन्होंने बोली लगायी है,
3. पूर्व–अर्ह और, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची,
4. धारा 25 के अधीन कारण सहित अपवर्जित बोली लगाने वालों की सूची,

5. धारा 38 और 39 के अधीन विनिश्चय,
6. सफल बोलियों का, उनकी कीमतों का और बोली लगाने वालों का ब्यौरा,
7. बोली लगाने वालों, जिन्हें राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया हैं, की विशिष्टयां, साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन कार्यवाई का कारण और विवर्जन की कालावधि,
8. कोई अन्य सूचना, जो विहित की जाये।
9. एवं उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित अन्य आदेश

कतिपय प्रकरणों में यह भी देखा गया है कि जिन मामलों में ई–बोली आंमत्रित की जाती है, उनमें उपापन संस्थाओं द्वारा केवल ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ही बिड एंव तत्पश्चात आवश्यक दस्तावेजों का प्रकाशन किया जाता है परन्तु राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर नहीं। RTPP Act, 2012 के अनुसार राशि रुपये 1.00 लाख या इससे अधिक के उपापन के संबंध में नियमानुसार अपेक्षित पूर्ण कार्यवाही को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशन किया जाना बाध्यकारी है।

इसी प्रकार इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ1(8) जी एण्ड टी/2014 दिनांक 24.07.2014 के अनुसार नोडल अधिकारी के कर्तव्यों में अन्य कार्यो के साथ–साथ उनके विभाग के अधीन समस्त उपापन संस्थाओं द्वारा इस अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत प्रावधित समस्त वांछित दस्तावेजों की राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्रत्येक छः माही (15 अप्रेल एवं 15 अक्टूबर प्रेष्य) भिजवाने बाबत् निर्देशित किया गया है। परन्तु अधिकांश विभागाध्यक्षों/उपापन संस्थाओं द्वारा उक्त प्रमाण पत्र इस विभाग को प्रेषित किये जाने का अभाव पाया गया है।

अतः इस संबंध में पुनः निर्देश प्रदान किये जाते है कि समस्त विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ उपापन संस्थाओं के बाबत् उक्त प्रमाण पत्र नेडल अधिकारियों के माध्यम से **cao.spfc@ rajasthan.gov.in** पर निर्धारित समय (15 अप्रेल एवं 15 अक्टूबर) पर आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावें।

RTPP Act,2012 एवं RTPP Rules, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समस्त अपेक्षित सूचनाओं का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर नहीं किया जाना RTPP Act, 2012 एवं Rules, 2013 के प्रावधानों के **गंभीर उल्लंघन** की श्रेणी में आता है, जिसके लिए संबंधित उपापन संस्था के उत्तरदायी अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही के अतिरिक्त इस अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत प्रावधित शक्तियों से दंडित करने की कार्यवाही संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अविलम्ब संपादित की जावे।

उपापन संस्थाओं के अधीन पदस्थापित राजस्थान लेखा सेवा/अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों/कार्मिकों का उक्त प्रावधानों की अनुपालना का प्राथमिक दायित्व होगा।

उक्त निर्देशों की संख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

परिपत्र क0: एफ 7(5)वित्त/एसपीएफसी/2013 जयपुर, दिनांक : 02.05.2022

विषयः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम, 2013 के अनुसरण में उपापन संबंधी सूचनाओं के राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर प्रकाशन।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.09.2016 व 13.05.2020 के द्वारा समस्त उपापन संस्थाओं को RTPP Act, 2012 एवं Rules, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपापन से संबंधित समस्त अपेक्षित आवश्यक सूचनाओं/आदेशों का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर आवश्यक रूप से किये जाने बाबत् विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

परन्तु व्यवहार में यह पाया गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा अभी तक भी पोर्टल पर

बोली आमंत्रण सूचनाओं (NIB) एवं बोली दस्तावेजों (Bid Document) का ही प्रकाशन किया जा रहा है तथा उपापन से संबंधित अन्य समस्त आवश्यक सूचनाओं/आदेशों यथा RTPP Rule 57(1)(i) के अनुसार तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के परिणाम, वित्तीय मूल्यांकन का परिणाम एवं नियम 71 के अनुसार संविदा के अधिनिर्णय की सूचना (Work Order) आदि का पोर्टल पर प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।

सभी उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा किये गये उपापनों से संबंधित बकाया अभिलेखों यथा तकनीकी, वित्तीय चार्ट का विवरण तथा बकाया कार्यादेशों के विवरण को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर आवश्यक (mandatory) रूप से यथाशीघ्र प्रकाशित करवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा निर्देशों की पालना के उपरान्त की गई कार्यवाही से इस विभाग को भी सूचित करावें। साथ ही भविष्य में किये जाने वाले उपापनों के संबंध में भी उक्त निर्देशों की पालना की जावें।

उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

परिपत्र क्रमांक : प.1(1)वित्त/एसपीएफसी/2007 जयपुर, दिनांक : 04.05.2022

वर्तमान में राजकीय वाहनों हेतु पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट, ऑयल आदि स्टेट मोटर गैराज विभाग द्वारा संचालित पेट्रोल पम्पों से सीधे क्रय किया जा रहा है तथा इस बाबत् अनुपलब्धता की स्थिति में अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर खुले बाजार से क्रय किया जा रहा है। इस संबंध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 के बिंदु संख्या 16 के अनुसार पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट का उपापन बिना बोली प्रक्रिया अपनाये इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, आईबीपी एवं भारत पेट्रोलियम से किये जाने का प्रावधान भी किया गया है।

उक्त प्रक्रिया को और अधिक सुगम एवं सरलीकृत करने की दृष्टिगत समस्त उपापन संस्थाओं को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि राजकीय वाहनों के लिये पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट, ऑयल आदि का क्रय स्टेट मोटर गैराज द्वारा संचालित पेट्रोल पम्पों के साथ–साथ इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, आईबीपी एवं भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों से बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये भी किया जा सकता है। इस संबंध में स्टेट मोटर गैराज विभाग से किसी प्रकार की अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं होगी।

उपरोक्त प्रक्रिया के तहत पेट्रोल, डीजल के उपापन एवं किये जाने वाले भुगतान के संबंध में प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

1. राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग से पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट, ऑयल आदि का क्रय करने की स्थिति में विद्यमान व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध बजट प्रावधान एवं वित्तीय सक्षमता के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

2. इसी प्रकार अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 के बिंदु संख्या 16 के अनुसार विभाग/कार्यालय द्वारा पेट्रोल, डीजल एवं ल्यूब्रिकेंट का उपापन बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, आईबीपी एवं भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पम्पों से किये जाने की स्थिति में तत्संबंधी भुगतान संबंधित विभाग के वाहन संधारण मद में उपलब्ध कराये गये बजट प्रावधान में से किया जा सकेगा, इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया निम्नानुसार है :–

(i) वर्तमान प्रक्रिया अनुसार ही प्रति वर्ष विभाग को विभाग में उपलब्ध राजकीय वाहनों के अनुरूप पेट्रोल/डीजल के लिए वाहन संधारण मद में वित्त विभाग द्वारा बजट उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) विभाग/कार्यालयों द्वारा आरटीपीपी नियमों में अंकित इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, आईबीपी एवं भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल/डीजल पम्प संचालकों से वार्ता कर राजकीय वाहनों को डीजल/पेट्रोल आपूर्ति करने हेतु बिना निविदा अधिकृत किया जा सकता है।

(iii) विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा मांग के अनुसार संबंधित पेट्रोल पम्प को वाहन के साथ Indent जारी किया जायेगा। उक्त Indent के आधार पर पेट्रोल पम्प द्वारा वाहन चालक को डीजल/पेट्रोल उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) संबंधित पेट्रोल पम्प द्वारा माह के दौरान आपूर्ति किये गये डीजल/पेट्रोल का समेकित बिल मय Indent विभाग को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। विभाग द्वारा प्राप्त बिल प्रमाणीकरण करके वाहन संधारण मद में उपलब्ध बजट में से नियमित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जायेगा।

(v) पेट्रोल पम्प को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा तथा पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में समय रहते/यथा समय वित्त विभाग से अतिरिक्त बजट की मांग की जा सकती है।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

संयुक्त शासन सचिव

परिपत्र क्र0: एफ 7(5)वित्त/एसपीएफसी/2013 **जयपुर दिनांक : 12.05.2022**

विषयः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसरण में संक्षिप्त (Abridged) बोली आमंत्रण सूचना के प्रकाशन बाबत्।

उपापन संस्थाओं द्वारा किये जा रहे उपापनों के सन्दर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाने वाली बोली आमंत्रण सूचना संक्षिप्त रखे जाने हेतु इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25.06.2020 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये थे। साथ ही इस संबंध में बोली आमंत्रण सूचना का एक मानकीकृत प्रारूप (Template) भी उपलब्ध कराया गया था।

RTPP नियम, 2013 के अन्तर्गत बोली आमंत्रण सूचना के प्रकाशन के सदंर्भ में निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैः–

43. बोली आमंत्रित करने वाली सूचनाः– *(1) उपापन संस्थान खुली प्रतियोगी बोली और द्वि प्रक्रमी बोली में बोलियों की, या जहां लागू हो, पूर्व–अर्हता के लिए आवेदन की अभ्यर्थना बोली या, यथास्थिति, पूर्व–अर्हता के आमंत्रण का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल और उसकी स्वयं की शासकीय वेबसाइट, यदि उपलब्ध हो, पर करके करेगी। इस नियम के उप–नियम (6) और (7) में यथा–विहित पर्याप्त परिचालन वाले समाचार पत्रों में* ***एक संक्षिप्त नोटिस*** *भी प्रकाशित किया जायेगा।*

(5) समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला बोली आमंत्रित करने वाला नोटिस ***संक्षिप्त*** *होना चाहिए। उपापन की एक से अधिक विषय–वस्तु के लिए बोली यथा–संभव एक नोटिस में प्रकाशित की जायेगी।*

परन्तु व्यवहार में देखा गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही है। जोकि अत्यधिक खेद का विषय है एवं राज्य सरकार द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया है। समस्त उपापन संस्थाओं को एतद्द्वारा पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में किये जाने वाले उपापनों के संदर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाने वाली बोली आमंत्रण सूचना के प्रारूप को आर.टी.पी.पी. नियम, 2013 के नियम 43 के प्रावधानों के अनुरूप संक्षिप्त (Abridged) रखा जाना सुनिश्चित करावें। इस बाबत् मानकीकृत प्रारूप (Template) की प्रति संलग्न है।

उक्त निदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग

Template

.... (Name of Procuring Entity)

File No. .... Date.

Notice Inviting Bid

Bids for .... (Name(s) of subject matter(s) of Procurement) are invited from interested bidders upto .... (time) .... (date). Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state; and .... departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. ....

UBN ....

(Designation of Bid Inviting Officer)

परिपत्र क्रमांक : प.7(5)वित्त / एसपीएफसी / जांच / 2019 जयपुर, दिनांक : 13.05.2022

राजस्थान संवाद, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय परिसर द्वारा निविदा क्रमांक 593 दिनांक 27.08.2021 "The work of Paper Printing" के संदर्भ में जारी किये गये कार्य आदेश क्रमांक राज.संवाद / पेपर प्रिंटिंग / 2021–22 / 926–36 दिनांक 18.11.2021 के अन्तर्गत फर्म को सूचीबद्ध करने तथा दर अनुमोदित करने के साथ–साथ निम्न उल्लेख किया गया है :–

"अनुमोदित फर्म से संलग्न दरों पर सभी विभाग, बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशाषी संस्थाएं, नगर निगम आदि राजस्थान संवाद के माध्यम से कार्य करा सकते हैं।"

राजस्थान संवाद द्वारा उक्त कार्य आदेश में इस प्रकार उल्लेख किया जाना उसकी सक्षमता से बाहर एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 का उल्लंघन है।

अतः समस्त उपापन संस्थाओं को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान संवाद द्वारा जारी उक्त आदेश द्वारा सूचीबद्ध फर्म से उनके द्वारा अनुमोदित दरों पर कार्य कराया जाना तुरंत प्रभाव से बंद किया जावे। साथ ही विभागीय आवश्यकता से संबंधित पेपर प्रिंटिंग कार्य राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत उपलब्ध उपापन की विभिन्न पद्धतियों में से उपयुक्त पद्धति का चयन करते हुए कराया जाना सुनिश्चित करावें।

साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि कोई भी राजकीय विभाग, बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम एवं स्वायत्तशासी निकाय आदि दूसरे किसी अन्य राजकीय विभाग, बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम एवं स्वायत्तशासी निकाय द्वारा अनुमोदित दरों पर वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी भी प्रकार के उपापन की कार्यवाही नहीं करेंगे।

उपरोक्त निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

परिपत्र क्रमांक : प.8(15)वित्त / एसपीएफसी / 2020 जयपुर, दिनांक : 17.5.2022

विषय : **माल (Goods) के उपापन हेतु सुझावात्मक बोली दस्तावेज (Suggestive Bid Document) बाबत् ।**

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 3 के अन्तर्गत उपापन संस्था द्वारा गठित उपापन समिति द्वारा बोली दस्तावेज तैयार किया जाना प्रावधित किया गया है। बोली दस्तावेज तैयार करने का प्राथमिक दायित्व उपापन समिति का ही है तथापि वित्त (जीएण्डटी) विभाग द्वारा उपापन संस्थाओं की सहायता की दृष्टि से एक सुझावात्मक बोली दस्तावेज (Suggestive Bid Document) तैयार किया गया है। यदि उपापन समिति या संस्था के द्वारा बोली दस्तावेज तैयार करने में कोई कठिनाई हो तो उपापन समिति को बोली दस्तावेज (Bid Document) तैयार करने में यह सुझावात्मक बोली दस्तावेज (Suggestive Bid Document) उपयोगी साबित होगा।

अतः उपापन संस्थाओं द्वारा इस बोली प्रपत्र (Suggestive Bid Document) के प्रावधानों को, उपापन की विषय–वस्तु एवं विभागीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उसके प्रावधानों में यथाआवश्यकता विशेष शर्तों / अभ्युक्तियों को जोड़ने / संशोधन करते हुए उपयोग में लिया जा सकता है।

संलग्नः **सुझावात्मक बोली दस्तावेज**
(Suggestive Bid Document)

शासन सचिव, वित्त (बजट)

परिपत्र क्रमांकः एफ 7(5)वित्त / एसपीएफसी / 2013 जयपुर दिनांक : 31.05.2022

विषयः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा–17 के अनुसार डीबार की गई फर्मों की सूचना का राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर प्रकाशन।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.09.2016, 11.05.2020 व दिनांक 27.04.2022 के द्वारा समस्त उपापन संस्थाओं को RTPP Act, 2012 व RTPP Rules, 2013 के प्रावधानों के तहत उपापन से संबंधित समस्त अपेक्षित आवश्यक सूचनाओं / आदेशों का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल पर आवश्यक रूप से किये जाने बाबत् विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

परन्तु व्यवहार में यह पाया गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा अभी तक भी पोर्टल पर केवल बोली आमंत्रण सूचनाओं (NIB) का ही प्रकाशन किया जा रहा है तथा उपापन से संबंधित अन्य उपरोक्त समस्त आवश्यक सूचनाओं / आदेशों का पोर्टल पर प्रकाशन नहीं किया जा रहा है, जोकि गंभीर विषय है।

इस संबंध में एतद्द्वारा समस्त उपापन संस्थाओं को पुनः निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे RTPP Act, 2012 की धारा–17 के अनुसार उपापन से संबंधित सूचनाएं राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर आवश्यक रूप से प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करावें व साथ ही धारा–17 के बिन्दु संख्या 7 **''बोली लगाने वालों, जिन्हें राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया हैं, की विशिष्टयां, साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन कार्यवाई का कारण और विवर्जन की कालावधि''** संबंधी पूर्ण विवरण आदेश जारी होने के तीन दिवस के भीतर ही पोर्टल पर अपलोड कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण करावें।

साथ ही इस विभाग के पूर्व परिपत्र क्रमांक एफ 1(8) वित्त / जीएण्डटी / 2014 दिनांक 24.07.2014 के अनुसार समस्त विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ उपापन संस्थाओं के बाबत् इस अधिनियम / नियमों के अन्तर्गत प्रावधित समस्त वांछित दस्तावेजों को पोर्टल पर प्रकाशित कर दिये जाने बाबत् प्रमाण पत्र व **उक्त बिन्दु संख्या 7 के क्रम में डीबार की गई फर्मो की विगत को आदेश की दिनांक से 3 दिवस की अवधि में ही राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड कर दिये जाने का प्रमाण पत्र भी** नोडल अधिकारियों के माध्यम से **cao.spfc@rajasthan.gov.in** पर निर्धारित समय (15 अप्रेल एवं 15 अक्टूबर) पर आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावें।

उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

आदेश क्रमांक : प.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 **जयपुर, दिनांक : 07.06.2022**

विषय : जनसहभागिता के माध्यम से जनउपयोगी कार्य हेतु माल, संकर्म एवं सेवाओं के उपापन के संबंध में दिशा–निर्देश जारी करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जनसहभागिता के माध्यम से जनउपयोगी कार्य हेतु माल, संकर्म एवं सेवाओं के उपापनों के बाबत् इस विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ. 2 (1) वित्त/जीएण्डटी– एसपीएफसी/2017 दिनांक 11.05.2022 जारी की गयी है। तत्संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :–

1. सर्वप्रथम संबंधित भामाशाह/ट्रस्ट/सोसायटी/एनजीओ द्वारा संपादित किये जाने वाले जनउपयोगी कार्य का सम्पूर्ण प्रस्ताव संबंधित संस्था प्रधान को प्रस्तुत किया जावेगा।

2. विभिन्न विभागों द्वारा इस उपापन हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उपापन समिति गठित की जावेगी।

3. संबंधित संस्था प्रधान के स्तर पर इस संबंध में किये जाने वाले उपापन हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों के तहत गठित उपापन समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का समग्र परीक्षण किया जावेगा।

4. विभागीय उपापन समिति द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के उपरांत कार्य की लागत, ड्राईंग एवं डिजाइन का अनुमोदन किया जावेगा। तत्पश्चात् अपनी अभिशंषा के साथ प्रस्तावित कार्य के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाने वाली राशि के बाबत् आवश्यक बजट प्रावधान उपलब्ध कराने तथा प्रशासनिक, वित्तीय एवं संकर्मों (Works) की स्थिति में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुक्रम में अपने विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जावेगा।

5. प्रकरण के परीक्षणोपरांत प्रस्तावित कार्य के संबंध में राज्य सरकार द्वारा वहन योग्य राशि संबंधित संस्था प्रधान को उपलब्ध कराते हुए प्रशासनिक, वित्तीय एवं संकर्मों (Works) की स्थिति में तकनीकी स्वीकृति वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुक्रम में जारी की जावेगी।

6. प्रशासनिक, वित्तीय एवं संकर्मों (Works) की स्थिति में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् अनुमोदित ड्राईंग एवं डिजाइन के अनुसार कार्य का संपादन **चयनित भामाशाह/ ट्रस्ट/ सोसायटी/एनजीओ द्वारा स्वयं के स्तर पर संपादित कराया जाएगा।** संपादित कार्य का यथासमय निरीक्षण विभाग द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जा सकेगा।

7. भामाशाह/ट्रस्ट/सोसायटी/एनजीओ के द्वारा सर्वप्रथम कुल परियोजना लागत के स्वयं के हिस्से (उदाहरणार्थ 60 प्रतिशत) की 50 प्रतिशत (कुल परियोजना लागत की 30 प्रतिशत) राशि व्यय की जावेगी तथा तत्संबंधी रिपोर्ट संबंधित संस्था प्रधान को प्रस्तुत की जावेगी। विभाग के द्वारा गठित समिति भामाशाह/ट्रस्ट/सोसायटी/एनजीओ के द्वारा कराये गये कार्य/ सेवाओं/माल की जांच एवं मूल्यांकन कर विभाग को प्रथम किश्त के रूप में राज्य सरकार द्वारा देय (उदाहरण के अनुसार 40 प्रतिशत) कुल अंशदान की 50 प्रतिशत (कुल परियोजना लागत की 20 प्रतिशत) राशि आवंटन की संस्था प्रधान को अभिशंषा करेगी। तदुपरांत संस्था प्रधान द्वारा राज्य सरकार के स्तर पर वहन किये जाने वाले कुल अंशदान की शेष 50 प्रतिशत (कुल परियोजना लागत की 20 प्रतिशत) राशि आवंटित की जावेगी।

   भामाशाह/ट्रस्ट/सोसायटी/एनजीओ के द्वारा स्वयं के हिस्से की शेष 50 प्रतिशत (कुल परियोजना लागत की 30 प्रतिशत) राशि व्यय करने के बाद तत्संबंधी रिपोर्ट संबंधित संस्था प्रधान को प्रस्तुत की जावेगी। संस्था प्रधान के द्वारा गठित समिति भामाशाह/ट्रस्ट/ सोसायटी/एनजीओ के द्वारा कराये गये कार्य/सेवाओं/माल की जांच एवं मूल्यांकन कर संस्था प्रधान को शेष 50 प्रतिशत (कुल परियोजना लागत की 20 प्रतिशत) राशि आवंटन की अभिशंषा करेगी। तदुपरांत राज्य सरकार के स्तर पर वहन किये जाने वाले कुल अंशदान की शेष 50 प्रतिशत (कुल परियोजना लागत की 20 प्रतिशत) राशि आवंटित की जावेगी।

8. योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्य समाप्ति के एक माह के भीतर संस्था प्रधान को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

9. विभिन्न विभागों द्वारा उक्त कार्य के लेखों का अंकेक्षण महालेखाकार/स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग/निरीक्षण विभाग/चार्टर्ड अकाउंटेंट से विभागीय नियमानुसार करवाया जावेगा।

10. राज्य सरकार द्वारा नामित कोई भी अधिकारी कार्यकारी एजेन्सी के द्वारा करवाये गये कार्य का किसी भी समय निरीक्षण कर सकेगा।

11. इस योजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली सभी परिसम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार को निहित होगा एवं उनका बेचान एवं हस्तानांतरण किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकेगा।

12. जनसहभागिता से निर्मित परिसम्पत्तियों का निजी उपयोग पूर्णतया वर्जित होगा।

13. उपापन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति में आगामी स्वीकृत किये जाने वाले अनुदान को निरस्त किया जा सकेगा। साथ ही पूर्व में स्वीकृत अनुदान की संबंधित संस्था से वसूली की जा सकेगी।

14. इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

संयुक्त शासन सचिव

Notification No.F.2(1)/FD/G&T-SPFC/2017 **Dated : 07.07.2022**

S.O.55 .-Whereas under the provisions of section 31 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No.21 of 2012), read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 17 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, in case of Hiring of Services of Consultant or Professional is required, for a period upto twenty four months and upto financial limit of rupees twelve lakh in each case, subject to delegation of financial powers;

And whereas the Department of Civil Aviation is facing the problems to execute the technical works due to non availability of technical staff in the Department. In order to perform their technically specilized duties, the Department require specialized consultancy services;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government is satisfied that it is necessary in public interest so to do, hereby exempts the Department of Civil Aviation from application of the section 31 of the said Act and from financial limits prescribed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 17 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 on the condition that the said exemption shall be limited to the procurement of services pertaining to hiring of a Consultant/Professional for one year upto the financial limit of Rs. Eighteen Lakhs per annum.

Vimal Kumar Gupta,
Joint Secretary to the Government.

परिपत्र क्र.: एफ 2 (1) वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक : **02.08.2022**

विषयः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012/नियम, 2013 के तहत जारी किये जाने वाली बोली आमंत्रण सूचना (NIB) में उपापन संस्था के पदनाम का उल्लेख करने बाबत्।

प्रायः यह देखा गया है कि उपापन संस्थाओं द्वारा उनके स्तर पर किये जाने वाले उपापनों के संदर्भ में जारी की जाने वाली बोली आमंत्रण सूचना, जिसका प्रकाशन समाचार–पत्रों में किया जाता है, में उपापन संस्था के विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अन्य अधिकृत अधिकारी, जो कि उपापन के लिए बोली आमंत्रण सूचना प्रकाशित कराने के लिए अधिकृत हैं, के पदनाम के स्थान पर पदनाम के साथ व्यक्तिगत नाम का भी उल्लेख किया जा रहा है। कई बार कतिपय संस्थाओं की NIB में दो या तीन अधिकारियों या कार्मिकों के नाम भी अंकित कर दिये जाते हैं।

बोली आमंत्रण सूचनाओं में उपापन संस्था के पद पर कार्यरत पदाधिकारियों के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया जाना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि उपापन संस्था में कार्यरत पदाधिकारी सामान्यतः स्थानांतरणीय है। ऐसी स्थिति में बोली आमंत्रण सूचना में उपापन संस्था के पद पर कार्यरत पदाधिकारी के नाम का उल्लेख किया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। साथ ही, बोली आमंत्रण सूचना में उपापन संस्था के रूप में कार्यरत पदाधिकारी के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख करने से बोली प्रक्रिया भी विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है।

अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में बोली आमंत्रण सूचनाओं में केवल उपापन संस्था/उपापन के लिए बोली आमंत्रण सूचना प्रकाशित करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी के पदनाम का ही उल्लेख किया जावे। एक से अधिक पदनाम भी अंकित नहीं किये जावें।

उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना की जावे।

शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग

परिपत्र क0: एफ 7(5)वित्त/एसपीएफसी/2013 जयपुर दिनांक : **10.08.2022**

विषयः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा–17 के अनुसार विवर्जित (डिबार) की गई संस्थाओं, कम्पनी, फर्मों की सूचना का राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर प्रकाशन।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.09.2016, 11.05.2020, 27.04.2022 व दिनांक 31.05.2022 के द्वारा समस्त उपापन संस्थाओं को RTPP Act, 2012 व RTPP Rules, 2013 के प्रावधानों के तहत उपापन से संबंधित समस्त अपेक्षित आवश्यक सूचनाओं/आदेशों का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल पर आवश्यक रूप से किये जाने बाबत् विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

धारा–17 (3) के बिन्दु संख्या (छ) के अनुसार **''बोली लगाने वालों, जिन्हें राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया हैं, की विशिष्टयां, साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन कार्यवाई का कारण और विवर्जन की कालावधि''** संबंधी पूर्ण विवरण पोर्टल पर अपलोड किये जाने का प्रावधान उपलब्ध है।

उक्त प्रावधान की पालना हेतु राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर **Black List/Debarred Firm** शीर्ष से नवीन आईकन Blinking Mode में उपलब्ध कराया गया है। इसमें उक्त विवरण दर्ज करने के पश्चात् उपापन संस्थाओं की सुविधा के लिए समस्त सूची को Excel Format में Export किये जाने व Download का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है।

अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर उनके स्तर से किसी बोली लगाने वालों यथा संस्था, कम्पनी, फर्म आदि को विवर्जित (Blacklist/Debar) करने संबंधी आदेश को तुरन्त अपलोड किये जाने की कार्यवाही करें।

उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग

Notification No. F.2(1)/FD/SPFC/2017 Jaipur, dated: 14.08.2022

In exercise of the powers conferred by section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government, being of the opinion that looking to the fast spread of Lumpy Skin Disease in Animals in the State, the detail procedure of procurement as per the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 and rules made thereunder will not be able to take care of expeditious procurement required in this emergent and unforeseen situation, hereby exempts the procurement of medicines and vaccines identified by the Animal Husbandry Department, to be procured by Animal Husbandry Department and District Collectors as a Procuring Entity from the Application of the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, in public interest.

List of items/drugs to be procured for the purpose along with quantity and limit of expenditure will be decided by the Animal Husbandry Department.

(Vimal Kumar Gupta)
Joint Secretary to the Government.

Notification No. F.2(1)/FD/SPFC/2017 Jaipur, dated: 26.8.2022

In exercise of the powers conferred by section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government, being of the opinion that it is necessary in public interest for upliftment of the economic conditions of the livestockmen residing in Devnarayan Nagar Yojna, Kota and nearby it to purchase of Dung from the livestockmen residing in such area, the detail procedure of procurement as per the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 and rules made thereunder are not feasible to be adhered fully to procure Dung from livestockmen individually, hereby exempts the procurement of Dung from livestockmen of residing in Devnarayan Nagar Yojna, Kota and nearby it by the Urban Improvement Trust, Kota from the application of the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, subject to condition that the procurement of Dung shall be made at the rate of one rupee per kilogram.

(Vimal Kumar Gupta)
Joint Secretary to the Government.

Order No. F. 1 (5) RFSDL/2022 Jaipur, Dated : 01.09.2022

Rajasthan Financial Services Delivery Limited (RFSDL), a fully state owned company is providing services / consultancies to various departments and government institutions. The charges are to be recovered by RFSDL are as under :-

S.No.	Particulars	Rate to be charged
1.	Project / job / work / consultancy upto Rs. 1 crore	8% of the cost of the executed work
2.	Project / job / work / consultancy above Rs. 1 crore and below Rs. 25 crores	6% of the cost of the executed work
3.	Projects having multiple tasks / composite work / involvement of different resource / requirement of special deployment with cost of Rs. 25 crores and more	A Steering Committee comprising Principle Secretary (Finance), concerned Secretary of Administrative Department and MD RFSDL will decide rate chargeable from Department / Institution for the work.

This bears approval of Finance Department vide I.D. No. 182200682 dated 25.08.2022.

(Rohit Gupta)
Secretary to Government
Finance (Budget) Department

Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 Dated : 04.11.2022

S.O. 102:–In exercise of the powers conferred by section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby rescinds this department's notification number F. 2(1)FD/SPFC/2017 dated 04.05.2021, published in Rajasthan Gazette on dated 04.05.2021 vide SO 529, with immediate effect.

(Manish Mathur)
Joint Secretary to the Government

Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 Dated : 04.11.2022

S.O. 103:–In exercise of the powers conferred by section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby rescinds this department's notification number F. 2(1)FD/SPFC/2017 dated 18.04.2021, published in Rajasthan Gazette on dated 18.04.2021 vide SO 525, with immediate effect.

(Manish Mathur)
Joint Secretary to the Government

परिपत्र क्रमांक एफ. 8 (3) वित्त/एसपीएफसी/विविध/2021 जयपुर दिनांक : 16.12.2022

प्रायः यह देखने में आया है कि उपापन संस्थाओं द्वारा अपने बोली दस्तावेजों में इस प्रकार की शर्त का उल्लेख किया जाता है कि ''बोलीदाता द्वारा बोली में भाग लेने से पूर्व, बोली में उल्लेखित प्रस्तावित कार्य स्थल का अवलोकन बोलीदाता द्वारा या उसका अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा करने के उपरांत इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित इंजिनीयर इंचार्ज से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर, बोलीदाता द्वारा इसकी प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न की जावेगी। इस प्रमाण पत्र के अभाव में बोलीदाता की बोली पर उपापन संस्था द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।''

ऐसी स्थिति में बोली खोलेने से पूर्व ही उपापन संस्था को संभावित बोलीदाता की पहचान उजागर हो जावेगी। उपापन संस्थाओं द्वारा रखी गयी ऐसी शर्त के कारण लोक उपापन में पारदर्शिता का अभाव हो जाता है जो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 4 के अनुसार लोक उपापन के मूल सिद्धांतों में से एक ''पारदर्शिता'' के विपरीत है।

उपापन संस्था द्वारा संभावित बोलीदाता की पहचान का उपयोग अन्य बोलीदाताओं से साझा किये जाने एवं ऐसी स्थिति में संभावित बोलीदाताओं द्वारा पूलिंग किये जाने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है, जो राज्य हित में नहीं है। उपापन संस्था द्वारा रखी गयी ऐसी शर्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 11 ''सत्यनिष्ठा संहिता'' की सुसंगतता में भी नहीं है।

अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि बोली दस्तावेजों में उपरोक्त वर्णित शर्त जैसी कोई शर्त नहीं रखे, जिस कारण बोली खोलने से पूर्व ही ''संभावित बोलीदाता की पहचान'' उजागर हो सके।

(रोहित गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

Order No.F.8 (10)FD/SPFC/Misc./2022 Jaipur, dated : 27.01.2023

Subject:- Revision in RISL Processing Fees

This is in reference to the Order of even number dated 30.09.2011 issued by this department regarding charges for availing the services of RajCOMP Info Services Ltd. (RISL). The charges prescribed against Sr. No. 1 of the table in this Order are hereby revised as under:

Sr. No.	Particulars	Charges
1.	To extend Facility Management Services for implementation of e-Procurement software which includes providing support in e- tendering to bidders/contractors/ vendors as well as officers/officials of departments/PSUs	1. If bid value is upto Rs. 50 lacs, charges will be Rs. 500/- per bidder per bid. 2. If bid value is more than Rs. 50 lacs and upto Rs. One Crore, charges will be Rs. 1500/- per bidder per bid. 3. If bid value is more than Rs. One Crore and upto Rs. Five Crore, charges will be Rs. 2000/- per bidder per bid. 4. If bid value is more than Rs. Five Crore, charges will be Rs. 2500/- per bidder per bid. **Note**: The above charges will be collected additionally through single challan on e-GRAS or in the form of Demand Draft (DD)/Bankers Cheque (BC) in the name of **Managing Director, RISL** payable at Jaipur along with prescribed bid document fee from the bidders.

All Procuring Entities shall ensure mentioning above revised charges in the Notice Inviting Bid (NIB) issued for upcoming procurements henceforth.

(Rohit Gupta)
Finance Secretary (Budget)

Notification No.F.2(1)FD/SPFC/2017 Dated : 12.05.2023

S.0.71 .-In exercise of the powers confelTed by section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No, 21of 2012), the State Government hereby rescinds this department's notification number F.2(l)/FD/SPFC/2017 dated 14,08.2022, published in Rajasthan Gazette Extraordinary dated 14.08.2022 vide S.O. 77, with immediate effect. IF.2(1)/FD/SPFC/201.

(Manish Mathur)
Joint Secretary to the Government

Notification No. F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 Jaipur,dated : 14.8.2023

S.O.118 .-Whereas as per the provisions of section 31 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No.21 of 2012), read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 17 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, Services of Consultant or Professional can be hired only for a period upto twenty four months and upto financial limit of rupees twelve lakh in each case, subject to delegation of financial powers; And whereas the Department of Civil Aviation is facing the problems to execute the technical works due to non-availability of specialized technical staff in the Department. In order to perform their technically specialized duties, the Department requires specialized consultancy services; Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government is satisfied that it is necessary in public interest so to do so, hereby exempts the Department of Civil Aviation from application of the section 31 of the said Act and from financial limits prescribed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 17 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 on the conditions that the said exemption shall be limited to the procurement of services pertaining to hiring of a Consultant/professional for one year upto the financial limit of Rs. Eighteen Lakhs per annum.

(Manish Mathur)
Joint Secretary to the Government

Order No. F. 2(1) FD/G&T-SPFC/2017 Dated : 18.08.2023

In pursuance of proviso to clause (a) of sub-rule (1) of rule 17 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government hereby orders that where services of a retired government servant is hired, monthly remuneration payable to such retired government servant shall be fixed in the following manner, namely:-

(1) (a) Pay last drawn minus Pension.
(b) Plus admissible Dearness Relief on Clause 1(a) at the time of soliciting a bid from prospective bidder by the Procuring Entity.
(2) Monthly remuneration calculated in clause no. (1) should be rounded off to the nearest Rs. 100.
(3) Services of retired government servant hired as consultant or professional shall be subject to delegation of financial powers of Procuring Entity.
(3) This Order shall come into force with effect from 10.07.2023.

(Rohit Gupta)
Finance Secretary (Budget)

परिपत्र क्रमांकः प 8(3)वित्त/एफपीएफसी/विविध/परिपत्र/2023 दिनांक : 28.8.2023

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के द्वारा राज्य में 17 नवीन जिलों का गठन/पुनर्गठन किया गया है। नवीन जिलों के गठन से पूर्व मूल जिलों के जिला कलक्टरों द्वारा किये गये उपापन तथा मूल जिले में कार्यरत विभिन्न विभागीय सोसायटीज के संबंध में निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. **नवीन जिलों के गठन से पूर्व जिला कलक्टरों द्वारा किये गये उपापन :**

   ऐसी निविदाएं जो कि मूल जिला कलक्टर्स द्वारा नवीन जिलों के गठन से पूर्व जारी की गयी थीं जैसे कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना हेतु जारी निविदा एवं जिनकी उपापन की प्रक्रिया, नवीन जिलों के गठन से पूर्व, मूल जिला कलक्टर द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये की गयी हैं एवं जिसमें नवीन जिले का क्षेत्र भी सम्मिलित है, उनकी क्रियान्विति मूल जिला कलक्टर द्वारा संपादित की जावेगी। नवीन जिला कलक्टर्स द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में इन योजनाओ की समीक्षा कर कोई भी समस्या आने पर पुराने जिला कलक्टर को सूचित किया जावेगा।

2. **नवीन जिलों के गठन से पूर्व गठित जिला स्तरीय सोसायटी :**

   नवीन जिलों के गठन से पूर्व विभिन्न विभागों में जिला स्तर पर कई सोसायटियों का गठन किया गया है जैसे कि जिला चिकित्सालयों में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गठित जिला स्वास्थ्य सोसायटी आदि। नवीन जिलों में जब तक इस संदर्भ में अग्रिम व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक ऐसी सभी सोसायटी मूल जिले के कार्यक्षेत्र के अनुसार कार्य करेंगी।

3. **जिला कलक्टर्स स्तर पर अधिभार संग्रहण कर विकास कार्य कराये जाने हेतु गठित कोष :**

   जिला कलक्टर्स द्वारा डीएमएफटी आदि कोष में जिले में योजना के अनुसार अधिभार का संग्रहण किया जाता है एवं प्राप्त राशि से विकास कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। इन योजनाओं में निम्नानुसार कार्य किया जावेगा :

   (क) नवीन जिलों के कार्य़क्षेत्र हेतु पूर्व में जारी समस्त स्वीकृतियों का क्रियान्वयन मूल जिला कलक्टर्स द्वारा ही किया जावेगा।

   (ख) दिनांक 31.03.2024 तक समस्त अधिभार के संग्रहण का कार्य मूल जिला कलक्टर द्वारा ही किया जावेगा किन्तु दिनांक 01.09.2023 से नवीन जिलो के कार्यक्षेत्र से प्राप्त अधिभार का विवरण पृथक से रखा जावेगा।

   (ग) दिनांक 31.03.2024 तक नवीन जिलों के कार्यक्षेत्र हेतु नवीन स्वीकृतियां भी मूल जिला कलक्टर्स द्वारा ही जारी की जावेगी। दिनांक 31.03.2024 तक नवीन जिला के कार्यक्षेत्र में संपादित कार्यों का भुगतान भी मूल जिला कलक्टर द्वारा ही किया जायेगा।

   (घ) भविष्य में होने वाली शाषी परिषद् एवं कार्यकारी परिषद् की समस्त बैठकों में नवीन जिला कलक्टर्स को भी आमंत्रित किया जायेगा।

4. वित्त विभाग द्वारा नवीन गठित जिलों में 18 विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय गठित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शेष विभागों के वर्तमान जिला कार्यालय ही नवीन जिलों के कार्यक्षेत्र हेतु भी कार्य करेंगे। इस हेतु संबंधित प्रशासनिक विभाग अपने स्तर पर इन वर्तमान जिला कार्यालयों का कार्यक्षेत्र पुनः आवंटन करेंगे।

(रोहित गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

Circular No. F.2(4)FD/SPFC/2017 **Dated : 03.10.2023**

Subject: Revision in the rates in respect of hiring of vehicles.

1. This is in reference to the circulars o f even number dated 19.07.2018, 28.02.2019, 31.03.2021 & 05.04.2022 issued by this department regarding hiring of vehicles. The maximum ceiling of expenditure and rates prescribed in existing point No. 2(i), (ii), (iii) and (iv) of this circular are hereby revised as under :-

Particulars	**Revised rates**
Point No. 2 (i) for offices having a city (Municipal limits of a town) as their jurisdiction	Rs. 28900/- per month for 1500 Kms (GST extra, if applicable)
Point No. 2 (ii) for offices having a district as their jurisdiction	Rs. 34100/- per month for 2000 Kms (GST extra, if applicable)
Point No. 2 (iii) for offices having jurisdiction of more than one district but less than the whole state	Rs. 36100/- per month for 2200 Kms (GST extra, if applicable)
Point No. 2 (iv) for official use in respect of those offices whose functional and operational jurisdiction is spreading over the entire state	Rs. 39200/- per month for 2500 Kms (GST extra, if applicable)

2. Point No. 3, 4 & 13 of above mentioned circulars are also revised as under :-

Point No. 3 :

(i) Revised to Rs 28900/- per month (GST extra, if applicable)

(ii) For additional running o f vehicle (more than 1500 Kms) - @ Rs. 10.00 per Km.

Point No. 4 :

The maximum ceiling of expenditure in a month for vehicles required on as and when basis would be Rs. 14500/- per month.

Point No. 13 :

These rates/conditions shall be applicable with effect from 01.10.2023 (Payment for which payable on 1 Nov., 2023). The existing contracts for hiring of vehicles, which have been entered into prior to issue of this Circular having the price escalation clause can also implement these rates with effect from 01.10.2023.

All other terms & conditions mentioned in the above referred circular shall remain unchanged.

(रोहित गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

परिपत्र क्रमांकः एफ. ( )वित्त/एसपीएफसी/परिपत्र/2023 दिनांकः 06.10.2023

इस विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ. 1(8)वित्त/साविलेनी/2011 दिनांक 21.12.2016 में उल्लेख किया गया है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 के अन्तर्गत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील प्रस्तुत करने हेतु विषद प्रावधान दिये हुए है। इस क्रम में प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों के निर्धारण के संबंध में वित्त (जीएण्डटी) विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 04.02.2013 एवं 01.03.2013 जारी किया गया था।

कतिपय मामलों में वित्त विभाग के ध्यान में आया है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 के अन्तर्गत बोली दस्तावेजो में प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का निर्धारण उक्त परिपत्र में वर्णित प्रावधानों से भिन्न बनाये जा रहे हैं। जिससे प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के निर्धारण की समस्या उत्पन्न हो रही है। कुछ मामलो में उपापन संस्थाओं द्वारा बोली दस्तावेजो में एक से अधिक प्रथम/ द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी प्रथम एवं द्वितीय अपील के निस्तारण की समस्या उत्पन्न हो रही है।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 21.12.2016 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी उपापन प्रक्रिया में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी प्रशासनिक विभाग विनिर्दिष्ट है तो शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग ऐसे मामलों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी होंगे।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी उपापन संस्थाओं को यह निर्देश किया जाता है कि यदि बोली दस्तावेजो में एक से अधिक प्रथम/द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया है तो ऐसी स्थिति में उपापन संस्था का यह दायित्व होगा कि वह तत्काल सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर प्रथम अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, का निर्धारण वित्त (जीएण्डटी) विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 04.02.2013, 01.03.2013 एवं 21.12.2016 के अनुसार करेगी और उसका शुद्धि पत्र के रूप में राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी तत्काल प्रदर्शित करेगी। यह आदेश वर्तमान में लंबित अपील एवं निविदाओं पर भी लागू होंगे।

Circular No. F.5(75)कोष/IFMS/R-ITMS **Dated : 07.10.2023**

Subject: - Rajasthan Integrated Tax Management System (R-ITMS).

Currently, Income Tax TDS and GST TDS compliances are manual for all Government Offices, Individual services are being taken by offices for filing returns in prescribed time frames.

Accordingly, a Comprehensive solution has been developed under the ambit of Rajasthan Integrated Tax Management System (R-ITMS) in accordance to the Budget Announcement made by Hon'ble Chief Minister.

R-ITMS will be implemented in phased manner. It includes tax projections, declaration, 24G and 26Q generation, return filing for DDOs, employees, Treasury etc.

Initially, it will be started from 1st December, 2023 on pilot basis for salary related processes from the offices of Directorate of Treasuries and Accounts and Department of IT&C.

Complete roll out of this process will be started from 1st January, 2024 with all Government Departments. In this phase, R-ITMS will also be made available for Pension and vendor related Income Tax Deductions / GST deductions, income tax return filing process and return filing processes of R-ITMS will only be available for those Drawing and Disbursing Officers where Departments have deposited DDO wise return filing fees (Rs. 12602 (including GST)/ per DDO for first Year, return filing fees for coming years will be conveyed separately) in the PD Account of RISL.

The detailed operational guidelines are attached at Annexure-A. Compliance of aforementioned processes will be ensured by all stakeholders.

Enclosed: As above

(Rohit Gupta)

Secretary to Government

Finance (Budget) Department

Annexure-I

Operational Guidelines -

1. An Employee can see his/her Income tax computation details on dash board of IFMS 3.0 in Employees Self Service [ESS]. The total projected income, total projected deductions, total projected taxable income, total projected TDS amount and total TDS deducted will be shown to the employee. An employee can also see this information in details by clicking on view details option. After clicking view details option employee will be directed to R-ITMS to view detailed information.
2. An Employee can raise his/her request for change in Income Tax Deductions through ESS on IFMS 3.0. R-ITMS will provide projections/ calculations to IFMS in ESS. Employee's request will be sent to DDO for approval. After approval the request will be processed for salary purposes.
3. An employee has to submit a declaration along with necessary proof regarding the changes Income Tax deductions through ESS on IFMS 3.0 the Employee's declaration will be directed to R-ITMS. DDO through R-ITMS login either approve or reject the declaration request. The approved request will be sent to IFMS through recommendations of R-ITMS for deductions of Tax from next month salary.
4. 24G will also be generated at R-ITMS. IFMS will also provide generation of reconciliation report for 24G.
5. DDO and employee dash boards, multiple MIS reports will also be available at R-ITMS. Employee and DDO can raise discrepancy requests at IFMS which will be linked with R-ITMS for redressal
6. It will be the duty of employee/ DDO to check his/her / employee data of income tax deductions/ declaration.
7. In the second phase, R-ITMS will also be made available for Pension and vendor related Income Tax Deductions / GST deductions processes linked with IFMS.
8. In this phase return filing process along with following activities will be made available for drawing and Disbursing officers (after depositing subscription amount in RISL) -
   (a) Legal consultancy for TDS related issues
   (b) Filing of Returns and Various Forms (24Q, 26Q, 27EQ Form 16, Form 16 A}
   (c) Unlimited Correction Return filing
   (d) Handling Income Tax notices and submission of reply for the same
   (e) Trouble shooting in all forms like technical, administrative, consultancy and deductor/ deductee related issues, etc.
   (f) The system will ensure no-penalty, no-interest, no-defaults on account of non-compliance
9. Trainings will be provided by Directorate of Treasuries and Accounts. 10. Help desk numbers 0141-2744402, 9315291089.

Circular No. F. 2(1)FD/G&T-SPFC/2017 Dated : 27.12.2023

Subject :- Clarification Regarding in Rule 75 of the RTPP Rules, 2013.

Attention is invited to the FD's Notification of even number dated 13.08.2020, 18.12.2020, 17.03.2021 & 12.01.2022 in which amendment in Rule 75 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 was made.

It is hereby clarified that in case of deduction of Performance Security from running bills, the reduced percentage of Performance Security shall be continued for the entire duration of the contract and there should be no subsequent increase of Performance Security even beyond 31.03.2023, if the contract was signed on or before 31.03.2023.

If the Procuring Entity has recovered more than the required Performance Security, then the same shall be refunded after adjusting it in further running bills.

(Naresh Kumar Thakral)
Finance Secretary (Budget)

परिपत्र क्रमांकः एफ. 4 (1) वित्त/एसपीएफसी/2024 दिनांकः 05.02.2024

विषय : राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा–17 के अनुसार उपापन संबंधी सूचनाओं का राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर प्रकाशन।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.01.2024, 27.09.2016, 11.05.2020, 13.05.2020 और दिनांक 27.04.2022 के द्वारा समस्त उपापन संस्थाओं को RTPP Act, 2012 व RTPP Rules, 2013 के प्रावधानों के तहत उपापन से संबंधित समस्त अपेक्षित आवश्यक सूचनाओं/आदेशों का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल पर आवश्यक रूप से किये जाने बाबत् विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

परन्तु व्यवहार में यह पाया गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा अभी तक भी पोर्टल पर केवल बोली आमंत्रण सूचनाओं (NIB) का ही प्रकाशन किया जा रहा है तथा उपापन से संबंधित अन्य उपरोक्त समस्त आवश्यक सूचनाओं/आदेशों का पोर्टल पर प्रकाशन नहीं किया जा रहा है, जोकि गंभीर विषय है।

इस संबंध में एतद्द्वारा समस्त उपापन संस्थाओं को पुनः निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि वे RTPP Act, 2012 की धारा–17 के अनुसार उपापन से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर आवश्यक रूप से प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करावें:–

1. पूर्व–अर्हता दस्तावेज, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज, बोली दस्तावेज तथा उसके संशोधन, स्पष्टीकरण जो बोली–पूर्व सम्मेलन के अनुसरण में हो, और उसके शुद्धि–पत्र,
2. पूर्व–अर्हता या, यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण के दौरान सहित बोली लगाने वालों की सूची, जिन्होंने बोली लगायी है,
3. पूर्व–अर्ह और, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची,
4. धारा 25 के अधीन कारण सहित अपवर्जित बोली लगाने वालों की सूची,
5. धारा 38 और 39 के अधीन विनिश्चय,
6. सफल बोलियों का, उनकी कीमतों का और बोली लगाने वालों का ब्यौरा,
7. बोली लगाने वालों, जिन्हें राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया है, की विशिष्टयां, साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन कार्यवाई का कारण और विवर्जन की कालावधि,
8. कोई अन्य सूचना, जो विहित की जाये।
9. एवं उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित अन्य आदेश।

कतिपय प्रकरणों में यह भी देखा गया है कि जिन मामलों में ई–बोली आंमत्रित की जाती है, उनमें उपापन संस्थाओं द्वारा केवल ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ही बिड एवं तत्पश्चात आवश्यक दस्तावेजों का प्रकाशन किया जाता है परन्तु राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर नहीं। RTPP Act, 2012 के अनुसार राशि रुपये 1.00 लाख या इससे अधिक के उपापन के संबंध में नियमानुसार अपेक्षित पूर्ण कार्यवाही को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशन किया जाना बाध्यकारी है।

इसी प्रकार इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1 (8) जीएण्डटी/2014 दिनांक 24.07.2014 के अनुसार नोडल अधिकारी के कर्तव्यों में अन्य कार्यो के साथ–साथ उनके विभाग के अधीन समस्त उपापन संस्थाओं द्वारा इस अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत प्रावधित समस्त वांछित दस्तावेजों की राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्रत्येक छः माही (15 अप्रेल एवं 15 अक्टूबर प्रेष्य) भिजवाने बाबत् निर्देशित किया गया है। परन्तु अधिकांश विभागाध्यक्षों/उपापन संस्थाओं द्वारा उक्त प्रमाण पत्र इस विभाग को प्रेषित किये जाने का अभाव पाया गया है।

अतः इस संबंध में पुनः निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि समस्त विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ उपापन संस्थाओं के बाबत् उक्त प्रमाण पत्र नोडल अधिकारियों के माध्यम से **cao.spfc@rajasthan.gov.in** पर निर्धारित समय (15 अप्रेल एवं 15 अक्टूबर) पर आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावें।

RTPP Act,2012 एवं RTPP Rules, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समस्त अपेक्षित सूचनाओं का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर नहीं किया जाना RTPP Act, 2012 एवं Rules, 2013 के प्रावधानों के **गंभीर उल्लंघन** की श्रेणी में आता है, जिसके लिए संबंधित उपापन संस्था के उत्तरदायी अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही के अतिरिक्त इस अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत प्रावधित शक्तियों से दंडित करने की कार्यवाही संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अविलम्ब संपादित की जावे।

उक्त निर्देशों की संख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

परिपत्र क्रमांकः एफ. 3 (4) वित्त/एसपीएफसी/SPPP/Technical/2020 **दिनांकः 13.02.2024**

विषय : जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से किए जाने वाले उपापनों का राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर प्रकाशित करने हेतु एक पृथक Module SPP Portal पर उपलब्ध करा दिए जाने के संबंध में।

वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01.05.2017 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसरण में जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से किए जाने वाले उपापनों का राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर प्रकाशित करने हेतु एक पृथक Module SPP Portal पर उपलब्ध करा दिया गया है। जेम (GeM) पोर्टल पर किए गए उपापन से संबंधित सूचनाओं को SPPP पर अपलोड करने के लिए दो विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं :–

1. Procurement through GeM - Direct Procurement/Preferential Bidding.
2. GeM Procurement through Bid/Reverse Auction.

वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01.05.2017 के बिन्दु संख्या 5 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17 के प्रावधानानुसार जेम (GeM) पोर्टल पर किए गए उपापन से संबंधित समस्त अपेक्षित सूचनाओं/दस्तावेजों का राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। उपापन संस्थाओं की सुविधार्थ जेम (GeM) पोर्टल पर किए गए उपापन से संबंधित सूचनाओं को SPPP पर अपलोड करने के लिए दोनों विकल्पों के लिए विवरण के साथ Flowchart with description निम्नानुसार संलग्न है :–

Annexure A - Procurement through GeM - Direct Procurement/Preferential Bidding.
Annexure B - GeM Procurement through Bid/Reverse Auction.

अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01.05.2017 के बिन्दु संख्या 5 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17 के प्रावधानानुसार जेम (GeM) पोर्टल पर किए गए उपापनों से संबंधित समस्त अपेक्षित सूचनाओं/दस्तावेजों का राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर उपलब्ध कराए गए नए GeM कार्यादेश अपलोड Module में प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : Annexure A & B

शासन सचिव, वित्त (बजट)

परिपत्र क्रमांकः एफ 8(3)वित्त/एसपीएफसी/विविध/परिपत्र/2023 **जयपुर दिनांकः 7.8.2024**

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के द्वारा राज्य में 17 नवीन जिलों का गठन/पुनर्गठन किया गया था। नवीन जिलों गठन से पूर्व मूल जिलों के जिला कलक्टरों द्वारा किये गये उपापन तथा मूल जिले में कार्यरत विभिन्न विभागीय सोसायटीज के संबंध में इस विभाग के सम–संख्यक पत्र दिनांक 28.08.2023 से जारी दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 3 (ख) व (ग) निम्नानुसार है :–

(ख) दिनांक 31.03.2024 तक समस्त अधिभार के संग्रहण का कार्य मूल जिला कलक्टर द्वारा ही किया जायेगा किन्तु दिनांक 01.09.2023 से नवीन जिलों के कार्यक्षेत्र से प्राप्त अधिभार का विवरण पृथक से रखा जावेगा।

(ग) दिनांक 31.03.2024 तक नवीन जिलों के कार्यक्षेत्र हेतु नवीन स्वीकृतियां भी मूल जिला कलक्टर्स द्वारा ही जारी की जावेगी। दिनांक 31.03.2024 तक नवीन जिला के कार्यक्षेत्र में संपादित कार्यों का भुगतान भी मूल जिला कलक्टर द्वारा ही किया जायेगा।

उपरोक्त बिंदु संख्या (ख) एवं (ग) में अंकित दिनांक 31.03.2024 को दिनांक 31.03.2025 तक बढाया जाता है।

(देबाशीष पृष्टी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

परिपत्र क्रमांकः एफ 8(6)वित्त/एसपीएफसी/विविध/परिपत्र/2023 **जयपुर दिनांकः 23.09.2024**

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 17 (1)(ख) के तहत निम्न खाद्य एवं पेय पदार्थों की राज्य स्तरीय दरें निर्धारित की जाती हैं :–

क्र.सं.	खाद्य एवं पेय पदार्थ	दर (रुपये में)
1.	चाय (100 एमएल)	10 रुपये प्रति कप
2.	कॉफी (100 एमएल)	15 रुपये प्रति कप
3.	छाछ (250 एमएल)	13 रुपये प्रति पेकेट
4.	लस्सी (250 एमएल)	15 रुपये प्रति पेकेट
5.	रोस्टेड चना (100 ग्राम)	18 रुपये प्रति पेकेट
6.	रोस्टेड मूंगफली (100 ग्राम)	29 रुपये प्रति पेकेट
7.	रोस्टेड मखाने (100 ग्राम)	180 रुपये प्रति पेकेट
8.	मल्टीग्रेन डाईजेस्टिव बिस्किट (200 ग्राम)	28 रुपये प्रति पेकेट

अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि विभिन्न विभागों में विभागीय बैठक हेतु आपूर्ति किये जाने वाले आवश्यक खाद्य एवं पेय पदार्थों का कार्यालय परिसर में स्थित आपूर्तिकर्ताओं से उपापन संस्था द्वारा निर्धारित दर या उक्त राज्य स्तरीय दर, जो दोनों में से कम हो, पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित मासिक सीमा के अध्यधीन उपापन किया जा सकता है।

(देबाशीष पृष्टी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

परिपत्र क्रमांक एफ 8(6)/एफडी/एसपीएफसी/परिपत्र/2023 **दिनांकः 07.10.2024**

प्रायः यह देखने में आया हैं कि उपापन संस्थाओ द्वारा उपापन करते समय राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 की पूर्णतया पालना नहीं की जा रही है। अतः समस्त उपापन संस्थाओ को निर्देशित किया जाता हैं:–

1. कई विभागो द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी होने से पूर्व ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा रही है। इस संदर्भ में स्पष्ट किया जाता हैं कि सर्वप्रथम प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी जिसमें उपापन की सैद्धान्तिक सहमति दी जाती है। इसके पश्चात् माल के उपापन के मामलो में "स्पेशिफिकेशन" एवं सेवा के उपापन के मामलो में "टर्म ऑफ रेफरेन्स" तैयार किये जावेगें। संकर्म के उपापन के मामलो में तकनीकी स्वीकृति जारी करते हुए "डी.पी.आर." तैयार की जावेगी। उपापन की विषय–वस्तु के आधार पर बी.एस.आर./मार्केट सर्वे/जैम पोर्टल पर प्रदर्शित दरें/अन्य संस्थाओं द्वारा पूर्व में जारी क्रय/कार्य आदेश आदि का विश्लेषण कर अनुमानित लागत का निर्धारण किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अनुमानित लागत के आधार पर वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
2. टर्न–की प्रोजेक्ट के संदर्भ में प्रत्येक कार्य एवं क्रय की जाने वाली वस्तुएं/सेवाओं का पूर्ण विवरण मय स्पष्ट स्पेसिफिकेशन के बोली प्रपत्र में दिया जाना चाहिये।
3. उपापन संस्था द्वारा राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17(3) में वर्णित सूचनाएं अर्थात् पूर्व–अर्हता दस्तावेज (pre-qualification documents), बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज, बोली दस्तावेज तथा उसके संशोधन, स्पष्टीकरण जो बोली–पूर्व सम्मेलन के अनुसरण में हो और उसके शुद्धि पत्र, पूर्व–अर्हता या यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण के दौरान सहित बोली लगाने वालो की सूची, जिन्होने बोली लगायी हैं, पूर्व–अर्ह (pre-qualified) और यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण बोली लगाने वालो की सूची, धारा 25 के अधीन कारण सहित अपवर्जित (excluded) बोली लगाने बालो की सूची, धारा 38 और 39 के अधीन विनिश्चय (decisions), सफल बोलियों का, उनकी कीमतो का और बोली लगाने वालो का ब्यौरा, बोली लगाने वालो जिन्हे राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित (debarred) किया गया हैं, कि विशिष्टियां (particulars), साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन (debarment) कार्यवाही का कारण और विवर्जन की कालावधि की सूचना, बोली की विधिमान्य कालावधि (period of validity of bids) में वृद्धि आदेश, कार्यादेश, संशोधित कार्य आदेश आदि एसपीपी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगा।
4. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 59 के तहत यदि कोई सारवान विचलन (material deviation) है, तो बोलीदाता से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जावेगा तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 60 के तहत बोलीदाताओ से उन्ही दस्तावेजों पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जावे जो तकनीकी बोली में प्रस्तुत किये गये हों, किसी भी अवस्था में कोई भी नवीन दस्तावेज नहीं मांगा जावेगा जिससे तकनीकी रूप से अयोग्य बोलीदाता योग्य बन जावे।
5. प्री–बिड मीटिंग में प्राप्त समस्त अभ्यावेदन का प्रत्युत्तर एसपीपी पोर्टल एवं ई–प्रोक पोर्टल (ई–प्रोक उपापन की स्थिति में) पर अपलोड किया जावे। यदि प्री/बिड मीटिंग में प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर तकनीकी बोली में कोई संशोधन किया जाता है तो बोली प्राप्त करने के समय में समुचित संशोधन, यथा समय किया जावे।
6. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 17(2)(क) के अनुसार एकल स्त्रोत उपापन के एक लाख रूपये या इससे अधिक के प्रत्येक उपापन के मामले एसपीपी पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 धारा 28(2) एवं नियम 2013 के नियम 5 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 31.08.2016 के अनुसार माल एवं सेवाओ के 10 लाख रूपये या अधिक के उपापन तथा संकर्म के 5 लाख रूपये या अधिक के प्रत्येक उपापन ई–प्रोक पोर्टल के माध्यम से उपापन किया जाना अनिवार्य है।

7. ई–प्रोक पोर्टल पर मांगी गयी बोलियों में स्पष्टीकरण भी ई–प्रोक पोर्टल पर ही बोलीदाता से मांगा जावेगा। किसी भी अवस्था में ऑफलाइन स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं होगा।
8. उपापन संस्था द्वारा बोली खोलने की दिनांक में वृद्धि की जानी अपेक्षित हैं तो यथा समय पर (बोली खोलने की दिनांक से पूर्व ही) एसपीपी पोर्टल एवं ई–प्रोक पोर्टल पर तकनीकी एवं वित्तीय बोलियो को खोलने की दिनांक में संशोधन किया जाना चाहिये।
9. तकनीकी मूल्यांकन एवं दरों के मूल्यांकन के संदर्भ में तुलना समकक्ष विषय–वस्तु से ही की जावेगी। किसी अन्य संस्था द्वारा क्रय किये गये सामग्री/सेवा की दरों की तुलना उपापन प्रक्रिया में प्राप्त दरों से तभी की जावेगी जब दोनों उपापन में तकनीकी स्पेसिफिकेशन एक समान हो।
10. उपापन संस्था द्वारा उपापन करने पर अपने बोली दस्तावेजो में एक घोषणा पत्र संलग्न करना चाहिए, इस घोषणा पत्र में बोलीदाता द्वारा समस्त शर्तो एवं नियमो को स्वीकार करने का उल्लेख होना चाहिये । इस घोषणा पत्र को बोलीदाता द्वारा ई–प्रोक पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा, ऐसी स्थिति में मूल बोली दस्तावेजो पर बोलीदाता के हस्ताक्षर कर, उसे ई–प्रोक पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं हैं।
11. उपापन संस्थाओ द्वारा उपापन से संबंधित समस्त रिकार्ड संधारित किया जावेगा तथा महालेखाकार अंकेक्षण दल, आंतरिक अंकेक्षण दल, स्थानीय निधि अंकेक्षण दल, जांच दल आदि को अंकेक्षण/जांच हेतु उपलब्ध कराया जावेगा।
12. राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमो के माल, सेवा और संकर्म के उपापन में भाग लेने की स्थिति मे उन्हें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 के तहत निर्धारित बोली प्रतिभूति एवं नियम 75 के तहत निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति उपापन संस्था द्वारा ली जावेगी। उपापन संस्थाओ द्वारा माल के उपापन की स्थिति में राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमो से वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 में वर्णित बोली दस्तावेज शुल्क लिया जावेगा एवं इन उद्यमो को क्रय मे अधिमानता भी प्रदान की जावेगी। इस अधिसूचना की अनुसूची मे वर्णित वस्तुओ का उपापन अनिवार्य रूप से राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यमो से उपापन किया जाना उपापन संस्थाओ के लिए अनिवार्य है।
13. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 73 (3) के प्रोविजो (iii) के अनुसार यदि उपापन संस्थाओ द्वारा खुली बोली प्रतियोगी पद्धति से उपापन किया गया हैं तथा बोली दस्तावेजो में अतिरिक्त मात्रा उपापन अनुज्ञात हैं तो सक्षम स्वीकृति उपरान्त मूल संविदा राशि के अलावा इसकी 50 प्रतिशत राशि तक का अधिकतम अतिरिक्त मात्रा का उपापन किया जा सकता हैं।
14. तकनीकी बोली में जिन बोलीदाता को गैर सारवान (non responsive) घोषित करने के उपरान्त, यदि उसे उपापन संस्था द्वारा विवर्जित (debarred) भी किया जाता हैं तो उस आदेश में किस कारण से विवर्जित किया गया हैं, का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(मनीष माथुर)
संयुक्त शासन सचिव,

परिपत्र क्रमांक एफ 3(4)/वित्त/एसपीएफसी/एसपीपीपी/Tecchnical/2024 दिनांकः 21.10.2024

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17, आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 4 तथा इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अन्य परिपत्रों/आदेशों/दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था द्वारा आरटीपीपी एक्ट की धारा 17 (3) में वर्णित समस्त सूचनाओं का राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशन किया जाना बाध्यकारी है :–

1. पूर्व–अर्हता दस्तावेज, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज, बोली दस्तावेज तथा उसके संशोधन, स्पष्टीकरण जो बोली–पूर्व सम्मेलन के अनुसरण में हों, और उसके शुद्धि–पत्र,
2. पूर्व–अर्हता या, यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण के दौरान सहित बोली लगाने वालों की सूची, जिन्होंने बोली लगायी है,
3. पूर्व–अर्ह और, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची,
4. धारा 25 के अधीन, कारण सहित अपवर्जित बोली लगाने वालों की सूची,
5. धारा 38 और 39 के अधीन विनिश्चय,
6. सफल बोलियों का, उनकी कीमतों का और बोली लगाने वालों का ब्यौरा,
7. बोली लगाने वालों, जिन्हें राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया है, की विशिष्टियां, साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन कार्रवाई का कारण और विवर्जन की कालावधि,
8. कोई अन्य सूचना, जो विहित की जाये।

परन्तु व्यवहार में यह पाया गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा अभी तक भी पोर्टल पर बोली आमंत्रण सूचनाओं (NIB) एवं बोली दस्तावेजों (Bid Documents) का ही प्रकाशन किया जा रहा है परन्तु अन्य सूचनाओं का पोर्टल पर प्रकाशन नहीं किया जा रहा है। उपापन संस्थाओं द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17, आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 4 की पालना नहीं की जा रही है जो कि गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

अतः उक्त के संबंध में सभी उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाना है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17 (3) के अनुसार उनके द्वारा दिनांक 31.08.2024 तक किये गये उपापनों से संबंधित समस्त बकाया अभिलेखों को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर आवश्यक (mandatory) रूप से यथाशीघ्र प्रकाशित करवाये तथा निर्देशों की पालना के उपरांत की गई कार्यवाही से इस विभाग को प्रमाण पत्र द्वारा सूचित करावें कि दिनांक 31.08.2024 तक के सभी बकाया अभिलेखों को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित (upload) कर दिया है। समस्त विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ उपापन संस्थाओं के बाबत प्रमाण पत्र अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से cao.spfc@rajasthan.gov.in पर दिनांक 31.10.2024 तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावें एवं साथ ही भविष्य में किये जाने वाले उपापनों के संबंध में भी उक्त निर्देशों की पालना की जावे।

(देबाशीष पृष्टी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

परिपत्र क्रमांक एफ 8(15)/वित्त/एसपीएफसी/Consultants/2020 **दिनांकः 13.05.2025**

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 3 के अन्तर्गत उपापन संस्था द्वारा गठित उपापन समिति द्वारा बोली दस्तावेज तैयार किया जाना प्रावधित किया गया है। बोली दस्तावेज तैयार करने का प्राथमिक दायित्व उपापन समिति का ही है। तथापि वित्त (वित्तीय नियम) विभाग द्वारा उपापन संस्थाओं की सहायता की दृष्टि से Model suggestive bid document तैयार किये गये हैं। यदि उपापन समिति या संस्था के द्वारा बोली दस्तावेज तैयार करने में कोई कठिनाई हो तो उपापन समिति को बोली दस्तावेज (bid document) तैयार करने में यह Model Suggestive bid document उपयोगी साबित होंगे।

अतः उपापन संस्था द्वारा इस मॉडल सुझावात्मक बोली दस्तावेज (Model Suggestive bid document) के प्रावधानों को उपापन की विषय–वस्तु एवं विभागीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उसके प्रावधानों में कार्यात्मक आवश्यकतानुसार विशेष शर्तों/अभ्युक्तियों को जोडने/संशोधन करते हुये उपयोग में लिये जा सकते हैं।

संलग्न :

1. MSBDs - IT Equipment
2. MSBDs - Supply and Installation
3. MSBDs - Swiss Challenge Method
4. MSDBs - Hybrid Annuity Mode (HAM)
5. MSDBs - Public Private Partnership - DBFOT

(मनीष माथुर)
संयुक्त शासन सचिव

No. F.5 (l) FD/SPFC/GeM/2024 **Dated : 15.05.2025**

All Heads of Department, Government of Rajasthan.

Subject: To organize a department level GeM awareness session.

As you might be aware, for procurement through ·Government eMarketplace (GeM), notification and guidelines dated 01.05.2017 were issued by the Finance Department. In pursuance to that, it is requested to organize department level GeM awareness session in order to sensitize all the department level procuring entities with regards to GeM processes, usage, advantages and latest features. The GeM team in Rajasthan will deliver the GeM awareness session. They will reach out and coordinate to organize this session.

For any further information or assistance, you may contact Mr. Tamaltaru Dutta Choudhury, Senior Assistant Director at tamaltarudutta@gem.gov.in (Mob. 7060544080), Mr. Vikrant Tripathi, Regional Business Facilitator, at gem.rajasthanl@govcontractor.in (Mob. 9871848789) and Smt. Sakshi Agarwal, Trainer at gem.rajasthanl@govcontractor.in (Mob. 7878673647).

(Manish Mathur)
Joint Secretary

Circular No. F.3 (2) FD/SPFC/SPPP/SHPP/2024 Dated : 23.05.2025

It has been decided to transform the procurement processes, across all the departments by developing the Single Holistic Procurement Portal for Rajasthan State (SHPP).

First Phase of Single Holistic Procurement Portal (SHPP) for Procurement under Limited Tender, Procurement from Notified agencies and Vehicle on hire is now on Trial for User Acceptance Testing (UAT) from 1-06-2025 in the folowing Six Departments.

1. Director Treasury and Accounts
2. SMS Medical College
3. Department of Science and technology
4.Department of Tourism
5.PHED-Material Management
6.Department of Personnel

It shall be the duty and responsibility of all the Head of Departments (HoDs) to instruct all the officials including officer incharge, Accounts officials, store-in-charge officials and other relevant officials engaged in Procurement process and stores-functions to operate SHPP portal for the procurement purpose.

The SHPP portal can be accessed by URL address shpptest.rajasthan.gov.in.

(Akhil Arora)
Additional Chief Secretary

परिपत्र क्रमांक एफ 8(6)/वित्त/एसपीएफसी/परिपत्र/2023 दिनांकः 15.07.2025

ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर बोलीदाताओं द्वारा ई–निविदाओं के प्रेषण के लिए बिड सिक्योरिटी राशि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 के उप–नियम (6) में वर्णित माध्यमों यथा–नकद या बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या बैंक गारंटी या ई–बैंक गारंटी या ई–ग्रास या इन्सूरेंस श्योरिटी बॉण्ड में से किसी भी माध्यम से जमा करायी जा सकती है। किन्तु ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ई–निविदाओं के प्रेषण के लिए बोली दस्तावेज मूल्य एवं RISL फीस ऑनलाईन ई–ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा कराया जाना आवश्यक है।

उपापन संस्थाओं (Prpcuring Entities) द्वारा उपापन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत भी असफल घोषित बोलीदाताओं को बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय विलंब से किया जा रहा है। इसी प्रकार जिन प्रकरणों में कार्य/सप्लाई बोली शर्तों के अनुसार पूर्ण हो चुके हैं एवं बोलीदाता द्वारा जमा करायी गयी कार्य संपादन प्रतिभूति राशि रोकी गयी है, कार्य संपादन प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय विलंब से किया जा रहा है, जिसके कारण असफल बोलीदाताओं एवं सफल संवेदकों को अनावश्यक रूप से आर्थिक कठिनाई का सामना करना पडता है। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 (10) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि :–

''असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार (Agreement) के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।''

अतः समस्त उपापन संस्थाओं को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ किये जाने वाले उपापनों के संबंध में उपापन प्रक्रिया पूर्ण होने के तुरंत पश्चात् बिना किसी विलंब के असफल घोषित बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि प्रतिदाय करने की कार्यवाही संपादित करावें तथा जिन प्रकरणों में कार्य/सप्लाई बोली शर्तों के अनुसार पूर्ण हो चुके हैं एवं बोलीदाता द्वारा जमा करायी गयी कार्य संपादन प्रतिभूति राशि रोकी गयी है, में कार्य संपादन प्रतिभूति राशि भी नियमानुसार तत्काल प्रभाव से लौटाया जाना सुनिश्चित करावें।

(मनीष माथुर)
संयुक्त शासन सचिव

परिपत्र क्रमांक एफ 8(6)/एफडी/एसपीएफसी/परिपत्र/2023 **दिनांकः 12.11.2025**

उपापन संस्था द्वारा उपापन से संबंधित बोलियों में न्यूनतम बोलीदाता एक से अधिक आने पर सफल बोलीदाता का चयन किस प्रकार किया जावेगा का उल्लेख बोली दस्तावेजों में नहीं किये जाते हैं, जिस कारण उपापन संस्था द्वारा किसी एक न्यूनतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किये जाने पर इसके अलावा अन्य न्यूनतम बोलीदाताओं द्वारा उपापन प्रक्रिया को विलम्बित किये जाने की संभावना बनी रहती है या उन उपापन संस्थाओं द्वारा उपापन अवधि में इस हेतु वित्त विभाग से मार्गदर्शन चाहा जाता है। अतः इस संबंध में निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. **<u>जहां एक ही बोलीदाता को आदेश देना हो</u>** :–न्यूनतम बोलीदाता (एल–1) एक से अधिक आने पर सफल बोलीदाता का चयन किस आधार पर किया जावेगा, का उल्लेख उपापन संस्थाओं द्वारा अपने बोली दस्तावेजों में आवश्यक रूप से किया जावेगा। इसके आधार हेतु उपापन संस्था अपने कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बोली दस्तावेजों में बोलीदाता का अधिकतम टर्नऑवर या अधिकतम अवधि का कार्यानुभव या बोलीदाता के पास उपलब्ध मानव संसाधन की संख्या आदि में से कोई एक शर्त रखी जा सकती है या उपापन संस्था द्वारा अपने विशिष्ट कार्यानुसार अन्य कोई शर्त भी रखी जा सकती है।

2. **<u>राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 74 के तहत एक से अधिक बोलीदाताओं को आदेश देना हो</u>** :–

(अ) यदि बोली दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार कार्यादेश 2 बोलीदाताओं (न्यूनतम बोलीदाता (एल–1) एवं द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता (एल–2) में ही विभाजित करना हो :–

(i) यदि बोलीदाता (एल–1) एक से अधिक है तो समस्त कार्यादेश इन्हीं न्यूनतम बोलीदाताओं (एल–1) में समान रूप से विभाजित कर दिया जावेगा एवं द्वितीय बोलीदाता (एल–2) को Counter Offer नहीं दिया जावेगा।

(ii) यदि न्यूनतम बोलीदाता एल–1 एक ही हो तो ऐसी स्थिति में एल–2 बोलीदाता को Counter Offer दिया जावेगा तथा एल–2 बोलीदाता द्वारा Counter Offer स्वीकार किये जाने पर कुल कार्यादेश का अधिक भाग एल–1 बोलीदाता को देते हुए शेष भाग एल–2 बोलीदाता को दिया जावेगा। यह बोली दस्तावेजों में पूर्व में स्पष्ट करना बेहतर है।

(ब) यदि कार्यादेश दो से अधिक बोलीदाताओं में विभाजित करना हो :– यदि न्यूनतम बोलीदाता (एल–1) या/और द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता (एल–2) एक से अधिक है तो इनकी गणना पृथक–पृथक करते हुए उनमें कार्य विभाजन किया जावेगा। उदाहरण :– जैसे दो बोलीदाता एल–1 तथा दो बोलीदाता एल–2 है तो ये चार बोलीदाता होंगे यथा एल–1(अ), एल–1(ब), एल–2(अ) एवं एल–2(ब)। ऐसी स्थिति में उपापन संस्था को आवश्यकता होने पर दोनों एल–2 बोलीदाताओं को Counter Offer दिया जावेगा तथा दोनों एल–2 बोलीदाताओं द्वारा Counter Offer स्वीकार किये जाने पर कुल कार्यादेश का अधिक भाग एल–1 बोलीदाताओं को देते हुए (जिसको एल–1 (अ) बोलीदाता एवं एल–1 (ब) बोलीदाता में समान रूप से विभाजित किया जावेगा) शेष भाग एल–2 बोलीदाताओं (एल–2(अ) बोलीदाता एवं एल–2(ब) बोलीदाता में समान रूप से विभाजित किया जावेगा) को दिया जावेगा।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 74 के तहत एक से अधिक बोलीदाताओं को आदेश देना आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में सफल बोलीदाताओं का चयन किस प्रकार किया जावेगा का उल्लेख उपापन संस्थाओं द्वारा अपने बोली दस्तावेजों में आवश्यक रूप से किया जावेगा।

(नवीन जैन)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

Circular No. : F. 8(6)FD/FR/SPFC/2023 **Jaipur, Date: 28.11.2025**

Subject: Issuance of clarification/guidelines regarding the appropriate classification of goods, works and services by procuring entities, based on the nature of the procurement.

Due to the lack of necessary information and guidelines regarding the clear classification of procurement categories for goods, works, and services by procuring entities, difficulties are faced by procuring entities, especially in mixed procurements that contain elements of goods, works, or services in varying proportions. This lack of determination of the appropriate category of procurement leads to errors in the preparation of bid documents and the formulation of essential bidding conditions. Representations have been submitted from time to time by various bidders, including several MSME units in the state, who have raised the issue of inviting bids from all other bidders for items reserved for MSME units in the schedule of the Finance Department's notification dated 19.11.2015.

It is noteworthy that such guidelines have also been detailed in the Manual for Procurement of Goods and Consultancy Services issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India.

In this regard, to assist and guide the procuring entities in clearly classifying the various types of procurements, the following guidelines are hereby issued:-

(1) Currently, procurements under procuring entities are categorized as follows:

(i) Goods

(ii) Services:- (i) Consultancy Services (ii) Non-Consultancy Services

(iii) Works

(2) Although goods and works are clearly defined, the key difference is that goods are produced on the producer's own premises (except for installation and commissioning), while works are performed on the procurement entity's premises (other than pre-fabricated components).

(3) The key difference between consultancy and non-consultancy services is the level of intellectual content, which is a key element in consultancy services and a secondary element in non-consultancy services. Another key difference is that non-consultancy services are routine and repetitive, without puts that are measurable and standardized, while consultancy services . are one-time and non-routine, with quantities that are neither fully measurable nor standardized.

(4) Procurement of IT projects should generally be treated as procurement of consultancy services, as the outcomes/deliverables may vary from service provider to service provider. IT projects may include the following:-

1. Specialized software development
2. Cloud-based services
3. Comprehensive IT integration services, including the design, deployment and commissioning of IT systems, including the supply of hardware, IT system design, software development, bandwidth, and system operation/maintenance for a specified period after go-live.

(5) A composite contract may include a mix of goods, works and services. For example, in the purchase of large machinery, some works and services, such as installation, commissioning, training, annual maintenance contracts and detailed maintenance contracts, may be included in the supply of goods:-

(a) In this regard, the material element of the subject matter to be procured and the primacy of the work/service element should be examined, regardless of their relative value. If the primary purpose of the procurement is the procurement of materials along with related services/works, it should be treated as a procurement of materials.

(b) If the primary purpose of the procurement is the procurement of goods and the services are incidental to the work/services, it may be treated as a procurement of goods. However, if the primary purpose of the procurement is the procurement of services/works and the goods are incidental, it should generally be treated as a procurement of works/services, regardless of the relative value of the components.

(c) Procurement of "new products" i.e., machinery and plant products such as mechanical, electrical or ICT assets, etc., which include incidental works/services such as construction, installation, commissioning, Annual Maintenance Contract (AMe)/ Comprehensive Maintenance Contract (CMe) should be classified as procurement of goods, except for procurement of IT projects.

(d) AMC/CMC of existing mechanical, electrical or ICT assets of machinery and plant nature should be considered as procurement of nonconstancy services.

(e) If the non-consultancy services primarily include construction, repair, maintenance, overhaul, renovation, decoration, installation, excavation, etc. of civil assets, it should be classified as works.

(f) Procurement of new mechanical and electrical works (not machinery and plant) involving construction of a mechanical or electrical nature should be classified as procurement of works if the material component is minimal.

(g) Significant works such as repair, maintenance, overhauling, decoration, AMC/CMC for existing mechanical, electrical, or ICT assets, which are not machinery and plant in nature, should generally be considered procurement of services.

It is possible that, depending on the nature and complexity of the work, a work may be identified as consultancy or non-consultancy service. In short, if the intellectual and consultancy component of the services is a primary objective (irrespective of the relative value of these components), the selection should be handled in a consultancy manner.

Ensure compliance with the above guidelines.

(Mahendra Mohan)
Joint Secretary to the Government

Order No. F.3(2) F.D./SPFC/SPPP/SHPP/2024 **Date: 02/12/2025**

In continuation of Office No. F.3(2)F.D./SPFC/SPPP/SHPP/2024 dated 07.01.2025 regarding the formulation of the technical committee under Single Holistic Procurement Portal (SHPP). Director LFAD is hereby nominated as the member of the technical committee for reviewing the technical aspect of the Single Holistic Procurement Portal (SHPP) project with immediate effect.

This bears approval of the competent authority in finance department.

(Rajan Vishal)
Finance Secretary (Budget)

परिपत्र क्रमांक एफ.5(1)वित्त/एसपीएफसी/जैम/2024 जयपुर, दिनांक : 23.12.2025

विषय : **अचल संपत्तियों की बिक्री और अनुपयोगी परिसंपत्तियों एवं अन्य वस्तुओं के निपटान के लिए गवर्नमेन्ट ई–मार्केटप्लेस (GeM) पर अग्रिम नीलामी (Forward Auction) सुविधा का उपयोग करने हेतु।**

गवर्नमेन्ट ई–मार्केटप्लेस (GeM) पर अग्रिम नीलामी (Forward Auction) का एक मॉड्यूल लांच किया गया है। फारवर्ड ऑक्शन एक वेब–आधारित नीलामी प्लेटफार्म है जो केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों, सीपीएसयू और एसपीएसयू को अखिल भारतीय बोलीदाताओं को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी व्यवस्था में ऑनलाइन भाग लेने की अनुमति देकर प्रतिस्पर्धात्मक एवं अधिकतम बिक्री मूल्य प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। अचल संपत्तियों और अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान के अलावा फॉरनवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल दुकानों, पार्किंग स्थलों आदि जैसी संपत्तियों को पट्टे पर देने की सुविधा प्रदान करता है। चूंकि खरीद और फॉरवर्ड ऑक्शन दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आयोजित किये जाते हैं, इससे उपयोगकर्ता का अनुभव बेहतर होता है। इसके अतिरिक्त फॉरवर्ड ऑक्शन मॉडयूल के उपयोगकर्ता के तौर पर राज्य के विभागों के लिए वर्तमान में शुल्क देयता शून्य है।

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 01.05.2017 को परिपत्र के माध्यम से GeM पोर्टल से खरीद हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए थे। इसी क्रम में समस्त उपापन संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि GeM पोर्टल पर उपलब्ध फॉरवर्ड ऑक्शन मॉडयूल का इस्तेमाल आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

(महेन्द्र मोहन)
संयुक्त शासन सचिव

परिपत्र क्रमांक : एफ.8(8)/एफडी/एफआर/एसपीएफसी/विविध/2023 दिनांक 16.02.2026

प्रायः यह देखने में आया है कि उपापन संस्थाओं द्वारा उपापन करते समय बोलीदाताओं से प्रतिभूति के रूप में प्राप्त बैंक गारण्टी/ई–बैंक गारण्टी का सत्यापन समय पर नहीं कराया जा रहा है, ऐसी स्थिति में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बैंक गारण्टी/ई–बैंक गारण्टी फर्जी (fake) होने पर उन बोलीदाताओं से प्रतिभूति की राशि वसूल करने के साथ ही कानूनी प्रक्रिया में समय भी लगता है तथा समय पर उपापन नहीं होने पर इसके होने वाले लाभ से भी वंचित रहना पड़ सकता है।

उपापन संस्थाओं द्वारा उपापन किये जाने पर बोलीदाताओं से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 के तहत बोली प्रतिभूति राशि एवं नियम 75 के तहत कार्य संपादन प्रतिभूति राशि बैंक गारण्टी/ई–बैंक गारण्टी के रूप में भी प्राप्त हो सकती है। नियम 42 (9) एवं नियम 75 (3) (घ) में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बोली प्रतिभूति के रूप में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी/ई–बैंक गारंटी की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि करायी जायेगी। इसका समस्त उत्तरदायित्व उपापन संस्था का ही है।

अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि जिन उपापन संस्थाओं के स्वयं के बैंक खाते हैं वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 17. 07.2012 के एनेक्सर में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार बैंक गारंटी बोलीदाताओं से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे जिससे फर्जी बैंक गारंटी की संभावना नहीं रहेगी तथा जिन उपापन संस्थाओं के स्वयं के बैंक खाते नहीं हैं वे बोलीदाताओं से प्राप्त होने वाली बैंक गारंटी/ई–बैंक गारंटी का यथा समय संबंधित बैंक से सत्यापन/पुष्टि किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

इसी प्रकार उपापन संस्था को बोली प्रतिभूति राशि और कार्य संपादन प्रतिभूति राशि किसी अन्य रूप में भी प्राप्त होती है तो उनका भी सत्यापन यथा समय किये जाने की समस्त जिम्मेदारी उपापन संस्था की है।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

परिपत्र क्रमांक : एफ.3(2)/एसपीएफसी/एसएचपीपी/2024 दिनांक 16.03.2026

राजस्थान सरकार ने राज्य में सार्वजनिक खरीद प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (SHPP) विकसित किया जा रहा है।

SHPP के प्रथम चरण में निम्नलिखित खरीद विधियों के अंतर्गत e-procurement प्रणाली अब संचालित (Operational) हो चुकी है –

1. रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन (RFQ)
2. सीमित निविदा (Limited Bidding)
3. अधिकृत एजेंसियों से खरीद (Procurement from Notified Agencies)
4. वाहन किराये पर लेना (Vehicle on Hire)

सभी विभागाध्ययों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त उल्लेखित खरीद विधियों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से SHPP के माध्यम से खरीद प्रक्रिया प्रारंभ करें।

सभी विभागाध्यक्षों (HODs) का यह कर्तव्य एवं दायित्व होगा कि वे संबंधित सभी अधिकारियों – जिनमें प्रभारी अधिकारी, लेखा अधिकारी, भंडार प्रभारी अधिकारी तथा खरीद एवं भण्डार प्रबंधन से जुडे अन्य सभी अधिकारी/कर्मचारी शामिल हैं – को आवश्यक निर्देश जारी करें कि वे सभी खरीद गतिविधियां अनिवार्य रूप से SHPP पोर्टल के माध्यम से ही संपादित करें।

SHPP पोर्टल को shpp.rajasthan.gov.in अथवा उपयोगकर्ताओं के संबंधित SSO IDs के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए श्री नाथू राम ढाका (CAO), SPFC मोबाइल नं. 9783165351 अथवा ई–मेल cao.spfc@rajasthan.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

NOTIFICATION No.F.2(1)/FD/G&T-SPFC/2017 **Dated : 19.03.2026**

G.S.R.145 .-In exercise of the powers conferred by section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government, is satisfied that it is necessary in public interest so to do, that the procedure of procurement as per the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 and rules made thereunder is not feasible to execute the procurement of medical equipments for various projects related to National Health Mission (NHM) by the Rajasthan Medical Services Corporation Limited (RMSCL), hereby exempts the Rajasthan Medical Services Corporation Limited from application of the provisions of rule 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 upto 31.03.2027, subject to the following conditions that:-

(a) the bidding process may be initiated by the RMSCL upon receipt of indicative quantities and the estimated financial outlay for Medical Equipment from NHM;

(b) the estimated quantities and the total bid value shall be restricted to those of the previous financial year;

(c) the bidding process shall be strictly limited to the invitation of bids and finalisation of rate contracts only. No financial liability or contractual obligation shall arise solely from the initiation of the bidding process; and

(d) no work order, supply order, or purchase commitment shall be issued unless budget provisions are available and valid Administrative and Financial Sanctions have been obtained.

Mahendra Mohan,
Joint Secretary to the Government

Order No.F.2(1)/FD/G&T-SPFC/2017 **Dated : 30.03.2026**

Sub: Clarification regarding requirement of mandatory prior registration from the countries· sharing land border with India-Restrictions under FD order date 15.01.202.1

In continuation of clarification issued vide FD's order of dated 30.03.2021, the following clarifications are being made in the referred order regarding the applicability of registration under FD order date 15.01.2021 due to further clarifications issued in point no. 12 and 13 of Manual for Procurement of Goods, Second Edition, 2024 issued by Department of Expenditure under the Ministry of Finance, Government of India. -

1. The proprietary purchases are not excluded from the provisions of FD order date 15.01.2021
2. The Rule is applicable to all purchases irrespective of the order value.
3. Sub-contracting is not permitted by any contractor to a contractor from a country sharing a land border with India unless registered with the Competent Authority. However, it is to be noted that procurement of raw materials, components, sub-assemblies, etc., does not constitute sub-contracting. In case a bidder has proposed to supply finished goods procured directly/indirectly from the vendors from the countries that share a land border with India, such vendor will be required to be registered with the Competent Authority as per provision of FD order date 15.01.2021.
4. There is no bar on the contractor from procuring raw material from a firm that has been acquired by another firm belonging to a country that shares a land border with India.
5. Contract Manufacturing outside India: if the bidder is getting the subject product manufactured outside India, this is treated as contract manufacturing, and beneficial ownership of the actual manufacturing entity must be verified. If the actual manufacturer

does not meet the beneficial ownership criteria then the bidder must submit Department of Promotion of Industries and Internal Trade under the Ministry of Commerce and Industries or Industries Department, Government of Rajasthan for registration of such manufacturer to participate in the procurement.

6. The hiring of Services: Suppose a Bidder (Indian/Foreign) who is not from a country sharing a land border with India offers services to a procuring entity by arranging equipment from another company. Then, the following scenarios may appear:-

S.No.	Scenario	Applicability of FD order date 15.01.2021
(a)	The equipment/goods have been purchased or will be purchased from a company (manufacturer) from a country that shares a land border with India.	The bidder has procured certain goods to offer the requisite services to a procuring entity. In such case, the bidder does not fall within the definition of the term "bidder" as defined under FD order date 15.01.2021 do not apply to this case.
(b)	By entering into a MOU lease agreement with the company (who owns the equipment/goods) from a country that shares a land border with India.	Here, the bidding vendor proposes to hire services from a company that belongs to a country that shares a land border with India. This prima facie becomes the case of an Indirect supply of services by a company that owns the equipment/goods by introducing an intermediary. The intermediary merely acts as an agent to the company providing services of the equipment. In such a case, the company owning the equipment and indirectly supplying the services shall be required to the registered with the competent authority, thereby requiring the fulfilment of the provisions of FD order date 15.01.2021.
(c)	By entering into an MOU lease agreement with the company (say 'X', who is the present owner of the equipment) from a country that does not share a land border with India. The equipment has been purchased from the manufacturer of the company (say "Y"), which is from a country that shares a land border with India.	In this case, the actual supplier of services, prima facie, shall be X. The status of X in this case does not attract the provision of FD order date 15.01.2021.

Illustrative examples of the applicability of the restrictions under FD order date 15.01.2021.

(1) A vendor, say, Party A from India, is procuring an item from their sister company, say, Party B, which is registered in a country that does not share a land border with India. Both the parties, Party A and B, are owned by an entity, say, 'Party C'. Party C does not belong to a country sharing a land border with India. However, Party B has its production facility in a Country sharing a land border with India, and the manufactured item will be procured by Party A from its sister concern, i.e., Party B from the above-mentioned production facility. The production unit is wholly owned by Party B. The Party A now claims that the FD order date 15.01.2021 do not apply on it because both the Party A and B are not:-

a) An entity incorporated, established, or registered in such a country, as Party A is registered in India and Party B is registered in a country not sharing a land border with India,

b) A subsidiary of an entity incorporated, established, or registered in such a country as they are 100% owned subsidiary of Party C, which is incorporated, registered, and established in a country not sharing a land border with India,

c) An entity controlled through entities incorporated, established, or registered in such a country as they are 100% owned by Party C, which is registered and established in a country not sharing a land border with India,

d) An entity whose beneficial owner is situated in such a country as their beneficial owner is Party C,

e) An Indian (or other) agent of such an entity,

f) A natural person who is a citizen of such a country,

g) A consortium or joint venture where any member of the consortium or joint venture falls under any of the above. Though it has a wholly owned subsidiary in a country that shares a land border with India but is not a JV or consortium (subsidiary does not qualify as JV or consortium),

h) In addition to the above, Party A Claims that they are not procuring finished goods directly/indirectly from the vendors from the countries sharing land borders with India as the item is being manufactured in their own production units,

i) In light of the above facts and the claims put forth by Party A, it is important to clarify to the procurers that Party A acts as an agent for Party B, which manufactures goods in a country sharing a land border with India. Party B supplies goods manufactured at premises established in a country that shares a land border with India. In such a case, registration is required for Party B (and not necessarily for Party A, who is only an agent and not from a country sharing a land border with India).

(2) Taking an example of lT goods and services:

a) If the contractor is only supplying the servers as it is from an OEM that belongs to a country sharing a land border with India, and there is no value addition done by the contractor, then the contractor acts as an agent for the OEM and registration of the OEM and the agent (contractor) both are required as per FD order date 15.01.2021.

b) In case the contractor supplies value-added services on hardware and the contractor outsources the procurement of hardware, OEM registration is not required.

c) Where there is deployment of IT services that includes both hardware and software customization, and the contractor has sourced hardware, which is made in the country sharing a land border with India, the requirement of registration as per the FD order date 15. 01.2021 is not applicable.

Mahendra Mohan
Joint Secretary to the Government

Circular No. F.3(2) FD/SPFC/SPPP/SHPP/2024 Dated: 31-3-2026

The Govemment of Rajasthan has decided to strengthen and streamline the public procurement system by developing the Single Holistic Procurement Portal (SHPP) for the State of Rajasthan.

Second Phase of Single Holistic Procurement Portal (SHPP) for Procurement under Open Competitive Bidding (OCB) is now on Trial for User Acceptance Testing (UAT) from 01-04-2026 for the following 12 departments. \

1. Director, Women and Child Development Department (WCD)

2. Director, Department of Treasury and Accounts (DTA)

3. Director, Department of Science and Technology (DST)

4. Director, Department of Tourism

5. Principal, SMS Medical College, Jaipur

6. Medical Superintendent, SMS Hospital, Jaipur

7. Joint Secretary, Department of Personnel (DoP)

8. Commissioner, Department of Information Technology & Communication (DoIT&C).

9. Commissioner, Department ofAgriculture

10. Commissioner, Department of Industries

11.Director, Department of Medical, Health & Family Welfare

12. Commissioner, Excise Department

All above Heads of Departments (HODs) are requested to form departmental user groups, for the purpose of testing of already completed tenders on SHPP test site and issue necessary instructions to all concerned officials - including officers-in-charge, accounts officials, store-in-charge officials, and all other officials engaged in procurement and stores management. It is mandatory to carry out testing of procurement activities completed in the last six months, through the SHPP test portal for User Acceptance Testing (UAT) purposes.

This User Acceptance Testing (UAT is important for integrating the feedback of user departments in the final version ofOCB module in SHPP.

The SHPP Portal may be accessed through shpptest.rajasthan.gov.in

In case of any queries helpline number are as follows:-

i. ·Sh. Nathu Ram Dhaka, CAO, SPFC +919783165351

ii. Sh. Aayush Tiwari +91 8952950958

परिपत्र संख्या एफ.8 (8)वित्त/एफआर/एसपीएफसी/परिपत्र/2023 दिनांक : 20.04.2026

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 के अन्तर्गत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रावधान दिये हुए हैं। उपापन संस्थाओं द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के निर्धारण हेतु वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 04.02.2013, 01.03.2013, 21.12.2018 एवं 08.10.2023 को जारी किये गये हैं। कतिपय मामलों में वित्त विभाग के ध्यान में आया है कि उपापन संस्थाओं द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 के अन्तर्गत बोली दस्तावेजों में प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, परिपत्र में वर्णित प्रावधानों से भिन्न बनाये जा रहे हैं। जिससे प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के निर्धारण की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसी प्रकार विभागाध्यक्ष द्वारा प्रथम, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के संबंध में जारी आदेश से भिन्न, प्रथम, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का उल्लेख विभागाध्यक्ष के अधीन आने वाले उपापन संस्थाओं द्वारा अपने बोली दस्तावेजों में किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक से अधिक प्रथम, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी होने की स्थिति में भी अपील के निस्तारण की समस्या उत्पन्न होती है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बोली दस्तावेजों में प्रथम, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का उल्लेख निम्नानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे :-

क्र.सं.	उपापन संस्था	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
1.	उपापन संस्थाओं द्वारा उपापन किये जाने पर	वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अध्यधीन उपापन करने हेतु सक्षम उपापन संस्था से एक स्तर उच्च, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होंगे।	उपापन संस्था का संबंधित प्रशासनिक विभाग, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी होंगे।
2.	विभागाध्यक्ष (वित्त विभाग के अधीन आने वाले विभागाध्यक्षों को छोडकर) स्वयं उपापन संस्था है।	विभाग का संबंधित प्रशासनिक विभाग प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होंगे।	विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)/शासन सचिव, वित्त (बजट)/प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी होंगे।
3.	वित्त विभाग के अधीन आने वाले विभागाध्यक्षों द्वारा उपापन किये जाने पर या प्रशासनिक विभाग स्वयं उपापन संस्था है या विभाग की वित्तीय समिति (जिसमें प्रशासनिक विभाग भी शामिल होता है) के द्वारा उपापन निर्णित होते हैं।	विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)/शासन सचिव, वित्त (बजट)/प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होंगे।	प्रमुख शासन सचिव, वित्त/अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी होंगे।

टिप्पण : यदि किसी उपापन प्रक्रिया में प्रशासनिक विभाग प्रथम अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी विनिर्दिष्ट हैं तथा प्रशासनिक विभाग में पद समाप्ति होने या बिना अतिरिक्त कार्यभार के रिक्त होने की स्थिति में विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)/शासन सचिव, वित्त (बजट)/प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग ऐसे मामलों में प्रशासनिक विभाग के स्थान पर प्रथम अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) होंगे। इस प्रकार के प्रकरण में यदि विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)/प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग प्रथम अपीलीय प्राधिकारी है, तो प्रमुख शासन सचिव, वित्त/अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी होंगे।

शिवांगी स्वर्णकार
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)

पत्र संख्या : **F.3(2)FD/SPFC/SPPP/SHPP/2024** दिनांक : 27.05.2026

समस्त विभागाध्यक्ष।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.3(2)FD/SPFC/SPPP/SHPP/2024 दिनांक 16.03.2026 एवं 3.03.2026 के क्रम में यह अवगत कराया जाता है कि Single Holistic Procurement Portal (SHPP) प्रारंभ किया जा चुका है एवं संबंधित परिपत्र वित्त विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक उपापन अधिनियम, 2012 की धारा 17 के अंतर्गत समस्त उपापन संबंधी सूचनाओं का पोर्टल पर प्रकाशन किया जाना अनिवार्य है। अतः GF&AR के नियम 2 (vii) भाग– I के परिशिष्ट–8 में वर्णित समस्त विभागाध्यक्षों (HoD's) से अनुरोध है कि संलग्न परिशिष्ट में अपेक्षित सूचना निर्धारित प्रारूप में तत्काल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

वांछित सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित विभागों को SHPP पोर्टल पर ऑन–बोर्ड करने एवं उपापन संबंधी प्रक्रिया हेतु आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाना संभव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के रूप में ऑन–बोर्ड होने के उपरांत संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा उपापन संबंधी प्रक्रिया हेतु अधिनियम की धारा 17 के अनुसार अधिप्राप्ति संस्थाओं (Procuring Entities) को नामित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

यह अत्यंत आवश्यक / अति आवश्यक माना जावे।

संलग्नः परिशिष्ट

(महेन्द्र मोहन)
संयुक्त शासन सचिव

Single Holistic Procurement Portal
Shpp.Rajasthan.gov.in
Application for Existing HODs as per GF&AR (Appendix-8)

1.	Title* Mr./Mrs./Ms./Dr.	
2.	First Name* Middle Name Last Name*	
3.	Designation*	
4.	Email ID* Say.......@rajasthan.gov.in	
5.	Name of Administrative Department	
6.	Department*	
7.	Office Name*	
8.	Official Address*	
9.	District*	
10.	City*	
11.	State*	
12.	Pin Code*	
13.	Phone* +91....................STD No.....	
14.	Fax +91....................STD No.....	
15.	Mobile : +91...........	
16.	User Role Head of Department (HoD)	
17.	Sr.No. in GF&AR (Appendix-8)	
18.	Address of Offices to be maped 1..................... 2.................... 3....................	

Signature of Applicant

Name :
Date :
Seal :

Note*
1. If you are not existing HoD as per GF&AR (Appendix-8), please fill this form and apply on email id shpp.admin@rajasthan.gov.in

Circular No. F.3(2) F.D.lSPFC/SPPP/SHPPI2024 Dated: 29.5.2026.

The Government of Rajasthan is committed to enhance transparency, efficiency and ease of doing business in the public procurement process. To achieve this objective, the Finance Department has developed the Single Holistic Procurement Portal (SHPP). The first phase of SHPP was implemented vide Circular No. F.3(2)FD/SPFC/SPPP/SHPP/2024 dated 16.03.2026.

It has now been decided to undertake Phase-II of SHPP on a pilot basis implementation with effect from 01 June, 2026 in the following Departments/Offices:-

1. Commissioner, Department of Industries
2. Commissioner, Department of Agriculture
3. Director, Women and Child Development Department (WCD)
4. Director, Department of Science and Technology (DST)
5. Director, Department of Tourism
6. Principal, SMS Medical College, Jaipur
7. Joint Secretary, Department of Personnel (DoP)
8. Director, Department ofTreasury and Accounts (DTA)
9. Director, Local Fund Audit Department (LFAD)
10. Public Works department, Jaipur (Rural) Circle

This phase will cover the following modules: -

1. Open Competitive Bidding
2. Rate Contracts
3. Reverse Auction
4. Appeal Management System
5. Procurement Plan Management
6. E- Sanction
7. Single Source Procurement

All these departments are hereby advised to undertake procurement through SHPP for the above-mentioned procurement methods with effect from 1 June, 2026.

It shall be the duty and responsibility of all Heads of Departments (HODs) to issue necessary instructions to all concerned officials - including officers-in-charge, accounts officials, store officers and all other officials, associated with procurement and stores management to mandatorily carry out procurement activities through SHPP.

SHPP may be accessed through shpp.rajasthan.gov.in or through the respective SSO IDs of users. In case of any query/clarification, users may contact through SHPP Helpline No. 0141 2743455, or through e-mail shpp.support@rajasthan.gov.in.

(Mahendra Mohan)
Joint Secretary

परिपत्र क्रमांकः प.2(3)वित्त/वित्तीय नियम–एसपीएफसी/2025 दिनांकः 15.6.2026

विषय : राजकीय विभागों में किये जाने वाले माल एवं सेवाओं के उपापनों में ''मेक–इन इंडिया'' उत्पादों को प्राथमिकता प्रदान करने के संदर्भ में।

सभी उपापन प्राधिकारियों का ध्यान वित्त विभाग की समसंख्यक अधिसूचना संख्या प. 2(3)वित्त/वित्तीय नियम–एसपीएफसी/2025 दिनांक 12.06.2026 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2026–27 के पैरा संख्या 136 **"Ease of Doing Business"** की दृष्टि से सरकारी खरीद में पारदर्शिता एवं प्रतियोगिता सुनिश्चित किये जाने के साथ ही राजकोष के जनहित में सर्वोत्तम उपयोग के लिये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कार्य करते हुए राज्य में किये जाने वाले **Public Procurement** में देश में निर्मित **Goods & Services** को प्राथमिकता दी जायेगी, के संबंध में सुसंगत प्रावधान किये गये हैं।

यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 6 (2) सपठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम–33 के प्रावधानों में घरेलू उद्योगों की अभिवृद्धि, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से किसी भी बोली लगाने वालों के प्रवर्ग को उपापन की विषयवस्तु के आज्ञापक उपापन (Mandatory Procurement) के लिये उपबंधित करने का प्रावधान किया गया है।

उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017 एवं समय–समय पर जारी संशोधनों को समाहित करते हुए निम्न दिशा–निर्देश एतद्द्वारा जारी किये जाते हैं–

1. इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 19.11.2015 के प्रावधान यथावत लागू रहेंगें तथा इसकी अनुसूची में वर्णित आइटम्स पूर्ववत राज्य की सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के इकाईयों के लिये आरक्षित रहेंगे।
2. उपापन प्रक्रिया के दौरान निम्न श्रेणी के किसी बोलीदाता फर्म के एल–1 घोषित होने पर उपापन की विषयवस्तु की मात्रा का विभाजन निम्न विवरणानुसार किया जायेगा:–

L-1	Distribution
MSEs from Rajasthan	100% quantity order to be placed to the L-1 bidder subject to provisions of this Notification.
Class-I Local Supplier from outside Rajasthan	• 20% quantity order to be placed to the original lowest bidder enterprise. • For remaining 80% quantity, purchase preference shall be given to MSEs of Rajasthan as per provisions mentioned below.
Non-MSE Class-I local supplier from Rajasthan	• 50% quantity order to be placed to the original lowest bidder enterprise. • For remaining 50% quantity, purchase preference shall be given to MSEs of Rajasthan as per provisions mentioned below.
• Non-MSE Non-Class-I local supplier from Rajasthan • Non Class-I Local Supplier from outside Rajasthan	• 20% of quantity order to be placed to the original lowest bidder enterprise. • 40% of quantity, purchase preference shall be given to MSEs of Rajasthan as per provisions mentioned below. • 40% of quantity purchase preference shall be given to eligible local supplier whose quoted rates falling within the margin of purchase preference.

3. Purchase preference to eligible bidders shall be given in the following manner, subject to fulfillment of all required specifications and conditions of the bid :-

(i) opportunity shall be given to the eligible bidders to supply offered quantity. Within the offered quantity for procurement from Micro and Small Enterprises of Rajasthan, 4% of this quantity shall be earmarked for procurement from Micro and Small Enterprises of Rajasthan owned by member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe.

(ii) to exercise this option of Purchase Preference, a counter offer would be given to the eligible bidder, which has quoted the minimum rate among the eligible bidders, to match the overall lowest (L-1) rate received.

(iii) in case, the lowest eligible bidders does not agree to the counter offer as per sub clause (ii) above, or does not have the capacity to provide the entire bid quantity, the same counter offer shall be made to the next lowest bidder among the eligible bidders, in that order till the quantity to be supplied is met.

(iv) if the subject matter of procurement is non-divisible in nature, the contract shall be awarded to the original lowest bidder.

3. स्थानीय उत्पादक को क्रय अधिमान (Purchase preference to the local suppliers) :—

संदर्भित अधिसूचना के अन्तर्गत स्थानीय उत्पादक के रूप में क्रय अधिमान (Purchase Preference) क्रमशः ऐसे बोलीदाताओं को प्रदान किया जायेगा जो L-1 घोषित फर्म की दरों को मैच करेंगे तथा जिनकी बोली L-1 घोषित फर्म की दरों से 20% की सीमा तक होगी।

4. स्थानीय सामग्री (Local Content) के संबंध में स्पष्टीकरण :—

(i) यदि किसी उपापन में एक से अधिक वस्तुओं का क्रय किया जाना है तथा प्रत्येक की दर अलग—अलग है एवं सभी वस्तुओं की दरों के योग के आधार पर न्यूनतम दरदाता का निर्धारण होना है तो ऐसी स्थिति में स्थानीय विक्रेता फर्म, उस फर्म को माना जायेगा जिसके न्यूनतम 50 प्रतिशत आइटम भारत में निर्मित है।

(ii) पुनर्निर्माण (Refurbishing) का अर्थ आयातित उत्पाद की मरम्मत या पुनः स्थिति में सुधार करना है, लेकिन यह निर्माण के समान नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नया माल अस्तित्व में नहीं आता है। इसे स्थानीय सामग्री में नहीं माना जायेगा।

(iii) पुनर्विक्रेता (Re-seller) वितरक से स्थानीय स्तर पर प्राप्त आयातित (Imported) वस्तुओं की स्थानीय सामग्री में गणना नहीं की जायेगी।

(iv) पुनः पैक किये गये (Re-pack) /नवीनीकृत (Refurbished) एवं पुनः ब्राण्डेड (Rebranded) उत्पादों को स्थानीय उत्पाद की गणना से बाहर रखा जायेगा।

(iv) न्यूनतम स्थानीय सामग्री (Minimum local content) : किसी आपूर्तिकर्ता को प्रथम श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के लिये स्थानीय सामग्री की न्यूनतम आवश्यकता 50 प्रतिशत है। स्थानीय सामग्री का संबंध फर्म की राष्ट्रीयता से नहीं है; एक विदेशी स्वामित्व वाली फर्म भी स्थानीय मूल्यवर्धन (local value addition) करके प्रथम श्रेणी की स्थानीय आपूर्तिकर्ता बन सकती है।

5. **स्थानीय सामग्री का सत्यापन (Verification of Local Content)** :-

(i) बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत करते समय यह स्वघोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उसके द्वारा जिस सामग्री हेतु बोली प्रस्तुत की गई है वह न्यूनतम स्थानीय सामग्री (Minimum Local Content) की पात्रता को पूर्ण करता है।

(ii) राशि रुपये 10.00 करोड़ से अधिक मूल्य के उपापनों में आपूर्तिकर्ता फर्म को फर्म के वैधानिक अंकेक्षक या लागत लेखा अंकेक्षक या किसी कार्यरत सनदी लेखाकार (Chartered Accountant) से स्थानीय सामग्री की मात्रा का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(iii) समस्त उपापन संस्थाऐं बोलीदाताओं द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत स्वघोषणा (Self Declaration) एवं अंकेक्षकों/लेखाकारों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की पूर्ण रूप से जांच करेगी।

(iv) यदि कोई स्वघोषणा या प्रमाण पत्र असत्य पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित बोलीदाताओं के विरूद्ध सत्यनिष्ठा की संहिता (Code of Integrity) का उल्लंघन मानते हुए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी, जिसमें बोलीदाता फर्म को दो साल तक की अवधि के लिये विवर्जित (Debar) किया जाना भी शामिल है।

(v) इस आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित कोई आपूर्तिकर्ता अन्य उपापन संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले उपापनों में प्राथमिकता प्राप्त करने हेतु विवर्जन अवधि के दौरान अयोग्य होगा।

6. **बोली की शर्तों में आवश्यक प्रावधान** :-

(i) उपापन की जाने वाली विषय–वस्तु के संबंध में न्यूनतम स्थानीय सामग्री अवयव (Local content) सामान्यतः 50 प्रतिशत होगा तथा मेक इन इंडिया को वरीयता देने की प्रक्रिया का उल्लेख बोली आमंत्रण सूचना तथा बोली प्रपत्र में किया जाये तथा बोली प्रक्रिया के दौरान इस संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया जावे।

(ii) उपापन संस्थाऐं उपापन प्रक्रिया में टर्नऑवर, उत्पादन क्षमता तथा वित्तीय क्षमता इस प्रकार निर्धारित करे जिससे कि स्थानीय उत्पादक बोली प्रक्रिया से अनावश्यक रूप से बाहर नहीं हो जावे।

(iii) बोली दस्तावेज में विदेशी प्रमाण–पत्रों, अनुचित तकनीकी विशिष्टियों/ब्रांड/मॉडल इत्यादि का उल्लेख करना स्थानीय कंपनियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक और भेदभावपूर्ण होगा। यदि किसी स्थिति में भारतीय मानकों (Indian Standards) की अनुपलब्धता होती है तो विदेशी प्रमाण पत्रों (foreign certification) का प्रावधान सक्षम अनुमोदन के उपरांत रखा जावे।

(iv) स्वदेशी उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं के विरूद्ध बोली दस्तावेज में प्रतिबंधात्मक एवं भेदभावपूर्ण शर्तें नहीं रखी जावे। इसके बावजूद भी यदि ऐसा किया जाता है तो इस हेतु दोषी अधिकारियों के विरूद्ध प्रशासनिक विभाग के स्तर पर उचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

7. **छोटी खरीद** (Small Purchase) :- राशि रुपये 5.00 लाख से कम मूल्य के उपापन प्रकरणों में इस परिपत्र में उल्लेखित प्रावधान लागू नहीं होंगे।

उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(महेन्द्र मोहन)
संयुक्त शासन सचिव